XamAgent

प्रारंभिक परीक्षा 2027

ED. 2027 · 23 CH · PYQ-PROOF · 207 FIG · 725 ★★★ · 268 MCQ

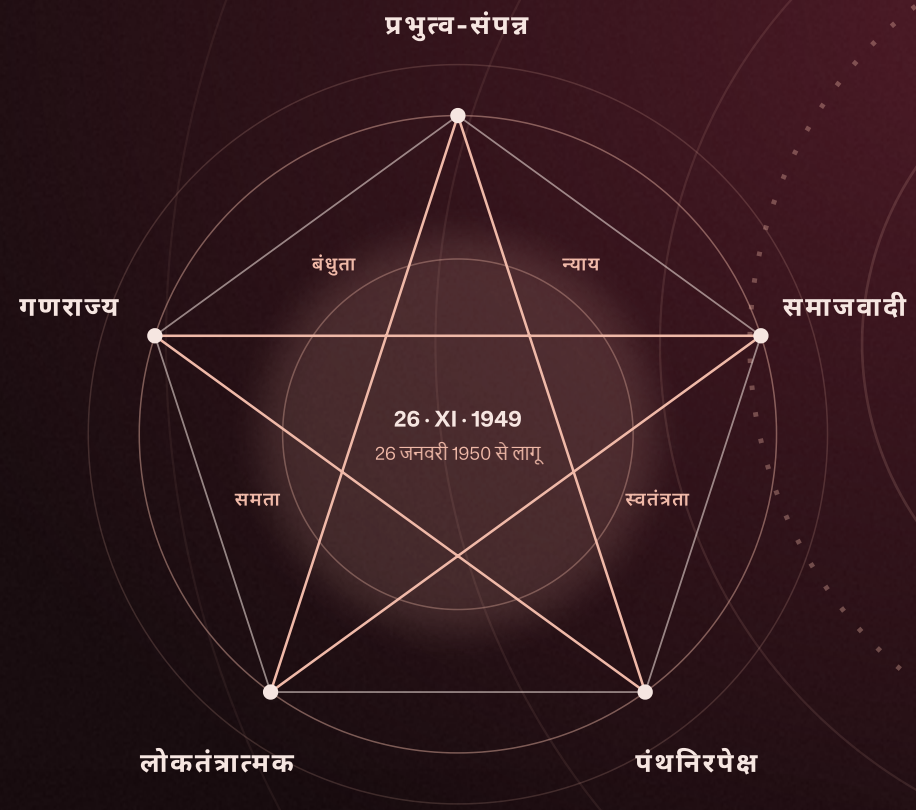

प्रारंभिक परीक्षा नोट्स

भारतीय राजव्यवस्था

प्रारंभिक परीक्षा से पहले की रात, बस एक किताब चाहिए।

PYQ-PROOF

2011 से UPSC और BPSC का हर प्रश्न इन नोट्स से हल होता है।

16 · वर्ष

UPSC CSE · BPSC · UPPCS · SSC CGL

Also in English

भारतीय राजव्यवस्था · प्रारंभिक परीक्षा नोट्स
प्रारंभिक परीक्षा 2027 संस्करण। समय के साथ बदलने वाले तथ्य नवंबर 2026 तक अद्यतन हैं।
© 2026 XamAgent। सर्वाधिकार सुरक्षित।

उपयोग की शर्तें

- यह पुस्तक इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के **निजी, गैर-व्यावसायिक अध्ययन** के लिए है।
- बिना पूर्व लिखित अनुमति के इसका कोई भी भाग कॉपी करना, बिक्री के लिए छापना, दोबारा बेचना, किराये पर देना, वेबसाइट, फ़ाइल-शेयरिंग सेवा, टेलीग्राम/व्हाट्सऐप ग्रुप या किसी अन्य चैनल पर अपलोड करना, या इससे नोट्स, वीडियो या कोर्स बनाना मना है।
- इस पुस्तक या इसके किसी भाग का उपयोग मशीन लर्निंग या एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए करना मना है।
- समीक्षा या चर्चा के लिए छोटे अंश XamAgent के स्पष्ट उल्लेख के साथ उद्धृत किए जा सकते हैं।
- पाठ, तालिकाएँ, याद रखने की ट्रिक और चित्र मौलिक कार्य हैं। पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न शिक्षा और अभ्यास के उद्देश्य से परीक्षा और वर्ष के उल्लेख के साथ दिए गए हैं।

अस्वीकरण

- ये नोट्स एक स्वतंत्र अध्ययन सामग्री हैं। इनका संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी सरकारी संस्था से **कोई संबंध नहीं है**, न ही ये उनके द्वारा अनुमोदित या जारी हैं।
- हर तथ्य को सही और नवीनतम रखने का पूरा प्रयास किया गया है। मान, संख्याएँ, रिकॉर्ड और नीतियाँ बदलती रहती हैं; ऐसे तथ्य नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं। जहाँ आधिकारिक अधिसूचना, पाठ्यक्रम या उत्तर कुंजी भिन्न हो, वहाँ आधिकारिक दस्तावेज़ ही मान्य होगा।
- पिछले प्रश्नों के उत्तर, जहाँ प्रकाशित हैं, आयोगों की अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार हैं; अन्यथा मानक स्वीकृत उत्तर के अनुसार।
- परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम परीक्षा लेने वाली संस्थाएँ तय करती हैं और बदल सकते हैं। परिणाम पाठक की अपनी तैयारी पर निर्भर है; इस पुस्तक के उपयोग से हुई किसी हानि के लिए लेखक और प्रकाशक उत्तरदायी नहीं हैं।

ये नोट्स अलग क्यों हैं

1619	99	360	268
मुख्य बिंदु	तुलनात्मक तालिकाएँ	हल किए गए पिछले प्रश्न	अभ्यास MCQ

असली प्रश्नपत्रों पर परखा गया

UPSC 2011–2026 और BPSC 56वीं–71वीं में पूछे गए भारतीय राजव्यवस्था के सभी 360 प्रश्न ऐसे पाठक को दिए गए जिसने केवल ये नोट्स देखे, उत्तर नहीं। हर प्रश्न का उत्तर इन नोट्स से मिलता है, और हर प्रश्न उत्तर सहित अपने अध्याय के अंत में दिया गया है।

एक किताब से नहीं, पाठ्यक्रम से बना

अध्याय UPSC CSE, BPSC, UPPCS और SSC CGL के संयुक्त प्रारंभिक पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और एनसीईआरटी स्तर तक पूरे हैं, ताकि परीक्षक जहाँ तक पहुँच सकता है, वहाँ तक कुछ न छूटे।

पहले क्या दोहराएँ, यह पता रहे

हर बिंदु पर स्टार है। 725 ★★★ बिंदु वे तथ्य हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं; इन्हें तीन बार दोहराएँ, बाकी को एक बार।

पहली बार पढ़ने में ही याद रहे

पहले अवधारणा, फिर तथ्य; साथ में 128 याद रखने की ट्रिक, 8 रोज़मर्रा के उदाहरण और इस पुस्तक के लिए बनाए गए 207 चित्र, ताकि हर विचार के साथ एक चित्र और एक ट्रिक जुड़ी रहे।

परीक्षक की चालों से परिचित

188 "परीक्षा में सावधान" बॉक्स दिखाते हैं कि विकल्प कैसे घुमाए जाते हैं: मिलते-जुलते शब्द, उलटे कथन और लोकप्रिय गलत धारणाएँ।

नवीनतम, पुराने संस्करणों की नकल नहीं

बदलने वाले तथ्य (रिकॉर्ड, मिशन, मानक, संख्याएँ, पुरस्कार) आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए हैं और नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार लिखे गए हैं।

दोहराव पहले से तैयार

दो रफ़्तार: पूरी पुस्तक एक बार पढ़ने में लगभग 18 घंटे; रिवीज़न कार्ड (कुल 286 बिंदु) और सभी ★★★ तथ्य परीक्षा से पहले की रात लगभग 4 घंटे में। हर अध्याय एक-पंक्ति व्याख्या वाले अभ्यास प्रश्नों (कुल 268) पर समाप्त होता है।

साफ़, परीक्षा-योग्य तथ्य

हर पंक्ति में एक तथ्य, मुख्य शब्द बोल्ड में, संख्याएँ इकाई और शर्त के साथ। कोई भराव नहीं, बाद में भूलने लायक कुछ नहीं।

	सामान्य नोट्स	ये नोट्स
कवरेज	एक किताब की अध्याय सूची	चार परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, हर पिछले प्रश्न पर जाँचा गया
प्राथमिकता	सब कुछ बराबर ज़रूरी लगता है	हर बिंदु पर स्टार; 725 ★★★ तथ्य चिह्नित
याददाश्त	रटने की सूचियाँ	ट्रिक, कहानियाँ, रोज़मर्रा के उदाहरण और चित्र
जाल	परीक्षा हॉल में पता चलते हैं	तथ्य के साथ लाल बॉक्स में
नवीनता	पुराने तथ्य दोबारा छपे	बदलने वाले तथ्य नवंबर 2026 तक अद्यतन
अभ्यास	अलग किताब	हर अध्याय में पिछले प्रश्न और अभ्यास MCQ

आभार

सबसे पहले हम उन शिक्षकों के आभारी हैं जिन्होंने दिखाया कि संविधान अनुच्छेदों की सूची नहीं, एक जीवंत समझौता है: धन विधेयक लोकसभा में ही क्यों शुरू होता है, राज्यपाल विधेयक को क्यों आरक्षित करता है, मूल ढाँचा संशोधन से क्यों नहीं मिटाया जा सकता।

हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोग के आभारी हैं, जिनके प्रकाशित प्रश्नपत्रों ने वह मानक तय किया जिस पर यहाँ की हर पंक्ति परखी गई।

उन सार्वजनिक संस्थाओं का भी धन्यवाद जिनके खुले अभिलेख तथ्यों को सही और नवीन रखते हैं: अंतरराष्ट्रीय माप-तौल ब्यूरो, सीएसआईआर–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, पत्र सूचना कार्यालय और नोबेल फ़ाउंडेशन।

सबसे बढ़कर, यह पुस्तक उस अभ्यर्थी के लिए है जो लंबे दिन के बाद इसे पढ़ रहा है: जो बस में दोहराता है, धीमी रोशनी में पढ़ता है, और खराब मॉक टेस्ट के बाद भी हार नहीं मानता। ये पृष्ठ आपकी तैयारी को हल्का और परीक्षा के दिन को शांत बनाएँ।

XamAgent टीम

पाठक के लिए

ज़्यादातर छोटे नोट्स किसी वजह से छोटे होते हैं। चालीस-पचास पन्ने, छोटे अक्षर, हर पन्ना किनारे तक भरा हुआ। एक पन्ना पढ़ने में बीस मिनट लगते हैं और अगले पन्ने तक भूल जाता है। परीक्षा के बाद वे गिनाते हैं कि कितने प्रश्न “उनसे आए”।

यह पुस्तक इस तरह काम नहीं करती।

- **पढ़ने लायक अक्षर।** पढ़ने के लिए छापे गए, ठूँसने के लिए नहीं।
- **एक पन्ना दो से तीन मिनट में।** मापा गया, अनुमान नहीं।
- **याद रखने के लिए बनी।** हर विचार के साथ एक चित्र, याद रखने की ट्रिक, रोज़मर्रा का उदाहरण और वह जाल जो परीक्षक उसके आसपास बिछाते हैं।

यह पुस्तक छोटे नोट्स से लंबी है, क्योंकि याददाश्त को जगह चाहिए। अतिरिक्त पन्नों में रटने के लिए अतिरिक्त तथ्य नहीं हैं।

यह पुस्तक आपको पसंद आएगी, अगर आप महत्व देते हैं:

- किसी विचार को रटने से पहले समझने को;
- यह जानने को कि कौन-से तथ्य पहले दोहराने हैं और कौन-से बाद में;
- ऐसे पन्नों को जो पढ़ने में आसान और दोहराने में तेज़ हों;
- ऐसे नोट्स को जो परीक्षा से पहले असली प्रश्नपत्रों पर परखे गए हों, परीक्षा के बाद श्रेय लेने वाले नहीं।

XamAgent

विषय-सूची

1	संविधान का निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताएँ	★★★	7
2	प्रस्तावना	★★★	24
3	भाग, अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद	★★	34
4	संघ, उसका राज्यक्षेत्र और नागरिकता	★★	48
5	मौलिक अधिकार और रिट	★★★	64
6	राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य	★★★	88
7	संविधान संशोधन और मूल ढाँचा	★★★	106
8	संसदीय और संघीय व्यवस्था; केंद्र-राज्य संबंध	★★★	122
9	आपात उपबंध	★★	140
10	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	★★★	152
11	प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी	★★★	172
12	संसद: सदन, पदाधिकारी, सत्र और विशेषाधिकार	★★★	188
13	विधि-निर्माण, बजट और संसदीय समितियाँ	★★★	210
14	न्यायपालिका	★★★	230
15	राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और संघ राज्यक्षेत्र	★★★	249
16	स्थानीय शासन: पंचायतें और नगरपालिकाएँ	★★★	266
17	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र; आरक्षण	★★	286
18	संवैधानिक निकाय	★★★	303
19	सांविधिक और अन्य निकाय	★★	319
20	निर्वाचन, राजनीतिक दल और दल-बदल विरोधी कानून	★★	332
21	शासन: सिविल सेवाएँ, अधिकार-आधारित कानून, पुलिस और न्याय	★★	347
22	राजनीतिक सिद्धांत और मुख्य अवधारणाएँ	★★	368
23	त्वरित तालिकाएँ: अनुच्छेद, संशोधन, ऐतिहासिक मामले, समितियाँ	★★	383
★	**परीक्षा से पहले की रात**: सभी ★★★ तथ्य एक जगह		409
	बदलने वाले तथ्य: इन्हें कहाँ जाँचें		434

कैसे पढ़ें: ★★★ बार-बार पूछा गया, ★★ कभी-कभी पूछा गया, ★ जानना उपयोगी। पूरा अध्याय एक बार पढ़ें, फिर केवल रिवीज़न कार्ड और ★★★ बिंदु दोहराएँ। हरे बॉक्स याद रखने की ट्रिक हैं, लाल बॉक्स परीक्षक के जाल, और नारंगी बॉक्स रोज़मर्रा का उदाहरण।

अध्याय 1

संविधान का निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताएँ

संविधान सभा की तिथियाँ और व्यक्ति, ब्रिटिश काल के अधिनियम (सबसे अधिक 1935 का अधिनियम), दूसरे देशों से ली गई विशेषताएँ और संविधान का संघीय-संसदीय स्वरूप लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 14 बार पूछा गया: UPSC 6 · BPSC 8

≈ 45 min पढ़ने में ≈ 11 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

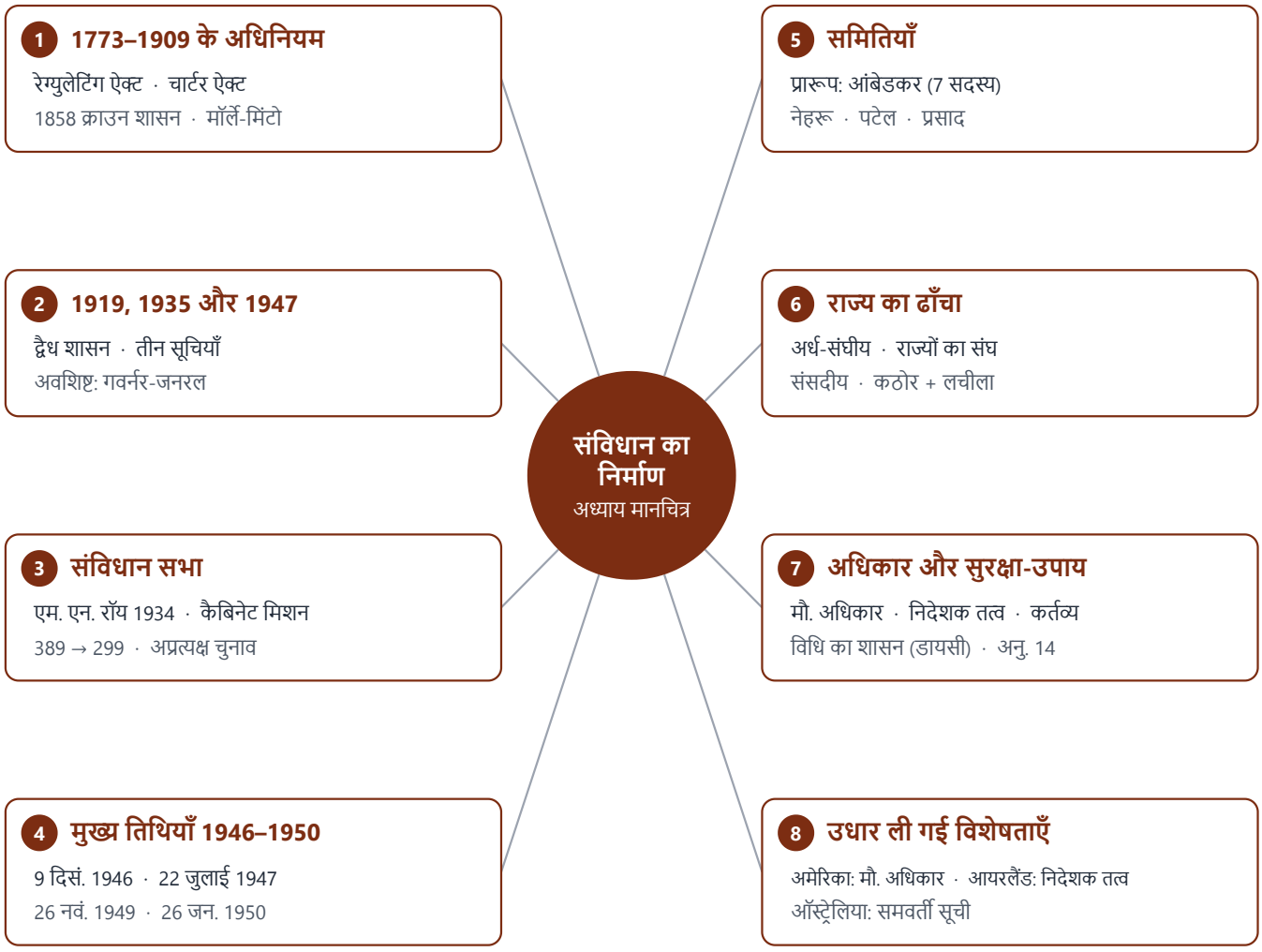

रिवीज़न कार्ड

1. **रेग्युलेटिंग ऐक्ट 1773**: कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण; **चार्टर ऐक्ट 1833**: भारत का गवर्नर-जनरल (बैंटिक); **भारत शासन अधिनियम 1858**: क्राउन का शासन, वायसराय, भारत सचिव।
2. **1909** मॉर्ले-मिंटो: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। **1919** मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड: प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। **1935**: तीन सूचियाँ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय, अवशिष्ट शक्तियाँ **गवर्नर-जनरल** के पास।
3. संविधान सभा: विचार **एम.एन. रॉय (1934)** का, गठन **कैबिनेट मिशन योजना (1946)** के अंतर्गत; प्रांतों के सदस्य **प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** (एकल संक्रमणीय मत)।
4. सदस्य संख्या **389** (292 प्रांत + 4 मुख्य आयुक्त प्रांत + 93 देशी रियासतें); विभाजन के बाद **299**।
5. **9 दिसंबर 1946** पहली बैठक, अस्थायी अध्यक्ष **सच्चिदानंद सिन्हा**; **11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद** अध्यक्ष चुने गए; **13 दिसंबर 1946** नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव (22 जनवरी 1947 को स्वीकृत)।
6. **प्रारूप समिति** का गठन **29 अगस्त 1947**, 7 सदस्य, अध्यक्ष **बी.आर. आंबेडकर**; संवैधानिक सलाहकार **बी.एन. राव**।
7. **22 जुलाई 1947** राष्ट्रीय ध्वज अपनाया; **26 नवंबर 1949** संविधान अंगीकृत (**संविधान दिवस**); **24 जनवरी 1950** हस्ताक्षर, राष्ट्रगान अपनाया, प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए; **26 जनवरी 1950** लागू।
8. लगे **2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन**; 11 सत्र; 165 दिन की बैठकें।
9. मूल पाठ: प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ**। आज (नवंबर 2026): 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, **106 संशोधन**।
10. उधार ली गई विशेषताएँ: मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन **अमेरिका**; निदेशक तत्व **आयरलैंड**; संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता **ब्रिटेन**; शक्तिशाली केंद्र **कनाडा**; समवर्ती सूची **ऑस्ट्रेलिया**; कर्तव्य **सोवियत संघ**; संशोधन प्रक्रिया **दक्षिण अफ्रीका**।
11. एकात्मक झुकाव वाला संघीय: **'अर्ध-संघीय'** (के.सी. व्हेयर); अनुच्छेद 1 कहता है **'राज्यों का संघ'**; अवशिष्ट शक्तियाँ **संसद** के पास (अनुच्छेद 248)।
12. **विधि का शासन** (डायसी): विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, न्यायालयों के निर्णयों से अधिकार; भारत पहले दो को लागू करता है (**अनुच्छेद 14**, न्यायिक पुनर्विलोकन)। इसके लक्षण: **सीमित शक्ति, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार**।

कंपनी से क्राउन तक: 1773 से 1909 के अधिनियम

रेग्युलेटिंग ऐक्ट 1773

चार्टर ऐक्ट 1833

भारत शासन अधिनियम 1858

परिषद अधिनियम 1861

मॉर्ले-मिंटो 1909

अंग्रेज़ व्यापारी बनकर आए। ब्रिटिश संसद ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को **नियंत्रित (Regulate)** किया, 1857 के बाद भारत को **क्राउन (Crown)** के अधीन लिया, और फिर भारतीयों को धीरे-धीरे परिषदों में प्रवेश दिया। हर अधिनियम कोई पद या विचार छोड़ गया, जिसे संविधान ने बाद में अपनाया या छोड़ा।

★★★ **रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act) 1773**: कंपनी पर नियंत्रण की दिशा में ब्रिटिश संसद का पहला कदम और उसकी राजनीतिक भूमिका की पहली स्वीकृति। बंगाल का गवर्नर **बंगाल का गवर्नर-जनरल** बना (पहले **वॉरेन हेस्टिंग्स**), 4 सदस्यों की परिषद के साथ; **1774** में **कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय** बना।

★★ **पिट्स इंडिया ऐक्ट (Pitt's India Act) 1784**: कंपनी का काम बाँटा: **निदेशक मंडल (Court of Directors)** के पास व्यापार रहा, नया **नियंत्रण बोर्ड (Board of Control)** राजनीतिक मामले देखने लगा। यही 'द्वैध सरकार' थी; कंपनी के क्षेत्रों को 'भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र' कहा गया।

★ **चार्टर ऐक्ट (Charter Act) 1813**: भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, केवल **चाय** और **चीन** के साथ व्यापार को छोड़कर; भारतीयों की शिक्षा के लिए धन अलग रखा।

★★★ **चार्टर ऐक्ट 1833**: केंद्रीकरण का अंतिम चरण। बंगाल का गवर्नर-जनरल **भारत का गवर्नर-जनरल** बना (पहले **लॉर्ड विलियम बैंटिक**), जिसके पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थीं; कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय रह गई।

★★ **चार्टर ऐक्ट 1853**: गवर्नर-जनरल की परिषद के **विधायी** और **कार्यकारी** कार्य अलग किए (अलग विधान परिषद) और सिविल सेवाओं को **खुली प्रतियोगिता** के लिए खोला, भारतीयों के लिए भी। यह अंतिम चार्टर ऐक्ट था।

★★★ **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act) 1858** (1857 के विद्रोह के बाद): शासन कंपनी से **ब्रिटिश क्राउन** के पास गया। गवर्नर-जनरल **वायसराय (Viceroy)** भी बना (पहले **लॉर्ड कैनिंग**); नया **भारत सचिव (Secretary of State for India)**, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था, 15 सदस्यों वाली भारत परिषद के साथ; नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त हुए।

★★ **भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act) 1861**: भारतीय **मनोनीत** गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय की विधान परिषद में आए (कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया); बंबई और मद्रास को विधि-निर्माण की शक्ति वापस मिली; वायसराय **अध्यादेश** जारी कर सकता था; कैनिंग की **विभागीय प्रणाली (Portfolio system)** को कानूनी मान्यता मिली।

★★ **भारतीय परिषद अधिनियम 1892**: अधिक गैर-सरकारी सदस्य; परिषदें **बजट पर चर्चा** कर सकती थीं और प्रश्न पूछ सकती थीं; सीमित, **अप्रत्यक्ष** चुनाव ('चुनाव' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ)।

★★★ **भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)**: **मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate electorate)** लाया (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व), इसलिए **लॉर्ड मिंटो** को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाता है। **सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय (विधि सदस्य) बने।

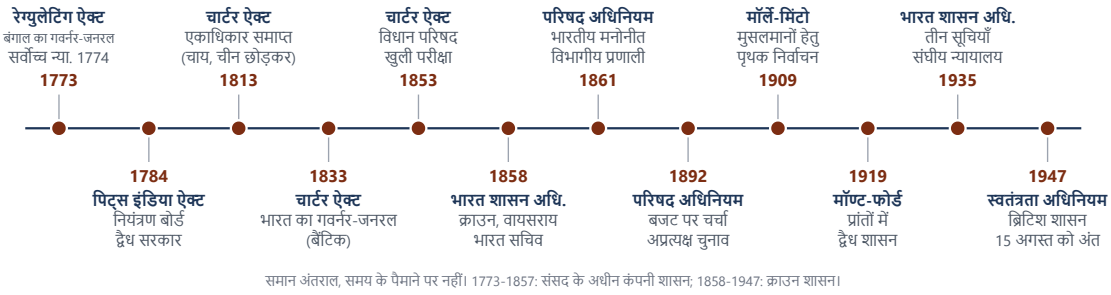

ब्रिटिश काल के अधिनियम क्रम से। रेखा पर तीन पदनाम पढ़ें: बंगाल का गवर्नर-जनरल (1773), भारत का गवर्नर-जनरल (1833), वायसराय (1858)।

याद रखें: पदनाम पहुँच के साथ बढ़ा: **हेस्टिंग्स 1773** ने बंगाल पर, **बैंटिक 1833** ने भारत पर, **कैनिंग 1858** ने वायसराय बनकर क्राउन के लिए शासन किया। बंगाल, फिर भारत, फिर क्राउन: '**B-I-C**' (Bengal, India, Crown), पेन जैसा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** इस रेखा पर केवल ब्रिटिश काल के कानून आते हैं। 1947 के बाद का कानून, जैसे **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act) 1955** (जो अनुच्छेद 17 लागू करता है), उस विकल्प-सूची में बेमेल है जो 'ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास के पड़ाव' पूछती है।

झटपट जाँच

1. किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया, और पहला कौन था?
2. किस अधिनियम ने शासन कंपनी से क्राउन को सौंपा?
3. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम से आया?

उत्तर: 1. चार्टर ऐक्ट 1833; लॉर्ड विलियम बैंटिक · 2. भारत शासन अधिनियम 1858 · 3. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो)

1919, 1935 और 1947 के अधिनियम

द्वैध शासन 1919

तीन सूचियाँ 1935

अवशिष्ट: गवर्नर-जनरल

1919 और 1935 के अधिनियमों ने भारतीयों को सत्ता में हिस्सा दिया, पहले प्रांतों में। **1935 का अधिनियम** संविधान की बहुत-सी व्यवस्था का खाका है, इसीलिए उसके कई अंश जाने-पहचाने लगते हैं। 1947 के अधिनियम ने ब्रिटिश सत्ता समाप्त की और संविधान सभा को मुक्त किया।

संघीय न्यायालय 1937

स्वतंत्रता अधिनियम 1947

★★★ **भारत शासन अधिनियम 1919 (मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)**: प्रांतीय विषय **आरक्षित (Reserved)** और **हस्तांतरित (Transferred)** में बँटे (प्रांतों में **द्वैध शासन (Dyarchy)**); निर्वाचित बहुमत वाला **द्विसदनीय (Bicameral)** केंद्रीय विधानमंडल (विधान सभा और राज्य परिषद); संपत्ति पर आधारित सीमित मताधिकार पर **प्रत्यक्ष चुनाव**।

★★ **1919, अन्य बदलाव**: सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व **सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों** तक बढ़ा; लंदन में **भारत के लिए उच्चायुक्त**; एक **लोक सेवा आयोग** (1926 में बना); प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग; 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग (**साइमन कमीशन** पहले, 1927 में आ गया)।

★★★ **भारत शासन अधिनियम 1935**: सबसे लंबा अधिनियम (321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ)। इसने प्रांतों और देशी रियासतों के **अखिल भारतीय संघ** का प्रस्ताव रखा, जो कभी नहीं बना क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुईं।

★★★ **1935, शक्तियों का बँटवारा**: तीन सूचियाँ, **संघीय** (59 विषय), **प्रांतीय** (54) और **समवर्ती** (36); **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary powers) गवर्नर-जनरल के पास**।

★★ **1935, प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial autonomy)**: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ और उन्हें उत्तरदायी सरकारें मिलीं; केंद्र में द्वैध शासन प्रस्तावित हुआ पर कभी लागू नहीं हुआ।

★★ **1935, संस्थाएँ**: 11 में से 6 प्रांतों में **द्विसदनीय** विधानमंडल (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत); **संघीय न्यायालय (Federal Court)** (**1937** में बना); **भारतीय रिज़र्व बैंक** (1935); **संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग**; भारत सचिव की भारत परिषद समाप्त; पृथक निर्वाचन दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों तक बढ़ा।

★★ नेहरू ने 1935 के अधिनियम को 'मज़बूत ब्रेक वाली पर बिना इंजन की मशीन' कहा। फिर भी संविधान ने इससे **संघीय योजना**, **राज्यपाल का पद**, **न्यायपालिका**, **लोक सेवा आयोग**, **आपात उपबंध** और बहुत-सा प्रशासनिक विवरण लिया।

★★★ **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act) 1947** (3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर): ब्रिटिश शासन **15 अगस्त 1947** को समाप्त; दो डोमिनियन, **भारत और पाकिस्तान**, दोनों राष्ट्रमंडल छोड़ने को स्वतंत्र; **वायसराय** का पद समाप्त (हर डोमिनियन के लिए उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर एक गवर्नर-जनरल); **भारत सचिव** का पद समाप्त; देशी रियासतों पर **ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy)** समाप्त।

★★ **1947 और संविधान सभा**: हर डोमिनियन की संविधान सभा कोई भी संविधान बना सकती थी और कोई भी ब्रिटिश कानून रद्द कर सकती थी, स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम भी।

★★ **लॉर्ड माउंटबेटन** स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे; **सी. राजगोपालाचारी** पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल।

★★ संविधान के **अनुच्छेद 395** ने **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947** और **भारत शासन अधिनियम 1935** (उसे संशोधित करने वाले अधिनियमों सहित) को निरसित किया, केवल प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, 1949 को बनाए रखा।

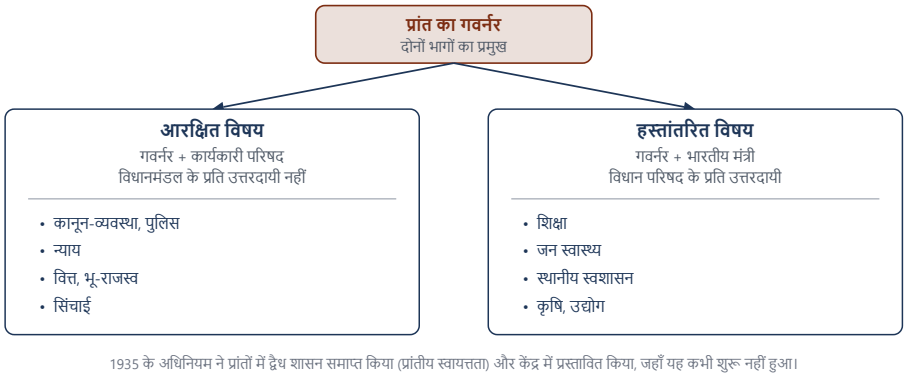

1919 के अधिनियम में द्वैध शासन: एक गवर्नर, दो तरह के विषय। केवल हस्तांतरित आधा भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री चलाते थे।

1935 के अधिनियम ने क्या सौंपा, और क्या बदला ★★★

बिंदु	भारत शासन अधिनियम 1935	संविधान
शक्तियों का बँटवारा	संघीय (59 विषय), प्रांतीय (54), समवर्ती (36) सूचियाँ	संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ (सातवीं अनुसूची): 1950 में 97, 66, 47 प्रविष्टियाँ; आज 98, 59, 52 लागू
अवशिष्ट शक्तियाँ	गवर्नर-जनरल	संसद (अनुच्छेद 248; संघ सूची की प्रविष्टि 97)
सर्वोच्च न्यायालय	संघीय न्यायालय (1937); अपील प्रिवी काउंसिल में	उच्चतम न्यायालय (1950), अंतिम
प्रांत या राज्य का प्रमुख	क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नर	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल (अनुच्छेद 155)
सेवा आयोग	संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग	संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315)
आपात स्थिति	गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ	भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360)

⚠ **परीक्षा में सावधान: अवशिष्ट शक्तियाँ**: 1935 के अधिनियम में **गवर्नर-जनरल** के पास, पर संविधान में **संसद** के पास (अनुच्छेद 248)। कनाडा भी इन्हें केंद्र को देता है; अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन्हें राज्यों के पास छोड़ते हैं।

💡 **याद रखें: 19 ने बाँटा, 35 ने सूची बनाई, 47 ने मुक्त किया**: 1919 ने प्रांतीय विषय दो भागों में बाँटे (द्वैध शासन), 1935 ने शक्तियाँ तीन सूचियों में रखीं, 1947 ने सभा को अपना कानून लिखने के लिए मुक्त किया।

☑ **झटपट जाँच**

1. 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं? अब किसके पास हैं?
2. प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से आया और किससे समाप्त हुआ?
3. संघीय न्यायालय ने किस वर्ष काम शुरू किया?

उत्तर: 1. गवर्नर-जनरल; अब संसद (अनुच्छेद 248) · 2. 1919 में आया, 1935 के अधिनियम से समाप्त · 3. 1937

संविधान सभा: विचार और संरचना

एम.एन. रॉय 1934

कैबिनेट मिशन 1946

389 सीटें

अप्रत्यक्ष चुनाव

विभाजन के बाद 299

भारतीयों द्वारा लिखा गया संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की माँग थी: स्वशासन की शुरुआत अपने बनाए मूल कानून से होनी थी। अंग्रेज़ों ने इसे चरणों में माना, और **कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946)** ने अंततः तय किया कि सभा कैसे चुनी जाएगी। यह **जनता द्वारा सीधे नहीं चुनी गई** थी: नई चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं ने इसके सदस्य चुने।

★★★ **एम.एन. रॉय (M.N. Roy)** ने **1934** में पहली बार संविधान सभा (Constituent Assembly) का विचार रखा; **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने **1935** में आधिकारिक रूप से इसकी माँग की।

★★ **नेहरू (1938)** ने वयस्क मताधिकार से चुनी सभा माँगी; अंग्रेज़ों ने **अगस्त प्रस्ताव (1940)** में यह माँग सिद्धांत रूप में मानी; **क्रिप्स मिशन (1942)** के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए।

★★★ **कैबिनेट मिशन योजना, 1946**: योजना तय की। कुल सदस्य संख्या **389**: ब्रिटिश भारत के लिए **296** (11 गवर्नर प्रांतों से **292** और मुख्य आयुक्त प्रांतों से **4**) और देशी रियासतों के लिए **93**।

★★ सीटें मोटे तौर पर **हर 10 लाख लोगों पर एक** थीं; हर प्रांत की सीटें **मुसलमान, सिख और सामान्य** मतदाताओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बँटीं।

★★★ **सदस्य कैसे चुने गए**: प्रांतों के सदस्य **प्रांतीय विधान सभाओं** के सदस्यों द्वारा **अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** हुए, **एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व** से; देशी रियासतों के सदस्य शासकों द्वारा **मनोनीत** होने थे।

★★ इसलिए सभा **आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत** थी, और इसका कोई भी भाग सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।

★★ **जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव** (ब्रिटिश भारत की 296 सीटें): **कांग्रेस 208**, **मुस्लिम लीग 73**, छोटे समूह और निर्दलीय **15**।

★★★ **विभाजन के बाद**: पाकिस्तान में गए क्षेत्रों के सदस्य चले गए; सभा घटकर **299** रह गई (प्रांतों से 229, देशी रियासतों से 70)।

★★ **महिलाएँ**: संविधान बनाने वाली सभा में **15** महिलाएँ थीं, जिनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और अम्मु स्वामीनाथन थीं; **दाक्षायणी वेलायुधन** एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं।

★ **आलोचना**: सीधे निर्वाचित नहीं, ब्रिटिश योजना से बनी, एक दल (कांग्रेस) का वर्चस्व, और बहुत धीमी; समर्थक कहते हैं कि इसमें भारतीय मत के लगभग हर रंग को आवाज़ मिली।

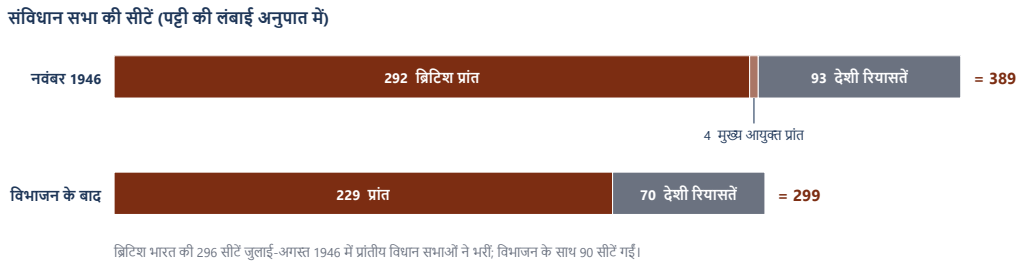

विभाजन से पहले और बाद संविधान सभा की सीटें, पट्टियों की लंबाई अनुपात में।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** प्रांतों के सदस्य **न तो जनता द्वारा सीधे चुने गए, न कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत हुए**: उन्हें **प्रांतीय विधान सभाओं** ने चुना। सार्वभौम वयस्क मताधिकार संविधान के साथ ही आया (अनुच्छेद 326)।

याद रखें: 389 − 90 = 299: विभाजन ने ठीक 90 सीटें घटाईं।

झटपट जाँच

1. प्रांतों से सभा के सदस्य किसने और किस पद्धति से चुने?
2. विभाजन से पहले और बाद सभा की सदस्य संख्या?
3. संविधान सभा का प्रस्ताव पहली बार किसने और कब रखा?

उत्तर: 1. प्रांतीय विधान सभाओं ने; एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व · 2. 389; 299 · 3. एम.एन. रॉय, 1934

सभा ने कैसे काम किया: याद रखने योग्य तिथियाँ

9 दिसंबर 1946 — उद्देश्य प्रस्ताव

22 जुलाई 1947 — ध्वज

26 नवंबर 1949 — 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

सभा दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 तक चली। 15 अगस्त 1947 के बाद इसकी दो भूमिकाएँ थीं: इसने संविधान लिखा और स्वतंत्र भारत के पहले **विधानमंडल (Legislature)** का काम भी किया। नीचे की तिथियाँ परीक्षक बार-बार पूछते हैं।

★★★ **9 दिसंबर 1946**: पहली बैठक; मुस्लिम लीग अनुपस्थित रही। सबसे वृद्ध सदस्य **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Sachchidananda Sinha)** फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार **अस्थायी अध्यक्ष (Provisional President)** बने।

★★★ **11 दिसंबर 1946**: **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** सभा के **अध्यक्ष** चुने गए। **एच.सी. मुखर्जी** और **वी.टी. कृष्णमाचारी** उपाध्यक्ष रहे।

★★ **बी.एन. राव (B.N. Rau) संवैधानिक सलाहकार** थे; उन्होंने वह पहला प्रारूप तैयार किया जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया। **एस.एन. मुखर्जी** सभा के **मुख्य प्रारूपकार** थे।

★★★ **13 दिसंबर 1946**: **नेहरू** ने **उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)** रखा; सभा ने इसे **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके विचार बाद में प्रस्तावना बने।

★★ **स्वतंत्रता के बाद दो भूमिकाएँ**: संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में अध्यक्षता **राजेंद्र प्रसाद** ने की; **डोमिनियन विधानमंडल** के रूप में **जी.वी. मावलंकर** ने। यह 1952 में पहली लोक सभा की बैठक तक **अस्थायी संसद** के रूप में चलती रही।

★★★ **22 जुलाई 1947**: **राष्ट्रीय ध्वज** अपनाया गया।

★ **मई 1949**: सभा ने भारत की **राष्ट्रमंडल (Commonwealth)** सदस्यता की पुष्टि की।

★★ **संविधान का प्रारूप फरवरी 1948** में प्रकाशित; फिर तीन वाचन हुए: पहला नवंबर 1948 में, दूसरा (खंड-दर-खंड) 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तीसरा 14 नवंबर 1949 से।

★★★ **26 नवंबर 1949**: संविधान **अंगीकृत** हुआ, यही तिथि प्रस्तावना में लिखी है। तब इसमें प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ** थीं। यह दिन **2015** से **संविधान दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

★★ **26 नवंबर 1949 को ही लागू** (अनुच्छेद 394): नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 9), चुनाव (324), अस्थायी संसद (379, 380), कुछ अस्थायी उपबंध, संक्षिप्त नाम (393) और कुछ अन्य।

★★★ **24 जनवरी 1950**: अंतिम बैठक। सदस्यों ने संविधान पर **हस्ताक्षर** किए (**284** हस्ताक्षर), **राष्ट्रगान** और **राष्ट्रगीत** अपनाए, और **राजेंद्र प्रसाद** को भारत का पहला **राष्ट्रपति** चुना।

★★★ **26 जनवरी 1950**: संविधान पूरी तरह लागू हुआ (**गणतंत्र दिवस**); यह तिथि इसलिए चुनी गई कि कांग्रेस ने **26 जनवरी 1930** को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था।

★★★ **लगा समय**: **2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन**, **11 सत्रों** और **165 दिनों** की बैठकों में, जिनमें से **114 दिन** प्रारूप पर लगे।

★ **खर्च**: लगभग **₹64 लाख**। सभा की मुहर पर **हाथी** था।

★ **हस्तलिखित मूल प्रति**: सुलेख **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** का; पृष्ठ **नंदलाल बोस** के नेतृत्व में शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाए, प्रस्तावना का पृष्ठ **ब्योहार राममनोहर सिन्हा** ने। मूल प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में हीलियम भरे बक्सों में रखी हैं।

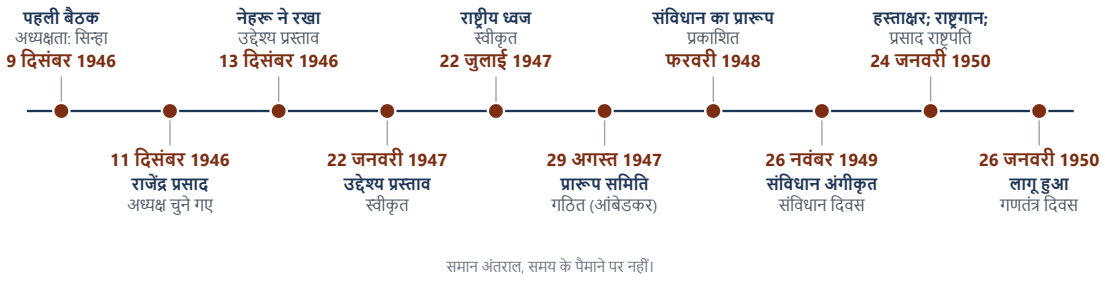

पहली बैठक से गणतंत्र दिवस तक सभा का कैलेंडर।

दिसंबर 1946 में उद्घाटन सत्र में संविधान सभा, उस कक्ष में जिसे अब संविधान सदन (पुराना संसद भवन) का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, Public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान: 26 नवंबर 1949** = अंगीकृत (संविधान दिवस, प्रस्तावना में लिखी तिथि)। **26 जनवरी 1950** = लागू (गणतंत्र दिवस)। **प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947** को बनी, 26 नवंबर 1949 को नहीं, इसलिए संविधान दिवस को प्रारूप समिति के गठन से जोड़ने वाला कथन गलत है।

याद रखें: दिसंबर 1946 का विषम-तिथि सप्ताह: 9 (पहली बैठक, सिन्हा), 11 (प्रसाद चुने गए), 13 (नेहरू का प्रस्ताव), हर तिथि दो दिन के अंतर पर।

झटपट जाँच

1. सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
2. राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया?
3. सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा?

उत्तर: 1. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा · 2. 22 जुलाई 1947 · 3. 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन

समितियाँ और प्रारूप समिति

प्रारूप: आंबेडकर

7 सदस्य

नेहरू: संघ

पटेल: अधिकार, प्रांत

कृपलानी: मौलिक अधिकार उप-समिति

लगभग 300 सदस्यों की सभा खंड-दर-खंड नहीं लिख सकती थी, इसलिए उसने **समितियों (Committees)** से काम किया: आठ बड़ी और कई छोटी। उनकी रिपोर्टों पर सदन में बहस हुई, और **प्रारूप समिति (Drafting Committee)** ने निर्णयों को पाठ में बदला।

प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष ★★★

समिति	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
राज्य समिति (देशी रियासतों से वार्ता)	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति	राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति	बी.आर. आंबेडकर

उप-समितियाँ और छोटी समितियाँ ★★

समिति	अध्यक्ष
मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र तथा असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बारदोलोई
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र (असम के अतिरिक्त) उप-समिति	ए.वी. ठक्कर
वित्त एवं कर्मचारी समिति	राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	राजेंद्र प्रसाद
प्रत्यय-पत्र समिति	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
कार्य संचालन समिति	के.एम. मुंशी
सदन समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर

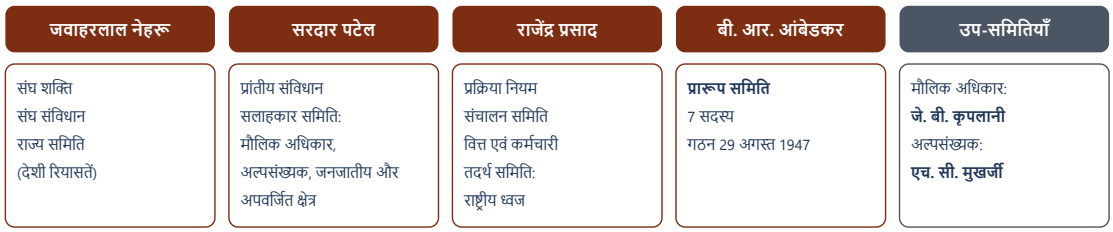

किसने किसकी अध्यक्षता की: नेहरू ने संघ और देशी रियासतें, पटेल ने प्रांत और अधिकार, प्रसाद ने सदन का संचालन, आंबेडकर ने प्रारूप लेखन।

★★★ **प्रारूप समिति**: **29 अगस्त 1947** को **7 सदस्यों** के साथ बनी: **बी.आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar)** (अध्यक्ष), **एन. गोपालस्वामी आयंगर**, **अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर**, **के.एम. मुंशी**, **सैयद मोहम्मद सादुल्ला**, **एन. माधव राव** और **टी.टी. कृष्णमाचारी**।

★★ **सदस्यता में बदलाव**: एन. माधव राव ने **बी.एल. मित्तर** का स्थान लिया, जिन्होंने त्यागपत्र दिया; टी.टी. कृष्णमाचारी ने **डी.पी. खेतान** का स्थान लिया, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई।

★★ संविधान के मुख्य शिल्पकार कहे जाने वाले **आंबेडकर** ने प्रारूप को सभा में आगे बढ़ाया और स्वतंत्र भारत के पहले **विधि मंत्री** बने।

★★ प्रारूप **फरवरी 1948** में प्रकाशित हुआ और वाचन शुरू होने से पहले जनता को टिप्पणी के लिए लगभग आठ महीने मिले।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर 25 नवंबर 1949 को सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अंतिम प्रारूप सौंपते हुए। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, Public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान:** आंबेडकर **प्रारूप समिति** के अध्यक्ष थे, सभा के नहीं (सभा के अध्यक्ष **राजेंद्र प्रसाद** थे)। अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति **पटेल** की थी; उसकी मौलिक अधिकार **उप-समिति कृपलानी** की। नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य **नहीं** थे।

याद रखें: काम घर की तरह बाँटें: **नेहरू** बाहरी दुनिया संभालते हैं (संघ, राज्य, देशी रियासतें), **पटेल** प्रांत और लोगों के अधिकार, **प्रसाद** घर चलाते हैं (नियम, संचालन, ध्वज, पैसा), **आंबेडकर** सब लिखते हैं।

झटपट जाँच

1. प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और वह कब बनी?
2. मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
3. प्रारूप समिति में डी.पी. खेतान का स्थान किसने लिया?

उत्तर: 1. 7; 29 अगस्त 1947 · 2. सरदार पटेल · 3. टी.टी. कृष्णमाचारी

प्रमुख विशेषताएँ I: राज्य का ढाँचा

सबसे लंबा

कठोर + लचीला

अर्ध-संघीय

राज्यों का संघ

संसदीय प्रणाली

एकल नागरिकता

चार प्रश्न ढाँचागत विशेषताओं को छाँटते हैं: पाठ कितना लंबा है, उसे बदलना कितना कठिन है, केंद्र और राज्यों में शक्ति कैसे बँटी है, और सरकार कौन चलाता है। भारत के उत्तर हैं: बहुत लंबा, आंशिक रूप से कठोर, शक्तिशाली केंद्र वाला संघीय, और संसदीय।

★★★ विश्व का **सबसे लंबा लिखित संविधान**। 1950 में: प्रस्तावना, **22 भागों में 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ**। नवंबर 2026 तक: **25 भाग, 12 अनुसूचियाँ**, **106 बार** संशोधित (नवीनतम: महिलाओं की सीटों पर 106वाँ संशोधन, 2023); अंतिम अनुच्छेद अब भी 395 है, बीच में अक्षर वाले अनुच्छेद जोड़े गए हैं।

★★ **इतना लंबा क्यों**: भारत का आकार और विविधता, **1935 के अधिनियम** का विस्तृत मॉडल, संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, कमज़ोर वर्गों और क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध, और सभा में बहुत-से वकील।

★★★ **कठोर और लचीला साथ-साथ**: अनुच्छेद 368 में अधिकतर संशोधनों के लिए संसद का **विशेष बहुमत** चाहिए और संघीय उपबंधों के लिए **आधे राज्यों का अनुसमर्थन** भी; कुछ उपबंध साधारण कानून द्वारा **साधारण बहुमत** से बदलते हैं। ब्रिटेन का संविधान लचीला है; अमेरिका का कठोर।

★★★ **एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली (Federal system with a unitary bias)**: दो स्तर की सरकारें, लिखित और सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का बँटवारा, स्वतंत्र न्यायालय और दूसरा सदन संघीय लक्षण हैं; शक्तिशाली केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ और आपात शक्तियाँ एकात्मक लक्षण हैं।

★★★ **अनुच्छेद 1** भारत को '**राज्यों का संघ (Union of States)**' कहता है। आंबेडकर ने कारण बताया: संघ राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है, और **कोई राज्य अलग नहीं हो सकता**। 'फ़ेडरेशन' शब्द संविधान में कहीं नहीं है।

★★ **उपाधियाँ**: **के.सी. व्हेयर**: 'अर्ध-संघीय (Quasi-federal)'; **आइवर जेनिंग्स**: 'प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ'; **ग्रेनविल ऑस्टिन**: 'सहकारी संघवाद'; **मॉरिस-जोन्स**: 'सौदेबाज़ी संघवाद'। उच्चतम न्यायालय ने **एस.आर. बोम्मई (1994)** में संघवाद को मूल ढाँचे का भाग माना।

★★ **संसद राज्यों का नक्शा बदल सकती है** (अनुच्छेद 3), साधारण कानून से, राज्य की सहमति के बिना; इसीलिए भारत को 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा जाता है।

★★★ केंद्र और राज्यों में **संसदीय सरकार (Parliamentary government)** (ब्रिटिश या वेस्टमिंस्टर मॉडल): **नाममात्र का प्रमुख** (राष्ट्रपति, राज्यपाल) और **वास्तविक कार्यपालिका** (प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और मंत्री), मंत्री विधानमंडल से, निचले सदन के प्रति **सामूहिक उत्तरदायित्व** (अनुच्छेद 75(3), 164(2)), और निचले सदन को भंग करने की शक्ति।

★★ **ब्रिटेन से अंतर**: भारत का राष्ट्राध्यक्ष **निर्वाचित** है (गणतंत्र, राजतंत्र नहीं), और संसद **संप्रभु नहीं** है: वह लिखित संविधान और न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन काम करती है।

★★★ **संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मेल**: संसद संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है, और न्यायालय कानून रद्द कर सकते हैं; दोनों में से कोई भी निरंकुश नहीं, क्योंकि **मूल ढाँचा** सिद्धांत (**केशवानंद भारती, 1973**) संशोधनों को सीमित करता है।

★★ **एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका**: एक ही पदानुक्रम, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जो केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू करते हैं (अमेरिका में दो अलग न्यायालय-व्यवस्थाएँ हैं)। निश्चित कार्यकाल और संचित निधि पर भारित वेतन न्यायाधीशों को स्वतंत्र रखते हैं।

★★★ **एकल नागरिकता (Single citizenship)**: हर भारतीय केवल भारत का नागरिक है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं (अमेरिका में दोहरी नागरिकता है)।

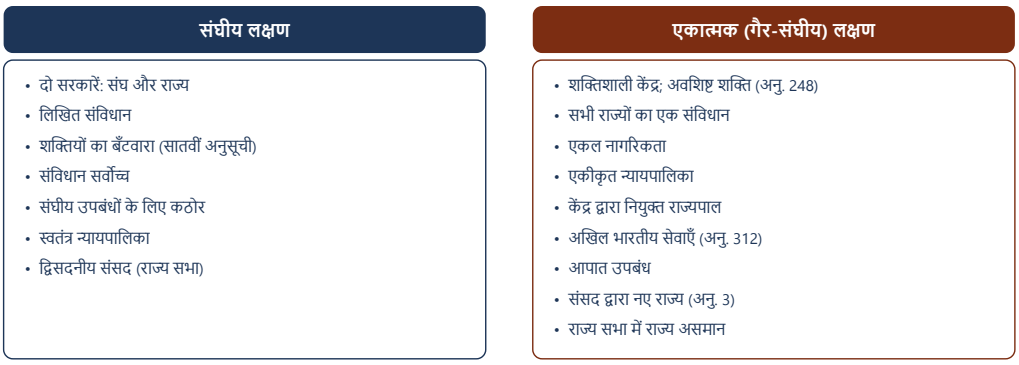

एक ही संविधान, दो तरह से छाँटा गया: बाईं ओर संघीय लक्षण, दाईं ओर एकात्मक लक्षण।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'फ़ेडरेशन' शब्द पाठ में नहीं है; अनुच्छेद 1 कहता है **'राज्यों का संघ'**। और संसदीय प्रणाली ब्रिटिश होते हुए भी **संसदीय संप्रभुता** पूरी तरह नहीं ली गई: भारतीय कानूनों को न्यायालय रद्द कर सकते हैं।

💡 **याद रखें: अलग रसोई वाला संयुक्त परिवार**: हर राज्य अपना खाना पकाता है (राज्य सूची), कुछ व्यंजन साझा हैं (समवर्ती सूची), और संकट में परिवार का मुखिया पूरा घर संभाल लेता है (आपात स्थिति)।

☑ झटपट जाँच

1. भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' किसने कहा?
2. अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है?
3. संविधान के दो एकात्मक लक्षण बताइए।

उत्तर: 1. के.सी. व्हेयर · 2. राज्यों का संघ · 3. जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, आपात शक्तियाँ

प्रमुख विशेषताएँ II: अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा-उपाय

छह मौलिक अधिकार

निदेशक तत्व: अनोखी विशेषता

51A कर्तव्य

पंथनिरपेक्ष राज्य

61वाँ: आयु 18

विधि का शासन

विशेषताओं का दूसरा समूह नागरिक और व्यवस्था की रक्षा करता है: न्यायालय द्वारा लागू अधिकार, राज्य के लिए लक्ष्य, नागरिकों के कर्तव्य, सरकार से दूरी रखकर काम करने वाली संस्थाएँ, और **विधि का शासन (Rule of law)** जो स्वयं सरकार को बाँधता है।

★★★ **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)** (भाग III, अनुच्छेद 12 से 35): आज **छह** (समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार)। मूल रूप से सात: **44वें संशोधन (1978)** ने संपत्ति का अधिकार हटाया, जो अब **अनुच्छेद 300A** में विधिक अधिकार है। **अनुच्छेद 32** (उच्चतम न्यायालय) और **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) से लागू।

★★★ **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles)** (भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51): न्यायालय में लागू नहीं, फिर भी 'देश के शासन में मूलभूत' (अनुच्छेद 37)। आंबेडकर ने इन्हें **'अनोखी विशेषता' (Novel feature)** कहा। **मिनर्वा मिल्स (1980)**: मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों का संतुलन मूल ढाँचे का भाग है।

★★★ **मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)** (भाग IVA, अनुच्छेद 51A): **स्वर्ण सिंह समिति** की सलाह पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़े गए; पहले दस, ग्यारहवाँ (माता-पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें) **86वें संशोधन (2002)** से; न्यायालय द्वारा लागू नहीं।

★★ **पंथनिरपेक्ष राज्य (Secular State)**: कोई राजकीय धर्म नहीं; सभी धर्मों का समान सम्मान (**सकारात्मक पंथनिरपेक्षता**)। 'पंथनिरपेक्ष' शब्द **1976** में प्रस्तावना में आया, पर अनुच्छेद 25 से 28 ने राज्य को 1950 से ही पंथनिरपेक्ष बनाया।

★★★ **सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal adult franchise)** (अनुच्छेद 326): **18** वर्ष या अधिक आयु का हर नागरिक मत दे सकता है, संपत्ति, शिक्षा या लिंग की किसी शर्त के बिना। **61वें संशोधन अधिनियम, 1988** तक यह आयु **21** थी।

★★ **स्वतंत्र संस्थाएँ**: **निर्वाचन आयोग** (अनुच्छेद 324), **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** (अनुच्छेद 148), **संघ लोक सेवा आयोग** और राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और **वित्त आयोग** (अनुच्छेद 280) को कार्यकाल और वेतन का संवैधानिक संरक्षण है।

★★ **आपात उपबंध (Emergency provisions)** (भाग XVIII): राष्ट्रीय आपात (**अनुच्छेद 352**), राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (**अनुच्छेद 356**, राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपात (**अनुच्छेद 360**)। आपात में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है; **अनुच्छेद 20 और 21** को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित हो सकते हैं।

★★ **सरकार के तीन स्तर**: **73वें और 74वें संशोधनों (1992)** ने **पंचायतों** (भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची) और **नगरपालिकाओं** (भाग IXA, बारहवीं अनुसूची) को संवैधानिक दर्जा दिया।

★ **सहकारी समितियाँ**: **97वें संशोधन (2011)** ने सहकारी समिति बनाना अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19(1)(c)), अनुच्छेद 43B और भाग IXB जोड़े। **2021** में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IXB रद्द किया (इसे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था); बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए यह बना हुआ है।

★★★ **विधि का शासन** (**ए.वी. डायसी (A.V. Dicey)**, ब्रिटेन) के तीन भाग हैं: **विधि की सर्वोच्चता** (कोई मनमानी शक्ति नहीं; दंड केवल कानून तोड़ने पर), **विधि के समक्ष समता (Equality before law)** (अधिकारी और नागरिक एक ही कानून और न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी), और **न्यायालयों के निर्णयों से निकलने वाले अधिकार**। इसके लक्षण हैं **शक्ति पर सीमा, विधि के समक्ष समता, और स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षण**।

★★★ **भारत में विधि का शासन**: पहले दो भाग लागू होते हैं (**अनुच्छेद 14**, न्यायिक पुनर्विलोकन); तीसरा नहीं, क्योंकि भारतीय अधिकार लिखित संविधान (भाग III) से आते हैं, न्यायाधीशों के निर्णयों से नहीं।

★★ **अनुच्छेद 14** दो विचार जोड़ता है: **ब्रिटेन** से '**विधि के समक्ष समता**' और **अमेरिका** से '**विधियों का समान संरक्षण (Equal protection of the laws)**'।

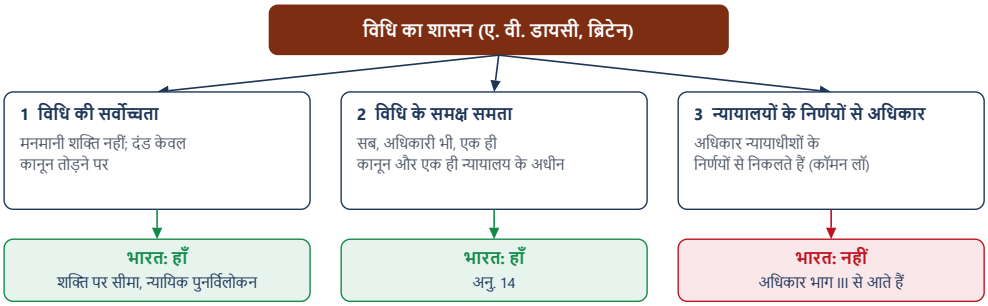

डायसी के विधि के शासन के तीन भाग और भारत हर भाग को कितना लागू करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** '**सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व**' विधि के शासन का लक्षण नहीं है; विधि का शासन **सरकार** को कानून के प्रति उत्तरदायी बनाता है। और: विधि के समक्ष समता **ब्रिटिश** है, विधियों का समान संरक्षण **अमेरिकी**।

याद रखें: 86वें संशोधन (2002) ने एक बच्चे के लिए तीन काम किए: एक अधिकार (**अनुच्छेद 21A**, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा), एक लक्ष्य (**अनुच्छेद 45**, 6 वर्ष से कम की देखभाल) और माता-पिता का कर्तव्य (**अनुच्छेद 51A(k)**)।

झटपट जाँच

1. विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया, और हमारा कौन-सा अनुच्छेद इसे धारण करता है?
2. किस संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की?
3. किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य जोड़े, और किसकी सलाह पर?

उत्तर: 1. ए.वी. डायसी; अनुच्छेद 14 · 2. 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1988 · 3. 42वाँ (1976), स्वर्ण सिंह समिति

उधार ली गई विशेषताएँ: कौन-सा विचार कहाँ से आया

अमेरिका: मौलिक अधिकार

आयरलैंड: निदेशक तत्व

ब्रिटेन: विधि का शासन

कनाडा: शक्तिशाली केंद्र

ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची

सोवियत संघ: कर्तव्य

सभा ने लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया और भारत के अनुकूल विचार लेकर उन्हें ढाला। आलोचकों ने इसे 'उधार का थैला' कहा; आंबेडकर ने उत्तर दिया कि संविधान के मूल विचार सबकी साझी संपत्ति हैं, महत्व उन्हें देश के अनुरूप ढालने का है। मोटे तौर पर: **ढाँचा 1935 के अधिनियम** से, **दर्शन** (अधिकार और निदेशक तत्व) **अमेरिकी और आयरिश** पाठों से, **राजनीतिक प्रणाली ब्रिटेन** से आई।

संविधान के स्रोत ★★★

स्रोत	ली गई विशेषताएँ
भारत शासन अधिनियम 1935	संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण
ब्रिटेन	संसदीय शासन, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि-निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता
अमेरिका	मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों का समान संरक्षण
आयरलैंड	राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति
कनाडा	शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
जर्मनी (वाइमर गणराज्य)	आपात स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन
सोवियत संघ	मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श
फ्रांस	गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
जापान	'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (अनुच्छेद 21)

हर स्रोत की एक टाइल: हर टाइल की पहली पंक्ति वह विशेषता है जो सबसे अधिक पूछी जाती है।

★★★ केंद्र और राज्यों के बीच **शक्तियों का बँटवारा** (तीन सूचियाँ) **भारत शासन अधिनियम 1935** पर आधारित है, 1909, 1919 या 1947 के अधिनियमों पर नहीं।

★★★ **मौलिक अधिकार** और **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)**: **अमेरिका** से (उसका अधिकार-पत्र)।

★★★ **निदेशक तत्व**: **आयरलैंड** (1937 का संविधान) से, जिसने यह विचार **स्पेन** से लिया था।

★★ स्वयं **प्रस्तावना**: प्रस्तावना से आरंभ करने का विचार, और 'हम, लोग' शब्द, **अमेरिका** से आए।

याद रखें: ऑस्ट्रेलिया के तीन C: Concurrent List (समवर्ती सूची), Commerce (व्यापार की स्वतंत्रता), Combined (संयुक्त) बैठक। **आयरलैंड का DNP**: Directive principles (निदेशक तत्व), Nomination (राज्य सभा में मनोनयन), President's election (राष्ट्रपति का निर्वाचन)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** एक योजना के रूप में **आपात उपबंध 1935 के अधिनियम** से आए; केवल आपात में **मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी** से है। '**विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)**' जापानी है; 'विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process)' अमेरिकी है और पाठ में नहीं है, यद्यपि **मेनका गांधी (1978)** के बाद न्यायालयों ने इसे पढ़ लिया।

झटपट जाँच

1. निदेशक तत्व किस देश से लिए गए?
2. समवर्ती सूची किस स्रोत से आई? और संशोधन प्रक्रिया?
3. मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से आए?

उत्तर: 1. आयरलैंड · 2. ऑस्ट्रेलिया; दक्षिण अफ्रीका · 3. अमेरिका

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (14)

UPSC 2012 भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है?
(a) मोरले-मिन्टो सुधार, 1909 (b) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
उत्तर: (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935. संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई हैं

UPSC 2013 भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में, प्रान्तों से संविधान सभा के सदस्य
(a) उन प्रान्तों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे (b) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे
(c) प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे (d) सरकार द्वारा, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे
उत्तर: (c) प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे. संविधान सभा के प्रांतीय सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे

UPSC 2018 भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं ?
(a) संघीय विधान-मण्डल को (b) गवर्नर जनरल को (c) प्रांतीय विधान-मण्डल को (d) प्रांतीय राज्यपालों को
उत्तर: (b) गवर्नर जनरल को. भारत शासन अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल को दीं; संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं (अनुच्छेद 248)

UPSC 2018 निम्नलिखित में से किनको "विधि के शासन" के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा ?
1. शक्तियों का परिसीमन
2. विधि के समक्ष समता
3. सरकार के प्रति जन-उत्तरदायित्व
4. स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 1, 2 और 4. विधि का शासन: सीमित शक्ति, विधि के समक्ष समता और अधिकारों का संरक्षण

UPSC 2023 संविधान दिवस के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन-I :
नागरिकों के बीच सांविधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
कथन-II :
26 नवंबर, 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है
उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है. संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत किया; बी० आर० अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी

UPSC 2024 डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे ?
(a) सी. राजगोपालाचारी (b) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (c) टी.टी. कृष्णमाचारी (d) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
उत्तर: (d) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा. डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे

BPSC 60th-62nd भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है
(a) 26 अक्तूबर (b) 26 नवम्बर (c) 26 जनवरी (d) 15 अगस्त (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) 26 नवम्बर. संविधान दिवस, 26 नवंबर, 1949 में संविधान अंगीकृत होने की याद में मनाया जाता है

BPSC 66th ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन-सा कानून ऐतिहासिक नहीं था?
(a) रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773 (b) चार्टर ऐक्ट, 1833 (c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1919 (d) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऐक्ट, 1955
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऐक्ट, 1955. रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अनुच्छेद 17 को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद का कानून है

BPSC 67th re-exam डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया
(a) दिसम्बर 1946 ई० में (b) सितम्बर 1946 ई० में (c) अक्तूबर 1946 ई० में (d) नवम्बर 1946 ई० में
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) दिसम्बर 1946 ई० में. राजेन्द्र प्रसाद 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए

BPSC 68th भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ 'कानून के समक्ष समानता' किस देश के संविधान से लिया गया है?
(a) ब्रिटेन (b) यू० एस० ए० (c) फ्रांस (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (a) ब्रिटेन. विधि के समक्ष समता ब्रिटिश विधि के शासन से और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया

BPSC 68th भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा?
(a) 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन (b) 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन (c) 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन. संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे

BPSC 69th भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी?
(a) इंग्लैंड (b) स्विट्जरलैंड (c) आयरलैंड (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) आयरलैंड. राज्य के नीति-निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए

BPSC 69th भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का सन्दर्भ किस देश से लिया गया है?
(a) आयरलैंड (b) संयुक्त राज्य अमेरिका (c) यूनाइटेड किंगडम (d) कनाडा
उत्तर: (b) संयुक्त राज्य अमेरिका. मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान से लिए गए

BPSC 70th संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया ?
(a) 24 जनवरी 1950 (b) 26 नवम्बर 1950 (c) 22 जुलाई 1947 (d) 26 जनवरी 1950
उत्तर: (c) 22 जुलाई 1947. संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया

स्वयं को परखें (12)

1. संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा?
(a) राजेंद्र प्रसाद (b) जवाहरलाल नेहरू (c) बी.आर. आंबेडकर (d) सरदार पटेल

2. कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a) रेग्युलेटिंग ऐक्ट 1773: कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (b) चार्टर ऐक्ट 1833: भारत का गवर्नर-जनरल
(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909: प्रांतों में द्वैध शासन (d) भारत शासन अधिनियम 1858: भारत सचिव

3. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रावधानित संघीय न्यायालय ने काम शुरू किया
(a) 1935 (b) 1937 (c) 1947 (d) 1950

4. विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या थी
(a) 389 (b) 299 (c) 296 (d) 324

5. निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
(a) के.एम. मुंशी (b) टी.टी. कृष्णमाचारी (c) जवाहरलाल नेहरू (d) सैयद मोहम्मद सादुल्ला

6. के.सी. व्हेयर ने भारतीय संविधान को कहा
(a) सहकारी संघवाद (b) अर्ध-संघीय (c) सौदेबाज़ी संघवाद (d) परिसंघ

7. भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान पर आधारित है?
(a) कनाडा (b) ऑस्ट्रेलिया (c) अमेरिका (d) आयरलैंड

8. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई
(a) 42वें संशोधन द्वारा (b) 44वें संशोधन द्वारा (c) 61वें संशोधन द्वारा (d) 73वें संशोधन द्वारा

9. इनमें से कौन-से उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए?
(a) नागरिकता (b) मौलिक अधिकार (c) निदेशक तत्व (d) आपात उपबंध

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे।
2. संविधान सभा का गठन 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्तावों के अंतर्गत हुआ था।
3. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
अधिनियम : प्रावधान
1. चार्टर ऐक्ट 1853 : सिविल सेवाएँ खुली प्रतियोगिता के लिए खुलीं
2. भारतीय परिषद अधिनियम 1892 : मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल
3. भारत शासन अधिनियम 1919 : द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

12. 1950 में अज्ञात एक नया विषय सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी में नहीं है। एक राज्य विधानमंडल और संसद दोनों उस पर कानून बनाना चाहते हैं। कानून कौन बना सकता है?
(a) केवल राज्य विधानमंडल, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं (b) दोनों, टकराव होने पर संघ का कानून प्रभावी रहेगा
(c) केवल संसद, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत (d) कोई नहीं, जब तक संशोधन से विषय किसी सूची में न जुड़े

उत्तर: 1. (b) नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को रखा; यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। · 2. (c) प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 से आया; 1909 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल दिया। · 3. (b) यह 1937 में बना; जनवरी 1950 में उच्चतम न्यायालय ने इसका स्थान लिया। · 4. (b) कैबिनेट मिशन योजना की 389 सीटें घटकर 299 रह गईं (229 प्रांत + 70 देशी रियासतें)। · 5. (c) नेहरू संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्य समितियों के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के नहीं। · 6. (b) सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन का शब्द है; सौदेबाज़ी संघवाद मॉरिस-जोन्स का। · 7. (b) ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक आईं। · 8. (c) 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 बदला। · 9. (a) अनुच्छेद 394 ने नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 9), चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अन्य उपबंध तुरंत लागू किए; शेष 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। · 10. (a) प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए; सभा कैबिनेट मिशन योजना (1946) से बनी, क्रिप्स (1942) से नहीं, और सिन्हा केवल अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। · 11. (b) युग्म 1 और 3 सही हैं; मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1909 के मॉर्ले-मिंटो अधिनियम से आया, 1892 के अधिनियम से नहीं। · 12. (c) अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं (अनुच्छेद 248, संघ सूची की प्रविष्टि 97); इन्हें राज्यों के पास छोड़ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था है, और 1935 के अधिनियम ने इन्हें गवर्नर-जनरल को दिया था।

अध्याय 2

प्रस्तावना

1976 में जोड़े गए शब्द, 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति, प्रस्तावना में क्या है और क्या नहीं, और क्या यह संविधान का भाग है (बेरुबारी, केशवानंद): ये हर कुछ वर्षों में पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 7 बार पूछा गया: UPSC 5 · BPSC 2

≈ 23 min पढ़ने में ≈ 5 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

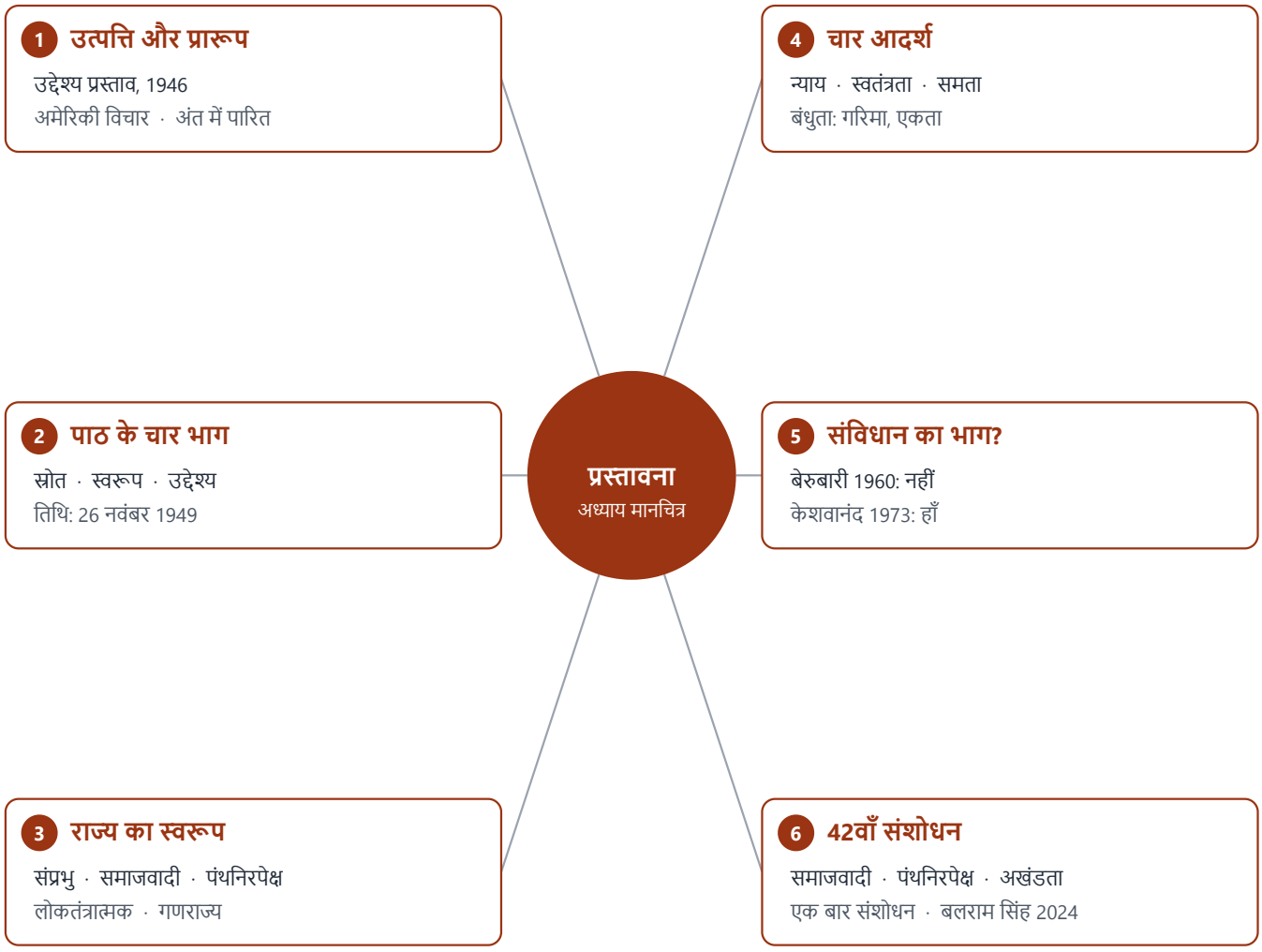

रिवीज़न कार्ड

1. प्रस्तावना = **स्रोत** (हम, भारत के लोग) + **स्वरूप** (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) + **उद्देश्य** (न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता) + **तिथि** (**26 नवंबर 1949**)।
2. नेहरू के **उद्देश्य प्रस्ताव** पर आधारित (13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत); प्रस्तावना से आरंभ करना **अमेरिकी** विचार है।
3. **26 जनवरी 1950** को भारत एक '**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य**' था।
4. संशोधन **एक बार**: **42वें संशोधन (1976)** ने **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष** और **अखंडता** जोड़े।
5. **न्याय**: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। **स्वतंत्रता**: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। **समता**: प्रतिष्ठा और अवसर की। **बंधुता**: व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
6. न्याय, स्वतंत्रता, समता **प्राप्त कराने** की बात है; बंधुता **बढ़ाने** की।
7. **आर्थिक** शब्द केवल **न्याय** के साथ आता है; 'आर्थिक स्वतंत्रता' नहीं है। आर्थिक न्याय **प्रस्तावना और निदेशक तत्वों** में है।
8. स्वतंत्रता, समता, बंधुता: **फ्रांस**; न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक): **रूसी क्रांति**।
9. **बेरुबारी (1960)**: संविधान का भाग नहीं; **केशवानंद (1973)**: भाग है; **एलआईसी (1995)**: अभिन्न भाग।
10. संविधान का भाग, पर अपने आप में न्यायालय द्वारा **प्रवर्तनीय नहीं**; न शक्ति का स्रोत, न उस पर सीमा।
11. '**संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी**' (उच्चतम न्यायालय); 'पहचान-पत्र' (पालकीवाला); 'राजनीतिक जन्मपत्री' (के.एम. मुंशी); 'मूल स्वर' (अर्नेस्ट बार्कर)।
12. **एस.आर. बोम्मई (1994)**: पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा है। **बलराम सिंह (2024)**: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' के विरुद्ध याचिकाएँ खारिज।

प्रस्तावना क्या है और हमारी प्रस्तावना कैसे लिखी गई

उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर 1946

सबसे अंत में पारित

अमेरिकी विचार

निर्माताओं के मन की कुंजी

प्रस्तावना (Preamble) अनुच्छेदों से पहले रखा गया **परिचय** है। हमारी प्रस्तावना पूरे संविधान का दर्शन एक वाक्य में समेटती है: इसे कौन देता है, यह कैसा राज्य बनाती है, उस राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और इसे कब अंगीकृत किया गया। न्यायालय इसे सीधे लागू नहीं कर सकते, पर अस्पष्ट उपबंधों को इसके प्रकाश में पढ़ते हैं।

★★★ **उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)**: **जवाहरलाल नेहरू** ने **13 दिसंबर 1946** को रखा, **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकृत। प्रस्तावना इसी से निकली।

★★ प्रस्ताव में एक '**स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य**' की बात थी, जिसकी सत्ता **जनता** से आती है, और **अल्पसंख्यकों**, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित वर्गों के लिए सुरक्षा-उपायों का वचन था।

★★ **बंधुता (Fraternity)** प्रस्ताव में नहीं थी; **प्रारूप समिति** ने इसे प्रस्तावना के प्रारूप में जोड़ा (फरवरी 1948)।

★★ सभा ने प्रस्तावना को **सबसे अंत में**, **17 अक्टूबर 1949** को लिया, ताकि यह पहले से तय संविधान से मेल खाए। **एच.वी. कामत** का 'ईश्वर के नाम पर' से आरंभ करने का प्रस्ताव मतदान में गिर गया।

★★★ शेष संविधान के साथ **26 नवंबर 1949** को अंगीकृत (यही तिथि इसमें लिखी है); **26 जनवरी 1950** से लागू।

★★★ **प्रस्तावना का विचार**: **अमेरिकी संविधान** पहला था जो प्रस्तावना से आरंभ हुआ, 'We the People' से।

★ हस्तलिखित मूल प्रति में प्रस्तावना का पृष्ठ **ब्योहार राममनोहर सिन्हा** ने सजाया; **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** ने अंग्रेज़ी पाठ लिखा।

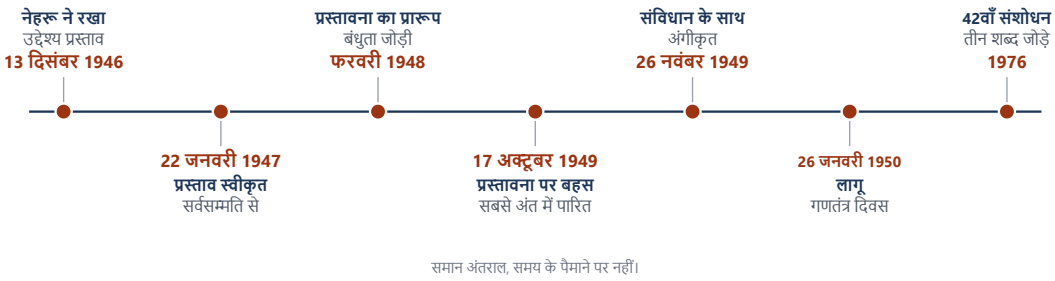

नेहरू के प्रस्ताव से 42वें संशोधन तक: प्रस्तावना की अपनी तिथियाँ।

प्रस्तावना का वर्णन कैसे किया गया ★★

किसने	वर्णन
उच्चतम न्यायालय (बेरुबारी, 1960)	निर्माताओं के मन को खोलने की कुंजी
अर्नेस्ट बार्कर	संविधान का 'मूल स्वर'
एन.ए. पालकीवाला	संविधान का 'पहचान-पत्र'
के.एम. मुंशी	हमारे संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य की 'राजनीतिक जन्मपत्री'
ठाकुरदास भार्गव	संविधान की 'आत्मा' और सबसे मूल्यवान भाग
एम. हिदायतुल्ला	अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जैसी, पर उससे अधिक: हमारे संविधान की आत्मा

⚠ **परीक्षा में सावधान: 'निर्माताओं का मन' प्रस्तावना** की ओर संकेत करता है, मौलिक अधिकारों या निदेशक तत्वों की ओर नहीं।

याद रखें: SNOD प्रस्तावना का सार है: **S**ource (स्रोत: हम, भारत के लोग), **N**ature (स्वरूप: पाँच शब्द), **O**bjectives (उद्देश्य: चार आदर्श), **D**ate (तिथि: 26 नवंबर 1949)।

झटपट जाँच

1. उद्देश्य प्रस्ताव किसने और किस तिथि को रखा?
2. किस देश का संविधान सबसे पहले प्रस्तावना से आरंभ हुआ?
3. प्रस्तावना में कौन-सी तिथि लिखी है?

उत्तर: 1. नेहरू, 13 दिसंबर 1946 · 2. अमेरिका · 3. 26 नवंबर 1949

प्रस्तावना के शब्द, पंक्ति-दर-पंक्ति

हम, भारत के लोग

पाँच शब्दों का क्रम

प्राप्त कराना बनाम बढ़ाना

26 नवंबर 1949

आत्मार्पित

प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा बोले गए एक वाक्य की तरह पढ़ें। यह आरंभ करती है कि **कौन** बोल रहा है, फिर बताती है कि वे **कैसा राज्य** बना रहे हैं, उसे **क्या प्राप्त कराना** है, और वे **कब और कैसे** संविधान अंगीकृत करते हैं।

आज की प्रस्तावना, उसके चार भागों में। रंगीन शब्द 1976 में जोड़े गए।

★★★ **'हम, भारत के लोग'**: संविधान के पीछे की सत्ता **जनता** है (लोकप्रिय संप्रभुता), न कोई राजा, न ब्रिटिश संसद।

★★★ **पाँच शब्दों का क्रम**: **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य**।

★★★ लोग सभी नागरिकों को **न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने** का, और उन सबमें **बंधुता बढ़ाने** का संकल्प करते हैं।

★★★ **बंधुता** दो बातें सुनिश्चित करती है: **व्यक्ति की गरिमा** और **राष्ट्र की एकता और अखंडता**।

★★ **अधिनियमन के शब्द**: 'अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख छब्बीस नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को **अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित** करते हैं'।

★★ '**आत्मार्पित**' संविधान को **स्वयं को दिया हुआ** बनाता है, **भारत शासन अधिनियम 1935** के विपरीत, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था।

★★ जो शब्द प्रस्तावना में **नहीं** हैं: **संघीय**, **कल्याणकारी**, **संसदीय**, **आर्थिक स्वतंत्रता**, **आर्थिक समता**।

याद रखें: 1976 के दो शब्द मूल तीन शब्दों के **भीतर** भरावन की तरह बैठे हैं: संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न **[समाजवादी पंथनिरपेक्ष]** लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भरावन निकाल दें तो 1950 का पाठ मिल जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** विकल्प अक्सर क्रम बदल देते हैं ('संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य')। वास्तविक क्रम में **समाजवादी** और **पंथनिरपेक्ष** संप्रभु और लोकतंत्रात्मक के बीच आते हैं।

झटपट जाँच

1. पाँच शब्दों में से कौन-से दो क्रम के बीच में हैं?
2. बंधुता कौन-सी दो बातें सुनिश्चित करती है?
3. कौन-से आदर्श 'प्राप्त कराए' जाते हैं और कौन-सा 'बढ़ाया' जाता है?

उत्तर: 1. समाजवादी और पंथनिरपेक्ष (1976 में जोड़े) · 2. व्यक्ति की गरिमा; राष्ट्र की एकता और अखंडता · 3. न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराए जाते हैं; बंधुता बढ़ाई जाती है

संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य

संप्रभु

लोकतांत्रिक समाजवाद

सकारात्मक पंथनिरपेक्षता

ये पाँच शब्द **भारतीय राज्य के स्वरूप** का वर्णन करते हैं। तीन 1949 में थे; 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' 42वें संशोधन से लिखे गए, यद्यपि ये विचार शुरू से संविधान में थे (निदेशक तत्व, अनुच्छेद 25 से 28)।

एस.आर. बोम्मई 1994

गणराज्य: निर्वाचित प्रमुख

प्रस्तावना जिस राज्य का वर्णन करती है, उसी के क्रम में (टैग: शब्द पाठ में आने का वर्ष)

संप्रभु 1950	समाजवादी 1976	पंथनिरपेक्ष 1976	लोकतंत्रात्मक 1950	गणराज्य 1950
देश-विदेश में स्वतंत्र; भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं	लोकतांत्रिक समाजवाद: मिश्रित अर्थव्यवस्था, कम असमानता	कोई राजधर्म नहीं; सभी धर्मों का समान सम्मान (सकारात्मक)	सत्ता जनता के पास; निर्वाचित प्रतिनिधि	राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित (राष्ट्रपति, 5 वर्ष); कोई वंशानुगत पद नहीं

प्रस्तावना के क्रम में पाँच शब्द, हर एक के पाठ में आने के वर्ष के साथ।

★★★ **संप्रभु (Sovereign)**: भारत अपने **आंतरिक और बाहरी** मामले स्वयं तय करता है; कोई बाहरी शक्ति उसके ऊपर नहीं है। यह किसी का आश्रित या डोमिनियन नहीं है।

★★ **राष्ट्रमंडल** या **संयुक्त राष्ट्र** की सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करती; ब्रिटिश सम्राट राष्ट्रमंडल का केवल प्रतीकात्मक प्रमुख है।

★★ भारत क्षेत्र **सौंप** सकता है, पर इसके लिए **संविधान संशोधन** चाहिए (बेरुबारी संदर्भ, 1960; **9वाँ संशोधन**)।

★★★ **समाजवादी (Socialist)** (1976): **लोकतांत्रिक समाजवाद**, चुनाव और निजी संपत्ति बनाए रखते हुए कानून और कल्याण से असमानता घटाना; **मिश्रित अर्थव्यवस्था**, हर चीज़ पर राज्य का स्वामित्व नहीं।

★★ भारतीय समाजवाद **मार्क्सवादी** और **गांधीवादी** विचारों का मिश्रण है। लक्ष्य शब्द से पुराना है: कांग्रेस के **आवडी अधिवेशन (1955)** ने 'समाजवादी ढंग का समाज' अपनाया था।

★ **डी.एस. नाकरा (1983)**: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाजवाद का अर्थ कामगारों के लिए सम्मानजनक जीवन और सुरक्षा है।

★★★ **पंथनिरपेक्ष (Secular)** (1976): राज्य का **अपना कोई धर्म नहीं** है और वह सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है (**सर्व धर्म समभाव**)। भारतीय पंथनिरपेक्षता **सकारात्मक** है: राज्य धार्मिक प्रथाओं में सुधार कर सकता है (अनुच्छेद 17, 25(2)), राज्य और धर्म के बीच कठोर दीवार के विपरीत।

★★★ **एस.आर. बोम्मई (1994)**: पंथनिरपेक्षता **मूल ढाँचे** का भाग है।

★★ '**समाजवादी**' और '**पंथनिरपेक्ष**' में से किसी की भी परिभाषा संविधान में कहीं नहीं है।

★★ **लोकतंत्रात्मक (Democratic)**: शक्ति जनता में निहित है, जो **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** (अनुच्छेद 326) पर **निर्वाचित प्रतिनिधियों** के माध्यम से शासन करती है (अप्रत्यक्ष, संसदीय लोकतंत्र)। इस शब्द में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तीनों आते हैं।

★ **प्रत्यक्ष लोकतंत्र** के साधन (जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याह्वान, जनमत) **स्विट्ज़रलैंड** की विशेषता हैं; भारत राष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किसी का उपयोग नहीं करता। **ग्राम सभा** इसके सबसे निकट है।

★★★ **गणराज्य (Republic)**: राष्ट्राध्यक्ष **निर्वाचित** होता है, वंशानुगत नहीं। भारत का राष्ट्रपति **पाँच वर्ष** के लिए **अप्रत्यक्ष रूप से** चुना जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि **कोई विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग नहीं**: हर सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुला है।

★★ **ब्रिटेन** लोकतंत्र है पर **गणराज्य नहीं** (राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत सम्राट है); अमेरिका दोनों है, जहाँ राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को **कम नहीं** करती, और 'समाजवादी' का अर्थ सारी संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व **नहीं** है।

याद रखें: राजा है या नहीं? ब्रिटेन: राजा वाला लोकतंत्र, इसलिए गणराज्य नहीं। भारत: निर्वाचित राष्ट्रपति वाला लोकतंत्र, इसलिए दोनों।

झटपट जाँच

1. किस वाद ने पंथनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग माना?
2. प्रस्तावना का समाजवाद किस प्रकार का है?
3. भारत को गणराज्य क्या बनाता है?

उत्तर: 1. एस.आर. बोम्मई (1994) · 2. लोकतांत्रिक समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था · 3. निर्वाचित (वंशानुगत नहीं) राष्ट्राध्यक्ष

न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता

न्याय: 3 प्रकार

स्वतंत्रता: 5 बातें

प्रतिष्ठा, अवसर

आर्थिक न्याय

फ्रांसीसी क्रांति

चार आदर्श संविधान के लक्ष्य हैं। हर एक को आगे के भाग भरते हैं: **न्याय** को मुख्यतः निदेशक तत्व, **स्वतंत्रता** और **समता** को मुख्यतः मौलिक अधिकार, और **बंधुता** को एकल नागरिकता, अस्पृश्यता का अंत और नागरिकों के कर्तव्य।

चार आदर्श, हर एक में क्या है, और विचार कहाँ से आया।

★★★ **न्याय (Justice)**: **सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक**। सामाजिक: जाति, रंग, नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर असमान व्यवहार नहीं; आर्थिक: आय और संपत्ति की खाई घटाना; राजनैतिक: समान राजनीतिक अधिकार और पदों तक समान पहुँच।

★★★ **आर्थिक न्याय प्रस्तावना** और **निदेशक तत्वों** दोनों का लक्ष्य है (अनुच्छेद 38 राज्य से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था बनाने को कहता है; अनुच्छेद 39 आर्थिक लक्ष्य बताता है)।

★ सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिलाकर **वितरणात्मक न्याय** कहा जाता है।

★★★ **विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना** की **स्वतंत्रता (Liberty)**: मुख्यतः **अनुच्छेद 19, 21 और 25 से 28** से सुनिश्चित।

★★ स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है: यह संविधान द्वारा अनुमत **युक्तियुक्त निर्बंधनों** के भीतर चलती है।

★★★ **प्रतिष्ठा** और **अवसर** की **समता (Equality)**: किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं, और सबके लिए समान अवसर।

★★ समता के तीन पहलू: **नागरिक** (अनुच्छेद 14 से 18), **राजनीतिक** (अनुच्छेद 325, 326) और **आर्थिक** (अनुच्छेद 39(a) आजीविका, 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन)।

★★ **बंधुता**: सभी भारतीयों में **भाईचारे** की भावना, जो **एकल नागरिकता**, अस्पृश्यता के अंत (**अनुच्छेद 17**) और सद्भाव बढ़ाने के कर्तव्य (**अनुच्छेद 51A(e)**) से बनती है। 'और अखंडता' 1976 में जोड़ा गया।

★★ **आंबेडकर** ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को '**त्रिमूर्ति का संघ**' कहा: एक को हटा दें तो लोकतंत्र विफल हो जाता है।

★★★ **स्रोत**: स्वतंत्रता, समता, बंधुता **फ्रांसीसी क्रांति (1789)** से; न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) **रूसी क्रांति (1917)** से।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** '**आर्थिक स्वतंत्रता**' प्रस्तावना में **नहीं** है: 'आर्थिक' केवल **न्याय** के साथ आता है। स्वतंत्रता की ठीक पाँच बातें हैं; **व्यवसाय** और **संगम** उनमें नहीं हैं।

याद रखें: '**आर्थिक**' केवल **न्याय** के साथ चलता है। स्वतंत्रता की पाँच: **T-E-B-F-W**, 'Think, Express, Believe, have Faith, Worship' (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना)।

झटपट जाँच

1. प्रस्तावना न्याय के कौन-से तीन प्रकार बताती है?
2. आर्थिक न्याय किन दो स्थानों में है?
3. पाँच स्वतंत्रताएँ बताइए।

उत्तर: 1. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक · 2. प्रस्तावना और निदेशक तत्व · 3. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना

क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?

बेरुबारी 1960

केशवानंद 1973

एलआईसी 1995

न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं

व्याख्या में सहायक

उच्चतम न्यायालय ने पहले 'नहीं' कहा, फिर 'हाँ'। आज स्थिति तय है: प्रस्तावना **संविधान का भाग है**, पर इसे अकेले **न्यायालय में लागू नहीं** किया जा सकता। इसका काम शेष संविधान को पढ़ने में मार्गदर्शन है।

★★★ **बेरुबारी संघ मामला (In re Berubari Union, 1960)**: प्रस्तावना संविधान का भाग **नहीं** है, यद्यपि यह निर्माताओं के मन की कुंजी है। यह बेरुबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देने पर एक **राष्ट्रपतीय संदर्भ (अनुच्छेद 143)** था; न्यायालय ने कहा कि भूमि सौंपने के लिए संशोधन चाहिए, जिससे **9वाँ संशोधन (1960)** आया।

★★★ **केशवानंद भारती (1973)**: प्रस्तावना संविधान का भाग **है**; बेरुबारी का मत अस्वीकार हुआ। न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि सभा ने इस पर किसी अन्य उपबंध की तरह बहस कर इसे पारित किया था।

★★ **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मामला (1995)**: उच्चतम न्यायालय ने फिर इसे संविधान का **अभिन्न भाग** कहा।

★★★ **न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं (Not justiciable)**: कोई न्यायालय प्रस्तावना को अकेले लागू नहीं कर सकता। यह विधानमंडल के लिए न **शक्ति का स्रोत** है, न उस पर **सीमा**; शक्तियाँ विशिष्ट अनुच्छेदों से आती हैं।

★★ **उपयोग**: जब कोई उपबंध **अस्पष्ट** हो, तब न्यायालय इसका सहारा लेते हैं; यह पाठ के स्पष्ट शब्दों को काट नहीं सकती।

★★ केशवानंद के न्यायाधीशों ने इससे कई **मूल विशेषताएँ** निकालीं: गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन, पंथनिरपेक्ष स्वरूप, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।

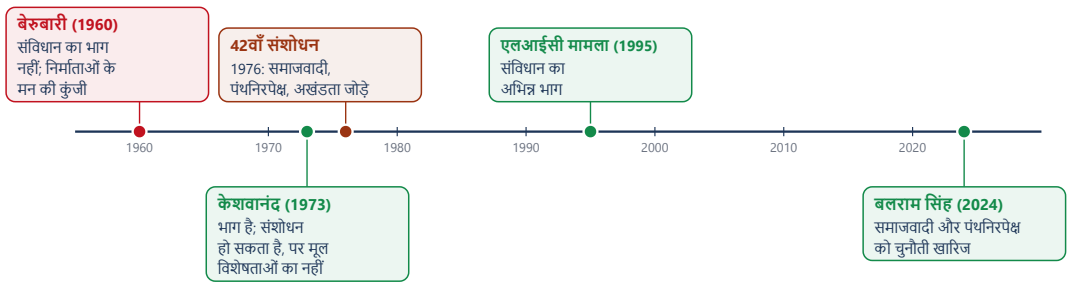

वर्ष अनुपात में। लाल: भाग नहीं; हरा: संविधान का भाग, या बरकरार।

प्रस्तावना पर निर्णय, बीच में 42वें संशोधन के साथ।

परीक्षा में सावधान: सटीक उत्तर: प्रस्तावना 'संविधान का भाग है पर अन्य भागों से **स्वतंत्र रूप से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं** है'। 'भाग नहीं' बेरुबारी का मत था (पलटा जा चुका); 'किसी अन्य भाग जैसा ही विधिक प्रभाव' भी गलत है।

याद रखें: **B**erubari ने इसे **B**ahar (बाहर) रखा; **K**esavananda ने **K**amre (कमरे) के अंदर।

झटपट जाँच

1. किस वाद ने पहले कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किसने इसे पलटा?
2. क्या कोई न्यायालय प्रस्तावना को अकेले लागू कर सकता है?
3. न्यायालय प्रस्तावना का उपयोग कब करते हैं?

उत्तर: 1. बेरुबारी (1960); केशवानंद भारती (1973) · 2. नहीं, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है · 3. किसी अस्पष्ट उपबंध की व्याख्या के लिए

प्रस्तावना में संशोधन: 42वाँ संशोधन

अनुच्छेद 368

एक बार संशोधित

1976

एकता और अखंडता

बलराम सिंह 2024

संविधान का भाग होने के कारण प्रस्तावना में **अनुच्छेद 368** के अंतर्गत संशोधन हो सकता है, पर इसकी **मूल विशेषताएँ** नष्ट नहीं की जा सकतीं (केशवानंद)। इसमें **केवल एक बार**, 1976 में, आपातकाल के दौरान संशोधन हुआ।

अब तक का एकमात्र बदलाव: 1950 का पाठ और आज का पाठ, जोड़े गए शब्द रंग में।

★★★ **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976**: 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बदलकर 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न **समाजवादी पंथनिरपेक्ष** लोकतंत्रात्मक गणराज्य' हुआ, और 'राष्ट्र की एकता' बदलकर 'राष्ट्र की एकता **और अखंडता**'।

★★★ इसलिए **26 जनवरी 1950** को भारत एक '**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य**' था।

★★ **स्वर्ण सिंह समिति** की सलाह पर बने 42वें संशोधन ने इतना कुछ बदला कि इसे '**लघु संविधान (Mini-Constitution)**' कहा जाता है।

★★ आपातकाल के बाद के **44वें संशोधन (1978)** ने 42वें का बहुत कुछ पलटा, पर तीनों शब्द **बनाए रखे**।

★ 1978 के एक विधेयक ने 'पंथनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' को **परिभाषित** करने का प्रयास किया; **राज्य सभा** ने वे परिभाषाएँ पारित नहीं कीं, इसलिए ये शब्द अपरिभाषित हैं।

★★★ **बलराम सिंह बनाम भारत संघ (25 नवंबर 2024)**: उच्चतम न्यायालय ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' के विरुद्ध याचिकाएँ **खारिज** कीं। प्रस्तावना में लिखी अंगीकरण की तिथि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन में बाधा नहीं है; 'समाजवादी' निर्वाचित सरकारों को किसी एक आर्थिक नीति से नहीं बाँधता; 'पंथनिरपेक्ष' का अर्थ है कि राज्य न किसी धर्म का पक्ष लेता है, न उससे भेदभाव करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** दो नहीं, तीन शब्द: 42वें ने **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष** और **अखंडता** जोड़े। 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न', 'लोकतंत्रात्मक', 'गणराज्य' और 'एकता' **मूल** हैं।

याद रखें: '76 में S-S-I: Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), Integrity (अखंडता), प्रस्तावना को मिले केवल यही तीन शब्द।

झटपट जाँच

1. प्रस्तावना के अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत की सटीक स्थिति?
2. 42वें संशोधन ने कौन-से तीन शब्द जोड़े?
3. 2024 के किस वाद ने उन शब्दों को बनाए रखा?

उत्तर: 1. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य · 2. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता · 3. बलराम सिंह बनाम भारत संघ

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (7)

UPSC 2013 भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का किसमें उपबन्ध किया गया है?
(a) उद्देशिका और मूल अधिकार (b) उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (c) मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं
उत्तर: (b) उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और नीति-निदेशक तत्वों में है

UPSC 2017 निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है ?
(a) विचार की स्वतंत्रता (b) आर्थिक स्वतंत्रता (c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (d) विश्वास की स्वतंत्रता
उत्तर: (b) आर्थिक स्वतंत्रता. उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है; उद्देशिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है

UPSC 2017 भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है ?
(a) उद्देशिका (b) मूल अधिकार (c) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (d) मूल कर्तव्य
उत्तर: (a) उद्देशिका. उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी माना जाता है

UPSC 2020 भारत के संविधान की उद्देशिका
(a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती (b) संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती
(c) संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग
(d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है
उत्तर: (d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है. उद्देशिका संविधान का भाग है, पर स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है; बेरुबारी (1960) में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया; केशवानंद (1973) में भाग माना गया

UPSC 2021 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी?
(a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
उत्तर: (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य. मूल प्रस्तावना में भारत को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' कहा गया था; 42वें संशोधन, 1976 ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े

BPSC 60th-62nd भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया ?
(a) 42वाँ संशोधन (b) 44वाँ संशोधन (c) 46वाँ संशोधन (d) 74वाँ संशोधन (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) 42वाँ संशोधन. 42वें संशोधन (1976) ने उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े

BPSC 70th 42वें संशोधन द्वारा कौन-से दो शब्द प्रस्तावना में जोडे गए ?
(a) गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष (b) प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी (c) धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी (d) समाजवादी एवं प्रभुसत्तासम्पन
उत्तर: (c) धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी. 42वें संशोधन, 1976 ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े

स्वयं को परखें (11)

1. 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन-से शब्द जोड़े गए?
(a) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता (b) समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, एकता (c) पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, अखंडता
(d) संप्रभु, समाजवादी, बंधुता

2. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है?
(a) बेरुबारी संघ (b) गोलकनाथ (c) केशवानंद भारती (d) मिनर्वा मिल्स

3. निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में बताई गई स्वतंत्रताओं में नहीं है?
(a) विचार (b) विश्वास (c) व्यवसाय (d) उपासना

4. प्रस्तावना में उल्लिखित तिथि है
(a) 26 जनवरी 1950 (b) 26 नवंबर 1949 (c) 15 अगस्त 1947 (d) 22 जनवरी 1947

5. प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किससे प्रेरित हैं?
(a) अमेरिकी क्रांति (b) फ्रांसीसी क्रांति (c) रूसी क्रांति (d) आयरिश संविधान

6. प्रस्तावना को संविधान का 'पहचान-पत्र' किसने कहा?
(a) के.एम. मुंशी (b) अर्नेस्ट बार्कर (c) एन.ए. पालकीवाला (d) ठाकुरदास भार्गव

7. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल विशेषता माना?
(a) एस.आर. बोम्मई (b) मेनका गांधी (c) इंद्रा साहनी (d) गोलकनाथ

8. विचार कीजिए: 1. प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हो सकता है। 2. प्रस्तावना न्यायालयों में प्रवर्तनीय है। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बंधुता' नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का भाग थी।
2. संविधान सभा ने शेष पाठ तय होने के बाद प्रस्तावना को सबसे अंत में लिया।
3. 44वें संशोधन ने प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' हटा दिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रस्तावना अपने आदर्शों में 'आर्थिक स्वतंत्रता' का नाम लेती है।
2. प्रस्तावना बंधुता प्राप्त कराती है और न्याय बढ़ाती है।
3. 'संघीय' और 'कल्याणकारी' शब्द प्रस्तावना में हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

11. एक नागरिक किसी नए कानून को केवल इस आधार पर चुनौती देता है कि वह प्रस्तावना के आर्थिक न्याय के आदर्श के विरुद्ध है; कानून संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय को क्या करना चाहिए?
(a) उसे रद्द करे, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है और किसी भी अनुच्छेद की तरह संसद को बाँधती है
(b) प्रस्तावना को अनदेखा करे, क्योंकि वह संविधान से बाहर है (c) प्रश्न को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजे
(d) केवल इस आधार पर उसे रद्द न करे

उत्तर: 1. (a) संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और एकता मूल हैं; 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। · 2. (c) केशवानंद (1973) ने बेरुबारी (1960) का मत पलटा। · 3. (c) पाँच हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। · 4. (b) प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण दर्ज करती है। · 5. (b) फ्रांसीसी क्रांति (1789); न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) रूसी क्रांति से आया। · 6. (c) मुंशी ने इसे 'राजनीतिक जन्मपत्री' कहा; बार्कर ने 'मूल स्वर'। · 7. (a) एस.आर. बोम्मई (1994)। · 8. (a) संशोधनीय (केशवानंद; 1976 में एक बार हुआ) पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। · 9. (b) प्रस्तावना सबसे अंत में (17 अक्टूबर 1949) ली गई; प्रारूप समिति ने 1948 में बंधुता जोड़ी, और 44वें संशोधन ने 1976 में जोड़े गए शब्द बनाए रखे। · 10. (d) 'आर्थिक' केवल न्याय के साथ आता है; न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराए जाते हैं जबकि बंधुता बढ़ाई जाती है (कथन 2 इसे उलट देता है); 'संघीय' और 'कल्याणकारी' पाठ में नहीं हैं। · 11. (d) प्रस्तावना संविधान का भाग है (केशवानंद) पर अपने आप में प्रवर्तनीय नहीं; न्यायालय इसका उपयोग केवल अस्पष्ट उपबंध पढ़ने में करते हैं, और इसे बाहर मानने वाला बेरुबारी मत पलटा जा चुका है।

अध्याय 3

भाग, अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद

कौन-सा भाग या अनुसूची क्या रखती है (पाँचवीं बनाम छठी, दूसरी बनाम तीसरी), अनुसूचियाँ और भाषाएँ जोड़ने वाले संशोधन, और अनुच्छेद 343 से 351 तथा 393 से 395 नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 7 बार पूछा गया: UPSC 5 · BPSC 2

≈ 33 min पढ़ने में ≈ 7 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

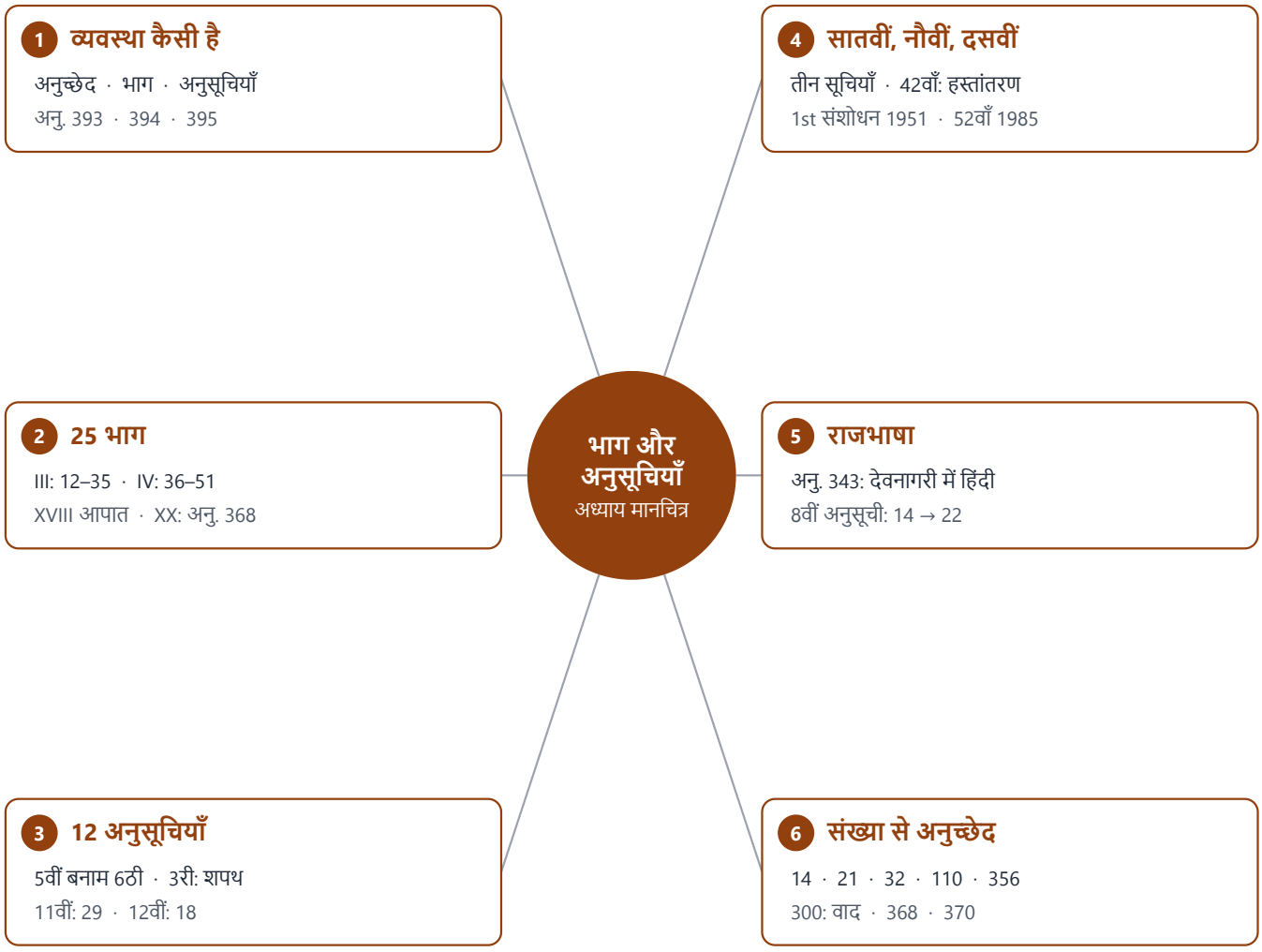

रिवीज़न कार्ड

1. 1950: **395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ**। नवंबर 2026: **25 भाग, 12 अनुसूचियाँ**; अंतिम अनुच्छेद अब भी **395** है।
2. जोड़े गए भाग: **IVA** (कर्तव्य, 42वाँ, 1976), **XIVA** (अधिकरण, 42वाँ), **IXA** (नगरपालिकाएँ, 74वाँ, 1992), **IXB** (सहकारी समितियाँ, 97वाँ, 2011); **भाग VII** 1956 में निरसित।
3. मुख्य भाग: III मौलिक अधिकार **12 से 35**; IV निदेशक तत्व **36 से 51**; V संघ **52 से 151**; VI राज्य **152 से 237**; IXA नगरपालिकाएँ; XVIII आपात **352 से 360**; XX संशोधन **368**।
4. अनुसूचियाँ: 1 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र; 2 वेतन; 3 शपथ; 4 राज्य सभा सीटें; **5 अनुसूचित क्षेत्र**; **6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र**; 7 तीन सूचियाँ; 8 भाषाएँ; 9 संरक्षित कानून; 10 दल-बदल विरोध; 11 पंचायतें (29); 12 नगरपालिकाएँ (18)।
5. जोड़ी गई अनुसूचियाँ: **9वीं पहले (1st) संशोधन (1951, नेहरू)** से; **10वीं 52वें (1985)** से; **11वीं** और **12वीं 73वें और 74वें (1992)** से।
6. आठवीं अनुसूची: **14 → 22**। सिंधी (**21वाँ**, 1967); कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (**71वाँ**, 1992); बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (**92वाँ**, 2003)।
7. **42वें संशोधन** ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले: शिक्षा, वन, माप-तौल, वन्य पशु और पक्षी, न्याय प्रशासन।
8. **अनुच्छेद 343**: **देवनागरी** लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा; अंकों का **अंतरराष्ट्रीय रूप**; राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अंग्रेज़ी जारी।
9. **अनुच्छेद 348**: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और कानूनों के प्राधिकृत पाठ **अंग्रेज़ी** में, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे।
10. **अनुच्छेद 393** संक्षिप्त नाम, **394** प्रारंभ (26 जनवरी 1950), **394A** हिंदी पाठ, **395** 1947 और 1935 के अधिनियमों का निरसन।
11. **अनुच्छेद 299** संविदाएँ; **अनुच्छेद 300** वाद और कार्यवाहियाँ (भारत संघ और राज्य वाद लाते हैं और उन पर वाद लाए जाते हैं); **अनुच्छेद 300A** संपत्ति।
12. शिक्षा का संबंध निदेशक तत्वों से और **पाँचवीं, छठी, सातवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं** अनुसूचियों से है।

संविधान की व्यवस्था कैसी है

अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ

अक्षर वाले अनुच्छेद

भाग VII निरसित

अनुच्छेद 393 से 395

अनुच्छेद 394A

संविधान **अनुच्छेदों (Articles)** (क्रमांकित उपबंध) से बना है, जो विषय के अनुसार **भागों (Parts)** में समूहित हैं, और अंत में **अनुसूचियाँ (Schedules)** सूचियाँ और तालिकाएँ रखती हैं। नए अनुच्छेदों को एक **अक्षर** मिलता है (21A, 51A, 243ZT), ताकि पुरानी संख्याएँ न खिसकें; निरसित अनुच्छेद की संख्या खाली रह जाती है।

★★★ **1950 में**: प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद**, **22 भाग**, **8 अनुसूचियाँ**।

★★★ **नवंबर 2026 तक**: **25 भाग** और **12 अनुसूचियाँ**; **106 संशोधन**, नवीनतम **106वाँ (2023)**, जो लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह **16 अप्रैल 2026** को लागू हुआ, पर सीटें उस तिथि के बाद की पहली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही आरक्षित होंगी; इसे जल्दी करने वाला **131वाँ संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026** को लोक सभा में गिर गया। क्रमांक अब भी **अनुच्छेद 395** पर समाप्त होता है।

★★★ **जोड़े गए भाग**: **IVA** मौलिक कर्तव्य और **XIVA** अधिकरण (**42वाँ, 1976**); **IXA** नगरपालिकाएँ (**74वाँ, 1992**); **IXB** सहकारी समितियाँ (**97वाँ, 2011**)।

★★ **भाग VII** (पहली अनुसूची के भाग B के राज्य) **7वें संशोधन (1956)** द्वारा **निरसित** हुआ, जब राज्यों के A, B, C, D वर्ग समाप्त हुए। पुराना भाग IX (भाग D के क्षेत्र) भी उसी समय गया; वर्तमान **भाग IX** (पंचायतें) **73वें संशोधन (1992)** से जोड़ा गया।

★★ **निरसित अनुच्छेद** खाली स्थान छोड़ते हैं: **अनुच्छेद 31** (संपत्ति का अधिकार) **1978** में गया (44वाँ संशोधन)।

★★★ **अंतिम चार अनुच्छेद**: **अनुच्छेद 393**: 'इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है'; **अनुच्छेद 394**: प्रारंभ, अधिकांश पाठ के लिए **26 जनवरी 1950** का उल्लेख; **अनुच्छेद 394A**: प्राधिकृत **हिंदी** पाठ (58वाँ संशोधन, 1987); **अनुच्छेद 395**: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का **निरसन**।

★★ **अनुच्छेद 394** उन उपबंधों को भी गिनाता है जो **26 नवंबर 1949** को तुरंत लागू हुए: अनुच्छेद 5 से 9 (नागरिकता), 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और स्वयं 394।

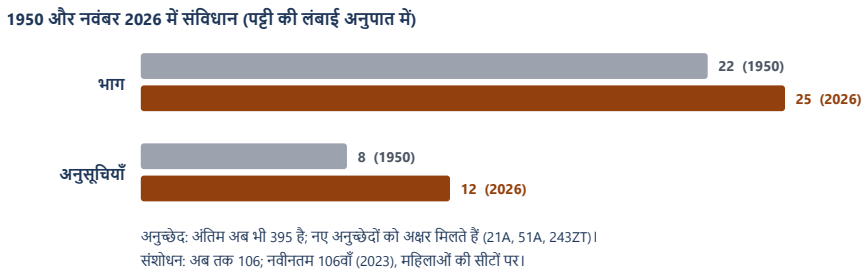

1950 और नवंबर 2026 में भाग और अनुसूचियाँ, पट्टियाँ अनुपात में।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'कोई अनुच्छेद संविधान का नाम नहीं बताता', 'कोई अनुच्छेद 1935 के अधिनियम को निरसित नहीं करता' या 'कोई अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 तय नहीं करता' जैसे कथन **सभी गलत** हैं: अनुच्छेद 393, 395 और 394 ठीक यही करते हैं।

याद रखें: संविधान के अंतिम अनुच्छेद अपने बारे में तीन प्रश्नों का उत्तर देते हैं: **मेरा नाम क्या है?** (393) **मेरा जन्म कब हुआ?** (394) **मैंने किसकी जगह ली?** (395)।

झटपट जाँच

1. 1950 में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं?
2. कौन-सा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरसित करता है?
3. 1956 में कौन-सा भाग निरसित हुआ?

उत्तर: 1. 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ · 2. अनुच्छेद 395 · 3. भाग VII

एक नज़र में भाग

III: 12 से 35

IV: 36 से 51

V: 52 से 151

IXA नगरपालिकाएँ

XVIII आपात

XX: अनुच्छेद 368

हर भाग एक विषय से संबंधित है। दो सबसे बड़े, **भाग V (संघ)** और **भाग VI (राज्य)**, मिलकर मूल क्रमांक का लगभग आधा हिस्सा रखते हैं, क्योंकि वे सरकार के हर अंग को दो बार बनाते हैं, एक बार केंद्र के लिए और एक बार राज्यों के लिए।

संविधान के भाग ★★★

भाग	विषय	अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्यक्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	36 से 51
IVA	मौलिक कर्तव्य	51A
V	संघ	52 से 151
VI	राज्य	152 से 237
VII	पहली अनुसूची के भाग B के राज्य (1956 में निरसित)	238 (निरसित)
VIII	संघ राज्यक्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243O
IXA	नगरपालिकाएँ	243P से 243ZG
IXB	सहकारी समितियाँ	243ZH से 243ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244A
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद	264 से 300A
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
XIVA	अधिकरण	323A से 323B
XV	निर्वाचन	324 से 329A
XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	330 से 342A
XVII	राजभाषा	343 से 351
XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395

भाग के अनुसार अनुच्छेद 1 से 395 (खंड की चौड़ाई = मूल क्रमांक में अनुच्छेदों की संख्या)

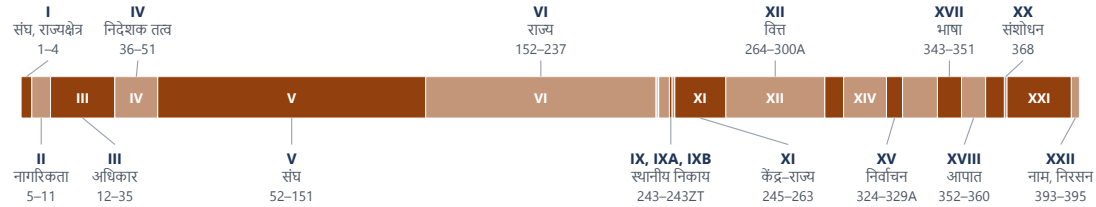

भाग VII (धूसर) 1956 में निरसित हुआ। अक्षर वाले भाग IVA, IXA, IXB और XIVA इसी क्रमांक के भीतर हैं।

अनुच्छेद 1 से 395 की रेखा पर भाग। भाग V और VI लगभग आधी रेखा भरते हैं।

★★ **भाग V, अध्याय**: कार्यपालिका (52 से 78), संसद (79 से 122), राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (123, अध्यादेश), संघ की न्यायपालिका (124 से 147), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (148 से 151)।

★★ **भाग VI, अध्याय**: साधारण (152), कार्यपालिका (153 से 167), राज्य का विधानमंडल (168 से 212), राज्यपाल की विधायी शक्ति (213, अध्यादेश), उच्च न्यायालय (214 से 232), अधीनस्थ न्यायालय (233 से 237)।

★★ **भाग VI** सभी राज्यों पर लागू है। जम्मू और कश्मीर, जो कभी अनुच्छेद 370 के कारण इसके बड़े हिस्से से बाहर था, **31 अक्टूबर 2019** से संघ राज्यक्षेत्र है।

★★ **परीक्षा के प्रिय**: भाग **IXA** नगरपालिकाएँ, भाग **XVIII** आपात, भाग **XX** संशोधन (अनुच्छेद 368), भाग **XI** केंद्र-राज्य संबंध, भाग **XV** निर्वाचन, भाग **XVII** राजभाषा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** भाग **IX** पंचायतें है और **IXA** नगरपालिकाएँ; **IXB** सहकारी समितियाँ है, अधिकरण नहीं (वह **XIVA** है)। भाग **XX** में केवल एक अनुच्छेद है, **368**।

याद रखें: 18 = आपात, 20 = संशोधन: 18 की उम्र में संकट आए तो मदद पुकारते हैं; 20 में जीवन बदलते हैं। और **XVII** (17) ठीक पहले है, उस **भाषा** के लिए जिसमें आप पुकारते हैं।

झटपट जाँच

1. कौन-सा भाग नगरपालिकाओं से और कौन-सा आपात उपबंधों से संबंधित है?
2. अनुच्छेद 12 से 35 और 36 से 51 कौन-से भाग बनाते हैं?
3. भाग XX में कौन-सा अनुच्छेद है?

उत्तर: 1. IXA; XVIII · 2. III (मौलिक अधिकार) और IV (निदेशक तत्व) · 3. अनुच्छेद 368, संशोधन

बारह अनुसूचियाँ

अनुसूची 2: वेतन

अनुसूची 3: शपथ

अनुसूची 4: राज्य सभा सीटें

अनुसूची 5 बनाम 6

11वीं: 29, 12वीं: 18

अनुसूचियाँ वे सूचियाँ रखती हैं जो अनुच्छेदों को भर देतीं: राज्यों के नाम, पदाधिकारियों का वेतन, शपथ के प्रारूप, सीटों की तालिकाएँ, भाषाएँ। आठ संविधान के साथ आईं; चार बाद में संशोधनों से जोड़ी गईं।

बारह अनुसूचियाँ (टैग: मूल, या जोड़ने वाला संशोधन)

अनुसूची 1 1950 राज्य और संघ राज्यक्षेत्र नाम और राज्यक्षेत्र	**अनुसूची 2** 1950 वेतन और भत्ते: राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश, नि.म.ले.प.	**अनुसूची 3** 1950 शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं)	**अनुसूची 4** 1950 राज्य सभा में सीटें राज्यों और संघ रा.क्षे. की
अनुसूची 5 1950 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ (10 राज्यों में)	**अनुसूची 6** 1950 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र	**अनुसूची 7** 1950 संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ	**अनुसूची 8** 1950 22 भाषाएँ (1950 में 14)
अनुसूची 9 1st, 1951 मौलिक अधिकारों की चुनौती से संरक्षित कानून (अनु. 31B)	**अनुसूची 10** 52वाँ, 1985 दल-बदल विरोध निरर्हता (अनु. 102(2), 191(2))	**अनुसूची 11** 73वाँ, 1992 पंचायतें: 29 विषय (अनु. 243G)	**अनुसूची 12** 74वाँ, 1992 नगरपालिकाएँ: 18 विषय (अनु. 243W)

बारह अनुसूचियाँ, अंतिम चार को जोड़ने वाले संशोधन के साथ।

हर अनुसूची में क्या है ★★★

अनुसूची	विषय-वस्तु	उत्पत्ति
पहली	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम और उनके राज्यक्षेत्र	1950
दूसरी	राष्ट्रपति, राज्यपालों, संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार	1950
तीसरी	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप	1950
चौथी	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य सभा की सीटों का आवंटन	1950
पाँचवीं	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण	1950
छठी	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	1950
सातवीं	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची	1950
आठवीं	भाषाएँ (अब 22)	1950
नौवीं	अनुच्छेद 31B से संरक्षित अधिनियम और विनियम (अधिकतर भूमि सुधार)	पहला (1st) संशोधन, 1951
दसवीं	दल-बदल के आधार पर निरर्हता	52वाँ संशोधन, 1985
ग्यारहवीं	पंचायतों की शक्तियाँ: 29 विषय (अनुच्छेद 243G)	73वाँ संशोधन, 1992
बारहवीं	नगरपालिकाओं की शक्तियाँ: 18 विषय (अनुच्छेद 243W)	74वाँ संशोधन, 1992

★★★ **तीसरी अनुसूची** में संघ और राज्य के **मंत्रियों**, **सांसदों और विधायकों** तथा उन सीटों के उम्मीदवारों, **उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** और **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** की शपथ है। **राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60)**, **उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69)** और **राज्यपाल (अनुच्छेद 159)** की शपथ अनुच्छेदों में है, इस अनुसूची में नहीं।

★★ **दूसरी अनुसूची** राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों में उनके समकक्षों, न्यायाधीशों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन बताती है।

★★★ **पाँचवीं अनुसूची**: **10 राज्यों** में **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas)** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान); राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है और एक **जनजाति सलाहकार परिषद** जनजातीय कल्याण पर सलाह देती है।

★★★ **छठी अनुसूची**: **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के जनजातीय क्षेत्र, **स्वायत्त ज़िला परिषदों** (कुल 10) के माध्यम से चलाए जाते हैं, जिनके पास विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ हैं; परिषदें **प्राथमिक विद्यालय** स्थापित और संचालित कर सकती हैं।

★★★ **ग्यारहवीं अनुसूची**: पंचायतों के लिए **29** विषय; **बारहवीं अनुसूची**: नगरपालिकाओं के लिए **18** विषय।

याद रखें: अनुसूचियों को एक नए राज्य के जीवन की तरह पढ़ें: सूची में उसका **नाम** आता है (1), उसके अधिकारियों को **वेतन** मिलता है (2) और वे **शपथ** लेते हैं (3), उसे **राज्य सभा की सीटें** मिलती हैं (4), वह अपने **जनजातीय क्षेत्रों** की रक्षा करता है (5, और पूर्वोत्तर के 6 में), सीखता है कि **कौन-से कानून** बना सकता है (7) और **कौन-सी भाषाएँ** बोलता है (8), अपने **भूमि सुधार** बचाता है (9), विधायकों को **दल बदलने** से रोकता है (10), और सत्ता **गाँवों** (11) और **शहरों** (12) को सौंपता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान: पाँचवीं** = अनुसूचित क्षेत्र (मुख्य भूमि)। **छठी** = **A**ssam (असम), **M**eghalaya (मेघालय), **T**ripura (त्रिपुरा), **M**izoram (मिज़ोरम) के जनजातीय क्षेत्र ('**AMTM**')। 'अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन: छठी अनुसूची' वाला युग्म गलत सुमेलित है। ग्यारहवीं में **29** हैं; बारहवीं में **18**: बड़ी संख्या गाँवों को।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से और कौन-सी पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है?
2. क्या राष्ट्रपति की शपथ तीसरी अनुसूची में है?
3. कौन-सी अनुसूचियाँ पंचायत और नगरपालिका के विषय बताती हैं, और हर एक में कितने?

उत्तर: 1. पाँचवीं; छठी (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) · 2. नहीं, यह अनुच्छेद 60 में है · 3. ग्यारहवीं: 29; बारहवीं: 18

सातवीं, नौवीं और दसवीं अनुसूची विस्तार से

तीन सूचियाँ

42वाँ: हस्तांतरण

नौवीं: पहला (1st) संशोधन 1951

आई.आर. कोएल्हो 2007

दसवीं: 52वाँ 1985

तीन अनुसूचियाँ तय करती हैं कि सत्ता कैसे काम करती है। **सातवीं** केंद्र और राज्यों में विधि-निर्माण बाँटती है, **नौवीं** ने कभी चुने हुए कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा, और **दसवीं** विधायकों को दल बदलने से रोकती है।

★★★ **सातवीं अनुसूची** (अनुच्छेद 246): **संघ सूची (Union List)** (1950 में 97 प्रविष्टियाँ), **राज्य सूची (State List)** (66), **समवर्ती सूची (Concurrent List)** (47); आज **98, 59 और 52** प्रविष्टियाँ लागू हैं। संघ सूची पर केवल संसद, राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, और टकराव में संघ का कानून प्रभावी रहता है।

★★★ **42वें संशोधन (1976)** ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले: **शिक्षा**, **वन**, **माप-तौल**, **वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण**, और **न्याय प्रशासन** (उच्चतम और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन)।

★★ **अवशिष्ट शक्तियाँ** (किसी सूची में न आने वाले विषय) **संसद** के पास हैं (अनुच्छेद 248; संघ सूची की प्रविष्टि 97)।

★★★ **नौवीं अनुसूची**: प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** के समय **पहले (1st) संशोधन (1951)** से, **अनुच्छेद 31B** के साथ, **भूमि सुधार** कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती से बचाने के लिए जोड़ी गई। यह **13** कानूनों से शुरू हुई और अब इसमें **280** से अधिक हैं।

★★★ **आई.आर. कोएल्हो (2007)**: **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून **मूल ढाँचे** का उल्लंघन करें तो रद्द किए जा सकते हैं।

★★ **तमिलनाडु का 69% आरक्षण** कानून नौवीं अनुसूची में है (76वाँ संशोधन, 1994)।

★★★ **दसवीं अनुसूची** (दल-बदल विरोध): राजीव गांधी के समय **52वें संशोधन (1985)** से जोड़ी गई। कोई सदस्य **दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने** या **दल के व्हिप के विरुद्ध मत देने** पर निरर्ह होता है; **अध्यक्ष या सभापति** निर्णय करता है।

★★ **91वें संशोधन (2003)** ने 'विभाजन' (एक-तिहाई सदस्य) का अपवाद हटाया; अब केवल विधायक दल के **दो-तिहाई** सदस्यों के समर्थन वाला **विलय** ही निरर्हता से बचाता है।

★★ **संविधान में शिक्षा**: निदेशक तत्व (अनुच्छेद 41, 45, 46), **सातवीं अनुसूची** (समवर्ती सूची में शिक्षा, प्रविष्टि 25; संघ सूची में राष्ट्रीय संस्थान), **ग्यारहवीं अनुसूची** (प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय), **बारहवीं** (शैक्षिक और सांस्कृतिक पहलुओं का संवर्धन), **पाँचवीं** (राज्यपाल और जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों का कल्याण) और **छठी** (ज़िला परिषदें प्राथमिक विद्यालय चलाती हैं)।

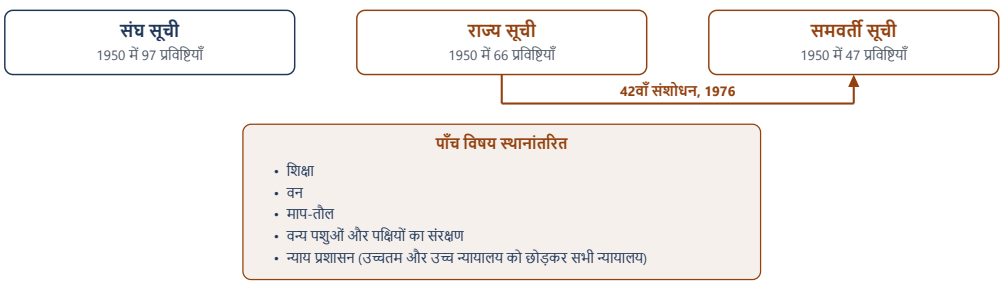

1976 में पाँच विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में जाना।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** नौवीं अनुसूची **नेहरू** के समय (1951) आई, इंदिरा गांधी के समय नहीं। और नौवीं अनुसूची के कानून पूरी तरह **सुरक्षित नहीं** हैं: **आई.आर. कोएल्हो (2007)** के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों को मूल ढाँचे पर परखा जा सकता है।

याद रखें: 1976 में खिसके पाँच विषय, '**FEW JW**': **F**orests (वन), **E**ducation (शिक्षा), **W**eights and measures (माप-तौल), **J**ustice (न्याय), **W**ild animals and birds (वन्य पशु और पक्षी)।

झटपट जाँच

1. 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाले गए पाँच विषय बताइए।
2. नौवीं अनुसूची किस संशोधन से और किस प्रधानमंत्री के समय जोड़ी गई?
3. दसवीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई?

उत्तर: 1. शिक्षा, वन, माप-तौल, वन्य पशु और पक्षी, न्याय प्रशासन · 2. पहला (1st) संशोधन (1951), नेहरू · 3. 52वाँ (1985)

राजभाषा: भाग XVII और आठवीं अनुसूची

अनुच्छेद 343: हिंदी

अंग्रेज़ी जारी

अनुच्छेद 348: न्यायालय

350A, 350B

8वीं अनुसूची: 22

संविधान संघ के काम के लिए एक **राजभाषा (Official language)** का नाम लेता है, 'राष्ट्रभाषा' का नहीं। देवनागरी में हिंदी चुनी गई, और अंग्रेज़ी को इसलिए बनाए रखा गया कि कई राज्य हिंदी का उपयोग नहीं करते थे। भाग XVII के चार अध्याय हैं: संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएँ, न्यायालयों और कानूनों की भाषा, और विशेष निदेश।

संघ (343–344)	प्रदेश (345–347)	न्यायालय, कानून (348–349)	निदेश (350–351)
343 देवनागरी में हिंदी; अंतरराष्ट्रीय अंक	345 राज्य अपनी राजभाषा चुनता है	348 उ.न्या., उच्च न्या., विधेयक: अंग्रेज़ी, जब तक संसद तय न करे	350 किसी भी भाषा में अभ्यावेदन
344 आयोग (5 वर्ष, फिर 10 वर्ष बाद) और 30 सांसदों की समिति	346 संघ–राज्य और राज्य–राज्य पत्राचार	349 भाषा कानूनों की विशेष प्रक्रिया	350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा
	347 किसी वर्ग की भाषा		350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
			351 हिंदी का प्रसार और विकास

भाग XVII अपने चार अध्यायों में, अनुच्छेद 343 से 351।

★★★ **अनुच्छेद 343**: संघ की राजभाषा **देवनागरी लिपि में हिंदी** है; अंक **भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप** हैं (1, 2, 3)।

★★★ **अंग्रेज़ी** को **15 वर्ष** (1965 तक) चलना था; **राजभाषा अधिनियम (Official Languages Act) 1963** (1967 में संशोधित) इसे हिंदी के साथ बिना किसी अंतिम तिथि के जारी रखता है।

★★ **अनुच्छेद 344**: राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद और फिर 10 वर्ष बाद एक **राजभाषा आयोग** बनाता है (पहला, **1955**, अध्यक्ष **बी.जी. खेर**); **30 सांसदों की समिति** (20 लोक सभा, 10 राज्य सभा) उसके प्रतिवेदन की जाँच करती है।

★★ **अनुच्छेद 345**: राज्य का विधानमंडल हिंदी या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा को अपनी राजभाषा अपना सकता है। **अनुच्छेद 346**: राज्यों के बीच और राज्य तथा संघ के बीच संघ की राजभाषा का प्रयोग होता है। **अनुच्छेद 347**: राष्ट्रपति किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दे सकता है।

★★★ **अनुच्छेद 348**: **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों** की कार्यवाहियाँ, और विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों और नियमों के प्राधिकृत पाठ **अंग्रेज़ी** में होते हैं, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे। राज्यपाल, **राष्ट्रपति की पूर्व सहमति** से, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य की भाषा की अनुमति दे सकता है।

★ **अनुच्छेद 349**: भाषा संबंधी विधेयकों के लिए एक अवधि तक राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी चाहिए। **अनुच्छेद 350**: कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अभ्यावेदन दे सकता है।

★★ **अनुच्छेद 350A** (प्राथमिक स्तर पर **मातृभाषा** में शिक्षा) और **अनुच्छेद 350B** (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त **भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी**) **7वें संशोधन (1956)** से जोड़े गए।

★★ **अनुच्छेद 351**: संघ को मुख्यतः **संस्कृत** से शब्द लेते हुए **हिंदी के प्रसार और विकास** को बढ़ावा देना है।

★★ सभा ने **14 सितंबर 1949** को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया: इसीलिए 14 सितंबर को **हिंदी दिवस** मनाया जाता है।

★★★ **आठवीं अनुसूची** (अनुच्छेद 344 और 351 से जुड़ी): **22 भाषाएँ**, शुरू में 14। जोड़ी गईं: **सिंधी** (**21वाँ संशोधन, 1967**); **कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली** (**71वाँ, 1992**); **बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली** (**92वाँ, 2003**)।

★ **96वें संशोधन (2011)** ने अनुसूची में 'उड़िया' को '**ओडिया**' किया।

★★ **शास्त्रीय भाषाएँ (Classical languages)** संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया गया कार्यकारी दर्जा है, संवैधानिक नहीं: नवंबर 2026 तक **11** (तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014, और मराठी, पालि, प्राकृत, असमिया और बांग्ला 2024 में)।

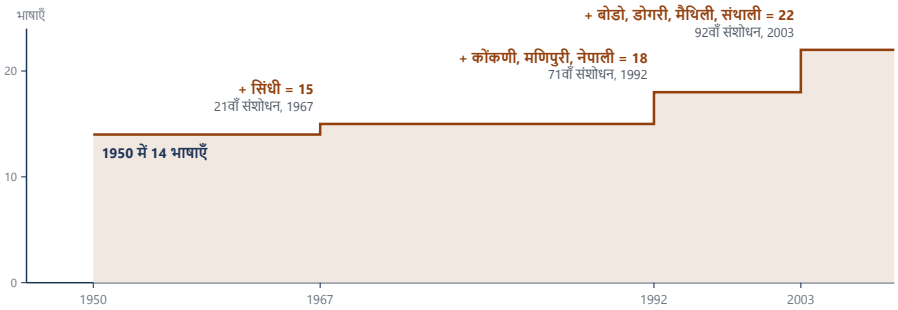

आठवीं अनुसूची तीन चरणों में 14 से 22 भाषाओं तक बढ़ी (वर्ष और संख्याएँ अनुपात में)।

आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ ★★

समूह	भाषाएँ
मूल 14 (1950)	असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू
21वाँ संशोधन, 1967	सिंधी
71वाँ संशोधन, 1992	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
92वाँ संशोधन, 2003	बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली

⚠ **परीक्षा में सावधान: 71वाँ** संशोधन **1992** में आया; **92वाँ 2003** में। मैथिली 92वें संशोधन की भाषा है, 71वें की नहीं। और संविधान में **कोई 'राष्ट्रभाषा' नहीं** है।

याद रखें: 1, 3, 4: 1967 में एक भाषा, 1992 में तीन, 2003 में चार। 14 + 1 + 3 + 4 = **22**।

झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद देवनागरी में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है?
2. किस संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ीं?
3. उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 343 · 2. 71वाँ (1992) · 3. अंग्रेज़ी, अनुच्छेद 348

संख्या से जानने योग्य अनुच्छेद

अनुच्छेद 14, 21, 32
अनुच्छेद 110, 123
अनुच्छेद 300 वाद

परीक्षक अनुच्छेद संख्या देकर पूछते हैं कि वह क्या करता है। संख्याएँ समूहों में याद करें: अधिकार दस से तीस के बीच, राष्ट्रपति लगभग 50 से 80 के बीच, धन लगभग 110 और 265 से 280 के आसपास, आपात 350 के बाद।

अनुच्छेद 352, 356, 360

अनुच्छेद 370

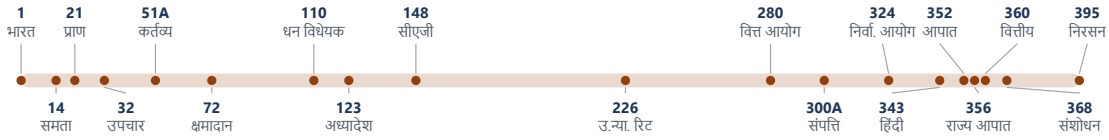

क्रमांक 1 से 395 पर प्रमुख अनुच्छेद (अनुपात में)।

नागरिक, अधिकार और निदेशक तत्व ★★★

अनुच्छेद	विषय
1	भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा
3	संसद नए राज्य बना सकती है, क्षेत्र, सीमाएँ, नाम बदल सकती है
12, 13	'राज्य' की परिभाषा; मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य
14	विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण
17	अस्पृश्यता का अंत
19	छह स्वतंत्रताएँ (वाक्, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास, वृत्ति)
21, 21A	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता; 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
32	मौलिक अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार
39A, 40, 44, 48A, 50	निःशुल्क विधिक सहायता; ग्राम पंचायतें; समान नागरिक संहिता; पर्यावरण; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
51A	मौलिक कर्तव्य

संघ, राज्य और न्यायालय ★★

अनुच्छेद	विषय
52, 54, 61	राष्ट्रपति; निर्वाचन; महाभियोग
63, 64	उपराष्ट्रपति; राज्य सभा का पदेन सभापति
72	राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
74, 75	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद; मंत्रियों की नियुक्ति
76	भारत का महान्यायवादी
79, 80, 81	संसद; राज्य सभा; लोक सभा
108, 110, 112	संयुक्त बैठक; धन विधेयक; वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
123	राष्ट्रपति के अध्यादेश
124, 143	उच्चतम न्यायालय; उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय
148	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
153, 155, 163	राज्यपाल; नियुक्ति; राज्यपाल को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद
200, 213	विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति; राज्यपाल के अध्यादेश
214, 226	उच्च न्यायालय; उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति
239AA	दिल्ली के लिए विशेष उपबंध

संघीय, वित्तीय, निर्वाचन और विशेष उपबंध ★★

अनुच्छेद	विषय
243G, 243W	पंचायतों की शक्तियाँ; नगरपालिकाओं की शक्तियाँ
246, 248	कानूनों की विषय-वस्तु (तीन सूचियाँ); संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ
249	राष्ट्रीय हित में राज्य विषय पर संसद कानून बना सकती है (राज्य सभा का संकल्प)
262, 263	अंतरराज्यीय नदी जल विवाद; अंतरराज्य परिषद
265, 266, 267	कानून के बिना कोई कर नहीं; संचित निधियाँ और लोक लेखे; आकस्मिकता निधि
279A, 280	जीएसटी परिषद; वित्त आयोग
299, 300	राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से की गई संविदाएँ; संघ और राज्यों द्वारा तथा उनके विरुद्ध वाद और कार्यवाहियाँ
300A	विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा
301	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
312, 315	अखिल भारतीय सेवाएँ; लोक सेवा आयोग
323A, 323B	प्रशासनिक अधिकरण; अन्य विषयों के लिए अधिकरण
324, 326	निर्वाचन आयोग; वयस्क मताधिकार पर चुनाव
330A, 332A, 334A	लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं की सीटें (106वाँ संशोधन, 2023; 16 अप्रैल 2026 से लागू); सीटें उस तिथि के बाद की पहली जनगणना के बाद के परिसीमन के बाद ही आरक्षित होंगी
338, 338A, 338B	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग
352, 356, 360	राष्ट्रीय आपात; राज्य में राष्ट्रपति शासन; वित्तीय आपात
361	राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण
368	संविधान संशोधन की संसद की शक्ति
370	जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी उपबंध
371, 371A, 371J	महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध; नगालैंड; कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र)

★★★ **अनुच्छेद 300**: भारत सरकार '**भारत संघ (Union of India)**' के नाम से वाद लाती है और उस पर वाद लाया जाता है, राज्य सरकार **राज्य** के नाम से। संविदाएँ **अनुच्छेद 299** में हैं।

★★★ **अनुच्छेद 370**: स्वयं अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों से **6 अगस्त 2019** से निष्क्रिय; **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019** ने **31 अक्टूबर 2019** से **जम्मू और कश्मीर** तथा **लद्दाख** संघ राज्यक्षेत्र बनाए। उच्चतम न्यायालय ने **11 दिसंबर 2023** को इसे सही ठहराया। नवंबर 2026 तक जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र बना हुआ है।

★★ **आंबेडकर** ने **अनुच्छेद 32** को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा।

⚠ **परीक्षा में सावधान: अनुच्छेद 300 वादों** के बारे में है, संविदाओं (अनुच्छेद 299), महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) या व्यापार (अनुच्छेद 301) के बारे में नहीं। **अनुच्छेद 356** राष्ट्रपति शासन है; **अनुच्छेद 352** राष्ट्रीय आपात।

💡 **याद रखें: 350 के बाद आपात: 2, 6, 0**: राष्ट्रीय (352), राज्य (356), वित्तीय (360)। 'दो-छह-शून्य' सोचें: राष्ट्र, राज्य, फिर पैसा शून्य।

झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद सरकार द्वारा और उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों से संबंधित है?
2. अनुच्छेद 352, 356 और 360 क्या उपबंध करते हैं?
3. कौन-से अनुच्छेद लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करते हैं?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 300 · 2. राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात · 3. 330A और 332A (106वाँ संशोधन, 2023)

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (7)

UPSC 2012 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं?
1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3, 4 और 5 (c) केवल 1, 2 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5
उत्तर: (d) 1, 2, 3, 4 और 5. शिक्षा सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 25) में है; ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची पंचायत और नगरपालिका विषयों में शिक्षा को शामिल करती हैं

UPSC 2019 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुरःस्थापित किया गया था?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) लाल बहादुर शास्त्री (c) इंदिरा गाँधी (d) मोरारजी देसाई
उत्तर: (a) जवाहरलाल नेहरू. पहले संशोधन (1951) ने नेहरू के कार्यकाल में नौवीं अनुसूची जोड़ी

UPSC 2024 संविधान (71वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है ?
1. कोंकणी
2. मणिपुरी
3. नेपाली
4. मैथिली
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4 (c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4
उत्तर: (a) 1, 2 और 3. 71वें संशोधन (1992) ने आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ीं; 92वें संशोधन (2003) ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ीं

UPSC 2024 भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ?
1. नगरपालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9-क में दी गई हैं ।
2. आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं ।
3. संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. भाग 9-क: नगरपालिकाएँ; भाग 18: आपात उपबंध; भाग 20: संशोधन (अनुच्छेद 368)

UPSC 2026 भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से 'भारत का संविधान' कहा जाएगा।
2. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (इंडियन इंडिपेंडेन्स एक्ट, 1947) और भारत सरकार अधिनियम, 1935, (गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1935) को निरसित किया गया।
3. भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी, 1950 का उल्लेख है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है?
(a) सभी तीन कथन सही हैं। (b) कोई भी कथन सही नहीं है। (c) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 3 सम्मिलित है।
(d) केवल एक कथन सही है।
उत्तर: (b) कोई भी कथन सही नहीं है।. अनुच्छेद 393: 'इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है'; अनुच्छेद 394 संविधान के प्रारंभ की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख करता है; अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को निरसित करता है

BPSC 67th भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है?
(a) मुकदमें तथा कार्यवाही (b) सरकारी ठेके (c) महान्यायवादी (d) व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) मुकदमें तथा कार्यवाही. अनुच्छेद 300 के तहत संघ और राज्य अपने नाम से वाद ला सकते हैं और उन पर वाद चलाया जा सकता है; अनुच्छेद 299 राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से किए गए अनुबंधों से संबंधित है

BPSC 71st निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नही है?
(a) राज्यसभा में सीटों का आवंटन – चौथी अनुसूची (b) शपथ का प्रारूप – तीसरी अनुसूची (c) अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन – छठी अनुसूची
(d) संघ सूची – सातवीं अनुसूची
उत्तर: (c) अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन – छठी अनुसूची. पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से, और छठी चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है; तीसरी अनुसूची: शपथ; चौथी: राज्य सभा की सीटें; सातवीं: तीनों सूचियाँ

स्वयं को परखें (11)

1. छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है?
(a) असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम (b) असम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा (c) मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
(d) झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम

2. दल-बदल के आधार पर निरर्हता के उपबंध किसमें हैं?
(a) आठवीं अनुसूची (b) नौवीं अनुसूची (c) दसवीं अनुसूची (d) ग्यारहवीं अनुसूची

3. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में किसने जोड़ा?
(a) 71वाँ संशोधन (b) 92वाँ संशोधन (c) 96वाँ संशोधन (d) 21वाँ संशोधन

4. कौन-सा अनुच्छेद संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उपबंध करता है?
(a) अनुच्छेद 393 (b) अनुच्छेद 394 (c) अनुच्छेद 394A (d) अनुच्छेद 395

5. इनमें से किसकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है?
(a) केंद्रीय मंत्री (b) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (c) राष्ट्रपति (d) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

6. संविधान का भाग XIVA संबंधित है
(a) सहकारी समितियों से (b) अधिकरणों से (c) नगरपालिकाओं से (d) मौलिक कर्तव्यों से

7. कौन-सा विषय 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में नहीं डाला गया?
(a) शिक्षा (b) वन (c) पुलिस (d) माप-तौल

8. अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप है
(a) देवनागरी अंक (b) भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (c) रोमन अंक (d) हर राज्य विधानमंडल द्वारा चुना गया रूप

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का भाग IXB सहकारी समितियों से संबंधित है।
2. संविधान का भाग IXA पंचायतों से संबंधित है।
3. संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 से 370 हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
अनुसूची : विषय
1. पाँचवीं अनुसूची : असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र
2. चौथी अनुसूची : राज्य सभा की सीटों का आवंटन
3. तीसरी अनुसूची : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

11. इस वर्ष पारित एक संविधान संशोधन द्वारा किसी राज्य का भूमि सुधार कानून नौवीं अनुसूची में रखा जाता है। एक किसान इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देता है। क्या न्यायालय उस कानून की जाँच कर सकता है?
(a) नहीं; नौवीं अनुसूची का हर कानून न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त है (b) केवल तब, जब राज्य विधानमंडल जाँच के लिए सहमत हो
(c) हाँ, यदि वह मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है (d) नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 31B हर आधार पर हर चुनौती रोकता है

उत्तर: 1. (a) AMTM; अन्य जगह के अनुसूचित क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची में आते हैं। · 2. (c) 52वें संशोधन, 1985 से जोड़े गए। · 3. (b) 92वाँ संशोधन, 2003; 71वें (1992) ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ीं। · 4. (c) अनुच्छेद 394A 58वें संशोधन, 1987 से जोड़ा गया। · 5. (c) राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। · 6. (b) 42वें संशोधन से जोड़ा गया (अनुच्छेद 323A, 323B); सहकारी समितियाँ भाग IXB हैं। · 7. (c) पुलिस राज्य सूची में ही है। · 8. (b) अनुच्छेद 343(1): भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। · 9. (a) IXB सहकारी समितियाँ है (97वाँ संशोधन, 2011); पंचायतें भाग IX हैं और नगरपालिकाएँ IXA, और भाग XX में केवल अनुच्छेद 368 है। · 10. (b) युग्म 2 और 3 सही हैं; चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची में आते हैं, जबकि पाँचवीं अन्य जगह के अनुसूचित क्षेत्रों को देखती है। · 11. (c) आई.आर. कोएल्हो (2007) के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून मूल ढाँचे के उल्लंघन पर रद्द हो सकते हैं; पूर्ण सुरक्षा का विकल्प ही जाल है।

अध्याय 4

संघ, उसका राज्यक्षेत्र और नागरिकता

अनुच्छेद 1 से 4 (नए राज्य के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त), राज्यों के गठन के वर्ष, एकल नागरिकता, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के तरीके तथा सीएए 2019 सबसे अधिक पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 8 बार पूछा गया: UPSC 2 · BPSC 6

≈ 44 min पढ़ने में ≈ 10 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. अनुच्छेद 1: 'भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा'। 'संघ' इसलिए कि यह संघ राज्यों के बीच समझौता नहीं है और कोई राज्य अलग नहीं हो सकता।
2. भारत का राज्यक्षेत्र = राज्य + संघ राज्यक्षेत्र + अर्जित राज्यक्षेत्र; 'राज्यों का संघ' में केवल राज्य आते हैं। अब 28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र (26 जनवरी 2020 से)।
3. अनुच्छेद 2 बाहर से नए राज्यों को प्रवेश देता या स्थापित करता है (सिक्किम 1975); अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों को बनाता, बढ़ाता, घटाता, उनकी सीमा या नाम बदलता है।
4. अनुच्छेद 3 का विधेयक: केवल राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर; प्रभावित राज्य विधानमंडल के विचार माँगे जाते हैं पर वे संसद को बाँधते नहीं।
5. अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करते हैं पर अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं हैं; साधारण बहुमत पर्याप्त।
6. भारतीय राज्यक्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 का संशोधन चाहिए: बेरुबारी 1960 → 9वाँ संशोधन; बांग्लादेश भूमि सीमा के लिए 100वाँ संशोधन (2015)।
7. धर आयोग और जेवीपी समिति (1948) ने भाषा को नकारा; आंध्र (1 अक्टूबर 1953) पहला भाषाई राज्य; फ़ज़ल अली आयोग → राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956: 14 राज्य, 6 संघ राज्यक्षेत्र।
8. नए राज्य: नगालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 (36वाँ), मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014।
9. जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को दो संघ राज्यक्षेत्र (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) बना; केरल 25 अगस्त 2026 को केरलम बना।
10. नागरिकता: भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) केवल 26 जनवरी 1950 की स्थिति बताता है; अनुच्छेद 11 → नागरिकता अधिनियम 1955। एकल नागरिकता; देशीयकृत नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है।
11. प्राप्ति: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, राज्यक्षेत्र का समावेश; समाप्ति: परित्याग, पर्यवसान, वंचन (वंचन केवल पंजीकृत या देशीयकृत नागरिकों का)।
12. सीएए 2019 (11 दिसंबर 2019 को पारित, 10 जनवरी 2020 से लागू, नियम 11 मार्च 2024): अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 तक आए।

अनुच्छेद 1: भारत, राज्यों का संघ

अनुच्छेद 1

भारत, अर्थात इंडिया

राज्यों का संघ

भारत का राज्यक्षेत्र

पहली अनुसूची

भाग I (अनुच्छेद 1 से 4) संविधान के मुख्य भाग की शुरुआत भारत के नाम और उसके राज्यक्षेत्र के आकार से करता है। आंबेडकर ने शब्दों का चुनाव समझाया: भारत एक संघ है, पर यह **राज्यों के बीच किसी समझौते से नहीं बना**, इसलिए किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए 'यूनियन' (संघ), 'फ़ेडरेशन' नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 1(1)**: 'भारत, अर्थात **इंडिया**, **राज्यों का संघ (Union of States)** होगा।' दोनों नाम आधिकारिक हैं।

★★★ **'संघ' क्यों**: (1) भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है; (2) राज्यों को **अलग होने का अधिकार नहीं** है। आंबेडकर ने संविधान सभा में दोनों कारण बताए।

★★ **अनुच्छेद 1(2)**: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम और उनके राज्यक्षेत्र **पहली अनुसूची** में दिए हैं।

★★★ **अनुच्छेद 1(3)**: **भारत का राज्यक्षेत्र (Territory of India)** = **राज्यों** के राज्यक्षेत्र + **संघ राज्यक्षेत्र** + बाद में **अर्जित कोई राज्यक्षेत्र**। **'राज्यों का संघ'** में केवल राज्य आते हैं, इसलिए 'भारत का राज्यक्षेत्र' अधिक व्यापक शब्द है।

★★ **राज्यक्षेत्र का अर्जन**: संप्रभु राज्य के रूप में भारत संधि, क्रय, अध्यर्पण या विजय से राज्यक्षेत्र अर्जित कर सकता है। दादरा और नगर हवेली (10वाँ संशोधन 1961), गोवा, दमन और दीव (12वाँ संशोधन 1962) और पुडुचेरी (14वाँ संशोधन 1962) 1950 के बाद जुड़े।

★★★ **आज की संख्या**: **28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र** (नवंबर 2026 तक), 26 जनवरी 2020 से अपरिवर्तित।

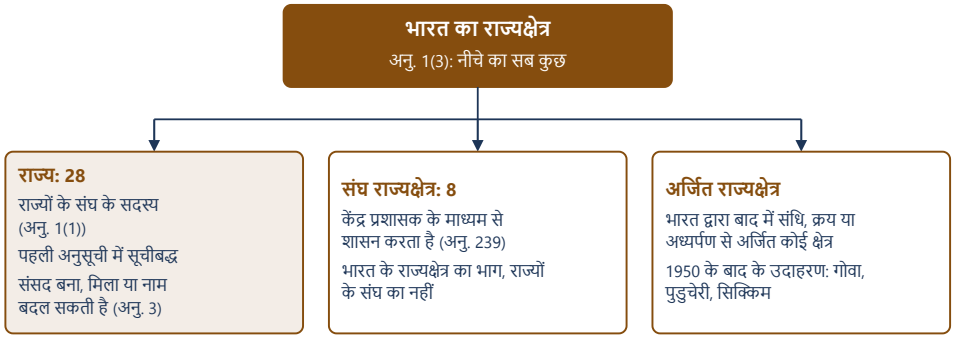

अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत भारत का राज्यक्षेत्र। केवल राज्य 'राज्यों का संघ' बनाते हैं; संघ राज्यक्षेत्र और अर्जित क्षेत्र राज्य हुए बिना भारत के राज्यक्षेत्र का भाग हैं।

याद रखें: विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ: संघ तोड़ा नहीं जा सकता, पर संसद उसके राज्यों का नक्शा बदल सकती है, उन्हें मिला सकती है या उनका नाम बदल सकती है। अमेरिका इसका उलटा है: अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ।

⚠ परीक्षा में सावधान: 'भारत संघ' और 'भारत का राज्यक्षेत्र' एक ही बात नहीं: दिल्ली या लद्दाख भारत के राज्यक्षेत्र में है पर राज्यों के संघ का सदस्य नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद कहता है 'भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा'?
2. 'संघ' शब्द के लिए आंबेडकर के दो कारण बताइए।
3. कौन-सी अनुसूची राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची देती है?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 1(1) · 2. राज्यों के समझौते से नहीं बना; कोई राज्य अलग नहीं हो सकता · 3. पहली अनुसूची

अनुच्छेद 2, 3 और 4: संसद नक्शा बदलती है

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 3

राष्ट्रपति की सिफ़ारिश

अनुच्छेद 4: साधारण बहुमत

बेरुबारी 1960

100वाँ संशोधन

संविधान संसद को **साधारण कानून** से भारत का नक्शा बदलने देता है। राज्य की सहमति आवश्यक नहीं; केवल उसके विचार माँगे जाते हैं। इसी लचीलेपन से भारत हर बार संविधान संशोधन किए बिना भाषा, जनजाति और क्षेत्र के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सका।

★★ **अनुच्छेद 2**: संसद कानून बनाकर अपनी उचित शर्तों पर नए राज्यों को संघ में **प्रवेश** दे सकती है या उन्हें **स्थापित** कर सकती है। यह उन क्षेत्रों से संबंधित है जो **पहले से भारत का भाग नहीं** हैं; सिक्किम को 1975 में इसी तरह प्रवेश मिला।

★★★ **अनुच्छेद 3**: संसद कानून बनाकर (a) किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके, दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर **नया राज्य बना** सकती है; (b) किसी राज्य का क्षेत्र **बढ़ा** या (c) **घटा** सकती है; (d) **सीमाएँ बदल** सकती है; (e) किसी राज्य का **नाम बदल** सकती है। यह **मौजूदा राज्यों** से संबंधित है।

★★★ **प्रक्रिया**: अनुच्छेद 3 का विधेयक केवल **राष्ट्रपति की सिफ़ारिश** पर पेश हो सकता है। यदि यह किसी राज्य को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति पहले उसे उस राज्य विधानमंडल को उसके द्वारा तय समय में विचार देने के लिए **भेजता** है।

★★★ **विचार बाध्यकारी नहीं**: संसद उन्हें माने या न माने, और बाद में विधेयक में संशोधन होने पर उसे फिर भेजना ज़रूरी नहीं (बाबूलाल पराटे मामला, 1959)। **संघ राज्यक्षेत्र** के लिए कोई संदर्भ आवश्यक ही नहीं।

★★ **18वाँ संशोधन (1966)**: स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 में 'राज्य' में संघ राज्यक्षेत्र शामिल है और नया राज्य बनाने में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भाग को दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से मिलाना शामिल है।

★★★ **अनुच्छेद 4**: अनुच्छेद 2 और 3 के कानून **पहली और चौथी अनुसूची** (राज्यक्षेत्र और राज्य सभा की सीटें) में संशोधन करते हैं, पर **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं** हैं। वे किसी साधारण कानून की तरह **साधारण बहुमत** से पारित होते हैं।

★★★ **राज्यक्षेत्र सौंपना अलग बात है**: भारतीय राज्यक्षेत्र किसी अन्य देश को देने के लिए **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन** चाहिए। **बेरुबारी संघ मामला (1960)**, जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शी राय था, बेरुबारी का भाग पाकिस्तान को देने के लिए **9वें संशोधन (1960)** तक ले गया।

★ **सीमा विवाद**: उच्चतम न्यायालय ने 1969 में कहा कि किसी अन्य देश से सीमा विवाद सुलझाने के लिए संशोधन नहीं चाहिए; यह कार्यकारी कार्रवाई से हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय राज्यक्षेत्र सौंपा नहीं जाता।

★★ **100वाँ संशोधन (2015)**: **भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते** को लागू किया; भारत ने **111 अंतःक्षेत्र (Enclaves)** बांग्लादेश को दिए और **51** प्राप्त किए, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा की पहली अनुसूची की प्रविष्टियाँ बदलीं।

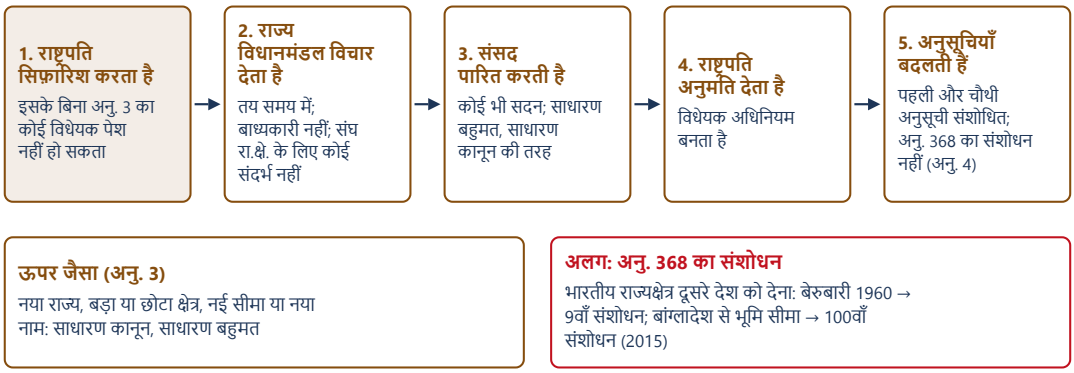

अनुच्छेद 3 का कानून कैसे बनता है। राज्य विधानमंडल से परामर्श होता है पर वह विधेयक रोक नहीं सकता; कानून साधारण बहुमत से पारित होता है और अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं है। केवल किसी अन्य देश को राज्यक्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 का संशोधन चाहिए।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** तेलंगाना बनाने, उड़ीसा का नाम बदलने या केरलम बनाने के लिए केवल **साधारण बहुमत से साधारण कानून** चाहिए था। 'दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन' क्लासिक गलत विकल्प है।

याद रखें: 2 अंदर लाता है, 3 आकार बदलता है, 4 कहता है 'संशोधन की ज़रूरत नहीं'।

☑ झटपट जाँच

1. नया राज्य बनाने वाले कानून के लिए कौन-सा बहुमत चाहिए?
2. अनुच्छेद 3 का विधेयक पेश करने से पहले किसकी सिफ़ारिश चाहिए, और क्या राज्य के विचार बाध्यकारी हैं?
3. किसके लिए अनुच्छेद 368 का संशोधन चाहिए: नया राज्य बनाना या किसी अन्य देश को राज्यक्षेत्र देना?

उत्तर: 1. साधारण बहुमत (अनुच्छेद 4) · 2. राष्ट्रपति की; नहीं, बाध्यकारी नहीं · 3. राज्यक्षेत्र देना (बेरुबारी 1960)

देशी रियासतों का एकीकरण (1947 से 1956)

552 देशी रियासतें
विलय-पत्र
पटेल और मेनन
भाग A, B, C, D

स्वतंत्रता पर ब्रिटिश प्रांत सीधे भारत को मिले, पर भारत की सीमाओं के भीतर की सैकड़ों **देशी रियासतें (Princely States)** भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत या पाकिस्तान में मिलने या स्वतंत्र रहने को स्वतंत्र थीं। **सरदार वल्लभभाई पटेल** ने, रियासत मंत्रालय के सचिव **वी.पी. मेनन** के साथ, **विलय-पत्रों (Instruments of Accession)** के माध्यम से लगभग सभी को शामिल किया।

★★ भारत की सीमाओं के भीतर **552 देशी रियासतें** थीं; **549 भारत में मिलीं**; तीन अड़ी रहीं: **हैदराबाद** (पुलिस कार्रवाई, 'ऑपरेशन पोलो', सितंबर 1948), **जूनागढ़** (जनमत संग्रह, फरवरी 1948) और **जम्मू और कश्मीर** (महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर)।

★★ **1950 में चार वर्ग** (पहली अनुसूची): **भाग A**, पूर्व गवर्नर प्रांत; **भाग B**, पूर्व देशी रियासतें या उनके संघ, जिनका प्रमुख **राजप्रमुख** था; **भाग C**, पूर्व मुख्य आयुक्त प्रांत और कुछ देशी रियासतें, केंद्र द्वारा शासित; **भाग D**, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**।

★★ **त्रिपुरा** 1950 में **भाग C** का राज्य था, 1956 में **संघ राज्यक्षेत्र** बना और 1972 में पूर्ण **राज्य**। मणिपुर ने भी यही मार्ग अपनाया।

★ चार-वर्ग व्यवस्था **1 नवंबर 1956** को समाप्त हुई (7वाँ संशोधन)।

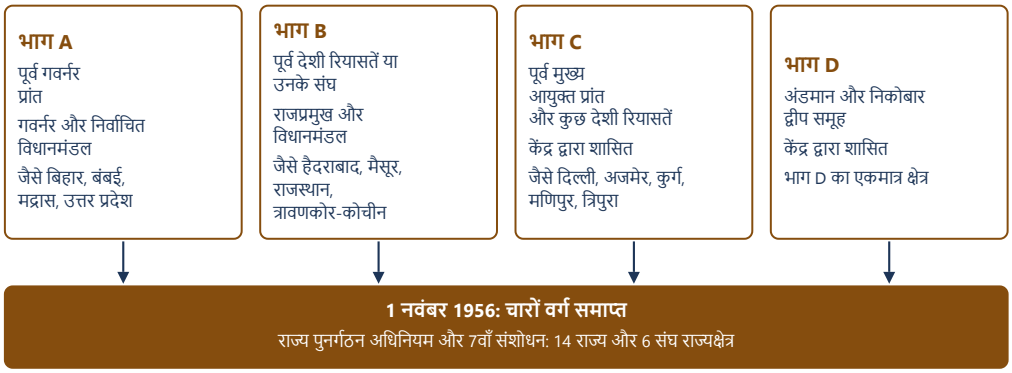

1950 के संविधान के चार वर्ग और 1956 में उनकी जगह क्या आया।

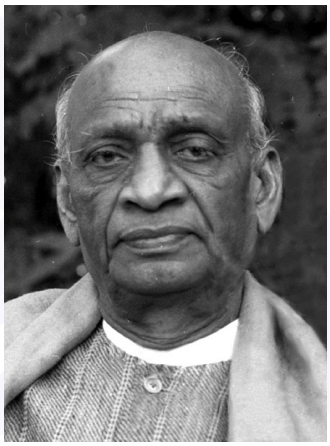

भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किया। चित्र: Photo Division, Government of India, Wikimedia Commons, public domain

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सी तीन देशी रियासतें पहले शांति से भारत में नहीं मिलीं?
2. भाग B राज्य का प्रमुख कौन होता था?
3. त्रिपुरा: भाग C राज्य, फिर _____ में संघ राज्यक्षेत्र, फिर _____ में राज्य।

उत्तर: 1. हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर · 2. राजप्रमुख · 3. 1956; 1972

भाषाई आधार पर पुनर्गठन (1948 से 1956)

धर आयोग

जेवीपी समिति

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय समितियाँ भाषा के आधार पर बनाई थीं, इसलिए 1947 के बाद लोगों को भाषा पर आधारित राज्यों की अपेक्षा थी। राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे नया-नया विभाजित देश कमज़ोर होगा,

पोट्टि श्रीरामुलु

आंध्र 1953

फ़ज़ल अली आयोग

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956

और उन्होंने 'अभी नहीं' कहा। जन-दबाव ने, सबसे अधिक तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में, इसे बदल दिया।

★★ **धर आयोग (Dhar Commission, 1948)**, अध्यक्ष **एस.के. धर**: राज्यों के आधार के रूप में भाषा के स्थान पर **प्रशासनिक सुविधा** को प्राथमिकता दी।

★★ **जेवीपी समिति (JVP Committee, दिसंबर 1948)**: **ज**वाहरलाल नेहरू, **व**ल्लभभाई पटेल और **प**ट्टाभि सीतारमैया; इसकी रिपोर्ट (अप्रैल 1949) ने भी आधार के रूप में **भाषा को नकारा**।

★★★ **आंध्र राज्य**, **भाषाई आधार पर बना पहला राज्य**, **1 अक्टूबर 1953** को तेलुगु-भाषियों के लिए मद्रास राज्य से काटकर बना, जब **पोट्टि श्रीरामुलु (Potti Sriramulu)** की आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुई।

★★★ **फ़ज़ल अली आयोग** (राज्य पुनर्गठन आयोग, दिसंबर 1953 में गठित; रिपोर्ट 1955): **फ़ज़ल अली** (अध्यक्ष), **के.एम. पणिक्कर** और **एच.एन. कुंज़रू**। इसने भाषा को व्यापक आधार माना पर 'एक भाषा, एक राज्य' को नकारा, और भाग A से D वर्गों को समाप्त करने को कहा।

★★★ **राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), 1956** और **7वाँ संशोधन (1956)**: **1 नवंबर 1956** से भारत में **14 राज्य और 6 संघ राज्यक्षेत्र** थे, जो मुख्यतः भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुए।

★ इसलिए **1 नवंबर** कई राज्यों का स्थापना दिवस है, जिनमें केरल, कर्नाटक (मैसूर के रूप में) और मध्य प्रदेश हैं; हरियाणा (1966) और छत्तीसगढ़ (2000) भी इसी तिथि को बने।

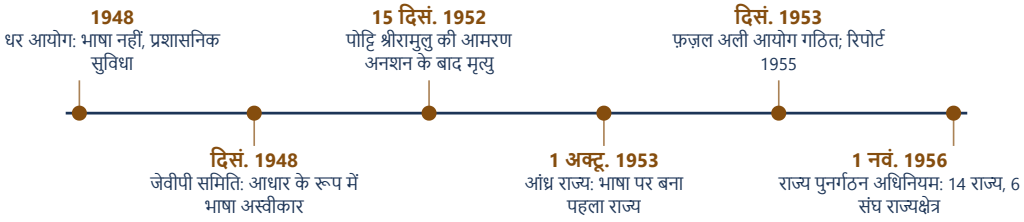

'भाषा के आधार पर नहीं' (1948) से भाषाई राज्यों (1956) तक।

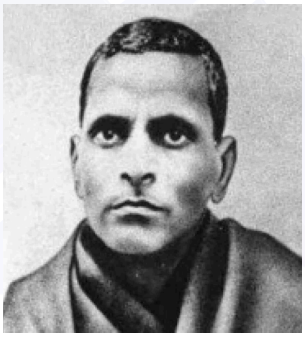

पोट्टि श्रीरामुलु, जिनकी तेलुगु राज्य के लिए अनशन के बाद मृत्यु से 1953 में आंध्र बना। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, public domain

याद रखें: JVP = जवाहरलाल, वल्लभभाई, पट्टाभि: वे तीन जिन्होंने भाषा को 'अभी नहीं' कहा। **फ़ज़ल अली की टीम = 'F-P-K'**: फ़ज़ल अली, पणिक्कर, कुंज़रू।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** पहला भाषाई राज्य **आंध्र (1953)** है, न कि आंध्र प्रदेश (1 नवंबर 1956, जब हैदराबाद राज्य के तेलुगु क्षेत्र जोड़े गए) और न तेलंगाना (2014)।

☑ झटपट जाँच

1. किस वर्ष राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ?
2. भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन-सा था, और कब?
3. फ़ज़ल अली आयोग के तीन सदस्य बताइए।

उत्तर: 1. 1956 (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1 नवंबर से) · 2. आंध्र, 1 अक्टूबर 1953 · 3. फ़ज़ल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंज़रू

1956 के बाद नए राज्य और नए नाम

नगालैंड 1963
सिक्किम: 36वाँ
1987 की तिकड़ी
2000 की तिकड़ी
तेलंगाना 2014
केरलम 2026

1956 का नक्शा बदलता रहा, क्योंकि भाषा, जनजातीय पहचान और क्षेत्रीय विकास पर आधारित माँगें एक-एक कानून से पूरी हुईं। अधिकतर बदलाव अनुच्छेद 3 से हुए; कुछ के लिए संविधान संशोधन भी चाहिए थे, या तो विशेष उपबंध जोड़ने के लिए (अनुच्छेद 371A से 371I) या नया राज्यक्षेत्र लाने के लिए।

1956 के बाद बने राज्य ★★★

वर्ष	राज्य	कैसे
1960 (1 मई)	महाराष्ट्र और गुजरात	बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 ने द्विभाषी बंबई राज्य को बाँटा
1963 (1 दिसंबर)	नगालैंड (16वाँ राज्य)	नगालैंड राज्य अधिनियम 1962 और 13वाँ संशोधन (1962), जिसने अनुच्छेद 371A जोड़ा
1966 (1 नवंबर)	हरियाणा; चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र बना	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966
1971 (25 जनवरी)	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970
1972 (21 जनवरी)	मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971
1975 (16 मई)	सिक्किम (22वाँ राज्य)	35वें संशोधन (1974) ने इसे सहयोगी राज्य बनाया; 36वें संशोधन (1975) ने पूर्ण राज्य (अनुच्छेद 371F)
1987	मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश (20 फरवरी), गोवा (30 मई, 25वाँ राज्य)	53वाँ, 55वाँ और 56वाँ संशोधन, राज्य का दर्जा देने वाले अधिनियमों के साथ
2000	छत्तीसगढ़ (1 नवंबर), उत्तराखंड (9 नवंबर), झारखंड (15 नवंबर)	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से काटकर
2014 (2 जून)	तेलंगाना (29वाँ राज्य)	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014
2019 (31 अक्टूबर)	जम्मू-कश्मीर राज्य, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र बना	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019; राज्य 29 → 28

★★★ **सिक्किम** अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्रवेश पाकर **36वें संशोधन** से **1975 में पूर्ण राज्य** बना; 35वें संशोधन (1974) ने इसे 'सहयोगी राज्य' बनाया था (अनुच्छेद 2A, बाद में निरसित)।

★★★ **झारखंड 15 नवंबर 2000** (बिरसा मुंडा की जयंती) को **बिहार** से काटकर अस्तित्व में आया।

★★ **नगालैंड** नगालैंड राज्य अधिनियम 1962 और **13वें संशोधन (1962)** से बना, जिसने नगा रूढ़िगत कानून, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं तथा भूमि के स्वामित्व की रक्षा करने वाला **अनुच्छेद 371A** जोड़ा। इसलिए नगालैंड एक साधारण कानून के साथ-साथ **संविधान संशोधन** के आधार पर भी अस्तित्व में आया।

★ **अरुणाचल प्रदेश**: राजधानी **ईटानगर** का नाम **ईटा किले** पर है; इसके दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, **नामदफा** और **मौलिंग**। यह पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी (NEFA) था, 1972 से संघ राज्यक्षेत्र, और 1987 से राज्य।

नाम बदले गए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र ★★

पुराना नाम	नया नाम	वर्ष
मद्रास	तमिलनाडु	1969
मैसूर	कर्नाटक	1973
लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप	लक्षद्वीप	1973
पांडिचेरी	पुडुचेरी	2006
उत्तरांचल	उत्तराखंड	2007
उड़ीसा	ओडिशा (96वें संशोधन ने आठवीं अनुसूची में 'उड़िया' को 'ओडिया' किया)	2011
केरल	केरलम (केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2026, 25 अगस्त 2026 से लागू)	2026

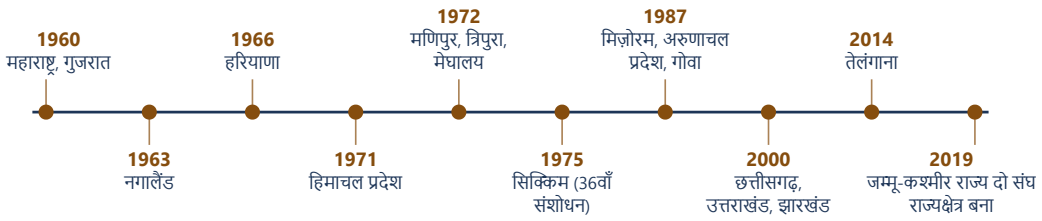

1956 के बाद के नए राज्य एक नज़र में। हर एक अनुच्छेद 3 के कानून (साधारण बहुमत) से बना; संशोधन केवल विशेष उपबंधों या नए राज्यक्षेत्र के लिए जोड़े गए।

याद रखें: नवंबर 2000 की तिकड़ी, 1, 9, 15 पर 'C-U-J': छत्तीसगढ़ 1 तारीख, उत्तराखंड 9, झारखंड 15। **1987 की तिकड़ी, 'MAG'**: मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** सिक्किम के 35वें संशोधन (1974) ने उसे केवल सहयोगी राज्य बनाया; वह **36वें** (1975) से पूर्ण राज्य बना। तेलंगाना गठन के क्रम में **29वाँ** राज्य है, यद्यपि आज संख्या 28 है क्योंकि जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं है।

झटपट जाँच

1. सिक्किम किस संशोधन से और किस वर्ष पूर्ण राज्य बना?
2. झारखंड कब और किस राज्य से अस्तित्व में आया?
3. 2026 में किस राज्य का नाम बदला गया, और क्या रखा गया?

उत्तर: 1. 36वाँ संशोधन, 1975 · 2. 15 नवंबर 2000, बिहार से · 3. केरल → केरलम (25 अगस्त 2026 से)

संघ राज्यक्षेत्र और जम्मू-कश्मीर

8 संघ राज्यक्षेत्र

दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर

अनुच्छेद 370

31 अक्टूबर 2019

26 जनवरी 2020

संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) वे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से सीधे चलाता है (अनुच्छेद 239): छोटे क्षेत्र, सामरिक द्वीप, राजधानी नगर या विशेष इतिहास वाले क्षेत्र। उनका पूरा कामकाज राज्य सरकार के साथ पढ़ा जाता है; यहाँ ध्यान नक्शे पर है।

★★★ **8 संघ राज्यक्षेत्र** (नवंबर 2026 तक): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; चंडीगढ़; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव; दिल्ली; जम्मू और कश्मीर; लद्दाख; लक्षद्वीप; पुडुचेरी।

★★★ **निर्वाचित विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र**: **दिल्ली** (अनुच्छेद 239AA, 69वाँ संशोधन 1991), **पुडुचेरी** (अनुच्छेद 239A) और **जम्मू और कश्मीर** (2019 के अधिनियम के अंतर्गत)। लद्दाख में कोई नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 370**: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अस्थायी उपबंध। **अगस्त 2019** में राष्ट्रपति के आदेशों ने पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू किया और अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे को निष्क्रिय किया; अनुच्छेद 35A लागू होना बंद हुआ।

★★★ **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019**: **31 अक्टूबर 2019** से राज्य दो संघ राज्यक्षेत्र बना, **जम्मू-कश्मीर (विधानमंडल सहित)** और **लद्दाख (विधानमंडल रहित)**। राज्य 29 से घटकर 28 और संघ राज्यक्षेत्र 7 से बढ़कर 9 हुए।

★★ **उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 370 के संबंध में (11 दिसंबर 2023)**: 2019 के बदलावों को सही ठहराया, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने और विधान सभा चुनाव कराने को कहा, जो सितंबर और अक्टूबर 2024 में हुए। नवंबर 2026 तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र है।

★★ **26 जनवरी 2020**: **दादरा और नगर हवेली** तथा **दमन और दीव** को मिलाकर एक संघ राज्यक्षेत्र बनाया गया, इसलिए संघ राज्यक्षेत्र 9 से घटकर **8** हुए।

भरा हुआ: निर्वाचित विधानमंडल। राज्य और संघ रा.क्षे.: 29 + 7 → 28 + 9 (31 अक्टू. 2019) → 28 + 8 (26 जन. 2020)

आठ संघ राज्यक्षेत्र; भरे हुए तीन खानों में निर्वाचित विधानमंडल हैं। 2019 और 2020 के बदलाव आज के 28 राज्यों और 8 संघ राज्यक्षेत्रों को समझाते हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान: लद्दाख** में विधानमंडल नहीं है; **जम्मू-कश्मीर** संघ राज्यक्षेत्र में है। चंडीगढ़ दो राज्यों (पंजाब और हरियाणा) की राजधानी है पर स्वयं संघ राज्यक्षेत्र है।

☑ झटपट जाँच

1. किन तीन संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचित विधानमंडल हैं?
2. जम्मू-कश्मीर किस तिथि से दो संघ राज्यक्षेत्र बना?
3. संघ राज्यक्षेत्र 9 नहीं, 8 क्यों हैं?

उत्तर: 1. दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर · 2. 31 अक्टूबर 2019 · 3. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 26 जनवरी 2020 को मिलाए गए

संविधान में नागरिकता (भाग II, अनुच्छेद 5 से 11)

भाग II
अनुच्छेद 5 से 11
एकल नागरिकता
अनुच्छेद 9
अनुच्छेद 11

नागरिक (Citizen) राज्य का पूर्ण सदस्य है, जिसके पास सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं; **विदेशी (Alien)** नहीं। भाग II केवल एक प्रश्न का उत्तर देता है: **26 जनवरी 1950** को कौन नागरिक था। उसके बाद की हर बात, नागरिक कैसे बनें या कैसे न रहें, संसद पर छोड़ी गई (अनुच्छेद 11), जिसने **नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act), 1955** पारित किया।

★★★ **भाग II, अनुच्छेद 5 से 11**: संविधान के **प्रारंभ पर** नागरिकों की पहचान करता है; बाद में प्राप्ति और समाप्ति **नागरिकता अधिनियम 1955** से नियंत्रित होती है।

★★ **अनुच्छेद 5**: 26 जनवरी 1950 को **भारत में अधिवास (Domicile)** वाला व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या जो उस तिथि से पहले **5 वर्ष** से भारत में सामान्यतः निवासी रहा हो।

★★ **अनुच्छेद 6**: **पाकिस्तान से** भारत आए व्यक्ति। **अनुच्छेद 7**: 1 मार्च 1947 के बाद **पाकिस्तान गए** व्यक्ति नागरिक नहीं, जब तक वे पुनर्वास के परमिट पर वापस न आए हों।

★★ **अनुच्छेद 8**: विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति किसी भारतीय राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के पास नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते थे।

★★★ **अनुच्छेद 9**: जो कोई **स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त** करता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रहता। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।

★★ **अनुच्छेद 10**: संसद के कानून के अधीन नागरिकता बनी रहती है। **अनुच्छेद 11**: संसद नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और अन्य सभी विषयों पर कोई भी कानून बना सकती है।

★★★ **एकल नागरिकता** (ब्रिटेन से): भारतीयों के पास केवल भारतीय नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं (अमेरिका में दोहरी है, संघीय और राज्य की)। संविधान केवल **एक अधिवास** को जानता है, भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास।

★★★ **राष्ट्राध्यक्ष**: जन्म से नागरिक **या देशीयकृत नागरिक** भारत का **राष्ट्रपति** चुना जा सकता है; अमेरिका में जन्म से नागरिक होना आवश्यक है।

★★★ **केवल नागरिकों के अधिकार**: अनुच्छेद **15, 16, 19, 29 और 30**; **मत देने** का अधिकार (अनुच्छेद 326) और संसद या राज्य विधानमंडल में चुने जाने का अधिकार; और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पद।

★ **समान व्यवहार के अपवाद**: संसद किसी राज्य में कुछ नौकरियों के लिए निवास की शर्त रख सकती है (अनुच्छेद 16(3)), और जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के आवागमन और बसने पर रोक लग सकती है (अनुच्छेद 19(5))।

भाग II अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 से 8 तय करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था; अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता रोकता है; अनुच्छेद 11 विषय संसद को सौंपता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है' या 'भारतीयों के पास राज्य की नागरिकता भी है' जैसे कथन गलत हैं। भारत में एक नागरिकता और एक अधिवास है।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा भाग और कौन-से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं?
2. कौन-सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता पर कानून बनाने देता है?
3. क्या देशीयकृत नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है?

उत्तर: 1. भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 · 2. अनुच्छेद 11 (नागरिकता अधिनियम 1955) · 3. हाँ (अमेरिका के विपरीत)

नागरिकता की प्राप्ति: नागरिकता अधिनियम, 1955

पाँच तरीके

जन्म से: 1987, 2004

वंश से

पंजीकरण: 7 वर्ष

देशीयकरण: 14 में से 11

अधिनियम नागरिक बनने के **पाँच तरीके** बताता है। जन्म और वंश शर्तें पूरी होने पर अपने आप लागू होते हैं; पंजीकरण और देशीयकरण आवेदन हैं जिन्हें केंद्र सरकार स्वीकार करती है; समावेश तब होता है जब नया राज्यक्षेत्र भारत में जुड़ता है। अवैध प्रवास को नागरिकता में बदलने से रोकने के लिए जन्म का नियम दो बार कड़ा किया गया।

★★★ **प्राप्ति के पाँच तरीके**: **जन्म**, **वंश**, **पंजीकरण (Registration)**, **देशीयकरण (Naturalisation)**, **राज्यक्षेत्र का समावेश**।

★★★ **जन्म से (धारा 3)**: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पर **1 जुलाई 1987** से पहले भारत में जन्मा: माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, नागरिक; 1 जुलाई 1987 से **3 दिसंबर 2004** से पहले तक: माता-पिता में से एक नागरिक हो; 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद: **माता-पिता दोनों** नागरिक, या एक नागरिक और दूसरा **अवैध प्रवासी नहीं**। विदेशी राजनयिकों और शत्रु विदेशियों के बच्चे कभी पात्र नहीं।

★★ **वंश से (धारा 4)**: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर जन्मा: 10 दिसंबर 1992 से पहले यदि **पिता** नागरिक था; उसके बाद यदि **माता-पिता में से कोई** नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 से जन्म का **भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण** आवश्यक है, सामान्यतः एक वर्ष के भीतर।

★★ **पंजीकरण से (धारा 5)**: उदाहरण के लिए, **7 वर्ष** से भारत में सामान्यतः निवासी भारतीय मूल का व्यक्ति; भारतीय नागरिक से विवाहित और 7 वर्ष से निवासी व्यक्ति; नागरिकों के अवयस्क बच्चे; 5 वर्ष से OCI कार्डधारक जो एक वर्ष से भारत में रह रहा हो। अवैध प्रवासी पंजीकरण नहीं करा सकते।

★★★ **देशीयकरण से (धारा 6, तीसरी अनुसूची)**: ऐसा विदेशी जो अवैध प्रवासी न हो, आवेदन से ठीक पहले **12 महीने** भारत में रहा हो और उससे पहले के **14 वर्षों** में कुल **11 वर्ष**, अच्छे चरित्र का हो और **आठवीं अनुसूची** की कोई भाषा जानता हो। विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति में विशिष्ट सेवा के लिए सरकार शर्तें छोड़ सकती है।

★★ **राज्यक्षेत्र के समावेश से**: जब कोई क्षेत्र भारत का भाग बनता है, सरकार अधिसूचित करती है कि उसके कौन-से लोग नागरिक बनेंगे; ऐसा गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम के साथ हुआ।

★ **अधिनियम में संशोधन**: 1957, 1960, 1985 (असम के लिए धारा 6A), 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019।

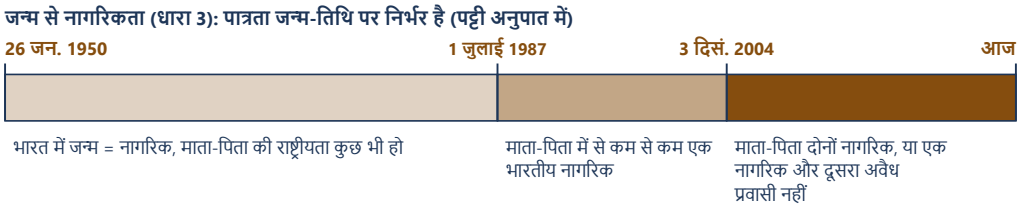

जन्म से नागरिकता जन्म-तिथि पर निर्भर है (समय-पट्टी अनुपात में)। 3 दिसंबर 2004 से भारत में जन्म अकेले पर्याप्त नहीं।

💡 **याद रखें: देशीयकरण = '14 में से 11, और अंतिम 12 बिना टूटे'**: चौदह में ग्यारह वर्ष, और अंतिम बारह महीने लगातार भारत में।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** आज भारत में जन्मा बच्चा अपने आप नागरिक **नहीं** होता; यह केवल 30 जून 1987 तक के जन्मों के लिए सही था।

झटपट जाँच

1. नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके बताइए।
2. 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म: माता-पिता के लिए क्या शर्त?
3. देशीयकरण के लिए कितना निवास चाहिए?

उत्तर: 1. जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, राज्यक्षेत्र का समावेश · 2. दोनों नागरिक, या एक नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं · 3. ठीक पहले 12 महीने, और उससे पहले के 14 में से 11 वर्ष

नागरिकता की समाप्ति; भारत के प्रवासी नागरिक

परित्याग

पर्यवसान

वंचन

धारा 10

OCI कार्ड

प्रवासी भारतीय दिवस

नागरिकता तीन तरह से समाप्त हो सकती है: आप उसे छोड़ दें, आप दूसरे देश की ले लें, या सरकार उसे छीन ले। अंतिम केवल उन लोगों पर संभव है जो आवेदन से (पंजीकरण या देशीयकरण) नागरिक **बने**, इसीलिए यह सुनने में जितना व्यापक लगता है उससे संकरा है।

★★★ **परित्याग (Renunciation) (धारा 8)**: पूर्ण आयु और क्षमता वाला नागरिक नागरिकता छोड़ने की **घोषणा** करता है; उसके अवयस्क बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं पर 18 वर्ष के होने के एक वर्ष के भीतर उसे **फिर से प्राप्त** कर सकते हैं। भारत जिस युद्ध में लगा हो, उसके दौरान घोषणा का पंजीकरण रोका जा सकता है।

★★★ **पर्यवसान (Termination) (धारा 9)**: जब कोई नागरिक **स्वेच्छा से** दूसरे देश की नागरिकता **ले लेता** है, तो **अपने आप** (अनुच्छेद 9 का नियम)।

★★★ **वंचन (Deprivation) (धारा 10)**: **अनिवार्य**, **केंद्र सरकार** के आदेश से, और केवल **पंजीकरण या देशीयकरण** से बने नागरिकों के लिए। आधार: नागरिकता **धोखाधड़ी** या तथ्य छिपाकर प्राप्त की; संविधान के प्रति **निष्ठाहीनता**; युद्ध में **शत्रु** से अवैध व्यापार या संपर्क; पंजीकरण या देशीयकरण के 5 वर्ष के भीतर **2 वर्ष या अधिक का कारावास**; लगातार **7 वर्ष भारत से बाहर** निवास।

★★ **भारत की प्रवासी नागरिकता (Overseas Citizenship of India, OCI)**: 2003 में शुरू और 2005 में विस्तृत (धारा 7A से 7D)। यह **आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा** और कई आर्थिक व शैक्षिक मामलों में अनिवासी भारतीयों के बराबर दर्जा देती है, पर यह **नागरिकता नहीं** है: न मत, न चुनाव, न संवैधानिक पद, सामान्यतः न सरकारी नौकरी, न कृषि भूमि की खरीद।

★ **PIO कार्ड का OCI में विलय** 2015 में हुआ। जो व्यक्ति, या जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी, कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, उसे OCI कार्ड नहीं मिल सकता।

★ **NRI बनाम OCI**: अनिवासी भारतीय (NRI) विदेश में रह रहा **भारतीय नागरिक** है और प्रवासी मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराकर मत दे सकता है; OCI कार्डधारक भारतीय मूल का **विदेशी नागरिक** है।

★ **प्रवासी भारतीय दिवस**: **9 जनवरी**, जिस दिन गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे।

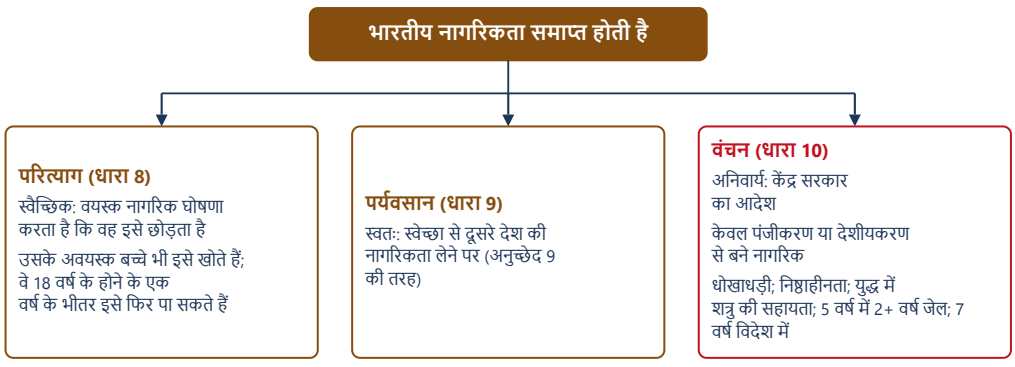

नागरिकता समाप्त होने के तीन तरीके। केवल वंचन सरकार करती है, और केवल पंजीकरण या देशीयकरण से बने नागरिकों का; '2+ वर्ष की जेल' केवल नागरिक बनने के 5 वर्ष के भीतर गिनी जाती है।

याद रखें: R-T-D: आप इस्तीफ़ा देते हैं (Resign), आप बदलते हैं (Transfer), आप हटाए जाते हैं (Dismissed): परित्याग (आपकी घोषणा), पर्यवसान (आपने दूसरा पासपोर्ट लिया), वंचन (सरकार कार्रवाई करती है)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाए तो उसे कभी वंचित नहीं किया जा सकता' **गलत** है: धारा 10 ठीक यही अनुमति देती है। OCI कार्डधारक भारत का दोहरा नागरिक नहीं है।

झटपट जाँच

1. नागरिकता खोने का कौन-सा तरीका अपने आप होता है?
2. किसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, और कौन करता है?
3. क्या OCI कार्डधारक को मत देने का अधिकार है?

उत्तर: 1. पर्यवसान (स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर) · 2. पंजीकरण या देशीयकरण से बने नागरिक; केंद्र सरकार · 3. नहीं; OCI नागरिकता नहीं है

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 और असम

सीएए 2019

31 दिसंबर 2014

6 समुदाय

छठी अनुसूची, ILP

धारा 6A: 24 मार्च 1971

NRC

2003 के संशोधन ने **अवैध प्रवासियों** (बिना वैध कागज़ों के आए या अवधि से अधिक रुके लोग) को पंजीकरण और देशीयकरण से रोका। सीएए 2019 ने तीन पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अपवाद बनाया। असम का अपना पुराना नियम है, धारा 6A, जो असम समझौते से आया।

★★★ **सीएए 2019 की तिथियाँ**: संसद ने **11 दिसंबर 2019** को पारित किया (राज्य सभा का मतदान; अनुमति 12 दिसंबर को), **10 जनवरी 2020** से लागू; नियम **11 मार्च 2024** को अधिसूचित हुए।

★★★ **किसे लाभ**: **अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** के **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई** जो **31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले** भारत आए, अवैध प्रवासी नहीं माने जाते।

★★★ **तेज़ देशीयकरण**: उनके लिए देशीयकरण का आवश्यक निवास 11 के स्थान पर **5 वर्ष** है।

★★ **शामिल नहीं**: मुसलमान, और श्रीलंका या म्यांमार जैसे अन्य देशों के प्रवासी।

★★ **छूट वाले क्षेत्र**: असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के **छठी अनुसूची** वाले जनजातीय क्षेत्र, और **इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit)** वाले क्षेत्र (बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873)।

★★ **धारा 6A (1985, असम समझौता)**: **1 जनवरी 1966 से पहले** असम आए बांग्लादेशी प्रवासी नागरिक हैं; **1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971** के बीच आए लोग पंजीकरण के बाद नागरिक बनते हैं, 10 वर्ष तक मताधिकार के बिना; बाद में आए लोग अवैध प्रवासी हैं। संविधान पीठ ने **17 अक्टूबर 2024 को धारा 6A को सही ठहराया** (4:1)।

★★ **असम में NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)**: उच्चतम न्यायालय की निगरानी में अद्यतन; अंतिम सूची (31 अगस्त 2019) से लगभग **19 लाख** आवेदक बाहर रहे।

★ **विदेशियों से संबंधित कानून**: **आप्रवास और विदेशी अधिनियम (Immigration and Foreigners Act), 2025** (1 सितंबर 2025 से लागू) ने विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000 का स्थान लिया।

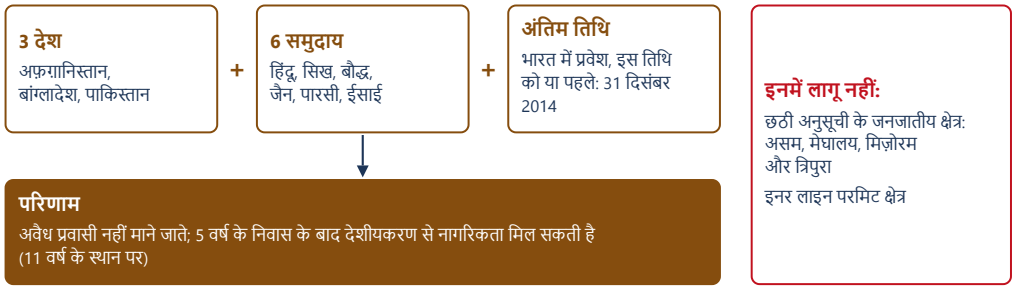

सीएए 2019 की तीन शर्तें और उनका परिणाम; अधिनियम छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट क्षेत्रों में लागू नहीं होता।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** सीएए छह समुदायों को तीन देशों से तेज़ी से नागरिकता **देने** के बारे में है; यह अपने आप किसी की नागरिकता नहीं छीनता और न नागरिकों की पहचान करता है। इसकी अंतिम तिथि **31 दिसंबर 2014** है; असम की धारा 6A की अंतिम तिथि **24 मार्च 1971** है।

☑ झटपट जाँच

1. सीएए 2019 किन तीन देशों और छह समुदायों को कवर करता है?
2. भारत में प्रवेश की सीएए अंतिम तिथि?
3. असम की धारा 6A की अंतिम तिथि?

उत्तर: 1. अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान; हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई · 2. 31 दिसंबर 2014 · 3. 24 मार्च 1971

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (8)

UPSC 2021 भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1. भारत में एकल नागरिकता है; राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है; देशीकरण से नागरिक बना व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है; नागरिकता अधिनियम की धारा 10 अर्जित नागरिकता से वंचित करने की अनुमति देती है

UPSC 2025 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :
राज्य | वर्णन
I. अरुणाचल प्रदेश | एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान (नैशनल पार्क) हैं
II. नागालैंड | यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया
III. त्रिपुरा | प्रारंभ में यह भाग 'ग' (पार्ट 'सी') राज्य था, यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केन्द्र-शासित राज्यक्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (c) सभी तीन. नागालैंड 1962 के अधिनियम से 1963 में राज्य बना, और अनुच्छेद 371A जोड़ा गया; भाग 'ग' राज्य त्रिपुरा 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य बना; ईटानगर का नाम ईटा किले पर है; अरुणाचल में नामदफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान हैं

BPSC 60th-62nd एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए ?
(a) साधारण (b) दो-तिहाई (c) तीन-चौथाई (d) दो-तिहाई एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) साधारण. अनुच्छेद 4 के तहत नया राज्य बनाने वाला कानून साधारण बहुमत से पारित होता है; अनुच्छेद 4 के कानून अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते

BPSC 64th आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ?
(a) 1947 (b) 1951 (c) 1956 (d) 2000 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) 1956. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया

BPSC 64th किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया?
(a) 1998 (b) 1999 (c) 2000 (d) 2001 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) 2000. झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना

BPSC 66th नागरिकता (संशोधन) कानून कब पारित हुआ?
(a) 11 दिसम्बर, 2018 (b) 11 दिसम्बर, 2019 (c) 11 अक्तूबर, 2019 (d) 11 अक्तूबर, 2020
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) 11 दिसम्बर, 2019. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 संसद ने दिसम्बर 2019 में पारित किया

BPSC 67th नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य क्या है?
(a) बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों को हटाना (b) वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना
(c) विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जाँच करना
(d) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना. CAA 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता आसान करता है; CAA 31 दिसम्बर 2014 तक आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई प्रवासियों पर लागू है

BPSC 69th सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया
(a) 1974 में (b) 1975 में (c) 1976 में (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (b) 1975 में. 36वें संशोधन, 1975 ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया

स्वयं को परखें (11)

1. किसी मौजूदा राज्य से नया राज्य बनाने वाला कानून किससे पारित होना चाहिए?
(a) दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से (b) संसद के साधारण बहुमत से (c) अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत से
(d) उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से

2. अनुच्छेद 3 के विधेयक के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) इसे केवल संबंधित राज्य की सहमति से पेश किया जा सकता है (b) राज्य विधानमंडल के विचार संसद को बाँधते हैं
(c) इसके लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश चाहिए, और राज्य के विचार संसद को नहीं बाँधते (d) इसे संयुक्त बैठक में पारित होना चाहिए

3. भारत में भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था
(a) आंध्र (1953) (b) आंध्र प्रदेश (1956) (c) महाराष्ट्र (1960) (d) केरल (1956)

4. निम्नलिखित में से किसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन चाहिए?
(a) किसी राज्य का नाम बदलना (b) मौजूदा राज्य को बाँटकर नया राज्य बनाना (c) दो राज्यों के बीच सीमा बदलना
(d) भारतीय राज्यक्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपना

5. राज्य बनने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. सिक्किम 2. नगालैंड 3. गोवा 4. तेलंगाना
(a) 1, 2, 3, 4 (b) 2, 1, 3, 4 (c) 2, 3, 1, 4 (d) 1, 3, 2, 4

6. केंद्र सरकार इनमें से किसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है?
(a) सरकार की आलोचना करने वाला जन्म से नागरिक (b) विदेश में रह रहा वंश से नागरिक
(c) धोखाधड़ी से नागरिकता पाने वाला देशीयकरण से नागरिक (d) किसी अपराध में दोषी कोई भी नागरिक

7. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के अंतर्गत इनमें से कौन-सा प्रवासी शामिल नहीं है?
(a) पाकिस्तान का एक पारसी (b) अफ़ग़ानिस्तान का एक ईसाई (c) श्रीलंका का एक हिंदू (d) बांग्लादेश का एक बौद्ध

8. भारतीय नागरिकता के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a) हर राज्य अपनी नागरिकता देता है (b) केवल जन्म से नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है
(c) स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने वाला नागरिक भारतीय नागरिक नहीं रहता (d) OCI कार्डधारक लोक सभा चुनाव में मत दे सकते हैं

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. देशीयकृत नागरिक भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है।
2. केंद्र सरकार केवल पंजीकरण या देशीयकरण से बने नागरिकों को नागरिकता से वंचित कर सकती है।
3. भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारक को मत देने का अधिकार नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
राज्य : राज्य बनने का वर्ष
1. हरियाणा : 1966
2. हिमाचल प्रदेश : 1972
3. उत्तराखंड : 1987
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

11. एक बच्चे का जन्म 10 मार्च 2010 को दिल्ली में होता है। माँ भारतीय नागरिक है; पिता एक विदेशी है जो बिना वैध कागज़ों के भारत आया। क्या बच्चा जन्म से भारतीय नागरिक है?
(a) हाँ, क्योंकि बच्चा भारत में जन्मा (b) हाँ, क्योंकि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है (c) नहीं, क्योंकि पिता अवैध प्रवासी है
(d) नहीं, क्योंकि केवल दोनों नागरिक माता-पिता के बच्चे ही कभी पात्र होते हैं

उत्तर: 1. (b) अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के कानून अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं हैं; साधारण बहुमत पर्याप्त है। · 2. (c) राष्ट्रपति सिफ़ारिश करता है और इसे राज्य को भेजता है; संसद राज्य के विचारों को अनदेखा करने को स्वतंत्र है। · 3. (a) आंध्र राज्य पोट्टि श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को बना। · 4. (d) राज्यक्षेत्र सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 का संशोधन चाहिए (बेरुबारी 1960, 9वाँ और 100वाँ संशोधन)। · 5. (b) नगालैंड 1963, सिक्किम 1975, गोवा 1987, तेलंगाना 2014। · 6. (c) धारा 10 का वंचन केवल पंजीकरण या देशीयकरण से बने नागरिकों पर, धोखाधड़ी जैसे आधारों पर लागू होता है। · 7. (c) अधिनियम केवल अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह समुदायों को कवर करता है। · 8. (c) अनुच्छेद 9 और धारा 9 (पर्यवसान); भारत में एकल नागरिकता है, देशीयकृत नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं, OCI नागरिकता नहीं है। · 9. (d) तीनों सही हैं: जन्म से नागरिक राष्ट्रपति की शर्त अमेरिका की है, भारत की नहीं; धारा 10 का वंचन केवल पंजीकृत या देशीयकृत नागरिकों पर है; OCI नागरिकता नहीं है। · 10. (a) केवल हरियाणा (1966) सही है; हिमाचल प्रदेश 1971 में और उत्तराखंड 2000 में राज्य बना, जबकि 1972 और 1987 नए राज्यों के अन्य समूहों के वर्ष हैं। · 11. (c) 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद के जन्मों के लिए एक माता-पिता नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो; केवल भारत में जन्म 1987 से पर्याप्त नहीं रहा।

अध्याय 5

मौलिक अधिकार और रिट

अनुच्छेद संख्याएँ (14, 17, 19, 21, 32), कौन-से अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं, अनुच्छेद 21 में पढ़े गए अधिकार (निजता, जीवनसाथी का चुनाव), अनुच्छेद 13 में 'विधि', अनुच्छेद 300A के अधीन संपत्ति और पाँच रिट हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 21 बार पूछा गया: UPSC 15 · BPSC 6

≈ 1 h 11 min पढ़ने में ≈ 17 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. भाग III, अनुच्छेद 12 से 35: छह मौलिक अधिकार (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 1978 से हटाया गया; अब यह अनुच्छेद 300A के अधीन हर व्यक्ति का विधिक अधिकार है)।
2. अनुच्छेद 13(3): 'विधि' में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं; अनुच्छेद 13(4): संविधान संशोधन 'विधि' नहीं है।
3. अनुच्छेद 14: हर व्यक्ति के लिए विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण; अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति और मनमानापन इसका उल्लंघन हैं।
4. अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है; अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए उद्भव और निवास जोड़ता है। इंदिरा साहनी (1992): क्रीमी लेयर बाहर, 50% की सीमा।
5. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है (समता का अधिकार); अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है; भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं (बालाजी राघवन 1996)।
6. अनुच्छेद 19: केवल नागरिकों के लिए छह स्वतंत्रताएँ; राष्ट्रीय ध्वज फहराना 19(1)(a) का भाग है (नवीन जिंदल 2004)।
7. अनुच्छेद 20: कार्योत्तर आपराधिक विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं, आत्म-अभिशंसन नहीं। अनुच्छेद 22: 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने; सलाहकार बोर्ड के बिना निवारक निरोध अधिकतम 3 महीने।
8. अनुच्छेद 21: मेनका गांधी (1978) ने प्रक्रिया को 'उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त' बनाया; निजता (पुट्टास्वामी 2017) और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग हैं।
9. अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (86वाँ संशोधन, 2002; शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009)।
10. शोषण के विरुद्ध अधिकार = अनुच्छेद 23 (दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम) + अनुच्छेद 24 (14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कारखानों, खानों, खतरनाक कामों में नहीं)।
11. केवल नागरिक: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। हर व्यक्ति (विदेशी भी): अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23 से 28।
12. अनुच्छेद 32 'हृदय और आत्मा' है (आंबेडकर); अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
13. रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण (कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है), परमादेश (लोक कर्तव्य; निजी निकाय या कंपनी के विरुद्ध नहीं), प्रतिषेध (लंबित मामला रोकता है), उत्प्रेषण (निर्णीत मामला रद्द करता है), अधिकार-पृच्छा (कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है)।
14. आपातकाल: युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है; अनुच्छेद 359 अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करता है, पर अनुच्छेद 20 और 21 का कभी नहीं।

भाग III एक नज़र में

भाग III
अनुच्छेद 12 से 35
छह अधिकार
44वाँ संशोधन
न्यायालय में प्रवर्तनीय
मैग्नाकार्टा

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) **राज्य की शक्ति पर सीमाएँ** हैं, जिन्हें संविधान में लिखा गया ताकि कोई साधारण बहुमत इन्हें छीन न सके। ये 'मौलिक' इसलिए हैं कि सर्वोच्च विधि इनकी गारंटी देती है और व्यक्ति इन्हें लागू कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

★★★ **भाग III, अनुच्छेद 12 से 35**, जिसे प्रायः **भारत का मैग्नाकार्टा (Magna Carta)** कहा जाता है; यह विचार **अमेरिकी अधिकार-पत्र (US Bill of Rights)** से लिया गया है।

★★ **जड़ें**: नेहरू रिपोर्ट (1928) और सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ **कांग्रेस का कराची अधिवेशन (1931)**, जिसने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा में अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष **सरदार पटेल** थे, और उसकी मौलिक अधिकार उप-समिति के अध्यक्ष **जे.बी. कृपलानी (J.B. Kripalani)**।

★★★ **मूल रूप से सात** अधिकार थे; **44वें संशोधन (1978)** ने **संपत्ति का अधिकार** हटाया, अब **छह** बचे हैं।

★★ **न्यायालय में प्रवर्तनीय (Justiciable)**: **उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32)** और **उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)** इन्हें लागू करा सकते हैं, जबकि निदेशक तत्वों को नहीं।

★★ **असीमित नहीं**: राज्य **युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable restrictions)** लगा सकता है, और निर्बंधन युक्तियुक्त है या नहीं, यह न्यायालय तय करते हैं।

★★ **किसे मिलते हैं**: कुछ केवल **नागरिकों** को (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30), बाकी **हर व्यक्ति** को, विदेशियों सहित। अधिकतर राज्य पर सीमाएँ हैं; कुछ निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं (अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24)।

★★ **संशोधन योग्य**: संसद अनुच्छेद 368 के अधीन इनमें संशोधन कर सकती है, पर इस तरह नहीं कि **मूल ढाँचा (Basic structure)** नष्ट हो (केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati), 1973)।

★★ **आपातकाल**: राष्ट्रीय आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, **अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर** (44वाँ संशोधन)।

छह मौलिक अधिकार ★★★

अधिकार	अनुच्छेद	मूल विचार
समता का अधिकार	14 से 18	विधि के समक्ष समता, भेदभाव नहीं, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अस्पृश्यता नहीं, उपाधियाँ नहीं
स्वतंत्रता का अधिकार	19 से 22	छह स्वतंत्रताएँ; दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण; प्राण और दैहिक स्वतंत्रता; शिक्षा; गिरफ़्तारी पर सुरक्षा
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23 और 24	दुर्व्यापार या बलात् श्रम नहीं; 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा खतरनाक काम में नहीं
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	25 से 28	अंतःकरण और उपासना; धार्मिक संप्रदाय; धार्मिक कर नहीं; धार्मिक शिक्षा
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	29 और 30	भाषा और संस्कृति का संरक्षण; अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएँ
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32	रिट के माध्यम से प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाना

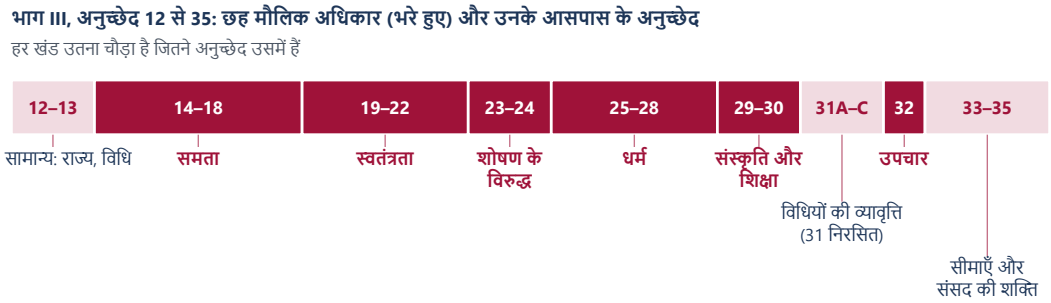

भाग III अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद: हर खंड उतना चौड़ा है जितने अनुच्छेद उसमें हैं। छह अधिकार (भरे हुए खंड) सामान्य अनुच्छेदों (12 और 13) और सीमाओं (33 से 35) के बीच हैं; अनुच्छेद 31 स्वयं 1978 में निरसित हो गया।

याद रखें: हर अधिकार कहाँ समाप्त होता है: 18, 22, 24, 28, 30, 32। समता 18 पर, स्वतंत्रता 22 पर, शोषण 24 पर, धर्म 28 पर, संस्कृति 30 पर समाप्त होती है, और उपचार 32 है।

झटपट जाँच

1. मौलिक अधिकार किस भाग और किन अनुच्छेदों में हैं?
2. कौन-सा अधिकार हटाया गया, और किस संशोधन से?
3. कौन-से दो न्यायालय मौलिक अधिकार लागू करा सकते हैं, किन अनुच्छेदों के अधीन?

उत्तर: 1. भाग III, अनुच्छेद 12 से 35 · 2. संपत्ति का अधिकार, 44वाँ संशोधन (1978) · 3. उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32), उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)

अनुच्छेद 12 और 13: राज्य कौन है, विधि क्या है

अनुच्छेद 12 'राज्य'
अन्य प्राधिकारी
अनुच्छेद 13(3) 'विधि'
रूढ़ि या प्रथा
13(4)
आच्छादन, पृथक्करणीयता

अधिकार किसी के विरुद्ध दावा होता है। भाग III मुख्यतः **राज्य** के विरुद्ध दावा है, इसलिए अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा व्यापक रखता है। फिर अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार तोड़ने वाली हर विधि को **शून्य** बनाता है; यही **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)** का स्पष्ट आधार है।

★★ **अनुच्छेद 12, 'राज्य'**: **भारत की सरकार और संसद**, **हर राज्य की सरकार और विधानमंडल**, सभी **स्थानीय प्राधिकारी** (नगरपालिकाएँ, पंचायतें) और भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में **अन्य प्राधिकारी**।

★★ **'अन्य प्राधिकारी'**: ऐसे निकाय जो सरकार के उपकरण या अभिकरण हों, जिन्हें वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण से परखा जाता है (अजय हसिया (Ajay Hasia), 1981): जैसे LIC, ONGC और सरकारी कंपनियाँ। BCCI 'राज्य' नहीं है (ज़ी टेलीफ़िल्म्स (Zee Telefilms), 2005), हालाँकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन उस तक पहुँच सकते हैं।

★★ **अनुच्छेद 13(1)**: 26 जनवरी 1950 से पहले लागू विधियाँ मौलिक अधिकारों से टकराने की **सीमा तक** शून्य हैं। **अनुच्छेद 13(2)**: राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इन्हें छीने या कम करे; ऐसी विधि उस सीमा तक शून्य है।

★★★ **अनुच्छेद 13(3), 'विधि'** में **अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना** और भारत में विधि का बल रखने वाली **रूढ़ि या प्रथा** शामिल हैं।

★★★ **अनुच्छेद 13(4)** (24वाँ संशोधन, 1971): अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के लिए **'विधि' नहीं** है। फिर भी मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाने वाले संशोधन रद्द किए जा सकते हैं (केशवानंद भारती, 1973)।

★★ **पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of severability)**: विधि का केवल वह भाग रद्द होता है जो अधिकार का उल्लंघन करता है, यदि उसे बाकी से अलग किया जा सके।

★★ **आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of eclipse)**: अधिकार का उल्लंघन करने वाली 1950 से पहले की विधि मरती नहीं, केवल ढक जाती है; यदि बाद में अधिकार में संशोधन हो जाए, तो विधि फिर जीवित हो जाती है (भीकाजी नारायण (Bhikaji Narain), 1955)।

★ **अधित्यजन नहीं (No waiver)**: व्यक्ति स्वेच्छा से भी अपना मौलिक अधिकार नहीं छोड़ सकता (बशेशर नाथ (Basheshar Nath), 1959)।

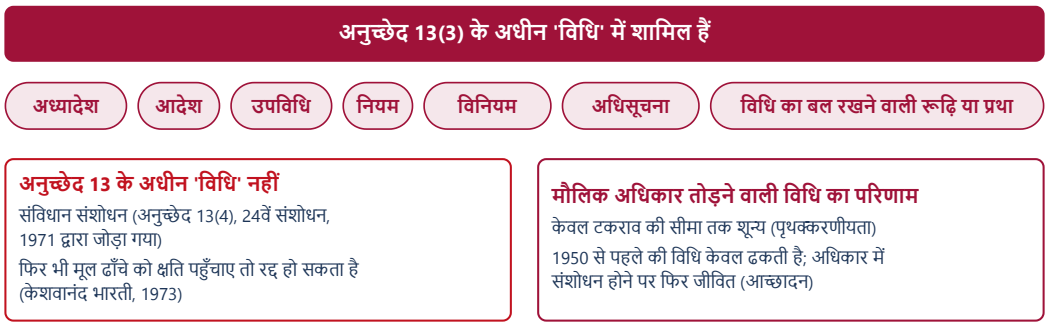

अनुच्छेद 13(3) के अधीन क्या 'विधि' है, क्या नहीं, और मौलिक अधिकार तोड़ने वाली विधि का क्या होता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** विधि का बल रखने वाली **रूढ़ि या प्रथा** अनुच्छेद 13(3) के अधीन 'विधि' है, इसलिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाली रूढ़ि शून्य है। यह कथन कि 'विधि' में अध्यादेश, आदेश, नियम और विनियम आते हैं **पर रूढ़ि नहीं**, **पूरी तरह गलत** है: रूढ़ि उसी खंड में लिखी है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन 'विधि' **नहीं** है।

झटपट जाँच

1. क्या अनुच्छेद 13 की 'विधि' में रूढ़ि या प्रथा शामिल है?
2. कौन-सा खंड कहता है कि संविधान संशोधन 'विधि' नहीं है, और इसे किस संशोधन ने जोड़ा?
3. 1950 से पहले की कोई विधि किसी अधिकार से टकराती है और अधिकार में संशोधन होने पर फिर जीवित हो जाती है। सिद्धांत का नाम बताइए।

उत्तर: 1. हाँ, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (13(3)) · 2. अनुच्छेद 13(4), 24वाँ संशोधन (1971) · 3. आच्छादन का सिद्धांत

समता का अधिकार: अनुच्छेद 14, 15 और 16

अनुच्छेद 14

युक्तियुक्त वर्गीकरण

अनुच्छेद 15 के आधार

अनुच्छेद 16(4), (4A)

इंदिरा साहनी 1992

EWS 10%

समता का अर्थ सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं है; इसका अर्थ है **समान लोगों से समान व्यवहार**, और राज्य किसी ठोस कारण से असमान लोगों से अलग व्यवहार कर सकता है। इसी कारण महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष विधियाँ और आरक्षण समता के अनुच्छेदों के भीतर हैं, उनके विरुद्ध नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 14**: राज्य भारत में **किसी व्यक्ति** को **विधि के समक्ष समता (Equality before law)** (ब्रिटिश विचार, नकारात्मक: कोई विधि से ऊपर नहीं) या **विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of laws)** (अमेरिकी विचार, सकारात्मक: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार) से वंचित नहीं करेगा।

★★ **युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable classification)** की अनुमति है, वर्ग विधान की नहीं। वर्गीकरण **बोधगम्य अंतर (Intelligible differentia)** पर आधारित हो और विधि के उद्देश्य से उसका **तर्कसंगत संबंध (Rational nexus)** हो (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (Anwar Ali Sarkar), 1952)।

★★★ **मनमानापन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है** (ई.पी. रोयप्पा (E.P. Royappa), 1974): कार्यपालिका को **अनियंत्रित और निरंकुश विवेकाधीन शक्ति** देने वाली विधि अनुच्छेद 14 के अधीन रद्द होती है।

★ **अपवाद**: राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं (अनुच्छेद 361); विधायकों को सदन में कही बात के लिए संरक्षण है (अनुच्छेद 105, 194); विदेशी संप्रभु और राजनयिक उन्मुक्ति रखते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 15(1)**: राज्य किसी **नागरिक** से **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान** के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

★★ **अनुच्छेद 15(2)**: इन आधारों पर किसी नागरिक को **दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों** और सार्वजनिक समागम स्थलों से रोका नहीं जा सकता; यह **निजी व्यक्तियों** पर भी लागू है।

★★ **अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों** के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है; **15(4)** सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (**पहला (1st) संशोधन, 1951**, चंपकम दोरैराजन (Champakam Dorairajan) मामले के बाद); **15(5)** शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, निजी संस्थाओं सहित पर अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर (**93वाँ संशोधन, 2005**); **15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10%** तक (**103वाँ संशोधन, 2019**, जनहित अभियान (Janhit Abhiyan) में नवंबर 2022 में वैध ठहराया गया)।

★★★ **अनुच्छेद 16(1), (2)**: **नागरिकों** के लिए **लोक नियोजन** में अवसर की समता; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, **उद्भव**, जन्मस्थान या **निवास** के आधार पर भेदभाव नहीं।

★★ **अनुच्छेद 16(3)**: केवल **संसद** किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कुछ नौकरियों के लिए **निवास** की शर्त विहित कर सकती है।

★★★ **अनुच्छेद 16(4)**: पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण। **16(4A)**: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए **पदोन्नति** में आरक्षण (**77वाँ संशोधन, 1995**), परिणामी वरिष्ठता के साथ (85वाँ, 2001)। **16(4B)**: न भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ 50% की सीमा से बाहर आगे ले जाई जाती हैं (81वाँ, 2000)। **16(5)**: धार्मिक निकायों के पद उसी धर्म के सदस्यों को दिए जा सकते हैं। **16(6)**: EWS, 10% तक (103वाँ)।

★★★ **इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) (1992, मंडल मामला)**: **OBC के लिए 27% आरक्षण** वैध ठहराया, **क्रीमी लेयर** को बाहर किया, कुल आरक्षण पर सामान्य नियम के रूप में **50% की सीमा** तय की, और पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई (जिसे बाद में 77वें संशोधन ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बहाल किया)।

★★ **बाद के मामले**: एम. नागराज (M. Nagaraj) (2006) ने शर्तों के साथ अनुच्छेद 16(4A) को वैध ठहराया; **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (Davinder Singh) (1 अगस्त 2024)** ने राज्यों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों का **उप-वर्गीकरण** करने की अनुमति दी।

★★ **अनुच्छेद 335** (भाग XVI): सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर **प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति में** विचार किया जाएगा। न्यायालय अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) को इससे सीमित मानते हैं। संविधान 'प्रशासन की दक्षता' को **परिभाषित नहीं** करता; 82वें संशोधन (2000) ने पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अर्हक अंकों में छूट की अनुमति दी।

वे आधार जिन पर भेदभाव वर्जित है

	अनु. 15(1): राज्य कार्य	अनु. 16(2): सरकारी नौकरी	अनु. 29(2): राज्य-सहायित शिक्षा
धर्म	●	●	●
मूलवंश	●	●	●
जाति	●	●	●
लिंग	●	●	—
जन्मस्थान	●	●	—
उद्भव	—	●	—
निवास	—	●	—
भाषा	—	—	●

भरा बिंदु: आधार उस खंड में है। डैश: नहीं है।

वे आधार जिन पर भेदभाव वर्जित है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 के पाँच आधारों में 'उद्भव' और 'निवास' जोड़ता है; राज्य-सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश से जुड़ा अनुच्छेद 29(2) 'भाषा' जोड़ता है।

याद रखें: अनुच्छेद 15 = 'RRCSP': Religion (धर्म), Race (मूलवंश), Caste (जाति), Sex (लिंग), Place of birth (जन्मस्थान)। **अनुच्छेद 16 = RRCSP + D + R**: Descent (उद्भव) और Residence (निवास)। सोलह, पंद्रह से दो आधार बड़ा है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 14 **हर व्यक्ति** (विदेशी नागरिक या कंपनी भी) की रक्षा करता है; अनुच्छेद 15 और 16 केवल **नागरिकों** की। 'भाषा' अनुच्छेद 15 या 16 में आधार नहीं है।

झटपट जाँच

1. कोई विधि किसी अधिकारी को अनियंत्रित, निरंकुश विवेक देती है। यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है?
2. अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 के आधारों में कौन-से दो आधार जोड़ता है?
3. उस 1992 के मामले का नाम बताइए जिसने 50% की सीमा तय की और क्रीमी लेयर को बाहर किया।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 14 · 2. उद्भव और निवास · 3. इंदिरा साहनी (मंडल मामला)

अनुच्छेद 17 और 18: अस्पृश्यता और उपाधियाँ

अनुच्छेद 17

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

अनुच्छेद 18

सेना, विद्या संबंधी

बालाजी राघवन 1996

संविधान ने स्वयं दो सामाजिक बुराइयों का अंत किया: अस्पृश्यता, जो समान गरिमा से वंचित करती थी, और राय बहादुर जैसी वंशानुगत उपाधियाँ, जो नागरिकों में कृत्रिम दर्जे बनाती थीं। दोनों **समता के अधिकार** में हैं।

★★★ **अनुच्छेद 17**: **अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत** किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है; इससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय **अपराध** है। यह **समता के अधिकार** में आता है।

पद्म पुरस्कार

★★ **परिभाषित नहीं**: 'अस्पृश्यता' शब्द न संविधान में परिभाषित है न अधिनियम में। **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (Untouchability (Offences) Act) 1955** का नाम 1976 में बदलकर **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act)** किया गया; **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC and ST (Prevention of Atrocities) Act) 1989** और संरक्षण देता है।

★★ **निरपेक्ष अधिकार**: अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है और यह **निजी व्यक्तियों** पर भी लागू होता है।

★★★ **अनुच्छेद 18(1)**: राज्य **सेना या विद्या संबंधी सम्मान** के सिवाय **कोई उपाधि** नहीं देगा। **18(2)**: कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

★ **अनुच्छेद 18(3), (4)**: राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले विदेशी को विदेशी उपाधि स्वीकार करने के लिए **राष्ट्रपति की सहमति** चाहिए, और ऐसे पद का कोई धारक उस सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं कर सकता।

★★★ **राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं** (बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (Balaji Raghavan v Union of India), 1996): भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री वैध हैं, पर इन्हें नाम के **आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता**।

★★ **पुरस्कार तथ्य**: **1954** में शुरू; **दो बार** स्थगित, 1977 से 1980 और 1992 से 1995। भारत रत्न सामान्यतः एक वर्ष में अधिकतम **तीन** व्यक्तियों को दिया जाता है; 2024 में पाँच की घोषणा हुई।

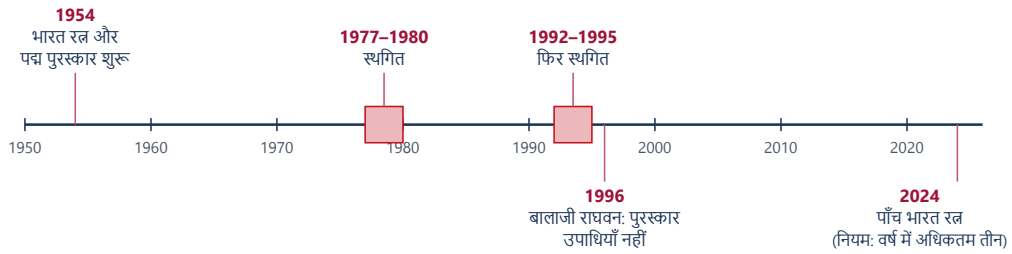

पैमाने पर बनी समयरेखा पर राष्ट्रीय पुरस्कार: 1954 में शुरू, 1977 से 1980 और फिर 1992 से 1995 तक स्थगित, 1996 में अनुच्छेद 18 के अधीन उपाधियाँ नहीं माने गए।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अस्पृश्यता **समता के अधिकार** (अनुच्छेद 17) में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं। 'पद्म पुरस्कार केवल एक बार स्थगित हुए' और 'एक वर्ष में पाँच तक भारत रत्न' दोनों कथन गलत हैं।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, और किस श्रेणी के अधिकारों में?
2. अनुच्छेद 18 के अधीन राज्य अब भी कौन-से सम्मान दे सकता है?
3. क्या पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 द्वारा वर्जित 'उपाधियाँ' हैं?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 17; समता का अधिकार · 2. सेना और विद्या संबंधी · 3. नहीं (बालाजी राघवन, 1996), पर नाम के आगे या पीछे नहीं लगाए जा सकते

अनुच्छेद 19: नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 19(1)(a) से (g)

केवल नागरिक

19(2) के आधार

नवीन जिंदल 2004

अनुच्छेद 19 नागरिकों को वे स्वतंत्रताएँ देता है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं: बोलना, मिलना, संगठन बनाना, घूमना, बसना और जीविका कमाना। हर स्वतंत्रता के साथ एक खंड है जो उन **एकमात्र आधारों** की सूची देता है जिन पर राज्य उसे सीमित कर सकता है, और हर निर्बंधन **युक्तियुक्त** होना चाहिए।

श्रेया सिंघल 2015

युक्तियुक्त निर्बंधन

अनुच्छेद 19(1) की छह स्वतंत्रताएँ ★★★

खंड	स्वतंत्रता	निर्बंधन खंड
19(1)(a)	वाक् और अभिव्यक्ति	19(2)
19(1)(b)	शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन	19(3)
19(1)(c)	संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाना	19(4)
19(1)(d)	भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण	19(5)
19(1)(e)	भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बस जाना	19(5)
19(1)(g)	कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करना	19(6)

★★★ **केवल नागरिक**: विदेशी अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकते। इसलिए भारत में रह रहे **ब्रिटिश नागरिक** को व्यापार या वृत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, हालाँकि उसे विधि के समक्ष समता और प्राण तथा स्वतंत्रता का अधिकार है।

★★ **परिवर्तन**: **19(1)(f)**, संपत्ति का अधिकार, **44वें संशोधन (1978)** ने हटाया; 19(1)(c) में '**सहकारी समितियाँ**' **97वें संशोधन (2011)** ने जोड़ा; '**भारत की संप्रभुता और अखंडता**' आधार **16वें संशोधन (1963)** ने जोड़ा; 'लोक व्यवस्था', 'मैत्रीपूर्ण संबंध' और 'उद्दीपन' **पहले (1st) संशोधन (1951)** ने।

★★ **वाक् स्वतंत्रता के लिए 19(2) के आधार**: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उद्दीपन।

★★★ **वाक् और अभिव्यक्ति में शामिल हैं**: **प्रेस** की स्वतंत्रता (रोमेश थापर (Romesh Thappar), 1950; प्रेस के लिए अलग खंड नहीं है), **सूचना का अधिकार** (राज नारायण (Raj Narain), 1975), अपने भवन पर अभिव्यक्ति के रूप में **राष्ट्रीय ध्वज फहराने** का अधिकार (**भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (Naveen Jindal), 2004**), **मौन रहने का अधिकार** (बिजो इमैनुएल (Bijoe Emmanuel), 1986), वाणिज्यिक विज्ञापन और **इंटरनेट** पर अभिव्यक्ति (अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin), 2020)।

★★★ **श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) (2015)**: IT अधिनियम की **धारा 66A**, जो अस्पष्ट रूप से 'आपत्तिजनक' ऑनलाइन पोस्ट को दंडित करती थी, 19(1)(a) का उल्लंघन मानकर रद्द की गई।

★★ **चुनावी बॉन्ड** (ADR बनाम भारत संघ, **15 फ़रवरी 2024**): यह योजना रद्द की गई क्योंकि यह 19(1)(a) के अधीन मतदाताओं के **सूचना के अधिकार** का उल्लंघन करती थी।

★★ **राजद्रोह**: IPC की धारा 124A को उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में स्थगित रखा; **भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023** (**1 जुलाई 2024** से लागू) में राजद्रोह नाम का कोई अपराध नहीं है; इसकी धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है।

★★ **सीमाएँ**: **हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं** है (टी.के. रंगराजन (T.K. Rangarajan), 2003); विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर हों, सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चित काल तक कब्ज़ा करके नहीं (अमित साहनी (Amit Sahni), 2020)।

★★★ **युक्तियुक्तता**: निर्बंधन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और **आम जनता के हित** के बीच **संतुलन** बनाना चाहिए (मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो (V.G. Row), 1952)। न्यायालय उद्देश्य, हानि की सीमा और **प्रचलित सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं** को तौलते हैं; किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि को सरलता से युक्तियुक्त माना जाता है, पर निदेशक तत्वों के सहारे मौलिक अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

	(a) वाक्, अभिव्यक्ति	(b) सम्मेलन	(c) संगम	(d) संचरण	(e) निवास	(g) वृत्ति, व्यापार
भारत की संप्रभुता और अखंडता	●	●	●			
राज्य की सुरक्षा	●					
विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध	●					
लोक व्यवस्था	●	●	●			
शिष्टाचार या सदाचार	●		●			
अवमानना, मानहानि, उद्दीपन	●					
आम जनता के हित				●	●	●
अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण				●	●	
योग्यताएँ; राज्य का एकाधिकार						●

भरा बिंदु: उस आधार पर राज्य वह स्वतंत्रता सीमित कर सकता है (खंड 19(2) से 19(6))। खंड (f), संपत्ति, 1978 में हटा।

कौन-सा आधार किस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। वाक् की सूची सबसे लंबी है (19(2)); संचरण और निवास को आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए सीमित किया जा सकता है; व्यापार के लिए योग्यता माँगी जा सकती है या उसे राज्य के एकाधिकार के लिए जगह छोड़नी पड़ सकती है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना **अनुच्छेद 19(1)(a)** के अधीन अधिकार है, अनुच्छेद 14 या 21 के अधीन नहीं। **प्रेस की स्वतंत्रता** अलग से नहीं लिखी है; यह 19(1)(a) का भाग है।

याद रखें: छह स्वतंत्रताएँ, एक नागरिक का एक दिन: **बोलो** (a), **मिलो** (b), **जुड़ो** (c), **घूमो** (d), **बसो** (e), **कमाओ** (g)। छूटा अक्षर (f) संपत्ति है, जो 1978 में हटी।

झटपट जाँच

1. क्या कोई विदेशी नागरिक अनुच्छेद 19 के अधीन व्यापार की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है?
2. निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस खंड से संरक्षित है?
3. किस 2015 के मामले ने IT अधिनियम की धारा 66A रद्द की?

उत्तर: 1. नहीं; अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए है · 2. अनुच्छेद 19(1)(a) (नवीन जिंदल, 2004) · 3. श्रेया सिंघल

अनुच्छेद 20 और 22: दोषसिद्धि, गिरफ़्तारी और निरोध

कार्योत्तर विधि

दोहरा दंड

आत्म-अभिशंसन

24 घंटे

निवारक निरोध

सलाहकार बोर्ड

ये अनुच्छेद राज्य की सबसे कड़ी शक्ति, यानी गिरफ़्तार करने, अभियोजन चलाने और दंड देने की शक्ति, के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 20 किसी अपराध के अभियुक्त की रक्षा करता है; अनुच्छेद 22 गिरफ़्तार या निरुद्ध व्यक्ति की। ये **हर व्यक्ति** की रक्षा करते हैं, केवल नागरिकों की नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 20(1), कार्योत्तर (Ex post facto) आपराधिक विधि नहीं**: ऐसे कार्य के लिए दोषसिद्धि नहीं जो करते समय अपराध नहीं था, और उस समय की विधि से अधिक दंड नहीं। यह केवल **आपराधिक** विधियों पर लागू है; सिविल और कर विधियाँ भूतलक्षी हो सकती हैं।

★★★ **अनुच्छेद 20(2), दोहरा दंड (Double jeopardy) नहीं**: किसी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार **अभियोजित और दंडित** नहीं किया जाएगा। यह न्यायालयों और न्यायिक अधिकरणों पर लागू है, विभागीय जाँच पर नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 20(3), आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination) नहीं**: किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य पर लागू है, उँगलियों के निशान, रक्त या हस्तलेख के नमूनों पर नहीं (काठी कालू ओघड़ (Kathi Kalu Oghad), 1961)। ज़बरदस्ती किए गए **नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग** परीक्षण इसका उल्लंघन हैं (सेल्वी (Selvi), 2010)।

★★ **अनुच्छेद 20 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता** (44वाँ संशोधन)।

★★★ **अनुच्छेद 22(1), (2), सामान्य गिरफ़्तारी**: व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ़्तारी के **आधार** बताए जाएँ; वह अपनी पसंद के **वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा** करा सकता है; उसे यात्रा का समय छोड़कर **24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट** के सामने पेश करना होगा; और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023 (जिसने 1 जुलाई 2024 से CrPC का स्थान लिया) 24 घंटे का नियम दोहराती है।

★★ **अनुच्छेद 22(3)**: ये सुरक्षाएँ **शत्रु विदेशी (Enemy alien)** या **निवारक निरोध** विधि के अधीन रखे गए व्यक्ति पर लागू **नहीं** होतीं।

★★★ **निवारक निरोध (Preventive detention)**: बिना मुकदमे के निरोध, ताकि व्यक्ति भविष्य में कुछ न कर सके। **सलाहकार बोर्ड (Advisory Board)** (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य सदस्य) पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे तो **3 महीने** से अधिक निरोध नहीं; आधार बताए जाएँ (लोकहित के विरुद्ध तथ्यों को छोड़कर) और निरुद्ध व्यक्ति **अभ्यावेदन** कर सकता है।

★★ **44वाँ संशोधन (1978)** इस अवधि को घटाकर 2 महीने करता, पर वह खंड **कभी लागू नहीं किया गया**।

★★ **कौन विधि बना सकता है**: रक्षा, विदेश मामलों और भारत की सुरक्षा के लिए **केवल संसद**; राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति के लिए संसद और राज्य दोनों। उदाहरण: **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) 1980**, **COFEPOSA 1974**।

अपराध के लिए गिरफ़्तारी और निवारक निरोध पर अनुच्छेद 22 के अधीन अलग-अलग सुरक्षाएँ लागू होती हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 20(3) **गवाही के लिए बाध्य किए जाने** से रक्षा करता है, उँगलियों के निशान या रक्त देने से नहीं। दोहरे दंड के लिए पहले **अभियोजन और दंड** दोनों आवश्यक हैं; दोषमुक्ति या विभागीय दंड मुकदमे को नहीं रोकता।

☑ झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 20 के तीन संरक्षण बताइए।
2. गिरफ़्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा?
3. कितनी अवधि से अधिक निवारक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट चाहिए?

उत्तर: 1. कार्योत्तर आपराधिक विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं, आत्म-अभिशंसन नहीं · 2. 24 घंटे, यात्रा का समय छोड़कर · 3. 3 महीने

अनुच्छेद 21 और 21A: प्राण, स्वतंत्रता और शिक्षा

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

मेनका गांधी 1978

सम्यक प्रक्रिया

पुट्टास्वामी 2017

अनुच्छेद 21 एक वाक्य है: किसी व्यक्ति को उसके **प्राण या दैहिक स्वतंत्रता** से **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)** के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 1950 में न्यायालय ने इसे संकीर्ण रूप में पढ़ा; 1978 से प्रक्रिया का **उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त** होना ज़रूरी है, और 'प्राण' का अर्थ है **गरिमापूर्ण जीवन**। तब से अधिकतर नए अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर ही खोजे गए हैं।

★★ **ए.के. गोपालन (A.K. Gopalan) (1950)**: संकीर्ण दृष्टि: वैध विधि में दी गई कोई भी प्रक्रिया पर्याप्त है, और अनुच्छेद 19, 21 और 22 अलग-अलग पढ़े जाते हैं।

★★★ **मेनका गांधी (Maneka Gandhi) (1978)**: प्रक्रिया **उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त** हो, मनमानी नहीं; अनुच्छेद 14, 19 और 21 साथ पढ़े जाते हैं ('स्वर्णिम त्रिभुज')। व्यवहार में भारत **सम्यक प्रक्रिया (Due process)** के निकट आ गया।

★★★ **दो वाक्यांश**: '**विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया**' **जापान** के संविधान से आया है और केवल यह पूछता है कि वैध विधि का पालन हुआ या नहीं; '**विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process of law)**' **अमेरिका** से आया है और न्यायालयों को यह परखने देता है कि विधि और उसकी प्रक्रिया उचित हैं या नहीं, यानी वे **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों** पर खरी उतरती हैं या नहीं।

★★★ **निजता का अधिकार (Right to privacy)**: **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v Union of India) (24 अगस्त 2017)**, नौ न्यायाधीश, सर्वसम्मत: निजता **अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता** तथा भाग III की स्वतंत्रताओं का अभिन्न अंग है। इसी से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) 2023 बना।

★★★ **अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21** का भाग है (शफ़ीन जहाँ (Shafin Jahan), 2018, हादिया मामला)।

★★★ **अनुच्छेद 21 में पढ़े गए अन्य अधिकार**: गरिमा; **आजीविका** (ओल्गा टेलिस (Olga Tellis), 1985); **शीघ्र विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता** (हुसैनारा खातून (Hussainara Khatoon), 1979); स्वच्छ पर्यावरण और जल; आश्रय; **आपातकालीन चिकित्सा सहायता** (परमानंद कटारा (Parmanand Katara), 1989); हिरासत में यातना के विरुद्ध और गिरफ़्तारी के दिशानिर्देशों के साथ (डी.के. बसु (D.K. Basu), 1997); **नींद** (रामलीला मैदान, 2012); **विदेश यात्रा** (मेनका गांधी); **गरिमा से मरना**, निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल (कॉमन कॉज़ (Common Cause), 2018); **जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों** के विरुद्ध (एम.के. रंजीतसिंह (M.K. Ranjitsinh), 2024)।

★★ **नवतेज सिंह जौहर (Navtej Singh Johar) (2018)**: वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अधीन अपराध नहीं रहे (धारा 377 को सीमित किया गया)। **सुप्रियो चक्रवर्ती (Supriyo Chakraborty) (अक्टूबर 2023)**: समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है; यह विषय संसद का है।

★★ **ADM जबलपुर (ADM Jabalpur) (1976)** ने कहा था कि आपातकाल में अनुच्छेद 21 के लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता; पुट्टास्वामी (2017) ने इसे गलत निर्णय घोषित किया, और 44वाँ संशोधन पहले ही अनुच्छेद 20 और 21 को अनिलंबनीय बना चुका था।

★★★ **अनुच्छेद 21A**: राज्य **6 से 14** वर्ष के सभी बच्चों को, विधि द्वारा तय रीति से, **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** देगा। **86वें संशोधन (2002)** से जोड़ा गया; **RTE अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010** से लागू हुआ। यह निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में **25%** सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करता है; अल्पसंख्यक विद्यालय इससे मुक्त हैं (प्रमति (Pramati), 2014)।

★ **86वें संशोधन** ने अनुच्छेद 45 भी फिर से लिखा (6 वर्ष से कम आयु के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख) और माता-पिता के लिए मौलिक कर्तव्य 51A(k) जोड़ा।

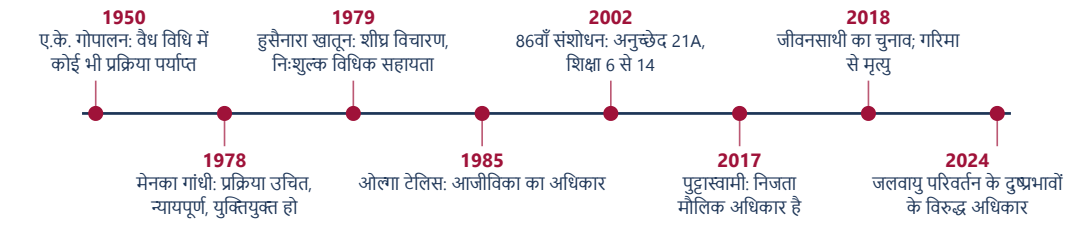

अनुच्छेद 21 कैसे बढ़ा: 'वैध विधि में कोई भी प्रक्रिया' (1950) से लेकर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में पढ़े गए अधिकारों की लंबी सूची तक।

याद रखें: मेनका ने अनुच्छेद 21 को 'FJR' बनाया: Fair, Just, Reasonable (उचित, न्यायपूर्ण, युक्तियुक्त)। गोपालन ने इसे नियम-पुस्तिका की तरह पढ़ा; मेनका ने एक वचन की तरह।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** निजता और जीवनसाथी का चुनाव **अनुच्छेद 21** से संरक्षित हैं, अनुच्छेद 19, 15 या 25 से नहीं। मूल रूप में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' का अर्थ **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत** है, केवल 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अधीन रखा है?
2. किस 1978 के मामले ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो?
3. अनुच्छेद 21A: कौन-सी आयु, कौन-सा संशोधन?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 21 (पुट्टास्वामी, 2017) · 2. मेनका गांधी · 3. 6 से 14 वर्ष; 86वाँ संशोधन (2002)

शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23 और 24

अनुच्छेद 23

बेगार, दुर्व्यापार

न्यूनतम मज़दूरी

अनुच्छेद 23(2)

अनुच्छेद 24: 14 से कम

ये दो अनुच्छेद किसी के भी द्वारा, चाहे राज्य हो या निजी नियोक्ता, किए जाने वाले शोषण को लक्ष्य करते हैं: मनुष्यों की खरीद-बिक्री, उनसे बिना मज़दूरी काम कराना, और छोटे बच्चों को खतरनाक काम में लगाना।

★★★ **अनुच्छेद 23(1)**: **मानव दुर्व्यापार (Traffic in human beings)**, **बेगार** (बिना मज़दूरी के ज़बरन काम) और **बलात् श्रम** के अन्य रूपों का प्रतिषेध करता है; इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय **अपराध** है। यह नागरिकों और विदेशियों की, राज्य और **निजी व्यक्तियों** दोनों के विरुद्ध, रक्षा करता है।

★★ **न्यूनतम मज़दूरी से कम देना** अनुच्छेद 23 के अधीन बलात् श्रम है (PUDR बनाम भारत संघ, 1982, एशियाड श्रमिक मामला)।

★★ **अनुच्छेद 23(2)**: राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना **सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा**, जैसे सैन्य या सामाजिक सेवा, लगा सकता है।

★★ **विधियाँ**: अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (Immoral Traffic (Prevention) Act) 1956; **बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम (Bonded Labour System (Abolition) Act) 1976**।

★★★ **अनुच्छेद 24**: **14 वर्ष से कम** आयु के किसी बच्चे को किसी **कारखाने, खान** या अन्य **परिसंकटमय** नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

★★ **बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम (Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act) 1986, 2016** में संशोधित: 14 वर्ष से कम का कोई बच्चा **किसी भी** व्यवसाय में नहीं (विद्यालय के बाद पारिवारिक उद्यम में मदद या बाल कलाकार को छोड़कर), और 14 से 18 वर्ष का कोई किशोर खतरनाक काम में नहीं।

★★★ **इस श्रेणी में क्या नहीं है**: अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17, समता का अधिकार) और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)।

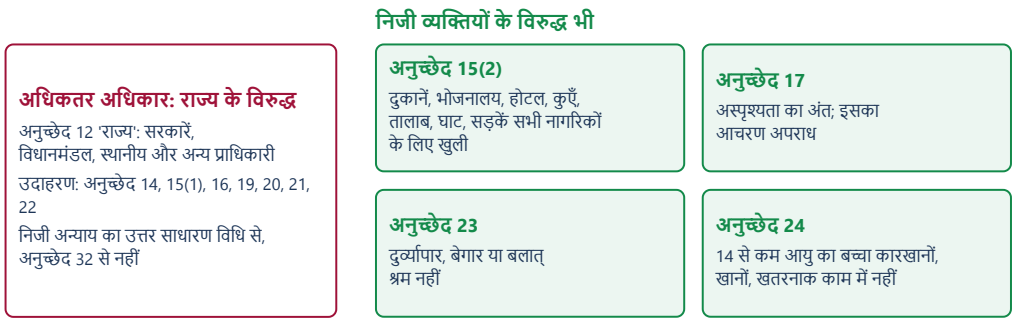

अधिकतर मौलिक अधिकार केवल राज्य को रोकते हैं। चार निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं: अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24।

💡 **याद रखें: 23 = श्रम में न व्यापार, न फँसाव (no Trading, no Trapping); 24 = 14 से कम कोई बच्चा नहीं।** दोनों संख्याएँ पास-पास हैं, जैसे 14 वर्ष और 24।

झटपट जाँच

1. कौन-से दो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाते हैं?
2. अनुच्छेद 24 किस आयु से कम के बच्चों का कारखानों और खानों में नियोजन रोकता है?
3. वे चार अधिकार बताइए जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 23 और 24 · 2. 14 वर्ष · 3. अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24

धर्म की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25 से 28

अनुच्छेद 25: अंतःकरण

प्रचार ≠ धर्मांतरण

अनुच्छेद 26: संप्रदाय

अनुच्छेद 27: कोई कर नहीं

अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा

भारतीय पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का **अपना कोई धर्म नहीं** है और वह सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है, फिर भी वह धार्मिक गतिविधि के **लौकिक** पक्ष का विनियमन और **सामाजिक सुधार** कर सकता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के लिए है, अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों के लिए, अनुच्छेद 27 करदाता के लिए और अनुच्छेद 28 कक्षा के लिए।

★★★ **अनुच्छेद 25(1)**: सभी **व्यक्तियों** को **अंतःकरण (Conscience)** की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से **मानने, आचरण करने और प्रचार करने** का अधिकार है, **लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य** और भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन।

★★ **प्रचार धर्मांतरण नहीं है**: अपने धर्म के प्रसार के अधिकार में किसी दूसरे का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है (रेव. स्टैनिस्लॉस (Rev. Stainislaus), 1977); बल या छल से धर्मांतरण के विरुद्ध विधियाँ वैध ठहराई गईं।

★★ **अनुच्छेद 25(2)**: राज्य धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य **लौकिक** गतिविधियों का विनियमन कर सकता है, सामाजिक कल्याण और सुधार कर सकता है, और **सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं** को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। स्पष्टीकरण I: **कृपाण** धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। स्पष्टीकरण II: इस खंड के लिए हिंदुओं में **सिख, जैन और बौद्ध** शामिल हैं।

★ **अनिवार्य धार्मिक आचरण** की कसौटी: केवल धर्म के लिए अनिवार्य आचरणों को संरक्षण मिलता है (शिरूर मठ (Shirur Mutt), 1954)।

★★★ **अनुच्छेद 26**: हर **धार्मिक संप्रदाय (Religious denomination)** धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित कर उनका पोषण कर सकता है, धर्म के विषयों में अपने कार्यों का प्रबंध कर सकता है, और विधि के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व, अर्जन और प्रशासन कर सकता है; लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन।

★★★ **अनुच्छेद 27**: किसी व्यक्ति को ऐसे **कर** देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण में लगे। किसी सेवा के लिए **शुल्क** लिया जा सकता है।

★★★ **अनुच्छेद 28**: **पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित** संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं; यह उस संस्था पर लागू नहीं जिसका प्रशासन राज्य करता है पर जो ऐसे न्यास के अधीन स्थापित है जो ऐसी शिक्षा की अपेक्षा करता है; राज्य से **मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त** संस्थाओं में किसी को उसकी सहमति (अवयस्क के लिए संरक्षक की सहमति) के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

★★ **बिजो इमैनुएल (1986)**: जो बच्चे धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहे पर गाया नहीं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता (अनुच्छेद 19(1)(a) और 25)।

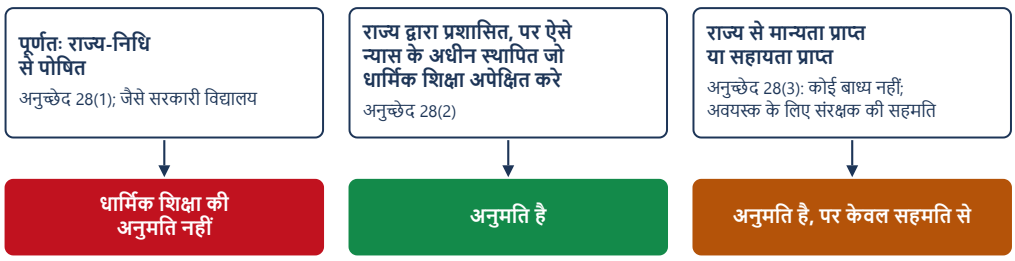

अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं को तीन प्रकारों में बाँटता है; धार्मिक शिक्षा की अनुमति इस पर निर्भर है कि खर्च कौन उठाता है और संस्था की स्थापना किसने की।

याद रखें: 25 व्यक्ति, 26 समूह, 27 बटुआ, 28 कक्षा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 25 हर **व्यक्ति** की रक्षा करता है, अनुच्छेद 26 **संप्रदाय** की। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के लिए **कर** को रोकता है, **शुल्क** को नहीं।

झटपट जाँच

1. धर्म की स्वतंत्रता को किन तीन आधारों पर सीमित किया जा सकता है?
2. क्या प्रचार के अधिकार में दूसरों का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल है?
3. किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह वर्जित है?

उत्तर: 1. लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य · 2. नहीं (रेव. स्टैनिस्लॉस, 1977) · 3. जो पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित हैं (अनुच्छेद 28(1))

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार: अनुच्छेद 29 और 30

अनुच्छेद 29(1)

अनुच्छेद 29(2)

अनुच्छेद 30(1)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक

15-सूत्री कार्यक्रम

अनुच्छेद 331, 2020 में समाप्त

बहुमत के मत से चलने वाले लोकतंत्र में यह गारंटी चाहिए कि छोटे समूह अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति न खोएँ। अनुच्छेद 29 विशिष्ट संस्कृति वाले **नागरिकों के किसी भी अनुभाग** की रक्षा करता है; अनुच्छेद 30 **अल्पसंख्यकों** को अपने विद्यालय और महाविद्यालय चलाने देता है।

★★ **अनुच्छेद 29(1)**: विशिष्ट **भाषा, लिपि या संस्कृति** वाले **नागरिकों के किसी भी अनुभाग** को उसे **बनाए रखने** का अधिकार है। यह अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक समूहों पर भी लागू है।

★★★ **अनुच्छेद 29(2)**: राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी संस्था में किसी **नागरिक** को केवल **धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा** के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

★★★ **अनुच्छेद 30(1)**: **धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों** को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की **स्थापना और प्रशासन** का अधिकार है।

★★ **अनुच्छेद 30(1A)** (44वाँ संशोधन): यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति अर्जित करे, तो प्रतिकर ऐसा हो कि अधिकार निष्फल न हो। **अनुच्छेद 30(2)**: अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जाने के कारण किसी संस्था से अनुदान में भेदभाव नहीं।

★★ **अल्पसंख्यक** संविधान में परिभाषित नहीं है; इसका निर्णय **राज्य-दर-राज्य** होता है (टी.एम.ए. पई (T.M.A. Pai), 2002)। फिर भी राज्य मानकों, शुल्क और प्रवेश का विनियमन कर सकता है (पी.ए. इनामदार (P.A. Inamdar), 2005)।

★★★ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (National Commission for Minorities Act) 1992 के अधीन अधिसूचित **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक**: **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी** (1993) और **जैन** (2014)। लाभों में अनुच्छेद 30 की संस्थाएँ और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए **प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम** (2006) जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

★★★ किसी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए **लोक सभा में कोई नामांकन नहीं**। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकतम दो **आंग्ल-भारतीयों** को नामित करने देता था; यह उपबंध **25 जनवरी 2020** को समाप्त हो गया क्योंकि **104वें संशोधन (2019)** ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।

	अनुच्छेद 29	अनुच्छेद 30
किसके पास	विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाला नागरिकों का कोई भी अनुभाग	धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक
क्या देता है	उस भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार; धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य-पोषित या सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश से इनकार नहीं	अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने का अधिकार; अनुदान में कोई भेदभाव नहीं
बहुसंख्यक भी?	हाँ, नागरिकों का कोई भी अनुभाग	नहीं, केवल अल्पसंख्यक
केवल नागरिक?	हाँ	हाँ; अल्पसंख्यक कौन है, यह राज्य-दर-राज्य तय होता है

अनुच्छेद 29 बनाम अनुच्छेद 30: हर अधिकार किसके पास है और वह क्या देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अधिसूचित अल्पसंख्यक होने से लोक सभा में अपने-आप कोई सीट या नामांकन **नहीं** मिलता; इससे अनुच्छेद 30 की संस्थाएँ और 15-सूत्री कार्यक्रम जैसी कल्याण योजनाएँ मिलती हैं।

☑ **झटपट जाँच**

1. कौन-सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने देता है?
2. अनुच्छेद 29(2) किन चार आधारों पर प्रवेश से इनकार रोकता है?
3. छह अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के नाम बताइए।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 30(1) · 2. धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा · 3. मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन

संपत्ति और व्यावृत्ति खंड: अनुच्छेद 31, 31A से 31C

अनुच्छेद 300A
44वाँ संशोधन
अनुच्छेद 31A, 31B
नौवीं अनुसूची
अनुच्छेद 31C
आई.आर. कोएल्हो 2007

संपत्ति का अधिकार शुरू से भूमि सुधार से टकराया। संसद सुधार विधियों को न्यायालयों से बचाने के लिए संविधान में संशोधन करती रही, न्यायालय उन संशोधनों को परखते रहे, और 1978 में संपत्ति भाग III से पूरी तरह बाहर हो गई।

★★ **1950 में** संपत्ति **अनुच्छेद 19(1)(f)** और **अनुच्छेद 31** के अधीन मौलिक अधिकार थी।

★★★ **44वें संशोधन (1978)** ने दोनों को निरसित किया। संपत्ति अब भाग XII में **अनुच्छेद 300A के अधीन संवैधानिक (विधिक) अधिकार** है: 'किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।' यह केवल नागरिकों का नहीं, **हर व्यक्ति** का अधिकार है, और इसका उपचार अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में है, अनुच्छेद 32 में नहीं।

★★ **केवल विधि संपत्ति ले सकती है**, मात्र कार्यपालिका आदेश नहीं; उच्चतम न्यायालय ने इसे मानवाधिकार भी कहा है (विद्या देवी (Vidya Devi), 2020)।

★★ **अनुच्छेद 31A** (पहला (1st) संशोधन, 1951): संपदाओं के अर्जन और ऐसे ही सुधारों की विधियों को अनुच्छेद 14 और 19 के अधीन चुनौती से बचाता है।

★★★ **अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)** (पहला (1st) संशोधन, 1951): नौवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। **आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho) (2007): 24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा हो सकती है यदि वे मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ।

★★★ **अनुच्छेद 31C** (25वाँ संशोधन, 1971): **अनुच्छेद 39(b) और (c)** को लागू करने वाली विधियों को अनुच्छेद 14 या 19 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संशोधन ने इसे सभी निदेशक तत्वों तक फैलाया; **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने वह विस्तार रद्द कर दिया।

★★ **गोलकनाथ (Golaknath) (1967)** ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती; **24वें संशोधन (1971)** ने इसे उलटा, और **केशवानंद भारती (1973)** में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से निर्णय दिया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर मूल ढाँचे में नहीं।

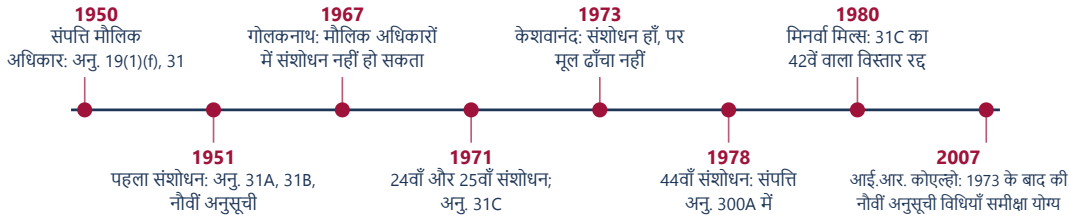

संपत्ति और व्यावृत्ति खंडों की कहानी: 1950 में मौलिक अधिकार से 1978 में अनुच्छेद 300A तक, और 2007 में नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा तक।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** आज संपत्ति **न मौलिक अधिकार है न केवल नागरिकों का अधिकार**: यह अनुच्छेद 300A के अधीन **किसी भी व्यक्ति** का विधिक (संवैधानिक) अधिकार है।

☑ झटपट जाँच

1. आज संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन संरक्षित है, और किसके लिए?
2. किस संशोधन ने अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची बनाई?
3. किस तिथि के बाद जोड़ी गई नौवीं अनुसूची की विधियों की समीक्षा हो सकती है (आई.आर. कोएल्हो)?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 300A; हर व्यक्ति · 2. पहला (1st) संशोधन (1951) · 3. 24 अप्रैल 1973

संवैधानिक उपचारों का अधिकार: अनुच्छेद 32 और 226

अनुच्छेद 32

हृदय और आत्मा

अनुच्छेद 226: कोई अन्य प्रयोजन

जनहित याचिका

अनुच्छेद 139

मूल ढाँचा

उपचार के बिना अधिकार केवल एक वादा है। अनुच्छेद 32 **उपचार को ही मौलिक अधिकार** बनाता है: जिसका मौलिक अधिकार टूटे, वह सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। आंबेडकर (Ambedkar) ने इसे संविधान का **हृदय और आत्मा** कहा।

★★★ **अनुच्छेद 32(1)**: मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा **उच्चतम न्यायालय** जाने का अधिकार **प्रत्याभूत** है। आंबेडकर: यह 'संविधान की आत्मा और उसका हृदय' है।

★★ **अनुच्छेद 32(2)**: उच्चतम न्यायालय निदेश, आदेश या **रिट** जारी कर सकता है: **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)**।

★★ **अनुच्छेद 32(3)**: संसद अन्य न्यायालयों को अपनी स्थानीय सीमाओं में ये रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है (अब तक ऐसा नहीं हुआ)। **अनुच्छेद 32(4)**: इस अधिकार को संविधान में दिए उपबंध (अनुच्छेद 359) के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता।

★★★ **अनुच्छेद 226**: **उच्च न्यायालय** मौलिक अधिकारों के लिए **और 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए'** (सामान्य विधिक अधिकार) रिट जारी कर सकते हैं, इसलिए उनकी रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से **व्यापक** है; पर यह **विवेकाधीन** है और स्वयं मौलिक अधिकार नहीं है।

★★ **अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढाँचे** का भाग है (एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar), 1997)।

★★★ **जनहित याचिका (Public Interest Litigation, PIL)**: न्यायालय ने **सुने जाने के अधिकार (Locus standi)** को शिथिल किया ताकि कोई भी लोक-भावना वाला व्यक्ति उन लोगों की ओर से आ सके जो स्वयं नहीं आ सकते (एस.पी. गुप्ता (S.P. Gupta), 1981); न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती (P.N. Bhagwati)** और **वी.आर. कृष्ण अय्यर (V.R. Krishna Iyer)** ने इसे आकार दिया; एक पत्र को भी याचिका माना जा सकता है। हुसैनारा खातून (1979) को प्रायः पहली जनहित याचिका कहा जाता है।

★ **अनुच्छेद 139**: संसद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है।

उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) ★★

बिंदु	अनुच्छेद 32	अनुच्छेद 226
लागू होने वाले अधिकार	केवल मौलिक अधिकार	मौलिक अधिकार और अन्य विधिक अधिकार
क्या उपचार स्वयं मौलिक अधिकार है?	हाँ	नहीं
क्या न्यायालय मना कर सकता है?	नहीं, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखा दिया जाए	हाँ, यह विवेकाधीन है
पहुँच	पूरा भारत	अपना राज्यक्षेत्र, या जहाँ वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ

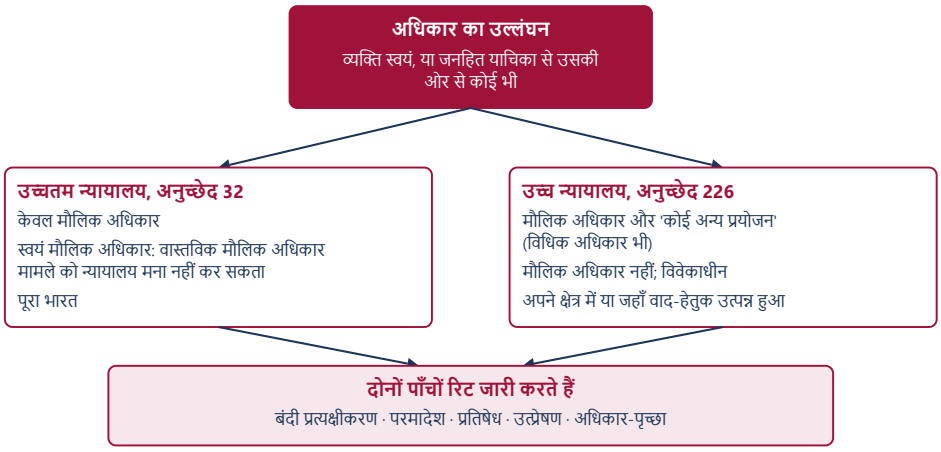

एक ही पाँच रिटों के दो द्वार: मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय, उनके और अन्य विधिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar), प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान: उच्च न्यायालय** की रिट शक्ति **दायरे** में व्यापक है (कोई भी विधिक अधिकार), जबकि **उच्चतम न्यायालय** जाने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। दोनों को उलटें नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा?
2. उच्च न्यायालय की रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से व्यापक क्यों है?
3. किस 1981 के मामले ने जनहित याचिका के लिए सुने जाने के अधिकार को शिथिल किया?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 32 · 2. अनुच्छेद 226 'किसी अन्य प्रयोजन' को भी शामिल करता है, केवल मौलिक अधिकारों को नहीं · 3. एस.पी. गुप्ता

पाँच रिट

बंदी प्रत्यक्षीकरण
परमादेश
प्रतिषेध
उत्प्रेषण
अधिकार-पृच्छा
सुने जाने का अधिकार

रिट न्यायालय के आदेश हैं, जो इंग्लैंड की विधि से 'विशेषाधिकार रिट' (Prerogative writs) के रूप में मिले। हर रिट एक अलग अन्याय का उत्तर है: अवैध निरोध, न किया गया कर्तव्य, अपनी शक्ति से आगे जाता न्यायालय, या बिना अधिकार धारण किया गया पद।

पाँच रिट ★★★

रिट	अर्थ	किसके लिए जारी	किसके विरुद्ध जारी नहीं
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)	'शरीर प्रस्तुत करो'	निरुद्ध व्यक्ति को पेश करना और निरोध का औचित्य बताना; लोक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध	वैध निरोध; न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के लिए निरोध; सक्षम न्यायालय द्वारा निरोध; न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निरोध
परमादेश (Mandamus)	'हम आदेश देते हैं'	किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या सरकार को वह लोक कर्तव्य करने का आदेश जो उसने नहीं किया	निजी व्यक्ति या निकाय (जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो); कंपनी, सरकारी कंपनी भी (प्रागा टूल्स (Praga Tools), 1969); राष्ट्रपति या राज्यपाल; विवेकाधीन कर्तव्य
प्रतिषेध (Prohibition)	'मना करना'	अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को, मामला लंबित रहते, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही रोकने का आदेश	प्रशासनिक या विधायी निकाय; निजी व्यक्ति
उत्प्रेषण (Certiorari)	'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना'	अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण द्वारा अपनी शक्ति से बाहर पहले ही पारित आदेश को रद्द करना, या मामला मँगाना; 1991 से अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी	विधायी निकाय; निजी व्यक्ति
अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)	'किस अधिकार से'	विधि या संविधान द्वारा सृजित किसी सारवान लोक पद को धारण करने वाले व्यक्ति से उस पर अपना अधिकार दिखाने को कहना	अनुसचिवीय (Ministerial) पद; निजी पद

★★★ **कौन आवेदन कर सकता है**: सामान्यतः केवल **पीड़ित व्यक्ति**; **बंदी प्रत्यक्षीकरण** और **अधिकार-पृच्छा** के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, पहले में निरुद्ध व्यक्ति की ओर से और दूसरे में लोकहित की भावना वाले नागरिक के रूप में।

★★★ **प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण**: प्रतिषेध **निवारक** है, कार्यवाही **लंबित** रहते जारी होता है; उत्प्रेषण **उपचारात्मक** है, आदेश पारित होने के **बाद** जारी होता है, इसलिए इसे '**पोस्टमार्टम**' रिट कहा जाता है।

★★★ **परमादेश** केवल **लोक कर्तव्य** लागू कराने के लिए है: निजी संगठन के विरुद्ध नहीं जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो, और किसी कंपनी के विरुद्ध, सरकारी कंपनी भी, उसके सामान्य दायित्वों के लिए नहीं।

★★ **बंदी प्रत्यक्षीकरण** दैहिक स्वतंत्रता का सबसे मज़बूत रक्षक है; यह किसी को अवैध रूप से रोकने वाले **निजी व्यक्तियों** के विरुद्ध भी जारी होता है।

अन्याय	रिट	क्या आदेश देती है
किसी को बिना विधिक अधिकार के रोका गया	बंदी प्रत्यक्षीकरण	'शरीर प्रस्तुत करो': व्यक्ति को पेश करो और निरोध का औचित्य बताओ
लोक प्राधिकारी अपना विधिक कर्तव्य नहीं करता	परमादेश	'हम आदेश देते हैं': लोक कर्तव्य करो
अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाने वाला है	प्रतिषेध	'मना करना': लंबित मामला रोको
अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण शक्ति से बाहर निर्णय दे चुका है	उत्प्रेषण	'सूचित होना': आदेश रद्द करो या मामला मँगाओ
कोई व्यक्ति बिना अधिकार के लोक पद धारण किए है	अधिकार-पृच्छा	'किस अधिकार से': दावा सिद्ध करो या पद छोड़ो

अन्याय को रिट से मिलाइए: हर रिट एक प्रकार के अन्याय का उत्तर है।

भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, जो अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी करता है। चित्र: Subhashish Panigrahi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

याद रखें: पाँच रिट, पाँच शब्द: 'Body, Command, Stop, Quash, Authority'। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर लाता है, परमादेश आदेश देता है, प्रतिषेध रोकता है, उत्प्रेषण रद्द करता है, अधिकार-पृच्छा पूछती है कि किस अधिकार से। हिंदी में: 'शरीर, आदेश, रोक, रद्द, अधिकार'।

⚠ **परीक्षा में सावधान: प्रतिषेध** रिट **अधीनस्थ न्यायालय** को जाती है, किसी सरकारी अधिकारी या विधानमंडल को नहीं। 'पोस्टमार्टम' रिट **उत्प्रेषण** है, प्रतिषेध नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सी दो रिट केवल पीड़ित ही नहीं, कोई भी व्यक्ति माँग सकता है?
2. कौन-सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को बीच में रोकती है, और कौन-सी उसका निर्णीत आदेश रद्द करती है?
3. क्या परमादेश किसी निजी निकाय के विरुद्ध जारी होता है?

उत्तर: 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार-पृच्छा · 2. प्रतिषेध; उत्प्रेषण · 3. नहीं, जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो

अनुच्छेद 33 से 35, आपातकाल, और किसे कौन-सा अधिकार

अनुच्छेद 33: बल

अनुच्छेद 34: सेना विधि

अनुच्छेद 35: संसद

भाग III के अंतिम अनुच्छेद सीमाएँ तय करते हैं: अनुशासन की आवश्यकता वाले बल, सेना विधि वाले क्षेत्र, और आपातकाल। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रमुख अधिकारों को लागू करने वाली विधियाँ हर राज्य नहीं, केवल **संसद** बनाए, ताकि अधिकारों का अर्थ पूरे भारत में एक रहे।

अनुच्छेद 358

अनुच्छेद 359

केवल नागरिक

★★ **अनुच्छेद 33**: अनुशासन बनाए रखने के लिए **संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आसूचना एजेंसियों** और ऐसे ही निकायों के मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सकती है।

★★ **अनुच्छेद 34**: किसी क्षेत्र में **सेना विधि (Martial law)** लागू रहते अधिकार सीमित किए जा सकते हैं; संसद वहाँ व्यवस्था बहाल करने के लिए किए गए कार्यों के लिए अधिकारियों को **क्षतिपूर्ति (Indemnity)** दे सकती है। संविधान सेना विधि को परिभाषित नहीं करता।

★★ **अनुच्छेद 35**: अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34 के विषयों पर, और भाग III में अपराध घोषित कार्यों, जैसे अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) और बलात् श्रम (अनुच्छेद 23), के लिए दंड विहित करने वाली विधियाँ केवल **संसद** बना सकती है।

★ **अनुच्छेद 35A**, जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए 1954 के राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया, अगस्त 2019 में लागू होना बंद हो गया।

★★★ **अनुच्छेद 358**: जब **युद्ध या बाह्य आक्रमण** (सशस्त्र विद्रोह नहीं) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, तो उसकी अवधि में **अनुच्छेद 19 अपने-आप निलंबित** हो जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 359**: राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए **न्यायालय जाने** का अधिकार निलंबित कर सकता है, पर **अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं** (44वाँ संशोधन, 1978)।

★★★ **केवल नागरिक**: अनुच्छेद **15, 16, 19, 29 और 30**। **हर व्यक्ति**, विदेशियों सहित: अनुच्छेद **14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28** (अनुच्छेद 22 शत्रु विदेशी की रक्षा नहीं करता)।

केवल नागरिकों के अधिकार, और हर व्यक्ति के अधिकार। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को विधि के समक्ष समता, प्राण और स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** वाक् स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार (अनुच्छेद 29, 30) **केवल नागरिकों** के लिए हैं; विधि के समक्ष समता और प्राण तथा स्वतंत्रता का संरक्षण **विदेशियों** को भी उपलब्ध है।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को अपने-आप निलंबित करता है, और किस प्रकार के आपातकाल में?
2. अनुच्छेद 359 के अधीन कौन-से दो अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं किए जा सकते?
3. केवल नागरिकों वाले पाँच मौलिक अधिकार अनुच्छेदों की सूची दीजिए।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 358; युद्ध या बाह्य आक्रमण · 2. अनुच्छेद 20 और 21 · 3. 15, 16, 19, 29, 30

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (21)

UPSC 2011 भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस/किन विशेष लाभ/लाभों का हकदार हो जाता है ?

1. यह संप्रदाय/समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है ।
2. भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय/समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं ।
3. यह संप्रदाय/समुदाय प्रधान मंत्री के 15-प्वाइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 1 और 3. अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं; अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में मनोनयन केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए था

UPSC 2017 भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं ?

1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (बेगारी) का निषेध
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
4. कारख़ानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4 (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c) केवल 1 और 4. शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है; अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है

UPSC 2018 निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है । भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है ?

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ (d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ. निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं द्वारा संरक्षित है

UPSC 2019 भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 21 (c) अनुच्छेद 25 (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b) अनुच्छेद 21. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 का अंग है

UPSC 2020 निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है ?

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार (b) स्वतंत्रता का अधिकार (c) सांविधानिक उपचार का अधिकार (d) समता का अधिकार

उत्तर: (d) समता का अधिकार. अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के तहत अस्पृश्यता का अंत करता है

UPSC 2021 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' संरक्षित है?

(a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 19 (c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c) अनुच्छेद 21. निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं द्वारा संरक्षित है

UPSC 2021 कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है?

(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 28 (c) अनुच्छेद 32 (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a) अनुच्छेद 14. अनुच्छेद 14 मनमाने कानूनों को, अनिर्देशित विवेकाधिकार सहित, अमान्य करता है

UPSC 2021 भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?

(a) यह विधिक अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है (b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है
(c) यह मूल अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है (d) यह न तो मूल अधिकार है, न ही विधिक अधिकार

उत्तर: (b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है. अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार हर व्यक्ति का संवैधानिक विधिक अधिकार है; 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाया

UPSC 2021 भारतरत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारतरत्न और पद्म पुरस्कार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 (1) के अंतर्गत उपाधियाँ हैं।
2. वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था।
3. किसी वर्ष-विशेष में भारतरत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पाँच तक सीमित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय सम्मान अनुच्छेद 18 द्वारा वर्जित 'उपाधियाँ' नहीं हैं; भारत रत्न के नियम एक वर्ष में अधिकतम तीन सम्मान तय करते हैं

UPSC 2022 भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध, जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा ।
2. किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा ।
3. कोई भी लोक-प्रवण व्यक्ति (पब्लिक माइंडेड परसन) अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची (पिटीशनर) हो सकता है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. परमादेश लोक प्राधिकारी, या सार्वजनिक कर्तव्य वाले निजी निकाय, के विरुद्ध जारी होता है; अधिकार-पृच्छा रिट के लिए कोई भी व्यक्ति याचिका दे सकता है, केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं

UPSC 2023 सारभूत रूप में, 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' का अभिप्राय क्या है?
(a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत (b) विधि द्वारा स्थापित पद्धति (c) विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति (d) विधि के समक्ष समता
उत्तर: (a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत. विधि की सम्यक् प्रक्रिया जाँचती है कि कानून और उसकी प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त हैं या नहीं; मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' में निष्पक्षता जोड़ी

UPSC 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन-I :
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी।
कथन-II :
भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित करता है।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है
उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है. अनुच्छेद 335: सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के दावे प्रशासन की दक्षता के अनुरूप हों; अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' का उल्लेख करता है, पर उसे परिभाषित नहीं करता

UPSC 2024 भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है ?
(a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 16 (c) अनुच्छेद 19 (d) अनुच्छेद 21
उत्तर: (d) अनुच्छेद 21. पुट्टस्वामी (2017): निजता मौलिक अधिकार है, जो मुख्यतः अनुच्छेद 21 में निहित है

UPSC 2024 प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है ?
(a) किसी सरकारी अधिकारी को, उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए
(b) संसद/विधान सभा को, मद्यनिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए
(c) निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए
(d) सरकार को, उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए
उत्तर: (c) निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए. प्रतिषेध रिट उच्चतर न्यायालय निचले न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु जारी करता है

UPSC 2026 'X', भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित, 'विधि' शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। 'X' ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में 'विधि' शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित हैं। 'Y' ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे 'X' सहमत नहीं था।
उपर्युक्त के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को चुनिए :
(a) विधि की व्याख्या में, 'X' सही है, जिसमें रूढ़ि को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं।
(b) 'Y' का यह विचार कि 'विधि' में रूढ़ि सम्मिलित है, सही नहीं है। (c) 'X' और 'Y' दोनों के विचार सही हैं। (d) केवल 'Y' का विचार सही है।
उत्तर: (d) केवल 'Y' का विचार सही है।. अनुच्छेद 13(3): 'विधि' में अध्यादेश, नियम, विनियम और रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं

BPSC 60th-62nd उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना _____ के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है ।
(a) संविधान का अनुच्छेद 14 (b) संविधान का अनुच्छेद 19 (1)(a) (c) संविधान का अनुच्छेद 21 (d) संविधान का अनुच्छेद 25
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) संविधान का अनुच्छेद 19 (1)(a). राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है

BPSC 60th-62nd उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परन्तु गैर-नागरिकों को नहीं :
I. भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
II. कानून के समक्ष समता
III. अल्पसंख्यकों के अधिकार
IV. जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण
(a) I और III (b) I और IV (c) II और IV (d) II और III (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) I और III. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं; अनुच्छेद 14 और 21 विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं

BPSC 65th निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे 'पोस्टमॉर्टम' भी कहा जाता है?
(a) प्रतिषेध (b) परमादेश (c) उत्प्रेषण (d) अधिकार-पृच्छा (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) उत्प्रेषण. उत्प्रेषण पारित आदेश को रद्द करता है; प्रतिषेध चल रही कार्यवाही को रोकता है

BPSC 69th भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 15 (c) अनुच्छेद 17 (d) अनुच्छेद 22
उत्तर: (c) अनुच्छेद 17. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके आचरण को अपराध बनाता है

BPSC 70th re-exam एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की माँग नहीं कर सकता है ?
(a) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता (b) कानून के समक्ष समानता (c) जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण (d) धार्मिक स्वतंत्रता
उत्तर: (a) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों के लिए हैं; अधिकांश अन्य अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए

BPSC 71st भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किन्तु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि :
1) सामान्य जन का हित संरक्षित हो
2) विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यक्ताएं अवरोध न हो।
3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजर अंदाज किया जा सकता है।
4) सामूहिक हित बृहत्तर नही है।
इनमें से :
(a) 1 और 2 सही है (b) 2 और 3 सही है (c) केवल 4 सही है (d) केवल 1 सही है
उत्तर: (a) 1 और 2 सही है. मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन सामान्य जनहित में होने चाहिए; किसी नीति-निदेशक तत्व को आगे बढ़ाने वाला निर्बंधन युक्तियुक्त माना जा सकता है

स्वयं को परखें (13)

1. भारत में रह रहे किसी विदेशी नागरिक को निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है?
(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (b) लोक नियोजन में अवसर की समता (c) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) विशिष्ट भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार

2. अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द में शामिल नहीं है
(a) अध्यादेश (b) विधि का बल रखने वाली रूढ़ि (c) अधिसूचना (d) अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन

3. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू कराया जा सकता है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 17 (c) अनुच्छेद 19 (d) अनुच्छेद 21

4. विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 20 2. अनुच्छेद 21 3. अनुच्छेद 19 4. अनुच्छेद 25। राष्ट्रीय आपातकाल में भी किसे निलंबित नहीं किया जा सकता?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 3 और 4

5. उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन रिट जारी कर सकता है
(a) केवल मौलिक अधिकारों के लिए (b) मौलिक अधिकारों के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए
(c) केवल तब जब उच्चतम न्यायालय मामला भेजे (d) केवल निजी व्यक्तियों के विरुद्ध

6. किसी व्यक्ति को वैधानिक लोक पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि वह उसके लिए योग्य नहीं है। उपयुक्त रिट है
(a) परमादेश (b) उत्प्रेषण (c) अधिकार-पृच्छा (d) प्रतिषेध

7. किस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया?
(a) 42वाँ संशोधन (b) 44वाँ संशोधन (c) 86वाँ संशोधन (d) 93वाँ संशोधन

8. इंदिरा साहनी (1992) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि
(a) नौकरियों में आरक्षण असंवैधानिक है
(b) OBC में क्रीमी लेयर को बाहर करना होगा और कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए
(c) आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है (d) पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार है

9. निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किसका भाग माना गया है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 19(1)(a) (c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 25

10. आज भारत में संपत्ति का अधिकार है
(a) केवल नागरिकों का मौलिक अधिकार (b) सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार (c) हर व्यक्ति का संवैधानिक विधिक अधिकार
(d) न संवैधानिक, न विधिक अधिकार

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद 17 समता के अधिकार का भाग है।
2. अनुच्छेद 15 उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव रोकता है।
3. अनुच्छेद 14 भारत में रह रहे विदेशी नागरिक की रक्षा करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

12. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
रिट : क्या करती है
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण : निरुद्ध व्यक्ति को पेश करने और निरोध का औचित्य बताने को कहती है
2. उत्प्रेषण : मामला लंबित रहते अधीनस्थ न्यायालय को बीच में रोकती है
3. अधिकार-पृच्छा : पूछती है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से लोक पद धारण करता है
ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई नहीं

13. दिल्ली में काम करने वाले नेपाल के एक नागरिक को गिरफ़्तार कर तीन दिन तक पुलिस हवालात में रखा जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता। उसका नियोक्ता, जो कोई संबंधी नहीं है, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(a) याचिका विफल होगी, क्योंकि अनुच्छेद 22 की गिरफ़्तारी संबंधी सुरक्षाएँ केवल भारत के नागरिकों की रक्षा करती हैं
(b) याचिका विफल होगी, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए केवल निरुद्ध व्यक्ति स्वयं आवेदन कर सकता है
(c) उसे पहले उच्च न्यायालय जाना होगा, क्योंकि विदेशी अनुच्छेद 32 का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते
(d) बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो सकता है; निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई भी आवेदन कर सकता है

उत्तर: 1. (c) अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है; अनुच्छेद 19, 16 और 29 केवल नागरिकों के लिए हैं। · 2. (d) 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 13(4) संविधान संशोधनों को बाहर रखता है। · 3. (b) अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) निजी व्यक्तियों पर लागू होता है; अनुच्छेद 15(2), 23 और 24 भी। · 4. (a) 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं कर सकता। · 5. (b) अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों को शामिल करता है, इसलिए दायरे में यह अनुच्छेद 32 से व्यापक है। · 6. (c) अधिकार-पृच्छा पूछती है कि व्यक्ति किस अधिकार से लोक पद धारण करता है; इसे कोई भी व्यक्ति माँग सकता है। · 7. (c) 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा। · 8. (b) मंडल मामले ने क्रीमी लेयर के बहिष्कार और 50% की सीमा के साथ 27% OBC कोटा वैध ठहराया। · 9. (b) भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004): ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) से संरक्षित अभिव्यक्ति है। · 10. (c) 44वें संशोधन (1978) ने इसे अनुच्छेद 300A में भेजा, जो हर व्यक्ति की रक्षा करता है। · 11. (c) उद्भव और निवास वे दो आधार हैं जो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए जोड़ता है; अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान हैं। · 12. (b) युग्म 2 प्रतिषेध का वर्णन है; उत्प्रेषण पहले से पारित आदेश को रद्द करती है, इसीलिए इसे 'पोस्टमार्टम' रिट कहते हैं। · 13. (d) अनुच्छेद 22 शत्रु विदेशी को छोड़कर हर व्यक्ति की रक्षा करता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण उन दो रिटों में से है जिन्हें कोई भी व्यक्ति माँग सकता है।

अध्याय 6

राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

कौन-सा अनुच्छेद कौन-सा निदेशक तत्व रखता है (39(b), 39(d), 40, 44, 48A, 50, 51), गांधीवादी और उदार समूह, 42वें संशोधन ने क्या जोड़ा, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 51A के ग्यारह कर्तव्य लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 19 बार पूछा गया: UPSC 17 · BPSC 2

≈ 46 min पढ़ने में ≈ 9 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

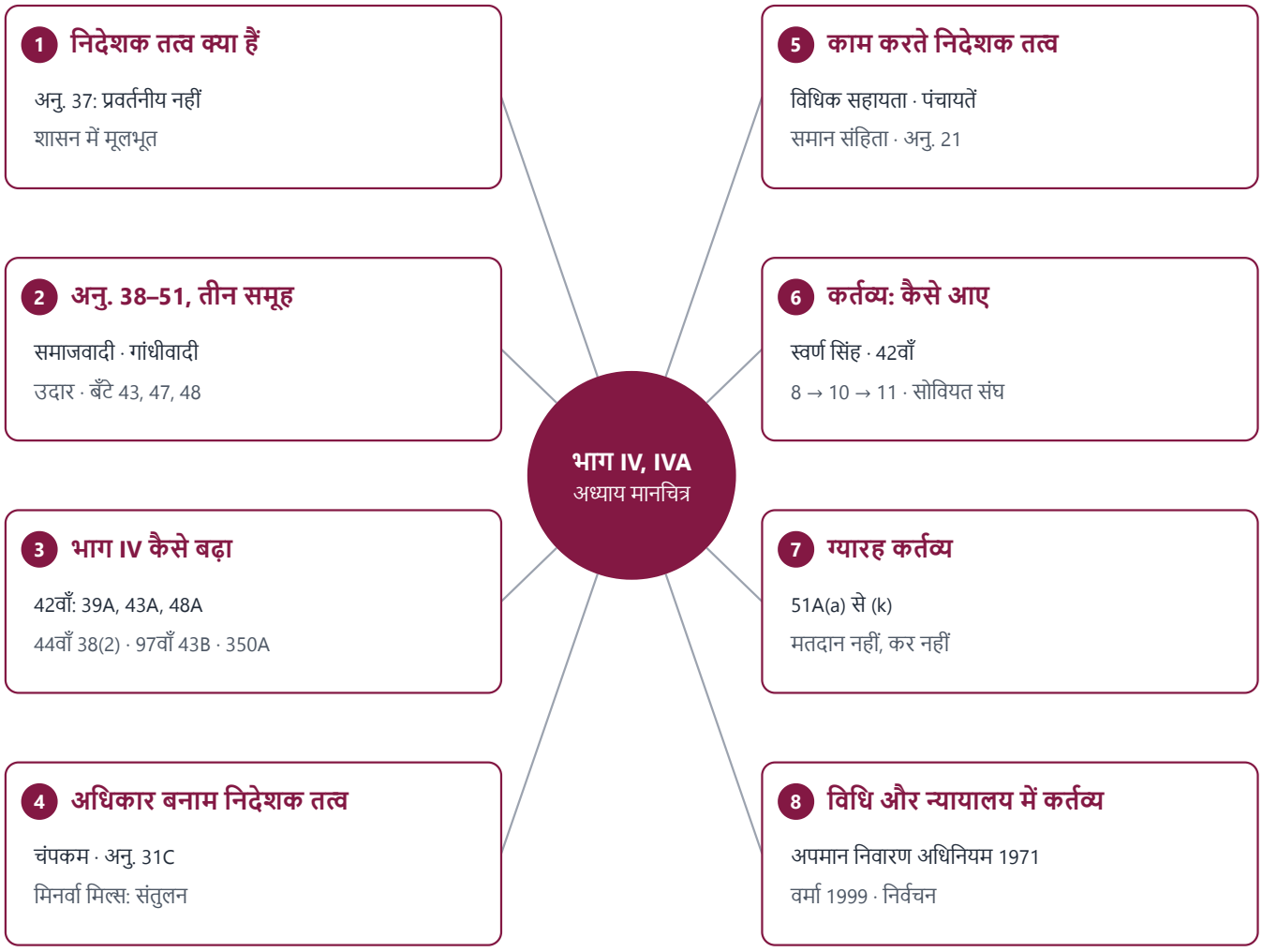

रिवीज़न कार्ड

1. **भाग IV, अनुच्छेद 36–51**: निदेशक तत्व; विचार **आयरलैंड के संविधान** से; ये 1935 के अधिनियम के **अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions)** जैसे हैं।
2. **अनुच्छेद 37**: किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, फिर भी देश के **शासन में मूलभूत**; विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये विधायी या कार्यपालिका शक्ति पर **कोई विधिक सीमा** नहीं लगाते।
3. इनका लक्ष्य **सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र** है और ये **कल्याणकारी राज्य** का आदर्श घोषित करते हैं।
4. **गांधीवादी**: 40 ग्राम पंचायतें, 43 कुटीर उद्योग, 43B सहकारी समितियाँ, 46 कमजोर वर्ग, 47 मद्यनिषेध, 48 पशु। **उदार**: 44 समान नागरिक संहिता, 45, 48 वैज्ञानिक कृषि, 48A, 49, 50, 51। **समाजवादी**: 38, 39, 39A, 41 (काम का अधिकार), 42, 43 निर्वाह मज़दूरी, 43A, 47 पोषण।
5. **39(b)** सामूहिक हित के लिए संसाधन; **39(c)** धन का संकेंद्रण नहीं; **39(d)** समान कार्य के लिए समान वेतन; **50** न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना; **51** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
6. **42वें संशोधन (1976)** ने **39A** (विधिक सहायता), **43A** (प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी), **48A** (पर्यावरण) जोड़े और 39(f) का शब्दांकन बदला। **44वें** ने 38(2) जोड़ा; **86वें** ने 45 फिर से लिखा; **97वें** ने 43B जोड़ा।
7. भाग IV के बाहर के निदेशक तत्व: **335** (पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के दावे), **350A** (प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा), **351** (हिंदी)। **छोटे परिवार का मानदंड** निदेशक तत्व नहीं है।
8. **मिनर्वा मिल्स (1980)**: भाग III और भाग IV के बीच संतुलन **मूल ढाँचे** का भाग है।
9. **मौलिक कर्तव्य**: **भाग IVA, अनुच्छेद 51A**, **स्वर्ण सिंह समिति** की सलाह पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़े गए; विचार **सोवियत संघ (USSR)** से; 10 कर्तव्य, अब **11** (51A(k), **86वाँ**, 2002)।
10. कर्तव्य **केवल नागरिकों** पर लागू हैं, **न्यायालय में अप्रवर्तनीय** हैं, और तभी लागू कराए जा सकते हैं जब **संसद विधि बनाए** (जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971)।
11. कर्तव्यों में: संविधान, ध्वज, राष्ट्रगान का आदर (a); **संप्रभुता, एकता और अखंडता** (c); **सामासिक संस्कृति** (f); पर्यावरण (g); **वैज्ञानिक दृष्टिकोण** (h); सार्वजनिक संपत्ति (i); **उत्कर्ष** (j)। **मतदान** और **कर चुकाना** कर्तव्य नहीं हैं।
12. त्रिक: पर्यावरण = **अनुच्छेद 21 / 48A / 51A(g)**; शिक्षा = **अनुच्छेद 21A / 45 / 51A(k)**।

निदेशक तत्व क्या हैं

भाग IV, अनुच्छेद 36–51

अनुच्छेद 37

न्यायालय में अप्रवर्तनीय

कल्याणकारी राज्य

आयरलैंड से

मौलिक अधिकार राज्य को बताते हैं कि उसे क्या **नहीं करना** है। निदेशक तत्व बताते हैं कि उसे कौन-सी भलाई **करनी चाहिए**: निर्वाह मज़दूरी, निःशुल्क विधिक सहायता, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना। 1950 में नया राज्य यह सब एक साथ नहीं कर सकता था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन लक्ष्यों को राज्य की अंतरात्मा और मतदाताओं के प्रति बाध्यकारी बनाया, न्यायालयों के प्रति नहीं।

★★★ **भाग IV, अनुच्छेद 36–51**: राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy, DPSP)। **अनुच्छेद 36** 'राज्य' को वही अर्थ देता है जो **अनुच्छेद 12** में है (संघ और राज्य सरकारें तथा विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी)।

★★★ **अनुच्छेद 37** तीन बातें कहता है: निदेशक तत्व **किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं** हैं; फिर भी ये देश के **शासन में मूलभूत** हैं; और विधि बनाने में इन्हें **लागू करना राज्य का कर्तव्य** है।

★★★ **राज्य पर कोई विधिक सीमा नहीं**: निदेशक तत्व विधायी या कार्यपालिका शक्ति को सीमित नहीं करते। कोई न्यायालय किसी विधि को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता कि वह किसी निदेशक तत्व की उपेक्षा करती है, और कोई न्यायालय राज्य को किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए विधि बनाने का आदेश नहीं दे सकता।

★★★ **लक्ष्य**: **सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र** और **कल्याणकारी राज्य (Welfare state)**, उस राज्य के विपरीत जो केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखता है। इससे उद्देशिका के सामाजिक और आर्थिक न्याय के वचन को ठोस रूप मिलता है।

★★ **स्रोत**: **आयरलैंड का संविधान (1937)**, जिसने यह विचार 1931 के स्पेन के संविधान से लिया था। भारत में इनसे मिलता-जुलता रूप **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act) 1935** के अधीन गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को जारी **अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions)** था।

★ **सप्रू समिति (Sapru Committee) (1945)** ने अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय में बाँटने का प्रस्ताव दिया था; संविधान सभा ने वही विभाजन भाग III और भाग IV के रूप में अपनाया।

★★ **सकारात्मक और स्वतः लागू न होने वाले**: ये राज्य से कार्य की अपेक्षा करते हैं और प्रभावी होने के लिए विधि या योजना चाहिए। इनके पीछे का बल **नैतिक और राजनीतिक** है: इनकी उपेक्षा करने वाली सरकार मतदाताओं को उत्तर देती है।

★★ **न्यायालय फिर भी इनका उपयोग करते हैं**: किसी निदेशक तत्व को पूरा करने वाली विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के अधीन परखते समय सरलता से 'युक्तियुक्त' माना जाता है, और अनुच्छेद 21 को इनके प्रकाश में पढ़ा गया है।

★★ **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) (1948)** की छाप भाग III के बाहर भी पूरे संविधान में है: **उद्देशिका** (गरिमा, न्याय), **निदेशक तत्व** (काम का अधिकार, समान वेतन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा) और **कर्तव्य** (UDHR का अनुच्छेद 29 कहता है कि हर व्यक्ति के समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं)।

	भाग III: अधिकार	भाग IV: निदेशक तत्व	भाग IVA: कर्तव्य
अनुच्छेद	12–35	36–51	केवल 51A
किसे संबोधित	राज्य (सीमित करते हैं)	राज्य (मार्गदर्शन)	नागरिक
न्यायालय लागू करा सकता है?	हाँ (अनु. 32, 226)	नहीं (अनु. 37)	नहीं
कब से लागू	1950	1950	1976 (42वाँ)
विचार कहाँ से	अमेरिका (अधिकार-पत्र)	आयरलैंड	सोवियत संघ

भाग III, IV और IVA साथ-साथ: वे किसे संबोधित हैं, न्यायालय उन्हें लागू करा सकता है या नहीं, वे कब आए और विचार कहाँ से आया।

निदेशक तत्वों पर प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन ★

व्यक्ति	वर्णन
बी.आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar)	संविधान की एक 'अनोखी विशेषता'
ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin)	भाग III के साथ, 'संविधान की अंतरात्मा'
के.टी. शाह (K.T. Shah)	ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा पर देय हो
टी.टी. कृष्णमाचारी (T.T. Krishnamachari)	'भावनाओं का कूड़ादान'
नसीरुद्दीन (Nasiruddin)	नववर्ष के संकल्पों जैसे, जो 2 जनवरी को टूट जाते हैं
आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)	'पवित्र आकांक्षाएँ'
के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare)	लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा-पत्र

याद रखें: अधिकार **ब्रेक** हैं, निदेशक तत्व **स्टीयरिंग**: ब्रेक विधि से लगाए जाते हैं और न्यायालय उनकी जाँच कर सकता है; स्टीयरिंग चालक पर छोड़ा जाता है, जो अगले चुनाव में यात्रियों (मतदाताओं) को उत्तर देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'देश के शासन में मूलभूत' **निदेशक तत्वों** (अनुच्छेद 37) का वर्णन है, मौलिक अधिकारों का नहीं। और निदेशक तत्व विधायी या कार्यपालिका कार्यों पर सीमाएँ **नहीं** हैं: उस प्रसिद्ध प्रश्न के दोनों कथन गलत हैं।

झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं, फिर भी शासन में मूलभूत हैं?
2. निदेशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है?
3. यह विचार किस देश के संविधान से आया?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 37 · 2. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र (कल्याणकारी राज्य) · 3. आयरलैंड (1937)

अनुच्छेद 38 से 51 और तीन समूह

अनुच्छेद 39(b), (c)

अनुच्छेद 39(d)

अनुच्छेद 40, 43

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 50, 51

बँटे हुए 43, 47, 48

संविधान निदेशक तत्वों को बिना वर्गीकरण के सूचीबद्ध करता है। विद्वान इन्हें इनके पीछे के विचारों से समूहों में बाँटते हैं: **समाजवादी** (आर्थिक न्याय), **गांधीवादी** (ग्राम भारत और स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम) और **उदार-बौद्धिक** (आधुनिक, तर्कसंगत राज्य)। परीक्षाएँ अनुच्छेद और उसका समूह दोनों पूछती हैं।

भाग IV का हर निदेशक तत्व ★★★

अनुच्छेद	राज्य प्रयास करेगा कि	समूह
38(1)	ऐसी सामाजिक व्यवस्था बने जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय** सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे	समाजवादी
38(2)	**आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों** की असमानताएँ कम हों (44वाँ, 1978)	समाजवादी
39(a)	सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, **आजीविका के पर्याप्त साधन** मिलें	समाजवादी
39(b)	**समुदाय के भौतिक संसाधनों** का ऐसा वितरण हो कि सामूहिक हित सधे	समाजवादी
39(c)	**धन** और उत्पादन के साधनों का ऐसा **संकेंद्रण** न हो जिससे सामान्य हानि हो	समाजवादी
39(d)	पुरुषों और महिलाओं के लिए **समान कार्य के लिए समान वेतन** हो	समाजवादी
39(e)	कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा हो और बच्चों का दुरुपयोग न हो, न उन्हें अनुपयुक्त काम में लगाया जाए	समाजवादी
39(f)	बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के वातावरण में विकास के अवसर मिलें (42वें से नया शब्दांकन)	समाजवादी
39A	**समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता** (42वाँ)	समाजवादी
40	स्वशासन की इकाइयों के रूप में **ग्राम पंचायतों** का संगठन हो	गांधीवादी
41	**काम और शिक्षा का अधिकार**, तथा बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता का अधिकार मिले	समाजवादी
42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ और **प्रसूति सहायता** मिले	समाजवादी
43	सभी कर्मकारों को **निर्वाह मज़दूरी**, शिष्ट जीवन स्तर और **अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण उपभोग** मिले; ग्रामीण क्षेत्रों में **कुटीर उद्योगों** को बढ़ावा मिले	समाजवादी (मज़दूरी, अवकाश) + गांधीवादी (कुटीर उद्योग)
43A	उद्योगों के **प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी** हो (42वाँ)	समाजवादी
43B	**सहकारी समितियों** को बढ़ावा मिले (97वाँ, 2011)	गांधीवादी
44	पूरे भारत में नागरिकों के लिए **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)** हो	उदार
45	6 वर्ष की आयु तक **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा** हो (86वाँ, 2002)	उदार
46	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों** और कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति हो	गांधीवादी
47	**पोषण**, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधरे; औषधि के सिवाय मादक पदार्थों का **प्रतिषेध** हो	समाजवादी + गांधीवादी
48	**कृषि और पशुपालन** का आधुनिक ढंग से संगठन हो; **गायों, बछड़ों** और भारवाही पशुओं का वध रुके	उदार + गांधीवादी
48A	**पर्यावरण**, वनों और वन्यजीवों की रक्षा हो (42वाँ)	उदार
49	संसद की विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के **स्मारकों** की रक्षा हो	उदार
50	राज्य की लोक सेवाओं में **न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक** हो	उदार
51	**अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा**, सम्मानपूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय विधि का आदर और **मध्यस्थता** को बढ़ावा मिले	उदार

समाजवादी		गांधीवादी		उदार-बौद्धिक	
38	सामाजिक व्यवस्था, कम असमानता	40	ग्राम पंचायतें	44	समान नागरिक संहिता
39	आजीविका, समान वेतन	43	**ग्रामीण कुटीर उद्योग ***	45	6 से कम की देखरेख, शिक्षा
39A	निःशुल्क विधिक सहायता	43B	सहकारी समितियाँ	48	**वैज्ञानिक कृषि ***
41	काम, शिक्षा, लोक सहायता	46	अ.जा., अ.ज.जा., कमजोर वर्ग	48A	पर्यावरण, वन्यजीव
42	मानवोचित काम, प्रसूति सहायता	47	**मादक पदार्थों पर रोक ***	49	राष्ट्रीय स्मारक
43	**निर्वाह मज़दूरी, अवकाश ***	48	**गो-संरक्षण, नस्ल सुधार ***	50	पृथक न्यायपालिका
43A	प्रबंध में कर्मकार			51	अंतरराष्ट्रीय शांति
47	**पोषण, लोक स्वास्थ्य ***				

*** बँटे अनुच्छेद: 43, 47 और 48 के दो हिस्से दो अलग समूहों में हैं।**

विद्वानों के तीन समूह। लाल, तारांकित प्रविष्टियाँ बँटे हुए अनुच्छेद हैं: 43, 47 और 48 में से हर एक दो समूहों में आता है।

★★★ **गांधीवादी समूह**: **40** (पंचायतें), **43** (कुटीर उद्योग), **43B** (सहकारी समितियाँ), **46** (कमजोर वर्ग), **47** (मद्यनिषेध), **48** (गो-संरक्षण)।

★★★ **अनुच्छेद 43 बँटा हुआ है**: केवल इसका अंतिम भाग, **ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग**, गांधीवादी है। इसका पहला भाग, कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी, शिष्ट जीवन स्तर और **अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर**, **समाजवादी** है।

★★★ **काम का अधिकार (अनुच्छेद 41) समाजवादी** निदेशक तत्व है; **समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) उदार-बौद्धिक** है। दोनों में से कोई गांधीवादी नहीं।

★★★ **धन का संकेंद्रण अनुच्छेद 39(c)**, एक निदेशक तत्व, के विरुद्ध है, समता के अधिकार के विरुद्ध नहीं।

★★★ **न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50**, एक निदेशक तत्व, का निर्देश है, उद्देशिका या परंपरा का नहीं।

★★★ **अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा**: **अनुच्छेद 51**, एक निदेशक तत्व। इसे **अनुच्छेद 51A**, यानी कर्तव्यों, से न मिलाएँ।

★★ **अनुच्छेद 47** पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को राज्य के **प्राथमिक कर्तव्यों** में गिनाता है।

★★ **अनुच्छेद 41** और **अनुच्छेद 43** में यह शर्त है, 'अपनी **आर्थिक सामर्थ्य** की सीमाओं के भीतर': राज्य संसाधनों के अनुसार कार्य करता है।

★ **अनुच्छेद 44** कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए '**प्रयास करेगा**', और वह भी '**नागरिकों**' के लिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं।

याद रखें: गांधीवादी छह: **Village, Khadi, Co-op, Weak, No liquor, Cow** (40, 43, 43B, 46, 47, 48), हिंदी में **गाँव, खादी, सहकार, कमजोर, नशाबंदी, गाय**। उदार सात: **Code, Crèche, Crops, Climate, Heritage, Courts, World** (44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51), हिंदी में **संहिता, शिशु, फसल, पर्यावरण, धरोहर, न्यायालय, विश्व**।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'कौन-से निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर **नहीं** हैं: पंचायतें, समान सिविल संहिता, कुटीर उद्योग, काम का अधिकार?' उत्तर: **सिविल संहिता (44)** और **काम का अधिकार (41)**। पंचायतें (40) और कुटीर उद्योग (43) गांधीवादी जोड़ी हैं।

☑ झटपट जाँच

1. पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन: कौन-सा अनुच्छेद?
2. ग्राम स्वशासन और ग्रामीण उद्योग पर दो गांधीवादी निदेशक तत्व बताइए।
3. कौन-से तीन अनुच्छेद दो समूहों में बँटे हैं?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 39(d) · 2. अनुच्छेद 40 (पंचायतें), अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योग) · 3. 43, 47 और 48

भाग IV कैसे बढ़ा, और इसके बाहर के निदेशक तत्व

42वाँ: 39A, 43A, 48A

44वाँ: 38(2)

86वाँ: अनुच्छेद 45

97वाँ: 43B

335, 350A, 351

भाग IV का चार बार विस्तार हुआ, हर बार किसी ऐसे लक्ष्य को जोड़ने के लिए जो देश के लिए महत्वपूर्ण हो चुका था: 1970 के दशक में विधिक सहायता और पर्यावरण, 2002 में प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2011 में सहकारी समितियाँ। कौन-से संशोधन ने क्या जोड़ा, यह सुमेलन प्रश्नों का प्रिय विषय है।

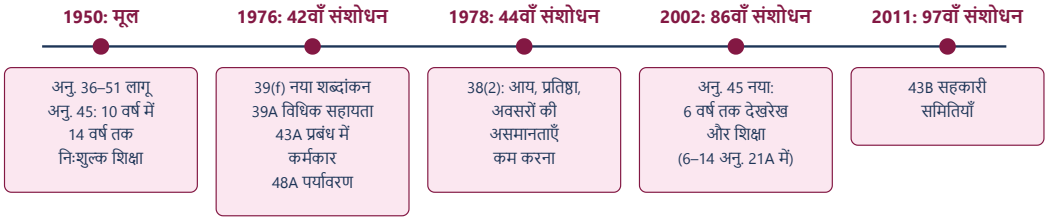

भाग IV में जोड़ने वाले चार संशोधन (वर्षों की दूरी पैमाने पर नहीं)।

★★★ **42वें संशोधन (1976)** ने तीन नए निदेशक तत्व जोड़े और एक का शब्दांकन बदला: **39(f)** (बच्चों का स्वस्थ विकास), **39A** (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), **43A** (प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी), **48A** (पर्यावरण, वन, वन्यजीव)।

★★ **44वें संशोधन (1978)** ने **38(2)** जोड़ा: व्यक्तियों के बीच, और समूहों तथा क्षेत्रों के बीच, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएँ न्यूनतम करना।

★★★ **86वें संशोधन (2002)** ने **अनुच्छेद 45** को **6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा** के लिए फिर से लिखा, **6–14** वर्ष की स्कूली शिक्षा को **अनुच्छेद 21A** (मौलिक अधिकार) में भेजा और कर्तव्य **51A(k)** जोड़ा।

★★ **मूल अनुच्छेद 45** में **दस वर्ष** के भीतर **14** वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात थी: समय-सीमा वाला एकमात्र निदेशक तत्व।

★★ **97वें संशोधन (2011)** ने **अनुच्छेद 43B** (सहकारी समितियाँ) जोड़ा, साथ ही **अनुच्छेद 19(1)(c)** में 'सहकारी समितियाँ' और नया **भाग IXB** जोड़ा।

★★★ **भाग IV के बाहर के निदेशक तत्व**: **अनुच्छेद 335** (भाग XVI) प्रशासन की दक्षता की संगति में लोक पदों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे; **अनुच्छेद 350A** (भाग XVII) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर **मातृभाषा** में शिक्षा (7वें संशोधन, 1956 से जोड़ा गया); **अनुच्छेद 351** (भाग XVII) **हिंदी** का प्रसार और विकास।

★★★ **निदेशक तत्व नहीं**: **छोटे परिवार का मानदंड**। 'जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन' **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20A** है, जिसे 42वें संशोधन ने जोड़ा।

★★ **भाग IV में संशोधन** के लिए केवल संसद का **विशेष बहुमत** चाहिए; निदेशक तत्व उस सूची में नहीं हैं जिसके लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए।

याद रखें: भाग IV के लिए 42वें संशोधन की चार: **Child, Court, Company, Climate** = 39(f), 39A, 43A, 48A (बच्चा, न्यायालय, कंपनी, पर्यावरण)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (39(d)) और 'काम का अधिकार' (41) **मूल** संविधान में थे; 42वें ने **प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी (43A)** जोड़ी। 42वें ने **39A, 43A और 48A** जोड़े, अनुच्छेद 47 नहीं। मातृभाषा में शिक्षा **अनुच्छेद 350A** है, भाग IV के बाहर।

☑ झटपट जाँच

1. किस संशोधन ने अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े?
2. अनुच्छेद 45 अब किस आयु वर्ग को शामिल करता है?
3. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा: कौन-सा अनुच्छेद और भाग?

उत्तर: 1. 42वाँ (1976) · 2. छह वर्ष से कम के बच्चे (देखरेख और शिक्षा) · 3. अनुच्छेद 350A, भाग XVII

अधिकार बनाम निदेशक तत्व: लंबी रस्साकशी

चंपकम 1951

अनुच्छेद 31C

गोलकनाथ 1967

मिनर्वा मिल्स 1980

सामंजस्यपूर्ण निर्वचन

भूमि सुधार विधियों ने अनुच्छेद 39(b) और (c) के निदेशक तत्वों को लागू किया पर संपत्ति छीनी, इसलिए न्यायालयों ने उन्हें मौलिक अधिकार तोड़ने के आधार पर रद्द किया। संसद ने संशोधनों से उत्तर दिया; न्यायालयों ने निर्णयों से। यह मुकाबला **संतुलन** पर समाप्त हुआ: किसी भी भाग का प्रयोग दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता।

मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों की तुलना ★★★

बिंदु	मौलिक अधिकार	निदेशक तत्व
स्थान	भाग III, अनुच्छेद 12–35	भाग IV, अनुच्छेद 36–51
न्यायालय में प्रवर्तनीय	हाँ (Justiciable)	नहीं (अनुच्छेद 37)
प्रकृति	मुख्यतः नकारात्मक: राज्य पर सीमाएँ	सकारात्मक: राज्य के लिए कार्य
क्या बनाते हैं	राजनीतिक लोकतंत्र	सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
किसके हित में	व्यक्ति	समुदाय
इन्हें तोड़ने वाली विधि	शून्य होती है	वैध रहती है
काम करने के लिए विधि चाहिए	नहीं, स्वतः काम करते हैं	हाँ
पीछे का बल	विधिक	नैतिक और राजनीतिक
आपातकाल में	निलंबित हो सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर	प्रश्न ही नहीं उठता

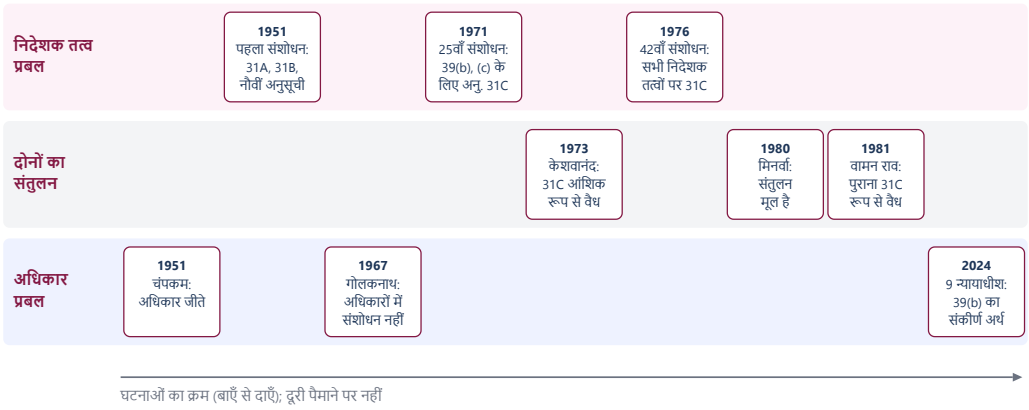

हर दौर किसने जीता: पहले न्यायालयों ने अधिकारों का पक्ष लिया, संसद ने संशोधनों से निदेशक तत्वों को आगे बढ़ाया, और केशवानंद तथा मिनर्वा मिल्स ने संतुलन तय किया।

★★★ **चंपकम दोरैराजन (Champakam Dorairajan) (1951)**: निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते; वे भाग III के **अधीनस्थ** चलते हैं। संसद ने **पहले (1st) संशोधन (1951)** से उत्तर दिया: अनुच्छेद 15(4), 31A, 31B और **नौवीं अनुसूची**।

★★ **केरल शिक्षा विधेयक (Kerala Education Bill) (1958)**: न्यायालय जहाँ तक संभव हो दोनों भागों में **सामंजस्य** बिठाएँ (सामंजस्यपूर्ण निर्वचन (Harmonious construction)); वास्तविक टकराव में अधिकार प्रबल होते हैं।

★★★ **गोलकनाथ (Golaknath) (1967)**: संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी नहीं।

★★★ **25वें संशोधन (1971)** ने **अनुच्छेद 31C** जोड़ा: **39(b) या (c)** को प्रभावी करने वाली विधि **अनुच्छेद 14 या 19** के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं हो सकती, और विधि में की गई यह घोषणा कि वह ऐसा करती है, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती थी।

★★★ **केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati) (1973)** ने 31C का पहला भाग वैध ठहराया पर वह खंड रद्द किया जो न्यायालयों को घोषणा की जाँच से रोकता था।

★★ **42वें संशोधन (1976)** ने 31C को **किसी भी** निदेशक तत्व की विधियों तक फैला दिया, जिससे पूरा भाग IV अनुच्छेद 14 और 19 से ऊपर हो गया।

★★★ **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने वह विस्तार रद्द किया: संविधान भाग III और IV के बीच **संतुलन और सामंजस्य** पर टिका है, और यह संतुलन एक **मूल विशेषता** है। निदेशक तत्व लक्ष्य हैं, अधिकार साधन; साधनों को नष्ट करके लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकता।

★★ **वामन राव (Waman Rao) (1981)** ने 39(b) और (c) की विधियों के लिए अनुच्छेद 31C को उसके मूल (1976 से पहले के) रूप में वैध ठहराया।

★★ **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (Property Owners Association) (2024)**: **नौ न्यायाधीशों** की पीठ ने कहा कि हर निजी स्वामित्व वाला संसाधन **39(b)** के अधीन 'समुदाय का भौतिक संसाधन' नहीं है; इसने यह भी पुष्टि की कि मूल 31C अब भी बना हुआ है।

★ **रणधीर सिंह (Randhir Singh) (1982)**: अनुच्छेद 14 और 16 के साथ पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन न्यायालयों द्वारा लागू कराया जा सकता है। **मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी (Mohd. Hanif Quareshi) (1958)** ने गायों और बछड़ों के वध पर रोक को वैध ठहराया पर बूढ़े, अनुपयोगी पशुओं पर नहीं; **मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी (Mirzapur Moti Kureshi) (2005)** ने गायों और उनकी संतति के वध पर पूर्ण रोक को वैध ठहराया।

याद रखें: मिनर्वा का संतुलन: एक साइकिल सोचिए। अधिकार **पहिए** हैं, निदेशक तत्व **मंज़िल**। मंज़िल तक जल्दी पहुँचने के लिए पहिए हटा दें, तो आप कभी नहीं पहुँचेंगे।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** मिनर्वा मिल्स ने 31C के **42वें संशोधन वाले विस्तार** को रद्द किया, स्वयं अनुच्छेद 31C को नहीं। मूल 31C (39(b) और (c) के लिए) बना हुआ है।

झटपट जाँच

1. किस मामले ने कहा कि भाग III और IV के बीच संतुलन एक मूल विशेषता है?
2. अनुच्छेद 31C किन दो निदेशक तत्वों के लिए बनी विधियों को संरक्षण देता है?
3. किसी निदेशक तत्व की उपेक्षा करने वाली विधि शून्य है या वैध?

उत्तर: 1. मिनर्वा मिल्स (1980) · 2. 39(b) और 39(c) · 3. वैध (केवल अधिकार तोड़ने वाली विधि शून्य होती है)

काम करते निदेशक तत्व: विधियाँ, योजनाएँ और अनुच्छेद 21

विधिक सहायता, NALSA

73वाँ संशोधन

VB-G RAM G

समान नागरिक संहिता: गोवा, उत्तराखंड

अनुच्छेद 21 में पढ़ना

कोई निदेशक तत्व तब काम करता है जब संसद या कोई राज्य उसे विधि या योजना में बदलता है। न्यायालयों ने दूसरा रास्ता जोड़ा: वे अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को निदेशक तत्वों के प्रकाश में पढ़ते हैं, जिससे कई निदेशक तत्व प्रवर्तनीय अधिकार बन गए हैं।

निदेशक तत्व (भाग IV)		उसे लागू करने वाली विधि या कदम
39A	समान न्याय, विधिक सहायता	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987; NALSA 1995
40	ग्राम पंचायतें	73वाँ संशोधन 1992: भाग IX
41	काम का अधिकार	मनरेगा 2005; VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से
43	कुटीर उद्योग	खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1957
44	समान नागरिक संहिता	गोवा सिविल संहिता; उत्तराखंड संहिता 2024
45	6 वर्ष से कम की देखरेख	ICDS आँगनवाड़ी 1975
47	पोषण	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
48A	पर्यावरण	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
49	स्मारक	प्राचीन संस्मारक अधिनियम 1958
50	पृथक न्यायपालिका	CrPC 1973, अब BNSS 2023

दस निदेशक तत्व और उन्हें लागू करने वाली विधियाँ या कदम।

★★ **भूमि सुधार (39(b), (c))**: ज़मींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि जोत पर **सीलिंग**; बैंक राष्ट्रीयकरण (1969) और **प्रिवी पर्स** की समाप्ति (26वाँ संशोधन, 1971) भी।

★★★ **विधिक सहायता (39A)**: **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) 1987**; **NALSA** 1995 में स्थापित, भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक; **लोक अदालतें**; **9 नवंबर** राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है।

★★★ **पंचायतें (40)**: **73वें संशोधन (1992)** ने इन्हें **भाग IX** में संवैधानिक दर्जा दिया।

★★ **काम का अधिकार (41)**: **मनरेगा (MGNREGA) 2005** ने हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के मज़दूरी वाले काम की गारंटी दी; इसका स्थान **VB-G RAM G अधिनियम** ने लिया, जो दिसंबर 2025 में पारित हुआ और **1 जुलाई 2026** से लागू है, और गारंटी बढ़ाकर **125 दिन** करता है।

★★ **कर्मकार (39, 42, 43)**: न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, **समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act) 1976** (39(d) के लिए), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (2017 से **26 सप्ताह** का सवेतन अवकाश)। अब ये **चार श्रम संहिताओं** में समाहित हैं, जो **नवंबर 2025** से लागू हैं।

★★ **प्रारंभिक बाल्यावस्था (45)**: **ICDS (1975)** आँगनवाड़ियाँ चलाती है; **NEP 2020** 3–6 वर्ष की आयु को स्कूली ढाँचे में लाती है। **पोषण (47)**: **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) 2013**, पीएम पोषण (PM POSHAN) विद्यालय भोजन।

★★ **पर्यावरण (48A)**: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Environment (Protection) Act) 1986**, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। **स्मारक (49)**: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958।

★★ **पृथक न्यायपालिका (50)**: **CrPC 1973** ने न्यायिक काम कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से अलग किया; **BNSS 2023** यह विभाजन बनाए रखती है। **विश्व शांति (51)**: पंचशील (1954), गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना।

★★★ **समान नागरिक संहिता (44)**: **गोवा** में पुर्तगाली शासन के समय से (1867 की सिविल संहिता) एक साझा सिविल संहिता है; **उत्तराखंड** ने **2024** में स्वतंत्र भारत की पहली राज्य समान नागरिक संहिता विधि पारित की, जो **27 जनवरी 2025** से लागू है; **गुजरात** विधानसभा ने **मार्च 2026** में दूसरी पारित की।

★ **न्यायालय और आयोग में समान नागरिक संहिता**: शाह बानो (Shah Bano) (1985) ने खेद जताया कि अनुच्छेद 44 मृत पत्र बना हुआ है; सरला मुद्गल (Sarla Mudgal) (1995) ने कार्रवाई का आग्रह किया; **21वें विधि आयोग (2018)** ने उस समय समान नागरिक संहिता को 'न आवश्यक, न वांछनीय' पाया।

★★ **मद्यनिषेध (47)**: नवंबर 2026 की स्थिति में **गुजरात**, **बिहार** (अप्रैल 2016 से), **नागालैंड** और **मिज़ोरम** (2019 से) में पूर्ण प्रतिबंध।

★★★ **अनुच्छेद 21 में पढ़े गए निदेशक तत्व**: निःशुल्क विधिक सहायता (39A) **एम.एच. होसकोट (M.H. Hoskot) (1978)** और **हुसैनारा खातून (Hussainara Khatoon) (1979)** में; आजीविका (39(a), 41) **ओल्गा टेलिस (Olga Tellis) (1985)** में; शिक्षा (45) **मोहिनी जैन (Mohini Jain) (1992)** और **उन्नी कृष्णन (Unni Krishnan) (1993)** में; आपातकालीन चिकित्सा (47) पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति (1996) में; स्वच्छ पर्यावरण (48A) **एम.सी. मेहता (M.C. Mehta)** मामलों में।

★★ **उन्नी कृष्णन (1993)** ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को 14 वर्ष की आयु तक सीमित किया; इसी से **86वाँ संशोधन** और **अनुच्छेद 21A** आए।

आसपास देखें: बिहार में तीन निदेशक तत्व काम करते दिखते हैं: अप्रैल 2016 से पूर्ण **मद्यनिषेध** (अनुच्छेद 47), ज़मींदारी समाप्त करने वाला **बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950** (39(b), (c)), और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन **पंचायत सीटों में से 50% महिलाओं के लिए** (अनुच्छेद 40); ऐसा करने वाला यह पहला राज्य था।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है, पर तीन स्तरों, चुनावों और आरक्षण का बाध्यकारी ढाँचा **73वें संशोधन** से आया **भाग IX** है, भाग IV नहीं।

झटपट जाँच

1. कौन-सा अधिनियम अनुच्छेद 39A को लागू करता है, और उसने कौन-सा निकाय बनाया?
2. स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पर पहली राज्य विधि?
3. किस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायालयों ने कुछ निदेशक तत्वों को प्रवर्तनीय बनाया?

उत्तर: 1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987; NALSA (1995) · 2. उत्तराखंड (2024, जनवरी 2025 से लागू) · 3. अनुच्छेद 21

मौलिक कर्तव्य: क्यों और कैसे आए

भाग IVA, अनुच्छेद 51A

स्वर्ण सिंह 1976

सोवियत संघ (USSR)

केवल नागरिक

न्यायालय में अप्रवर्तनीय

वर्मा 1999

केवल अधिकारों से लोकतंत्र नहीं चलता; नागरिकों पर भी कुछ दायित्व हैं। 1950 के संविधान में **कोई कर्तव्य नहीं** था। इन्हें **1976** में, आंतरिक आपातकाल के दौरान, एक नए भाग में एक ही अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया।

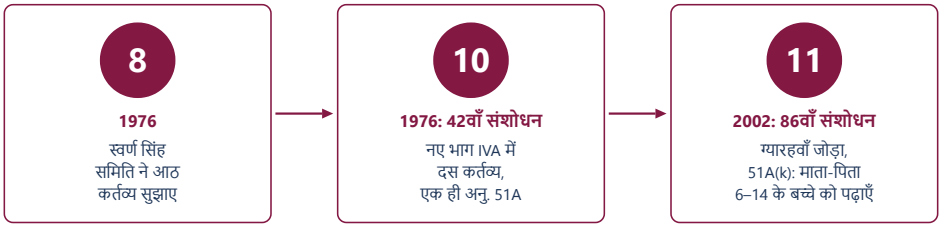

आठ प्रस्तावित, दस जोड़े गए, आज ग्यारह: परीक्षक यही गिनती पूछते हैं।

★★★ **सरदार स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) (1976)**, जिसे सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने बनाया, ने कर्तव्यों की सिफ़ारिश की; इसने **आठ** प्रस्तावित किए। **42वें संशोधन (1976)** ने एक अनुच्छेद, **51A**, वाले नए **भाग IVA** में **दस** जोड़े।

★★★ **86वें संशोधन (2002)** ने ग्यारहवाँ कर्तव्य, **51A(k)**, जोड़ा: माता-पिता या संरक्षक **6–14** वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दे।

★★★ **प्रेरणा**: **पूर्व सोवियत संघ (USSR)** का संविधान। जापान को प्रायः ऐसे लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में बताया जाता है जिसके संविधान में भी कर्तव्य हैं।

★★★ **केवल नागरिक**: कर्तव्य नागरिकों पर लागू हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों की भी रक्षा करते हैं। इसके विपरीत निदेशक तत्व **राज्य** को संबोधित हैं।

★★★ **न्यायालय में अप्रवर्तनीय (Non-justiciable)**: संविधान इन्हें लागू कराने का कोई सीधा तरीका नहीं देता और कोई दंड तय नहीं करता। **संसद** विधि बनाकर किसी भी कर्तव्य को **लागू करा सकती है**; तब तक कर्तव्य नागरिक और नैतिक दायित्व है, विधिक नहीं।

★★ **समिति के जो विचार नहीं माने गए**: कर्तव्यों का पालन न करने पर **दंड** देने की संसद की शक्ति, ऐसी दंड विधियों को न्यायालय में चुनौती देने पर रोक, और **कर चुकाने का कर्तव्य**।

★★ **44वें संशोधन (1978)** ने 42वें का बहुत-सा भाग पलटा, पर कर्तव्यों को नहीं छुआ।

★★ **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (J.S. Verma Committee) (1999)** ने अध्ययन किया कि कर्तव्य कैसे प्रभावी हों, और पाया कि कई मौजूदा विधियाँ इनमें से कुछ को पहले से लागू करती हैं; इसने विद्यालयों में इन्हें पढ़ाने पर ज़ोर दिया।

★ **प्रकृति**: कुछ कर्तव्य **नैतिक** हैं (स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोना), कुछ **नागरिक** (ध्वज का आदर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा); मूल्य भारतीय परंपरा से आए हैं, केवल इन्हें सूचीबद्ध करने का विचार सोवियत संघ से।

सरदार स्वर्ण सिंह, जिनकी समिति ने 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफ़ारिश की। चित्र: Lok Sabha Secretariat (1957), Wikimedia Commons, Public domain (PD-India)

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'कर्तव्यों को लागू कराने के लिए विधायी प्रक्रिया का उपबंध है' और 'ये विधिक कर्तव्यों के सहसंबंधी हैं' **दोनों गलत** हैं: संविधान कोई प्रवर्तन नहीं देता, और संसद की विधि के बिना कर्तव्य विधिक कर्तव्य नहीं हैं।

याद रखें: 11 – 51A – IVA: ग्यारह कर्तव्य, एक अनुच्छेद, एक भाग। और **8 → 10 → 11**: स्वर्ण सिंह ने प्रस्तावित किए, 42वें ने जोड़े, 86वें ने पूरे किए।

झटपट जाँच

1. किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफ़ारिश की, और कितने प्रस्तावित किए?
2. किस संशोधन ने ग्यारहवाँ कर्तव्य जोड़ा?
3. कर्तव्य किसे संबोधित हैं: राज्य को या नागरिकों को?

उत्तर: 1. स्वर्ण सिंह समिति; आठ · 2. 86वाँ (2002), 51A(k) · 3. केवल नागरिकों को

ग्यारह कर्तव्य, (a) से (k)

51A(c) संप्रभुता

51A(f) सामासिक संस्कृति

51A(g) पर्यावरण

51A(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण

अनुच्छेद 51A का हर खंड इस वाक्य से शुरू होता है: 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा'। प्रश्न प्रायः चार कार्य देकर पूछते हैं कि कौन-सा कर्तव्य नहीं है, इसलिए सूची समूहों में याद करें और लोकप्रिय नकली विकल्प भी।

अनुच्छेद 51A: ग्यारह कर्तव्य ★★★

खंड	कर्तव्य	समूह
(a)	**संविधान** का पालन, उसके आदर्शों और संस्थाओं, **राष्ट्रीय ध्वज** और **राष्ट्रगान** का आदर	राष्ट्र
(b)	**स्वतंत्रता संग्राम** के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना और उनका पालन	राष्ट्र
(c)	भारत की **संप्रभुता, एकता और अखंडता** की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना	राष्ट्र
(d)	देश की **रक्षा** और आह्वान पर **राष्ट्र की सेवा**	राष्ट्र
(e)	धर्म, भाषा, क्षेत्र से परे **समरसता** और भ्रातृत्व बढ़ाना; **महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध** प्रथाओं का त्याग	समाज
(f)	हमारी **सामासिक संस्कृति** की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसे बनाए रखना	समाज
(g)	**प्राकृतिक पर्यावरण** (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा और सुधार; प्राणियों के प्रति **दया**	प्रकृति और मन
(h)	**वैज्ञानिक दृष्टिकोण**, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास	प्रकृति और मन
(i)	**सार्वजनिक संपत्ति** की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना	समाज
(j)	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में **उत्कर्ष** की ओर बढ़ना	स्वयं
(k)	माता-पिता या संरक्षक **6–14** वर्ष के बच्चे या प्रतिपाल्य को **शिक्षा** के अवसर दें (86वाँ, 2002)	अगली पीढ़ी

लक्ष्य	अधिकार (भाग III)	निदेशक तत्व (भाग IV)	कर्तव्य (भाग IVA)
पर्यावरण	अनु. 21: स्वच्छ पर्यावरण	अनु. 48A: रक्षा करो	51A(g): रक्षा करो
शिक्षा	अनु. 21A: 6–14 वर्ष	अनु. 45: 6 वर्ष से कम	51A(k): माता-पिता, 6–14
गरिमा, समरसता	अनु. 17: अस्पृश्यता नहीं	अनु. 46: कमजोर वर्ग	51A(e): समरसता, महिलाएँ

एक लक्ष्य, तीन भाग: एक ही उद्देश्य अधिकार, निदेशक तत्व और कर्तव्य के रूप में आता है।

★★★ **कर्तव्य नहीं**: **मतदान** करना, **कर चुकाना**, परिवार नियोजन अपनाना, **राष्ट्रगीत** या **राजचिह्न** का आदर करना। आदर केवल संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान का कर्तव्य है।

★★★ **कमजोर वर्गों की सामाजिक अन्याय से रक्षा** एक **निदेशक तत्व (अनुच्छेद 46)** है, कर्तव्य नहीं। **वैज्ञानिक दृष्टिकोण**, **सामासिक संस्कृति** और **उत्कर्ष की ओर बढ़ना** कर्तव्य हैं।

★★★ **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे'** कर्तव्य **51A(c)** का शब्दांकन है।

★★ **51A(k)** एकमात्र कर्तव्य है जो किसी विशेष समूह, यानी माता-पिता और संरक्षकों, पर पड़ता है। छह वर्ष से कम की देखरेख **अनुच्छेद 45** (निदेशक तत्व) है; 6–14 की स्कूली शिक्षा **अनुच्छेद 21A** (अधिकार) है।

★★ **अन्यत्र गूँज**: 42वें संशोधन ने उद्देशिका में 'अखंडता' भी जोड़ी (51A(c) से तुलना करें) और निदेशक तत्वों में **48A** (51A(g) से तुलना करें)।

याद रखें: ग्यारह को समूहों में बाँटें: **राष्ट्र** (a, b, c, d), **समाज** (e, f, i), **प्रकृति और मन** (g, h), **स्वयं और अगली पीढ़ी** (j, k)। चार, तीन, दो, दो।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 2025 जैसा सुमेलन: 'न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण' = **निदेशक तत्व (अनुच्छेद 50)**; 'हमारी सामासिक संस्कृति की विरासत बनाए रखना' = **कर्तव्य (51A(f))**; '14 से कम आयु का कोई बच्चा कारखानों में नहीं' = **मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 24)**। तीनों युग्म सही हैं, और हर एक अलग भाग में है।

☑ झटपट जाँच

1. क्या सार्वजनिक चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य है?
2. कौन-सा खंड नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने को कहता है?
3. पर्यावरण: अधिकार, निदेशक तत्व और कर्तव्य बताइए।

उत्तर: 1. नहीं · 2. 51A(h) · 3. अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, 51A(g)

विधि की पुस्तकों और न्यायालयों में कर्तव्य

अपमान निवारण अधिनियम 1971

एम्स छात्र संघ 2001

बिजो इमैनुएल 1986

नवीन जिंदल 2004

युक्तियुक्त निर्बंधन

कोई न्यायालय रिट द्वारा किसी नागरिक को कर्तव्य निभाने का आदेश नहीं दे सकता। फिर भी कर्तव्य खोखले नहीं हैं: कई विधियाँ इनके उल्लंघन को पहले से दंडित करती हैं, और न्यायाधीश अस्पष्ट विधियों के निर्वचन में और यह तय करने में कि किसी अधिकार पर सीमा युक्तियुक्त है या नहीं, इनका उपयोग करते हैं।

कर्तव्य		उसे बल देने वाली विधि
51A(a)	ध्वज, राष्ट्रगान का आदर	राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971
51A(c), (e)	एकता, समरसता	समूहों में शत्रुता बढ़ाने पर आपराधिक विधि
51A(g)	पर्यावरण	वन्यजीव अधिनियम 1972; पर्यावरण अधिनियम 1986
51A(g)	दया	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960
51A(h)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण	अंधविश्वास-विरोधी विधियाँ: महाराष्ट्र 2013
51A(i)	सार्वजनिक संपत्ति	लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984
51A(k)	शिक्षा 6–14	बालकों का निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009

वे कर्तव्य जिन्हें मौजूदा विधियाँ पहले से लागू करती हैं, जैसा वर्मा समिति (1999) ने बताया।

★★★ **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act) 1971 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान** के अपमान को दंडित करता है (कर्तव्य 51A(a))।

★★ **कर्तव्यों की सेवा करने वाली अन्य विधियाँ**: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (51A(g)); पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (दया, 51A(g)); लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 (51A(i)); RTE अधिनियम 2009 (51A(k)); लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (धर्म या शत्रुता के आधार पर वोट नहीं)।

★★ **एम्स छात्र संघ (AIIMS Students' Union) (2001)**: कर्तव्य रिट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, पर वे निर्वचन का मार्गदर्शन करते हैं और अधिकारों जितने ही महत्वपूर्ण हैं।

★★ **युक्तियुक्तता की कसौटी**: यदि कोई विधि किसी कर्तव्य को प्रभावी करती है, तो न्यायालय अनुच्छेद 14 या 19 के अधीन किसी अधिकार पर उसकी सीमा को **युक्तियुक्त** मान सकता है, जैसे **मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी (2005)** में (अनुच्छेद 48 और 48A के साथ पढ़ा गया 51A(g))।

★ **बिजो इमैनुएल (Bijoe Emmanuel) (1986)**: जो विद्यार्थी आदरपूर्वक खड़े रहे पर राष्ट्रगान नहीं गाया, उन्होंने कोई अनादर नहीं किया। **नवीन जिंदल (Naveen Jindal) (2004)**: सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना **19(1)(a)** के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।

★ **श्याम नारायण चौकसे (Shyam Narayan Chouksey)**: 2016 के एक अंतरिम आदेश ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया; 2018 में न्यायालय ने इसे वैकल्पिक कर दिया।

★ **रंगनाथ मिश्र (Ranganath Mishra) (2003)**: न्यायालय ने संघ से वर्मा समिति पर कार्रवाई करने और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने को कहा। **एम.सी. मेहता** मामले: 51A(g) के आधार पर विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण पाठ का आदेश दिया गया।

★ **जल्लीकट्टू (Jallikattu)**: **2023** में एक संविधान पीठ ने तमिलनाडु की संशोधित विधि को वैध ठहराया, जो विनियमन के अधीन इस खेल की अनुमति देती है; इसमें पशुओं के प्रति दया (51A(g)) और संस्कृति को तौला गया।

आसपास देखें: महाराष्ट्र (2013) और **कर्नाटक (2017)** की अंधविश्वास-विरोधी विधियों को **51A(h)**, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करने के कर्तव्य, को प्रभावी करने वाला बताया जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान: 1999 की वर्मा समिति** मौलिक कर्तव्यों पर थी। **2013** की न्यायमूर्ति वर्मा समिति यौन अपराधों पर आपराधिक विधि के बारे में थी। न्यायाधीश एक, समितियाँ अलग।

झटपट जाँच

1. कौन-सी 1971 की विधि ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान को दंडित करती है?
2. क्या न्यायालय रिट द्वारा कोई कर्तव्य लागू करा सकता है?

उत्तर: 1. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम · 2. नहीं; कर्तव्य निर्वचन और युक्तियुक्तता में मार्गदर्शन करते हैं

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (19)

UPSC 2011 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है ?
(a) लोक चुनावों में मतदान करना (b) वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना (c) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना
(d) संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना
उत्तर: (a) लोक चुनावों में मतदान करना. लोक चुनावों में मतदान करना अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है; अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को कर्तव्य बताता है

UPSC 2012 भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए :
1. भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक (सिविल) संहिता सुरक्षित करना
2. ग्राम पंचायतों को संघटित करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना
4. सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना
उपर्युक्त में से कौन-से गाँधीवादी सिद्धान्त हैं, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में प्रतिबिम्बित होते हैं?
(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (b) केवल 2 और 3. गांधीवादी नीति-निदेशक तत्व: ग्राम पंचायत (अनु. 40), कुटीर उद्योग (अनु. 43); समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) उदार-बौद्धिक निदेशक तत्व है

UPSC 2012 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है/हैं?
1. मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा
2. सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा
3. वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास
4. वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 1, 3 और 4. अनुच्छेद 51A में सामासिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता का प्रयास शामिल हैं; कमज़ोर वर्गों की सामाजिक अन्याय से रक्षा नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 46) है

UPSC 2013 भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा, देश के शासन के लिए आधारभूत है?
(a) मूल अधिकार (b) मूल कर्तव्य (c) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (d) मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य
उत्तर: (c) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. अनुच्छेद 37: नीति-निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं

UPSC 2014 भारत के संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है?
(a) संविधान की उद्देशिका में (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में (c) मूल कर्तव्यों में (d) नौवीं अनुसूची में
उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में. अनुच्छेद 51: राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा

UPSC 2015 राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. ये तत्त्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
2. इन तत्त्वों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एन्फोर्सिएबल) नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. नीति-निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं; अनुच्छेद 37: नीति-निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं

UPSC 2015 "भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।" यह उपबन्ध किसमें किया गया है?
(a) संविधान की उद्देशिका (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (c) मूल अधिकार (d) मूल कर्तव्य
उत्तर: (d) मूल कर्तव्य. अनुच्छेद 51A(ग): भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का कर्तव्य

UPSC 2015 भारत के संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है?
(a) उद्देशिका (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (c) मूल अधिकार (d) सातवीं अनुसूची
उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. नीति-निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श को व्यक्त करते हैं

UPSC 2017 संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में जोड़ा गया था ?
(a) पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन (b) उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता
(c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार (d) श्रमिकों के लिए निर्वाह-योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएँ सुरक्षित करना
उत्तर: (b) उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता. 42वें संशोधन (1976) ने निदेशक तत्त्वों में अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े; अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता

UPSC 2017 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
भारत के संविधान के सन्दर्भ में, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
1. विधायिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं ।
2. कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. नीति-निदेशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय निर्देश हैं, राज्य की शक्ति पर निर्बंधन नहीं

UPSC 2017 निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है/हैं ?
1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है ।
2. वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. मूल कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं; संविधान इन्हें लागू करने का कोई तरीका नहीं देता; मूल कर्तव्य नागरिक दायित्व हैं; संसद चाहे तो कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है

UPSC 2020 भारत में, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, किससे व्यादेशित है ?
(a) संविधान की उद्देशिका द्वारा (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व द्वारा (c) सातवीं अनुसूची द्वारा (d) परम्परागत व्यवहार द्वारा
उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व द्वारा. अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है

UPSC 2020 मूल अधिकारों के अतिरिक्त, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता/करते है/हैं ?
1. उद्देशिका
2. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
3. मूल कर्तव्य
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. UDHR के आदर्श प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, नीति-निदेशक तत्वों और कर्तव्यों में दिखते हैं

UPSC 2020 भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है ?
(a) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (b) मूल अधिकार (c) उद्देशिका (d) सातवीं अनुसूची
उत्तर: (a) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श को निर्धारित करते हैं (भाग IV)

UPSC 2020 भारत के संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे ।
2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे ।
3. इस भाग में अधिकथित सिद्धान्त राज्य के द्वारा क़ानून बनाने को प्रभावित करेंगे ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3
उत्तर: (d) केवल 2 और 3. अनुच्छेद 37: नीति-निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, पर शासन में मूलभूत हैं

UPSC 2021 भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केन्द्रीकरण किसका उल्लंघन करता है?
(a) समता का अधिकार (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (c) स्वातंत्र्य का अधिकार (d) कल्याण की अवधारणा
उत्तर: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. अनुच्छेद 39(c) राज्य को धन के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देता है

UPSC 2025 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :
भारत के संविधान में उपबंध | किसके अधीन कथित
I. राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण | राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
II. हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्त्व समझना और उसका परिरक्षण करना | मूल कर्तव्य
III. कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध | मूल अधिकार
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (c) सभी तीन. अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 51A(f) सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्त्व समझने और उसके परिरक्षण को कर्तव्य बनाता है; अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है

BPSC 60th-62nd भारतीय संविधान के भाग-IV में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा/से सूचीबद्ध है/हैं ?
I. समान कार्य के लिए समान वेतन
II. समान नागरिक संहिता
III. छोटे परिवार का मानदण्ड
IV. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा
(a) I, II और III (b) I और II (c) II और III (d) I, II और IV (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) I और II. अनुच्छेद 39(घ): पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन; अनुच्छेद 350A (भाग XVII) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है

BPSC 71st निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निर्देशक तत्त्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नही है?
1) ग्राम पंचायतों का गठन
2) समान नागरिक संहिता
3) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति
4) काम का अधिकार
(a) 1 तथा 2 (b) केवल 2 (c) 2 और 4 (d) 1 और 3
उत्तर: (c) 2 और 4. ग्राम पंचायतें (अनु. 40) और कुटीर उद्योग (अनु. 43) गांधीवादी सिद्धांत हैं; समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) उदार-बौद्धिक नीति-निदेशक तत्व है; काम का अधिकार (अनुच्छेद 41) समाजवादी नीति-निदेशक तत्व है

स्वयं को परखें (11)

1. 44वें संशोधन ने भाग IV में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा?
(a) निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39A) (b) आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएँ कम करना (अनुच्छेद 38(2))
(c) सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 43B) (d) पर्यावरण की रक्षा (अनुच्छेद 48A)

2. कौन-सा निदेशक तत्व गांधीवादी माना जाता है?
(a) समान नागरिक संहिता (b) न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (c) सहकारी समितियों को बढ़ावा
(d) प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी

3. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उपबंध किसमें है?
(a) अनुच्छेद 45 (b) अनुच्छेद 46 (c) अनुच्छेद 350A (d) अनुच्छेद 351

4. किस मामले ने कहा कि मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन एक मूल विशेषता है?
(a) गोलकनाथ (1967) (b) मिनर्वा मिल्स (1980) (c) चंपकम दोरैराजन (1951) (d) वामन राव (1981)

5. मौलिक कर्तव्य किसकी सिफ़ारिश पर जोड़े गए?
(a) सरकारिया आयोग (b) स्वर्ण सिंह समिति (c) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (d) सप्रू समिति

6. विचार कीजिए: 1. मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू हैं। 2. कर चुकाने का कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। 3. अनुच्छेद 51A(k) 86वें संशोधन से जोड़ा गया। कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. अनुच्छेद 37 के अधीन निदेशक तत्व
(a) केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं (b) देश के शासन में मूलभूत हैं (c) राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर सीमाएँ हैं
(d) राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित रहते हैं

8. कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?
(a) अनुच्छेद 39(c): समान कार्य के लिए समान वेतन (b) अनुच्छेद 48A: स्मारकों की रक्षा (c) अनुच्छेद 41: काम का अधिकार
(d) अनुच्छेद 50: अंतरराष्ट्रीय शांति

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे।
2. 42वें संशोधन ने सहकारी समितियों पर अनुच्छेद 43B जोड़ा।
3. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा भाग IV में रखा गया एक निदेशक तत्व है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
उपबंध : अनुच्छेद
1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास : अनुच्छेद 51A(h)
2. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा : अनुच्छेद 48A
3. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता : अनुच्छेद 39A
ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई नहीं

11. एक राज्य विधि गायों और उनकी संतति के वध पर रोक लगाती है। एक मांस व्यापारी इसे अनुच्छेद 19(1)(g) के अधीन अपनी व्यापार की स्वतंत्रता पर सीमा बताकर चुनौती देता है। न्यायालय इस विधि को किस रूप में देखेगा, इसकी सबसे अधिक संभावना है?
(a) शून्य के रूप में, क्योंकि निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि कभी किसी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती
(b) युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में, अनुच्छेद 48 और कर्तव्य 51A(g) के साथ पढ़कर
(c) केवल इसलिए वैध कि 1976 से सभी निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों पर हावी हैं
(d) अपनी पहुँच से बाहर, क्योंकि अनुच्छेद 37 न्यायालयों को निदेशक तत्वों से जुड़ा कोई भी मामला सुनने से रोकता है

उत्तर: 1. (b) 44वें संशोधन (1978) ने 38(2) जोड़ा; 39A और 48A 42वें से आए, 43B 97वें से। · 2. (c) अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियाँ) गांधीवादी है; 44 और 50 उदार हैं, 43A समाजवादी। · 3. (c) भाग XVII का अनुच्छेद 350A; यह भाग IV के बाहर का निदेशक तत्व है। · 4. (b) मिनर्वा मिल्स ने इसी आधार पर 42वें संशोधन द्वारा किया गया अनुच्छेद 31C का विस्तार रद्द किया। · 5. (b) स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने आठ कर्तव्य प्रस्तावित किए; 42वें संशोधन ने दस जोड़े। · 6. (b) कर चुकाने का कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति ने प्रस्तावित किया था, पर कभी जोड़ा नहीं गया। · 7. (b) अनुच्छेद 37: किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, फिर भी शासन में मूलभूत; ये न विधायिका को सीमित करते हैं न कार्यपालिका को। · 8. (c) 39(c) धन का संकेंद्रण है, 48A पर्यावरण, 50 न्यायपालिका का पृथक्करण; 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। · 9. (a) अनुच्छेद 43B 97वें संशोधन (2011) से आया, और मातृभाषा में शिक्षा भाग XVII का अनुच्छेद 350A है, भाग IV के बाहर। · 10. (b) युग्म 2 गलत है: स्मारक अनुच्छेद 49 में हैं, जबकि 42वें संशोधन से जोड़ा गया 48A पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा करता है। · 11. (b) निदेशक तत्व या कर्तव्य को पूरा करने वाली विधि को सरलता से युक्तियुक्त माना जाता है (मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी, 2005); मिनर्वा मिल्स ने निदेशक तत्वों की किसी भी पूर्ण प्राथमिकता को समाप्त किया।

अध्याय 7

संविधान संशोधन और मूल ढाँचा

संशोधन कौन शुरू कर सकता है, विशेष बहुमत, किन उपबंधों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, राष्ट्रपति की अनिवार्य अनुमति, और गोलकनाथ से NJAC निर्णय तक मूल ढाँचे के मामले लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 10 बार पूछा गया: UPSC 7 · BPSC 3

≈ 41 min पढ़ने में ≈ 8 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

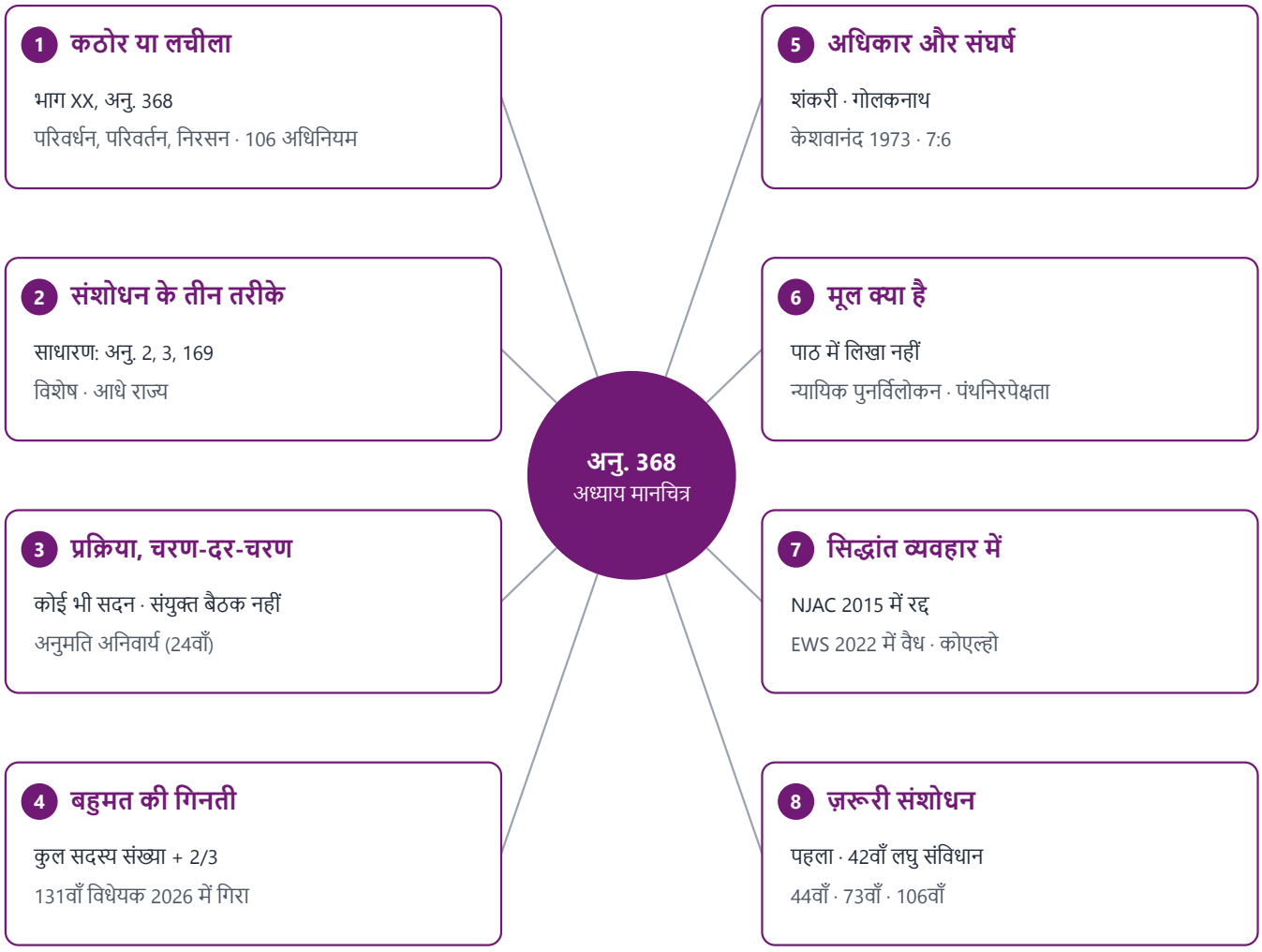

रिवीज़न कार्ड

1. **अनुच्छेद 368, भाग XX**: संसद अपनी **संविधायी शक्ति** का प्रयोग करते हुए किसी भी उपबंध में '**परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन**' द्वारा संशोधन कर सकती है। प्रक्रिया का विचार **दक्षिण अफ़्रीका** से लिया गया।
2. संशोधन विधेयक **किसी भी सदन** में, मंत्री या **गैर-सरकारी सदस्य** द्वारा, **राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश के बिना** पेश किया जा सकता है; राज्य विधानमंडल में कभी नहीं।
3. **प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत**: **कुल सदस्य संख्या** का बहुमत और **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई**। सदनों में असहमति होने पर **संयुक्त बैठक नहीं**।
4. **संघीय उपबंधों** के लिए **कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों** का अनुसमर्थन भी चाहिए, साधारण बहुमत से, **बिना किसी समय-सीमा** के: राष्ट्रपति का निर्वाचन (54, 55), संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति (73, 162), उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, **सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची**, **संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व**, GST परिषद (279A) और स्वयं अनुच्छेद 368।
5. **साधारण बहुमत, अनुच्छेद 368 के बाहर**: नए राज्य और नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3, 4), विधान परिषदों का सृजन या उत्सादन (169), पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ।
6. **24वाँ संशोधन (1971)**: राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर **अनुमति देने के लिए बाध्य** है; अनुच्छेद 13(4) संशोधनों को 'विधि' के अर्थ से बाहर रखता है।
7. **गोलकनाथ (1967)**: संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। **केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973)**: 13 न्यायाधीश, **7:6**; संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर **मूल ढाँचे में नहीं**।
8. **संविधान मूल ढाँचे को परिभाषित नहीं करता**; न्यायालय मामले-दर-मामले इसकी पहचान करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का नाम भी पाठ में नहीं है; यह अनुच्छेद 13, 32 और 226 पर टिका है।
9. **मिनर्वा मिल्स (1980)**: सीमित संशोधन शक्ति और भाग III तथा IV का संतुलन मूल हैं। **वामन राव (1981)**: यह कसौटी 24 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधनों पर लागू है। **आई.आर. कोएल्हो (2007)**: उस तिथि के बाद जोड़ी गई नौवीं अनुसूची की विधियाँ परखी जा सकती हैं।
10. **39वें संशोधन (1975)** ने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालयों से परे कर दिया (अनुच्छेद 329A); **इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975)** में रद्द; 44वें ने इसे हटाया।
11. **99वाँ संशोधन (NJAC)** न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण **2015** में रद्द; **103वाँ (EWS) 2022** में वैध ठहराया गया।
12. नवंबर 2026 की स्थिति में **106 संशोधन अधिनियम**; नवीनतम **106वाँ (2023)**, महिला आरक्षण, **16 अप्रैल 2026** से लागू, पर सीटें अगली जनगणना के बाद होने वाले पहले परिसीमन के बाद ही आरक्षित होंगी। अप्रैल 2026 में **131वाँ संशोधन विधेयक** दो-तिहाई बहुमत न मिलने से लोक सभा में गिर गया।
13. **पहला (1st) संशोधन (1951)** मौलिक अधिकारों पर न्यायालयों के निर्णयों को निष्प्रभावी करने के लिए किया गया; **42वाँ (1976)** 'लघु संविधान' है; **44वें (1978)** ने उसका बहुत-सा भाग पलटा।

कठोर या लचीला: अनुच्छेद 368 क्या अनुमति देता है

अनुच्छेद 368, भाग XX

परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन

संविधायी शक्ति

दक्षिण अफ़्रीका

106 अधिनियम

संविधान को पीढ़ियों तक चलना होता है, फिर भी देश बदलता है। संशोधन बहुत आसान हो तो एक क्षणिक बहुमत खेल के नियम फिर से लिख सकता है; बहुत कठिन हो तो पाठ जड़ हो जाता है। भारत ने बीच का रास्ता चुना: कुछ उपबंध साधारण विधि से बदलते हैं, अधिकतर के लिए विशेष बहुमत चाहिए, और जो राज्यों को प्रभावित करते हैं उनके लिए राज्यों की सहमति भी।

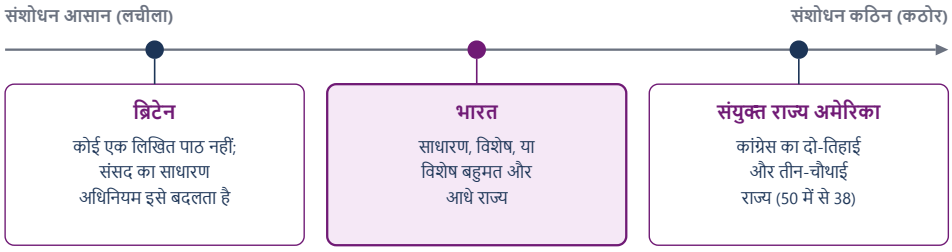

भारत ब्रिटेन, जहाँ एक साधारण अधिनियम संविधान बदल देता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ संशोधन के लिए तीन-चौथाई राज्यों की सहमति चाहिए, के बीच है।

★★★ **भाग XX** में **अनुच्छेद 368**: संसद अपनी **संविधायी शक्ति (Constituent power)** का प्रयोग करते हुए, इस अनुच्छेद की प्रक्रिया के अनुसार, संविधान के किसी भी उपबंध में **परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन** द्वारा संशोधन कर सकती है।

★★ **'संविधायी शक्ति'** और अनुच्छेद 368 का वर्तमान शीर्षक **24वें संशोधन (1971)** से आए, जो गोलकनाथ (Golaknath) निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए पारित हुआ।

★★ **उधार लिया गया**: संशोधन प्रक्रिया (और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन) **दक्षिण अफ़्रीका** से।

★★★ **आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला**: तीन रास्ते हैं (साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन)।

★★★ **गिनती, नवंबर 2026 की स्थिति में**: **106** संविधान संशोधन अधिनियम; नवीनतम **106वाँ (2023)** है, जो लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए देता है। इसे **16 अप्रैल 2026** को लागू किया गया, पर सीटें उस तिथि के बाद हुई पहली जनगणना पर आधारित पहले **परिसीमन (Delimitation)** के बाद ही आरक्षित होंगी, इसलिए अभी कोई सीट आरक्षित नहीं है। अमेरिकी संविधान में 1789 से अब तक 27 संशोधन हुए हैं।

★★ **विधेयक संख्या अधिनियम संख्या नहीं है**: हर संशोधन विधेयक को पेश होते समय एक संख्या मिलती है (एक साथ चुनावों पर 2024 का 129वाँ विधेयक, निरुद्ध मंत्रियों को हटाने पर 2025 का 130वाँ, दोनों संयुक्त समितियों के पास), पर केवल पारित विधेयक ही क्रमांकित अधिनियम बनते हैं।

★ **आलोचना**: संशोधन के लिए कोई विशेष निकाय (जैसे संविधान अभिसमय) नहीं; राज्य संशोधन शुरू नहीं कर सकते; केवल कुछ उपबंधों के लिए राज्यों की सहमति चाहिए; अनुसमर्थन की कोई समय-सीमा नहीं; गतिरोध सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक नहीं; बाकी सब साधारण विधि-निर्माण जैसा।

याद रखें: अनुच्छेद 368 संसद को **जोड़ने, बदलने या हटाने** देता है: किसी दस्तावेज़ को **Insert, Edit, Delete** से संपादित करने जैसा सोचिए। मूल ढाँचा फ़ाइल का 'read-only' (केवल पढ़ने योग्य) हिस्सा है।

⚠ **परीक्षा में सावधान: अनुच्छेद 2, 3 और 4** के अधीन विधियाँ (नए राज्य, बदली सीमाएँ या नाम) पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन करती हैं, पर अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन **नहीं** हैं; ये साधारण बहुमत से पारित होती हैं।

झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 368 किस भाग में है?
2. अनुच्छेद 368 संसद को किन तीन तरीकों से किसी उपबंध में संशोधन करने देता है?
3. नवंबर 2026 की स्थिति में नवीनतम अधिनियमित संशोधन?

उत्तर: 1. भाग XX · 2. परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन · 3. 106वाँ (2023), महिला आरक्षण

संशोधन के तीन तरीके

साधारण बहुमत

अनुच्छेद 2, 3, 169

विशेष बहुमत

आधे राज्य

368(2) का परंतुक

रास्ता जितना कठिन, परिवर्तन शक्ति-संतुलन को उतना ही अधिक छूता है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए साधारण विधि काफ़ी है; किसी मौलिक अधिकार को बदलने के लिए विशेष बहुमत चाहिए; संघ और राज्यों के बीच शक्ति के बँटवारे को बदलने के लिए राज्यों की सहमति भी चाहिए।

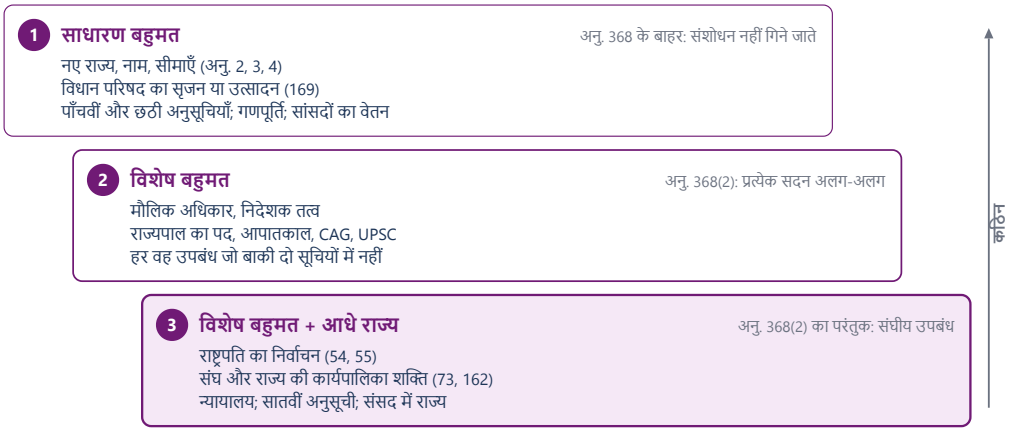

सबसे आसान से सबसे कठिन तक तीन रास्ते, हर रास्ते के विशिष्ट उपबंधों के साथ।

कौन-सा उपबंध किस बहुमत से बदलता है ★★★

रास्ता	उपबंध
साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं)	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3, 4); **विधान परिषद** का सृजन या उत्सादन (169); संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडल (239A); **पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ**; संसद में गणपूर्ति; सांसदों के वेतन और भत्ते; दूसरी अनुसूची की परिलब्धियाँ; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या; नागरिकता (अनुच्छेद 11); चुनाव और परिसीमन; संसद में अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग
प्रत्येक सदन का **विशेष बहुमत**	**मौलिक अधिकार**, **निदेशक तत्व**, और हर वह उपबंध जो बाकी दो पंक्तियों में नहीं है, जैसे राज्यपाल के पद की शर्तें (158), आपात उपबंध, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग
विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन (अनुच्छेद 368(2) का परंतुक)	**राष्ट्रपति का निर्वाचन** और उसकी रीति (54, 55); संघ (73) और राज्यों (162) की **कार्यपालिका शक्ति का विस्तार**; संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (241); **GST परिषद** (279A); **उच्चतम न्यायालय** और **उच्च न्यायालय**; विधायी शक्तियों का वितरण (अनुच्छेद 245–255); **सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची**; **संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व**; **स्वयं अनुच्छेद 368**

★★★ **अनुसमर्थन (Ratification)**: विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने से पहले **कम से कम आधे राज्यों** के विधानमंडलों के संकल्पों द्वारा। हर विधानमंडल इसे **साधारण बहुमत** से पारित करता है।

★★ **विधान परिषद (अनुच्छेद 169)**: राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है, फिर **संसद साधारण विधि बनाती है**; यह संविधान संशोधन नहीं है और इसके लिए अनुसमर्थन नहीं चाहिए।

★★ **संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची**: किसी विषय को एक सूची से दूसरी में ले जाना सातवीं अनुसूची को बदलता है, इसलिए अनुसमर्थन चाहिए। 101वें संशोधन (GST, 2016) का आधे से अधिक राज्यों ने अनुसमर्थन किया।

★★ **ये उपबंध क्यों**: ये तय करते हैं कि संघ और राज्य शक्ति कैसे बाँटते हैं, इसलिए संघीय साझेदारों की सहमति आवश्यक है।

याद रखें: अनुसमर्थन सूची '**PEST-CLR**' के रूप में: **P**resident's election (राष्ट्रपति का निर्वाचन), **E**xecutive power (कार्यपालिका शक्ति, 73, 162), **S**upreme Court and High Courts (उच्चतम और उच्च न्यायालय), **T**ax council (GST परिषद, 279A), **C**hapter on legislative relations (विधायी संबंधों का अध्याय), **L**ists of the Seventh Schedule (सातवीं अनुसूची की सूचियाँ), **R**epresentation of States in Parliament (संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व); साथ में स्वयं अनुच्छेद 368।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** किसी राज्य की **विधान परिषद** के उत्सादन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन **नहीं** चाहिए (अनुच्छेद 169, संसद में साधारण बहुमत)। **राज्यपाल के पद की शर्तों** (158) के लिए केवल विशेष बहुमत चाहिए। पर **संघ सूची** और **राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार** के लिए आधे राज्य चाहिए।

☑ झटपट जाँच

1. क्या सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए?
2. संसद विधान परिषद का उत्सादन किस बहुमत से करती है?
3. मौलिक अधिकारों में संशोधन किस रास्ते से होता है?

उत्तर: 1. हाँ, कम से कम आधे राज्यों का · 2. साधारण बहुमत, साधारण विधि द्वारा (अनुच्छेद 169) · 3. प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत, अनुसमर्थन नहीं

प्रक्रिया, चरण-दर-चरण

कोई भी सदन

गैर-सरकारी सदस्य

संयुक्त बैठक नहीं

कोई समय-सीमा नहीं

अनुमति अनिवार्य

संशोधन विधेयक साधारण विधेयक की तरह चलता है, तीन अंतरों के साथ: इसे प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत चाहिए, इसे राज्यों की आवश्यकता हो सकती है, और अंत में राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। हर चरण एक ऐसा दरवाज़ा बंद करता है जो साधारण विधेयकों के लिए खुला रहता है।

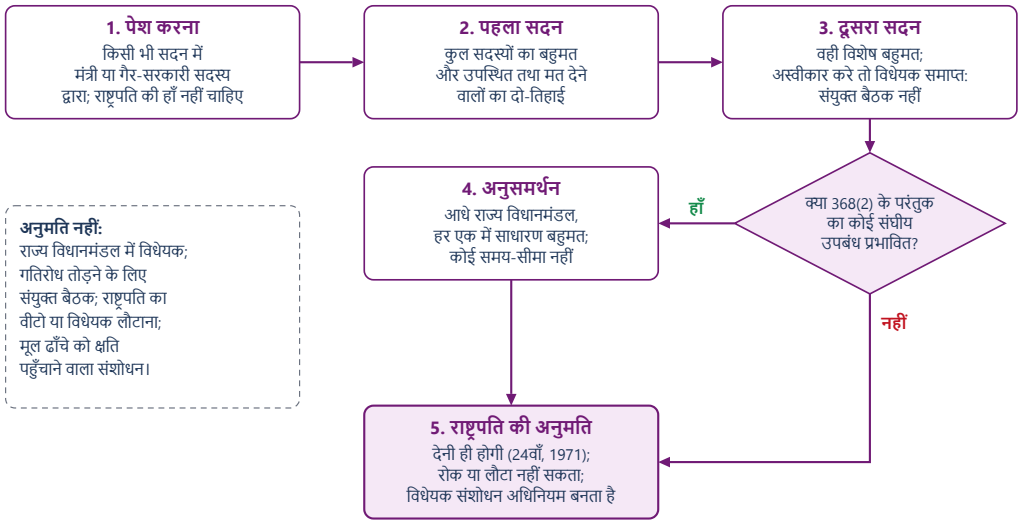

अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया। जो विधेयक किसी भी सदन में विशेष बहुमत न पा सके, वह समाप्त हो जाता है; उसे बचाने के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती।

★★★ **आरंभ**: केवल **संसद के किसी भी सदन**, लोक सभा **या** राज्य सभा, में विधेयक द्वारा; राज्य विधानमंडल में कभी नहीं।

★★★ **कौन पेश कर सकता है**: **मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private member)**। **राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफ़ारिश की आवश्यकता नहीं** है।

★★★ **पारित होना**: प्रत्येक सदन विधेयक को विशेष बहुमत से **अलग-अलग** पारित करता है। यहाँ राज्य सभा के पास **समान शक्ति** है; एक सदन विधेयक अस्वीकार कर दे तो वह गिर जाता है।

★★★ **संयुक्त बैठक नहीं**: अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक साधारण विधेयकों के लिए है, संशोधन विधेयकों के लिए नहीं।

★★ **राज्यों का अनुसमर्थन**, जहाँ आवश्यक हो: आधे राज्य विधानमंडल, साधारण बहुमत, **कोई समय-सीमा** विहित नहीं।

★★★ **राष्ट्रपति की अनुमति**: **24वें संशोधन (1971)** से राष्ट्रपति अनुमति **देगा**; वह न अनुमति रोक सकता है न विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तब विधेयक संविधान (Nवाँ संशोधन) अधिनियम बन जाता है।

★★ **साधारण विधेयक अलग हैं**: वे संयुक्त बैठक में जा सकते हैं (धन विधेयकों को छोड़कर), उन्हें केवल साधारण बहुमत चाहिए, और राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है या उन्हें एक बार लौटा सकता है।

★ **राज्य संशोधन शुरू नहीं कर सकते**; राज्य अधिक से अधिक अनुच्छेद 169 का संकल्प पारित कर सकता है, जिसमें संसद से अपनी विधान परिषद के सृजन या उत्सादन का अनुरोध होता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** परीक्षकों के प्रिय तीन गलत कथन: 'संशोधन केवल लोक सभा में पेश हो सकता है', 'इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश चाहिए', और 'संघीय संशोधनों के लिए **सभी** राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए'। सही: कोई भी सदन, सिफ़ारिश नहीं, **आधे** राज्य।

याद रखें: संशोधन विधेयकों का **तीन 'नहीं' का नियम**: पेश करने के लिए राष्ट्रपति की हाँ **नहीं** चाहिए, संयुक्त बैठक **नहीं**, अंत में वीटो **नहीं**।

झटपट जाँच

1. क्या कोई गैर-सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है?
2. किस संशोधन ने राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य की?
3. यदि दोनों सदन संशोधन विधेयक पर असहमत हों तो क्या होता है?

उत्तर: 1. हाँ, किसी भी सदन में · 2. 24वाँ (1971) · 3. विधेयक गिर जाता है; संयुक्त बैठक नहीं होती

विशेष बहुमत की गिनती

कुल सदस्य संख्या

उपस्थित और मत देने वाले

272 और 352

131वाँ विधेयक 2026

बहुमत के प्रकार

संशोधन को प्रत्येक सदन में **एक साथ दो बाधाएँ** पार करनी होती हैं: सदन की **कुल सदस्य संख्या** के आधे से अधिक सदस्य इसके पक्ष में मत दें, और पक्ष के मत **उपस्थित और मत देने वालों के कम से कम दो-तिहाई** हों। कोई विधेयक पहली बाधा पार करके भी दूसरी में विफल हो सकता है।

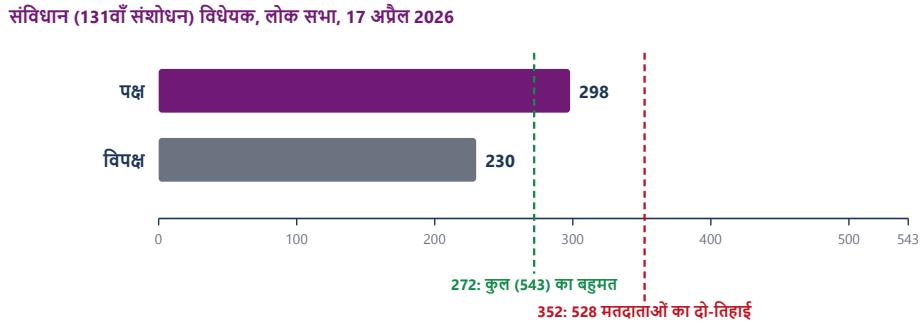

131वाँ संशोधन विधेयक, 17 अप्रैल 2026, पैमाने पर। 298 पक्ष के मतों ने 272 (543 का बहुमत) तो पार किया, पर 352 (528 मतदाताओं का दो-तिहाई) से 54 कम रहे, इसलिए विधेयक गिर गया।

★★ **लोक सभा का गणित**: कुल सदस्य संख्या **543**, इसलिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत **272** है। यदि सभी 543 मत दें, तो दो-तिहाई **362** है।

★★★ **131वाँ संशोधन विधेयक (2026)**, जो 16 अप्रैल 2026 को पेश हुआ, लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर **850** करता और महिला आरक्षण का 2026 के बाद की पहली जनगणना से संबंध तोड़ देता, ताकि अगला परिसीमन 2011 की जनगणना पर हो सके। **17 अप्रैल 2026** को इसे **298** पक्ष में और **230** विपक्ष में मत मिले: 528 ने मत दिया, दो-तिहाई = 352। यह लोक सभा में **गिर गया**।

★★ **कुल सदस्य संख्या** में सदन की सभी सीटें गिनी जाती हैं, चाहे रिक्तियाँ हों या अनुपस्थिति; **उपस्थित और मत देने वाले** में अनुपस्थित और मतदान से विरत रहने वाले नहीं गिने जाते।

संविधान में बहुमत के प्रकार ★★

बहुमत	अर्थ	किसके लिए
साधारण	उपस्थित और मत देने वालों के आधे से अधिक	साधारण और धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, अनुच्छेद 2, 3, 169 की विधियाँ
प्रभावी	तत्कालीन सदस्यों के आधे से अधिक (कुल में से रिक्तियाँ घटाकर)	उपराष्ट्रपति (राज्य सभा में), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाना
विशेष, अनुच्छेद 368 प्रकार	कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई	संविधान संशोधन; उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना; राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन
विशेष, अनुच्छेद 249 प्रकार	उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई	राज्य सूची के विषय पर राज्य सभा का संकल्प (249); नई अखिल भारतीय सेवाएँ (312)
विशेष, अनुच्छेद 61 प्रकार	कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई	राष्ट्रपति पर महाभियोग

याद रखें: आधा कुल पर, दो-तिहाई उपस्थित पर: 'आधा' पूरे सदन पर गिना जाता है, 'दो-तिहाई' कमरे में मौजूद मतदाताओं पर।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 543 में से 298 मत पाने वाले विधेयक के पास **कुल सदस्य संख्या का बहुमत** है, फिर भी वह गिर सकता है: दो-तिहाई की बाधा **उपस्थित और मत देने वाले** सदस्यों (यहाँ 528) पर मापी जाती है, 543 पर नहीं और केवल उपस्थित सदस्यों पर भी नहीं।

झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत की दो शर्तें?
2. 131वाँ संशोधन विधेयक क्यों गिरा?

उत्तर: 1. कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई · 2. 298 < 352, जो 528 मतदाताओं का दो-तिहाई है

क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? मामले

शंकरी प्रसाद 1951

गोलकनाथ 1967

24वाँ संशोधन 1971

केशवानंद 1973

वामन राव 1981

अनुच्छेद 13(2) मौलिक अधिकार छीनने वाली हर 'विधि' को शून्य करता है। लड़ाई एक शब्द पर थी: क्या संविधान संशोधन 'विधि' है? यदि हाँ, तो संसद अधिकारों को कभी छू नहीं सकती; यदि नहीं, तो वह उन्हें मनचाहे ढंग से फिर से लिख सकती है। केशवानंद ने तीसरा उत्तर दिया: संसद अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पर संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती।

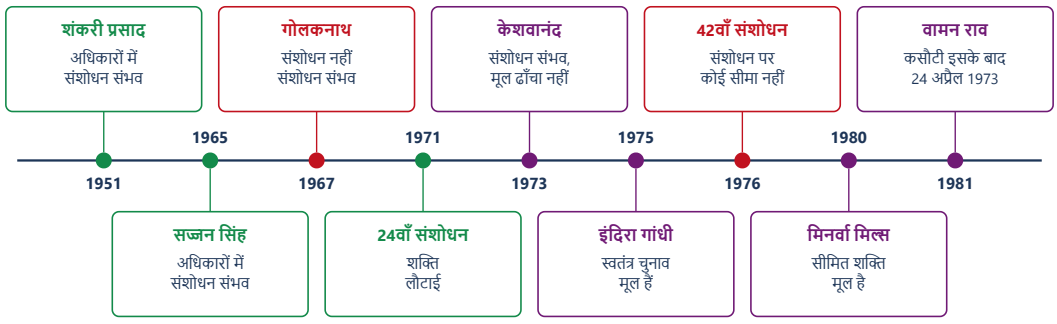

असीमित शक्ति से सीमित शक्ति तक, 1951 से 1981 (घटनाएँ क्रम में; दूरी पैमाने पर नहीं)। हरा: संसद अधिकारों में संशोधन कर सकती है; लाल: नहीं कर सकती, या असीमित शक्ति का दावा; बैंगनी: मूल ढाँचे की रेखा।

★★ **शंकरी प्रसाद (Shankari Prasad) (1951)**: **पहला (1st) संशोधन** वैध ठहराया; संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन 'विधि' नहीं है, इसलिए संसद अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

★★ **सज्जन सिंह (Sajjan Singh) (1965)**: **17वाँ संशोधन** वैध ठहराया; वही दृष्टिकोण। न्यायमूर्ति **मुधोलकर (Mudholkar)** ने प्रश्न उठाया कि क्या संविधान की कुछ '**मूल विशेषताएँ**' हैं जो संसद की पहुँच से बाहर हैं: यही सिद्धांत का बीज था।

★★★ **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (Golaknath v. State of Punjab) (1967)**: **11 न्यायाधीश, 6:5**, मुख्य न्यायाधीश **के. सुब्बा राव (K. Subba Rao)**: संशोधन 'विधि' **है**; संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम **नहीं** कर सकती। केवल **भविष्यलक्षी** रूप से लागू।

★★ **24वाँ संशोधन (1971)**: **अनुच्छेद 13(4)** जोड़ा (अनुच्छेद 13 संशोधनों पर लागू नहीं होता) और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया (संविधायी शक्ति; अनिवार्य अनुमति)।

★★★ **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati v. State of Kerala)**, **24 अप्रैल 1973** को **13 न्यायाधीशों** (अब तक की सबसे बड़ी पीठ) द्वारा, **7:6**, मुख्य न्यायाधीश **एस.एम. सीकरी (S.M. Sikri)**: **गोलकनाथ को उलट दिया**, 24वें संशोधन को वैध ठहराया, और कहा कि संसद अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर **मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती**।

★★ **याचिकाकर्ता**: स्वामी केशवानंद भारती, केरल के कासरगोड स्थित **एडनीर मठ (Edneer Mutt)** के प्रमुख, जिन्होंने केरल की भूमि सुधार विधियों और 24वें, 25वें तथा 29वें संशोधनों को चुनौती दी। एन.ए. पालखीवाला (N.A. Palkhivala) ने मामले की पैरवी की।

★★★ **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain) (1975)**: **39वें संशोधन** द्वारा जोड़ा गया **अनुच्छेद 329A(4)** रद्द किया, जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों से परे कर दिया था; **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** और लोकतंत्र मूल हैं।

★★★ **42वें संशोधन (1976)** ने **अनुच्छेद 368(4) और (5)** जोड़े: किसी संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं। **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने दोनों रद्द किए: **सीमित संशोधन शक्ति** स्वयं मूल है।

★★★ **वामन राव (Waman Rao) (1981)**: यह सिद्धांत **24 अप्रैल 1973 के बाद** किए गए संशोधनों पर लागू होता है; पहले वाले बने रहते हैं।

★ **प्रभाव**: जर्मन विधिवेत्ता **डीट्रिच कॉनराड (Dietrich Conrad)** के भारत में 1965 के एक व्याख्यान ने, जो संशोधन पर निहित सीमाओं के बारे में था, इस तर्क को आकार दिया।

एडनीर मठ, कासरगोड ज़िला, केरल। इसके प्रमुख केशवानंद भारती के नाम पर 1973 का वह मामला है जिसने मूल ढाँचे का सिद्धांत दिया। चित्र: Shamirpetwala, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

स्वामी केशवानंद भारती (1940–2020), प्रयागराज में, 2013। चित्र: Bharathiya, Wikimedia Commons, CC0 1.0

याद रखें: 1-6-7-7-3: गोलकनाथ **196**7, 11 न्यायाधीश, **6**:5; केशवानंद 19**73**, 13 न्यायाधीश, **7**:6। गोलकनाथ ने कहा 'कभी नहीं', केशवानंद ने कहा 'हाँ, पर मूल को नहीं'।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** मूल ढाँचे का सिद्धांत **केशवानंद (1973)** से शुरू हुआ, गोलकनाथ से नहीं (जिसने अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाई) और मिनर्वा मिल्स से नहीं (जिसने इसे लागू किया और फैलाया)। और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को कवच **39वें** संशोधन ने दिया था, 44वें ने नहीं; 44वें ने वह कवच हटाया।

झटपट जाँच

1. किस मामले ने पहली बार मूल ढाँचे का सिद्धांत दिया, और कब?
2. गोलकनाथ में पीठ का आकार और मत?
3. किस संशोधन ने अनुच्छेद 13(4) जोड़ा?

उत्तर: 1. केशवानंद भारती, 24 अप्रैल 1973 · 2. 11 न्यायाधीश, 6:5 · 3. 24वाँ (1971)

मूल ढाँचे में क्या है

पाठ में परिभाषित नहीं

न्यायिक पुनर्विलोकन

पंथनिरपेक्षता, संघवाद

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

बोम्मई 1994

मूल ढाँचा (Basic structure) उन विशेषताओं का समूह है जिनके बिना संविधान वही संविधान नहीं रहेगा। संसद घर की मरम्मत कर सकती है और उसे नया रूप दे सकती है, पर उसकी नींव नहीं गिरा सकती। **संविधान इन विशेषताओं की सूची या परिभाषा नहीं देता**; न्यायाधीशों ने इन्हें एक-एक मामले में नाम दिया है।

संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, पर इन्हें नष्ट नहीं कर सकती			
संविधान की सर्वोच्चता	संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य	पंथनिरपेक्षता	संघवाद
शक्तियों का पृथक्करण	स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव	विधि का शासन	न्यायिक पुनर्विलोकन
सीमित संशोधन शक्ति	भाग III और IV का संतुलन	स्वतंत्र न्यायपालिका	समता (अनु. 14)
संसदीय प्रणाली	एकता और अखंडता	कल्याणकारी राज्य	स्वतंत्रता और गरिमा

वे विशेषताएँ जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने मूल ढाँचे का भाग माना है। सूची खुली है: न्यायालय मामले-दर-मामले इसमें जोड़ता है।

मूल विशेषताएँ और उन्हें नाम देने या लागू करने वाले मामले ★★★

विशेषता	मामला
संविधान की सर्वोच्चता; संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्यीय स्वरूप; पंथनिरपेक्षता; संघवाद; शक्तियों का पृथक्करण	केशवानंद भारती (1973)
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; लोकतंत्र; विधि का शासन	इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
सीमित संशोधन शक्ति; मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों का संतुलन; न्यायिक पुनर्विलोकन	मिनर्वा मिल्स (1980)
पंथनिरपेक्षता और संघवाद (पुनः पुष्टि)	एस.आर. बोम्मई (S.R. Bommai) (1994)
उच्च न्यायालयों (226, 227) और उच्चतम न्यायालय (32) द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन	एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar) (1997)
न्यायपालिका की स्वतंत्रता	NJAC निर्णय (2015)
समता; नौवीं अनुसूची की विधियों के लिए कसौटी के रूप में अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के अधिकार	आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho) (2007)

★★★ **लिखा हुआ नहीं**: 'मूल ढाँचा' वाक्यांश संविधान में कहीं नहीं है। 'न्यायिक पुनर्विलोकन' भी नहीं; वह शक्ति **अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और 227** पर टिकी है।

★★★ **यह क्या परखता है**: संविधान **संशोधनों** को। साधारण विधि को संविधान के स्पष्ट उपबंधों, जैसे मौलिक अधिकार और शक्तियों का विभाजन, पर परखा जाता है।

★★ **एस.आर. बोम्मई (1994)**, नौ न्यायाधीश: **पंथनिरपेक्षता** और **संघवाद** मूल हैं; अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

★★★ **आई.आर. कोएल्हो (2007)**, नौ न्यायाधीश: **24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची** में रखी गई विधियों को पूर्ण संरक्षण नहीं है; यदि वे अनुच्छेद 14, 15, 19 या 21 के माध्यम से मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ तो रद्द की जा सकती हैं।

★★ **न्यायालय द्वारा बताई गई अन्य विशेषताएँ**: संसदीय प्रणाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, न्याय तक प्रभावी पहुँच, और अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ।

★★ **उद्देशिका** संविधान का भाग है (केशवानंद) और उसमें संशोधन हो सकता है, पर उसकी मूल विशेषताएँ नष्ट नहीं की जा सकतीं।

याद रखें: मूल ढाँचा = संविधान का **DNA**: आप इसके कपड़े (अनुच्छेद) बदल सकते हैं, जीन (लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक पुनर्विलोकन, विधि का शासन) नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'संविधान अपने मूल ढाँचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है': **गलत**, वह ऐसा कुछ परिभाषित नहीं करता। 'संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध करता है', इन्हीं शब्दों में: आधिकारिक उत्तर-कुंजी इसे भी **गलत** मानती है, क्योंकि यह शब्द पाठ में नहीं है।

झटपट जाँच

1. 'मूल ढाँचा' कहाँ परिभाषित है?
2. किस मामले ने पंथनिरपेक्षता और संघवाद को मूल घोषित किया (नौ न्यायाधीश, 1994)?
3. किस तिथि के बाद की नौवीं अनुसूची की विधियाँ परखी जा सकती हैं (आई.आर. कोएल्हो)?

उत्तर: 1. संविधान में कहीं नहीं; न्यायालयों द्वारा · 2. एस.आर. बोम्मई · 3. 24 अप्रैल 1973

सिद्धांत व्यवहार में: रद्द और वैध ठहराए गए संशोधन

39वाँ: अनुच्छेद 329A

किहोतो 1992

एल. चंद्र कुमार 1997

NJAC 2015

EWS 2022

इस सिद्धांत का प्रयोग संयम से होता है। अधिकतर संशोधन बने रहते हैं; कुछ खंड इसलिए गिरे कि उन्होंने न्यायालयों को बाहर कर दिया, चुनावों में धाँधली की राह खोली या न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हाथ में दे दी।

रद्द (पूरा या आंशिक)		वैध ठहराए गए	
25वाँ: 31C में न्यायालयों पर रोक	केशवानंद 1973	पहला: 31A, 31B, नौवीं अनुसूची	शंकरी प्रसाद 1951
39वाँ: अनु. 329A(4)	इंदिरा गांधी 1975	17वाँ: और भूमि विधियाँ	सज्जन सिंह 1965
42वाँ: 368(4), (5); विस्तारित 31C	मिनर्वा 1980	24वाँ: संशोधन की शक्ति	केशवानंद 1973
52वाँ: पैरा 7, दसवीं अनुसूची	किहोतो होलोहन 1992	77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ	एम. नागराज 2006
42वाँ: अधिकरणों से उच्च न्यायालय बाहर	एल. चंद्र कुमार 1997	103वाँ: 10% EWS कोटा	जनहित अभियान 2022
99वाँ: NJAC	NJAC मामला 2015	1973 के बाद की नौवीं अनुसूची विधियाँ	समीक्षा योग्य: कोएल्हो 2007

संविधान संशोधनों को दी गई सबसे प्रसिद्ध चुनौतियों का लेखा-जोखा।

★★★ **99वें संशोधन (2014)** ने कॉलेजियम की जगह **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** बनाया। **अक्टूबर 2015** में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **4:1** से संशोधन और NJAC अधिनियम को **न्यायपालिका की स्वतंत्रता** का उल्लंघन मानकर रद्द किया; कॉलेजियम लौट आया।

★★★ **किहोतो होलोहन (Kihoto Hollohan) (1992)**: **दसवीं अनुसूची** (दल-बदल विरोधी, 52वाँ संशोधन) को वैध ठहराया पर **पैराग्राफ 7** रद्द किया, जो न्यायालयों को रोकता था; उसने राज्यों के अनुसमर्थन के बिना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ घटाई थीं। अध्यक्ष का निर्णय सीमित आधारों पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

★★ **एल. चंद्र कुमार (1997)**: अधिकरण मामलों से उच्च न्यायालयों को बाहर करने वाले, 42वें संशोधन के **अनुच्छेद 323A और 323B** के खंड शून्य थे; **अनुच्छेद 226 और 32** के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन मूल है।

★★ **केशवानंद (1973)** ने अनुच्छेद 31C (25वाँ संशोधन) का वह भाग रद्द किया जो न्यायालयों को किसी विधि की इस घोषणा की जाँच से रोकता था कि वह 39(b) और (c) को पूरा करती है।

★★ **एम. नागराज (M. Nagaraj) (2006)** ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े **77वें, 81वें, 82वें और 85वें** संशोधनों को शर्तों के साथ वैध ठहराया।

★★★ **जनहित अभियान (Janhit Abhiyan) (नवंबर 2022)**: पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **3:2** से **103वें संशोधन** (10% EWS कोटा) को वैध ठहराया; आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करते।

★★ **डॉ. बलराम सिंह (Dr. Balram Singh) (नवंबर 2024)**: उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए '**समाजवादी**' और '**पंथनिरपेक्ष**' शब्दों के विरुद्ध याचिकाएँ खारिज कीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** NJAC **99वाँ** संशोधन (2014) था, जो **2015** में रद्द हुआ। 100वाँ बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता था; 101वाँ, GST।

याद रखें: रद्द सूची **E-M-K-L-N** के रूप में: Elections (चुनाव, 39वाँ, 1975), Minerva (मिनर्वा, 42वाँ, 1980), Kihoto (किहोतो, 52वाँ, 1992), L. Chandra Kumar (एल. चंद्र कुमार, 42वाँ, 1997), NJAC (99वाँ, 2015)।

झटपट जाँच

1. किस संशोधन ने NJAC बनाया, और वह कब रद्द हुआ?
2. क्या उच्चतम न्यायालय ने 103वें (EWS) संशोधन को वैध ठहराया?
3. किहोतो होलोहन में दसवीं अनुसूची का कौन-सा पैराग्राफ रद्द हुआ?

उत्तर: 1. 99वाँ; 2015 · 2. हाँ, जनहित अभियान (2022) में 3:2 से · 3. पैराग्राफ 7 (न्यायालयों पर रोक)

हर अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी संशोधन

पहला (1st) 1951

42वाँ लघु संविधान

44वाँ 1978

73वाँ, 74वाँ

101वाँ GST

106वाँ महिलाएँ

कुछ संशोधनों ने संविधान को नया रूप दिया। पहले (1st) ने भूमि सुधार और वाक् स्वतंत्रता पर न्यायालयों को उत्तर दिया; आपातकाल में पारित 42वें ने इतना कुछ फिर से लिखा कि उसे 'लघु संविधान' कहा जाता है; जनता सरकार द्वारा पारित 44वें ने उसके सबसे बुरे अंशों को पलटा।

ऐतिहासिक संशोधन ★★★

संशोधन	वर्ष	क्या किया
पहला (1st)	1951	अनुच्छेद 15(4), 19(2) में नए आधार (लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध के लिए उद्दीपन), अनुच्छेद 31A, 31B और **नौवीं अनुसूची**; मौलिक अधिकारों पर न्यायालयों के निर्णयों को निष्प्रभावी करने के लिए
7वाँ	1956	राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन (14 राज्य, 6 संघ राज्यक्षेत्र); भाग A, B, C, D श्रेणियाँ समाप्त; अनुच्छेद 350A
24वाँ	1971	संसद अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है; **अनुच्छेद 13(4)**; राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी
25वाँ	1971	अनुच्छेद 31 में 'प्रतिकर' की जगह 'रकम'; **अनुच्छेद 31C**
26वाँ	1971	पूर्व शासकों के **प्रिवी पर्स** और विशेषाधिकार समाप्त
39वाँ	1975	अनुच्छेद 329A: प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के निर्वाचन न्यायालयों से परे (खंड 4 1975 में रद्द; अनुच्छेद 44वें द्वारा हटाया गया)
42वाँ	1976	'लघु संविधान': उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता; **मौलिक कर्तव्य**; 39A, 43A, 48A; अधिकरण (323A, 323B); पाँच विषय समवर्ती सूची में; राष्ट्रपति सलाह से बाध्य; लोक सभा का 6 वर्ष का कार्यकाल; राज्य विधायकों की निरर्हता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद करेगा (अनुच्छेद 192)
44वाँ	1978	संपत्ति का अधिकार भाग III से बाहर (अब **अनुच्छेद 300A**); 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह'; आपातकाल केवल मंत्रिमंडल की **लिखित** सलाह पर; अनुच्छेद 20, 21 निलंबित नहीं हो सकते; लोक सभा का कार्यकाल फिर 5 वर्ष; 38(2)
52वाँ	1985	**दल-बदल विरोधी**, दसवीं अनुसूची
61वाँ	1988	मतदान की आयु **21 से घटाकर 18**
73वाँ, 74वाँ	1992	**पंचायतें** (भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची) और **नगरपालिकाएँ** (भाग IXA, बारहवीं अनुसूची)
86वाँ	2002	**अनुच्छेद 21A** (शिक्षा 6–14), नया अनुच्छेद 45, कर्तव्य 51A(k)
101वाँ	2016	**GST**; GST परिषद (अनुच्छेद 279A)
103वाँ	2019	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों** के लिए 10% आरक्षण
104वाँ	2019	अनुसूचित जाति/जनजाति सीट आरक्षण 2030 तक बढ़ाया; लोक सभा और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय नामांकन समाप्त
106वाँ	2023	लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई सीटें **महिलाओं** के लिए; 16 अप्रैल 2026 से लागू, सीटें अगले परिसीमन के बाद ही आरक्षित

42वें संशोधन (1976) ने किया	उसका क्या हुआ
उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता	बना रहा; चुनौती 2024 में खारिज
मौलिक कर्तव्य, भाग IVA	बना रहा; 11वाँ कर्तव्य 2002 में जुड़ा
निदेशक तत्व 39A, 43A, 48A	बने रहे
पाँच विषय समवर्ती सूची में	बने रहे
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य	बना रहा; एक बार लौटा सकता है (44वाँ)
लोक सभा और विधानसभाएँ: 6 वर्ष	फिर 5 वर्ष (44वाँ, 1978)
न्यायिक पुनर्विलोकन घटाया (32A, 226A)	43वें (1977) ने बहाल किया
अनु. 31C सभी निदेशक तत्वों पर	रद्द: मिनर्वा मिल्स 1980
अनु. 368(4), (5): संशोधनों की समीक्षा नहीं	रद्द: मिनर्वा मिल्स 1980

42वें संशोधन ने क्या किया, और बाद के संशोधनों तथा न्यायालयों ने हर परिवर्तन के साथ क्या किया।

★★★ **42वें संशोधन (1976)** ने उद्देशिका में '**समाजवादी**', '**पंथनिरपेक्ष**' और '**अखंडता**' और **दस** मौलिक कर्तव्य जोड़े; इसके नए निदेशक तत्व **39A, 43A और 48A** थे, अनुच्छेद 47 नहीं।

★★ **42वें** ने **शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण**, और **न्याय प्रशासन** (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर) को राज्य सूची से **समवर्ती सूची** में भी डाला।

★★ **42वें के अधीन अनुच्छेद 192**: कोई **राज्य विधायक** निरर्हित हुआ या नहीं, यह प्रश्न **राष्ट्रपति** (राज्यपाल नहीं) को भेजा जाता था, जिसे निर्णय से पहले **निर्वाचन आयोग से परामर्श** करना होता था; अनुच्छेद 103 सांसदों के लिए यही कहता था। **44वें संशोधन** (20 जून 1979 से लागू) ने मूल पाठ बहाल किया: राज्य विधायकों के लिए **राज्यपाल** और सांसदों के लिए राष्ट्रपति निर्णय करता है, और दोनों **निर्वाचन आयोग की राय से बाध्य** हैं।

★★ **44वें संशोधन (1978)** ने राष्ट्रपति को सलाह **एक बार** पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया और संसद की कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टों को संरक्षण दिया (**अनुच्छेद 361A**)।

★★ **43वें संशोधन (1977)** ने 42वें द्वारा घटाई गई न्यायालयों की शक्तियाँ बहाल कीं (इसने अनुच्छेद 32A, 226A और अन्य हटाए)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 42वें संशोधन के प्रश्न में '**आठ** मौलिक कर्तव्य जोड़े' (थे **दस**) और 'अनुच्छेद 47 जोड़ा' (था **48A**) गढ़ी गई गलतियाँ हैं; 'राष्ट्रपति को, निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य विधायकों की निरर्हता पर शक्ति दी' **सही** है। और जो संशोधन व्यापक रूप से **मौलिक अधिकारों पर न्यायालयों के निर्णयों को निष्प्रभावी करने** के लिए किया गया माना जाता है, वह **पहला (1st)** (1951) है।

☑ झटपट जाँच

1. किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है?
2. संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन, किस संशोधन से विधिक अधिकार बना?
3. किस संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की?

उत्तर: 1. 42वाँ (1976) · 2. अनुच्छेद 300A, 44वाँ (1978) · 3. 61वाँ (1988)

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (10)

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोक सभा में एक विधेयक की पुरःस्थापना द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सकता है।
2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की माँग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमण्डल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2. संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है (अनुच्छेद 368); संघीय प्रावधानों के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए

UPSC 2019 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b) केवल 2. 39वें संशोधन (1975) ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों से परे किया; 44वें ने इसे हटाया; NJAC (99वाँ संशोधन) 2015 में न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया

UPSC 2020 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत का संविधान अपने 'मूल ढाँचे' को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है ।
2. भारत का संविधान, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, की सुरक्षा हेतु 'न्यायिक पुनरवलोकन' की व्यवस्था करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. संविधान मूल ढाँचे को परिभाषित नहीं करता; उच्चतम न्यायालय ने 1973 में इसे विकसित किया; न्यायिक पुनरावलोकन का नाम संविधान में नहीं है; यह अनुच्छेद 13, 32 और 226 पर टिका है

UPSC 2022 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है ।
2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें ।
3. संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्य सभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है ।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3. संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं; 24वें संशोधन के बाद से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होती है; प्रत्येक सदन संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करता है; संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है

UPSC 2023 भारत में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया?

(a) पहला संशोधन (b) 42वाँ संशोधन (c) 44वाँ संशोधन (d) 86वाँ संशोधन

आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में यह प्रश्न हटा दिया (अंक नहीं दिए गए)।

UPSC 2024 भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी ?

1. परिवर्धन
2. परिवर्तन
3. निरसन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3. अनुच्छेद 368 संसद को परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन द्वारा संशोधन की शक्ति देता है

UPSC 2025 भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए :
I. सातवीं अनुसूची में सूची I–संघ सूची
II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
III. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है?
(a) केवल I और II (b) केवल II और III (c) केवल I और III (d) I, II और III
उत्तर: (a) केवल I और II. अनुच्छेद 368(2) में सूचीबद्ध संघीय प्रावधानों के संशोधन हेतु आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है; राज्यपाल के पद की शर्तों (अनुच्छेद 158) के संशोधन हेतु राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं

BPSC 69th भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े : 'समाजवाद', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता'।
2. इसने संविधान में आठ मौलिक कर्तव्य जोड़े।
3. इसने नए निदेशक-सिद्धान्त जोड़े, यानी, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47.
4. इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान-सभाओं/मण्डलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन गलत हैं?
(a) 1 और 2 (b) 3 और 4 (c) 2 और 3 (d) 1 और 4
उत्तर: (c) 2 और 3. 42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े; 42वें संशोधन ने दस मौलिक कर्तव्य जोड़े; 86वें संशोधन ने ग्यारहवाँ जोड़ा; 42वें संशोधन ने निदेशक तत्व 39A, 43A और 48A जोड़े

BPSC 69th भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस/किन मुकदमे/मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के 'मूल ढाँचे' का सिद्धांत दिया?
(a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (b) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (c) मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ (d) (A) और (B) दोनों
उत्तर: (b) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य. केशवानन्द भारती मामले (1973) ने मूल ढाँचे का सिद्धांत दिया

BPSC 70th re-exam निम्न में से वह कौन-सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन सम्भव होगा ?
1. राष्ट्रपति का चुनाव ।
2. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ।
3. सातवीं अनुसूची की किसी सूची में ।
4. राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु ।
सही उत्तर चुनिए ।
(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3 (c) 1, 2 और 4 (d) 2, 3 और 4
उत्तर: (b) 1, 2 और 3. अनुच्छेद 368(2) में सूचीबद्ध संघीय प्रावधानों के संशोधन हेतु आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है; अनुच्छेद 169: संसद साधारण कानून से विधान परिषद का सृजन या उत्सादन करती है

स्वयं को परखें (11)

1. संविधान संशोधन विधेयक
(a) केवल लोक सभा में पेश किया जा सकता है (b) के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश चाहिए
(c) किसी भी सदन में गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है (d) सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है

2. इनमें से किसमें संशोधन के लिए आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए?
(a) अनुच्छेद 169 (विधान परिषदें) (b) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (c) मौलिक अधिकार (d) पाँचवीं अनुसूची

3. केशवानंद भारती (1973) में उच्चतम न्यायालय ने
(a) कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता (b) 24वाँ संशोधन रद्द किया (c) कहा कि संसद मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती
(d) 11 न्यायाधीशों की पीठ के रूप में निर्णय दिया

4. किस संशोधन ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य किया?
(a) 24वाँ (b) 42वाँ (c) 44वाँ (d) 25वाँ

5. 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) किस मामले में रद्द किए गए?
(a) गोलकनाथ (b) वामन राव (c) मिनर्वा मिल्स (d) आई.आर. कोएल्हो

6. 543 सदस्यों वाले सदन में 500 उपस्थित हैं और 480 मत देते हैं। संशोधन विधेयक पारित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मत हैं
(a) 272 (b) 320 (c) 334 (d) 362

7. निम्नलिखित में से किसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया?
(a) 52वाँ संशोधन (b) 99वाँ संशोधन (c) 103वाँ संशोधन (d) 101वाँ संशोधन

8. मूल ढाँचे का सिद्धांत किस तिथि के बाद किए गए संशोधनों पर लागू होता है?
(a) 26 जनवरी 1950 (b) 27 फ़रवरी 1967 (c) 24 अप्रैल 1973 (d) 25 जून 1975

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश किया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोक सकता।
3. अनुच्छेद 169 के अधीन किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान अपने पाठ में मूल ढाँचे को परिभाषित करता है।
2. गोलकनाथ (1967) का निर्णय 13 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया।
3. केशवानंद भारती (1973) ने गोलकनाथ को उलट दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई नहीं

11. 'पुलिस' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाने वाला एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाने से पहले क्या होना आवश्यक है?
(a) कुछ नहीं, क्योंकि किसी भी संशोधन के लिए दोनों सदनों का विशेष बहुमत पर्याप्त है
(b) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, क्योंकि यह परिवर्तन संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित करता है
(c) कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन (d) पारित होने के छह महीने के भीतर हर राज्य विधानमंडल का अनुसमर्थन

उत्तर: 1. (c) अनुच्छेद 368: कोई भी सदन, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य, पूर्व सिफ़ारिश नहीं, संयुक्त बैठक नहीं। · 2. (b) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में है; बाकी के लिए केवल साधारण या विशेष बहुमत चाहिए। · 3. (c) 13 न्यायाधीश, 7:6; इसने 24वाँ संशोधन वैध ठहराया और गोलकनाथ को उलटा। · 4. (a) 24वें संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर अनुमति अनिवार्य की। · 5. (c) मिनर्वा मिल्स (1980): सीमित संशोधन शक्ति स्वयं एक मूल विशेषता है। · 6. (b) 480 का दो-तिहाई = 320, जो 272 (कुल सदस्य संख्या का बहुमत) से भी अधिक है। · 7. (b) 99वाँ संशोधन (NJAC) अक्टूबर 2015 में गिरा; 103वाँ 2022 में वैध ठहराया गया। · 8. (c) वामन राव (1981) ने केशवानंद निर्णय की तिथि, 24 अप्रैल 1973, तय की। · 9. (d) कोई भी सदन संशोधन विधेयक ले सकता है, 24वें संशोधन से अनुमति अनिवार्य है, और अनुच्छेद 169 संसद की साधारण विधि से काम करता है। · 10. (a) केवल 3 सही है: मूल ढाँचा पाठ में कहीं परिभाषित नहीं है, और गोलकनाथ में 11 न्यायाधीश (6:5) थे जबकि केशवानंद में 13। · 11. (c) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में आता है: आधे राज्य, साधारण बहुमत से, बिना किसी समय-सीमा के।

अध्याय 8

संसदीय और संघीय व्यवस्था; केंद्र-राज्य संबंध

लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, भारतीय संघवाद की विशेषताएँ, अनुच्छेद 249 और 253, तीन सूचियाँ, कर संबंधी अनुच्छेद 268–270, सरकारिया आयोग और अंतर-राज्य निकाय लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 22 बार पूछा गया: UPSC 14 · BPSC 8

≈ 49 min पढ़ने में ≈ 14 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

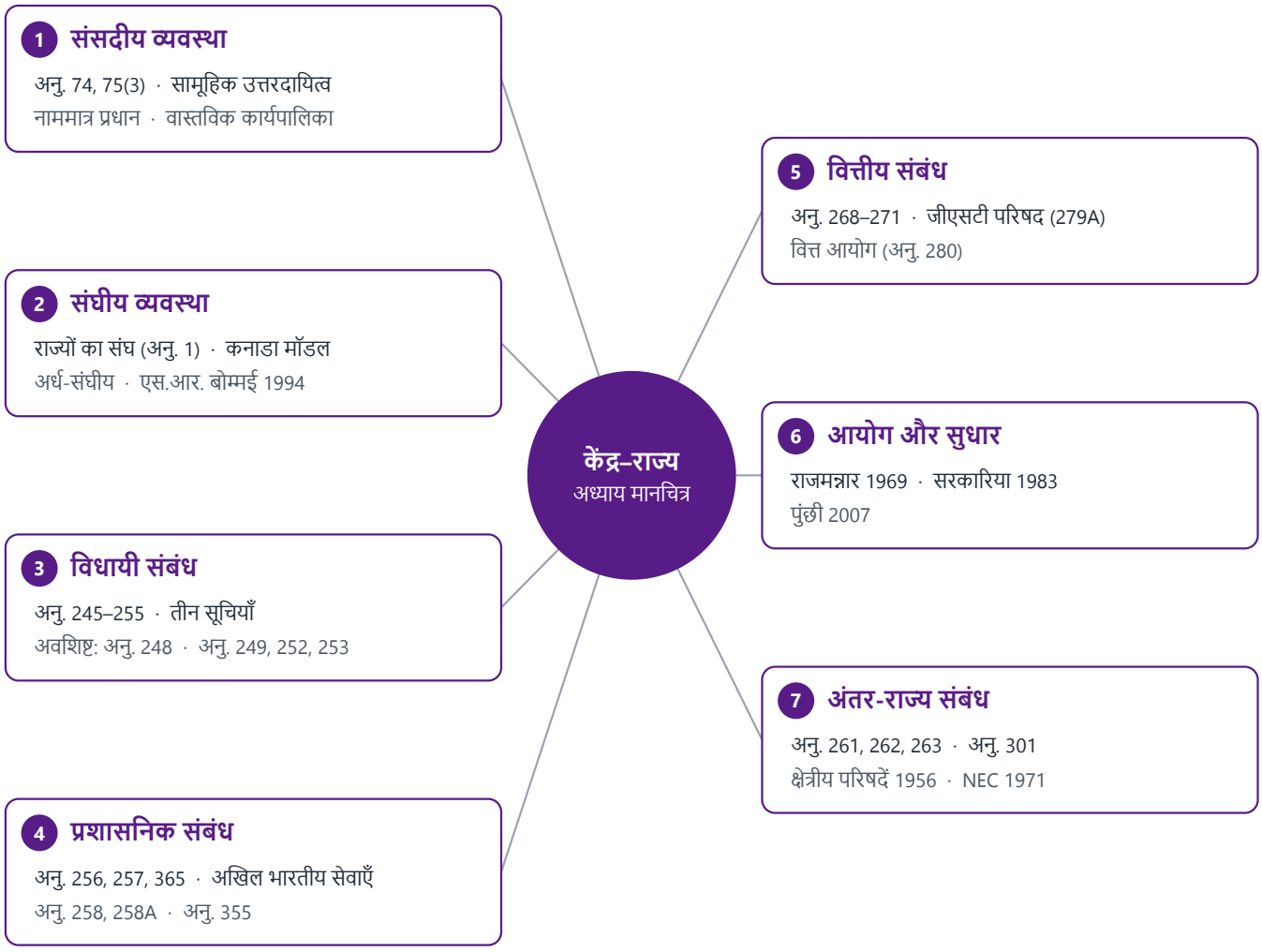

रिवीज़न कार्ड

1. संसदीय व्यवस्था: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3)); यदि लोक सभा बजट अस्वीकार कर दे, तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है।
2. राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है और मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74); प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। भारत ने ब्रिटेन का मॉडल अपनाया, पर यहाँ की संसद संप्रभु नहीं है: न्यायालय उसके कानून रद्द कर सकते हैं।
3. अध्यक्षीय व्यवस्था (अमेरिका): शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का प्रधान, निश्चित कार्यकाल, हटाना केवल महाभियोग से।
4. भारत 'राज्यों का संघ' है (अनुच्छेद 1): यह राज्यों के किसी समझौते से नहीं बना, किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं; कनाडा का मॉडल; रूप में संघीय, भावना में एकात्मक (के.सी. व्हेयर: 'अर्ध-संघीय')।
5. संघीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है केंद्र-राज्य विवाद सुलझाने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका; संघवाद मूल ढाँचे का भाग है (एस.आर. बोम्मई, 1994)।
6. सातवीं अनुसूची: 1950 में 97, 66 और 47 प्रविष्टियाँ (अब लागू 98, 59, 52)। 42वें संशोधन ने शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्य पशु और पक्षी, और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में डाल दिया।
7. अवशिष्ट शक्तियाँ: संसद (अनुच्छेद 248)। समवर्ती विषय पर टकराव: संघ का कानून प्रभावी (अनुच्छेद 254)।
8. अनुच्छेद 249: राज्य सभा का प्रस्ताव, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से (राष्ट्रीय हित); अनुच्छेद 252: दो या अधिक राज्य अनुरोध करें; अनुच्छेद 253: संधियाँ, किसी राज्य की सहमति आवश्यक नहीं।
9. अनुच्छेद 268: स्टांप शुल्क संघ लगाता है, राज्य वसूलते और रखते हैं; अनुच्छेद 270: वित्त आयोग की सलाह पर साझा पूल (2026–31 के लिए राज्यों का हिस्सा 41%)।
10. जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A): निर्णय भारित मतों के तीन-चौथाई से (केंद्र एक-तिहाई, राज्य दो-तिहाई); इसकी सलाह प्रेरक है, बाध्यकारी नहीं (मोहित मिनरल्स, 2022)।
11. सरकारिया आयोग: गठन 1983, रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987, 247 सिफारिशें; अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) का गठन 28 मई 1990; पुंछी आयोग 2007–2010।
12. क्षेत्रीय परिषदें (पाँच) सांविधिक हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री; पूर्वोत्तर परिषद (1971 का अधिनियम): 2002 से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य।

संसदीय शासन व्यवस्था

अनुच्छेद 74, 75

नाममात्र बनाम वास्तविक कार्यपालिका

अनुच्छेद 75(3)

शक्तियों का संलयन

भारत बनाम ब्रिटेन

संसदीय व्यवस्था (Parliamentary system) में सरकार व्यवहार में विधायिका की एक समिति होती है: मंत्री संसद से आते हैं, उसमें बैठते हैं और तभी तक पद पर रहते हैं जब तक **लोक सभा उन पर भरोसा करती है**। इसका मूल उत्तरदायित्व है, निश्चित कार्यकाल नहीं। भारत इसे दोनों स्तरों पर अपनाता है: केंद्र के लिए **अनुच्छेद 74–75** और राज्यों के लिए **अनुच्छेद 163–164**।

★★ **अन्य नाम**: वेस्टमिंस्टर मॉडल (Westminster model), कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार। ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत इसे अपनाते हैं।

★★★ **नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका**: राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है (विधितः, de jure); प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं (वस्तुतः, de facto)। **अनुच्छेद 74** के अधीन राष्ट्रपति उनकी सलाह पर कार्य करता है: **42वें संशोधन (1976)** से यह बाध्यकारी है, यद्यपि वह इसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (**44वाँ संशोधन, 1978**)।

★★★ **सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective responsibility) (अनुच्छेद 75(3))**: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से **लोक सभा** के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, या बजट अथवा किसी बड़े विधेयक के गिरने पर पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है।

★★ **बहुमत दल का शासन**: लोक सभा में बहुमत रखने वाले दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है; अन्य मंत्री उसकी सलाह पर नियुक्त होते हैं (अनुच्छेद 75(1))।

★★★ **दोहरी सदस्यता (शक्तियों का संलयन, fusion of powers)**: मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। गैर-सदस्य **छह महीने** तक मंत्री रह सकता है; फिर उसे किसी भी सदन की सीट जीतनी होती है (अनुच्छेद 75(5))।

★★ **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(2))**: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को हटवा सकता है।

★★ **प्रधानमंत्री का नेतृत्व**: वह मंत्रिपरिषद, लोक सभा के बहुमत और सत्ताधारी दल, तीनों का नेता है; उसकी सलाह पर राष्ट्रपति **लोक सभा को समय से पहले विघटित** कर सकता है।

★ **गोपनीयता**: मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं; मंत्रिमंडल की चर्चाएँ गोपनीय होती हैं, और न्यायालय यह नहीं पूछ सकते कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई (अनुच्छेद 74(2))।

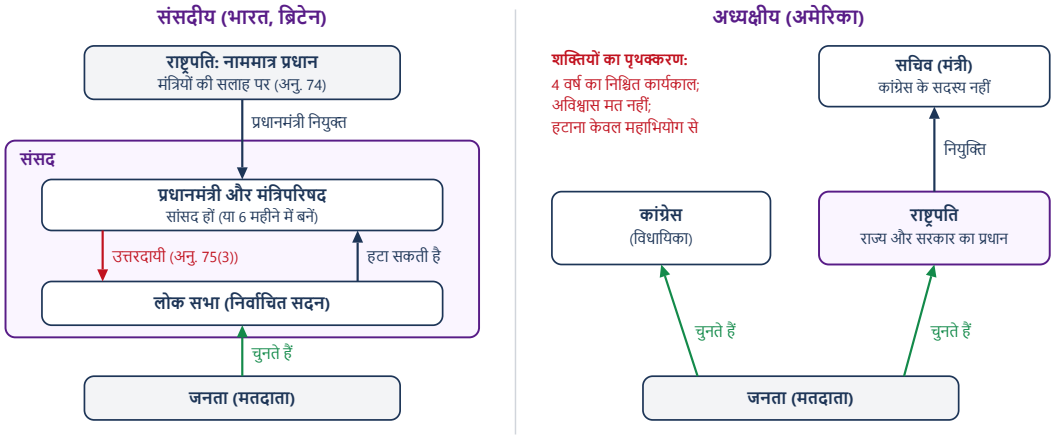

संलयन बनाम पृथक्करण। भारत में मंत्री संसद में बैठते हैं और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, जो उन्हें हटा सकती है; अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस अलग-अलग चुने जाते हैं और महाभियोग के सिवा कोई दूसरे को पद से नहीं हटा सकता।

संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था ★★★

विशेषता	संसदीय (भारत, ब्रिटेन)	अध्यक्षीय (अमेरिका)
आधार	शक्तियों का संलयन	शक्तियों का पृथक्करण
राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान	दो व्यक्ति (राष्ट्रपति या सम्राट; प्रधानमंत्री)	एक व्यक्ति (राष्ट्रपति)
मंत्री	विधायिका के सदस्य	विधायिका के सदस्य नहीं
किसके प्रति उत्तरदायी	लोक सभा के प्रति, सामूहिक रूप से	राष्ट्रपति के प्रति; अगले चुनाव में मतदाताओं के प्रति
कार्यपालिका का कार्यकाल	निश्चित नहीं; बहुमत रहने तक	निश्चित (अमेरिका में 4 वर्ष)
कार्यपालिका को हटाना	अविश्वास प्रस्ताव	केवल महाभियोग
निचले सदन का विघटन	कार्यकाल से पहले संभव	संभव नहीं
गुण	उत्तरदायित्व; विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य; व्यापक प्रतिनिधित्व	स्थिरता; मंत्री विशेषज्ञता के आधार पर चुने जाते हैं
दोष	अस्थिर गठबंधन; मंत्रिमंडल संसद पर हावी हो सकता है	राष्ट्रपति और कांग्रेस में गतिरोध; निरंकुश शासन का खतरा

★★ **भारत ने इसे क्यों चुना**: ब्रिटिश शासन से परिचय; विधायिका और कार्यपालिका के टकराव से बचना; मंत्रिमंडल में भारत की विविधता को स्थान। आंबेडकर (Ambedkar) ने संविधान सभा से कहा कि प्रारूप ने **अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व को चुना**।

★★★ संसदीय रूप का **मुख्य लाभ**: कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन **विधायिका के प्रति उत्तरदायी** रहती है।

★★★ **कैबिनेट सरकार** जनता के सदन के प्रति मंत्रियों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** पर टिकी है: 'एक डूबे, सब डूबें'।

★★★ **संप्रभु संसद नहीं**: ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है और कोई न्यायालय उसके अधिनियम रद्द नहीं कर सकता। भारत की संसद लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों और **न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review)** से सीमित है; संविधान की व्याख्या का सारवान प्रश्न **कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ** को जाता है (अनुच्छेद 145(3))।

भारत का मॉडल और ब्रिटिश मॉडल ★★

बिंदु	भारत	ब्रिटेन
राज्य का प्रधान	निर्वाचित राष्ट्रपति (गणराज्य)	वंशानुगत सम्राट
संसद	संविधान से सीमित; कानून न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन	संप्रभु
प्रधानमंत्री किस सदन से	किसी भी सदन से	परंपरा से हाउस ऑफ कॉमन्स से
बिना सीट का मंत्री	छह महीने तक संभव	कॉमन्स या लॉर्ड्स में होना अनिवार्य
मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व	नहीं: राष्ट्रपति के कार्यों पर मंत्री के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं	मंत्री प्रतिहस्ताक्षर करता है और क्राउन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है
छाया मंत्रिमंडल	औपचारिक रूप से नहीं	मुख्य विपक्षी दल बनाता है

संसद भवन, नई दिल्ली, विजय चौक से। संसद 1927 से 2023 तक इसी गोलाकार भवन में बैठी; सितंबर 2023 से वह इसके बगल के नए भवन में बैठती है, और इस भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है। चित्र: Nikhilb239, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

आसपास देखें: यदि लोक सभा बजट अस्वीकार कर दे, तो सरकार उसका विश्वास खो चुकी है; प्रधानमंत्री केवल वित्त मंत्री का नहीं, **पूरी** मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** मंत्री **लोक सभा** के प्रति उत्तरदायी हैं, पूरी संसद या राष्ट्रपति के प्रति नहीं; राज्य सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। भारत में मंत्रिमंडल का प्रमुख **प्रधानमंत्री** है, राष्ट्रपति नहीं, और सभी दल सरकार में शामिल नहीं होते।

याद रखें: संसदीय = हर दिन जवाबदेह; अध्यक्षीय = हर चार साल में जवाबदेह।

झटपट जाँच

1. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी है, और किस अनुच्छेद के अधीन?
2. यदि लोक सभा केंद्रीय बजट अस्वीकार कर दे तो क्या होता है?
3. भारतीय मॉडल ब्रिटिश मॉडल से किस एक बात में भिन्न है?

उत्तर: 1. लोक सभा, अनुच्छेद 75(3) · 2. पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है · 3. संसद संप्रभु नहीं (न्यायिक पुनर्विलोकन); निर्वाचित राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री किसी भी सदन से

संघीय व्यवस्था: रूप में संघीय, भावना में एकात्मक

राज्यों का संघ

समझौते से नहीं

कनाडा मॉडल

अर्ध-संघीय

एस.आर. बोम्मई 1994

संघ (federation) में सरकार के दो स्तर होते हैं, हर एक अपने क्षेत्र में सर्वोच्च; उनकी शक्तियाँ लिखित, सर्वोच्च संविधान तय करता है और विवाद स्वतंत्र न्यायालय सुलझाता है। भारत में ये सब हैं, पर संविधान केंद्र को राज्यों पर भारी पड़ने के उपाय भी देता है। इसलिए इसे **एकात्मक झुकाव (unitary bias)** वाला संघ कहा जाता है।

★★★ **'फेडरेशन (federation)' शब्द का प्रयोग नहीं**: अनुच्छेद 1 इंडिया, अर्थात भारत, को **'राज्यों का संघ' (Union of States)** कहता है। आंबेडकर ने कारण बताया: यह संघ राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है, और **कोई राज्य इससे अलग नहीं हो सकता**।

★★★ **साथ आना नहीं, साथ बनाए रखना (holding together, not coming together)**: अमेरिका तब बना जब स्वतंत्र राज्य आपस में जुड़े; भारत के राज्यों की सीमाएँ केंद्र ने खींचीं और संसद उनका पुनर्गठन कर सकती है। भारत **कनाडा मॉडल** (मज़बूत केंद्र) अपनाता है, अमेरिकी नहीं।

★★★ **संघीय विशेषताएँ**: दो सरकारें; लिखित संविधान; शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची); संविधान की सर्वोच्चता; कठोरता, क्योंकि संघीय उपबंधों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए (अनुच्छेद 368(2)); केंद्र-राज्य विवाद सुलझाने वाली **स्वतंत्र न्यायपालिका** (अनुच्छेद 131); द्विसदनीय संसद।

★★★ **एकात्मक विशेषताएँ**: अधिक और भारी विषयों वाला मज़बूत केंद्र; अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास; संसद राज्यों को नया रूप दे सकती है (अनुच्छेद 3); एक ही संविधान; एकल नागरिकता; संविधान का अधिकांश भाग अकेले संसद द्वारा संशोधनीय; एकीकृत न्यायपालिका; अखिल भारतीय सेवाएँ; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल; आपात उपबंध; एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और एक निर्वाचन आयोग।

★★ **राज्य सभा** की सीटें जनसंख्या के अनुसार हैं (उत्तर प्रदेश 31; कई छोटे राज्यों को 1 ही सीट), जबकि अमेरिकी सीनेट में हर राज्य की **बराबर** दो सीटें हैं। यह असमान प्रतिनिधित्व भारतीय संघवाद की एक विशेषता है।

★★ **विवरण**: के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare): **'अर्ध-संघीय' (quasi-federal)**; ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin): **'सहकारी संघवाद' (cooperative federalism)**; मॉरिस-जोन्स (Morris-Jones): **'सौदेबाज़ी संघवाद' (bargaining federalism)**; आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings): **प्रबल केंद्रीकरण प्रवृत्ति** वाला संघ; पॉल एपलबी (Paul Appleby): **'अत्यधिक संघीय' (extremely federal)**; आंबेडकर: समय और परिस्थिति के अनुसार यह **एकात्मक या संघीय** हो सकता है।

★★★ **मूल ढाँचा (Basic structure)**: संघवाद मूल विशेषता है (**एस.आर. बोम्मई, 1994**); राज्य केंद्र के मात्र एजेंट नहीं हैं।

★★ **एकात्मक सरकार (Unitary government)** (ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन) छोटे या एकरूप देशों के लिए उपयुक्त है: त्वरित निर्णय, एकसमान कानून, लचीलापन, कम खर्च। **संघीय सरकार** (अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत) बड़े और विविध देशों के लिए उपयुक्त है।

★ **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद**: जीएसटी परिषद, नीति आयोग की शासी परिषद और अंतर-राज्य परिषदें दोनों स्तरों को एक मेज़ पर लाती हैं; सूचकांकों पर राज्यों की रैंकिंग उनमें प्रतिस्पर्धा कराती है।

★ **असममित संघवाद (Asymmetric federalism)**: कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 371 से 371J) और छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदें।

भारतीय संविधान: रूप में संघीय, भावना में एकात्मक

संघीय विशेषताएँ

- दो सरकारें: संघ और राज्य
- सातवीं अनुसूची से शक्तियों का बँटवारा
- लिखित संविधान
- संविधान सर्वोच्च
- संघीय उपबंधों में कठोर (आधे राज्यों का अनुसमर्थन)
- स्वतंत्र न्यायपालिका विवाद सुलझाती है
- द्विसदनीय संसद: राज्यों के लिए राज्य सभा

एकात्मक विशेषताएँ (मज़बूत केंद्र)

- मज़बूत केंद्र: अधिक और भारी संघ विषय
- अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास (अनु. 248)
- संसद राज्यों को नया रूप दे सकती है (अनु. 3)
- एक संविधान और एकल नागरिकता
- एकीकृत न्यायपालिका
- अखिल भारतीय सेवाएँ संघ के नियंत्रण में
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल
- आपातकाल में व्यवस्था एकात्मक

भारतीय संविधान के दो चेहरे। हरा स्तंभ इसे संघ बनाता है; लाल स्तंभ केंद्र को बढ़त देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'भारतीय संघवाद इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम है' **असत्य** है। 'राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व', 'शक्तियों का विभाजन' और 'स्वतंत्र न्यायपालिका' सभी **सत्य** विशेषताएँ हैं; इनमें स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य संघीय विशेषता है।

याद रखें: अमेरिका **अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ** है; भारत **विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ** है: संघ टूट नहीं सकता, पर संसद राज्यों को बाँट सकती है, मिला सकती है या उनका नाम बदल सकती है।

झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है, और 'फेडरेशन' क्यों नहीं?
2. भारत किस देश के संघीय मॉडल को अपनाता है?
3. भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' किसने कहा?

उत्तर: 1. राज्यों का संघ: समझौते से नहीं बना, अलग होने का अधिकार नहीं · 2. कनाडा का (मज़बूत केंद्र) · 3. के.सी. व्हेयर

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255)

अनुच्छेद 245, 246
सातवीं अनुसूची
अनुच्छेद 248
अनुच्छेद 254
अनुच्छेद 249, 250
अनुच्छेद 252, 253

कानून बनाने की शक्ति दो बार बाँटी गई है: **क्षेत्र** के आधार पर (अनुच्छेद 245) और **विषय** के आधार पर (अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची)। फिर पलड़ा केंद्र की ओर झुकाया गया है: बचे हुए विषय केंद्र के पास हैं, साझा विषयों पर टकराव में केंद्र जीतता है, और पाँच स्थितियों में वह राज्यों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है।

★★ **क्षेत्र (अनुच्छेद 245)**: संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाती है, और वे **भारत के बाहर** भी लागू हो सकते हैं (राज्यक्षेत्रातीत, extra-territorial); राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बनाता है।

★★★ **तीन सूचियाँ (अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची)**: **संघ सूची (Union List)** (केवल संसद), **राज्य सूची (State List)** (सामान्य समय में राज्य विधानमंडल), **समवर्ती सूची (Concurrent List)** (दोनों)। 1950 में इनमें **97, 66 और 47** प्रविष्टियाँ थीं।

★★ **आज**: लागू प्रविष्टियाँ **98, 59 और 52** हैं। 2016 से पहले संख्या **100, 61 और 52** थी; फिर **101वें संशोधन (2016)** ने संघ सूची की प्रविष्टियाँ 92 और 92C तथा राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 52 और 55 हटा दीं (ये कर जीएसटी में समा गए)।

★★★ **42वें संशोधन (1976)** ने **पाँच विषय** राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले: **शिक्षा**, **वन**, **बाट और माप**, **वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण**, और **न्याय प्रशासन** (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन)।

★★★ **अवशिष्ट शक्ति (Residuary power) (अनुच्छेद 248)**: किसी सूची में न आने वाले विषय **संसद** के हैं, जैसे कनाडा में; अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये राज्यों के पास हैं। कोई विषय अवशिष्ट है या नहीं, यह न्यायालय तय करते हैं।

★★★ **समवर्ती विषय पर टकराव (अनुच्छेद 254)**: **संघ का कानून प्रभावी** होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित और उसकी **अनुमति** पाया राज्य का कानून उस राज्य में प्रभावी रहता है, जब तक संसद उसे बदल न दे।

★★ **जीएसटी (अनुच्छेद 246A, 101वाँ संशोधन, 2016)**: संसद और राज्य विधानमंडल **दोनों** जीएसटी कानून बना सकते हैं; अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए केवल संसद।

★★ **अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र**: राज्यपाल **पाँचवीं अनुसूची** के क्षेत्रों में संसद के किसी कानून को लागू होने से रोक सकता है या बदलकर लागू कर सकता है; असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के **छठी अनुसूची** क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही शक्तियाँ हैं।

तीनों सूचियों के चुने हुए विषय ★★★

संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
रक्षा, सशस्त्र बल	लोक व्यवस्था	दंड विधि और दंड प्रक्रिया
विदेश मामले, नागरिकता	पुलिस	विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार
रेलवे, वायुमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग	कारागार	शिक्षा, विश्वविद्यालयों सहित
बैंकिंग, मुद्रा, आरबीआई, बीमा	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल	वन; वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण
परमाणु ऊर्जा, जनगणना	कृषि, मत्स्य पालन, भूमि	विद्युत
अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य	स्थानीय शासन; दाँव और जुआ	मूल्य नियंत्रण; जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
अंतर-राज्य प्रवास; अंतर-राज्य संगरोध	जल: आपूर्ति, सिंचाई, नहरें	श्रमिक संघ, श्रम कल्याण
निगम कर; कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर	कृषि आय पर कर; विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर	समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय

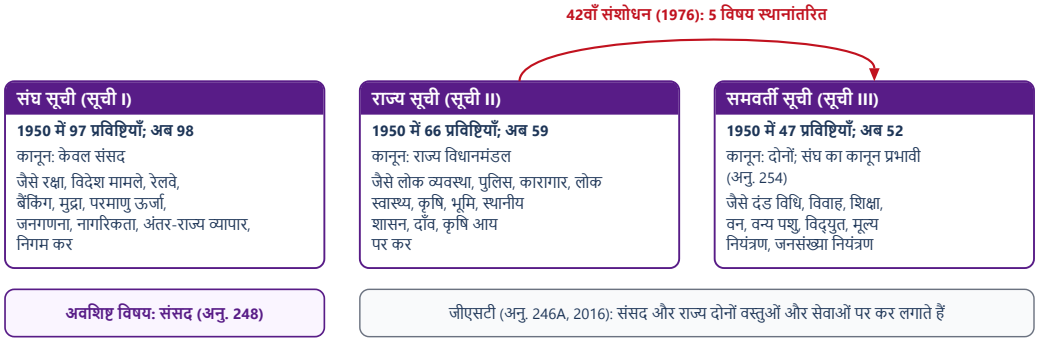

सातवीं अनुसूची: 1950 में 97, 66 और 47 प्रविष्टियाँ; आज लागू 98, 59 और 52। 42वें संशोधन ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले; बचे हुए विषय संसद के पास जाते हैं।

सामान्यतः संसद राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती। संविधान **पाँच दरवाज़े** खोलता है:

★★★ **अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित)**: **राज्य सभा** ऐसे प्रस्ताव से, जिसे **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** का समर्थन हो, घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है। प्रस्ताव अधिकतम **एक वर्ष** तक वैध रहता है और एक-एक वर्ष के लिए कितनी भी बार नवीनीकृत हो सकता है; प्रस्ताव समाप्त होने के छह महीने बाद कानून प्रभावहीन हो जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल)**: संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है; ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद प्रभावहीन हो जाते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 252 (राज्यों का अनुरोध)**: जब **दो या अधिक राज्यों** के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें, तो संसद उनके लिए राज्य विषय पर कानून बना सकती है; अन्य राज्य बाद में उसे अपना सकते हैं। तब उसे केवल **संसद** संशोधित या निरस्त कर सकती है। उदाहरण: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (Prize Competitions Act) 1955, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wild Life (Protection) Act) 1972, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम (Water (Prevention and Control of Pollution) Act) 1974, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम (Urban Land (Ceiling and Regulation) Act) 1976, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (Transplantation of Human Organs Act) 1994।

★★★ **अनुच्छेद 253 (संधियाँ)**: संसद किसी **अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय**, या किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय के निर्णय को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए **कोई भी कानून** बना सकती है, **किसी राज्य की सहमति के बिना**। उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम (United Nations (Privileges and Immunities) Act) 1947, जिनेवा अभिसमय अधिनियम (Geneva Conventions Act) 1960, विमान अपहरण निरोधक अधिनियम (Anti-Hijacking Act) 1982, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Environment (Protection) Act) 1986।

★★ **अनुच्छेद 356/357 (राष्ट्रपति शासन)**: राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाती हैं।

★★ **राज्य विधेयकों पर नियंत्रण**: राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए **आरक्षित** कर सकता है, जो राज्य द्वारा पुनः पारित होने पर भी अनुमति रोक सकता है (अनुच्छेद 200, 201); व्यापार की स्वतंत्रता सीमित करने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की **पूर्व मंज़ूरी** चाहिए (अनुच्छेद 304(b))।

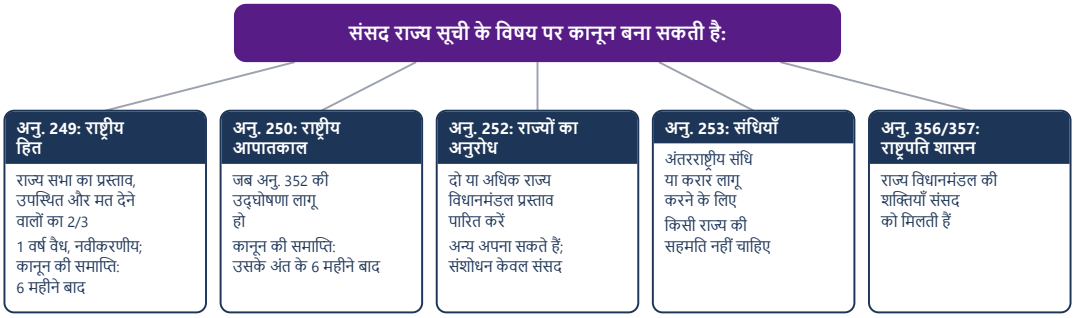

पाँच दरवाज़े जिनसे संसद राज्य सूची में प्रवेश करती है। केवल अनुच्छेद 249 को राज्य सभा का विशेष प्रस्ताव चाहिए; अनुच्छेद 253 को किसी राज्य की सहमति बिल्कुल नहीं चाहिए।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 249 के लिए **राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई** चाहिए: लोक सभा नहीं, और कुल सदस्यता का दो-तिहाई भी नहीं। अंतर-राज्य व्यापार, अंतर-राज्य प्रवास, अंतर-राज्य संगरोध और निगम कर सभी **संघ सूची** में हैं; कृषि आय कर और विद्युत विक्रय पर कर **राज्य सूची** में; मूल्य नियंत्रण और वन्यजीव **समवर्ती** हैं।

याद रखें: 249, 250, 252, 253 के लिए R-E-S-T: Rajya Sabha, Emergency, States' request, Treaty (राज्य सभा, आपातकाल, राज्यों का अनुरोध, संधि)। संसद राज्य सूची की सीमा पर 'rest' (विश्राम) नहीं करती।

झटपट जाँच

1. अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास है, और किस अनुच्छेद के अधीन?
2. 1976 में समवर्ती सूची में डाले गए पाँच विषय बताइए।
3. कौन-सा अनुच्छेद संसद को राज्यों की सहमति के बिना संधि लागू करने देता है?

उत्तर: 1. संसद, अनुच्छेद 248 · 2. शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्य पशु और पक्षी, न्याय प्रशासन · 3. अनुच्छेद 253

प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)

अनुच्छेद 256, 257
अनुच्छेद 365
अनुच्छेद 258, 258A
अखिल भारतीय सेवाएँ

कानून उतना ही अच्छा है जितना उसका पालन। कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति के पीछे चलती है, पर हर राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति ऐसे प्रयोग करनी होती है कि संघ के कानूनों का पालन हो और संघ के काम में बाधा न पड़े; यह सुनिश्चित करने के लिए संघ निर्देश दे सकता है।

★★ **कौन क्या लागू करता है**: संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ सूची के विषयों और संधियों तक है; राज्य की, राज्य सूची तक। समवर्ती विषयों पर कार्यान्वयन सामान्यतः राज्यों के पास रहता है, जब तक संविधान या संघ का कोई कानून उसे संघ को न दे।

★★★ **अनुच्छेद 256**: राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति ऐसे प्रयोग करनी है कि **संसद के बनाए कानूनों का पालन** सुनिश्चित हो; इसके लिए संघ निर्देश दे सकता है।

★★★ **अनुच्छेद 257**: राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा नहीं डालेगा। संघ राज्यों को **राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधन** बनाने और बनाए रखने तथा **रेलवे की रक्षा** का निर्देश दे सकता है; अतिरिक्त खर्च केंद्र देता है।

★★★ **अनुच्छेद 365**: यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों का पालन न करे, तो राष्ट्रपति मान सकता है कि उसकी सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, जिससे **अनुच्छेद 356** का रास्ता खुलता है।

★★ **अनुच्छेद 258**: **राष्ट्रपति**, **राज्य सरकार की सहमति से**, संघ के कार्य राज्य को सौंप सकता है; संसद कानून बनाकर राज्य के अधिकारियों पर कर्तव्य डाल सकती है, सहमति के बिना भी।

★★ **अनुच्छेद 258A** (7वाँ संशोधन, 1956): **राज्यपाल**, **संघ सरकार की सहमति से**, राज्य के कार्य संघ को सौंप सकता है।

★★★ **अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services) (अनुच्छेद 312)**: **आईएएस (IAS)**, **आईपीएस (IPS)** और **भारतीय वन सेवा** (1966 में बनी) में भर्ती संघ करता है, ये संघ और राज्यों दोनों में सेवा देती हैं, और अंतिम नियंत्रण संघ का है। नई अखिल भारतीय सेवा तभी बन सकती है जब **राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से प्रस्ताव पारित करे।

★★ **लोक सेवा आयोग**: संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), हर राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग; दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद **संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग** बना सकती है (अनुच्छेद 315)। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है, पर उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है।

★★ **अनुच्छेद 355**: संघ को हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करनी है; केंद्र किसी राज्य में अपने सशस्त्र और अन्य बल तैनात कर सकता है (संघ सूची प्रविष्टि 2A, 1976 में जोड़ी गई)।

★ **नियंत्रण के अन्य माध्यम**: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल (अनुच्छेद 155); सशर्त अनुदान; केंद्रीय एजेंसियाँ।

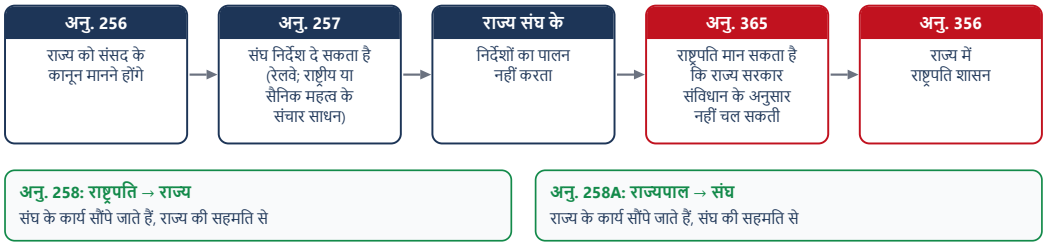

ऊपर: संघ के निर्देश की अनदेखी कैसे राष्ट्रपति शासन तक पहुँच सकती है। नीचे: संघ और राज्य एक-दूसरे को कार्य सौंप सकते हैं, पर केवल दूसरे पक्ष की सहमति से।

⚠ **परीक्षा में सावधान: अनुच्छेद 258** में **राष्ट्रपति राज्य** की सहमति से संघ के कार्य राज्य को सौंपता है; **अनुच्छेद 258A** में **राज्यपाल संघ** की सहमति से राज्य के कार्य संघ को सौंपता है। दोनों को आसानी से उलट दिया जाता है।

💡 **याद रखें: 258 नीचे जाता है, 258A ऊपर**: राष्ट्रपति काम नीचे राज्य को देता है; राज्यपाल काम ऊपर संघ को देता है।

☑ झटपट जाँच

1. संघ के निर्देशों का पालन न करने पर किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति शासन लग सकता है?
2. आज कौन-सी तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं?
3. अनुच्छेद 258A के अधीन कौन, क्या, किसे सौंपता है?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 365 (फिर अनुच्छेद 356) · 2. आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा · 3. राज्यपाल राज्य के कार्य संघ को, उसकी सहमति से, सौंपता है

अनुच्छेद 265
अनुच्छेद 268–271
जीएसटी परिषद (279A)
वित्त आयोग (280)
अनुच्छेद 275, 282
अनुच्छेद 293

बढ़ने वाले बड़े कर (आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, जीएसटी में उसका आधा भाग) केंद्र के पास हैं, जबकि पुलिस, स्वास्थ्य, विद्यालय और खेती पर अधिकांश खर्च राज्य करते हैं। इस अंतर को **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (vertical fiscal imbalance)** कहते हैं, जिसे करों के बँटवारे और अनुदानों से पाटा जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 265**: **विधि के प्राधिकार** के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है, न वसूला जा सकता है।

★★ **अलग-अलग कर क्षेत्र**: संघ सूची के कर संसद के हैं (कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क); राज्य सूची के कर राज्यों के (भू-राजस्व, कृषि आय कर, शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क, विद्युत विक्रय पर कर, पेट्रोलियम और शराब पर बिक्री कर)। समवर्ती सूची में स्टांप शुल्क (दरों को छोड़कर) के सिवा कोई कर प्रविष्टि नहीं है।

★★ **अवशिष्ट कर** केंद्र के हैं (संघ सूची प्रविष्टि 97): उपहार कर और व्यय कर इसी के अधीन लगाए गए थे।

★★★ **अनुच्छेद 268**: संघ सूची में नामित **स्टांप शुल्क** (विनिमय पत्रों, चेकों, वचन पत्रों, शेयर अंतरण आदि पर) **संघ लगाता है**, पर **राज्य वसूलते और रखते हैं**।

★★ **अनुच्छेद 269**: जीएसटी से बाहर **माल के अंतर-राज्य विक्रय और परेषण** पर कर संघ लगाता और वसूलता है, पर वे **राज्यों को सौंप दिए जाते हैं**।

★★★ **अनुच्छेद 269A**: अंतर-राज्य आपूर्ति पर **आईजीएसटी (IGST)** संघ लगाता और वसूलता है, और जीएसटी परिषद की सलाह पर संसद के प्रावधान के अनुसार संघ और राज्यों में **बँटता** है।

★★★ **अनुच्छेद 270**: संघ के अन्य सभी कर (आयकर, निगम कर, सीजीएसटी आदि) संघ लगाता और वसूलता है और **वित्त आयोग** की सलाह पर राज्यों के साथ **बाँटता** है। **80वें संशोधन (2000)** से पूरा पूल बँटवारे योग्य है, अधिभार और विशेष प्रयोजन उपकरों को छोड़कर।

★★ **अनुच्छेद 271**: संघ के करों पर **अधिभार** केवल संघ के हैं।

★★★ **वित्त आयोग (Finance Commission) (अनुच्छेद 280)**: राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में नियुक्त करता है; यह केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा (**ऊर्ध्वाधर**) और राज्यों के बीच उसका बँटवारा (**क्षैतिज**) सुझाता है। **16वें वित्त आयोग** (अध्यक्ष **अरविंद पनगढ़िया**) ने **2026–31** के लिए राज्यों का हिस्सा **41%** पर बनाए रखा; इसकी रिपोर्ट **1 फरवरी 2026** को सदन में रखी गई।

★★★ **जीएसटी परिषद (GST Council) (अनुच्छेद 279A)**: केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), वित्त के केंद्रीय राज्य मंत्री, और हर राज्य से एक मंत्री। निर्णयों के लिए भारित मतों का **तीन-चौथाई** चाहिए: केंद्र **एक-तिहाई**, सभी राज्य मिलकर **दो-तिहाई**। जीएसटी **1 जुलाई 2017** को **101वें संशोधन (2016)** के अधीन शुरू हुआ।

★★ **भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (Union of India v. Mohit Minerals) (2022)**: जीएसटी परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर **प्रेरक हैं, बाध्यकारी नहीं**।

★ **जीएसटी दरें**: **22 सितंबर 2025** से दो मुख्य स्लैब **5% और 18%**, और कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर **40%** दर।

★★★ **अनुदान**: **अनुच्छेद 275**: ज़रूरतमंद राज्यों के लिए भारत की संचित निधि पर भारित सांविधिक सहायता अनुदान, वित्त आयोग की सलाह के अनुसार, जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अनुदान सहित। **अनुच्छेद 282**: किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संघ या राज्य के **विवेकाधीन** अनुदान (केंद्रीय योजनाओं का रास्ता)।

★★ **उधार (अनुच्छेद 292, 293)**: संघ संसद द्वारा तय सीमाओं में भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेता है; राज्य **केवल भारत के भीतर** उधार ले सकता है, और जब तक उस पर संघ का ऋण बकाया है, उसे **संघ की सहमति** चाहिए।

★ **पारस्परिक छूट (अनुच्छेद 285, 289)**: संघ की संपत्ति राज्य करों से मुक्त है; राज्य की संपत्ति और आय संघ के करों से मुक्त है, यद्यपि उसके व्यापारिक कारोबार पर कर लग सकता है।

अनुच्छेद	कर	लगाता है	वसूलता है	रखता है
अनु. 268	संघ सूची के स्टांप शुल्क	संघ	राज्य	राज्य
अनु. 269	माल का अंतर-राज्य विक्रय और परेषण (जीएसटी से बाहर)	संघ	संघ	राज्य
अनु. 269A	अंतर-राज्य आपूर्ति पर IGST: जीएसटी परिषद की सलाह से बँटवारा	संघ	संघ	साझा
अनु. 270	आयकर, निगम कर, CGST: वित्त आयोग की सलाह से बँटवारा	संघ	संघ	साझा
अनु. 271	अधिभार (और विशेष प्रयोजन उपकर)	संघ	संघ	संघ
राज्य सूची	भू-राजस्व, कृषि आय, विद्युत, शराब, विलेखों पर स्टांप शुल्क	राज्य	राज्य	राज्य

हर प्रकार का कर कौन लगाता है, कौन वसूलता है और कौन रखता है। गहरा नीला = संघ, हरा = राज्य, बैंगनी = सूत्र से बँटा।

⚠ **परीक्षा में सावधान: संघ द्वारा लगाया पर राज्यों द्वारा वसूला और विनियोजित कर स्टांप शुल्क** है (अनुच्छेद 268)। अनुच्छेद 269 में संघ लगाता भी है और वसूलता भी है; केवल पैसा राज्यों को जाता है। अधिभार और उपकर विभाज्य पूल में **नहीं** आते।

याद रखें: 268: नियम संघ लिखता है, स्टांप का पैसा राज्य रखते हैं। 270: सबका पूल। 271: अधिभार घर पर ही रहता है।

झटपट जाँच

1. कौन-सा कर संघ लगाता है पर राज्य वसूलते और रखते हैं?
2. जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों के मतों का भार?
3. 16वें वित्त आयोग के अधीन विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 268 के अधीन स्टांप शुल्क · 2. केंद्र एक-तिहाई, राज्य दो-तिहाई; निर्णय तीन-चौथाई से · 3. 41% (2026–31)

केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग

प्रशासनिक सुधार आयोग 1966

राजमन्नार 1969

आनंदपुर साहिब 1973

सरकारिया 1983

पुंछी 2007

टकराव लगातार रहा है: अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राज्यपालों की भूमिका, केंद्रीय बलों की तैनाती, और पैसा। कई निकायों ने इसका अध्ययन किया। **सरकारिया आयोग** की रिपोर्ट आज भी मुख्य संदर्भ है, और उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई में उसी का सहारा लिया।

★ **प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) (1966), मोरारजी देसाई (Morarji Desai)** की अध्यक्षता में (बाद में **के. हनुमंतैया (K. Hanumanthaiya)**): केंद्र-राज्य संबंधों पर इसके अध्ययन दल ने, जिसके प्रमुख **एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad)** थे, अनुच्छेद 263 के अधीन **अंतर-राज्य परिषद** और लंबे सार्वजनिक अनुभव वाले गैर-दलीय राज्यपालों की सिफारिश की।

★★ **राजमन्नार समिति (Rajamannar Committee) (1969)**: **तमिलनाडु** सरकार ने **पी.वी. राजमन्नार (P.V. Rajamannar)** की अध्यक्षता में गठित की; 1971 में रिपोर्ट दी। इसने राज्य स्वायत्तता माँगी: तुरंत अंतर-राज्य परिषद, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को, **अनुच्छेद 356, 357 और 365 को हटाना**, और अखिल भारतीय सेवाओं का अंत। केंद्र ने इसे अनदेखा किया।

★ **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (Anandpur Sahib Resolution) (1973)**: **शिरोमणि अकाली दल** ने पारित किया; केंद्र को रक्षा, विदेश मामले, संचार और मुद्रा तक सीमित करना और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को देना चाहा।

★ **पश्चिम बंगाल ज्ञापन (West Bengal Memorandum) (1977)**: पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने अधिक राज्य स्वायत्तता माँगी।

★★★ **सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)**: केंद्र ने **जून 1983** में न्यायमूर्ति **आर.एस. सरकारिया (R.S. Sarkaria)** की अध्यक्षता में गठित किया (सदस्य **बी. शिवरामन** और **एस.आर. सेन**); **27 अक्टूबर 1987** को **247 सिफारिशों** के साथ रिपोर्ट सौंपी (जनवरी 1988 में प्रकाशित)। इसने बड़े संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता नहीं मानी और सहयोगी कार्यप्रणाली के साथ मज़बूत केंद्र का समर्थन किया।

★★★ **सरकारिया की मुख्य सिफारिशें**: अनुच्छेद 263 के अधीन स्थायी **अंतर-राज्य परिषद**; **अनुच्छेद 356 केवल अंतिम उपाय** के रूप में, राज्य को चेतावनी देने के बाद; राज्यपाल प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, **राज्य के बाहर** का हो, हाल में उसकी राजनीति में सक्रिय न रहा हो, मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद चुना जाए और ठोस कारण के बिना पाँच वर्ष से पहले न हटाया जाए; अखिल भारतीय सेवाएँ मज़बूत हों; अवशिष्ट कराधान संसद के पास और अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ समवर्ती सूची में; समवर्ती सूची पर कानून से पहले राज्यों से परामर्श; क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय करना।

★★★ **परिणाम**: **अंतर-राज्य परिषद** का गठन **28 मई 1990** को हुआ।

★★★ **पुंछी आयोग (Punchhi Commission)**: **अप्रैल 2007** में पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति **एम.एम. पुंछी (M.M. Punchhi)** की अध्यक्षता में गठित; **31 मार्च 2010** को सात खंडों में **273 सिफारिशों** वाली रिपोर्ट सौंपी।

★★ **पुंछी की मुख्य सिफारिशें**: अनुच्छेद 355 और 356 के आपात शासन को '**स्थानीय**' बनाना, ताकि केवल एक ज़िला या राज्य का एक भाग केंद्रीय शासन में आए; राज्यपालों का निश्चित पाँच वर्ष का कार्यकाल, जिन्हें केवल राज्य विधानमंडल के महाभियोग जैसे प्रस्ताव से हटाया जा सके; आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए छह महीने की सीमा; त्रिशंकु विधान सभा में सरकार बनाने के लिए दल को बुलाने के स्पष्ट नियम।

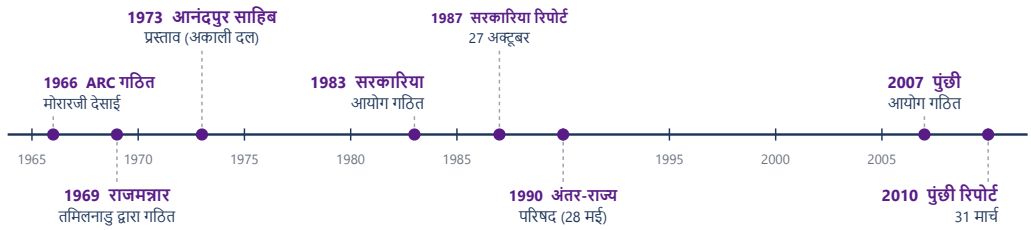

केंद्र-राज्य संबंधों पर मुख्य निकाय, 1966–2010, वर्षों के अनुपात में रखे गए। 1990 की अंतर-राज्य परिषद व्यवहार में सरकारिया की मुख्य सिफारिश थी।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** सरकारिया आयोग: **गठन 1983**, रिपोर्ट **1987** (1988 में सार्वजनिक)। राजमन्नार एक **राज्य** (तमिलनाडु) की पहल थी, केंद्र की नहीं; पुंछी ने **2010** में रिपोर्ट दी।

याद रखें: सरकारिया: 'सरकार' (केंद्र) ने पूछा। राजमन्नार: एक 'राज' (राज्य) ने पूछा। सरकारिया नई दिल्ली से आया, राजमन्नार चेन्नई से।

झटपट जाँच

1. सरकारिया आयोग: गठन का वर्ष, रिपोर्ट का वर्ष, सिफारिशों की संख्या?
2. राजमन्नार समिति किस राज्य ने गठित की?
3. किस आयोग ने आपात उपबंधों को 'स्थानीय' बनाने की सिफारिश की?

उत्तर: 1. 1983; 27 अक्टूबर 1987; 247 · 2. तमिलनाडु (1969) · 3. पुंछी आयोग (2007–10)

अंतर-राज्य संबंध और सहयोगी निकाय

अनुच्छेद 261

अनुच्छेद 262 जल विवाद

अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद

राज्य नदियाँ, राजमार्ग, बाज़ार और सीमाएँ साझा करते हैं। संविधान उन्हें विवाद सुलझाने और साथ काम करने के उपाय देता है, और संसद ने कानून बनाकर परिषदें जोड़ी हैं।

★★★ **अनुच्छेद 262**: संसद कानून बनाकर **अंतर-राज्य नदियों** के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकती है और **उच्चतम न्यायालय** तथा अन्य न्यायालयों को उनकी सुनवाई से रोक सकती है। कानून: **अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम (Inter-State River Water Disputes Act), 1956** (अधिकरण) और **नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act), 1956**।

★★ **जल अधिकरणों** में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, रावी-ब्यास, कावेरी, वंशधारा, महादायी और महानदी शामिल रहे हैं। 2002 के एक संशोधन से प्रकाशित पंचाट को उच्चतम न्यायालय की डिक्री के समान बल प्राप्त है।

★★★ **अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्य परिषद, Inter-State Council)**: राष्ट्रपति राज्यों के बीच विवादों की जाँच, साझा हित के विषयों पर चर्चा और बेहतर समन्वय की सिफारिश के लिए परिषद बना सकता है। इसका गठन सरकारिया की सलाह पर **28 मई 1990** को **राष्ट्रपति के आदेश** से हुआ। यह **सलाहकारी** है।

★★ **अंतर-राज्य परिषद के सदस्य**: **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष); सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री; अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक; राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल; प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत **छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**। इसकी **स्थायी समिति** (1996) की अध्यक्षता केंद्रीय **गृह मंत्री** करते हैं।

★★ **अनुच्छेद 261**: संघ और हर राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में **पूर्ण विश्वास और मान्यता (full faith and credit)**; सिविल न्यायालयों के अंतिम निर्णय भारत में कहीं भी लागू किए जा सकते हैं।

★★ **व्यापार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 301–307, भाग XIII)**: पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र हैं। संसद लोकहित में उन पर प्रतिबंध लगा सकती है (अनुच्छेद 302); राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, पर ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की **पूर्व मंज़ूरी** चाहिए (अनुच्छेद 304(b))।

★★★ **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)**: **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के अधीन **सांविधिक** निकाय; पाँच परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी)। अध्यक्ष: केंद्रीय **गृह मंत्री**, पाँचों के साझा; उपाध्यक्ष: सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री **बारी-बारी से, एक-एक वर्ष के लिए**। सदस्य: हर राज्य का मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री, तथा सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक।

★★★ **पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council, NEC)**: **पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971** के अधीन **सांविधिक**। **2002 के संशोधन** से इसके सदस्य आठ पूर्वोत्तर राज्यों के **राज्यपाल** और **मुख्यमंत्री** (सिक्किम 2002 में जुड़ा) तथा **राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य** हैं। **13 जून 2018** के कैबिनेट निर्णय से केंद्रीय **गृह मंत्री** इसके पदेन अध्यक्ष और राज्य मंत्री (DoNER) इसके उपाध्यक्ष हैं।

★★★ **संवैधानिक, सांविधिक या कार्यकारी?** इन निकायों में केवल **अंतर-राज्य परिषद** का संवैधानिक आधार है (अनुच्छेद 263); **क्षेत्रीय परिषदें** और **पूर्वोत्तर परिषद** सांविधिक हैं; **राष्ट्रीय विकास परिषद (1952)**, **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998)** और **नीति आयोग (1 जनवरी 2015)** कार्यकारी निर्णय से बने।

★★ **नीति आयोग की शासी परिषद**: प्रधानमंत्री के साथ सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल; सहकारी संघवाद का मंच।

पाँच क्षेत्रीय परिषदें ★

परिषद	सदस्य
उत्तरी	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
मध्य	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
पूर्वी	बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
पश्चिमी	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी

संवैधानिक (संविधान में नामित)	सांविधिक (अधिनियम से बने)	कार्यकारी (सरकारी निर्णय)
अंतर-राज्य परिषद: अनु. 263 (राष्ट्रपति के आदेश से 1990 में बनी) वित्त आयोग: अनु. 280 जीएसटी परिषद: अनु. 279A (2016)	क्षेत्रीय परिषदें (5): राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पूर्वोत्तर परिषद: NEC अधिनियम, 1971 जल विवाद अधिकरण: अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956	राष्ट्रीय विकास परिषद: 1952 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद: 1998 नीति आयोग: 1 जनवरी 2015

केंद्र और राज्यों को साथ लाने वाले निकाय, उनके अधिकार के स्रोत के अनुसार। केवल पहले स्तंभ के निकाय संविधान में नामित हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अंतर-राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषदों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में केवल **अंतर-राज्य परिषद** संविधान पर आधारित है (अनुच्छेद 263), यद्यपि वह राष्ट्रपति के आदेश से बनी। अधिनियम के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य हैं; गृह मंत्री अधिनियम के बल पर सदस्य नहीं है।

याद रखें: क्षेत्रीय परिषदें क्षेत्रों के साथ जन्मीं: **1956** के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने नए राज्य बनाए और उन्हें पाँच क्षेत्रों में बाँटा।

झटपट जाँच

1. अंतर-राज्य परिषद किस अनुच्छेद के अधीन और किस तिथि को गठित हुई?
2. क्षेत्रीय परिषदें किस कानून के अधीन बनीं, और उनकी अध्यक्षता कौन करता है?
3. 2002 के संशोधन के बाद पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य कौन हैं?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 263; 28 मई 1990, राष्ट्रपति के आदेश से · 2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956; केंद्रीय गृह मंत्री · 3. आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (22)

UPSC 2011 यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, तो
(a) बजट में संशोधन कर यह दुबारा पेश किया जाता है (b) सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है
(c) संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है (d) प्रधान मंत्री अपनी मंत्री परिषद् का त्यागपत्र पेश कर देता है
उत्तर: (d) प्रधान मंत्री अपनी मंत्री परिषद् का त्यागपत्र पेश कर देता है. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3)); लोकसभा में बजट का गिरना विश्वास खो देने के बराबर है

UPSC 2013 संसद्, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए, कोई भी कानून बना सकती है
(a) सभी राज्यों की सहमति से (b) बहुसंख्य राज्यों की सहमति से (c) सम्बन्धित राज्यों की सहमति से (d) बिना किसी राज्य की सहमति से
उत्तर: (d) बिना किसी राज्य की सहमति से. अनुच्छेद 253: संसद संधियों को लागू करने के लिए राज्यों की सहमति के बिना कानून बना सकती है

UPSC 2013 भारत के सन्दर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धान्त संस्थागत रूप में निहित है/हैं?
1. मंत्रिमण्डल के सदस्य संसद् के सदस्य होते हैं।
2. जब तक मंत्रियों को संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1 और 2. संसदीय प्रणाली में मंत्री विधायिका से लिए जाते हैं और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं; भारत में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं

UPSC 2015 भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि
(a) लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है (b) संसद्, संविधान का संशोधन कर सकती है
(c) राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता (d) मंत्रिपरिषद्, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है
उत्तर: (d) मंत्रिपरिषद्, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है. कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व संसदीय शासन की पहचान है

UPSC 2016 राष्ट्र हित में भारत की संसद् राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प
(a) लोक सभा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए
(b) लोक सभा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए
(c) राज्य सभा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए
(d) राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए
उत्तर: (d) राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए. अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने देता है; अनुच्छेद 249 के संकल्प के लिए राज्य सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई चाहिए

UPSC 2017 निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है ?
(a) भारत में स्वतन्त्र न्यायपालिका है । (b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है ।
(c) संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है ।
(d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है ।
उत्तर: (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है ।. भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है

UPSC 2017 संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि
(a) कार्यपालिका और विधानमण्डल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं । (b) यह नीति की निरन्तरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है ।
(c) कार्यपालिका, विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है । (d) सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता ।
उत्तर: (c) कार्यपालिका, विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है ।. संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है

UPSC 2017 निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए, जो मंत्रिमण्डल स्वरूप की सरकार के अन्तर्निहित सिद्धान्त को अभिव्यक्त करता है :
(a) ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम-से-कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है ।
(b) ऐसी सरकार के कामकाज में तेज़ी लाने की क्रियाविधि, जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ।
(c) सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि ।
(d) उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मज़बूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है ।
उत्तर: (c) सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि ।. मंत्रिमंडलीय शासन मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व पर टिका है

UPSC 2020 संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें
(a) संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है
(b) सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है
(c) सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है
(d) सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती
उत्तर: (b) सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है. संसदीय प्रणाली में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है; अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है

UPSC 2021 हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किन्तु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?
1. जहाँ तक विधि-निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किन्तु भारत में संसद की विधि-निर्माण की शक्ति परिसीमित है।
2. भारत में, संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. भारतीय संसद संप्रभु नहीं है; उसके कानून न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं; संविधान के निर्वचन से जुड़े सारवान विधि-प्रश्न कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ सुनती है

UPSC 2021 भारतीय राज्य-व्यवस्था में, निम्नलिखित में से कौन-सी अनिवार्य विशेषता है, जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है?
(a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। (b) संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।
(c) केन्द्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। (d) मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
उत्तर: (a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।. केंद्र-राज्य विवाद सुलझाने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद की अनिवार्य विशेषता है

UPSC 2024 पूर्वोत्तर परिषद् (NEC) की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 द्वारा की गई थी । वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद, परिषद् में निम्नलिखित में से किन-किन सदस्यों को शामिल किया गया है ?
1. संघटक राज्य का राज्यपाल
2. संघटक राज्य का मुख्य मंत्री
3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य
4. भारत का गृह मंत्री
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4 (c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a) केवल 1, 2 और 3. 2002 से पूर्वोत्तर परिषद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य हैं

UPSC 2024 भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
(a) अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है ।
(b) अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है । (c) अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है ।
(d) निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है ।
उत्तर: (c) अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है ।. अंतरराज्यीय प्रवास और अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची में हैं; अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य तथा निगम कर संघ सूची के विषय हैं

UPSC 2025 भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
I. अंतर-राज्य परिषद्
II. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्
III. क्षेत्रीय परिषदें
उपर्युक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुईं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (a) केवल एक. अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान करता है, जो 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से बनी; क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बने वैधानिक निकाय हैं; राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1998 में बना एक कार्यकारी निकाय है

BPSC 60th-62nd मिलान करें :
I. संघीय सूची | a. 97 प्रविष्टियाँ
II. राज्य सूची | b. 47 प्रविष्टियाँ
III. समवर्ती सूची | c. 66 प्रविष्टियाँ
कूट :
(a) I – a, II – b, III – c (b) I – a, II – c, III – b (c) I – a, II – a, III – b (d) I – c, II – b, III – a
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) I – a, II – c, III – b. सातवीं अनुसूची में मूलतः संघ की 97, राज्य की 66 और समवर्ती की 47 प्रविष्टियाँ थीं

BPSC 60th-62nd निम्न में से कौन सा कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आबंटित किया जाता है ?
(a) स्टाम्प शुल्क (b) यात्री एवं वस्तु कर (c) संपदा शुल्क (d) अखबारों पर कर (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) स्टाम्प शुल्क. अनुच्छेद 268: स्टाम्प शुल्क संघ लगाता है, राज्य वसूलते और रखते हैं

BPSC 63rd भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है?
(a) संघीय (b) एकात्मक (c) संसदीय (d) प्रकृति में संघीय किन्तु भावना में एकात्मक
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) प्रकृति में संघीय किन्तु भावना में एकात्मक. भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है

BPSC 64th निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केन्द्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था?
(a) 1983 (b) 1984 (c) 1985 (d) 1987 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) 1987. केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983) ने 1987-88 में रिपोर्ट दी

BPSC 65th सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही है?
(a) विधायिका, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। (b) विधायिका, कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है।
(c) विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतन्त्र हैं। (d) राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है।
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक. संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है

BPSC 65th निम्नलिखित विशेषताओं में से केन्द्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन-सी सही नहीं है?
(a) त्वरित निर्णय (b) लचीलापन (c) बड़े देशों के लिए आदर्श (d) कानून की एकरूपता
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) बड़े देशों के लिए आदर्श. एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए और संघीय शासन बड़े विविध देशों के लिए उपयुक्त है

BPSC 70th re-exam अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या सम्पूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है
(a) सम्बन्धित राज्य की सहमति से (b) राज्य की सहमति के बिना (c) राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा (d) सभी राज्यों की सहमति से
उत्तर: (b) राज्य की सहमति के बिना. अनुच्छेद 253: अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है

BPSC 71st भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते है?
1) वन्यजीवों की सुरक्षा
2) कृषि पर आय
3) विद्युत उपभोग अथवा विक्री पर कर
4) मूल्य नियंत्रण
इनमें से :
(a) 1 तथा 4 सही है (b) 2 तथा 3 सही है (c) केवल 4 सही है (d) केवल 2 सही है
उत्तर: (a) 1 तथा 4 सही है. वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण 42वें संशोधन से समवर्ती सूची में है; मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है; कृषि आय पर कर और बिजली की बिक्री पर कर राज्य सूची के विषय हैं

स्वयं को परखें (12)

1. राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, यदि प्रस्ताव पारित हो
(a) लोक सभा द्वारा उसकी कुल सदस्यता के दो-तिहाई से (b) राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से
(c) दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से (d) राज्य सभा द्वारा उसकी कुल सदस्यता के बहुमत से

2. भारतीय संविधान के अधीन विधि-निर्माण की अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं
(a) राज्यों में (b) राष्ट्रपति में (c) संसद में (d) संसद और राज्यों दोनों में

3. 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए? 1. शिक्षा 2. वन 3. पुलिस 4. बाट और माप
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर-राज्य परिषद पहली बार किस वर्ष गठित हुई?
(a) 1983 (b) 1988 (c) 1990 (d) 2007

5. कौन-सा कर संघ लगाता है पर राज्य वसूलते और रखते हैं?
(a) चेकों और वचन पत्रों पर स्टांप शुल्क (b) निगम कर (c) आयकर पर अधिभार (d) एकीकृत जीएसटी

6. संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है
(a) राष्ट्रपति के प्रति (b) पूरी संसद के प्रति (c) लोक सभा के प्रति (d) प्रधानमंत्री के प्रति

7. भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं
(a) संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन गठित संवैधानिक निकाय (b) 1956 के एक अधिनियम से बने सांविधिक निकाय
(c) कैबिनेट प्रस्ताव से बने कार्यकारी निकाय (d) वित्त आयोग के अधीन सलाहकारी निकाय

8. जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं
(a) सदस्यों के साधारण बहुमत से (b) सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से (c) उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से (d) भारित मतों के तीन-चौथाई से

9. भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' किसने कहा?
(a) ग्रैनविल ऑस्टिन (b) के.सी. व्हेयर (c) आइवर जेनिंग्स (d) पॉल एपलबी

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 252 के अधीन, जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल अनुरोध के प्रस्ताव पारित करें, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
2. अनुच्छेद 252 के अधीन बने कानून को बाद में अनुरोध करने वाले राज्यों के विधानमंडल संशोधित या निरस्त कर सकते हैं।
3. अनुच्छेद 253 के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने वाला कानून बनाने के लिए संसद को राज्यों की सहमति चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
निकाय : आधार
1. अंतर-राज्य परिषद : संविधान का अनुच्छेद 263
2. क्षेत्रीय परिषदें : राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
3. पूर्वोत्तर परिषद : 1971 का कार्यकारी प्रस्ताव
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

12. एक राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के किसी विषय पर ऐसा कानून पारित करता है जो संसद के एक पुराने अधिनियम से टकराता है। राज्यपाल ने राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया था, और राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। उस राज्य में कौन-सा कानून प्रभावी होगा?
(a) संसद का अधिनियम, क्योंकि समवर्ती विषय पर संघ का कानून सदा प्रभावी होता है
(b) कोई नहीं, जब तक उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 131 के अधीन विवाद तय न करे
(c) संसद का अधिनियम, जब तक राज्य सभा अनुच्छेद 249 के अधीन प्रस्ताव पारित न करे (d) राज्य का कानून, जब तक संसद उसे बदल न दे

उत्तर: 1. (b) अनुच्छेद 249 के लिए राज्य सभा का ऐसा प्रस्ताव चाहिए जिसे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन हो। · 2. (c) अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 अवशिष्ट शक्ति संसद को देते हैं। · 3. (b) पुलिस राज्य सूची में ही है; अन्य तीन 1976 में स्थानांतरित हुए। · 4. (c) इसका गठन सरकारिया आयोग की सलाह पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से हुआ। · 5. (a) अनुच्छेद 268 संघ सूची के स्टांप शुल्कों पर लागू होता है। · 6. (c) अनुच्छेद 75(3) इसे लोक सभा (House of the People) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। · 7. (b) ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से बनीं। · 8. (d) अनुच्छेद 279A: भारित मतों का तीन-चौथाई; केंद्र का भार एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई। · 9. (b) ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद की बात की; व्हेयर ने इसे अर्ध-संघीय कहा। · 10. (a) अनुच्छेद 252 के कानून को केवल संसद संशोधित या निरस्त कर सकती है, और अनुच्छेद 253 के कानूनों के लिए किसी राज्य की सहमति नहीं चाहिए; जाल वाले कथन ये शक्तियाँ राज्यों को दे देते हैं। · 11. (b) युग्म 1 और 2 सही हैं; पूर्वोत्तर परिषद सांविधिक है, जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अधीन बनी, किसी कार्यकारी प्रस्ताव से नहीं। · 12. (d) अनुच्छेद 254: राष्ट्रपति की अनुमति पाया आरक्षित राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी होता है; संघ का कानून प्रभावी होने का नियम केवल ऐसी अनुमति न होने पर लागू होता है।

अध्याय 9

आपात उपबंध

अनुच्छेद 352, 356 और 360 के आधार और अनुमोदन के नियम, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव (अनुच्छेद 358 बनाम 359), राष्ट्रपति शासन के परिणाम और 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय बार-बार पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 4 बार पूछा गया: UPSC 2 · BPSC 2

≈ 36 min पढ़ने में ≈ 8 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

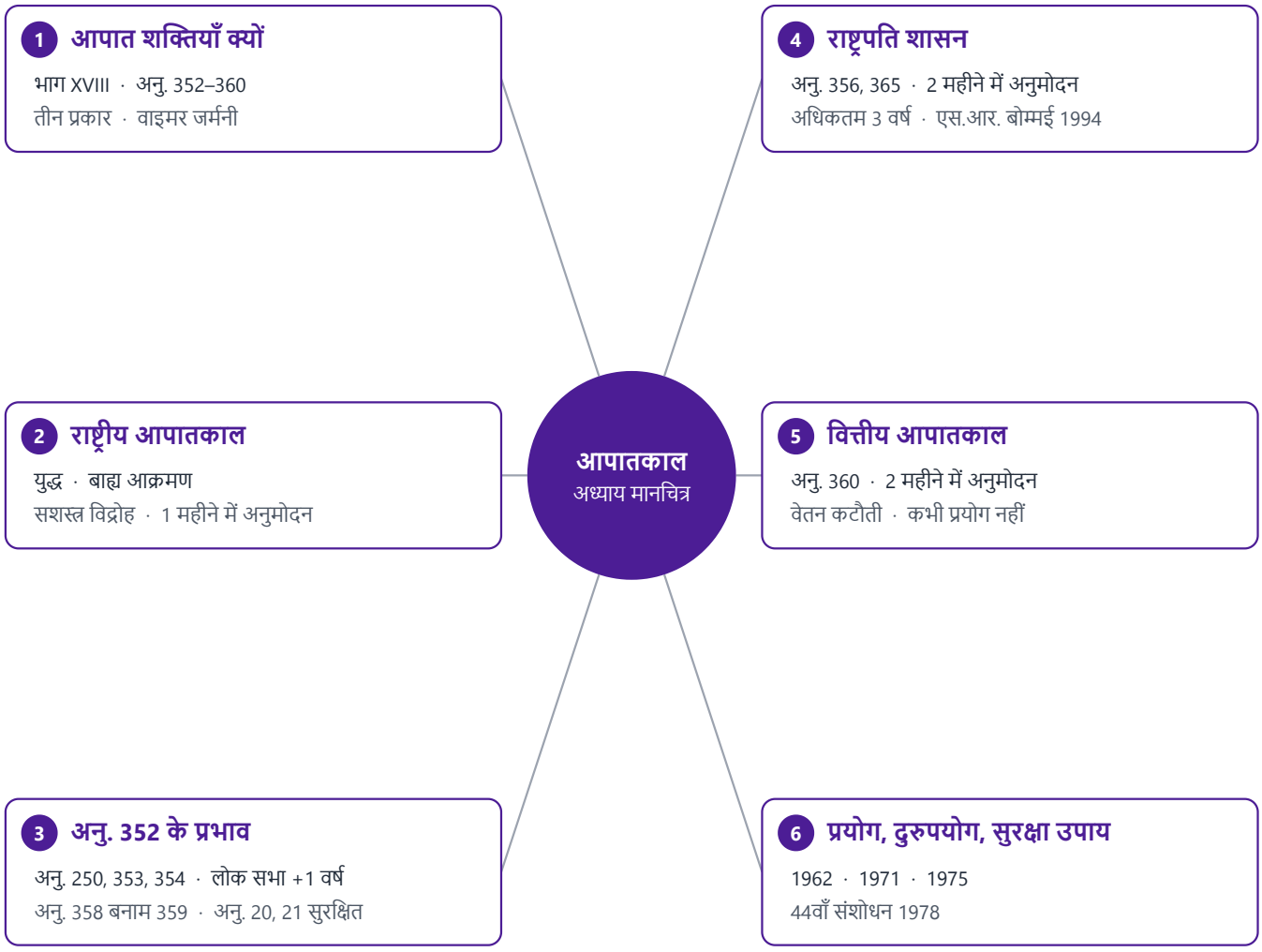

रिवीज़न कार्ड

1. भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360): राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)। आपातकाल में अधिकारों का निलंबन वाइमर जर्मनी से लिया गया है।
2. अनुच्छेद 352 के आधार: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (44वें संशोधन, 1978 तक 'आंतरिक अशांति'); उद्घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित निर्णय पर।
3. अनुच्छेद 352 का अनुमोदन: दोनों सदन 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से; एक बार में 6 महीने, कोई ऊपरी सीमा नहीं; केवल लोक सभा साधारण बहुमत के प्रस्ताव से इसे समाप्त करा सकती है।
4. अनुच्छेद 358 अपने आप अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है, केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण वाले आपातकाल में; अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करने देता है, पर अनुच्छेद 20 और 21 का कभी नहीं।
5. राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है (अनुच्छेद 250); लोक सभा का कार्यकाल एक-एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जो आपातकाल समाप्त होने के अधिकतम 6 महीने बाद तक रहता है।
6. राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार घोषित: 26 अक्टूबर 1962 (चीन), 3 दिसंबर 1971 (पाकिस्तान), 25 जून 1975 (आंतरिक अशांति)।
7. अनुच्छेद 356: राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती (राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा; अनुच्छेद 365 भी); अनुमोदन 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से; एक बार में 6 महीने, अधिकतम 3 वर्ष।
8. 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन केवल तभी जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव नहीं कराए जा सकते।
9. राष्ट्रपति शासन सदा राज्य मंत्रिपरिषद को हटाता है और विधानमंडल की शक्तियाँ संसद को सौंपता है; विधान सभा केवल निलंबित भी रखी जा सकती है; स्थानीय निकाय, उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 19 अछूते रहते हैं।
10. एस.आर. बोम्मई (1994): अनुच्छेद 356 न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है; बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होती है; विधान सभा संसद के अनुमोदन के बाद ही विघटित होती है।
11. अनुच्छेद 360: अनुमोदन 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से; वापस लिए जाने तक लागू; सभी कर्मचारियों, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भी घटाए जा सकते हैं; राज्य के धन विधेयक आरक्षित किए जा सकते हैं; कभी लागू नहीं हुआ।
12. 44वें संशोधन (1978) ने 1975-77 के बदलाव पलट दिए; न्यायालय उद्घोषणा का पुनर्विलोकन कर सकते हैं (मिनर्वा मिल्स, 1980)।

संविधान में आपात शक्तियाँ क्यों हैं

भाग XVIII

अनुच्छेद 352, 356, 360

वाइमर जर्मनी

अनुच्छेद 355

संकट में एकात्मक

संघ सामान्य समय में शक्ति बाँटता है। युद्ध, विद्रोह, किसी राज्य सरकार के विफल होने या धन संकट में संविधान केंद्र को कमान लेने देता है, ताकि देश एक होकर काम करे। इसीलिए भारत सामान्य समय में संघीय है और **आपातकाल में एकात्मक** हो जाता है।

★★★ **भाग XVIII**, अनुच्छेद **352 से 360**, आपातकाल से संबंधित है।

★★★ **तीन प्रकार**: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) (**अनुच्छेद 352**), राष्ट्रपति शासन (President's Rule), अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (**अनुच्छेद 356**), और वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) (**अनुच्छेद 360**)।

★★ **मूल पाठ के शब्द**: अनुच्छेद 352 'आपात की उद्घोषणा' (Proclamation of Emergency) कहता है और अनुच्छेद 356 'राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता'। 'राष्ट्रीय आपातकाल', 'राज्य आपातकाल' और 'संवैधानिक आपातकाल' प्रचलित नाम हैं।

★★ **कहाँ से लिया गया**: आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन **जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution)** से लिया गया; बाकी ढाँचा **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act), 1935** से विकसित हुआ।

★★ **अनुच्छेद 355**: संघ को हर राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि हर राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। अनुच्छेद 356 इसी कर्तव्य पर टिका है।

★★ **उद्घोषणा कौन करता है**: केवल **राष्ट्रपति**, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। राज्यपाल के पास अपनी कोई आपात शक्ति नहीं है; अनुच्छेद 356 में वह केवल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है।

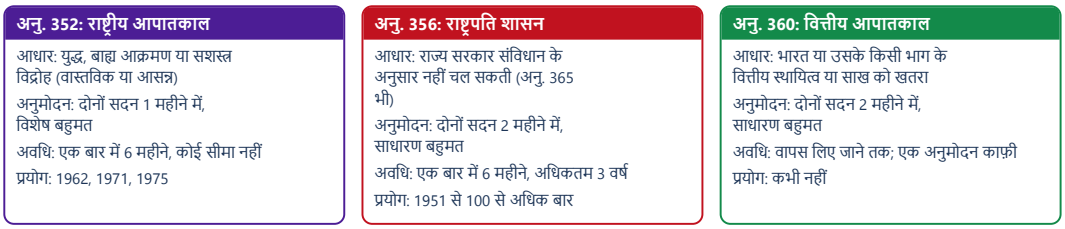

तीनों आपातकाल एक नज़र में: आधार, संसद हर एक का अनुमोदन कैसे करती है, वह कितने समय चलता है और कितनी बार प्रयोग हुआ है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'आंतरिक आपातकाल' और 'राष्ट्रपति शासन' अलग चीज़ें हैं। 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर **अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल** था; राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) उस एक राज्य से जुड़ा है जिसकी सरकार विफल हो गई हो।

💡 **याद रखें:** एक इमारत सोचिए: **352** पूरी इमारत (राष्ट्र) बंद करता है, **356** एक फ़्लैट (राज्य) अपने हाथ में लेता है, **360** तिजोरी (वित्त) ज़ब्त करता है।

☑ झटपट जाँच

1. आपातकाल किस भाग और किन अनुच्छेदों में है?
2. तीनों आपातकाल उनके अनुच्छेदों सहित बताइए।
3. आपातकाल में अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया?

उत्तर: 1. भाग XVIII, अनुच्छेद 352–360 · 2. राष्ट्रीय 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय 360 · 3. वाइमर जर्मनी

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): आधार और प्रक्रिया

युद्ध, आक्रमण, विद्रोह

मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय

1 महीना, विशेष बहुमत

6 महीने में नवीनीकरण

लोक सभा के 1/10

राष्ट्रीय आपातकाल **भारत की सुरक्षा** पर खतरे का उत्तर है। चूँकि यह केंद्र को व्यापक शक्ति देता है, इसलिए 1975–77 के अनुभव के बाद **44वें संशोधन (1978)** ने इसे सुरक्षा उपायों से घेर दिया: मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय, अनुमोदन की छोटी अवधि, ऊँचा बहुमत और लोक सभा के लिए इसे समाप्त कराने का रास्ता।

★★★ **आधार**: भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को **युद्ध**, **बाह्य आक्रमण** या **सशस्त्र विद्रोह** से खतरा। युद्ध और बाह्य आक्रमण से 'बाह्य आपातकाल' बनता है; सशस्त्र विद्रोह से 'आंतरिक आपातकाल'।

★★★ **सशस्त्र विद्रोह (armed rebellion)** ने **44वें संशोधन, 1978** से **आंतरिक अशांति (internal disturbance)** की जगह ली, ताकि केवल अशांति के आधार पर आपातकाल न लगाया जा सके।

★★ **खतरा आने से पहले**: खतरा **आसन्न** होने पर संतुष्ट होकर भी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है; वास्तविक युद्ध या विद्रोह आवश्यक नहीं।

★★ **पूरा या आंशिक**: **42वें संशोधन (1976)** से उद्घोषणा पूरे भारत या उसके केवल एक भाग पर लागू हो सकती है।

★ **एक साथ एक से अधिक**: **38वाँ संशोधन (1975)** राष्ट्रपति को अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग उद्घोषणाएँ करने देता है, भले ही एक पहले से लागू हो।

★★★ **मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय**: राष्ट्रपति तभी उद्घोषणा करता है जब **केंद्रीय मंत्रिमंडल** (प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री) का निर्णय उसे **लिखित रूप में** भेजा जाए (44वाँ संशोधन)।

★★★ **अनुमोदन**: दोनों सदनों को **एक महीने** के भीतर (1978 से पहले दो महीने) अनुमोदन करना होता है, हर सदन **विशेष बहुमत** से: कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।

★★ **लोक सभा विघटित हो**: यदि उद्घोषणा के समय लोक सभा विघटित हो, या उसी महीने विघटित हो जाए, तो राज्य सभा अनुमोदन करती है और नई लोक सभा को अपनी **पहली बैठक के 30 दिनों** के भीतर अनुमोदन करना होता है।

★★★ **अवधि**: अनुमोदन के बाद यह **छह महीने** चलता है, और हर छह महीने नए अनुमोदन से **बिना सीमा** जारी रह सकता है।

★★★ **वापसी (Revocation)**: राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, संसद के अनुमोदन के बिना। यदि **लोक सभा साधारण बहुमत** से इसके जारी रहने को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित कर दे, तो उसे इसे वापस **लेना ही होगा**।

★★ **विशेष बैठक**: लोक सभा के कुल सदस्यों का **दसवाँ भाग** लिखित सूचना दे सकता है (अध्यक्ष को, या सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति को); अस्वीकृति पर विचार के लिए **14 दिनों** के भीतर विशेष बैठक होनी चाहिए।

★★ **न्यायालय**: **38वें संशोधन (1975)** ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम बना दिया था; **44वें संशोधन** ने वह रोक हटा दी। **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण या पूरी तरह असंगत तथ्यों पर आधारित उद्घोषणा को चुनौती दी जा सकती है।

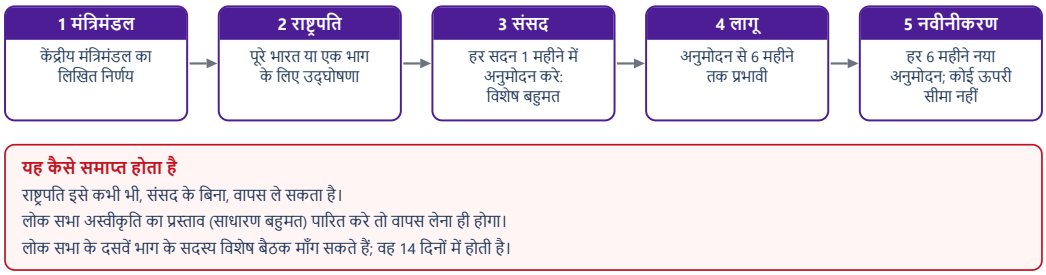

44वें संशोधन (1978) के बाद राष्ट्रीय आपातकाल का जीवन: मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय, दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन, फिर हर छह महीने नवीनीकरण। लाल खाना इससे बाहर निकलने के तीन रास्ते दिखाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुमोदन के लिए **दोनों सदनों** का **विशेष बहुमत** चाहिए; अस्वीकृति के लिए केवल **लोक सभा** का **साधारण बहुमत**। आपातकाल समाप्त कराने में राज्य सभा की कोई भूमिका नहीं है।

याद रखें: अनुमोदन के लिए एक महीना, जीने के लिए छह महीने: सबसे शक्तिशाली आपातकाल की रस्सी सबसे छोटी है। अनुच्छेद 356 और 360 को दो महीने मिलते हैं।

झटपट जाँच

1. आज राष्ट्रीय आपातकाल के तीन आधार?
2. संसद को कितने समय में और किस बहुमत से इसका अनुमोदन करना होता है?
3. सरकार की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रीय आपातकाल कौन और कैसे समाप्त करा सकता है?

उत्तर: 1. युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह · 2. 1 महीना; हर सदन का विशेष बहुमत · 3. लोक सभा, साधारण बहुमत के अस्वीकृति प्रस्ताव से

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

अनुच्छेद 353

अनुच्छेद 250

अनुच्छेद 354

लोक सभा +1 वर्ष

अनुच्छेद 358 बनाम 359

अनुच्छेद 20, 21 सुरक्षित

राष्ट्रीय आपातकाल में संघ एकात्मक राज्य की तरह काम करता है। राज्य सरकारें पद पर रहती हैं, पर केंद्र उन्हें आदेश दे सकता है, उनके विषयों पर कानून बना सकता है और उनके धन की व्यवस्था बदल सकता है; और अधिकारों में कटौती हो सकती है।

★★ **कार्यपालिका (अनुच्छेद 353)**: संघ किसी भी राज्य को **किसी भी विषय** पर निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारें निलंबित नहीं होतीं; वे केंद्रीय नियंत्रण में काम करती हैं।

★★★ **विधायी (अनुच्छेद 250)**: संसद **राज्य सूची** के विषयों पर कानून बना सकती है; ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के **छह महीने** बाद प्रभावहीन हो जाते हैं। राज्य विधानमंडलों की अपनी शक्ति भी बनी रहती है।

★★ **अध्यादेश**: संसद सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति राज्य विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है।

★★ **धन (अनुच्छेद 354)**: राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण बदल सकता है, उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जिसमें आपातकाल समाप्त हो; हर आदेश संसद के सामने रखा जाता है।

★★★ **लोक सभा का कार्यकाल**: संसद का कानून इसे **एक बार में एक वर्ष** करके कितनी भी बार बढ़ा सकता है, पर आपातकाल समाप्त होने के **छह महीने** बाद से आगे नहीं (अनुच्छेद 83(2))। राज्य विधान सभा को भी इसी तरह बढ़ाया जा सकता है (अनुच्छेद 172(1))।

★ **ऐसा हो चुका है**: मार्च 1971 में चुनी गई 5वीं लोक सभा 1975 के आपातकाल में अपने पाँच वर्ष से आगे चली और जनवरी 1977 में ही विघटित हुई।

★★★ **अनुच्छेद 358**: **युद्ध या बाह्य आक्रमण** के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा होते ही **अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित** हो जाता है; राज्य ऐसे कानून बना या कार्य कर सकता है जिन्हें अनुच्छेद 19 रोकता। यह सशस्त्र विद्रोह वाले आपातकाल पर लागू **नहीं** होता (44वाँ संशोधन)।

★★★ **अनुच्छेद 359**: राष्ट्रपति **आदेश** द्वारा उसमें नामित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकता है; अधिकार स्वयं बने रहते हैं। **अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते** (44वाँ संशोधन)।

★★ **केवल संबंधित कानून**: 1978 से दोनों अनुच्छेद केवल **आपातकाल से जुड़े** कानूनों और कार्यों को संरक्षण देते हैं; किसी अन्य कानून को अब भी चुनौती दी जा सकती है।

★★ **एडीएम जबलपुर (ADM Jabalpur) (1976)**: 1975 के आपातकाल में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन निलंबित रहते कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं माँग सकता। **के.एस. पुट्टस्वामी (K.S. Puttaswamy) (2017)** ने इसे उलट दिया।

अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 की तुलना ★★★

बिंदु	अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359
प्रभावित अधिकार	केवल अनुच्छेद 19	आदेश में नामित कोई भी मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर
शुरुआत कैसे	उद्घोषणा के साथ अपने आप	राष्ट्रपति का अलग आदेश चाहिए
आधार	केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण	अनुच्छेद 352 का कोई भी आधार
क्षेत्र	पूरा देश	पूरा देश या उसका एक भाग
अवधि	आपातकाल का पूरा जीवन	आदेश में तय अवधि, आपातकाल के भीतर
क्या निलंबित होता है	अनुच्छेद 19 स्वयं	केवल न्यायालय जाने का अधिकार

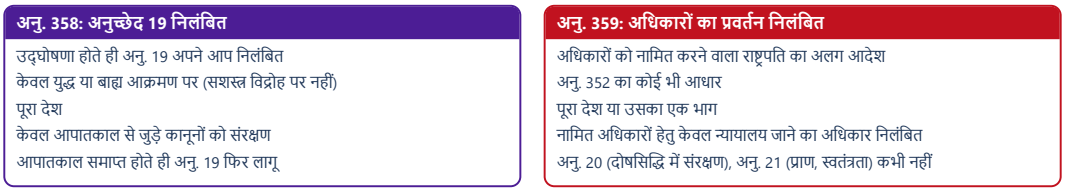

अनुच्छेद 358 युद्ध या बाह्य आक्रमण वाले आपातकाल में अनुच्छेद 19 को अपने आप बंद कर देता है; अनुच्छेद 359 को राष्ट्रपति का आदेश चाहिए और वह अनुच्छेद 20 और 21 को कभी नहीं छू सकता।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है' **गलत** है: अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण वाले राष्ट्रीय आपातकाल में काम करता है। और 1978 से राष्ट्रीय आपातकाल में भी **अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं हो सकता**।

💡 **याद रखें: बीस और इक्कीस कभी बंद नहीं होते**: अनुच्छेद 20 (भूतलक्षी दंड नहीं, दोहरा दंड नहीं, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता)।

☑ झटपट जाँच

1. राष्ट्रीय आपातकाल में कौन-सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने देता है?
2. अनुच्छेद 358 कौन-सा अधिकार और किस प्रकार के आपातकाल में निलंबित करता है?
3. अनुच्छेद 359 के अधीन कौन-से अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकते?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 250 · 2. अनुच्छेद 19; केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण · 3. अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

अनुच्छेद 356

अनुच्छेद 365

2 महीने, साधारण बहुमत

अधिकतम 3 वर्ष

अनुच्छेद 357

एस.आर. बोम्मई 1994

अनुच्छेद 356 तब प्रयोग होता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती: कोई दल सरकार नहीं बना पाता, मंत्रिमंडल बहुमत खो देता है और कोई विकल्प नहीं होता, या राज्य संघ के वैध निर्देशों की अवहेलना करता है। तब राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका और संसद उसका विधानमंडल अपने हाथ में ले लेती है।

★★★ **आधार**: राष्ट्रपति, **राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा**, संतुष्ट हो कि राज्य की सरकार **संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती**।

★★ **अनुच्छेद 365**: यदि कोई राज्य संघ के दिए निर्देशों का पालन न करे, तो राष्ट्रपति मान सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

★★★ **अनुमोदन**: दोनों सदन **दो महीने** के भीतर, हर सदन उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के **साधारण बहुमत** से।

★★★ **अवधि**: छह महीने; संसद हर छह महीने बढ़ा सकती है, **अधिकतम तीन वर्ष** तक।

★★★ **एक वर्ष से आगे** (44वाँ संशोधन): केवल तब जब **(1)** पूरे भारत में या उस राज्य के पूरे या किसी भाग में **राष्ट्रीय आपातकाल** लागू हो, और **(2) निर्वाचन आयोग** प्रमाणित करे कि विधान सभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते।

★★ **वापसी**: राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की उद्घोषणा से इसे वापस ले सकता है; संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।

★★ **दो महीने के भीतर लोक सभा विघटित हो**: राज्य सभा अनुमोदन करती है, और नई लोक सभा को अपनी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर अनुमोदन करना होता है।

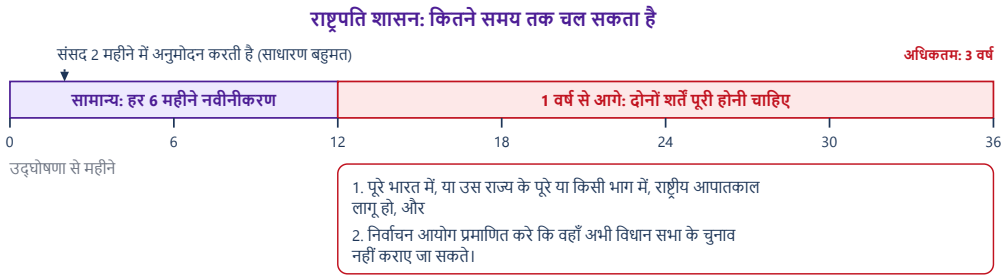

राष्ट्रपति शासन छह-छह महीने के चरणों में चलता है। एक वर्ष के बाद (लाल) यह तभी जारी रह सकता है जब दोनों शर्तें पूरी हों; तीन वर्ष बाहरी सीमा है।

★★★ **कार्यपालिका**: राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल की शक्तियाँ अपने हाथ में लेता है; **राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त** हो जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य चलाता है, प्रायः सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ।

★★★ **विधानमंडल**: राष्ट्रपति घोषित करता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ **संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन** प्रयोग होंगी। विधान सभा **निलंबित** (निलंबित अवस्था में जीवित) रखी जा सकती है या **विघटित** की जा सकती है; विघटन अपने आप नहीं होता।

★★ **अनुच्छेद 357**: संसद राज्य के लिए कानून बनाने का काम राष्ट्रपति को सौंप सकती है। ऐसे **राष्ट्रपति के अधिनियम** राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी तब तक लागू रहते हैं जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें न बदले। संसद की मंज़ूरी लंबित रहते राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से खर्च की अनुमति भी दे सकता है, और संसद की बैठक न होने पर राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है।

★★★ **अछूते रहते हैं**: **उच्च न्यायालय** की शक्तियाँ; अनुच्छेद 19 सहित **मौलिक अधिकार**; और निर्वाचित **स्थानीय निकाय** (पंचायतें और नगरपालिकाएँ), जो इससे विघटित नहीं होते।

★★ **आंबेडकर (Ambedkar)** को आशा थी कि अनुच्छेद 356 **'मृत पत्र' (dead letter)** बना रहेगा और केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग होगा।

★★ **प्रयोग**: पहली बार **पंजाब (1951)** में; तब से 100 से अधिक बार लगाया गया। **1959** में केरल की निर्वाचित सरकार इसी के अधीन बर्खास्त हुई। मणिपुर **13 फरवरी 2025 से 4 फरवरी 2026** तक इसके अधीन रहा।

★★★ **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (S.R. Bommai v. Union of India) (1994)**, नौ न्यायाधीश: उद्घोषणा **न्यायिक पुनर्विलोकन** के अधीन है; केंद्र को प्रासंगिक सामग्री दिखानी होगी; मंत्रिमंडल के बहुमत की परीक्षा **सदन के पटल** पर होगी, राजभवन में नहीं; विधान सभा उद्घोषणा के **संसद द्वारा अनुमोदन के बाद ही** विघटित की जा सकती है; न्यायालय बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है; **पंथनिरपेक्षता** मूल विशेषता है, और उसके विरुद्ध काम करने वाली राज्य सरकार बर्खास्त की जा सकती है।

★ **बाद के मामले**: **रामेश्वर प्रसाद (Rameshwar Prasad) (2006)** ने 2005 में बिहार विधान सभा के विघटन को असंवैधानिक ठहराया; **2016** में न्यायालयों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द किया, और **नबाम रेबिया (Nabam Rebia)** में उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार बहाल की।

अनुच्छेद 356 का उचित और अनुचित प्रयोग (एस.आर. बोम्मई में स्वीकार किया गया) ★★

उचित प्रयोग	अनुचित प्रयोग
त्रिशंकु विधान सभा: कोई दल या समूह सरकार नहीं बना सकता	सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए बिना मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना
मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे या बहुमत खो दे और कोई वैकल्पिक सरकार संभव न हो	ऐसी आंतरिक अशांति जो संवैधानिक तंत्र की विफलता तक न पहुँचे
राज्य संघ के वैध निर्देशों की अवहेलना करे (अनुच्छेद 365)	केवल कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोप
सरकार जानबूझकर आंतरिक विध्वंस से न निपटे	राज्य के सत्ताधारी दल की लोक सभा चुनाव में हार, या केंद्र में सत्ताधारी दल का राजनीतिक लाभ

⚠ **परीक्षा में सावधान:** राष्ट्रपति शासन से विधान सभा का विघटन **अनिवार्य नहीं** (उसे केवल निलंबित रखा जा सकता है), स्थानीय निकाय विघटित **नहीं** होते और अनुच्छेद 19 निलंबित **नहीं** होता। यह सदा क्या करता है: राज्य मंत्रिपरिषद को हटाता है और विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके अधीन प्रयोग योग्य बनाता है।

याद रखें: बोम्मई = 'पटल पर लाओ' (Bring it to the floor): बहुमत सदन में गिना जाता है, राजभवन में नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की अवधि और बहुमत?
2. एक वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन की दो शर्तें?
3. दो ऐसी बातें बताइए जो राष्ट्रपति शासन अपने आप नहीं करता।

उत्तर: 1. 2 महीने; हर सदन का साधारण बहुमत · 2. राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव नहीं कराए जा सकते · 3. विधान सभा का विघटन; स्थानीय निकायों का विघटन (न ही अनुच्छेद 19 का निलंबन)

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

अनुच्छेद 360

वित्तीय स्थायित्व

2 महीने, साधारण बहुमत

कोई समय सीमा नहीं

वेतन में कटौती

कभी प्रयोग नहीं

यदि भारत या उसके किसी भाग के **वित्तीय स्थायित्व या साख** को खतरा हो, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इससे केंद्र राज्यों के खर्च किए हर रुपये पर पकड़ बना लेता है। इसका **कभी प्रयोग नहीं हुआ**; 1991 का भुगतान संतुलन संकट भी इसके बिना संभाला गया।

★★★ **आधार**: भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग के **वित्तीय स्थायित्व या साख** को खतरा।

★★★ **अनुमोदन**: दोनों सदन **दो महीने** के भीतर, **साधारण बहुमत** से।

★★★ **अवधि**: अनुमोदन के बाद यह **वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल** तक चलता है; बार-बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।

★★ **वापसी**: राष्ट्रपति किसी भी समय, संसद के अनुमोदन के बिना।

★★★ **राज्यों पर प्रभाव**: संघ किसी भी राज्य को **वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों** का पालन करने का निर्देश दे सकता है; राज्य कर्मचारियों के **वेतन और भत्तों में कटौती** करवा सकता है; और राज्य विधानमंडल से पारित **धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों** को **राष्ट्रपति के लिए आरक्षित** करवा सकता है।

★★★ **संघ पर प्रभाव**: राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वालों के, **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों** सहित, **वेतन और भत्तों में कटौती** का आदेश दे सकता है।

★★ **न्यायालय**: 38वें संशोधन (1975) ने राष्ट्रपति की संतुष्टि के पुनर्विलोकन पर रोक लगाई थी; 44वें (1978) ने वह रोक हटा दी।

★★ **अब तक कभी उद्घोषित नहीं** हुआ।

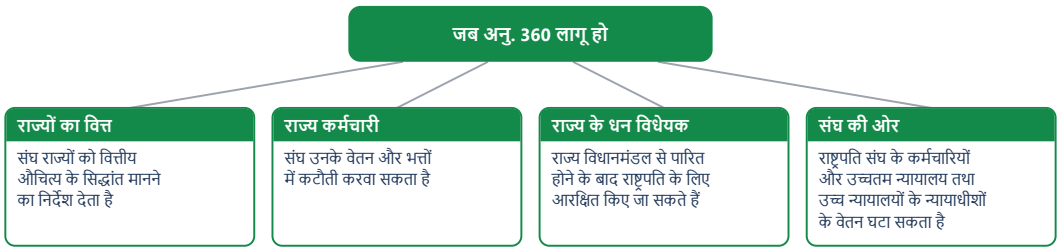

वित्तीय आपातकाल में केंद्र क्या कर सकता है। अंतिम खाना चौंकाता है: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, जो सामान्यतः उनके कार्यकाल में सुरक्षित रहते हैं, घटाए जा सकते हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 360 में राज्य के धन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के लिए **आरक्षित किए जा सकते हैं**; 'उन्हें आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं' वाला विकल्प जाल है। न्यायाधीशों के वेतन **घटाए जा सकते हैं**, यद्यपि सामान्य समय में उन्हें न्यायाधीश के अहित में कम नहीं किया जा सकता।

याद रखें: धन पर 360 डिग्री नियंत्रण: क्लर्क के वेतन से न्यायाधीश के वेतन तक, केंद्र का हाथ पूरा घेरा बना लेता है।

☑ झटपट जाँच

1. अनुमोदन के बाद वित्तीय आपातकाल कितने समय चलता है?
2. अनुच्छेद 360 में संघ की ओर से किनके वेतन घटाए जा सकते हैं?
3. अनुच्छेद 360 का कितनी बार प्रयोग हुआ है?

उत्तर: 1. वापस लिए जाने तक; नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं · 2. संघ के कर्मचारी, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित · 3. कभी नहीं

व्यवहार में आपातकाल और 44वाँ संशोधन

1962, 1971, 1975

शाह आयोग

44वाँ संशोधन 1978

मिनर्वा मिल्स 1980

संविधान हत्या दिवस

भारत लंबे समय तक राष्ट्रीय आपातकाल में रहा है: 1962–68 और 1971–77। 'आंतरिक अशांति' के आधार पर **25 जून 1975** की तीसरी उद्घोषणा सेंसरशिप और बड़े पैमाने पर नज़रबंदियों के लिए याद की जाती है। **44वाँ संशोधन (1978)** इसलिए लिखा गया कि वैसा दोबारा उसी तरह न हो सके।

★★ **पहला**: **26 अक्टूबर 1962**, चीनी आक्रमण; **10 जनवरी 1968** को वापस लिया गया।

★★ **दूसरा**: **3 दिसंबर 1971**, पाकिस्तान से युद्ध (बाह्य आक्रमण)।

★★★ **तीसरा**: **25 जून 1975**, 'आंतरिक अशांति', जब दूसरा अभी लागू था; राष्ट्रपति **फ़ख़रुद्दीन अली अहमद (Fakhruddin Ali Ahmed)**, प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)**। दूसरा और तीसरा दोनों **मार्च 1977** में हटाए गए।

★★ **शाह आयोग** (न्यायमूर्ति **जे.सी. शाह (J.C. Shah)**, 1977) ने 1975–77 के आपातकाल की ज्यादतियों की जाँच की।

★ **संविधान हत्या दिवस**: जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि हर वर्ष **25 जून** इस नाम से मनाया जाएगा।

★★ **संविधान सभा में बहस**: एच.वी. कामथ (H.V. Kamath) और के.टी. शाह (K.T. Shah) जैसे सदस्यों को डर था कि यह अध्याय संघवाद और अधिकारों को नष्ट कर देगा; इसके समर्थकों का तर्क था कि नए राष्ट्र को संकट में बचे रहने के लिए ऐसी शक्तियाँ चाहिए।

44वें संशोधन (1978) ने क्या बदला ★★★

1978 से पहले	1978 के बाद
'आंतरिक अशांति' एक आधार थी	केवल 'सशस्त्र विद्रोह'
राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के कहने पर कार्य कर सकता था (जैसे 1975 में)	केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय आवश्यक
2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन	1 महीने के भीतर हर सदन के विशेष बहुमत से
एक बार अनुमोदन के बाद वापस लिए जाने तक चलता था	हर 6 महीने नया अनुमोदन
लोक सभा के पास इसे समाप्त कराने का कोई रास्ता नहीं	लोक सभा साधारण बहुमत से अस्वीकार कर सकती है; 1/10 सदस्य विशेष बैठक बुला सकते हैं
हर अधिकार का प्रवर्तन निलंबित हो सकता था	अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते
अनुच्छेद 358 आपातकाल के किसी भी आधार पर	अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण पर
राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन एक बार में 1 वर्ष के लिए (42वाँ संशोधन)	एक बार में 6 महीने; 1 वर्ष से आगे केवल राष्ट्रीय आपातकाल और निर्वाचन आयोग के प्रमाणपत्र के साथ
राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायालयों से मुक्त (38वाँ संशोधन)	न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन

तीनों आपातकाल की तुलना ★★★

बिंदु	राष्ट्रीय (अनुच्छेद 352)	राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)	वित्तीय (अनुच्छेद 360)
आधार	युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह	राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता	वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा
संसद का अनुमोदन	1 महीने के भीतर	2 महीने के भीतर	2 महीने के भीतर
बहुमत	विशेष	साधारण	साधारण
जीवन	एक बार में 6 महीने, कोई सीमा नहीं	एक बार में 6 महीने, अधिकतम 3 वर्ष	वापस लिए जाने तक
समाप्त कौन करता है	राष्ट्रपति; लोक सभा अस्वीकार करे तो करना ही होगा	राष्ट्रपति, बाद की उद्घोषणा से	राष्ट्रपति
मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 358, 359 लागू हो सकते हैं	प्रभावित नहीं	प्रभावित नहीं
राज्य सरकार	बनी रहती है, संघ के निर्देशों के अधीन	बर्खास्त	बनी रहती है, वित्तीय नियंत्रण में
प्रयोग	1962, 1971, 1975	100 से अधिक बार	कभी नहीं

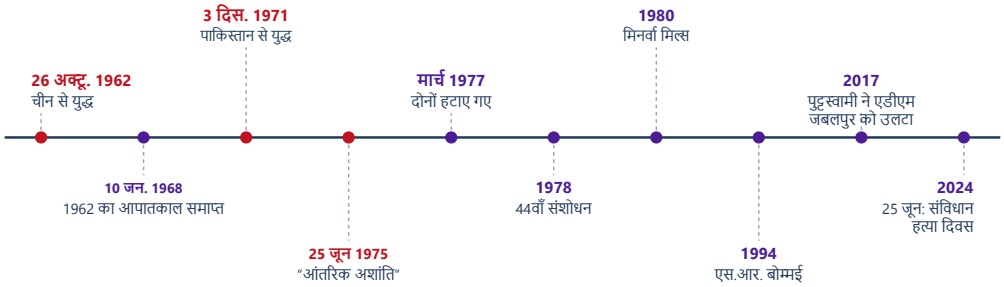

राष्ट्रीय आपातकाल और उनके बाद आए मामले और बदलाव। घटनाएँ बराबर दूरी पर हैं, पैमाने पर नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 1975 का आपातकाल 'आंतरिक अशांति' के आधार पर **अनुच्छेद 352** के अधीन घोषित हुआ था, जो आधार अब मौजूद नहीं है; यह राष्ट्रपति शासन **नहीं** था। जब यह घोषित हुआ, 1971 की उद्घोषणा अभी लागू थी, इसलिए दो उद्घोषणाएँ साथ-साथ चलीं।

💡 **याद रखें: 62, 71, 75: चीन, पाकिस्तान, फिर हम स्वयं।** तीसरा अकेला ऐसा है जो किसी विदेशी शत्रु के कारण नहीं था।

☑ झटपट जाँच

1. तीनों राष्ट्रीय आपातकाल किन तिथियों को घोषित हुए?
2. किस संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' रखा?
3. किस मामले ने कहा कि आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?

उत्तर: 1. 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975 · 2. 44वाँ संशोधन, 1978 · 3. मिनर्वा मिल्स (1980)

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (4)

UPSC 2017 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है ?
1. राज्य विधान सभा का विघटन
2. राज्य के मंत्रिपरिषद् का हटाया जाना
3. स्थानीय निकायों का विघटन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 1 और 3. अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है या केवल निलंबित रखी जा सकती है; राष्ट्रपति शासन में राज्य मंत्रिपरिषद हटती है, पर स्थानीय निकाय नहीं

UPSC 2018 यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो
(a) उस राज्य की विधान सभा स्वतः भंग हो जाती है ।
(b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी ।
(c) उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है । (d) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है ।
उत्तर: (b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी ।. अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार से प्रयोग होती हैं; राष्ट्रपति शासन से राज्य विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती; अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित करता है

BPSC 69th किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का/के परिणाम निम्नलिखित में से कौन-सा/से है/हैं?
1. राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के सम्बन्ध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।
2. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के सम्बन्ध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं।
4. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी
उत्तर: (a) केवल 1, 3 और 4. अनुच्छेद 360 के तहत राज्यों के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं; अनुच्छेद 360 के तहत संघ के कर्मचारियों और SC व HC न्यायाधीशों के वेतन घटाए जा सकते हैं

BPSC 70th re-exam भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है ?
(a) अनुच्छेद 356 (b) अनुच्छेद 352 (c) अनुच्छेद 365 (d) अनुच्छेद 360
उत्तर: (b) अनुच्छेद 352. अनुच्छेद 352: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल

स्वयं को परखें (11)

1. अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किस अवधि के भीतर होना चाहिए?
(a) एक महीना (b) दो महीने (c) छह महीने (d) चौदह दिन

2. अनुच्छेद 359 के अधीन किन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कभी निलंबित नहीं किया जा सकता?
(a) अनुच्छेद 19 और 21 (b) अनुच्छेद 20 और 21 (c) अनुच्छेद 14 और 21 (d) अनुच्छेद 21 और 22

3. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है?
(a) एक वर्ष (b) दो वर्ष (c) तीन वर्ष (d) कोई सीमा नहीं

4. वित्तीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. इसका अनुमोदन दो महीने के भीतर होना चाहिए। 2. इसका हर छह महीने नवीनीकरण होना चाहिए। 3. यह 1991 में एक बार घोषित हुआ। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' की जगह रखा
(a) बाह्य आक्रमण (b) गृह युद्ध (c) कानून-व्यवस्था का भंग होना (d) सशस्त्र विद्रोह

6. राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेना अनिवार्य है, यदि
(a) राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से इसे अस्वीकार करे (b) लोक सभा साधारण बहुमत से इसे अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करे
(c) उच्चतम न्यायालय से परामर्श न किया गया हो (d) आधे राज्य इस पर आपत्ति करें

7. एस.आर. बोम्मई मामला (1994) मुख्यतः संबंधित है
(a) अनुच्छेद 356 से (b) लाभ के पद से (c) पदोन्नति में आरक्षण से (d) दल-बदल विरोधी कानून से

8. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, यदि आधार हो
(a) सशस्त्र विद्रोह (b) तीनों में से कोई भी आधार (c) युद्ध या बाह्य आक्रमण (d) संवैधानिक तंत्र की विफलता

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए।
2. युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है।
3. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं को विघटित कर देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2

10. अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद को उद्घोषणा का एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन करना होता है।
2. यह एक वर्ष से आगे तभी जारी रह सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि विधान सभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते।
3. इसकी उद्घोषणा होते ही राज्य विधान सभा अपने आप विघटित हो जाती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

11. किसी राज्य में सत्ताधारी गठबंधन टूट जाता है, पर मुख्यमंत्री कहता है कि उसके पास अब भी बहुमत है। विधान सभा बुलाए बिना राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो जाती है। एस.आर. बोम्मई (1994) के आलोक में कौन-सा कथन सही है?
(a) उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन से परे है क्योंकि यह राष्ट्रपति की संतुष्टि पर टिकी है
(b) राज्यपाल की रिपोर्ट अंतिम है, क्योंकि बहुमत का निर्णय केवल राज्यपाल करता है (c) बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर होनी चाहिए थी
(d) उद्घोषणा जारी होते ही विधान सभा विघटित मानी जाती है

उत्तर: 1. (a) 44वें संशोधन (1978) से अनुमोदन की अवधि एक महीना है, विशेष बहुमत से। · 2. (b) 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबन से सुरक्षित किया। · 3. (c) एक बार में छह महीने, तीन वर्ष तक; एक वर्ष से आगे केवल राष्ट्रीय आपातकाल और निर्वाचन आयोग के प्रमाणपत्र के साथ। · 4. (a) अनुमोदन के बाद यह वापस लिए जाने तक चलता है, और यह कभी घोषित नहीं हुआ। · 5. (d) अब केवल सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण ही राष्ट्रीय आपातकाल का आधार हो सकते हैं। · 6. (b) केवल लोक सभा, साधारण बहुमत से, इसे वापस लेने को बाध्य कर सकती है। · 7. (a) इसने अनुच्छेद 356 की उद्घोषणाओं को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन किया और सदन में बहुमत परीक्षण अनिवार्य किया। · 8. (c) अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण वाले आपातकाल में काम करता है। · 9. (d) केवल 2 सही है: अनुच्छेद 352 के लिए एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन चाहिए, और राष्ट्रपति शासन निर्वाचित स्थानीय निकायों को नहीं छूता। · 10. (a) केवल 2 सही है: अनुमोदन दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से होता है (एक महीना और विशेष बहुमत अनुच्छेद 352 के हैं), और विधान सभा को केवल निलंबित भी रखा जा सकता है। · 11. (c) बोम्मई: बहुमत सदन के पटल पर परखा जाता है, राजभवन में नहीं; उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, और विधान सभा संसद के अनुमोदन के बाद ही विघटित की जा सकती है।

अध्याय 10

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन है और मत-मूल्य कैसे निकलता है, महाभियोग, अध्यादेश, तीन तरह के वीटो, क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने रखवाई जाने वाली रिपोर्टें, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व उसे पद से हटाना लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 14 बार पूछा गया: UPSC 7 · BPSC 7

≈ 55 min पढ़ने में ≈ 12 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. भाग V, अनुच्छेद 52–78 संघ की कार्यपालिका है। अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है; अनुच्छेद 77: हर कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है।
2. अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा (42वाँ संशोधन, 1976), पर वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (44वाँ संशोधन, 1978)।
3. निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54): निर्वाचित सांसद + राज्यों के निर्वाचित विधायक + दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य कभी मत नहीं देते। एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान।
4. विधायक के मत का मूल्य = 1971 की जनसंख्या ÷ (निर्वाचित विधायक × 1000): उत्तर प्रदेश 208 सबसे अधिक, सिक्किम 7 सबसे कम (2022)। हर निर्वाचित सांसद का, किसी भी सदन का हो, मूल्य एक समान: 2022 में 700।
5. योग्यता: नागरिक, 35 वर्ष, लोक सभा के लिए योग्य। शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दिलाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष; त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को; कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन (अनुच्छेद 57)। रिक्ति 6 महीने के भीतर भरी जाती है (अनुच्छेद 62)।
6. महाभियोग (अनुच्छेद 61): केवल संविधान के अतिक्रमण पर; ¼ सदस्यों के हस्ताक्षर, 14 दिन की सूचना; हर सदन में कुल सदस्य संख्या का ⅔। मनोनीत सांसद मत देते हैं, विधायक नहीं। अब तक किसी पर महाभियोग नहीं चला।
7. अध्यादेश (अनुच्छेद 123): केवल तब जब कोई सदन सत्र में न हो; अधिनियम जैसा ही बल, भूतलक्षी हो सकता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या संविधान संशोधन नहीं कर सकता; संसद के फिर समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त।
8. वीटो: आत्यंतिक, निलंबनकारी (धन विधेयक पर नहीं; दोबारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे), जेबी (कोई समय-सीमा नहीं: ज़ैल सिंह, 1986)। संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर अनिवार्य (24वाँ संशोधन)।
9. क्षमा (अनुच्छेद 72): संघ की विधियों के अपराध, सेना न्यायालय और सभी मृत्युदंड; मंत्रियों की सलाह पर प्रयोग; सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन संभव (एपुरु सुधाकर, 2006)। राज्यपाल (अनुच्छेद 161) मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता।
10. राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाता है: वित्त आयोग की सिफ़ारिशें (अनुच्छेद 281), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें (अनुच्छेद 151), संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट (अनुच्छेद 323), NCSC, NCST, NCBC की रिपोर्टें। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट नहीं।
11. उपराष्ट्रपति: राज्य सभा का पदेन सभापति (अनुच्छेद 64); सभी सांसदों द्वारा निर्वाचित, मनोनीत सहित (2022 में 788 सीटें); राज्य सभा के संकल्प (सभी सदस्यों का बहुमत) और लोक सभा की सहमति से हटाया जाता है।
12. नवंबर 2026 की स्थिति: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (15वीं, 25 जुलाई 2022 से, अनुसूचित जनजाति से पहली); उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन (15वें, 12 सितंबर 2025 से)।

राष्ट्रपति: संघ की कार्यपालिका का प्रमुख

अनुच्छेद 52–78

अनुच्छेद 53

अनुच्छेद 74

अनुच्छेद 77

शमशेर सिंह 1974

भारत ने ब्रिटिश ढाँचा अपनाया: एक राष्ट्राध्यक्ष जो **राज करता है** (reigns) और एक मंत्रिपरिषद जो **शासन चलाती है** (rules)। संविधान कार्यपालिका शक्ति (executive power) राष्ट्रपति को देता है, पर अनुच्छेद 74 उसे मंत्रियों की सलाह पर चलने को बाध्य करता है। इसलिए राष्ट्रपति **नाममात्र की (de jure)** कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद **वास्तविक (de facto)** कार्यपालिका।

★★ **भाग V, अध्याय I (अनुच्छेद 52–78)** संघ की कार्यपालिका (Union executive) से संबंधित है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तथा महान्यायवादी (Attorney General)।

★★ **अनुच्छेद 52**: भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह राज्य का प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक और पूर्वता-क्रम (order of precedence) में पहले स्थान पर है।

★★★ **अनुच्छेद 53(1)**: संघ की कार्यपालिका शक्ति **राष्ट्रपति** में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार **स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा** करेगा। **अनुच्छेद 53(2)**: रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है।

★★★ **अनुच्छेद 77(1)**: भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई **राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाती है**, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के नाम से नहीं। **अनुच्छेद 77(3)**: राष्ट्रपति सरकार का कार्य अधिक सुविधा से चलाने और **मंत्रियों में उसके आवंटन** के लिए नियम बनाता है (कार्य आवंटन और कार्य संचालन नियम (Allocation of Business and Transaction of Business Rules), 1961)।

★★★ **अनुच्छेद 74(1)**: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में** एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार **कार्य करेगा**। 'करेगा' (shall) शब्द **42वें संशोधन (1976)** से आया; **44वें संशोधन (1978)** ने राष्ट्रपति को सलाह **एक बार** पुनर्विचार के लिए लौटाने की छूट दी, जिसके बाद वह उससे बँधा है।

★★ **अनुच्छेद 74(2)**: कोई न्यायालय यह जाँच नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या क्या सलाह दी।

★★ **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (Shamsher Singh v State of Punjab, 1974)**: राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं जो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं, सिवाय वहाँ के जहाँ संविधान स्वयं कोई बात उनके विवेक पर छोड़ता है।

★ **संसद का अंग**: संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है (अनुच्छेद 79), यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।

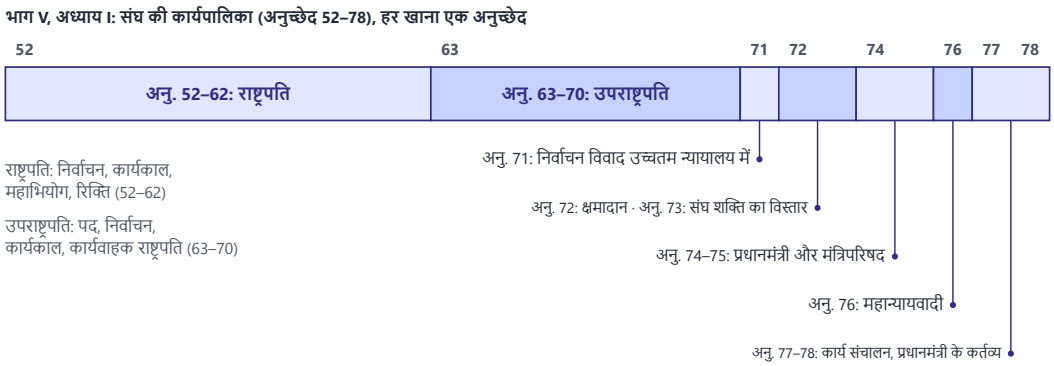

भाग V, अध्याय I पैमाने पर, हर अनुच्छेद के लिए एक खाना: ग्यारह अनुच्छेद राष्ट्रपति पर (52–62), आठ उपराष्ट्रपति पर (63–70), फिर विवाद, क्षमादान, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कार्य संचालन पर एक-एक अनुच्छेद।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है' और 'कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से होती हैं' दोनों **गलत** हैं: अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 77 **राष्ट्रपति** का नाम लेते हैं। राष्ट्रपति स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्य कर सकता है, केवल 'मंत्रिमंडल के द्वारा' नहीं।

याद रखें: राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। भारत सरकार का हर आदेश 'राष्ट्रपति के नाम से' शुरू होता है, फिर भी उसके पीछे का निर्णय मंत्रियों ने लिया होता है।

झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित करता है?
2. भारत सरकार की हर कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से होती है?
3. किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रियों की सलाह एक बार लौटाने दी?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति में (स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा) · 2. राष्ट्रपति के (अनुच्छेद 77) · 3. 44वाँ संशोधन, 1978

राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 55
1971 की जनगणना
एकल संक्रमणीय मत
अनुच्छेद 71

राष्ट्रपति का निर्वाचन **अप्रत्यक्ष** (indirect) होता है, ताकि नाममात्र का प्रमुख ऐसे जनादेश का दावा न करे जो प्रधानमंत्री के जनादेश से टकराए। निर्वाचक मंडल (electoral college) संसद को राज्यों की विधान सभाओं से जोड़ता है, इसलिए राष्ट्रपति केवल केंद्र का नहीं, पूरे संघ का प्रतिनिधि है। दोनों हिस्सों (सभी सांसद मिलकर और सभी विधायक मिलकर) का भार लगभग बराबर रहता है।

★★★ **निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54)**: संसद के दोनों सदनों के **निर्वाचित** सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के **निर्वाचित** सदस्य, और **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पुडुचेरी** की विधान सभाओं के **निर्वाचित** सदस्य (ये दोनों **70वें संशोधन, 1992** से जुड़े)।

★★★ **बाहर रखे गए**: किसी भी सदन या किसी विधान सभा के मनोनीत सदस्य (nominated members), और राज्यों की **विधान परिषदों** (Legislative Councils) के सदस्य। अनुच्छेद 54 में केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही ऐसे संघ राज्यक्षेत्र हैं जिनका नाम है।

★★★ **विधायक के मत का मूल्य (अनुच्छेद 55)** = राज्य की जनसंख्या ÷ उसके निर्वाचित विधायकों की संख्या ÷ 1000 (500 से अधिक शेष हो तो 1 जुड़ता है)। जनसंख्या **1971 की जनगणना** की ली जाती है, जिसे 42वें संशोधन ने स्थिर किया और **84वें संशोधन (2001)** ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।

★★★ **अनुपात तय करता है, सीटों की संख्या नहीं**: उतनी ही जनसंख्या पर अधिक सीटें होने से हर विधायक का मूल्य **कम** होता है। 2022 में: उत्तर प्रदेश **208** (सबसे अधिक), केरल 152, मध्य प्रदेश 131, पुडुचेरी 16, अरुणाचल प्रदेश 8, सिक्किम **7** (सबसे कम)।

★★★ **सांसद के मत का मूल्य** = सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य ÷ निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। **हर निर्वाचित सांसद का मूल्य एक समान है, चाहे वह लोक सभा में हो या राज्य सभा में**: 2017 में 708, **2022 में 700** (कम इसलिए कि तब जम्मू और कश्मीर में विधान सभा नहीं थी)।

★★ **पद्धति (अनुच्छेद 55(3))**: **एकल संक्रमणीय मत** (single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, **गुप्त मतदान** से। मतदाता वरीयताएँ अंकित करते हैं; जीतने के लिए वैध मतों के मूल्य के आधे से अधिक चाहिए। 1969 में **वी.वी. गिरि (V.V. Giri)** द्वितीय वरीयताओं की गिनती के बाद ही जीते; ऐसा केवल एक बार हुआ है।

★★ **नामांकन** (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम (Presidential and Vice-Presidential Elections Act), 1952): निर्वाचक मंडल से **50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक** और **₹15,000** की जमानत राशि। चुनाव **निर्वाचन आयोग** (Election Commission) कराता है (अनुच्छेद 324)।

★★★ **विवाद (अनुच्छेद 71)**: केवल **उच्चतम न्यायालय** निर्णय करता है। यदि निर्वाचन शून्य घोषित हो, तो उस निर्णय से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य **वैध बने रहते हैं**।

★★★ **अनुच्छेद 71(4)** (11वाँ संशोधन, 1961): निर्वाचक मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए कुछ विधान सभाएँ विघटित हों तब भी चुनाव **स्थगित नहीं होता**।

★★ **2022 का निर्वाचन (16वाँ)**: **द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu)** ने यशवंत सिन्हा को हराया और **25 जुलाई 2022** को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली; वे अनुसूचित जनजाति से पहली और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला निर्वाचन जुलाई 2027 तक होना है।

कौन भाग लेता है?	चुनते हैं राष्ट्रपति (अनु. 54)	महाभियोग राष्ट्रपति (अनु. 61)	चुनते हैं उपराष्ट्रपति (अनु. 66)
निर्वाचित सांसद (लोक सभा और राज्य सभा)	हाँ	हाँ	हाँ
मनोनीत सांसद (राज्य सभा के 12)	नहीं	हाँ	हाँ
राज्यों के निर्वाचित विधायक	हाँ	नहीं	नहीं
दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक	हाँ	नहीं	नहीं
मनोनीत विधायक	नहीं	नहीं	नहीं
विधान परिषदों के सदस्य	नहीं	नहीं	नहीं

जनवरी 2020 से लोक सभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं (104वें संशोधन ने आंग्ल-भारतीय सीटें समाप्त कीं)।

कौन कहाँ भाग लेता है। मनोनीत सांसद राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते, पर उस पर महाभियोग चला सकते हैं और उपराष्ट्रपति को चुन सकते हैं; विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं, पर महाभियोग या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उनकी कोई भूमिका नहीं।

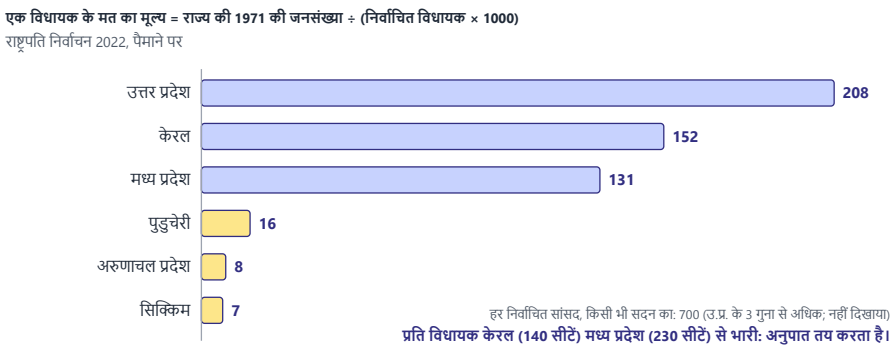

2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में एक विधायक के मत का मूल्य, पैमाने पर। केरल में मध्य प्रदेश से कम सीटें और कम जनसंख्या है, फिर भी प्रति विधायक अधिक मूल्य मिलता है, क्योंकि मूल्य प्रति सीट जनसंख्या है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'विधान सभा में सीटें जितनी अधिक, हर विधायक के मत का मूल्य उतना अधिक' **असत्य** है: मूल्य = जनसंख्या ÷ सीटें। और 'लोक सभा सांसद का मत राज्य सभा सांसद के मत से अधिक मूल्य का है' भी **असत्य** है: सभी निर्वाचित सांसदों का मूल्य बराबर है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** मनोनीत सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन से **बाहर** हैं पर उसके महाभियोग में **शामिल**। विधायक (दिल्ली और पुडुचेरी सहित) निर्वाचन में **शामिल** हैं पर महाभियोग से **बाहर**।

याद रखें: चुनें केवल निर्वाचित, हटाए पूरी संसद। केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं; हर सांसद, मनोनीत भी, उस पर निर्णय दे सकता है।

झटपट जाँच

1. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बाहर रखे गए विधायकों के दो समूह बताइए।
2. विधायक के मत के मूल्य का सूत्र?
3. यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाए, तो उसके पहले के कार्यों का क्या होता है?

उत्तर: 1. मनोनीत सदस्य; विधान परिषदों के सदस्य · 2. 1971 की जनसंख्या ÷ (निर्वाचित विधायक × 1000) · 3. वे वैध बने रहते हैं (अनुच्छेद 71)

योग्यता, शपथ, कार्यकाल और रिक्ति

अनुच्छेद 58

मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ

अनुच्छेद 56–57

अनुच्छेद 62

अनुच्छेद 65

अनुच्छेद 361

ये नियम पद को निरंतर रखते हैं: कोई न कोई हमेशा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बना रहता है; पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यभार सँभालता है, और छह महीने के भीतर नया निर्वाचन होना चाहिए।

★★★ **योग्यता (अनुच्छेद 58)**: भारत का नागरिक, **35 वर्ष** की आयु, **लोक सभा** का सदस्य चुने जाने योग्य, और कोई लाभ का पद (office of profit) नहीं। पदासीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ/राज्य का मंत्री लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता।

★★ **शर्तें (अनुच्छेद 59)**: किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं (पद ग्रहण करते ही सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है); बिना किराए का शासकीय निवास (राष्ट्रपति भवन); संसद द्वारा तय उपलब्धियाँ, जो **कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकतीं**: 2018 से ₹5 लाख प्रति माह।

★★★ **शपथ (अनुच्छेद 60)**: **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** (Chief Justice of India) के सामने (उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश), संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की।

★★ **कार्यकाल (अनुच्छेद 56)**: पद ग्रहण की तिथि से **5 वर्ष**; त्यागपत्र **उपराष्ट्रपति** को संबोधित होता है, जो लोक सभा अध्यक्ष को सूचित करता है; राष्ट्रपति उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक बना रहता है।

★★★ **पुनर्निर्वाचन (अनुच्छेद 57)**: **कितनी भी बार** संभव (अमेरिका जैसी दो कार्यकाल की सीमा नहीं)। केवल **राजेंद्र प्रसाद (Rajendra Prasad)** दो बार चुने गए (1952, 1957)।

★★★ **रिक्ति भरना (अनुच्छेद 62)**: कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो निर्वाचन उससे पहले पूरा होता है; मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर निर्वाचन **6 महीने के भीतर**, और नए राष्ट्रपति को **पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल** मिलता है।

★★ **कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 65)**: पद रिक्त होने पर **उपराष्ट्रपति** राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और राष्ट्रपति के अनुपस्थित या बीमार रहने पर उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। इस दौरान वह राज्य सभा के सभापति का काम नहीं करता और राष्ट्रपति का वेतन पाता है।

★★ **दोनों पद रिक्त (अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम (President (Discharge of Functions) Act), 1969)**: **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** कार्य करते हैं, और वह पद भी रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ऐसा एक बार हुआ: मुख्य न्यायमूर्ति **एम. हिदायतुल्ला (M. Hidayatullah)**, जुलाई–अगस्त 1969।

★★ **उन्मुक्ति (अनुच्छेद 361)**: शासकीय कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं और गिरफ़्तारी नहीं; व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही केवल **2 महीने की सूचना** के बाद।

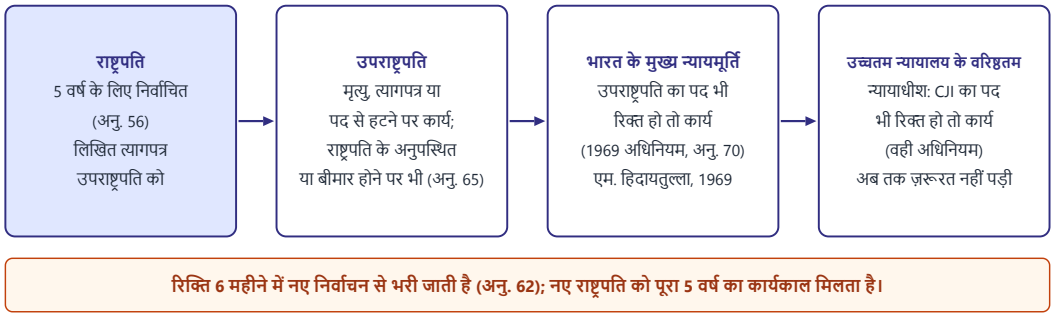

राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। 1969 में ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने कार्य किया, फिर चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिया; नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक मुख्य न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ने कार्य किया। 1977 में फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कार्य किया।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** त्यागपत्र एक-दूसरे को जाते हैं: **राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को**। शपथ भी अलग: राष्ट्रपति को **मुख्य न्यायमूर्ति** शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को **राष्ट्रपति**।

💡 **याद रखें: दोनों के लिए 35 वर्ष।** राष्ट्रपति को **लोक सभा** (जनता का सदन) के योग्य होना चाहिए; उपराष्ट्रपति को **राज्य सभा** के, जिस सदन की वह अध्यक्षता करेगा।

☑ झटपट जाँच

1. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
2. मृत्यु से हुई रिक्ति कितने समय में भरनी होती है, और किस कार्यकाल के लिए?
3. उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?

उत्तर: 1. उपराष्ट्रपति को · 2. 6 महीने के भीतर; पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए · 3. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (फिर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश)

राष्ट्रपति पर महाभियोग

अनुच्छेद 61

संविधान का अतिक्रमण

¼ हस्ताक्षर, 14 दिन

महाभियोग (impeachment) पूरी तरह संसद के भीतर चलने वाला **अर्ध-न्यायिक** (quasi-judicial) मुकदमा है: एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन जाँच कर निर्णय करता है। सीमा जान-बूझकर ऊँची रखी गई है, **दोनों** सदनों में **कुल** सदस्य संख्या का दो-तिहाई, ताकि कोई साधारण बहुमत राष्ट्राध्यक्ष को पद से न हटा सके।

कुल सदस्य संख्या का ⅔

★★★ **एकमात्र आधार**: **'संविधान का अतिक्रमण'** (violation of the Constitution) (अनुच्छेद 61)। संविधान इसकी परिभाषा नहीं देता।

★★ **शुरुआत**: **किसी भी सदन** में। आरोप एक संकल्प के रूप में आता है, कम से कम **14 दिन की लिखित सूचना** के बाद, जिस पर उस सदन के **कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई** के हस्ताक्षर हों।

★★ **पहला सदन**: संकल्प को अपनी **कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई** से पारित करता है (केवल उपस्थित और मत देने वालों के नहीं)।

★★★ **दूसरा सदन**: आरोप की जाँच करता है या करवाता है; राष्ट्रपति **उपस्थित हो सकता है और अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है**। यदि यह भी **अपनी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई** से संकल्प पारित कर दे, तो राष्ट्रपति **उस संकल्प की तिथि से पद से हट जाता है**।

★★★ **कौन मत देता है**: **दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य**। राज्यों के विधायक और दिल्ली व पुडुचेरी के विधायक, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में **कोई भूमिका नहीं** रखते।

★★ **किसी राष्ट्रपति पर कभी महाभियोग नहीं चला।**

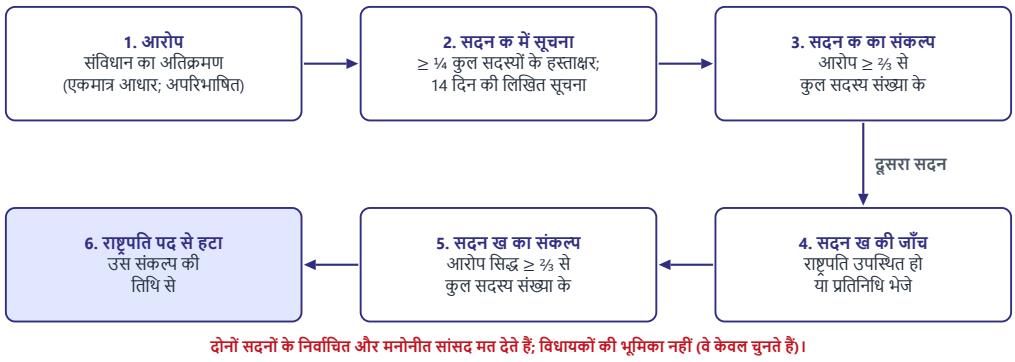

अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग, चरण दर चरण। कोई भी सदन आरोप ला सकता है; दूसरा सदन जाँच करता है; हर सदन को अपनी कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई जुटाना होता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'राज्यों की विधान सभाएँ' निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं **पर** महाभियोग का नहीं। 'उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई' गलत बहुमत है: अनुच्छेद 61 को **कुल सदस्य संख्या** का दो-तिहाई चाहिए।

☑ झटपट जाँच

1. राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार?
2. सूचना पर सदन के कितने हिस्से के हस्ताक्षर चाहिए, और कितनी सूचना?
3. कौन-सा निकाय राष्ट्रपति को चुनता है पर महाभियोग में भाग नहीं लेता?

उत्तर: 1. संविधान का अतिक्रमण · 2. कुल सदस्यों का एक-चौथाई; 14 दिन · 3. राज्यों की विधान सभाएँ

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

नियुक्तियाँ

अनुच्छेद 85, 87

12 मनोनीत

अनुच्छेद 143

अनुच्छेद 281, 151

संघ का लगभग हर महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के हाथों से होकर गुज़रता है: नियुक्तियाँ, संसद को आहूत करना, धन विधेयकों की सिफ़ारिश, विधियों को अनुमति, आपातकाल की उद्घोषणा। औपचारिक रूप से शक्तियाँ विशाल हैं; व्यवहार में हर शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है।

प्रकार के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियाँ ★★

प्रकार	राष्ट्रपति क्या करता है	अनुच्छेद
कार्यपालिका	प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों, महान्यायवादी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यपालों, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है; प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन चलाता है; अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है	75, 76, 148, 324, 316, 155, 280, 239
विधायी	सदनों को आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है, लोक सभा को विघटित करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, संसद को संबोधित करता है, राज्य सभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, कुछ विधेयकों की सिफ़ारिश करता है, विधेयकों को अनुमति देता है, अध्यादेश जारी करता है, निर्वाचन आयोग की राय पर सांसदों की निरर्हता का निर्णय करता है	85, 108, 86–87, 80, 111, 123, 103
वित्तीय	धन विधेयक और अनुदान की माँगें केवल उसकी सिफ़ारिश पर; बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) संसद के सामने रखा जाता है; आकस्मिकता निधि से अग्रिम; हर पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन	117, 113, 112, 267, 280
न्यायिक	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति; क्षमादान; उच्चतम न्यायालय से परामर्शी राय माँग सकता है	124, 217, 72, 143
राजनयिक और सैन्य	संधियाँ और समझौते उसके नाम से होते हैं; राजदूत भेजता और स्वीकार करता है; रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर; सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है	53(2)
आपातकालीन	राष्ट्रीय आपातकाल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल	352, 356, 360

★★★ **वे रिपोर्टें जिन्हें राष्ट्रपति को संसद के सामने रखवाना होता है**: व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त आयोग की सिफ़ारिशें (**अनुच्छेद 281**), संघ के लेखाओं पर **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)** की रिपोर्टें (**अनुच्छेद 151**), **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** की वार्षिक रिपोर्ट (**अनुच्छेद 323**), राष्ट्रीय **अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)**, **अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)** और **पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)** की रिपोर्टें, तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की रिपोर्ट (अनुच्छेद 350B)।

★★★ **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की रिपोर्ट**: समिति स्वयं इसे लोक सभा में प्रस्तुत करती है, राष्ट्रपति इसे **नहीं** रखवाता।

★★ **मनोनयन**: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान रखने वाले **राज्य सभा के 12 सदस्य** (अनुच्छेद 80)। लोक सभा की दो आंग्ल-भारतीय सीटें (अनुच्छेद 331) **104वें संशोधन (2019)** के अंतर्गत **जनवरी 2020 में समाप्त** हो गईं; अब लोक सभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है।

★★ **सत्र (अनुच्छेद 85)**: राष्ट्रपति हर सदन को इस प्रकार आहूत करता है कि दो सत्रों के बीच **छह महीने से अधिक** का अंतर न हो; सदनों का सत्रावसान (prorogue) करता है; प्रधानमंत्री की सलाह पर लोक सभा को विघटित करता है।

★★ **विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87)**: **हर आम चुनाव के बाद के पहले सत्र** और **हर वर्ष के पहले सत्र** के आरंभ में दोनों सदनों को एक साथ।

★★ **परामर्शी राय (अनुच्छेद 143)**: राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व का विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। राय **बाध्यकारी नहीं** है, और न्यायालय उत्तर देने से मना कर सकता है (उसने 1994 में अयोध्या संदर्भ का उत्तर देने से मना किया)।

★ **पूर्व सिफ़ारिश** आवश्यक है: नया राज्य बनाने या राज्य की सीमाएँ बदलने वाले विधेयक के लिए (अनुच्छेद 3), और धन विधेयकों के लिए (अनुच्छेद 117)।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एक नज़र में, अनुच्छेदों सहित। छायांकित खाने में वे रिपोर्टें हैं जिन्हें संविधान के अनुसार उसे संसद के सामने रखवाना होता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान: लोक लेखा समिति** की रिपोर्ट संसदीय समिति की रिपोर्ट है, इसलिए राष्ट्रपति उसे नहीं रखवाता। वित्त आयोग, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्टें वह रखवाता है।

याद रखें: 'FC-CAG-UP-SC-ST-BC': वित्त आयोग (FC), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के तीनों आयोग राष्ट्रपति के माध्यम से संसद तक जाते हैं।

झटपट जाँच

1. तीन रिपोर्टें बताइए जिन्हें राष्ट्रपति को संसद के सामने रखवाना होता है।
2. राष्ट्रपति राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है?
3. क्या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है?

उत्तर: 1. वित्त आयोग, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (और UPSC, NCST, NCBC) · 2. 12 · 3. नहीं; यह परामर्शी है

विधेयकों पर वीटो शक्ति

अनुच्छेद 111
आत्यंतिक वीटो
निलंबनकारी वीटो
जेबी वीटो
24वाँ संशोधन
अनुच्छेद 201

कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही विधि बनता है (अनुच्छेद 111)। 'नहीं' कहना **वीटो** (veto) है। भारत राष्ट्रपति को तीन तरह के वीटो देता है, सभी जान-बूझकर कमज़ोर: जो मंत्रालय उसे सलाह देता है वही विधेयक लाया होता है, इसलिए व्यवहार में वीटो का प्रयोग केवल असामान्य मौक़ों पर होता है।

तीन वीटो ★★★

वीटो	राष्ट्रपति क्या करता है	सीमाएँ	ज्ञात प्रयोग
आत्यंतिक (Absolute)	अनुमति रोक लेता है; विधेयक समाप्त	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर, या जब अनुमति से पहले मंत्रालय गिर जाए और नया मंत्रालय उसके विरुद्ध सलाह दे	राजेंद्र प्रसाद, पेप्सू विनियोग विधेयक (1954); आर. वेंकटरमण, सांसदों के वेतन और पेंशन का विधेयक (1991)
निलंबनकारी (Suspensive)	विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है	धन विधेयकों पर नहीं; दोनों सदन इसे संशोधन सहित या बिना फिर पारित करें तो अनुमति देनी होगी	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लाभ का पद विधेयक लौटाया (2006); दोबारा पारित होने पर हस्ताक्षर किए
जेबी (Pocket)	न हस्ताक्षर करता है, न अस्वीकार करता है, न लौटाता है	संभव इसलिए कि संविधान अनुमति के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करता	ज्ञानी ज़ैल सिंह, भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (1986)

★★ **विशेषित वीटो नहीं**: भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई वीटो (qualified veto) नहीं जिसे संसद विशेष बहुमत से निष्प्रभावी कर सके (अमेरिकी मॉडल); दोबारा पारित विधेयक पर सीधे हस्ताक्षर करने होते हैं।

★★★ **धन विधेयक** (Money Bill): राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, पर इसे **लौटा नहीं सकता**। यह उसकी पूर्व सिफ़ारिश से पेश होता है, इसलिए सामान्यतः वह हस्ताक्षर कर देता है।

★★★ **संविधान संशोधन विधेयक**: राष्ट्रपति को **अनुमति देनी ही होगी** (अनुच्छेद 368(2), **24वें संशोधन, 1971** द्वारा संशोधित)। किसी भी प्रकार का वीटो नहीं।

★★ **राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयक (अनुच्छेद 201)**: राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या (धन विधेयक न हो तो) राज्यपाल को उसे विधानमंडल को लौटाने का निर्देश दे सकता है। राज्य उसे फिर पारित कर दे तब भी राष्ट्रपति अनुमति देने को **बाध्य नहीं** है।

★★★ **कोई समय-सीमा नहीं**: संविधान कोई **अवधि तय नहीं करता** जिसके भीतर राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेना हो। अप्रैल 2025 में दो न्यायाधीशों की पीठ (तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (State of Tamil Nadu v Governor of Tamil Nadu)) ने अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित विधेयकों के लिए तीन महीने तय किए।

★★ **2025 का राष्ट्रपति संदर्भ**: **20 नवंबर 2025** को, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भेजे गए प्रश्नों के उत्तर में, **पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने कहा कि न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय नहीं कर सकते, और 'मानी गई अनुमति' (deemed assent) जैसी कोई चीज़ नहीं है; केवल लंबी, बिना कारण की निष्क्रियता को सीमित निर्देश के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है।

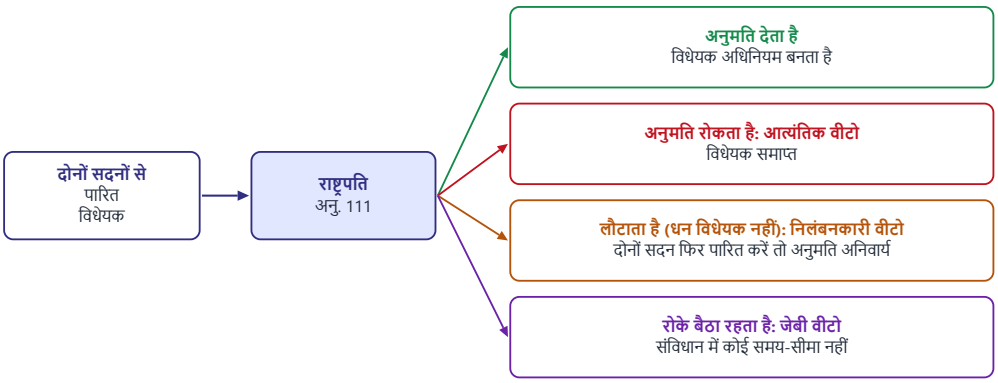

संविधान संशोधन विधेयक: अनुमति अनिवार्य (24वाँ संशोधन, 1971)। धन विधेयक: केवल अनुमति या रोक।

दोनों सदनों से पारित विधेयक के साथ राष्ट्रपति क्या कर सकता है। लौटाए गए विधेयक को दोनों सदन फिर पारित कर दें तो हस्ताक्षर करने होंगे; संविधान संशोधन विधेयक पर हमेशा हस्ताक्षर करने होते हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'संविधान राष्ट्रपति की अनुमति के लिए समय-सीमा तय करता है' **असत्य** है; यही कमी जेबी वीटो को संभव बनाती है। 'राष्ट्रपति धन विधेयक लौटा सकता है' **असत्य** है।

याद रखें: Stop, Send back, Sit: आत्यंतिक वीटो विधेयक को रोकता है (Stop), निलंबनकारी उसे वापस भेजता है (Send back), जेबी वीटो उस पर बैठा रहता है (Sit)।

☑ झटपट जाँच

1. धन विधेयक पर कौन-सा वीटो प्रयोग नहीं हो सकता?
2. किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया, और किस विधेयक पर?
3. क्या राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे?

उत्तर: 1. निलंबनकारी वीटो (उसे लौटाना) · 2. ज़ैल सिंह, भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 · 3. हाँ (24वाँ संशोधन, 1971)

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

अनुच्छेद 123

सत्र में न हो

फिर समवेत होने के 6 सप्ताह बाद

डी.सी. वाधवा 1987

कृष्ण कुमार सिंह 2017

संसद पूरे वर्ष नहीं बैठती, पर सरकार को तुरंत किसी विधि की ज़रूरत पड़ सकती है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर, संसद के न बैठे होने पर, एक **अस्थायी विधि** बनाने देता है। यह एक अंतरिम उपाय है, विधि बनाने का दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए सदनों के लौटते ही इसे संसद के सामने आना होता है।

★★ **कब**: केवल तब जब **कोई एक सदन, या दोनों, सत्र में न हों**, और राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि परिस्थितियाँ **तुरंत कार्रवाई** माँगती हैं। **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर जारी होता है।

★★★ **बल**: **संसद के अधिनियम जैसा ही बल और प्रभाव**। यह किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है और **भूतलक्षी** (retrospective) बनाया जा सकता है, पर केवल उन विषयों पर जिन पर संसद विधि बना सकती है।

★★★ **सीमाएँ**: यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' है, इसलिए **मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकता**; और **संविधान संशोधन नहीं कर सकता**।

★★★ **आयु**: सदनों के फिर समवेत होने पर इसे दोनों सदनों के सामने रखना होता है; यह **फिर समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त** हो जाता है (सदन अलग-अलग तिथियों पर बैठें तो बाद वाली तिथि से गिनती), और दोनों सदन अस्वीकार कर दें तो पहले ही। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने होने से इसकी सबसे लंबी आयु लगभग **6 महीने + 6 सप्ताह** है।

★★ **न्यायिक पुनर्विलोकन** (judicial review): 38वें संशोधन (1975) ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम बनाया था; **44वें संशोधन (1978)** ने वह खंड हटा दिया। न्यायालय दुर्भावना से या बिना आधार के जारी अध्यादेश को रद्द कर सकते हैं।

★★ **डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (D.C. Wadhwa v State of Bihar, 1987)**: अध्यादेशों को विधानमंडल के सामने रखे बिना बार-बार पुनः जारी करना संविधान के साथ धोखा है। **कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (Krishna Kumar Singh v State of Bihar, 2017, सात न्यायाधीश)**: विधानमंडल के सामने रखना अनिवार्य है, पुनः जारी करना संविधान के साथ धोखा है, और संतुष्टि पुनर्विलोकन के अधीन है।

★ **राज्यपालों** के पास अपने राज्यों के लिए **अनुच्छेद 213** के अंतर्गत यही शक्ति है; कुछ विषयों पर उन्हें पहले राष्ट्रपति के निर्देश चाहिए।

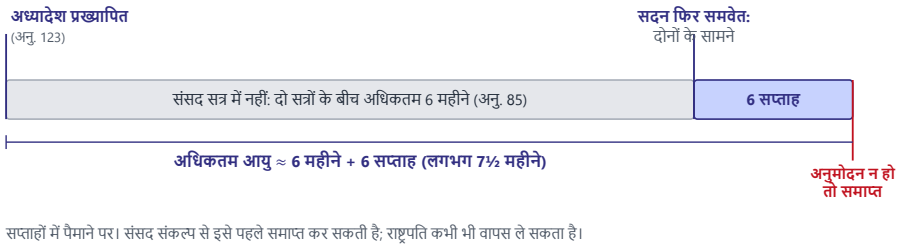

अध्यादेश की सबसे लंबी आयु, सप्ताहों में पैमाने पर: सत्र समाप्त होते ही जारी हो, तो यह छह महीने तक के अंतराल और फिर सदनों के समवेत होने के बाद छह सप्ताह तक चल सकता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** परीक्षक तीन कथन साथ रखते हैं: अध्यादेश **किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है** (सत्य), **भूतलक्षी हो सकता है** (सत्य), **मौलिक अधिकार को कम कर सकता है** (असत्य)। और यह मंत्रियों की सलाह पर जारी होता है, राष्ट्रपति की अपनी इच्छा से नहीं।

💡 **याद रखें: 'Six and Six'**: छह महीने तक का अवकाश, और संसद के लौटने के बाद छह सप्ताह।

झटपट जाँच

1. राष्ट्रपति अध्यादेश कब प्रख्यापित कर सकता है?
2. संसद के फिर समवेत होने के कितने समय बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है?
3. क्या अध्यादेश भूतलक्षी हो सकता है? क्या यह मौलिक अधिकार को कम कर सकता है?

उत्तर: 1. जब कोई एक सदन (या दोनों) सत्र में न हो · 2. 6 सप्ताह · 3. हाँ; नहीं

क्षमादान की शक्ति

अनुच्छेद 72

अनुच्छेद 161

पाँच रूप

मारू राम 1980

एपुरु सुधाकर 2006

न्यायालयों से भूल हो सकती है, और न्याय को कभी-कभी दया की ज़रूरत होती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को दंड क्षमा करने या हल्का करने की **कार्यपालिका** शक्ति देता है, जो न्यायपालिका से अलग है और उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद भी प्रयोग की जा सकती है। कार्यपालिका शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग भी मंत्रियों की सलाह पर होता है।

क्षमादान (clemency) के पाँच रूप ★★★

रूप	अर्थ	उदाहरण
क्षमा (Pardon)	दंड और दोषसिद्धि दोनों को सभी निरर्हताओं सहित मिटा देता है	दोषी ऐसे मुक्त मानो कभी दंड मिला ही न हो
लघुकरण (Commutation)	दंड को हल्के प्रकार के दंड से बदल देता है	मृत्युदंड → आजीवन कारावास
परिहार (Remission)	दंड की अवधि घटाता है; उसका प्रकार वही रहता है	दो वर्ष का कठोर कारावास → एक वर्ष का कठोर कारावास
विराम (Respite)	किसी विशेष तथ्य के कारण हल्का दंड देता है	दोषी का गर्भवती होना या शारीरिक अक्षमता
प्रविलंबन (Reprieve)	दंड के निष्पादन को कुछ समय के लिए रोकता है	दया याचिका पर निर्णय होने तक मृत्युदंड रोका जाना

★★★ **अनुच्छेद 72 का दायरा**: **संघ की विधियों** के विरुद्ध अपराध, **सेना न्यायालय** (court-martial) के सभी दंड, और **हर मृत्युदंड** (राज्य विधि के अंतर्गत भी)।

★★★ **राज्यपाल (अनुच्छेद 161)**: केवल **राज्य की विधियों** के विरुद्ध अपराध; मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है पर उसे **क्षमा नहीं कर सकता**; **सेना न्यायालय** के दंडों पर उसकी **कोई शक्ति नहीं**।

★★★ **सलाह पर**: राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर करता है (**मारू राम (Maru Ram), 1980**; **केहर सिंह (Kehar Singh), 1989**), अपने आप नहीं। दया याचिकाओं पर गृह मंत्रालय कार्यवाही करता है।

★★★ **सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन**: न्यायालय क्षमादान के आदेश की जाँच दुर्भावना, मनमानी, विवेक का प्रयोग न करने या असंगत बातों के आधार पर कर सकते हैं (**एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (Epuru Sudhakar v Government of Andhra Pradesh), 2006**), पर उसके गुण-दोष की नहीं।

★★ **केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)**: दोषी को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है; राष्ट्रपति साक्ष्य को नए सिरे से देख सकता है और न्यायालय से भिन्न मत बना सकता है।

★★ **शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (Shatrughan Chauhan v Union of India, 2014)**: दया याचिका पर निर्णय में लंबी, बिना कारण की देरी मृत्युदंड के लघुकरण का आधार है।

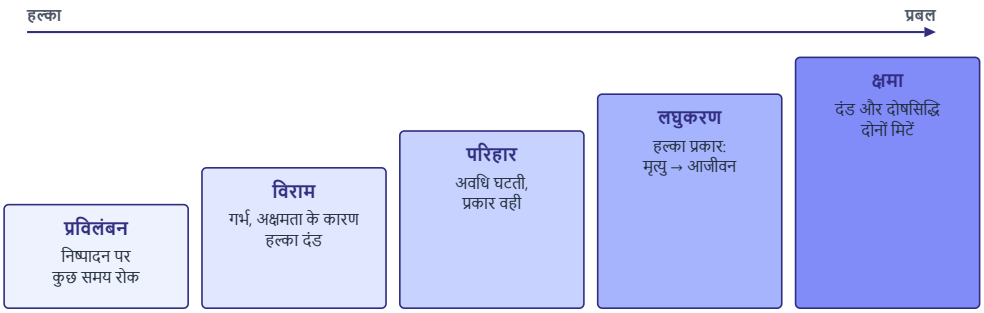

राष्ट्रपति: अनु. 72 (पाँचों, मृत्युदंड और सेना न्यायालय सहित)। राज्यपाल: अनु. 161 (राज्य विधि के अपराध)।

क्षमादान के पाँच रूप, सबसे हल्के (निष्पादन पर रोक) से सबसे प्रबल (दोषसिद्धि को ही मिटाना) तक। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास पाँचों हैं; राज्यपाल के पास राज्य विधि के अपराधों के लिए हैं, पर वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है' **असत्य** है। 'क्षमादान पूरी तरह न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर है' भी **असत्य** है: पुनर्विलोकन सीमित है, अनुपस्थित नहीं।

याद रखें: Pardon wipes, Commute swaps, Remit trims, Respite softens, Reprieve pauses. क्षमा मिटाती है, लघुकरण बदलता है, परिहार घटाता है, विराम हल्का करता है, प्रविलंबन रोकता है।

झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कौन-से तीन प्रकार के दंड आते हैं?
2. क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है?
3. लघुकरण या परिहार: कौन दंड का प्रकार बदलता है?

उत्तर: 1. संघ की विधियों के अपराध, सेना न्यायालय, सभी मृत्युदंड · 2. नहीं; वह केवल उसका निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है · 3. लघुकरण

वास्तविक स्थिति और भारत के राष्ट्रपति

परिस्थितिजन्य विवेक
अनुच्छेद 78
राजेंद्र प्रसाद
संजीव रेड्डी
के.आर. नारायणन

संविधान राष्ट्रपति को **स्पष्ट शब्दों में कोई विवेकाधिकार नहीं** देता, पर कुछ परिस्थितियों में उसे स्वयं निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि तब ऐसी कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती जिसकी सलाह मामला सुलझा दे। इनके अलावा राष्ट्रपति का प्रभाव परामर्श पाने, चेतावनी देने और प्रोत्साहित करने में है: अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को उसे सूचित रखने के लिए बाध्य करता है।

★★ **परिस्थितिजन्य विवेक** (situational discretion): (1) जब किसी दल या गठबंधन को लोक सभा में स्पष्ट बहुमत न हो, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति; (2) लोक सभा का विश्वास खो चुकी पर त्यागपत्र न देने वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना; (3) बहुमत खो चुका मंत्रालय लोक सभा विघटन की सलाह दे, तो यह तय करना कि विघटन करें या नहीं।

★★ **छिपा विवेक**: विधेयक या सलाह को एक बार लौटाना (अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 111), और समय-सीमा न होने से संभव जेबी वीटो।

★★ **सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 78)**: प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के सभी निर्णय और विधान के प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताने होते हैं, और वह जो भी जानकारी माँगे, देनी होती है।

★★★ **राजेंद्र प्रसाद** (1950–62): पहले राष्ट्रपति, **दो बार चुने गए एकमात्र**, और सबसे लंबे समय तक पद पर (लगभग 12 वर्ष)।

★★★ **एन. संजीव रेड्डी (N. Sanjiva Reddy)** (1977): **निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति**; वे पहले **लोक सभा अध्यक्ष** रह चुके थे।

★★★ **के.आर. नारायणन (K.R. Narayanan)** (1997–2002): पहले **दलित** राष्ट्रपति; पेशेवर राजनयिक (थाईलैंड, तुर्की, चीन और अमेरिका में राजदूत) और **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय** के कुलपति; पहले उपराष्ट्रपति रहे।

★★ **पद पर रहते मृत्यु**: **ज़ाकिर हुसैन (Zakir Husain)** (1969, पहले) और **फ़ख़रुद्दीन अली अहमद (Fakhruddin Ali Ahmed)** (1977)।

★★ **राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति** (छह): एस. राधाकृष्णन, ज़ाकिर हुसैन, वी.वी. गिरि, आर. वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन।

★★ **महिला राष्ट्रपति**: **प्रतिभा पाटिल (Pratibha Patil)** (2007–12, पहली) और **द्रौपदी मुर्मू** (2022 से)। मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति भी हैं।

★ **ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (A.P.J. Abdul Kalam)** (2002–07), मिसाइल वैज्ञानिक, को 1997 में भारत रत्न मिल चुका था; **प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee)** को यह 2019 में, कार्यकाल के बाद, मिला। **राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind)** (2017–22) दूसरे दलित राष्ट्रपति थे।

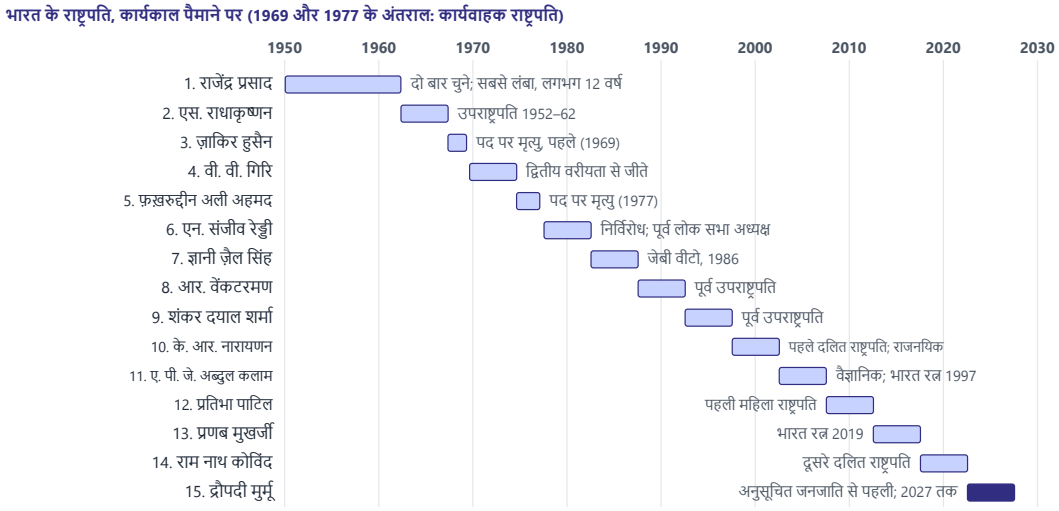

पंद्रह राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल पैमाने पर। दोनों अंतराल (1969 और 1977) पद पर रहते मृत्यु के बाद की वे अवधियाँ हैं जब कार्यवाहक राष्ट्रपतियों ने कार्यभार सँभाला।

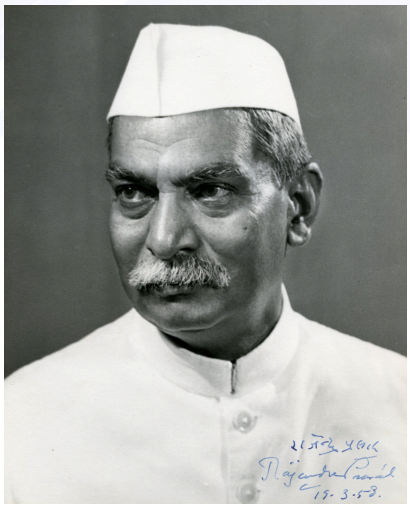

भारत के पहले राष्ट्रपति (1950–62) और दो बार चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 1958 के एक हस्ताक्षरित चित्र में। चित्र: Archives New Zealand, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

⚠ **परीक्षा में सावधान:** वी.वी. गिरि या ज़ैल सिंह नहीं, संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले **लोक सभा अध्यक्ष** थे। आर. वेंकटरमण नहीं, के.आर. नारायणन वह राजनयिक थे जिन्होंने चीन और अमेरिका में सेवा की और JNU के प्रमुख रहे।

झटपट जाँच

1. एक ऐसी परिस्थिति बताइए जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है।
2. कौन राष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष रहे थे और निर्विरोध चुने गए?
3. कौन राष्ट्रपति राजनयिक और JNU के कुलपति रहे?

उत्तर: 1. किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति · 2. एन. संजीव रेड्डी (1977) · 3. के.आर. नारायणन

उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 63–64

अनुच्छेद 66

2022 में 788

अनुच्छेद 67(b)

सी.पी. राधाकृष्णन

यह पद अमेरिकी पद की नकल है: पद-क्रम में दूसरा, पर इसके पास **अपनी कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं**। इसका रोज़ का काम **राज्य सभा** की अध्यक्षता है; आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना इसकी आरक्षित भूमिका है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा की अध्यक्षता करता है, इसलिए उसे केवल संसद चुनती है, और उसे हटाने में राज्य सभा पहल करती है।

★★★ **अनुच्छेद 63–64**: एक उपराष्ट्रपति होगा, जो **राज्य सभा का पदेन सभापति** (ex officio Chairman) है। वह उस सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है।

★★★ **निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 66)**: **संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत**। राज्य विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं। एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान।

★★★ **2022 का निर्वाचन (16वाँ)**: निर्वाचक मंडल में **788** सीटें थीं (**543 लोक सभा + 245 राज्य सभा**)। जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) जीते।

★★ **2025 का निर्वाचन (17वाँ)**: जगदीप धनखड़ ने **21 जुलाई 2025** को त्यागपत्र दिया। **9 सितंबर 2025** को **सी.पी. राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan)** ने 452 मत पाकर बी. सुदर्शन रेड्डी (300 मत) को हराया (सात रिक्तियों के बाद 781 निर्वाचक) और **12 सितंबर 2025** को **15वें उपराष्ट्रपति** के रूप में शपथ ली।

★★ **योग्यता (अनुच्छेद 66(3))**: भारत का नागरिक, **35 वर्ष**, **राज्य सभा** का सदस्य चुने जाने योग्य, कोई लाभ का पद नहीं; किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं।

★★★ **कार्यकाल और पद से हटाना (अनुच्छेद 67)**: **5 वर्ष**; त्यागपत्र **राष्ट्रपति** को। **राज्य सभा** के ऐसे संकल्प से हटाया जाता है जो उसके **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित हो और जिस पर **लोक सभा सहमत** हो; कम से कम **14 दिन की सूचना**। कोई आधार नहीं बताए गए हैं और महाभियोग नहीं होता।

★ **हटाने की पहली सूचना**: दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटाने की सूचना दी; उपसभापति ने उसे अस्वीकार कर दिया, इसलिए उस पर कभी मतदान नहीं हुआ।

★★ **रिक्ति (अनुच्छेद 68)**: कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन; अन्य कोई रिक्ति **यथाशीघ्र** भरी जाती है, और निर्वाचित व्यक्ति को **पूरा पाँच वर्ष का कार्यकाल** मिलता है।

★★ **शपथ (अनुच्छेद 69)**: **राष्ट्रपति** या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने। **विवाद (अनुच्छेद 71)**: उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। नामांकन के लिए **20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक** और ₹15,000 की जमानत राशि चाहिए।

★★ **वेतन**: उपराष्ट्रपति **राज्य सभा के सभापति** का वेतन पाता है (2018 से ₹4 लाख प्रति माह), उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं; राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है।

★ **कीर्तिमान**: पहले उपराष्ट्रपति **एस. राधाकृष्णन (S. Radhakrishnan)** (1952–62, दो कार्यकाल); **हामिद अंसारी (Hamid Ansari)** (2007–17) ने भी दो पूरे कार्यकाल किए; **कृष्णकांत (Krishan Kant)** की पद पर रहते मृत्यु हुई (2002)।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना ★★★

बिंदु	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
निर्वाचक मंडल	निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (राज्य, दिल्ली, पुडुचेरी)	सभी सांसद, निर्वाचित और मनोनीत
किसके निर्वाचन के योग्य	लोक सभा	राज्य सभा
शपथ दिलाने वाले	भारत के मुख्य न्यायमूर्ति	राष्ट्रपति
त्यागपत्र किसे	उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति
पद से हटाना	दोनों सदनों द्वारा महाभियोग, हर सदन में कुल सदस्य संख्या का ⅔ (अनुच्छेद 61)	राज्य सभा का संकल्प (सभी सदस्यों का बहुमत) जिस पर लोक सभा सहमत हो (अनुच्छेद 67)
रिक्ति भरना	6 महीने के भीतर	यथाशीघ्र

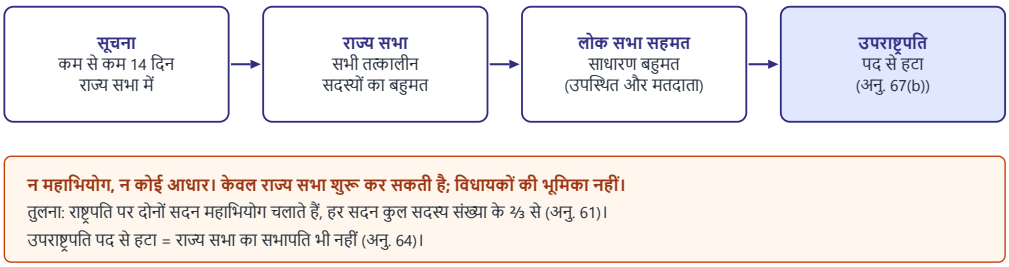

न महाभियोग, न कोई आधार। केवल राज्य सभा शुरू कर सकती है; विधायकों की भूमिका नहीं।
तुलना: राष्ट्रपति पर दोनों सदन महाभियोग चलाते हैं, हर सदन कुल सदस्य संख्या के ⅔ से (अनु. 61)।
उपराष्ट्रपति पद से हटा = राज्य सभा का सभापति भी नहीं (अनु. 64)।

उपराष्ट्रपति को हटाना: राज्य सभा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करती है और लोक सभा साधारण बहुमत से सहमति देती है। न महाभियोग, न कोई बताया गया आधार।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** संसद की **संयुक्त बैठक** (joint sitting) की अध्यक्षता **लोक सभा अध्यक्ष** करते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विपरीत, **मनोनीत सांसद शामिल हैं**।

💡 **याद रखें: VP = Very Parliamentary**: केवल संसद द्वारा चुना जाता है, संसद (राज्य सभा) में काम करता है, और केवल संसद द्वारा हटाया जाता है।

☑ झटपट जाँच

1. उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है?
2. 2022 के उपराष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे?
3. उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कौन-सा सदन शुरू कर सकता है?

उत्तर: 1. दोनों सदनों के सभी सदस्य, मनोनीत सहित · 2. 788 (543 + 245) · 3. केवल राज्य सभा (लोक सभा की सहमति आवश्यक)

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (14)

UPSC 2012 भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको/किनको संसद् के पटल पर रखवाएँ?
1. संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को
2. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को
3. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 4 (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 1, 3 और 4. राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखवाते हैं (अनुच्छेद 281); संघ के लेखों पर CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाते हैं, जो उन्हें रखवाते हैं (अनुच्छेद 151); राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखे जाते हैं (अनुच्छेद 338)

UPSC 2014 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।
2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएँगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a) केवल 1. अनुच्छेद 77(1): संघ की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है; अनुच्छेद 77(3): राष्ट्रपति कार्य संचालन और कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं

UPSC 2018 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है ।
2. लोक सभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्य सभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (a) केवल 1. राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है; राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य समान होता है

UPSC 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं।
2. भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुल्तवी किया जा सकता है कि कुछ विधान-सभाएँ विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं।
3. कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर, संविधान द्वारा विहित की गई समय-सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (d) कोई भी नहीं. चुनाव शून्य घोषित होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध रहते हैं (अनुच्छेद 71(2)); कुछ विधानसभाओं के विघटित होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव टाला नहीं जा सकता; संविधान राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति देने की कोई समय-सीमा तय नहीं करता

UPSC 2023 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधान-सभाओं में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचकमंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं।
2. निर्वाच्य विधान-सभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एम० एल० ए० के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है।
3. मध्य प्रदेश के प्रत्येक एम० एल० ए० के वोट का मान, केरल के प्रत्येक एम० एल० ए० के वोट के मान से अधिक है।
4. पुदुच्चेरी के प्रत्येक एम० एल० ए० के वोट का मान, अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एम० एल० ए० के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुच्चेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार
उत्तर: (a) केवल एक. मनोनीत सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में मत नहीं देते; विधायक के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित सीटें ÷ 1000, 1971 की जनगणना पर

UPSC 2025 भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. अध्यादेश किसी केन्द्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है।
II. अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है।
III. अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?
(a) केवल I और II (b) केवल II और III (c) केवल I और III (d) I, II और III
उत्तर: (c) केवल I और III. अध्यादेश का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है (अनुच्छेद 123); अध्यादेश अनुच्छेद 13 के तहत 'विधि' है और मौलिक अधिकारों को न्यून नहीं कर सकता; संसद के अधिनियम की तरह अध्यादेश भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो सकता है

UPSC 2025 भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है।
II. राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केन्द्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल I (b) केवल II (c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II
उत्तर: (a) केवल I. अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा पर दुर्भावना या मनमानी के आधार पर सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन होता है; राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है

BPSC 60th-62nd भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं
(a) सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा (b) मंत्रियों के द्वारा (c) प्रधान मंत्री के द्वारा (d) मंत्रिमंडल के द्वारा
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा. अनुच्छेद 53(1): राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करता है

BPSC 63rd राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
(a) राष्ट्रपति (b) उपराष्ट्रपति (c) प्रधानमंत्री (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं (e) उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) उपराष्ट्रपति. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है (अनुच्छेद 64)

BPSC 67th re-exam 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं?
(a) 250 (b) 798 (c) 788 (d) 545 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) 788. उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं, मनोनीत सदस्य भी; 2022 में निर्वाचक मंडल में 788 स्थान थे: लोक सभा के 543 और राज्य सभा के 245

BPSC 67th re-exam भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है?
(a) कितनी भी बार (b) एक बार (c) दो बार (d) तीन बार (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) कितनी भी बार. अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है

BPSC 70th निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे ?
(a) वी. वी. गिरी (b) ज्ञानी जैल सिंह (c) ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (d) नीलम संजीवा रेड्डी
उत्तर: (d) नीलम संजीवा रेड्डी. नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे

BPSC 70th re-exam निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है ?
(a) राज्यसभा (b) लोकसभा (c) राज्य विधान सभाएँ (d) राज्य विधान परिषदें
उत्तर: (c) राज्य विधान सभाएँ. राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल: निर्वाचित सांसद और राज्यों, दिल्ली, पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक; अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग में केवल संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं

BPSC 70th re-exam व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाइलेंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं । वो हैं
(a) के. आर. नारायण (b) आर. वेंकटरमन (c) डॉ. शंकर दयाल शर्मा (d) डॉ. एस. राधाकृष्णन
उत्तर: (a) के. आर. नारायण. के. आर. नारायणन राष्ट्रपति बनने से पहले राजनयिक और JNU के कुलपति रहे

स्वयं को परखें (12)

1. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं पर उसके निर्वाचन में नहीं?
(a) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (b) संसद के मनोनीत सदस्य (c) दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
(d) राज्य विधान परिषदों के सदस्य

2. राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी विधायक के मत का मूल्य किस पर निर्भर करता है?
(a) केवल विधान सभा की निर्वाचित सीटों की संख्या पर (b) राज्य की 1971 की जनसंख्या को उसकी निर्वाचित सीटों से भाग देने पर
(c) राज्य की वर्तमान जनसंख्या को मनोनीत सहित कुल सीटों से भाग देने पर (d) राज्य की लोक सभा सीटों की संख्या पर

3. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश
(a) भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिया जा सकता (b) दोनों सदनों के अवकाश में होने पर संविधान संशोधन कर सकता है
(c) केंद्रीय अधिनियम बदल सकता है, मौलिक अधिकार नहीं घटा सकता (d) संसद के फिर समवेत होने के बाद छह महीने तक लागू रहता है

4. राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसे नहीं लौटा सकता?
(a) गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक (b) दोनों सदनों से पारित साधारण विधेयक (c) धन विधेयक (d) राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक

5. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है (b) यह सेना न्यायालय के दंड तक नहीं पहुँचती
(c) यह पूरी तरह न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर है (d) इसका प्रयोग केवल उच्चतम न्यायालय के अपील पर निर्णय से पहले होता है

6. भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है
(a) दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से महाभियोग द्वारा (b) लोक सभा के ऐसे संकल्प द्वारा जिस पर राज्य सभा सहमत हो
(c) राज्य सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जिस पर लोक सभा सहमत हो (d) मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा

7. भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ किसके सामने लेता है?
(a) उपराष्ट्रपति (b) लोक सभा का अध्यक्ष (c) प्रधानमंत्री (d) मुख्य न्यायमूर्ति

8. इनमें से कौन-सी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने नहीं रखवाई जाती?
(a) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (b) लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (c) वित्त आयोग की सिफ़ारिशें
(d) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट

9. यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएँ, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है?
(a) लोक सभा अध्यक्ष (b) मुख्य न्यायमूर्ति (c) राज्य सभा के उपसभापति (d) प्रधानमंत्री

10. राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
2. लोक सभा सदस्य के मत का मूल्य राज्य सभा सदस्य के मत से अधिक होता है।
3. पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

11. राष्ट्रपति के वीटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोक सभा को लौटा सकता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए विधेयक को दोनों सदन फिर पारित कर दें, तब भी वह अनुमति रोक सकता है।
3. संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

12. संसद के दोनों सदन अवकाश में हैं। सरकार को किसी केंद्रीय अधिनियम में तय कर-दर को पिछली तिथि से बदलने के लिए तुरंत एक विधि चाहिए। राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
(a) कुछ नहीं, क्योंकि अध्यादेश संसद के अधिनियम को संशोधित नहीं कर सकता (b) मंत्रियों की सलाह पर अध्यादेश जारी करना, भूतलक्षी भी
(c) अध्यादेश जारी करना, पर केवल भविष्य की तिथि से प्रभावी
(d) केवल संसद को आहूत करना, क्योंकि कर-विधियाँ अध्यादेश से नहीं बन सकतीं

उत्तर: 1. (b) मनोनीत सांसद निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54) से बाहर हैं पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) में मत देते हैं। · 2. (b) मूल्य = 1971 की जनसंख्या ÷ (निर्वाचित विधायक × 1000), अनुच्छेद 55 के अंतर्गत, 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर। · 3. (c) इसे अधिनियम का बल प्राप्त है, इसलिए यह केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित कर सकता है और भूतलक्षी हो सकता है; यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता और फिर समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। · 4. (c) धन विधेयक पर केवल अनुमति दी जा सकती है या रोकी जा सकती है; उस पर निलंबनकारी वीटो लागू नहीं होता। · 5. (a) मारू राम (1980) और केहर सिंह (1989): प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर; सेना न्यायालय भी शामिल; सीमित पुनर्विलोकन संभव (एपुरु सुधाकर, 2006)। · 6. (c) अनुच्छेद 67(b): राज्य सभा का संकल्प, उसके तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा सहमत, 14 दिन की सूचना के बाद। · 7. (d) अनुच्छेद 60: भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, शपथ दिलाते हैं। · 8. (b) लोक लेखा समिति संसद की समिति है और अपनी रिपोर्ट स्वयं प्रस्तुत करती है; बाकी रिपोर्टें राष्ट्रपति के माध्यम से जाती हैं (अनुच्छेद 151, 281, 338A)। · 9. (b) राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत: मुख्य न्यायमूर्ति, और उनके न होने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। · 10. (c) 70वें संशोधन (1992) से दिल्ली और

पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक मत देते हैं; विधान परिषद सदस्य कभी मत नहीं देते, और किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य एक समान है। · 11. (d) कोई भी नहीं: धन विधेयक लौटाया नहीं जा सकता, दोबारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, और संविधान अनुमति के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करता; इसी से जेबी वीटो संभव होता है। · 12. (b) अनुच्छेद 123: अध्यादेश को अधिनियम का बल प्राप्त है, इसलिए यह केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है और भूतलक्षी हो सकता है; यह मौलिक अधिकारों को कम या संविधान को संशोधित नहीं कर सकता।

अध्याय 11

प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी

मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, गैर-सदस्य प्रधानमंत्री के लिए छह महीने का नियम, 15% की सीमा (91वाँ संशोधन), मंत्रियों की श्रेणियाँ, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल सेवा बोर्ड, तथा संसद में महान्यायवादी का बोलने का अधिकार पर मत देने का नहीं: ये प्रश्न बार-बार आते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 13 बार पूछा गया: UPSC 7 · BPSC 6

≈ 39 min पढ़ने में ≈ 8 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. अनुच्छेद 74: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है; अनुच्छेद 75(1): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है।
2. अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोक सभा (जनता का सदन) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, पूरी संसद के प्रति नहीं और राज्य सभा के प्रति नहीं।
3. प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। गैर-सदस्य 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, फिर उसे सांसद बनना होगा (अनुच्छेद 75(5)); एस.पी. आनंद (S.P. Anand, 1996) मामले में गैर-सदस्य प्रधानमंत्री को वैध माना गया।
4. 91वाँ संशोधन (2003), अनुच्छेद 75(1A): प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% (543 में 81) से अधिक नहीं हो सकती; अनुच्छेद 75(1B) दल-बदलू को मंत्री बनने से रोकता है।
5. श्रेणियाँ (कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री) परंपरा से बनी हैं; संविधान किसी श्रेणी का नाम नहीं लेता।
6. 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द केवल अनुच्छेद 352 में आता है, जिसे 44वें संशोधन (1978) ने जोड़ा।
7. अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के सभी निर्णय और विधायी प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताने होते हैं और वह जो जानकारी माँगे, देनी होती है।
8. मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 75(2)); राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य आबंटन नियम, 1961 के अधीन विभाग बाँटता है।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रधानमंत्री के अधीन) मंत्रिमंडल की कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों की सेवा करता है; यह मंत्रालयों को धन आवंटित नहीं करता। मंत्रिमंडल सचिव सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता करता है।
10. महान्यायवादी (अनुच्छेद 76): राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं; विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।
11. अनुच्छेद 88: महान्यायवादी किसी भी सदन और समितियों में बोल सकता है पर मत नहीं दे सकता; अनुच्छेद 105(4) उसे सांसदों के विशेषाधिकार देता है। महासॉलिसिटर को ऐसा कोई अधिकार नहीं।
12. नवंबर 2026 की स्थिति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (9 जून 2024 से तीसरा कार्यकाल); महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी (अक्टूबर 2022 से, 1 अक्टूबर 2025 से पुनर्नियुक्त); मंत्रिमंडल सचिव टी.वी. सोमनाथन (30 अगस्त 2024 से, कार्यकाल 30 अगस्त 2027 तक बढ़ाया गया)।

वास्तव में शासन कौन करता है: संसदीय कार्यपालिका

अनुच्छेद 74

अनुच्छेद 75(3)

अनुच्छेद 78

नाममात्र बनाम वास्तविक

यू.एन.आर. राव 1971

संसदीय व्यवस्था (Parliamentary system) में जनता लोक सभा चुनती है; लोक सभा के बहुमत से मंत्रालय बनता है; मंत्रालय राष्ट्रपति को सलाह देता है और सरकार चलाता है, पर तभी तक टिकता है जब तक लोक सभा उस पर भरोसा करे। **जवाबदेही (answerability)** की यही कड़ी बताती है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 74(1)**: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए **एक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा**; राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करता है।

★★★ **अनुच्छेद 75(3)**: मंत्रिपरिषद **लोक सभा (House of the People) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** है। राज्य सभा मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, पर मत देकर मंत्रालय को हटा नहीं सकती।

★★ **अनुच्छेद 75(2)**: मंत्री **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (during the pleasure of the President)** पद धारण करते हैं; व्यवहार में यह प्रसाद प्रधानमंत्री की सलाह पर चलता है।

★★★ **अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य** राष्ट्रपति के प्रति: (a) प्रशासन संबंधी **मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय** और **विधान के प्रस्ताव** बताना; (b) इन पर राष्ट्रपति जो जानकारी माँगे, देना; (c) राष्ट्रपति चाहे तो वह विषय मंत्रिपरिषद के सामने रखना जिस पर किसी एक मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो।

★★ **यू.एन.आर. राव बनाम इंदिरा गांधी (U.N.R. Rao v Indira Gandhi, 1971)**: लोक सभा भंग होने के बाद भी **मंत्रिपरिषद सदा रहनी चाहिए**; राष्ट्रपति उसकी सलाह के बिना कभी कार्य नहीं कर सकता।

★ **प्राइमस इंटर पेरेस (Primus inter pares)** ('बराबर वालों में प्रथम') सिद्धांत रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का वर्णन है; भारतीय प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों को चुनता और हटाता है, अपने साथियों से कहीं ऊपर है।

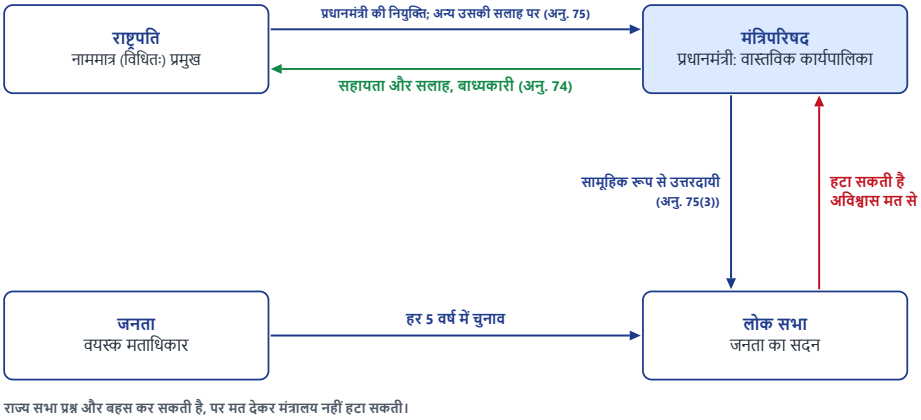

जवाबदेही की कड़ी। जनता लोक सभा चुनती है; मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति को सलाह देती है, जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है' इस शब्दावली में **गलत** है: अनुच्छेद 75(3) में **जनता का सदन** (लोक सभा) लिखा है। प्रधानमंत्री लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के प्रति नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है?
2. कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचित रखने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है?
3. क्या लोक सभा भंग होने के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना शासन कर सकता है?

उत्तर: 1. लोक सभा (अनुच्छेद 75(3)) · 2. अनुच्छेद 78 · 3. नहीं (यू.एन.आर. राव, 1971)

प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पात्रता और कार्यकाल

अनुच्छेद 75(1)

कोई भी सदन

6 महीने: अनुच्छेद 75(5)

एस.पी. आनंद 1996

गोपनीयता की शपथ

संविधान केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। बाकी **परंपरा (convention)** तय करती है: राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को चुनना होता है जो लोक सभा में बहुमत रखता हो। जब कोई स्पष्ट रूप से ऐसा न कर सके, तभी राष्ट्रपति का अपना विवेक काम आता है।

★★★ **अनुच्छेद 75(1): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है**; अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति **प्रधानमंत्री की सलाह पर** नियुक्त करता है।

★★ **परंपरा: लोक सभा में बहुमत** वाले दल या गठबंधन के नेता को नियुक्त किया जाता है। स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति विवेक से काम लेता है और नियुक्त व्यक्ति से तय समय में सदन में बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है (चरण सिंह (Charan Singh), 1979; अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee), 1996)।

★★★ **कोई भी सदन**: प्रधानमंत्री लोक सभा **या** राज्य सभा का सदस्य हो सकता है। **इंदिरा गांधी** (Indira Gandhi, 1966), **आई.के. गुजराल** (I.K. Gujral, 1997) और **मनमोहन सिंह** (Manmohan Singh, 2004) प्रधानमंत्री बनते समय राज्य सभा के सदस्य थे।

★★★ **गैर-सदस्य (अनुच्छेद 75(5))**: जो व्यक्ति सांसद नहीं है, वह प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकता है, पर यदि वह किसी भी सदन का सदस्य न बने तो **6 महीने बाद पद पर नहीं रहता**। **एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (S.P. Anand v H.D. Deve Gowda, 1996)** में गैर-सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति को वैध ठहराया गया।

★★ **एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (S.R. Chaudhuri v State of Punjab, 2001)**: छह महीने की सीमा से बचने के लिए किसी गैर-सदस्य को बार-बार फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता।

★★ **शपथ (अनुच्छेद 75(4), तीसरी अनुसूची)**: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रत्येक मंत्री को **पद और गोपनीयता की शपथ (oath of office and secrecy)** दिलाता है।

★★ **कार्यकाल**: **निश्चित नहीं**। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है, जिसका व्यवहार में अर्थ है जब तक उसे **लोक सभा का विश्वास** प्राप्त है। वेतन और भत्ते संसद तय करती है (अनुच्छेद 75(6))।

★★ **प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र** से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है; किसी अन्य मंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से केवल एक पद रिक्त होता है।

★★ **कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Acting PM)**: संविधान में नहीं है; **गुलज़ारीलाल नंदा** (Gulzarilal Nanda) दो बार रहे, नेहरू की मृत्यु के बाद (1964) और शास्त्री की मृत्यु के बाद (1966)।

★ **संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025**: 20 अगस्त 2025 को लोक सभा में पेश; यह उस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को हटा देगा जो 5 वर्ष या अधिक दंड वाले आरोप में लगातार 30 दिन हिरासत में रहे। इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया और यह कानून नहीं बना है (नवंबर 2026 की स्थिति)।

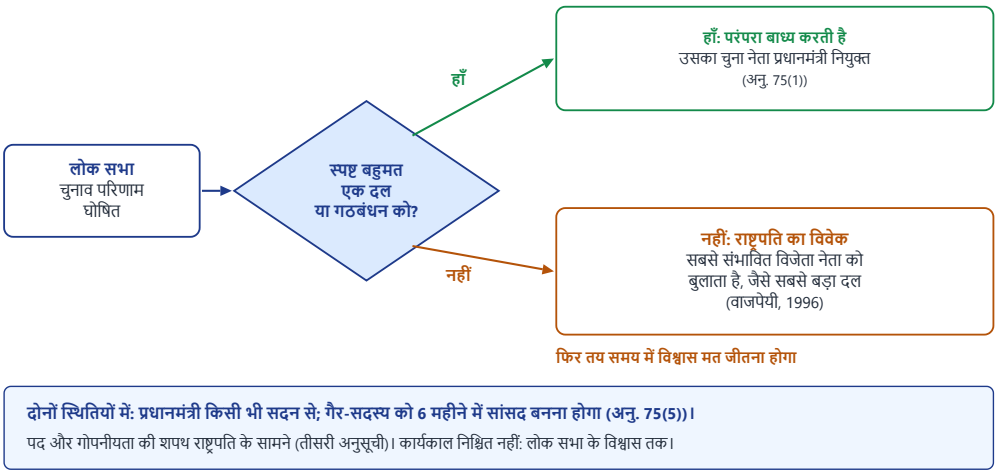

प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। लोक सभा में स्पष्ट बहुमत हो तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं रहता; न हो तो वह उस नेता को आमंत्रित करता है जिसके विश्वास मत जीतने की सबसे अधिक संभावना हो। दोनों स्थितियों में प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'प्रधानमंत्री का लोक सभा का सदस्य होना आवश्यक है' और 'गैर-सदस्य प्रधानमंत्री को छह महीने में लोक सभा में आना होगा' दोनों **गलत** हैं: प्रधानमंत्री **किसी भी सदन** से हो सकता है, और गैर-सदस्य छह महीने में **किसी भी सदन** में आ सकता है।

💡 **याद रखें: Six-month visa (छह महीने का वीज़ा)**: कोई भी छह महीने के वीज़ा पर मंत्रिपरिषद में आ सकता है, पर उसके खत्म होने से पहले उसे संसद की नागरिकता, किसी भी सदन से, लेनी होगी।

☑ झटपट जाँच

1. क्या प्रधानमंत्री का लोक सभा का सदस्य होना ज़रूरी है?
2. किस मामले में गैर-सदस्य की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति वैध ठहराई गई?
3. प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?

उत्तर: 1. नहीं; किसी भी सदन का, या 6 महीने तक गैर-सदस्य · 2. एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (1996) · 3. राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

विभाग (portfolios)

सदन का नेता

नीति आयोग

प्रधानमंत्री की शक्ति एक साथ तीन स्रोतों से आती है: वह मंत्रालय का प्रधान है, लोक सभा में बहुमत का नेता है, और मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच एकमात्र कड़ी है। जो यह तय करता है कि कौन मंत्री होगा और किस विभाग के साथ, वही सरकार को नियंत्रित करता है।

प्रधानमंत्री की भूमिका ★★

किसके संबंध में	प्रधानमंत्री क्या करता है
मंत्रिपरिषद	किसे मंत्री नियुक्त किया जाए, इसकी सिफारिश करता है; राष्ट्रपति उसकी सलाह पर विभाग बाँटता और बदलता है; किसी मंत्री से त्यागपत्र माँगता है या उसे हटाने की सलाह देता है; मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है और सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन करता है; उसके त्यागपत्र या मृत्यु से पूरा मंत्रालय समाप्त हो जाता है
राष्ट्रपति	राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच मुख्य कड़ी (अनुच्छेद 78); महान्यायवादी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, वित्त आयोग आदि की नियुक्ति पर सलाह देता है
संसद	लोक सभा का सदस्य होने पर लोक सभा का नेता; सत्र बुलाने और सत्रावसान पर राष्ट्रपति को सलाह देता है; लोक सभा भंग करने की सलाह दे सकता है; सदन में सरकार की नीति की घोषणा करता है
अन्य निकाय	नीति आयोग (NITI Aayog), अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति और अधिकांश अन्य मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता करता है

★★★ **मंत्रालय और विभाग**: **राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य बाँटता है**, जो **अनुच्छेद 77(3)** के अधीन बने नियमों (कार्य आबंटन नियम (Allocation of Business Rules), 1961) के तहत होता है। नए मंत्रालय और विभाग भी इसी तरह बनते हैं, मंत्रिमंडल सचिव द्वारा नहीं।

★★★ **वे निकाय जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता**: **सिविल सेवा बोर्ड (Civil Services Board)** (मंत्रिमंडल सचिव), **जीएसटी परिषद** (केंद्रीय वित्त मंत्री), **क्षेत्रीय परिषदें** (केंद्रीय गृह मंत्री), और स्वाभाविक रूप से लोक सभा (अध्यक्ष) तथा राज्य सभा (उपराष्ट्रपति)।

★★ **प्रधानमंत्री के अधीन विभाग**: परिपाटी से प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन रखता है, साथ ही वह हर मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा गया।

★ **प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)**: 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में शुरू हुआ, 1977 में इसका नाम PMO हुआ; इसका प्रमुख प्रधानमंत्री का **प्रधान सचिव (Principal Secretary)** होता है।

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री	अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं	
नीति आयोग (और उसकी शासी परिषद)	सिविल सेवा बोर्ड	मंत्रिमंडल सचिव
अंतर-राज्य परिषद (अनु. 263)	जीएसटी परिषद	केंद्रीय वित्त मंत्री
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	क्षेत्रीय परिषदें	केंद्रीय गृह मंत्री
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति	लोक सभा, संयुक्त बैठक	अध्यक्ष
सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति	राज्य सभा	उपराष्ट्रपति
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति	निर्वाचन आयोग	मुख्य निर्वाचन आयुक्त

वे निकाय जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और उनसे मिलते-जुलते निकाय जिनकी अध्यक्षता कोई और करता है। परीक्षक अक्सर इन्हें आपस में बदल देते हैं: सिविल सेवा बोर्ड मंत्रिमंडल सचिव के अधीन है, जीएसटी परिषद वित्त मंत्री के अधीन।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सचिव के परामर्श से बनाता है' **गलत** है; 'हर मंत्री को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रालय सौंपता है' **सही** है।

☑ झटपट जाँच

1. मंत्रियों के बीच विभागों का औपचारिक आबंटन कौन करता है?
2. सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है?
3. ऐसे दो निकायों के नाम बताइए जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।

उत्तर: 1. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर · 2. मंत्रिमंडल सचिव · 3. नीति आयोग, अंतर-राज्य परिषद (NDMA, ACC भी)

मंत्रिपरिषद: आकार और श्रेणियाँ

तीन श्रेणियाँ: परंपरा

15%: अनुच्छेद 75(1A)

91वाँ संशोधन 2003

अनुच्छेद 88

देवी लाल 1990

संविधान मंत्रिपरिषद बनाता है पर उसमें श्रेणियाँ तय नहीं करता। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का वर्गीकरण ब्रिटिश परिपाटी से आया। 2003 से संविधान जो तय करता है, वह है **अधिकतम आकार**, ताकि दल-बदलुओं को इनाम देने वाले भारी-भरकम मंत्रालय रोके जा सकें।

★★★ **परंपरा से श्रेणियाँ**: **कैबिनेट मंत्री** (Cabinet ministers: महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख, मंत्रिमंडल में बैठते हैं), **स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री** (Ministers of State with independent charge: अपना मंत्रालय स्वयं चलाते हैं), **राज्य मंत्री** (किसी कैबिनेट मंत्री से संबद्ध) और **उप मंत्री** (Deputy Ministers: अब कम ही नियुक्त होते हैं)। संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में **नहीं** बाँटता।

★★★ **आकार की सीमा (अनुच्छेद 75(1A))**: **प्रधानमंत्री सहित** मंत्रियों की कुल संख्या **लोक सभा के कुल सदस्यों के 15%** से अधिक नहीं होगी, यानी 543 सदस्यों वाले सदन में **81**। इसे **91वें संशोधन, 2003** ने जोड़ा।

★★ **उसी संशोधन से**: **अनुच्छेद 75(1B)**: दल-बदल (defection) के कारण अयोग्य सांसद अपना कार्यकाल समाप्त होने या दोबारा चुने जाने तक मंत्री नहीं बन सकता; **अनुच्छेद 164(1A)**: राज्य मंत्रालय विधानसभा के 15% तक सीमित, **न्यूनतम 12**; **अनुच्छेद 361B**: दल-बदलू लाभकारी राजनीतिक पद नहीं ले सकता; दसवीं अनुसूची से 'विभाजन' (split) का अपवाद हटा दिया गया।

★★ **अनुच्छेद 88**: हर मंत्री (और महान्यायवादी) किसी भी सदन और उसकी समितियों में **बोल सकता है और भाग ले सकता है**, पर **मत केवल उसी सदन में देता है जिसका वह सदस्य है**।

★★ **उप-प्रधानमंत्री (Deputy PM)**: संविधान में नहीं है। **के.एम. शर्मा बनाम देवी लाल (K.M. Sharma v Devi Lal, 1990)**: उप-प्रधानमंत्री के रूप में ली गई शपथ वैध थी क्योंकि वह केवल एक मंत्री है; पद-नाम से कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं मिलती। **वल्लभभाई पटेल** (Vallabhbhai Patel) पहले उप-प्रधानमंत्री थे।

★★ **मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल**: परिषद (सभी श्रेणियाँ) संवैधानिक निकाय है; **मंत्रिमंडल (Cabinet)** (केवल कैबिनेट मंत्री) छोटा निकाय है जो वास्तव में नीति तय करता है और नियमित बैठक करता है।

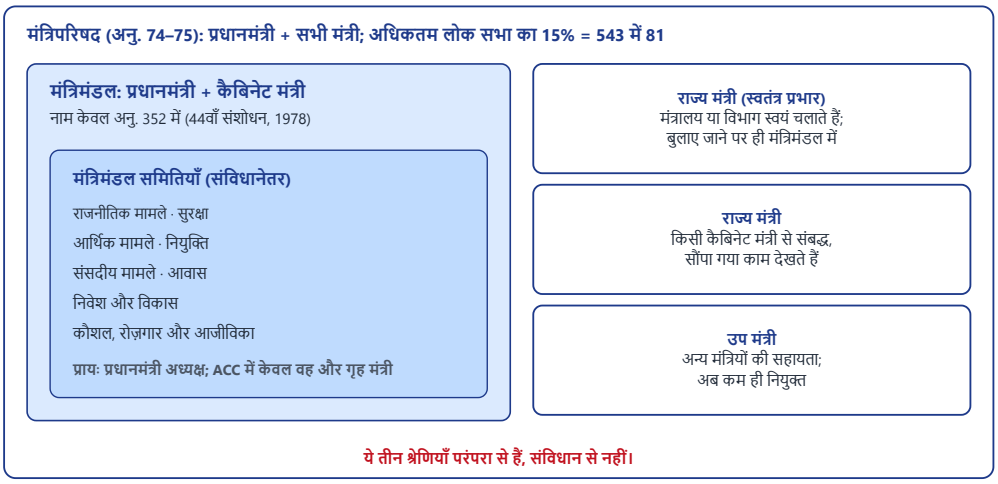

मंत्रिपरिषद में हर श्रेणी के मंत्री होते हैं, अधिकतम 81 सदस्य। इसके भीतर मंत्रिमंडल नीति तय करता है, और मंत्रिमंडल के भीतर उसकी समितियाँ बहुत-से ब्योरे तय करती हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में बाँटता है' **गलत** है (परंपरा)। 'संसद के कुल सदस्यों का 15%' **गलत** है: यह **लोक सभा** का 15% है, और इस गिनती में **प्रधानमंत्री शामिल** है।

याद रखें: 91 caps at 15: **91वें** संशोधन ने **15%** की सीमा तय की। 543 सीटों वाली एक बस की कल्पना कीजिए जिसमें चालक (प्रधानमंत्री) सहित केवल 81 मंत्री सवार हो सकते हैं।

☑ झटपट जाँच

1. संघ की मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार क्या है, और किस संशोधन ने इसे तय किया?
2. क्या संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में बाँटता है?
3. मंत्री दोनों सदनों में बोल सकता है; मत कहाँ दे सकता है?

उत्तर: 1. लोक सभा की सदस्य संख्या का 15% (81), प्रधानमंत्री सहित; 91वाँ संशोधन, 2003 · 2. नहीं; श्रेणियाँ परंपरा से हैं · 3. केवल उस सदन में जिसका वह सदस्य है (अनुच्छेद 88)

सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

साथ डूबना या साथ तैरना

अविश्वास: 50 सदस्य

अनुच्छेद 75(2)

1990, 1997, 1999

सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective responsibility) का अर्थ है कि मंत्रालय एक स्वर में बोलता है और एक इकाई के रूप में गिरता है: मंत्रिमंडल का निर्णय हर मंत्री को बाँधता है, और लोक सभा में हार सबको गिरा देती है। **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual responsibility)** का अर्थ है कि हर मंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा पर भी पद पर रहता है और उसे अकेले हटाया जा सकता है।

★★★ **सामूहिक (अनुच्छेद 75(3))**: यदि लोक सभा **अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion)** पारित कर दे, तो **पूरी मंत्रिपरिषद** को त्यागपत्र देना होता है, राज्य सभा से आए मंत्रियों सहित।

★★★ **एक स्वर**: जो मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है, उसे या तो उसका समर्थन करना होगा या त्यागपत्र देना होगा। **बी.आर. आंबेडकर** (B.R. Ambedkar) ने हिंदू कोड बिल के प्रश्न पर **1951** में नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया।

★★ **अविश्वास प्रस्ताव**: संविधान में इसका उल्लेख नहीं है; लोक सभा के नियमों के तहत कम से कम **50 सदस्यों** के समर्थन से लाया जाता है; कारण बताना आवश्यक नहीं। **निंदा प्रस्ताव (censure motion)** में कारण बताने होते हैं और यह किसी नीति या मंत्री को लक्ष्य करता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव **1963** में नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया गया (जे.बी. कृपलानी, J.B. Kripalani)।

★★★ **व्यक्तिगत (अनुच्छेद 75(2))**: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं; राष्ट्रपति किसी मंत्री को **केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर** हटाता है।

★★ **कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं**: भारत में ऐसा कोई नियम नहीं कि राष्ट्रपति के आदेशों पर मंत्री प्रतिहस्ताक्षर करे, और न्यायालय यह नहीं पूछ सकते कि क्या सलाह दी गई (अनुच्छेद 74(2))।

★★ **सदन में गिरे मंत्रालय**: **वी.पी. सिंह** (V.P. Singh) विश्वास मत (confidence vote) हारे (1990), **एच.डी. देवेगौड़ा** (1997) और **अटल बिहारी वाजपेयी एक मत से, 269 के मुकाबले 270 (1999)** हारे। मोरारजी देसाई (Morarji Desai) ने 1979 में मतदान से पहले त्यागपत्र दे दिया।

★ **कार्यवाहक मंत्रालय (Caretaker ministry)**: जो सरकार त्यागपत्र दे चुकी हो या बहुमत खो चुकी हो, वह नई सरकार बनने तक पद पर रहती है, पर परंपरा से केवल दैनिक कामकाज के निर्णय लेती है।

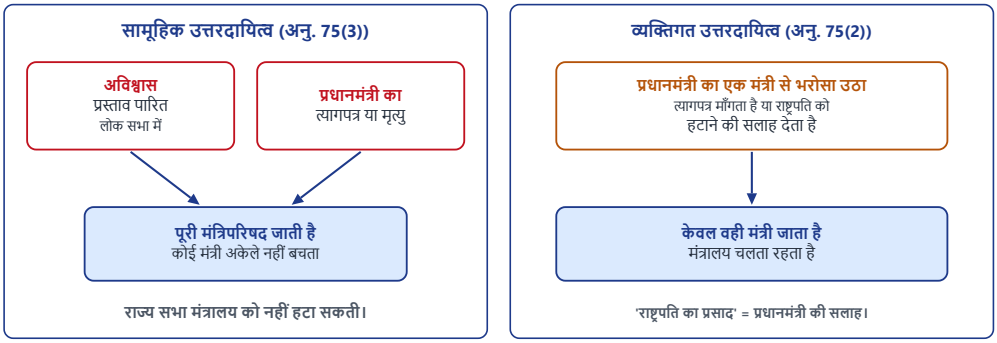

सामूहिक उत्तरदायित्व पूरे मंत्रालय को एक साथ हटाता है; व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री की इच्छा पर एक मंत्री को हटाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अविश्वास प्रस्ताव **केवल लोक सभा में** लाया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध राज्य सभा का संकल्प उसे नहीं हटाता।

याद रखें: साथ डूबो या साथ तैरो (Sink or swim together): मंत्रालय लोक सभा के पानी पर तैरती एक ही नाव है।

झटपट जाँच

1. यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो किसे त्यागपत्र देना होगा?
2. अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति के लिए लोक सभा के कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए?
3. 1999 में वाजपेयी सरकार कितने अंतर से हारी?

उत्तर: 1. पूरी मंत्रिपरिषद को · 2. कम से कम 50 · 3. एक मत से (269 के मुकाबले 270)

मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियाँ, मंत्रिमंडल सचिवालय और PMO

अनुच्छेद 352: 'मंत्रिमंडल'

मंत्रिमंडल समितियाँ

ACC

मंत्रिमंडल सचिव

सिविल सेवा बोर्ड

संविधान मंत्रिपरिषद की बात करता है, पर सरकार उन निकायों से चलती है जिनका संविधान में मुश्किल से उल्लेख है: **मंत्रिमंडल (Cabinet)**, उसकी **समितियाँ**, उनकी सेवा करने वाला **मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat)**, और प्रधानमंत्री की सेवा करने वाला **PMO**। ये भारत सरकार के कार्य संचालन नियमों (Transaction of Business Rules) पर टिके हैं, किसी अनुच्छेद पर नहीं।

★★★ **संविधान में 'मंत्रिमंडल'**: केवल एक बार, **अनुच्छेद 352(3)** में, जिसे **44वें संशोधन (1978)** ने जोड़ा: राष्ट्रीय आपातकाल केवल संघ के मंत्रिमंडल के **लिखित** निर्णय पर ही घोषित किया जा सकता है।

★★ **मंत्रिमंडल समितियाँ (Cabinet committees)**: संविधानेतर, कार्य संचालन नियमों के तहत बनी; अधिकांश की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इनमें **राजनीतिक मामलों** की (जिसे अक्सर 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है), **सुरक्षा**, **आर्थिक मामलों**, **नियुक्ति**, **संसदीय मामलों**, **आवास**, निवेश और विकास, तथा कौशल, रोज़गार और आजीविका की समितियाँ हैं।

★★ **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet, ACC)**: केवल दो सदस्य, **प्रधानमंत्री और गृह मंत्री**; भारत सरकार में शीर्ष नियुक्तियों को मंज़ूरी देती है।

★ **किचन कैबिनेट (Kitchen cabinet)**: प्रधानमंत्री के आसपास कुछ भरोसेमंद मंत्रियों और सलाहकारों का अनौपचारिक भीतरी घेरा; इसकी कोई विधिक स्थिति नहीं।

★★★ **मंत्रिमंडल सचिवालय**: सीधे **प्रधानमंत्री** के अधीन। यह मंत्रिमंडल की बैठकों की **कार्यसूची** और कार्यवृत्त तैयार करता है, **मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता** देता है, निर्णयों के पालन पर नज़र रखता है और कार्य नियमों को सँभालता है। **मंत्रालयों को धन आवंटित करना इसका काम नहीं**: वह वित्त मंत्रालय का काम है।

★★★ **मंत्रिमंडल सचिव (Cabinet Secretary)**: सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक; मंत्रिमंडल का सचिव; **सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष** और सचिवों की समिति का भी अध्यक्ष। टी.वी. सोमनाथन (T.V. Somanathan) **30 अगस्त 2024** से इस पद पर हैं; उनका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाकर 30 अगस्त 2027 तक किया गया।

★★ **PMO**: प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय, जिसका प्रमुख **प्रधान सचिव** होता है; प्रधानमंत्री को सलाह देता है और मंत्रालयों के बीच समन्वय करता है। 1977 तक यह प्रधानमंत्री सचिवालय था।

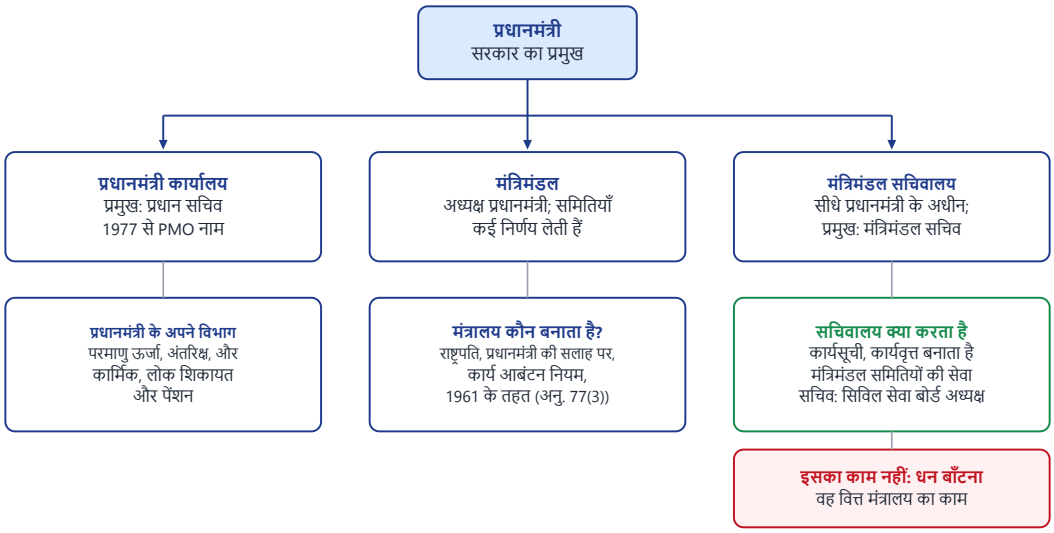

प्रधानमंत्री के आसपास का तंत्र: PMO प्रधानमंत्री की सेवा करता है, मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, और मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल और उसकी समितियों की सेवा करता है। मंत्रालयों को धन बाँटना वित्त मंत्रालय का काम है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य: मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची (हाँ), मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता (हाँ), **मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन (नहीं)**। और सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष **प्रधानमंत्री नहीं** है।

☑ झटपट जाँच

1. 'मंत्रिमंडल' शब्द किस एकमात्र अनुच्छेद में आता है, और कब से?
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के दो कार्य बताइए।
3. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सदस्य कौन हैं?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 352, 44वें संशोधन (1978) से · 2. मंत्रिमंडल की कार्यसूची; मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता · 3. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री

भारत के प्रधानमंत्री

नेहरू: सबसे लंबा

नंदा: दो बार कार्यवाहक

मोरारजी: पहले गैर-कांग्रेसी

राजीव: सबसे युवा

मोदी: तीसरा कार्यकाल

गुलज़ारीलाल नंदा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दो छोटे कार्यकालों को गिनकर पंद्रह लोग यह पद सँभाल चुके हैं। परीक्षक 'पहले' और रिकॉर्ड पूछते हैं, इसलिए तालिका हर नाम के साथ वह एक तथ्य देती है जो सबसे अधिक पूछा जाता है।

प्रधानमंत्री और याद रखने योग्य तथ्य ★★

प्रधानमंत्री	कार्यकाल	याद रखें
जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru)	1947–64	पहले और सबसे लंबे समय तक (लगभग 17 वर्ष); पद पर रहते निधन; पहला अविश्वास प्रस्ताव झेला (1963)
गुलज़ारीलाल नंदा	1964, 1966	दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, हर बार लगभग दो सप्ताह
लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri)	1964–66	ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद ताशकंद में निधन
इंदिरा गांधी	1966–77, 1980–84	पहली महिला प्रधानमंत्री; पहली बार नियुक्ति के समय राज्य सभा की सदस्य
मोरारजी देसाई	1977–79	पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री; पद ग्रहण के समय सबसे वृद्ध (81); भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान-ए-पाकिस्तान
चरण सिंह	1979–80	लोक सभा का सामना किए बिना त्यागपत्र दिया
राजीव गांधी (Rajiv Gandhi)	1984–89	सबसे युवा प्रधानमंत्री (40)
वी.पी. सिंह	1989–90	विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री
चंद्रशेखर (Chandra Shekhar)	1990–91	लगभग सात महीने की अल्पमत सरकार
पी.वी. नरसिंह राव (P.V. Narasimha Rao)	1991–96	दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री; 1991 के आर्थिक सुधार
अटल बिहारी वाजपेयी	1996, 1998–2004	1996 में 13 दिन की सरकार; 1999 का विश्वास मत एक मत से हारे
एच.डी. देवेगौड़ा	1996–97	नियुक्ति के समय सांसद नहीं थे (एस.पी. आनंद मामला); संयुक्त मोर्चा
आई.के. गुजराल	1997–98	राज्य सभा सदस्य; पड़ोसियों के प्रति 'गुजराल सिद्धांत' (Gujral Doctrine)
मनमोहन सिंह	2004–14	पहले सिख प्रधानमंत्री; पूरे दस वर्ष राज्य सभा के सदस्य
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)	2014 से	9 जून 2024 को लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ; नेहरू के बाद लगातार तीन आम चुनाव जीतने वाले पहले

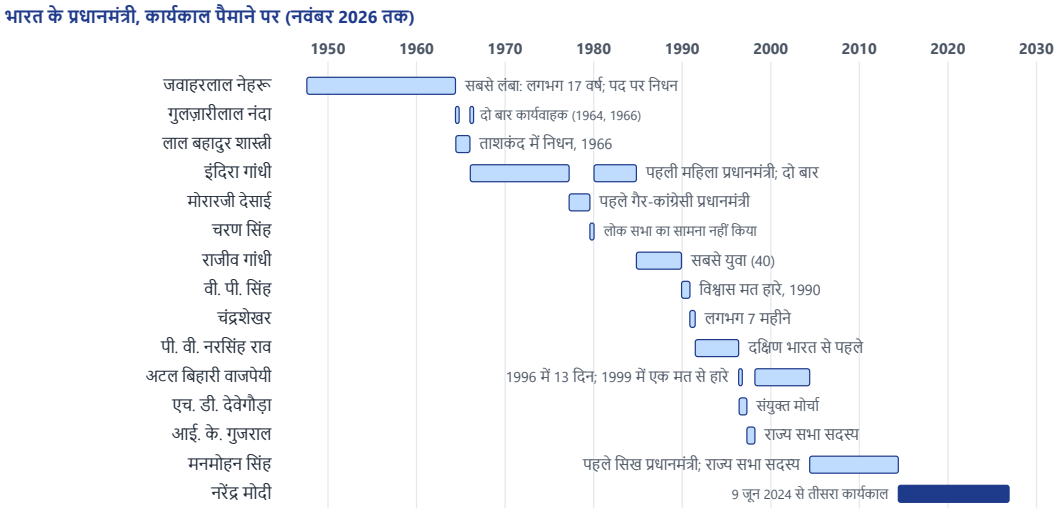

भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल पैमाने पर, नवंबर 2026 तक। 1989–98 की छोटी सरकारों के झुंड पर ध्यान दीजिए।

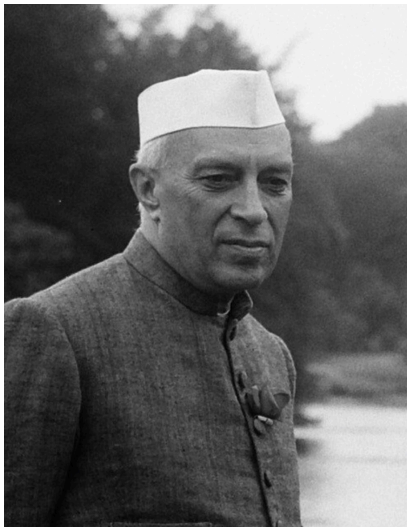

जवाहरलाल नेहरू, पहले और सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री (1947–64), 1957 में नीदरलैंड की यात्रा के दौरान लिया गया चित्र। चित्र: Harry Pot, Wikimedia Commons, CC0

याद रखें: एक पंक्ति में रिकॉर्ड: नेहरू सबसे लंबे, नंदा कार्यवाहक, इंदिरा पहली महिला, मोरारजी पहले गैर-कांग्रेसी और सबसे वृद्ध, राजीव सबसे युवा, राव पहले दक्षिण भारतीय, मनमोहन पहले सिख।

झटपट जाँच

1. पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे?
2. दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे?
3. कौन-से प्रधानमंत्री ने लोक सभा का सामना किए बिना त्यागपत्र दिया?

उत्तर: 1. मोरारजी देसाई (1977) · 2. गुलज़ारीलाल नंदा (1964, 1966) · 3. चरण सिंह

भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद 76

अनुच्छेद 88: बोलना, मत नहीं

अनुच्छेद 105(4)

राष्ट्रपति का प्रसाद

महासॉलिसिटर

महान्यायवादी (Attorney General) भारत सरकार का **मुख्य वकील** है: वह उसे सलाह देता है और उसके मुकदमे लड़ता है। वह संघ की कार्यपालिका (भाग V) का अंग है पर **मंत्री नहीं** है; विधि मंत्री विधिक मामलों का राजनीतिक प्रमुख है, महान्यायवादी पेशेवर प्रमुख।

★★★ **नियुक्ति (अनुच्छेद 76(1))**: **राष्ट्रपति** द्वारा; वह **उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य** होना चाहिए (ऐसा नागरिक जो 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता हो)।

★★★ **कर्तव्य (अनुच्छेद 76(2))**: राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधिक मामलों पर **भारत सरकार** को सलाह देना, और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए या कानून द्वारा दिए गए अन्य विधिक कर्तव्य निभाना। वह उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से उपस्थित होता है।

★★★ **सुनवाई का अधिकार (Right of audience) (अनुच्छेद 76(3))**: **भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों** में, केवल उच्चतम न्यायालय में नहीं।

★★★ **संसद में (अनुच्छेद 88)**: किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और जिस संसदीय समिति में उसका नाम हो, उसकी कार्यवाही में **बोल सकता है और भाग ले सकता है**, पर **मत नहीं दे सकता**। **अनुच्छेद 105(4)**: उसे सांसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (privileges and immunities) प्राप्त हैं।

★★★ **कार्यकाल**: संविधान ने **निश्चित नहीं** किया; **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद पर रहता है; पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करता है (अनुच्छेद 76(4))। परंपरा से सरकार बदलने पर वह त्यागपत्र देता है, पर संविधान ऐसा अनिवार्य नहीं करता।

★★★ **पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं**: वह निजी वकालत कर सकता है, पर **भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता या उपस्थित नहीं हो सकता**, सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक अभियोजन में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकता, और अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता।

★★ **मंत्रिमंडल** या मंत्रिपरिषद का **सदस्य नहीं**।

★★ **महासॉलिसिटर (Solicitor General) और अपर महासॉलिसिटर (Additional Solicitors General)**: महान्यायवादी की सहायता करते हैं; उनके पद विधि अधिकारी (सेवा शर्तें) नियम, 1987 पर आधारित हैं, **संविधान पर नहीं**, और उन्हें **संसद में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं**।

★★ **पहले महान्यायवादी**: **एम.सी. सीतलवाड़** (M.C. Setalvad, 1950–63), जो सबसे लंबे समय तक भी रहे। **आर. वेंकटरमणी** (R. Venkataramani) **1 अक्टूबर 2022** से इस पद पर हैं और **1 अक्टूबर 2025** से दो वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त हुए।

★★ **राज्य में समकक्ष**: **महाधिवक्ता (Advocate General) (अनुच्छेद 165)**, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर; राज्य विधानमंडल में बोल सकता है पर मत नहीं दे सकता (अनुच्छेद 177)।

विधि अधिकारियों की तुलना ★★

बिंदु	महान्यायवादी	महाधिवक्ता	महासॉलिसिटर
आधार	अनुच्छेद 76	अनुच्छेद 165	विधि अधिकारी नियम, 1987 (संवैधानिक नहीं)
नियुक्ति कौन करता है	राष्ट्रपति	राज्यपाल	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
योग्यता	उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य	वरिष्ठ अधिवक्ता (कोई संवैधानिक कसौटी नहीं)
विधानमंडल में बोलता है?	हाँ, संसद में, बिना मत के (अनुच्छेद 88)	हाँ, राज्य विधानमंडल में, बिना मत के (अनुच्छेद 177)	नहीं

महान्यायवादी क्या कर सकता है और क्या नहीं। परीक्षकों की सबसे प्रिय जोड़ी: वह संसद में बोल सकता है और उसकी समितियों में शामिल हो सकता है, पर कभी मत नहीं दे सकता।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'महान्यायवादी और महासॉलिसिटर ही ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें संसद में भाग लेने की अनुमति है' **गलत** है: यह अधिकार (मंत्रियों के साथ) केवल **महान्यायवादी** को है। 'संविधान के अनुसार महान्यायवादी सरकार के साथ त्यागपत्र देता है' **गलत** है: यह केवल परंपरा है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'महान्यायवादी को केवल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है' और 'महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील है' दोनों **गलत** हैं। सही कथन: वह **विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है**।

याद रखें: AG = Always heard, Generally no vote: हर न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, संसद में आवाज़, पर मत कभी नहीं।

झटपट जाँच

1. महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, और कौन-सी योग्यता चाहिए?
2. क्या महान्यायवादी संसद में मत दे सकता है?
3. क्या महासॉलिसिटर का पद संवैधानिक है?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति; उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य · 2. नहीं; वह बोल सकता है और समितियों में शामिल हो सकता है (अनुच्छेद 88) · 3. नहीं; यह विधि अधिकारी नियम, 1987 पर आधारित है

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (13)

UPSC 2012 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय

(a) जरूरी नहीं है कि वह संसद् के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए

(b) जरूरी नहीं है कि वह संसद् के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर लोक सभा का सदस्य हो जाना चाहिए

(c) संसद् के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए (d) आवश्यक रूप से लोक सभा का सदस्य होना चाहिए

उत्तर: (a) जरूरी नहीं है कि वह संसद् के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए. गैर-सदस्य छह महीने तक मंत्री रह सकता है (अनुच्छेद 75(5)); प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

भारत का महान्यायवादी

1. लोक सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
2. लोक सभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है
3. लोक सभा में बोल सकता है
4. लोक सभा में मतदान कर सकता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 2 और 4 (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c) 1, 2 और 3. अनुच्छेद 88: महान्यायवादी सदन और समितियों में बोल सकता है, पर मत नहीं दे सकता

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. केन्द्र में मंत्रिपरिषद् संसद् के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
2. संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे।
3. विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75(3)); अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय और विधायी प्रस्ताव राष्ट्रपति को बताता है

UPSC 2014 निम्नलिखित में से कौन-सा/से मंत्रिमण्डल सचिवालय का/के कार्य है/हैं?

1. मंत्रिमण्डल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना
2. मंत्रिमण्डल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता
3. मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आबंटन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 1 और 2. मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल की कार्यसूची बनाता है और मंत्रिमंडल समितियों को सहायता देता है; मंत्रालयों को धन का आवंटन वित्त मंत्रालय करता है

UPSC 2015 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
2. प्रधानमंत्री, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2. अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है; मंत्रिमंडल सचिव सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं

UPSC 2022 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री, में वर्गीकृत करता है ।
2. संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधान मंत्री को मिला कर, लोक सभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती (अनु. 75(1A)); संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में नहीं बाँटता; ये श्रेणियाँ परंपरा से बनी हैं

UPSC 2022 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है ।
2. भारत के संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने देता है, पर मत देने का अधिकार नहीं; महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; कोई निश्चित अवधि नहीं

BPSC 60th-62nd भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है ?
(a) उप-राष्ट्रपति (b) अटार्नी-जनरल (c) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) (d) चुनाव आयुक्त
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) अटार्नी-जनरल. अनुच्छेद 88: महान्यायवादी सदन और समितियों में बोल सकता है, पर मत नहीं दे सकता

BPSC 63rd भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है?
(a) मंत्रिमंडल (b) राष्ट्रपति (c) लोक सभा (d) राज्य सभा (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) लोक सभा. अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है

BPSC 64th भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
(a) विधि मंत्री (b) भारत के राष्ट्रपति (c) लोक सभा का अध्यक्ष (d) प्रधानमंत्री (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) भारत के राष्ट्रपति. अनुच्छेद 76: महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

BPSC 70th मंत्री परिषद की संख्या को किस संविधानिक संशोधन द्वारा, लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15 प्रतिशत, तय किया गया ?
(a) 95वाँ संशोधन (b) 92वाँ संशोधन (c) 93वाँ संशोधन (d) 91वाँ संशोधन
उत्तर: (d) 91वाँ संशोधन. 91वें संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद का आकार लोक सभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया

BPSC 71st भारत का महान्यायवादी :
(a) सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नही है। (b) राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है।
(c) संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। (d) सरकार का पूर्ण कालिक सलाहकार है।
उत्तर: (b) राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है।. महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है (अनुच्छेद 76); महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और वह संसद में बोल सकता है, मत नहीं दे सकता

BPSC 71st केन्द्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
1) मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है।
2) प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है।
इनमें से :
(a) केवल 1 सही है (b) केवल 2 सही है (c) 1 और 2 सही है (d) न तो 1 सही है और न ही 2 सही है
उत्तर: (b) केवल 2 सही है. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है; राष्ट्रपति अनुच्छेद 77(3) के तहत सरकार के कार्य-आवंटन के नियम बनाता है

स्वयं को परखें (11)

1. संसद का सदस्य न होने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। उसे
(a) छह महीने के भीतर लोक सभा का सदस्य बनना होगा (b) छह महीने में किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा
(c) एक वर्ष के भीतर राज्य सभा का सदस्य बनना होगा (d) तीन महीने के भीतर उपचुनाव जीतना होगा

2. प्रधानमंत्री सहित संघ की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती
(a) दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 15% (b) लोक सभा की सदस्य संख्या का 10% (c) लोक सभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
(d) लोक सभा की सदस्य संख्या का छठा भाग

3. 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द भारत के संविधान में केवल इसमें आता है
(a) अनुच्छेद 74 (b) अनुच्छेद 75 (c) अनुच्छेद 78 (d) अनुच्छेद 352

4. इनमें से कौन-सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है?
(a) मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना (b) मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता देना
(c) मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन आवंटित करना (d) मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुपालन पर नज़र रखना

5. भारत का महान्यायवादी
(a) प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है (b) पाँच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए पद धारण करता है
(c) लोक सभा में बोल सकता है पर मत नहीं दे सकता (d) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए

6. अनुच्छेद 78 के अधीन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को बताना होता है
(a) केवल विदेश मामलों पर निर्णय (b) प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और विधान के प्रस्ताव (c) केवल धन विधेयकों के प्रस्ताव
(d) केवल अलग-अलग मंत्रियों के निर्णय

7. किस मामले में कहा गया कि लोक सभा भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद सदा रहनी चाहिए?
(a) शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (b) यू.एन.आर. राव बनाम इंदिरा गांधी (c) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
(d) के.एम. शर्मा बनाम देवी लाल

8. इनमें से कौन राज्य सभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बना?
(a) मोरारजी देसाई (b) राजीव गांधी (c) लाल बहादुर शास्त्री (d) मनमोहन सिंह

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के महासॉलिसिटर को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है।
2. भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
3. महान्यायवादी उस संसदीय समिति में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य नामित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
निकाय : अध्यक्षता
1. सिविल सेवा बोर्ड : प्रधानमंत्री
2. जीएसटी परिषद : केंद्रीय वित्त मंत्री
3. क्षेत्रीय परिषदें : प्रधानमंत्री
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

11. लोक सभा संघ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है। कई मंत्री राज्य सभा के सदस्य हैं, जहाँ सरकार का बहुमत है। इसका परिणाम क्या होगा?
(a) केवल लोक सभा में बैठने वाले मंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा (b) यदि राज्य सभा विश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार बची रहेगी
(c) पूरा मंत्रालय त्यागपत्र देगा, राज्य सभा वाले मंत्री भी (d) राष्ट्रपति को तुरंत लोक सभा भंग करनी होगी

उत्तर: 1. (b) अनुच्छेद 75(5): प्रधानमंत्री सहित कोई गैर-सदस्य मंत्री छह महीने बाद पद पर नहीं रहता, जब तक वह किसी भी सदन का सदस्य न बन जाए। · 2. (c) अनुच्छेद 75(1A), 91वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया: लोक सभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। · 3. (d) 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 352(3) में 'मंत्रिमंडल' शब्द जोड़ा: आपातकाल केवल मंत्रिमंडल के लिखित निर्णय पर। · 4. (c) धन आवंटन वित्त मंत्रालय का काम है; अन्य तीन मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। · 5. (c) अनुच्छेद 88 उसे आवाज़ देता है पर मत नहीं; उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह उसके प्रसादपर्यंत पद पर रहता है, और उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए। · 6. (b) अनुच्छेद 78(a) प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और सभी विधायी प्रस्तावों पर लागू होता है। · 7. (b) यू.एन.आर. राव (1971): राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। · 8. (d) मनमोहन सिंह 2004–14 में पूरे समय राज्य सभा में

रहे; अन्य तीन प्रधानमंत्री बनते समय लोक सभा के सदस्य थे। · 9. (b) केवल महान्यायवादी संसद में बोल सकता है (अनुच्छेद 88), और वह कभी मत नहीं देता, समिति में भी नहीं; महासॉलिसिटर का पद संवैधानिक नहीं है और उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं। · 10. (a) केवल जीएसटी परिषद वाला युग्म सही है; सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। · 11. (c) अनुच्छेद 75(3): सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोक सभा के प्रति है, इसलिए उसका अविश्वास मत पूरी मंत्रिपरिषद को गिरा देता है, राज्य सभा से आए मंत्रियों सहित।

अध्याय 12

संसद: सदन, पदाधिकारी, सत्र और विशेषाधिकार

संसद किनसे मिलकर बनती है, राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ, न्यूनतम आयु, लाभ का पद, अध्यक्ष का निर्वाचन, निर्णायक मत और पद से हटाना, सत्र और सत्रावसान, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 32 बार पूछा गया: UPSC 17 · BPSC 15

≈ 1 h 04 min पढ़ने में ≈ 17 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

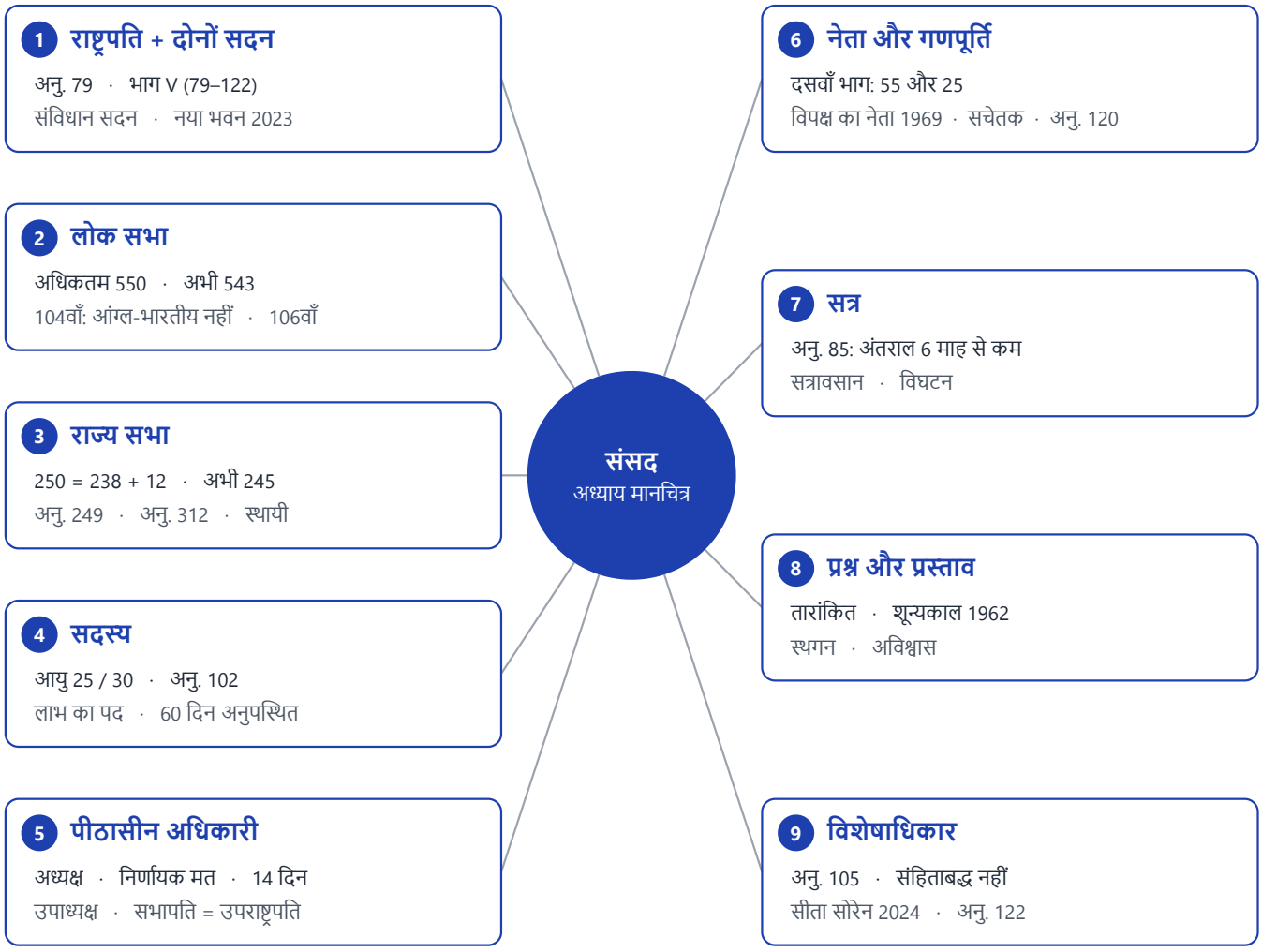

रिवीज़न कार्ड

1. **अनु. 79**: संसद = **राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा**। राष्ट्रपति संसद का अंग है पर सदस्य नहीं, और किसी भी सदन में नहीं बैठता।
2. **लोक सभा**: अधिकतम **550 निर्वाचित** (530 राज्य + 20 संघ राज्यक्षेत्र), अभी **543**। 2 आंग्ल-भारतीय नामनिर्देशन **104वें संशोधन, 2019** से समाप्त हुए (25 जनवरी 2020 से लागू)।
3. **राज्य सभा**: अधिकतम **250** (238 निर्वाचित + साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के लिए **12 नामनिर्दिष्ट**), अभी **245**; विधायकों द्वारा **एकल संक्रमणीय मत (STV)** से निर्वाचित; स्थायी सदन, **हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त**; संघ राज्यक्षेत्रों में केवल **दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर** को सीटें।
4. केवल राज्य सभा: **अनु. 249** (राज्य सूची पर कानून) और **अनु. 312** (नई अखिल भारतीय सेवा), उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से; **उपराष्ट्रपति को हटाने** का संकल्प वहीं से शुरू होता है। **संविधान संशोधनों** पर लोक सभा के बराबर।
5. न्यूनतम आयु: लोक सभा **25**, राज्य सभा **30**, राष्ट्रपति **35**। बिना अनुमति **60 दिन** तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सीट रिक्त घोषित की जा सकती है (अनु. 101(4)); सत्रावसान और लंबे स्थगन नहीं गिने जाते, इसलिए यह **'दो महीने' नहीं** है।
6. **लाभ का पद** निरर्हता का आधार है (**अनु. 102(1)(क)**), पर संविधान में इसकी **परिभाषा नहीं** है; **1959 का अधिनियम** छूट वाले पदों की सूची देता है। निरर्हता के प्रश्न: **राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की राय पर** (अनु. 103)।
7. **अध्यक्ष**: लोक सभा अपने सदस्यों में से चुनती है; त्यागपत्र **उपाध्यक्ष** को; **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से, **14 दिन की सूचना** के बाद हटाया जाता है; विघटन के बाद भी नए सदन की पहली बैठक तक पद पर रहता है।
8. अध्यक्ष के पास केवल **निर्णायक मत** होता है (अनु. 100); अपने हटाए जाने की चर्चा के दौरान वह **पीठासीन नहीं हो सकता**, पर **बोल सकता** है और **प्रथमतः मत दे सकता** है (अनु. 96)।
9. **गणपूर्ति (कोरम)** दसवाँ भाग (**55** लोक सभा, **25** राज्य सभा)। **विपक्ष के नेता** के लिए सीटों का दसवाँ भाग चाहिए; पहली मान्यता **1969** में; **1977 के अधिनियम** से वैधानिक दर्जा, संविधान में नहीं।
10. **अनु. 85**: राष्ट्रपति सदनों को किसी भी समय और स्थान पर आहूत करता है; दो सत्रों के बीच अंतर **6 माह** से कम। वर्ष में तीन सत्र **केवल परिपाटी** है। **सत्रावसान** (राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह पर) सत्र को समाप्त करता है; **विघटन** लोक सभा को समाप्त करता है।
11. **तारांकित** प्रश्न = मौखिक उत्तर + अनुपूरक प्रश्न; **अतारांकित** = लिखित उत्तर, अनुपूरक प्रश्न नहीं। **शून्यकाल** (1962) नियमों में नहीं है।
12. **स्थगन प्रस्ताव** और **अविश्वास प्रस्ताव**: केवल लोक सभा में, **50 सदस्य**; अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं, यह संविधान में नहीं है; **निंदा प्रस्ताव** में कारण बताने ही होते हैं।
13. **अनु. 105** विशेषाधिकार; **सीता सोरेन (Sita Soren) (2024)**: मत देने या बोलने के लिए रिश्वत पर कोई उन्मुक्ति नहीं। **अनु. 120**: हिंदी या अंग्रेज़ी, पीठासीन अधिकारी की अनुमति से मातृभाषा।

संसद: राष्ट्रपति और दो सदन

अनु. 79

भाग V

संसद में राष्ट्रपति

द्विसदनीय

संविधान सदन

भारत ने ब्रिटेन का यह विचार अपनाया कि राष्ट्र का प्रमुख विधायिका का अंग होता है: ब्रिटेन में इसे 'King in Parliament' (संसद में सम्राट) कहते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, और केवल राष्ट्रपति ही सदनों का सत्र आहूत कर सकता है। इसीलिए संविधान **राष्ट्रपति को संसद का अंग** मानता है, यद्यपि वह उसमें न बैठता है, न मत देता है।

★★★ **अनुच्छेद 79**: संसद **राष्ट्रपति** और दो सदनों से मिलकर बनती है: **राज्य सभा (Council of States)** और **लोक सभा (House of the People)**।

★★★ **राष्ट्रपति अंग है, सदस्य नहीं**: वह किसी सदन में नहीं बैठता और उसका कोई मत नहीं होता, पर वह सदनों को **आहूत करता और उनका सत्रावसान करता** है, लोक सभा का **विघटन** करता है, उन्हें **संबोधित** करता है, विधेयकों पर **अनुमति** देता है और जब सदन सत्र में न हों तब **अध्यादेश** जारी करता है (अनु. 123)।

★★ **संविधान में कहाँ**: भाग V (संघ), अध्याय II, **अनुच्छेद 79 से 122**: गठन (79 से 84), सत्र (85 से 88), पदाधिकारी (89 से 98), कार्य संचालन (99 से 100), निरर्हताएँ (101 से 104), शक्तियाँ और विशेषाधिकार (105 से 106), विधायी प्रक्रिया (107 से 122)।

★★ **द्विसदनीय (Bicameral)**: राज्य सभा **राज्यों** का प्रतिनिधित्व करती है (उच्च सदन, कभी विघटित नहीं होती); लोक सभा **जनता** का प्रतिनिधित्व करती है (निम्न सदन, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, और सरकार इसी के प्रति उत्तरदायी है)।

★ **हिंदी नाम 1954** में अपनाए गए: Council of States के लिए 'राज्य सभा' और House of the People के लिए 'लोक सभा'।

★★ **पहली संसद**: पहले आम चुनाव (25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952) के बाद राज्य सभा का गठन **3 अप्रैल 1952** को हुआ; दोनों सदनों की पहली बैठक **13 मई 1952** को हुई।

★ **पुराना संसद भवन**: **एडविन लुटियंस (Edwin Lutyens) और हर्बर्ट बेकर (Herbert Baker)** द्वारा अभिकल्पित वृत्ताकार भवन, जो **18 जनवरी 1927** को खुला; सितंबर 2023 में इसका नाम **संविधान सदन** रखा गया।

★★ **नया संसद भवन**: **28 मई 2023** को उद्घाटन; सदन **19 सितंबर 2023** को वहाँ गए। लोक सभा कक्ष में **888** सीटें, राज्य सभा कक्ष में **384**; संयुक्त बैठक के लिए लोक सभा कक्ष में **1,272** लोग बैठ सकते हैं।

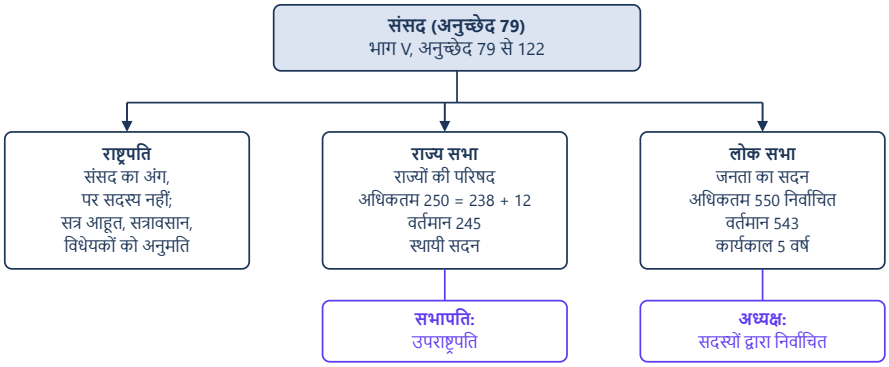

एक चित्र में अनुच्छेद 79: संसद = राष्ट्रपति और दो सदन। सीटों की संख्या संवैधानिक अधिकतम और वर्तमान सदस्य संख्या है (नवंबर 2026)।

नई दिल्ली का पुराना वृत्ताकार संसद भवन (1927 में खुला), जहाँ 1952 से सितंबर 2023 तक संसद बैठी। अब इसे संविधान सदन कहते हैं।
चित्र: David Castor, Wikimedia Commons, public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'संविधान के अनुसार संसद केवल लोक सभा और राज्य सभा से मिलकर बनती है' **गलत** है: अनुच्छेद 79 इसमें **राष्ट्रपति** को भी जोड़ता है। इसी तरह 'राष्ट्रपति संसद में बैठता और मत देता है' भी गलत है: वह अंग है, सदस्य नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद किन तीन से मिलकर बनती है?
2. क्या राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य है?
3. भाग V के कौन-से अनुच्छेद संसद से संबंधित हैं?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा · 2. नहीं: संसद का अंग है, सदस्य नहीं · 3. अनुच्छेद 79 से 122

लोक सभा: जनता का सदन

अनु. 81

543 सीटें

104वाँ संशोधन

106वाँ संशोधन

अनु. 83(2)

लोक सभा जनता का सदन है: हर सदस्य **प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** होता है, और सीटें राज्यों में मोटे तौर पर **जनसंख्या** के आधार पर बाँटी जाती हैं। सरकार को यहाँ बहुमत बनाए रखना होता है, इसलिए यही सदन सरकारें बनाता और गिराता है।

★★★ **अधिकतम सदस्य संख्या (अनु. 81)**: **550 निर्वाचित** सदस्य, राज्यों से अधिकतम **530** और संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) से अधिकतम **20**। **वर्तमान संख्या: 543** (राज्यों से 524 + संघ राज्यक्षेत्रों से 19)।

★★★ **आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indians)**: अनु. 331 के तहत राष्ट्रपति अधिकतम **2** आंग्ल-भारतीयों को नामनिर्दिष्ट कर सकता था (इसलिए पुराना अधिकतम 552 था)। **104वें संशोधन अधिनियम, 2019** (**25 जनवरी 2020** से लागू) ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में यह नामनिर्देशन समाप्त कर दिया।

★★ **अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण (SC/ST reservation)** (अनु. 330, 332) को इसी **104वें संशोधन** ने **25 जनवरी 2030** तक बढ़ाया (अनु. 334)। लोक सभा में अभी आरक्षित सीटें: **84 SC** और **47 ST**।

★★★ **निर्वाचन**: प्रत्यक्ष, **सार्वभौम वयस्क मताधिकार (universal adult franchise)** से (अनु. 326), एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक मत पाने वाले की जीत (first-past-the-post)। मतदान की आयु **61वें संशोधन, 1988** (1989 से लागू) द्वारा **21 से 18** की गई।

★★ **जनसंख्या के अनुसार सीटें**: अनु. 82 हर जनगणना के बाद पुनः समायोजन (readjustment) का उपबंध करता है। प्रत्येक राज्य की सीटें **1971 की जनगणना** पर स्थिर हैं: **42वें संशोधन (1976)** ने इन्हें 2000 तक स्थिर किया, **84वें संशोधन (2001)** ने **2026** के बाद की पहली जनगणना तक। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ 2001 की जनगणना पर फिर से खींची गईं (**87वाँ संशोधन, 2003**; 2008 का परिसीमन)।

★★ **सबसे अधिक सीटें**: उत्तर प्रदेश **80**, महाराष्ट्र **48**, पश्चिम बंगाल **42**, बिहार **40**, तमिलनाडु **39**।

★★★ **महिला आरक्षण**: **106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023** (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा** में **एक-तिहाई** सीटें आरक्षित करता है (अनु. 330A, 332A, 239AA), जिसमें SC/ST सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है, **15 वर्ष** के लिए (अनु. 334A)। यह अधिनियम **16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ**, पर आरक्षित सीटें उस प्रारंभ के बाद हुई **पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन** के बाद ही शुरू होंगी, इसलिए अभी (नवंबर 2026) कोई सीट आरक्षित नहीं है। यह राज्य सभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं होता।

★★ **संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026**: लोक सभा को **850** सीटों तक बढ़ाने (राज्यों से अधिकतम 815, संघ राज्यक्षेत्रों से 35) और 2011 की जनगणना पर परिसीमन का प्रस्ताव था, ताकि महिला आरक्षण 2029 में शुरू हो सके। यह **17 अप्रैल 2026 को लोक सभा में गिर गया**: पक्ष में 298, विपक्ष में 230, जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम था। अधिकतम संख्या **550** ही रहती है।

★★★ **कार्यकाल (अनु. 83(2))**: पहली बैठक की तिथि से **5 वर्ष**; राष्ट्रपति इसे पहले भी विघटित कर सकता है। **राष्ट्रीय आपात (National Emergency)** के दौरान संसद कानून द्वारा इसे **एक बार में एक वर्ष** बढ़ा सकती है, पर आपात समाप्त होने के बाद **छह माह** से अधिक नहीं।

★★ **कार्यकाल में बदलाव**: **42वें संशोधन (1976)** ने कार्यकाल 6 वर्ष किया; **44वें संशोधन (1978)** ने 5 वर्ष बहाल किया। पाँचवीं लोक सभा (1971 से 1977) ही एकमात्र है जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया।

★ **पहली लोक सभा**: **489** सीटें; पहली बैठक 13 मई 1952 को। वर्तमान लोक सभा **18वीं लोक सभा** है, जिसका गठन जून 2024 में हुआ।

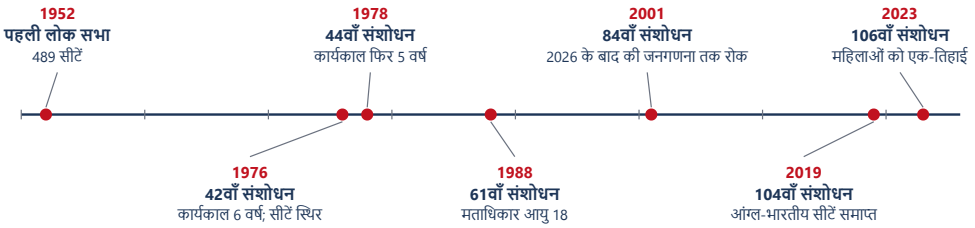

लोक सभा को बदलने वाले पड़ाव। हर बिंदु रेखा पर अपने वर्ष पर है; लेबल फैलाकर रखे गए हैं ताकि पढ़े जा सकें।

याद रखें: 550 = 530 + 20: राज्यों को बड़ी संख्या, संघ राज्यक्षेत्रों को छोटी। आज **543 = 524 + 19**: पुराने जम्मू-कश्मीर राज्य की 6 सीटें 2019 में संघ राज्यक्षेत्र वाले हिस्से में चली गईं (जम्मू-कश्मीर 5, लद्दाख 1)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीय नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं' **पुराना तथ्य** है: नामनिर्देशन **104वें संशोधन** (2019 का अधिनियम, जनवरी 2020 से लागू) से समाप्त हुआ। '104वाँ' वाला विकल्प सही है; '102वाँ' (OBC आयोग) और '103वाँ' (EWS कोटा) भ्रामक विकल्प हैं।

झटपट जाँच

1. लोक सभा की अधिकतम निर्वाचित संख्या और वर्तमान संख्या?
2. किस संशोधन ने आंग्ल-भारतीय नामनिर्देशन समाप्त किया?
3. आपात में लोक सभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर: 1. 550 (530 + 20); 543 · 2. 104वाँ (2019, 25 जनवरी 2020 से लागू) · 3. एक बार में एक वर्ष; आपात समाप्त होने के 6 माह बाद तक ही

राज्य सभा: राज्यों की परिषद

अनु. 80

238 + 12

एकल संक्रमणीय मत (STV)

अनु. 249

अनु. 312

स्थायी सदन

राज्य सभा **राज्यों** की आवाज़ है। इसके सदस्य मतदाता नहीं, निर्वाचित विधायक चुनते हैं, और यह कभी विघटित नहीं होती, इसलिए यह निरंतरता देती है और कानूनों पर दूसरी, शांत नज़र डालती है। अमेरिकी सीनेट (US Senate) के विपरीत, यहाँ राज्यों को बराबर सीटें नहीं मिलतीं: बड़े राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं।

★★★ **अधिकतम संख्या (अनु. 80)**: **250** = राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के **238** प्रतिनिधि + राष्ट्रपति द्वारा **12 नामनिर्दिष्ट**। **वर्तमान: 245** (233 निर्वाचित + 12 नामनिर्दिष्ट)।

★★★ **नामनिर्दिष्ट सदस्य (Nominated members)**: **साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा** का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति (अनु. 80(3))। नामनिर्दिष्ट सदस्य **उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते हैं** पर **राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं**।

★★★ **निर्वाचन**: **राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों** द्वारा, **आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote)** द्वारा (अनु. 80(4))। इसलिए यह **अप्रत्यक्ष** निर्वाचन है। 2003 से मतदान **खुले मतपत्र (open ballot)** से होता है।

★★ **प्रत्येक राज्य की सीटें चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)** में तय हैं, मोटे तौर पर जनसंख्या के अनुसार: उत्तर प्रदेश **31**, महाराष्ट्र **19**, तमिलनाडु **18**, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रत्येक **16**; कई छोटे राज्यों की **1**।

★★★ **संघ राज्यक्षेत्र**: केवल **दिल्ली (3)**, **पुडुचेरी (1)** और **जम्मू-कश्मीर (4)** को राज्य सभा में सीटें हैं; अन्य संघ राज्यक्षेत्रों को नहीं।

★★★ **स्थायी सदन**: विघटन के अधीन नहीं (अनु. 83(1)); **हर दूसरे वर्ष एक-तिहाई** सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य का **6 वर्ष** का कार्यकाल संविधान नहीं, **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951** तय करता है।

★★ **अधिवास आवश्यक नहीं**: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के 2003 के संशोधन के बाद उम्मीदवार को भारत के **किसी भी** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना ही काफ़ी है; **कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (Kuldip Nayar v. Union of India) (2006)** में इसे सही ठहराया गया।

★★★ **अनु. 249**: यदि राज्य सभा **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से संकल्प पारित करे कि यह **राष्ट्रीय हित** में है, तो संसद **राज्य सूची** के किसी विषय पर कानून बना सकती है। संकल्प **एक वर्ष** तक प्रभावी रहता है और कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है।

★★★ **अनु. 312**: राज्य सभा के ऐसे ही संकल्प (उपस्थित और मत देने वालों के दो-तिहाई) से संसद संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित **नई अखिल भारतीय सेवाएँ** सृजित कर सकती है।

★★ **अनु. 67(ख)**: **उपराष्ट्रपति** को हटाने का संकल्प **केवल राज्य सभा में** प्रस्तुत किया जा सकता है (उसके तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत), फिर उस पर लोक सभा की सहमति चाहिए।

★★ **जब लोक सभा विघटित हो**, आपात की उद्घोषणा (अनु. 352, 356 या 360) का अनुमोदन नई लोक सभा की बैठक तक अकेले राज्य सभा करती है।

★★★ **समान शक्तियाँ**: साधारण विधेयक, **संविधान संशोधन विधेयक** (दोनों सदनों को अलग-अलग पारित करना होता है; संयुक्त बैठक नहीं), राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अध्यादेशों और आपात उद्घोषणाओं का अनुमोदन, न्यायाधीशों को पद से हटाना।

★★★ **लोक सभा अधिक शक्तिशाली**: **धन विधेयक** (राज्य सभा केवल 14 दिन के भीतर सिफ़ारिश करती है), **अनुदान की माँगों पर मतदान**, **अविश्वास प्रस्ताव** (मंत्रिपरिषद केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, अनु. 75(3)), **राष्ट्रीय आपात समाप्त** करने का संकल्प, और संयुक्त बैठक में इसकी बड़ी संख्या।

दोनों सदनों की तुलना। संविधान संशोधन में राज्य सभा सचमुच बराबर है: उसके विशेष बहुमत के बिना कोई संशोधन पारित नहीं होता।

लोक सभा और राज्य सभा आमने-सामने ★★★

बिंदु	लोक सभा	राज्य सभा
अनुच्छेद	81	80
अधिकतम / वर्तमान	550 निर्वाचित / 543	250 (238 + 12) / 245
कौन चुनता है	मतदाता प्रत्यक्ष रूप से	निर्वाचित विधायक, एकल संक्रमणीय मत से; 12 नामनिर्दिष्ट
न्यूनतम आयु	25	30
कार्यकाल	5 वर्ष; विघटित हो सकती है	स्थायी; हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त
पीठासीन अधिकारी	अध्यक्ष (सदस्य)	सभापति = उपराष्ट्रपति (सदस्य नहीं)
गणपूर्ति	55	25
विशेष शक्ति	धन विधेयक, अनुदान, अविश्वास प्रस्ताव	अनु. 249, अनु. 312, उपराष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत यहीं

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'नई अखिल भारतीय सेवाएँ सृजित करने में राज्य सभा को लोक सभा के बराबर शक्ति है' **गलत** है: यह शक्ति (अनु. 312) **केवल** राज्य सभा की है। दोनों बराबर हैं **संविधान संशोधन** में। 'राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है' भी गलत है: दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर का है।

☑ झटपट जाँच

1. राज्य सभा: अधिकतम संख्या का विभाजन और वर्तमान संख्या?
2. किन तीन संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य सभा में सीटें हैं?
3. अनु. 249 या अनु. 312 के संकल्प के लिए कौन-सा बहुमत चाहिए?

उत्तर: 1. 250 = 238 + 12 नामनिर्दिष्ट; 245 · 2. दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर · 3. उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई

सदस्य: अर्हताएँ, निरर्हता और सीट का रिक्त होना

अनु. 84

अनु. 102(1)(क)

लाभ का पद

अनु. 103

अनु. 101(4): 60 दिन

संविधान कुछ बुनियादी कसौटियाँ तय करता है कि संसद में कौन बैठ सकता है, और बाकी संसद के अपने कानूनों पर छोड़ देता है। सांसद किसी वेतन वाले पद के लिए सरकार पर निर्भर न हो, वरना सदन उस सरकार पर अंकुश नहीं रख पाएगा: इसीलिए **लाभ का पद (office of profit)** धारण करने के विरुद्ध नियम है।

★★★ **अर्हताएँ (अनु. 84)**: **भारत का नागरिक** हो; **निर्वाचन आयोग (Election Commission)** द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ले; लोक सभा के लिए कम से कम **25 वर्ष** और राज्य सभा के लिए **30 वर्ष** की आयु; संसद द्वारा कानून से निर्धारित कोई अन्य अर्हता।

★★ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यह जोड़ता है**: व्यक्ति किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में **निर्वाचक** के रूप में पंजीकृत हो; SC या ST के लिए आरक्षित सीट से केवल उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

★★★ **निरर्हता (अनु. 102(1))**: (क) संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन **लाभ का पद** धारण करता है (जब तक संसद ने उसे छूट न दी हो); (ख) **विकृतचित्त** है और न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है; (ग) **अनुन्मोचित दिवालिया** है; (घ) **भारत का नागरिक नहीं** है, या उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली है; (ङ) **संसद के कानून** द्वारा निरर्ह है।

★★ **दल-बदल (अनु. 102(2))**: **दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)** (52वाँ संशोधन, 1985) के अधीन निरर्हता का निर्णय **अध्यक्ष या सभापति** करते हैं, जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है (**किहोतो होलोहन (Kihoto Hollohan), 1992**)।

★★★ **अन्य निरर्हताओं का निर्णय कौन करता है (अनु. 103)**: **राष्ट्रपति**, जिसका निर्णय अंतिम है, **निर्वाचन आयोग की राय** के अनुसार।

★★★ **लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं** है। न्यायालय देखते हैं: क्या सरकार नियुक्त करती और हटाती है, वेतन देती है, और पदधारी पर नियंत्रण रखती है? **जया बच्चन बनाम भारत संघ (Jaya Bachchan v. Union of India) (2006)** में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जिस पद से लाभ **मिल सकता** है, वह गिना जाएगा, चाहे वेतन न लिया गया हो।

★★★ **संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम (Parliament (Prevention of Disqualification) Act), 1959** उन पदों की सूची देता है जिनके धारक **निरर्ह नहीं** होते। इसमें **पाँच बार** संशोधन हुआ है; 2006 के संशोधन ने कई पदों को भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी।

★★ **दोषसिद्धि**: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत **2 वर्ष या अधिक** की सज़ा निरर्ह बनाती है। **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (Lily Thomas v. Union of India) (2013)** ने वह खंड रद्द कर दिया जिससे वर्तमान सदस्य अपील के दौरान अपनी सीट पर बने रहते थे।

★★ **निर्वाचन विवाद**: किसी सांसद के निर्वाचन से जुड़े विवाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्वाचन याचिका के रूप में **उच्च न्यायालय** में जाते हैं, अपील उच्चतम न्यायालय में; निर्वाचन आयोग इनकी सुनवाई नहीं करता।

★★★ **सीट रिक्त होना (अनु. 101)**: दोनों सदनों की सदस्यता (व्यक्ति को एक चुनना होगा; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 10 दिन में चुनाव न करने पर राज्य सभा की सीट रिक्त हो जाती है); संसद और किसी राज्य विधानमंडल दोनों की सदस्यता (**14 दिन** के भीतर राज्य की सीट छोड़नी होगी, वरना संसद की सीट जाती है); निरर्हता; अध्यक्ष या सभापति को **त्यागपत्र** (केवल तभी स्वीकार जब स्वैच्छिक और वास्तविक हो)।

★★★ **अनुपस्थिति (अनु. 101(4))**: जो सदस्य सदन की अनुमति के बिना **60 दिन तक सभी बैठकों** से अनुपस्थित रहे, उसकी सीट सदन **रिक्त घोषित** कर सकता है; सत्रावसान के दिन या लगातार चार दिन से अधिक के स्थगन के दिन नहीं गिने जाते। इसलिए 60 दिन कैलेंडर अवधि नहीं हैं: 'दो महीने', 'तीन महीने', 'छह महीने' या 'एक वर्ष' सभी गलत उत्तर हैं।

★★ **शपथ (अनु. 99)**: **राष्ट्रपति** या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची के प्रारूप में। शपथ से पहले, या निरर्ह होते हुए, बैठने या मत देने पर **₹500 प्रतिदिन** का दंड (अनु. 104)।

★ **वेतन**: सदस्यों के वेतन और भत्ते **संसद कानून द्वारा** तय करती है (अनु. 106): संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act), 1954। पेंशन संविधान में नहीं है।

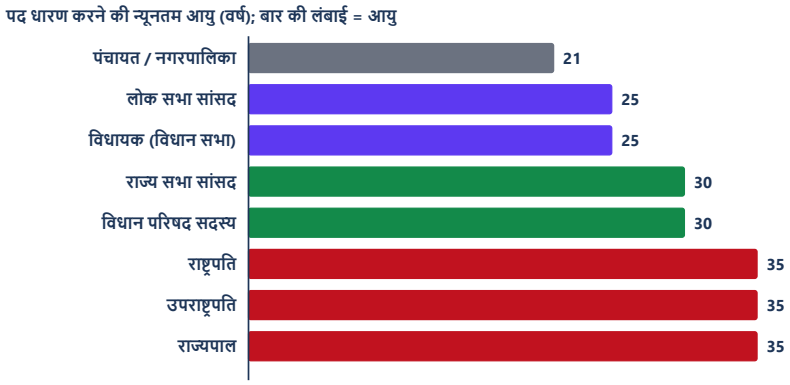

न्यूनतम आयु, पैमाने पर (पट्टी की लंबाई = वर्ष)। लोक सभा और विधान सभा के लिए 25, राज्य सभा और विधान परिषद के लिए 30, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35।

याद रखें: 25, 30, 35: हर सीढ़ी पर पाँच वर्ष चढ़िए: लोक सभा → राज्य सभा → राष्ट्रपति। निम्न सदन युवा, उच्च सदन उससे बड़ा, राष्ट्र का प्रमुख सबसे बड़ा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लाभ का पद शब्द संविधान में भली-भाँति परिभाषित है' **असत्य** है: यह अपरिभाषित है; कसौटियाँ न्यायालयों ने बनाईं। 'सांसद की सीट दो, तीन या छह महीने, या एक वर्ष की लगातार अनुपस्थिति के बाद रिक्त घोषित की जा सकती है' भी असत्य है: आँकड़ा सभी बैठकों से **60 दिन** की अनुपस्थिति है, जिसमें सत्रावसान या लगातार चार दिन से अधिक के स्थगन नहीं गिने जाते, और सदन को इसे घोषित करना होता है। यदि हर विकल्प महीनों की कोई संख्या है, तो उत्तर 'इनमें से कोई नहीं' है।

झटपट जाँच

1. अनु. 102(1) का कौन-सा खंड लाभ के पद से संबंधित है?
2. अनु. 102(1) के तहत कोई सांसद निरर्ह है या नहीं, यह कौन तय करता है?
3. कितने दिन की अनुपस्थिति के बाद सीट रिक्त घोषित की जा सकती है?

उत्तर: 1. अनु. 102(1)(क) · 2. राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की राय पर · 3. बिना अनुमति 60 दिन

पीठासीन अधिकारी: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति

अनु. 93
अनु. 94(ग): 14 दिन

अध्यक्ष (Speaker) सदन का अपना प्रमुख है, जिसे उसके सदस्य चुनते हैं और जो केवल उन्हीं के प्रति उत्तरदायी है। आसन को दलगत झगड़ों से ऊपर रखने के लिए अध्यक्ष सामान्य रूप से मत नहीं देता, केवल मत बराबर होने पर देता है,

अनु. 96

निर्णायक मत

कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम)

अनु. 89

और उसे केवल सदन ही हटा सकता है।

★★★ **निर्वाचन (अनु. 93)**: लोक सभा 'यथाशक्य शीघ्र' अपने **ही दो सदस्यों** को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि **राष्ट्रपति** तय करता है; उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि **अध्यक्ष**।

★★★ **पद छोड़ना (अनु. 94)**: (क) सदस्य नहीं रहता; (ख) लिखित **त्यागपत्र** देता है: अध्यक्ष **उपाध्यक्ष** को लिखता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को; (ग) लोक सभा के **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित संकल्प द्वारा **हटाया** जाता है, जो कम से कम **14 दिन की सूचना** के बाद प्रस्तुत हो।

★★★ **विघटन के बाद** अध्यक्ष नई लोक सभा की **पहली बैठक से ठीक पहले** तक पद **नहीं** छोड़ता।

★★★ **अपने हटाए जाने की चर्चा के दौरान (अनु. 96)**: अध्यक्ष **पीठासीन नहीं हो सकता**, पर **बोल सकता** है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, और **प्रथमतः मत दे सकता** है; उस पर उसका **निर्णायक मत नहीं** होता।

★★★ **निर्णायक मत (Casting vote) (अनु. 100(1))**: पीठासीन अधिकारी प्रथमतः मत नहीं देता; केवल **मत बराबर** होने पर मत देता है।

★★★ **शक्तियाँ**: कोई विधेयक **धन विधेयक** है, इस पर उसका प्रमाणपत्र अंतिम है (अनु. 110(3)); **संयुक्त बैठक** की अध्यक्षता करता है (अनु. 118(4)); **दल-बदल** के मामले तय करता है (दसवीं अनुसूची); गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित या निलंबित कर सकता है; सदन के नियमों और प्रक्रिया का अंतिम व्याख्याकार है; किसी सदस्य को **मातृभाषा** में बोलने दे सकता है (अनु. 120)।

★★ **समितियाँ**: अध्यक्ष लोक सभा की सभी समितियों के सभापति नियुक्त करता है और स्वयं **कार्य मंत्रणा समिति**, **नियम समिति** और **सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee)** का सभापति होता है।

★★ **दल से संबंध**: संविधान अध्यक्ष से दल से त्यागपत्र देने की अपेक्षा **नहीं** करता। निर्वाचित होने पर दल छोड़ने वाले अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची संरक्षण देती है। (ब्रिटेन में अध्यक्ष परिपाटी से दलनिरपेक्ष होता है।)

★★ **वेतन**: संसद तय करती है और यह **संचित निधि पर भारित** है (अनु. 97), इसलिए हर वर्ष इस पर मतदान नहीं होता। पूर्वता क्रम (order of precedence) में अध्यक्ष **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** के बराबर है, कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर।

★★ **कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)**: **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त, प्रायः सबसे वरिष्ठ सदस्य, जो नई लोक सभा की **पहली बैठक** की अध्यक्षता करता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है और अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है (2024: भर्तृहरि महताब (Bhartruhari Mahtab))।

★★ **सभापति तालिका (Panel of chairpersons)**: अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकतम **10** सदस्य, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित होने पर पीठासीन होते हैं। जब ये पद **रिक्त** हों तब वे पीठासीन नहीं हो सकते; तब राष्ट्रपति किसी सदस्य को नियुक्त करता है।

★★★ **उपाध्यक्ष**: अध्यक्ष के **अधीनस्थ नहीं**; सदन के प्रति उत्तरदायी। पीठासीन होने पर उसके पास **अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ** होती हैं और उसके निर्णयों के विरुद्ध **कोई अपील नहीं** होती। अध्यक्ष की तरह सदस्यों द्वारा प्रस्तुत और समर्थित प्रस्ताव पर निर्वाचित; किसी समिति का सदस्य बनाए जाने पर वह उसका सभापति बन जाता है।

★★ **विपक्ष से उपाध्यक्ष** एक **परिपाटी** है, **नियम नहीं**, न ही संवैधानिक अपेक्षा। यह पद 17वीं लोक सभा (2019 से 2024) में पूरे समय और 18वीं में भी रिक्त रहा।

★★ **इतिहास**: ये पद **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act), 1919** के तहत (1921) शुरू हुए: केंद्रीय विधान सभा के पहले अध्यक्ष (President) **फ्रेडरिक व्हाइट (Frederick Whyte)** और पहले उपाध्यक्ष (Deputy President) **सच्चिदानंद सिन्हा (Sachchidananda Sinha)**; **विट्ठलभाई पटेल (Vithalbhai Patel)** (1925) निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय। **जी.वी. मावलंकर (G.V. Mavalankar)** लोक सभा के पहले अध्यक्ष, **एम. अनंतशयनम अय्यंगार (M. Ananthasayanam Ayyangar)** पहले उपाध्यक्ष, **मीरा कुमार (Meira Kumar)** (2009) पहली महिला अध्यक्ष।

★★ **वर्तमान (नवंबर 2026)**: **ओम बिरला (Om Birla)**, 17वीं और 18वीं लोक सभा के अध्यक्ष (जून 2024 में पुनः निर्वाचित)। उन्हें हटाने का विपक्ष का संकल्प **11 मार्च 2026 को ध्वनि मत से गिर गया**; किसी अध्यक्ष को कभी हटाया नहीं गया।

★★★ **राज्य सभा का सभापति (Chairman)**: पदेन **उपराष्ट्रपति** (अनु. 64, 89); सदन का **सदस्य नहीं**; केवल निर्णायक मत। जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाने के संकल्प पर विचार हो रहा हो, वह **पीठासीन नहीं हो सकता** (अनु. 92); बोल सकता है पर उसका **कोई मत नहीं** होता। **12 सितंबर 2025** से: **सी.पी. राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan)** (जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के 21 जुलाई 2025 को त्यागपत्र देने के बाद)।

★★ **उपसभापति (Deputy Chairman)**: राज्य सभा अपने सदस्यों में से चुनती है; त्यागपत्र सभापति को; अध्यक्ष की तरह हटाया जाता है (तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत, 14 दिन की सूचना)। **हरिवंश (Harivansh)** 17 अप्रैल 2026 को **तीसरी बार** निर्वाचित हुए, यह पद संभालने वाले पहले नामनिर्दिष्ट सदस्य। सभापति एक **उपसभाध्यक्ष तालिका (panel of vice-chairpersons)** भी नामित करता है।

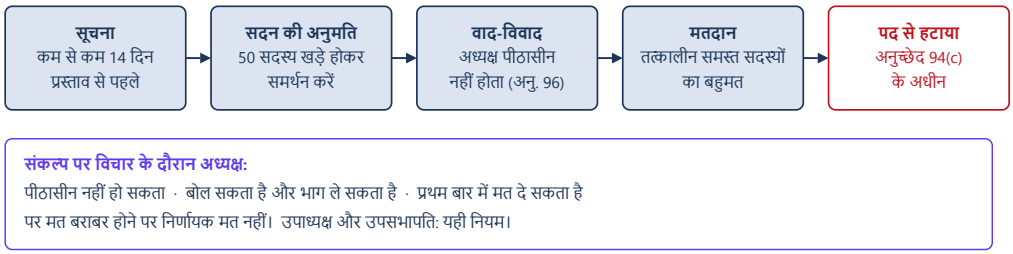

अनुच्छेद 94(ग) के तहत अध्यक्ष को हटाना। 50 सदस्यों वाला चरण लोक सभा के नियमों से आता है; 14 दिन की सूचना और 'तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत' संविधान से।

अध्यक्ष और सभापति की तुलना ★★★

बिंदु	अध्यक्ष (लोक सभा)	सभापति (राज्य सभा)
कौन	सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य	पदेन उपराष्ट्रपति
सदन का सदस्य?	हाँ	नहीं
पद से हटाना	लोक सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत, 14 दिन की सूचना	केवल उपराष्ट्रपति पद से हटाकर (राज्य सभा से शुरू)
मत	केवल निर्णायक मत	केवल निर्णायक मत
धन विधेयक प्रमाणित करता है	हाँ, अंतिम	नहीं
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता	हाँ	नहीं

याद रखें: त्यागपत्र उप को जाता है: अध्यक्ष → उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष → अध्यक्ष; सभापति (उपराष्ट्रपति के रूप में) → राष्ट्रपति, उपसभापति → सभापति। लोक सभा के आसन से कोई भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देता।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** तीन प्रिय असत्य कथन: अध्यक्ष 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है' (नहीं: उसे केवल सदन हटाता है); 'निर्वाचन के समय सदस्य होना आवश्यक नहीं, पर छह माह में बनना होगा' (नहीं: सदस्यों में से ही चुना जाता है; छह माह का नियम मंत्रियों के लिए है); 'निर्वाचन पर दल से त्यागपत्र देना होगा' (ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं)। इनके साथ प्रायः दिया जाने वाला **सत्य** कथन: उसका **त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित** होता है। इसलिए 'राष्ट्रपति का प्रसादपर्यंत, छह माह, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र' वाले समूह में केवल अंतिम कथन सही है।

☑ झटपट जाँच

1. लोक सभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
2. अध्यक्ष को हटाने के लिए कौन-सा बहुमत और कितनी सूचना चाहिए?
3. अपने हटाए जाने की चर्चा के दौरान क्या अध्यक्ष पीठासीन हो सकता है, बोल सकता है, मत दे सकता है?

उत्तर: 1. उपाध्यक्ष को · 2. तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत; 14 दिन की सूचना · 3. पीठासीन नहीं हो सकता; बोल सकता है; प्रथमतः मत देता है, निर्णायक मत नहीं

नेता, सचेतक, गणपूर्ति और भाषा

सदन का नेता

विपक्ष का नेता: दसवाँ भाग

1969

सचेतक

अनु. 100(3)

अनु. 120

संसद का अधिकांश कामकाज संविधान से नहीं, नियमों और परिपाटियों से चलता है। विपक्ष का नेता और सचेतक इसके अच्छे उदाहरण हैं: दोनों रोज़ के काम में केंद्रीय हैं, फिर भी संविधान में किसी का उल्लेख नहीं है।

★★ **सदन का नेता (Leader of the House)**: लोक सभा में **प्रधानमंत्री** (यदि सदस्य हो); राज्य सभा में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री (जून 2024 से **जे.पी. नड्डा (J.P. Nadda)**)।

★★★ **विपक्ष का नेता (Leader of the Opposition, LoP)**: सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, जिसके पास सदन की कम से कम **दसवाँ भाग** सीटें हों (लोक सभा में **55**)। दसवें भाग की कसौटी अध्यक्ष की प्रथा है, कानून नहीं।

★★★ **मान्यता का इतिहास**: लोक सभा में पहले विपक्ष के नेता को **1969** में मान्यता मिली (**राम सुभग सिंह (Ram Subhag Singh)**)। **संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम (Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act), 1977** ने इस पद को वैधानिक दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और सुविधाओं के साथ। यह पद **संविधान में नहीं** है।

★★ **कोई विपक्ष का नेता नहीं**: 16वीं और 17वीं लोक सभा (2014 से 2024) में किसी दल के पास 55 सीटें नहीं थीं। **राहुल गांधी (Rahul Gandhi)** जून 2024 में विपक्ष के नेता बने। राज्य सभा में **मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge)** विपक्ष के नेता हैं (पुनः निर्वाचन के बाद 26 जून 2026 से फिर मान्यता)।

★★ **पहली लोक सभा में** सबसे बड़ा विपक्षी दल **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party of India)** था (16 सीटें)। स्वतंत्र पार्टी (Swatantra Party) की स्थापना तो 1959 में जाकर हुई थी।

★★ **चयन समितियों में विपक्ष का नेता**: सीबीआई (CBI) निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, लोकपाल, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त (2023 का अधिनियम)।

★★ **सचेतक (Whip)**: दल का वह पदाधिकारी जो देखता है कि सदस्य उपस्थित रहें और दल की नीति के अनुसार मत दें। यह पद **न संविधान में, न सदन के नियमों में, न किसी कानून में** है; यह परिपाटी पर टिका है। दल के निर्देश के विरुद्ध मत देने पर दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता हो सकती है।

★★★ **गणपूर्ति (Quorum) (अनु. 100(3))**: पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का **दसवाँ भाग**: लोक सभा में **55**, राज्य सभा में **25**। इसके बिना पीठासीन अधिकारी को बैठक स्थगित या निलंबित करनी होती है।

★★ **मतदान (अनु. 100(1))**: प्रश्नों का निर्णय **उपस्थित और मत देने वाले** सदस्यों के बहुमत से होता है; मत बराबर होने पर पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत।

★★★ **भाषा (अनु. 120)**: कार्य **हिंदी या अंग्रेज़ी** में होता है; जो सदस्य इनमें से किसी में अपनी बात पर्याप्त रूप से नहीं कह सकता, उसे पीठासीन अधिकारी उसकी **मातृभाषा** में बोलने दे सकता है।

★★ **अनु. 88**: हर **मंत्री** और **महान्यायवादी (Attorney General)** किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और जिस समिति में उनका नाम हो उसमें बोल सकते हैं, पर सदस्य न हों तो वहाँ **मत नहीं दे सकते**। महान्यायवादी कभी मत नहीं देता।

★★★ **सचिवालय (अनु. 98)**: हर सदन का **अपना अलग सचिवालय** है। संसद कानून से भर्ती का विनियमन कर सकती है; जब तक ऐसा न करे, कर्मचारियों की भर्ती के नियम **राष्ट्रपति, अध्यक्ष से परामर्श के बाद** (या सभापति से) बनाता है।

★★ **प्रक्रिया के नियम (अनु. 118)**: हर सदन अपने नियम बनाता है। **अनु. 121**: उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय उसे हटाने के प्रस्ताव के।

★ **लेम-डक सत्र (Lame-duck session)**: नई लोक सभा के निर्वाचन के बाद निवर्तमान लोक सभा का अंतिम सत्र; जो सदस्य दोबारा नहीं चुने गए वे 'लेम डक' कहलाते हैं।

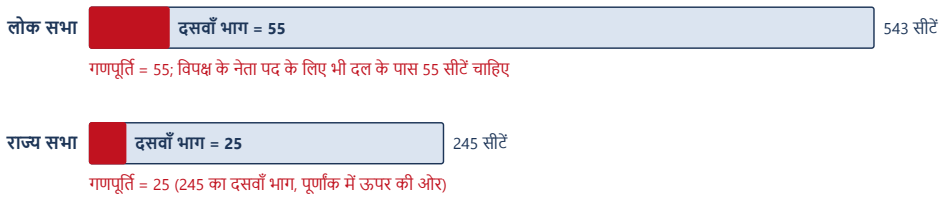

दसवाँ भाग, पैमाने पर: 543 में से 55 सीटें लोक सभा की गणपूर्ति हैं और उतनी ही सीटें किसी दल को चाहिए ताकि उसके नेता को विपक्ष के नेता की मान्यता मिले; 245 में से 25 राज्य सभा की गणपूर्ति है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'किसी दल के नेता को विपक्ष का नेता बनने के लिए 75 सदस्य चाहिए' **असत्य** है: कसौटी दसवाँ भाग, अर्थात **55** है। 'विपक्ष के नेता को पहली बार 1969 में मान्यता मिली' **सत्य** है। 'लोक सभा सचिवालय में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) करता है' असत्य है: नियम **राष्ट्रपति, अध्यक्ष से परामर्श के बाद** बनाता है (अनु. 98)।

☑ झटपट जाँच

1. लोक सभा और राज्य सभा की गणपूर्ति?
2. लोक सभा में विपक्ष के नेता को पहली बार किस वर्ष मान्यता मिली?
3. कौन-सा अनुच्छेद सदस्य को मातृभाषा में बोलने देता है?

उत्तर: 1. 55 और 25 (दसवाँ भाग) · 2. 1969 · 3. अनुच्छेद 120

सत्र: आहूत करना, स्थगन, सत्रावसान, विघटन

अनु. 85

छह माह

अनिश्चित काल के लिए स्थगन

सत्रावसान

विघटन

अनु. 87

संसद लगातार नहीं बैठती। राष्ट्रपति उसे आहूत करता है, पीठासीन अधिकारी दिन-प्रतिदिन उसे रोकता है, और राष्ट्रपति हर सत्र को समाप्त करता है। इनमें से हर कार्य का कर्ता अलग है और प्रभाव भी अलग, और परीक्षा यही जाँचती है।

★★★ **आहूत करना (Summoning) (अनु. 85)**: **राष्ट्रपति** हर सदन को ऐसे **समय और स्थान** पर बैठक के लिए आहूत करता है जो वह ठीक समझे। एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच **छह माह** से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, इसलिए संसद को **वर्ष में कम से कम दो बार** मिलना ही होता है।

★★★ **वर्ष में तीन सत्र** (बजट: फरवरी से मई; मानसून: जुलाई से सितंबर; शीतकालीन: नवंबर से दिसंबर) एक **परिपाटी** है, संवैधानिक नियम नहीं। बैठक के दिनों की **कोई न्यूनतम संख्या नहीं** है।

★★ **स्थगन (Adjournment)**: बैठक को घंटों, दिनों या सप्ताहों के लिए रोकता है; **पीठासीन अधिकारी** का आदेश। इससे सत्र समाप्त नहीं होता।

★★ **अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment sine die)**: दोबारा मिलने का **दिन तय किए बिना** बैठक समाप्त करता है; यह भी **पीठासीन अधिकारी** करता है।

★★★ **सत्रावसान (Prorogation)**: **सत्र** को समाप्त करता है; **मंत्रिपरिषद** की सलाह पर **राष्ट्रपति** का आदेश, प्रायः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद, यद्यपि सत्र में चल रहे सदन का भी सत्रावसान हो सकता है। लंबित **सूचनाएँ व्यपगत** हो जाती हैं (विधेयक पुरःस्थापित करने की सूचनाओं को छोड़कर); **विधेयक व्यपगत नहीं** होते।

★★★ **विघटन (Dissolution)**: **लोक सभा का जीवन** समाप्त करता है (राज्य सभा कभी विघटित नहीं होती)। यह 5 वर्ष पूरे होने पर होता है, या उससे पहले **राष्ट्रपति** करता है, जो असाधारण स्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। फिर नई लोक सभा का निर्वाचन होना ही चाहिए।

★★ **अवकाश (Recess)**: एक सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का अंतराल।

★★ **राष्ट्रपति का अभिभाषण**: वह किसी भी सदन को या दोनों को एक साथ संबोधित कर सकता है और उन्हें संदेश भेज सकता है (**अनु. 86**)। **प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र** और **प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र** के आरंभ में उसे दोनों सदनों को एक साथ **अवश्य** संबोधित करना होता है (**अनु. 87**); फिर सदन **धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)** पर चर्चा करता है।

★ **विशेष सत्र**: सितंबर 2023, जब सदन नए भवन में गए और 106वाँ संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण) पारित किया।

राष्ट्रपति सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है; वर्ष में तीन सत्र केवल परिपाटी है।
स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन: पीठासीन अधिकारी। विघटन: केवल लोक सभा।

एक सामान्य संसदीय वर्ष (सामान्य महीने; तिथियाँ हर वर्ष बदलती हैं)। एकमात्र संवैधानिक नियम यह है कि दो सत्रों के बीच का अंतर छह माह से कम रहे।

कौन क्या समाप्त करता है ★★★

कार्य	कौन करता है	क्या समाप्त होता है	लंबित विधेयक
स्थगन	पीठासीन अधिकारी	बैठक, तय समय के लिए	कोई प्रभाव नहीं
अनिश्चित काल के लिए स्थगन	पीठासीन अधिकारी	बैठक, बिना तिथि तय किए	कोई प्रभाव नहीं
सत्रावसान	राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह पर	सत्र	कोई प्रभाव नहीं (सूचनाएँ व्यपगत)
विघटन	राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह पर, या 5 वर्ष बाद	स्वयं लोक सभा	अधिकांश व्यपगत (अगला अध्याय देखें)

याद रखें: स्कूल का एक दिन सोचिए: शिक्षक आपको थोड़ी देर के विराम के लिए बाहर भेजते हैं (**स्थगन**), घंटी दिन समाप्त करती है और कल की कोई तिथि तय नहीं (**अनिश्चित काल के लिए स्थगन**), प्रधानाचार्य सत्र बंद करते हैं (**सत्रावसान**), और पाँच वर्ष बाद पूरा बैच निकल जाता है और नया बैच आता है (**विघटन**)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'सत्रावसान अकेले सदन का नेता कर सकता है' और 'राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के बिना सत्रावसान करता है' दोनों **गलत** हैं। 'संविधान वर्ष में तीन सत्रों का उपबंध करता है' भी गलत है: केवल छह माह का अंतर संवैधानिक है।

झटपट जाँच

1. दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है?
2. सदन का सत्रावसान कौन करता है, और किसकी सलाह पर?
3. क्या सत्रावसान पर विधेयक व्यपगत होता है?

उत्तर: 1. छह माह (अनु. 85) · 2. राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर · 3. नहीं; केवल लोक सभा के विघटन पर (कुछ मामलों में)

प्रश्न, शून्यकाल और प्रस्ताव

तारांकित / अतारांकित

शून्यकाल 1962

मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनु. 75(3))। प्रश्न, चर्चाएँ और प्रस्ताव वे साधन हैं जिनसे सदन रोज़ यह उत्तरदायित्व लागू करता है, और इनमें सबसे शक्तिशाली, अविश्वास प्रस्ताव, सरकार गिरा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव

अविश्वास: नियम 198

निंदा प्रस्ताव

★★ **प्रश्नकाल (Question Hour)**: बैठक का **पहला घंटा** (लोक सभा में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक), सदन के नियमों से विनियमित।

★★★ **तारांकित प्रश्न (Starred question)** (तारांक चिह्न लगा हुआ): **मौखिक उत्तर** चाहिए, और **अनुपूरक प्रश्न** पूछे जा सकते हैं। **अतारांकित प्रश्न (Unstarred question)**: **लिखित उत्तर** मिलता है; **अनुपूरक प्रश्न नहीं**।

★★ **अल्प सूचना प्रश्न (Short notice question)**: तात्कालिक लोक महत्त्व के विषय पर, **10 दिन से कम** की सूचना पर पूछा जाता है और मौखिक उत्तर मिलता है। किसी **गैर-सरकारी सदस्य** से भी उसके भारसाधन वाले विधेयक या संकल्प के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

★★★ **शून्यकाल (Zero Hour)**: प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है; सदस्य **बिना पूर्व सूचना** के विषय उठाते हैं। **1962** से प्रचलित एक **भारतीय नवाचार**; यह प्रक्रिया के **नियमों में नहीं** है।

★★ **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling attention motion)**: किसी तात्कालिक विषय पर मंत्री का ध्यान खींचता है और आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करता है; **1954** से एक भारतीय नवाचार, और शून्यकाल के विपरीत यह नियमों में **है**।

★★★ **स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion)**: **तात्कालिक लोक महत्त्व के किसी निश्चित विषय** पर चर्चा के लिए दिन का कार्य रोक देता है; **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए; **केवल लोक सभा में** (राज्य सभा में नहीं); इसमें निंदा का तत्व होता है; चर्चा कम से कम ढाई घंटे चलती है।

★★★ **अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion)**: लोक सभा के नियमों के **नियम 198** के तहत; **संविधान में उल्लेख नहीं** (इसका आधार अनु. 75(3) है)। **केवल लोक सभा में** प्रस्तुत, **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए, **कारण बताना आवश्यक नहीं**, और यह **पूरी मंत्रिपरिषद** के विरुद्ध होता है। पारित होने पर सरकार को **त्यागपत्र देना ही** होता है।

★★ **पहला अविश्वास प्रस्ताव**: **आचार्य जे.बी. कृपलानी (Acharya J.B. Kripalani)** ने **अगस्त 1963** में नेहरू सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया। सबसे हाल का प्रस्ताव **अगस्त 2023** में आया और गिर गया।

★★★ **निंदा प्रस्ताव (Censure motion)**: **कारण बताना आवश्यक**; **एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद** के विरुद्ध हो सकता है; विशिष्ट नीतियों या कार्यों के लिए लोक सभा में प्रस्तुत। पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना **आवश्यक नहीं**, यद्यपि तब वह सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहेगी। यह अविश्वास प्रस्ताव से **अलग** प्रस्ताव है।

★★ **विश्वास प्रस्ताव (Confidence motion)**: सरकार स्वयं अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत करती है, उदाहरण के लिए जब राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री से ऐसा करने को कहे।

★★ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर **धन्यवाद प्रस्ताव** पारित होना ही चाहिए; इसका गिरना सरकार की हार माना जाता है।

★★ **अन्य साधन**: **व्यवस्था का प्रश्न (point of order)** (सदस्य कहता है कि नियम तोड़े जा रहे हैं; इस पर चर्चा नहीं होती); **आधे घंटे की चर्चा (half-an-hour discussion)** (किसी मौखिक या लिखित उत्तर से उठे विषय पर छोटी चर्चा; यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है); **अल्पकालिक चर्चा (short duration discussion)** (नियम 193, अधिकतम दो घंटे, कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं); लोक सभा में **नियम 377** और राज्य सभा में **विशेष उल्लेख (special mention)** (वे विषय जो अन्यथा नहीं उठाए जा सकते); **विशेषाधिकार प्रस्ताव (privilege motion)** (किसी मंत्री पर विशेषाधिकार हनन का आरोप)।

★ बहस समाप्त करने के **समापन प्रस्ताव (Closure motions)**: साधारण समापन, खंडवार समापन (closure by compartments), **कंगारू समापन (kangaroo closure)** (केवल महत्त्वपूर्ण खंड लिए जाते हैं) और **गिलोटिन (guillotine)** (बिना चर्चा वाले खंड तय समय पर मतदान के लिए रखे जाते हैं)।

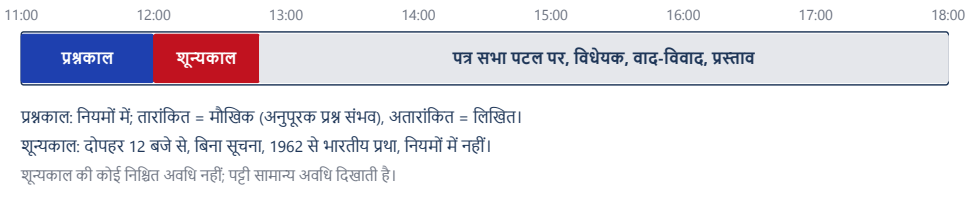

लोक सभा की एक बैठक: पहले प्रश्नकाल, फिर दोपहर 12 बजे से शून्यकाल, फिर सूचीबद्ध कार्य।

सरकार की परीक्षा लेने वाले तीन प्रस्ताव ★★★

बिंदु	अविश्वास	निंदा	स्थगन
कारण बताने होते हैं?	आवश्यक नहीं	बताने ही होंगे	एक निश्चित तात्कालिक विषय
किसके विरुद्ध	पूरी मंत्रिपरिषद	एक मंत्री, समूह या पूरी मंत्रिपरिषद	सरकार ने विषय को कैसे सँभाला
स्वीकार के लिए समर्थन	50 सदस्य	अध्यक्ष की अनुमति	50 सदस्य
सदन	केवल लोक सभा	लोक सभा	केवल लोक सभा
पारित होने पर	सरकार को त्यागपत्र देना होगा	त्यागपत्र आवश्यक नहीं	निंदा के बराबर; त्यागपत्र नहीं

याद रखें: Star = speak (तारा = बोलना): तारांकित प्रश्न का उत्तर बोलकर दिया जाता है, इसलिए दूसरे सदस्य अनुपूरक प्रश्न लेकर बीच में आ सकते हैं। तारा नहीं, तो बोलना नहीं: उत्तर केवल कागज़ पर।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** परीक्षक परिभाषाएँ आपस में बदल देते हैं: 'अतारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर मिलता है' और 'तारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर मिलता है' **दोनों असत्य** हैं। 'अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता' **सत्य** है। इसलिए उस तीन कथनों वाले समूह में ठीक **एक** कथन सही है। 'शून्यकाल का उपबंध नियमों में है' असत्य है।

झटपट जाँच

1. किस प्रश्न का मौखिक उत्तर अनुपूरक प्रश्नों के साथ मिलता है?
2. अविश्वास प्रस्ताव का उपबंध कहाँ है, और कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए?
3. किस प्रस्ताव में कारण बताने होते हैं: निंदा या अविश्वास?

उत्तर: 1. तारांकित प्रश्न · 2. लोक सभा के नियम (नियम 198), संविधान नहीं; 50 · 3. निंदा प्रस्ताव

संसदीय विशेषाधिकार

अनु. 105

सामूहिक / व्यक्तिगत

40 दिन

सीता सोरेन 2024

अनु. 122

यदि हर भाषण पर न्यायालय में घसीटा जा सके तो विधायिका स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं कर सकती। इसलिए संविधान हर सदन और हर सदस्य को कुछ विशेष अधिकार देता है जिन्हें **विशेषाधिकार (privileges)** कहते हैं। ये संसद के काम की रक्षा करते हैं; ये सामान्य कानून के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत ढाल नहीं हैं।

★★★ **अनु. 105** (संसद) और **अनु. 194** (राज्य विधानमंडल): सदन में **वाक्-स्वातंत्र्य**; संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए सदस्य के विरुद्ध **न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं**; सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किसी सामग्री के लिए कोई दायित्व नहीं।

★★★ **किन्हें मिलते हैं**: सदस्यों को, और उन अन्य लोगों को भी जिन्हें सदन या समिति में बोलने का अधिकार है, जैसे सदस्य न होने वाले **मंत्री** और **महान्यायवादी**। **राष्ट्रपति** को ये **प्राप्त नहीं** हैं, यद्यपि वह संसद का अंग है।

★★★ **गिरफ़्तारी से मुक्ति** केवल **सिविल** मामलों में, सत्र के दौरान और उसके **40 दिन पहले और बाद** तक (सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) की धारा 135A)। **आपराधिक** मामलों या **निवारक निरोध** में **कोई** संरक्षण नहीं।

★★ **सामूहिक विशेषाधिकार** (सदन के): अपनी रिपोर्टें और चर्चाएँ प्रकाशित करना या उनका प्रकाशन रोकना; **गुप्त बैठकें** करना और बाहरी लोगों को बाहर रखना; अपने नियम बनाना; विशेषाधिकार हनन या अवमानना के लिए सदस्यों और बाहरी लोगों को **दंडित** करना (भर्त्सना, चेतावनी, कारावास); किसी सदस्य की गिरफ़्तारी, निरोध या दोषसिद्धि की तुरंत सूचना पाना; पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना उसके परिसर में कोई गिरफ़्तारी या विधिक प्रक्रिया नहीं।

★★ **संहिताबद्ध नहीं**: संसद ने विशेषाधिकारों की सूची देने वाला कोई कानून नहीं बनाया। अनु. 105(3) ने पहले सदस्यों को **ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स (British House of Commons)** के विशेषाधिकार दिए थे; **44वें संशोधन (1978)** ने वह उल्लेख हटा दिया और उसके लागू होने से ठीक पहले सदन के पास जो विशेषाधिकार थे, वे बनाए रखे।

★★★ **सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024)**: **सात न्यायाधीशों की पीठ** ने माना कि मत देने या बोलने के लिए **रिश्वत** लेने वाले सदस्य को अनु. 105 या 194 के तहत **कोई उन्मुक्ति नहीं** है, और **पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) (1998)** का निर्णय पलट दिया।

★★ **राजा राम पाल (Raja Ram Pal) (2007)**: उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न के बदले नकद (cash-for-query) मामले में सांसदों के निष्कासन को सही ठहराया, पर कहा कि न्यायालय जाँच सकते हैं कि किसी विशेषाधिकार का प्रयोग असंवैधानिक ढंग से तो नहीं हुआ।

★★ **अनु. 122**: न्यायालय **प्रक्रिया की किसी अनियमितता** के आधार पर संसद की कार्यवाही की विधिमान्यता पर **प्रश्न नहीं उठा सकते**; प्रक्रिया का विनियमन करने वाले अधिकारी इसके लिए न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

★ **विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges)**: लोक सभा में 15 सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट), राज्य सभा में 10 (सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट); यह विशेषाधिकार हनन की शिकायतों की जाँच करती है।

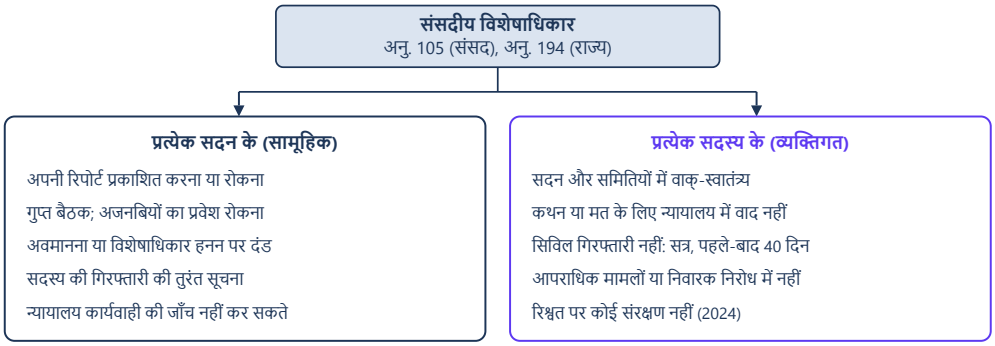

विशेषाधिकार या तो पूरे सदन के होते हैं या हर सदस्य के। दोनों इसलिए हैं कि संसद स्वतंत्र रूप से काम कर सके।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'सत्र के दौरान सांसदों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता' **बहुत व्यापक** कथन है: यह ढाल केवल **सिविल** मामलों पर लागू होती है, आपराधिक आरोपों या निवारक निरोध पर कभी नहीं। 'राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं' असत्य है।

☑ झटपट जाँच

1. गिरफ़्तारी से मुक्ति किन मामलों में, और कितने समय तक?
2. 2024 के किस मामले में मत देने या बोलने के लिए रिश्वत पर उन्मुक्ति नहीं दी गई?
3. कौन-सा अनुच्छेद प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से न्यायालयों को रोकता है?

उत्तर: 1. केवल सिविल मामले; सत्र और उसके 40 दिन पहले और बाद · 2. सीता सोरेन बनाम भारत संघ · 3. अनुच्छेद 122

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (32)

UPSC 2012 भारतीय संसद् में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है?
(a) सार्वजनिक महत्त्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु (b) विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु
(c) किसी अनुदान की माँग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु
(d) कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु
उत्तर: (a) सार्वजनिक महत्त्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु. स्थगन प्रस्ताव सार्वजनिक महत्त्व के किसी निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे को उठाता है

UPSC 2012 निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन-से भारत के संविधान द्वारा राज्य सभा को प्रदत्त किये जाते हैं?
(a) राज्य का वर्तमान राज्यक्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना
(b) संसद् को, राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना
(c) राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी पेंशन निर्धारित करना
(d) चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना
उत्तर: (b) संसद् को, राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना. अनुच्छेद 249: राज्यसभा के संकल्प से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है; अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए राज्यसभा का संकल्प आवश्यक है

UPSC 2012 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता।
2. निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र में है।
3. भारत के संविधान के अनुसार, संसद् में केवल लोक सभा और राज्य सभा होती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) 2 और 3 (c) 1 और 3 (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (d) कोई भी नहीं. अनुच्छेद 79: संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं; दिल्ली और पुदुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है; चुनाव याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है, निर्वाचन आयोग नहीं

UPSC 2012 लोक सभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
2. यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परन्तु उसे अपने निर्वाचन के बाद छः माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा।
3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सम्बोधित करना होगा।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) 1, 2 और 3 (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (b) केवल 3. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों में से होता है; अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र देता है

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. राज्य सभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते।
2. जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद् के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है पर उसका सदस्य नहीं; मनोनीत सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं

UPSC 2014 भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियमों में है, संविधान में नहीं; अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है

UPSC 2017 भारत की संसद् किसके / किनके द्वारा मंत्रिपरिषद् के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है ?
1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्न काल
3. अनुपूरक प्रश्न
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न और स्थगन प्रस्ताव मंत्रियों को उत्तरदायी बनाते हैं; अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है

UPSC 2018 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. पहली लोक सभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतन्त्र पार्टी था ।
2. लोक सभा में "नेता-प्रतिपक्ष" को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी ।
3. लोक सभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता-प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2. लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष को पहली बार 1969 में मान्यता मिली; अध्यक्ष की परिपाटी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए दल के पास लोक सभा का दसवाँ भाग चाहिए

UPSC 2019 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।
2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।
3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1 और 2. संविधान 'लाभ का पद' परिभाषित नहीं करता; इसकी कसौटियाँ न्यायालयों ने विकसित की हैं; संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 सूचीबद्ध पदों को निरर्हता से छूट देता है

UPSC 2020 राज्य सभा की लोक सभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं ?
(a) नई अखिल भारतीय सेवाएँ गठित करने के विषय में (b) संविधान में संशोधन करने के विषय में (c) सरकार को हटाने के विषय में
(d) कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में
उत्तर: (b) संविधान में संशोधन करने के विषय में. संविधान संशोधन प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होना चाहिए; इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती; नई अखिल भारतीय सेवाएँ केवल राज्य सभा के संकल्प से शुरू हो सकती हैं (अनुच्छेद 312)

UPSC 2020 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे, संसद का सत्र आहूत (आह्वान) कर सकता है ।
2. भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीन सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है ।
3. एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3. अनुच्छेद 85: राष्ट्रपति संसद को आहूत करते हैं; दो सत्रों में छह महीने से कम का अंतर हो; वर्ष में तीन सत्र एक परिपाटी है, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं

UPSC 2022 निम्नलिखित में कौन-सी लोक सभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं ?
1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) 1 और 2 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) केवल 3
उत्तर: (b) केवल 2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा पारित कर सकती है; आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन और महाभियोग, दोनों में दोनों सदन भाग लेते हैं

UPSC 2022 लोकसभा के उपाध्यक्ष के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. लोकसभा के कार्य-पद्धति और कार्य-संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे ।
2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से, या शासक दल से, होगा ।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती ।
4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?
(a) केवल 1 और 3 (b) 1, 2 और 3 (c) केवल 3 और 4 (d) केवल 2 और 4
उत्तर: (a) केवल 1 और 3. लोकसभा नियमों के तहत उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख अध्यक्ष तय करता है; विपक्ष से उपाध्यक्ष चुनना परंपरा है, अनिवार्य नियम नहीं; पीठासीन होने पर उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की शक्तियाँ होती हैं; विनिर्णयों पर अपील नहीं होती

UPSC 2024 लोक सभा के अध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
जब लोक सभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब
1. वह पीठासीन नहीं होगा/होगी ।
2. उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा ।
3. वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का/की हक़दार नहीं होगा/होगी ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1. अनुच्छेद 96: हटाने के संकल्प के दौरान अध्यक्ष पीठासीन नहीं हो सकता, पर बोल सकता है; हटाने के संकल्प पर अध्यक्ष प्रथमतः मत दे सकता है, पर निर्णायक मत नहीं

UPSC 2024 भारत के संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रि-परिषद् के परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।
2. सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात् किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है ।
3. लोक सभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रि-परिषद् के परामर्श से किया जाता है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) 1 और 2 (c) 2 और 3 (d) केवल 3
उत्तर: (c) 2 और 3. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदनों का सत्रावसान करते हैं; सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है; विघटन स्वयं लोक सभा को समाप्त करता है

UPSC 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. लोक सभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात् होने वाले लोक सभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।
II. भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, लोक सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा।
III. लोक सभा के अध्यक्ष को लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किन्तु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम-से-कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II (b) केवल II और III (c) केवल I और III (d) I, II और III
उत्तर: (c) केवल I और III. विघटन पर अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक पद पर बना रहता है; अध्यक्ष को 14 दिन की सूचना के बाद सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है; संविधान अध्यक्ष से अपने दल से त्यागपत्र देने की अपेक्षा नहीं करता

UPSC 2026 भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है।
2. तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है।
3. किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?
(a) सभी तीन कथन सही हैं। (b) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। (c) केवल एक कथन सही है।
(d) कोई भी कथन सही नहीं है।
उत्तर: (c) केवल एक कथन सही है।. तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर होता है और उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं; अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर होता है, और उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते

BPSC 60th-62nd एक M.P. की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार _____ की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है ।
(a) 6 माह (b) 2 माह (c) 3 माह (d) एक वर्ष (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक. अनुच्छेद 101(4): बिना अनुमति 60 दिन अनुपस्थित रहने पर सीट रिक्त घोषित की जा सकती है

BPSC 63rd संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है?
(a) 18 वर्ष (b) 21 वर्ष (c) 25 वर्ष (d) 30 वर्ष (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) 25 वर्ष. न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है (अनुच्छेद 84)

BPSC 64th लोक सभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए?
(a) 18 वर्ष (b) 21 वर्ष (c) 25 वर्ष (d) 30 वर्ष (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) 25 वर्ष. अनुच्छेद 84: न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है

BPSC 64th राष्ट्रपति

(a) संसद का हिस्सा नहीं होता है (b) संसद का हिस्सा होता है (c) संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है (d) संसद में वोट दे सकता है (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर: (b) संसद का हिस्सा होता है. संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है (अनुच्छेद 79)

BPSC 67th re-exam लोक सभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं?

(a) 6 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर: (b) 3. परंपरा के अनुसार संसद के तीन सत्र होते हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन; अनुच्छेद 85: दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता

BPSC 68th राज्य सभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं

(a) नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य (b) अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य

(c) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक. राज्य सभा के सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं

BPSC 69th किस/किन अनुच्छेद/अनुच्छेदों के अन्तर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है?

(a) अनुच्छेद 110 (1) (b) अनुच्छेद 122 (2) (c) अनुच्छेद 120 (1) (d) (A) और (B) दोनों

उत्तर: (c) अनुच्छेद 120 (1). अनुच्छेद 120 के तहत पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है; संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाता है

BPSC 70th संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित दो सीटों को समाप्त कर दिया गया ?

(a) 100वाँ (b) 108वाँ (c) 104वाँ (d) 102वाँ

उत्तर: (c) 104वाँ. 104वें संशोधन (2020) ने लोक सभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों का मनोनयन समाप्त किया; 104वें संशोधन ने विधायिकाओं में SC/ST सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ाया

BPSC 70th संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है ?

(a) अनुच्छेद 102 (1) (b) (b) अनुच्छेद 102 (1) (c) (c) अनुच्छेद 102 (1) (a) (d) अनुच्छेद 102 (1) (d)

उत्तर: (c) अनुच्छेद 102 (1) (a). अनुच्छेद 102(1)(a) सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले सांसद को अयोग्य बनाता है; अनुच्छेद 102(1) विकृतचित्तता, दिवालियापन और नागरिकता न रहने पर भी अयोग्य बनाता है

BPSC 70th लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है ?

(a) राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल-भारतीय मनोनीत किए जाते हैं (b) 104वें संविधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है

(c) राष्ट्रपति द्वारा एक आंग्ल-भारतीय मनोनीत किया जाता है (d) वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं

उत्तर: (b) 104वें संविधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है. 104वें संशोधन (2019) ने लोक सभा और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीयों का मनोनयन समाप्त किया

BPSC 70th re-exam लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए ?

(a) 25, 30 एवं 30 (b) 25, 35 एवं 35 (c) 25, 35 एवं 45 (d) 25, 30 एवं 35

उत्तर: (d) 25, 30 एवं 35. न्यूनतम आयु: लोक सभा के लिए 25, राज्य सभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष

BPSC 70th re-exam लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है

(a) दो मताधिकार - एक सामान्य अवधि में और दूसरा समान मत होने पर (b) मतदान का अधिकार नहीं

(c) सदन के अन्य सदस्यों की भाँति मतदान का अधिकार (d) केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार

उत्तर: (d) केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार. अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, पर मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है (अनुच्छेद 100); अपने हटाने के प्रस्ताव पर अध्यक्ष अन्य सदस्यों की तरह मत देता है, पर निर्णायक मत नहीं

BPSC 71st लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है :

(a) प्रधानमंत्री कार्यालय में (b) संघ लोक सेवा आयोग में (c) कर्मचारी चयन आयोग में (d) लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरान्त राष्ट्रपति में

उत्तर: (d) लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरान्त राष्ट्रपति में. अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन को अपना अलग सचिवालय देता है; अनुच्छेद 98: राष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष से परामर्श कर लोक सभा सचिवालय कर्मचारियों के नियम बनाते हैं

BPSC 71st निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1) सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है।
2) स्थगन से सत्रावसान होता है।
3) विघटन सदन को समाप्त करता है।
4) स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है।
इनमें से कौन-सा सही नही है?
(a) 2 तथा 3 (b) 1 तथा 3 (c) केवल 2 (d) केवल 4
उत्तर: (d) केवल 4. राष्ट्रपति सदनों को आहूत करता है, उनका सत्रावसान करता है और लोक सभा का विघटन करता है (अनु. 85); सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है; विघटन लोक सभा का कार्यकाल समाप्त करता है

BPSC 71st निन्दा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है?
(a) यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नही है। (b) यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। (c) इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नही है।
(d) सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नही है।
आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में यह प्रश्न हटा दिया (अंक नहीं दिए गए)।

स्वयं को परखें (12)

1. अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है?
(a) राष्ट्रपति (b) उपराष्ट्रपति (c) लोक सभा (d) राज्य सभा

2. इनमें से किस संघ राज्यक्षेत्र को राज्य सभा में सीटें प्राप्त हैं?
(a) चंडीगढ़ (b) लद्दाख (c) पुडुचेरी (d) लक्षद्वीप

3. अनुच्छेद 249 के अधीन संकल्प के लिए राज्य सभा में कौन-सा बहुमत चाहिए?
(a) उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत (b) कुल सदस्य संख्या का बहुमत (c) उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई
(d) उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई

4. जब उसे हटाने के संकल्प पर विचार हो रहा हो, तब लोक सभा अध्यक्ष:
(a) पीठासीन होता है और उसका निर्णायक मत होता है (b) सदन में बोल नहीं सकता
(c) पीठासीन नहीं हो सकता, पर बोल सकता है और प्रथमतः मत दे सकता है (d) उसे सदन छोड़ना होता है

5. अनुच्छेद 102(1) के आधारों पर किसी सांसद की निरर्हता का निर्णय करता है:
(a) अध्यक्ष या सभापति (b) उच्चतम न्यायालय (c) निर्वाचन आयोग (d) निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति

6. शून्यकाल के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) इसका उपबंध लोक सभा के नियमों में है (b) यह प्रश्नकाल से पहले आता है
(c) यह 1962 में शुरू हुआ और इसके लिए पूर्व सूचना नहीं चाहिए (d) यह तारांकित प्रश्नों तक सीमित है

7. सांसद की गिरफ़्तारी से मुक्ति लागू होती है:
(a) सत्र के दौरान आपराधिक मामलों पर (b) निवारक निरोध पर (c) सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और बाद सिविल मामलों पर
(d) सदस्य रहते हुए सभी मामलों पर

8. लोक सभा में आंग्ल-भारतीयों की 2 सीटें किसके द्वारा समाप्त की गईं?
(a) 102वाँ संशोधन (b) 103वाँ संशोधन (c) 104वाँ संशोधन (d) 106वाँ संशोधन

9. संसद के सदनों का सत्रावसान कौन करता है?
(a) लोक सभा अध्यक्ष (b) राष्ट्रपति (c) प्रधानमंत्री (d) सदन का नेता

10. राज्य सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए अनुच्छेद 312 के अधीन संकल्प को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई की आवश्यकता होती है।
2. सदस्य का छह वर्ष का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83 द्वारा निर्धारित है।
3. नामनिर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. लोक सभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है।
2. अध्यक्ष को हटाने के संकल्प के लिए लोक सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत और कम से कम 14 दिन की सूचना चाहिए।
3. लोक सभा विघटित होते ही अध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

12. 543 सदस्यीय लोक सभा के आम चुनाव के बाद सबसे बड़ा विपक्षी दल 52 सीटें जीतता है। उसका नेता अध्यक्ष से उसे विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने को कहता है। संभावित परिणाम क्या है?
(a) उसे मान्यता देनी ही होगी, क्योंकि संविधान यह पद किसी भी आकार के सबसे बड़े विपक्षी दल को देता है
(b) उसे मान्यता मिलती है, क्योंकि 50 सदस्य पर्याप्त हैं, वही संख्या जो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कराती है
(c) उसे मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि अध्यक्ष की प्रथा में सीटों का दसवाँ भाग, अर्थात 55, चाहिए
(d) उसे मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि 1977 का अधिनियम कम से कम 75 सदस्यों का दल माँगता है

उत्तर: 1. (b) संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है; उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति है, पर न उसका सदस्य है, न संसद का अंग। · 2. (c) केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व है। · 3. (c) अनु. 249 और अनु. 312 के संकल्पों के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई चाहिए। · 4. (c) अनुच्छेद 96: वह पीठासीन नहीं हो सकता, बोल सकता है, प्रथमतः मत देता है, उसका निर्णायक मत नहीं होता। · 5. (d) अनुच्छेद 103; दसवीं अनुसूची के अधीन दल-बदल के मामले इसके बजाय अध्यक्ष या सभापति के पास जाते हैं। · 6. (c) शून्यकाल 1962 से चली आ रही भारतीय प्रथा है, नियमों में नहीं है, और प्रश्नकाल के बाद आता है। · 7. (c) यह विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों पर लागू होता है। · 8. (c) 104वाँ संशोधन अधिनियम, 2019, 25 जनवरी 2020 से लागू। · 9. (b) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्रावसान करता है; पीठासीन अधिकारी केवल स्थगन करते हैं। · 10. (a) अनु. 312 के लिए उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई चाहिए; छह वर्ष का कार्यकाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से आता है, अनु. 83 से नहीं, और नामनिर्दिष्ट सदस्य केवल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते हैं। · 11. (b) 1 और 2 अनु. 94 के उपबंध हैं; विघटन के बाद अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहता है, इसलिए 3 जाल है। · 12. (c) दसवें भाग की कसौटी (543 में से 55) अध्यक्ष की प्रथा है; यह पद संविधान में नहीं है, 50 अविश्वास प्रस्ताव की सीमा है और 75 भ्रामक विकल्प है।

अध्याय 13

विधि-निर्माण, बजट और संसदीय समितियाँ

धन विधेयक (अनुच्छेद 110) और राज्य सभा के 14 दिन, संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108), विघटन पर कौन-से विधेयक व्यपगत होते हैं, तीनों निधियाँ, लेखानुदान बनाम अंतरिम बजट, कटौती प्रस्ताव, तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और अधीनस्थ विधान समिति: ये लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 28 बार पूछा गया: UPSC 22 · BPSC 6

≈ 55 min पढ़ने में ≈ 14 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. **गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private member's bill)** = कोई भी सांसद जो **मंत्री नहीं** है (निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट)। अब तक केवल **14** ही कानून बने हैं, अंतिम **1970** में।
2. साधारण विधेयक (Ordinary bill): प्रत्येक सदन में तीन वाचन; दूसरा सदन उसे पारित, संशोधित या अस्वीकार कर सकता है, या उसे रोके रख सकता है। गतिरोध (अस्वीकृति, संशोधनों पर असहमति, या **6 महीने**) → **संयुक्त बैठक**।
3. **संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)**: **राष्ट्रपति** द्वारा आहूत, **लोक सभा अध्यक्ष** की अध्यक्षता में, **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत** से निर्णय। **धन विधेयक** या **संविधान संशोधन विधेयक** के लिए कभी नहीं। केवल **1961, 1978, 2002** में हुई।
4. **धन विधेयक (अनुच्छेद 110)**: केवल सूचीबद्ध कर, उधार और **संचित निधि** संबंधी विषय; **अध्यक्ष का प्रमाणपत्र अंतिम**; केवल **लोक सभा** में, **राष्ट्रपति की सिफारिश** पर पेश होता है।
5. **अनुच्छेद 109**: राज्य सभा धन विधेयक को न संशोधित कर सकती है, न अस्वीकार; उसे **14 दिन** के भीतर सिफारिशों के साथ लौटाना होता है, जिन्हें लोक सभा **स्वीकार या अस्वीकार** कर सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को लौटा नहीं सकते।
6. हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, पर हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं। **वित्तीय विधेयक (अनुच्छेद 117)**: राज्य सभा इन्हें संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, और संयुक्त बैठक संभव है।
7. **सत्रावसान (Prorogation) से कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता। विघटन** पर लोक सभा में लंबित विधेयक, या लोक सभा द्वारा पारित होकर राज्य सभा में लंबित विधेयक, व्यपगत हो जाता है; केवल राज्य सभा में लंबित विधेयक, अनुमति की प्रतीक्षा वाला विधेयक, या संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचित विधेयक बना रहता है।
8. **संचित निधि (अनुच्छेद 266(1))**: सारा राजस्व और ऋण; **विनियोग विधि** (अनुच्छेद 114) के बिना इससे कुछ नहीं निकाला जा सकता। **लोक लेखा (अनुच्छेद 266(2))**: विनियोग आवश्यक नहीं। **आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)**: राष्ट्रपति का अग्रदाय, **₹30,000 करोड़**।
9. **अनुच्छेद 112**: राष्ट्रपति **वार्षिक वित्तीय विवरण** को **दोनों सदनों** के समक्ष रखवाते हैं; 'बजट' शब्द संविधान में नहीं है। इसे **आर्थिक कार्य विभाग** (बजट प्रभाग) तैयार करता है।
10. **अनुदान की माँगों** पर मतदान **केवल लोक सभा** करती है (अनुच्छेद 113), और **राष्ट्रपति की सिफारिश** के बिना कोई माँग नहीं; 2022-23 से हर बजट में **102** माँगें। **कटौती प्रस्ताव**: नीति अनुमोदन कटौती (₹1), मितव्ययिता कटौती (एक बताई गई राशि), सांकेतिक कटौती (₹100)।
11. **लेखानुदान (अनुच्छेद 116)** = केवल व्यय, वर्ष के एक भाग के लिए; **अंतरिम बजट** = प्राप्तियों और व्यय का पूरा विवरण। कोई भी सरकार लेखानुदान ले सकती है।
12. **लोक लेखा समिति (PAC)**: 22 (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों** की जाँच करती है; **प्राक्कलन समिति**: 30, सभी लोक सभा से; **सरकारी उपक्रम समिति**: 22। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते।
13. **विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs)**: 24, प्रत्येक में 31 (21 + 10)। **अधीनस्थ विधान** समिति प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन बने नियमों की जाँच करती है। **अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति**: 30 (20 + 10), इसके सभापति को **लोक सभा अध्यक्ष** नियुक्त करते हैं।

विधेयकों के प्रकार

सरकारी विधेयक

गैर-सरकारी सदस्य विधेयक

धन विधेयक

वित्तीय विधेयक

अनु. 368

विधेयक (Bill) कानून का प्रारूप है। संसद में उसका रास्ता दो बातें तय करती हैं: उसे **कौन** लाता है (मंत्री या सामान्य सदस्य) और उसमें **क्या** है (धन संबंधी विषय या नहीं)। धन संबंधी विषय लोक सभा के पास रहते हैं, क्योंकि कर लगाने और खर्च करने वाली सरकार उसी सदन के प्रति उत्तरदायी है।

★★ **सरकारी विधेयक (Government bill)**: **मंत्री** द्वारा पेश; सरकार की नीति बताता है; **7 दिन** की सूचना आवश्यक; मंत्रालय विधि मंत्रालय के साथ मिलकर इसका प्रारूप बनाता है। लोक सभा में इसकी हार सरकार में विश्वास खोने के बराबर हो सकती है।

★★★ **गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private member's bill)**: **कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है**, चाहे निर्वाचित हो या नामनिर्दिष्ट, इसे पेश कर सकता है; **एक महीने** की सूचना आवश्यक; **शुक्रवार** को (बैठक के उत्तरार्ध में) लिया जाता है; इसके अस्वीकृत होने का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

★★★ 1952 से अब तक **केवल 14 गैर-सरकारी सदस्य विधेयक** कानून बने हैं; अंतिम था **उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपीली अधिकारिता का विस्तार) अधिनियम, 1970 (Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Act)**। 2015 में राज्य सभा ने तिरुचि शिवा (Tiruchi Siva) का उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक (Rights of Transgender Persons Bill) पारित किया, जो चार दशकों से अधिक समय में उसके द्वारा पारित पहला गैर-सरकारी विधेयक था, पर लोक सभा ने इसे पारित नहीं किया।

★★ **विषय-वस्तु के आधार पर चार प्रकार: साधारण विधेयक**; **धन विधेयक** (अनुच्छेद 110); **वित्तीय विधेयक** (अनुच्छेद 117(1) और 117(3)); **संविधान संशोधन विधेयक** (अनुच्छेद 368)।

★★ **संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional amendment bill)**: किसी भी सदन में शुरू हो सकता है; प्रत्येक सदन में अलग-अलग **विशेष बहुमत (Special majority)** आवश्यक; संयुक्त बैठक नहीं; राष्ट्रपति को **अनुमति देनी ही होती है** (**24वाँ संशोधन, 1971**)।

चार प्रकार के विधेयकों की तुलना ★★★

बिंदु	साधारण	धन (अनु. 110)	वित्तीय (अनु. 117)	संशोधन (अनु. 368)
कहाँ पेश होता है	किसी भी सदन में	केवल लोक सभा	117(1): केवल लोक सभा; 117(3): किसी भी सदन में	किसी भी सदन में
राष्ट्रपति की सिफारिश	आवश्यक नहीं	पेश करने के लिए आवश्यक	117(1): पेश करने के लिए; 117(3): विचार किए जाने से पहले	आवश्यक नहीं
राज्य सभा की शक्ति	पारित, संशोधित, अस्वीकार या विलंब	केवल सिफारिश, 14 दिन के भीतर	पूर्ण: संशोधन या अस्वीकार	समान; विशेष बहुमत से पारित करना होगा
संयुक्त बैठक	संभव	कभी नहीं	संभव	कभी नहीं
राष्ट्रपति	अनुमति, अनुमति रोकना, या एक बार लौटाना	अनुमति या अनुमति रोकना; लौटा नहीं सकते	अनुमति, अनुमति रोकना, या एक बार लौटाना	अनुमति देनी ही होगी

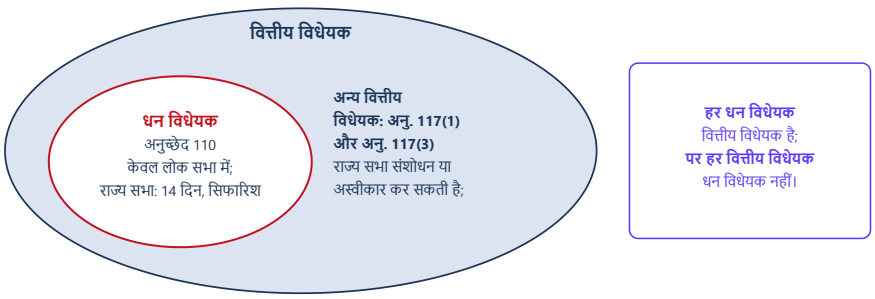

धन विधेयक, वित्तीय विधेयकों के भीतर एक छोटा वृत्त हैं: जिस विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के विषय हों वह धन विधेयक है; कोई अन्य विषय जोड़ते ही वह साधारण वित्तीय विधेयक बन जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक वह है जिसे नामनिर्दिष्ट सांसद पेश करे' **गलत** है: मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सांसद, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट, इसे पेश करता है। 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक हाल ही में पहली बार पारित हुआ' भी गलत है: 14 कानून बने, अंतिम 1970 में।

☑ झटपट जाँच

1. गैर-सरकारी सदस्य विधेयक कौन पेश कर सकता है?
2. कितने गैर-सरकारी सदस्य विधेयक कानून बने हैं, और अंतिम कब?
3. राष्ट्रपति को किस प्रकार के विधेयक पर सदैव अनुमति देनी होती है?

उत्तर: 1. कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है · 2. 14; अंतिम 1970 में · 3. संविधान संशोधन विधेयक (24वाँ संशोधन)

साधारण विधेयक कानून कैसे बनता है

तीन वाचन

प्रवर / संयुक्त समिति

6 महीने

अनु. 111

जेबी वीटो

प्रत्येक सदन में विधेयक के तीन वाचन (Readings) होते हैं। प्रथम वाचन उसे केवल प्रवेश देता है, द्वितीय वाचन में उस पर बहस होती है और खंड-दर-खंड बदलाव होते हैं, और तृतीय वाचन पूरे विधेयक को बस हाँ या ना कहता है। फिर दूसरा सदन यही करता है, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं।

★★ **प्रथम वाचन (First reading)**: सदस्य विधेयक पेश करने की अनुमति माँगता है, उसका शीर्षक और उद्देश्य पढ़ता है; फिर उसे **राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित** किया जाता है। कोई बहस नहीं। (यदि अध्यक्ष उसे पहले राजपत्र में प्रकाशित करने की अनुमति दे दें, तो पेश करने की अनुमति आवश्यक नहीं।)

★★★ **द्वितीय वाचन (Second reading)**: सामान्य चर्चा, जिसके बाद सदन उस पर तुरंत विचार कर सकता है, उसे **प्रवर समिति (Select committee)** (उसी सदन के सदस्य) या **संयुक्त समिति (Joint committee)** (दोनों सदन) को भेज सकता है, या **जनमत** जानने के लिए परिचालित कर सकता है। फिर संशोधनों के साथ **खंडवार** विचार होता है। 1993 से अधिकांश विधेयक **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (Department-related standing committees)** के पास जाते हैं।

★★ **तृतीय वाचन (Third reading)**: विधेयक **समग्र रूप में** पारित या अस्वीकार किया जाता है; केवल औपचारिक या शाब्दिक बदलाव की अनुमति होती है।

★★ **दूसरा सदन** तीनों वाचन दोहराता है और विधेयक को भेजे गए रूप में **पारित** कर सकता है, **संशोधनों के साथ पारित** कर सकता है (तब वह पहले सदन को लौटता है), **अस्वीकार** कर सकता है, या उस पर **कोई कार्रवाई न** करे।

★★★ **गतिरोध (Deadlock)**: यदि दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, दोनों सदन संशोधनों पर असहमत हों, या उसके पारित हुए बिना **छह महीने** बीत जाएँ, तो राष्ट्रपति **संयुक्त बैठक (Joint sitting)** (अनुच्छेद 108) बुला सकते हैं।

★★★ **अनुमति (Assent) (अनुच्छेद 111)**: राष्ट्रपति धन विधेयक से भिन्न विधेयक पर **अनुमति** दे सकते हैं, अनुमति **रोक** सकते हैं, या उसे पुनर्विचार के लिए एक बार **लौटा** सकते हैं। यदि दोनों सदन उसे संशोधन सहित या रहित फिर से पारित कर दें, तो उन्हें **अनुमति देनी ही होगी**।

★★ **जेबी वीटो (Pocket veto)**: संविधान राष्ट्रपति के निर्णय के लिए **कोई समय-सीमा तय नहीं** करता। राष्ट्रपति **ज़ैल सिंह (Zail Singh)** ने **भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 (Indian Post Office (Amendment) Bill)** पर यही विलंब अपनाया।

★ **कहाँ से शुरू**: साधारण विधेयक **किसी भी सदन** में पेश हो सकता है और उसे राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, जब तक उससे संचित निधि (Consolidated Fund) से व्यय न होता हो (तब अनुच्छेद 117(3) लागू होता है)।

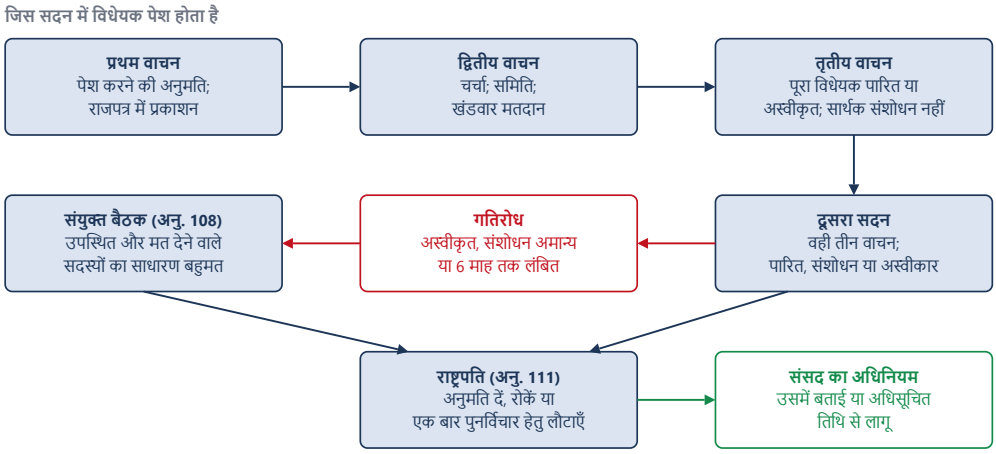

साधारण विधेयक का मार्ग। लाल रंग गतिरोध का रास्ता दिखाता है; अधिकांश विधेयक इसे छोड़कर दूसरे सदन से सीधे राष्ट्रपति के पास जाते हैं।

याद रखें: तीन वाचन, तीन क्रियाएँ: **Introduce, Improve, Approve** (पेश करो, सुधारो, स्वीकारो)। केवल द्वितीय वाचन में ही पाठ वास्तव में बदलता है।

झटपट जाँच

1. किस वाचन में विधेयक पर खंड-दर-खंड बहस होती है?
2. संयुक्त बैठक के तीन आधार?
3. राष्ट्रपति साधारण विधेयक को कितनी बार लौटा सकते हैं?

उत्तर: 1. द्वितीय वाचन · 2. अस्वीकृति, संशोधनों पर असहमति, 6 महीने तक पारित न होना · 3. एक बार

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनु. 108

अध्यक्ष पीठासीन

साधारण बहुमत

1961, 1978, 2002

अनु. 108(5)

जब दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर सहमत नहीं हो पाते, तो वे साथ बैठकर एक निकाय के रूप में मतदान करते हैं। लोक सभा के सदस्य राज्य सभा के दोगुने से भी अधिक हैं, इसलिए संयुक्त बैठक में प्रायः उसी की बात चलती है; इसी कारण यह केवल साधारण और वित्तीय विधेयकों के लिए है।

★★ **कौन बुलाता है**: **राष्ट्रपति** दोनों सदनों को आहूत करने के अपने आशय की अधिसूचना देते हैं (अनुच्छेद 108(1))। छह महीने की गणना में (अनुच्छेद 108(2)) वे दिन नहीं गिने जाते जब दूसरे सदन का **सत्रावसान (Prorogation) हो गया हो या वह लगातार चार दिन से अधिक के लिए स्थगित** हो।

★★★ **पीठासीन कौन (अनुच्छेद 118(4))**: **लोक सभा अध्यक्ष (Speaker)**; उनकी अनुपस्थिति में **उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)**; फिर राज्य सभा के **उपसभापति (Deputy Chairman)**। **राज्य सभा के सभापति पीठासीन नहीं होते**।

★★★ **बहुमत**: विधेयक **दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple majority)** से पारित होता है। **गणपूर्ति (Quorum)**: दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग।

★★★ **धन विधेयकों के लिए नहीं** (राज्य सभा उसे वैसे भी रोक नहीं सकती) और **संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं** (प्रत्येक सदन को उन्हें अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है)।

★★ **नए संशोधन**: संयुक्त बैठक में केवल वही संशोधन प्रस्तावित हो सकते हैं जो विलंब के कारण आवश्यक हो गए हों, या जो असहमति के बिंदुओं पर हों।

★★ **विघटन के बाद भी बना रहता है**: राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी होने के बाद, लोक सभा का विघटन (Dissolution) हो जाने पर भी विधेयक व्यपगत नहीं होता (अनुच्छेद 108(5))।

★★★ **केवल तीन बार हुई**: **दहेज प्रतिषेध विधेयक (Dowry Prohibition Bill)** (मई **1961**), **बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (Banking Service Commission (Repeal) Bill)** (मई **1978**) और **आतंकवाद निवारण विधेयक (Prevention of Terrorism Bill)** (26 मार्च **2002**)।

★ **स्थान**: नए संसद भवन में संयुक्त बैठक के लिए लोक सभा कक्ष में **1,272** सदस्य बैठ सकते हैं; पुराने भवन में केंद्रीय कक्ष (Central Hall) का उपयोग होता था।

अनुच्छेद 108: दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत; अध्यक्ष पीठासीन होते हैं।
788 में से 543 सीटें अकेले लोक सभा की हैं, इसलिए प्रायः वही भारी पड़ती है। गणपूर्ति: 788 का दसवाँ भाग = 79।
केवल तीन बार हुई: 1961 (दहेज प्रतिषेध), 1978 (बैंककारी सेवा आयोग), 2002 (आतंकवाद निवारण)।

संयुक्त बैठक का गणित, पैमाने पर: 543 लोक सभा सदस्य और 245 राज्य सभा सदस्य मिलकर 788 होते हैं। अकेली लोक सभा के पास लगभग 69 % मत हैं, जो अपने आप में बहुमत के करीब है।

याद रखें: तीन संयुक्त बैठकें, धन और सुरक्षा से जुड़े तीन कानून: **Dowry** (दहेज, 1961), **Banks** (बैंक, 1978), **Terror** (आतंकवाद, 2002)। 'D-B-T', जैसे बैंक हस्तांतरण।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** संयुक्त बैठक **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत** से निर्णय करती है, दो-तिहाई या पूर्ण बहुमत से नहीं। और यह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए कभी नहीं होती।

☑ झटपट जाँच

1. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
2. संयुक्त बैठक में विधेयक पारित करने के लिए कौन-सा बहुमत चाहिए?
3. संयुक्त बैठकें किन तीन वर्षों में हुईं?

उत्तर: 1. लोक सभा अध्यक्ष · 2. उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत · 3. 1961, 1978, 2002

धन विधेयक और वित्तीय विधेयक

अनु. 110

अध्यक्ष का प्रमाणपत्र

अनु. 109: 14 दिन

अनु. 117(1), 117(3)

वित्त विधेयक

कर लगाना और खर्च करना जनता द्वारा चुने गए सदन का अधिकार है। इसलिए **केवल** धन संबंधी विषयों वाले विधेयक को अलग घेरे में रखा गया है: वह लोक सभा में शुरू होता है, राज्य सभा केवल सलाह दे सकती है, और कोई विधेयक इस श्रेणी में आता है या नहीं, यह अकेले लोक सभा अध्यक्ष तय करते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 110(1)**: कोई विधेयक धन विधेयक (Money bill) तब है जब उसमें **केवल** इन विषयों के उपबंध हों: (क) **किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन**; (ख) भारत सरकार द्वारा **उधार** लेना या प्रत्याभूति देना; (ग) संचित निधि (Consolidated Fund) या **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)** की **अभिरक्षा**, और उनमें धन जमा करना या उनसे धन निकालना; (घ) **संचित निधि में से धन का विनियोग**; (ङ) संचित निधि पर **भारित** व्यय घोषित करना या उसे बढ़ाना; (च) संचित निधि या लोक लेखा में धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा या निर्गमन, या संघ या राज्य के लेखाओं की **संपरीक्षा**; (छ) इनसे आनुषंगिक कोई विषय।

★★ **धन विधेयक नहीं** केवल इस कारण कि वह **जुर्माने या शास्तियों**, **अनुज्ञप्तियों या सेवाओं के लिए फीस** का उपबंध करता है, या किसी **स्थानीय प्राधिकारी** के करों से संबंधित है (अनुच्छेद 110(2))।

★★★ **अध्यक्ष निर्णय करते हैं (अनुच्छेद 110(3))**: प्रश्न उठने पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय **अंतिम** होता है; विधेयक राज्य सभा और राष्ट्रपति के पास भेजते समय उस पर अध्यक्ष का **प्रमाणपत्र** पृष्ठांकित किया जाता है (अनुच्छेद 110(4))।

★★★ **पेश करना**: **केवल लोक सभा में**, केवल **राष्ट्रपति की सिफारिश** पर (अनुच्छेद 117(1)), और केवल **मंत्री** द्वारा।

★★★ **राज्य सभा की सीमा (अनुच्छेद 109)**: वह धन विधेयक को **न संशोधित कर सकती है, न अस्वीकार**; उसे **14 दिन** के भीतर **सिफारिशों** सहित या रहित लौटाना होता है। लोक सभा उनमें से किसी को भी **स्वीकार या अस्वीकार** कर सकती है। यदि 14 दिन में न लौटाया जाए, तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा **पारित समझा जाता है** जिसमें लोक सभा ने उसे पारित किया था।

★★ **राष्ट्रपति**: अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, पर धन विधेयक को **लौटा नहीं सकते** (अनुच्छेद 111 का परंतुक)। चूँकि यह उनकी अपनी पूर्व सिफारिश से ही आता है, इसलिए अनुमति देना ही प्रथा है।

★★ **न्यायालय और प्रमाणपत्र**: **के.एस. पुट्टस्वामी (आधार) (K.S. Puttaswamy (Aadhaar)), 2018** में उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में सही ठहराया (न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) असहमत रहे)। **रोजर मैथ्यू (Rojer Mathew) (2019)** में यह प्रश्न कि न्यायालय अध्यक्ष के प्रमाणपत्र का पुनर्विलोकन कहाँ तक कर सकते हैं, **सात न्यायाधीशों की पीठ** को भेजा गया।

★★★ **वित्तीय विधेयक (Financial bill), अनुच्छेद 117(1)**: इसमें अनुच्छेद 110 के विषयों के **साथ** अन्य विषय भी होते हैं। धन विधेयक की तरह यह केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर शुरू होता है; उसके बाद इसे **साधारण विधेयक** माना जाता है: राज्य सभा इसे **संशोधित या अस्वीकार** कर सकती है, और गतिरोध **संयुक्त बैठक** से सुलझ सकता है।

★★ **वित्तीय विधेयक, अनुच्छेद 117(3)**: इसमें **संचित निधि से व्यय** शामिल है पर अनुच्छेद 110 का कोई विषय नहीं। यह **किसी भी सदन** में शुरू हो सकता है; राष्ट्रपति की सिफारिश **किसी भी सदन द्वारा उस पर विचार किए जाने से पहले** चाहिए, पेश करने के लिए नहीं। बाकी सब बातों में यह साधारण विधेयक है।

★★ **वित्त विधेयक (Finance Bill)**: बजट के **कर प्रस्तावों** को लागू करने वाला वार्षिक विधेयक; इसे सामान्यतः धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है। **विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)** भी धन विधेयक है।

★★★ **प्रश्न में 'वित्त विधेयक' बनाम 'धन विधेयक'**: जब दोनों की तुलना की जाए, तो 'वित्त विधेयक' का अर्थ है ऐसा **वित्तीय विधेयक** जो धन विधेयक नहीं है। राज्य सभा उसे **संशोधित या अस्वीकार कर सकती है**, और गतिरोध संयुक्त बैठक में **जा सकता है**: संयुक्त बैठक **संभव है, कभी अनिवार्य नहीं**।

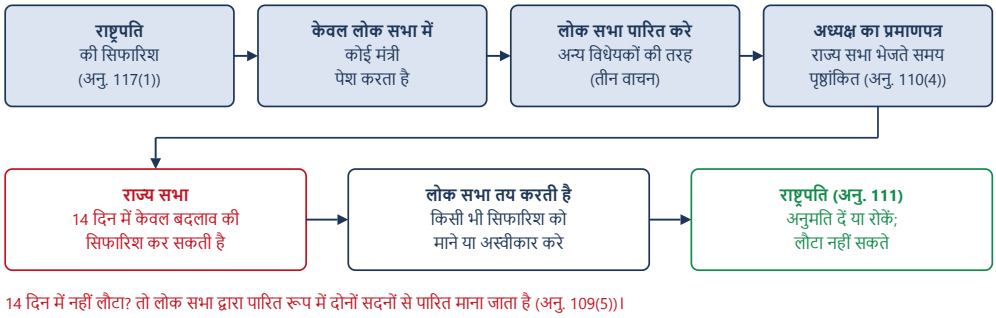

धन विधेयक का मार्ग। राज्य सभा के 14 दिन केवल सलाह के लिए हैं: वह जो भी सुझाए, अंतिम निर्णय लोक सभा का होता है।

याद रखें: 14 दिन, बिना दाँत: राज्य सभा धन विधेयक पर एक पखवाड़े के भीतर केवल 'सिफारिश' कर सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं। उस मेहमान की तरह सोचिए जो भोजन-सूची पर टिप्पणी तो कर सकता है, पर खाना नहीं पका सकता।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** दो प्रिय जाल: 'धन विधेयक **आकस्मिकता निधि** में से विनियोग से संबंधित होता है' **गलत** है (विनियोग **संचित** निधि में से होता है; आकस्मिकता निधि के लिए विधेयक अभिरक्षा और भुगतान को शामिल करता है)। और यदि राज्य सभा धन विधेयक में 'बड़े संशोधन' कर दे, तो लोक सभा सुझावों को स्वीकार या अनदेखा करते हुए बस **आगे बढ़ जाती है**; कोई संयुक्त बैठक नहीं होती।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** तीन कथनों का एक प्रिय सेट: (1) 'राज्य सभा लोक सभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है' **सही** है (इसे वित्तीय विधेयक समझें); (2) 'वह धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है' **सही** है; (3) 'धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, पर वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक **आवश्यक हो जाती है**' **गलत** है: राष्ट्रपति उसे बुला **सकते** हैं (अनुच्छेद 108); कोई बात उसे आवश्यक नहीं बनाती। अतः **दो** कथन सही हैं।

झटपट जाँच

1. किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर किसका निर्णय अंतिम होता है?
2. राज्य सभा को धन विधेयक कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है?
3. कौन-सा वित्तीय विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकता है?

उत्तर: 1. लोक सभा अध्यक्ष · 2. 14 दिन · 3. अनु. 117(3) वाला विधेयक

विधेयक कब व्यपगत होते हैं

सत्रावसान: व्यपगत नहीं

विघटन

अनु. 107(5)

विधेयक उसी सदन का होता है जिसके पास वह है। लोक सभा के विघटन (Dissolution) पर, जो कुछ उसके पास है या जिसे वह राज्य सभा को भेज चुकी है, वह उसी के साथ समाप्त हो जाता है। राज्य सभा का कभी विघटन नहीं होता, इसलिए जो केवल उसके पास है वह बना रहता है।

अनु. 108(5)

अनुमति की प्रतीक्षा

★★★ **सत्रावसान (Prorogation)** से किसी भी सदन में लंबित कोई विधेयक व्यपगत **नहीं** होता (अनुच्छेद 107(3)); केवल लंबित सूचनाएँ व्यपगत होती हैं।

★★★ **विघटन पर व्यपगत (Lapse)**: **लोक सभा में लंबित** विधेयक (चाहे वहीं शुरू हुआ हो या राज्य सभा से आया हो); **लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित** विधेयक (अनुच्छेद 107(5))।

★★★ **विघटन के बाद भी बने रहते हैं**: **राज्य सभा में लंबित** ऐसा विधेयक जिसे लोक सभा ने **पारित नहीं** किया; **दोनों सदनों द्वारा पारित** और राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतीक्षा वाला विधेयक; दोनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए **लौटाया गया** विधेयक; ऐसा विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति ने विघटन से पहले **संयुक्त बैठक की अधिसूचना** दे दी हो (अनुच्छेद 108(5))।

★★ मंत्रियों द्वारा दिए गए और सरकारी आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances) के समक्ष लंबित **आश्वासन** व्यपगत नहीं होते।

सत्रावसान से कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता। लोक सभा के विघटन पर स्थिति नीचे जैसी है।

व्यपगत	व्यपगत नहीं
• लोक सभा में लंबित विधेयक	• राज्य सभा में लंबित विधेयक, जिसे लोक सभा ने कभी पारित नहीं किया
• लोक सभा से पारित, राज्य सभा में लंबित विधेयक	• दोनों सदनों से पारित, अनुमति की प्रतीक्षा
• राज्य सभा से पारित, लोक सभा में लंबित विधेयक	• राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया
	• विघटन से पहले संयुक्त बैठक अधिसूचित

लोक सभा के विघटन पर कौन-से विधेयक समाप्त होते हैं। कसौटी सरल है: जो कुछ लोक सभा के पास है, या जिसे उसने राज्य सभा को आगे भेजा है, वह व्यपगत होता है।

याद रखें: लोक सभा का सूटकेस: विघटन पर लोक सभा के सूटकेस का सब कुछ (जो विधेयक उसके पास हैं या जिन्हें उसने अभी आगे सौंपा है) खो जाता है। जो अकेले राज्य सभा के पास है, और जो पहले ही राष्ट्रपति की मेज़ पर है, वह सुरक्षित है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक सभा में लंबित विधेयक **सत्रावसान** पर व्यपगत हो जाता है' **गलत** है: सत्रावसान से कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता। 'संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचित विधेयक विघटन पर व्यपगत हो जाता है' भी गलत है (अनुच्छेद 108(5))।

झटपट जाँच

1. क्या सत्रावसान पर कोई विधेयक व्यपगत होता है?
2. लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक: विघटन पर व्यपगत होगा या नहीं?
3. राज्य सभा में लंबित विधेयक, जिसे लोक सभा ने कभी पारित नहीं किया?

उत्तर: 1. नहीं · 2. व्यपगत होगा · 3. विघटन के बाद भी बना रहता है

लोक धन: तीन निधियाँ और बजट संबंधी अनुच्छेद

अनु. 266(1) संचित निधि

अनु. 266(2) लोक लेखा

अनु. 267

अनु. 112

भारित व्यय

अनु. 113, 114

लोक धन पर दो नियम लागू होते हैं: विधि के बिना कोई कर नहीं (**अनुच्छेद 265**), और विधि के बिना सरकार के मुख्य खाते से कोई व्यय नहीं (**अनुच्छेद 114(3)**, **266(3)**)। बजट इन्हीं विधियों को पारित कराने की वार्षिक प्रक्रिया है।

★★★ **भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) (अनुच्छेद 266(1))**: संघ का **सारा राजस्व**, उसके द्वारा लिए गए सभी **ऋण** और उसे प्राप्त सभी **ऋण वसूलियाँ** इसमें जाती हैं। संसद की **विनियोग विधि** के बिना इससे कुछ नहीं निकाला जा सकता।

★★★ **भारत का लोक लेखा (Public Account of India) (अनुच्छेद 266(2))**: अन्य सभी लोक धन, जैसे **भविष्य निधि**, **लघु बचत** और **जमा राशियाँ**, जिन्हें सरकार बैंकर या न्यासी के रूप में रखती है। इससे भुगतान कार्यपालिका की कार्रवाई से होते हैं और संसद के **विनियोग की आवश्यकता नहीं** होती।

★★ **भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India) (अनुच्छेद 267)**: **राष्ट्रपति** के अधिकार में रखा गया **अग्रदाय (Imprest)**, ताकि संसद की स्वीकृति से पहले **अत्यावश्यक, अप्रत्याशित** व्यय किया जा सके; **भारत आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (Contingency Fund of India Act)** द्वारा बनाई गई। इसकी राशि **₹30,000 करोड़** है (2021 में ₹500 करोड़ से बढ़ाई गई)। इसे राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) रखते हैं; संसद द्वारा व्यय स्वीकृत होने के बाद उतनी ही राशि संचित निधि से निकालकर इसे फिर भर दिया जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 112**: **राष्ट्रपति** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)** (अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय) **दोनों सदनों** के समक्ष रखवाते हैं। व्यवहार में सरकार की ओर से **केंद्रीय वित्त मंत्री** इसे दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। संविधान में **'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं** हुआ है।

★★ **भारित व्यय (Charged expenditure) (अनुच्छेद 112(3))**: इस पर चर्चा होती है पर **मतदान नहीं**: **राष्ट्रपति** की उपलब्धियाँ; राज्य सभा के **सभापति और उपसभापति** तथा लोक सभा के **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** के वेतन; **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों** के वेतन, भत्ते और पेंशन; **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन**; **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)** का वेतन और पेंशन; **ऋण भार**; **न्यायालय के निर्णयों** की तुष्टि के लिए राशियाँ; संसद द्वारा भारित घोषित कोई भी व्यय (जैसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों के वेतन)।

★★★ **अनुच्छेद 113**: अन्य व्यय **अनुदान की माँगों (Demands for grants)** के रूप में आता है, जिन पर **केवल लोक सभा** मतदान करती है; वह किसी माँग पर **अनुमति दे सकती है, उसे अस्वीकार कर सकती है या घटा सकती है**, पर **बढ़ा नहीं** सकती। **राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई माँग** नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 113(3))।

★★ **अनुच्छेद 114 (विनियोग विधेयक)**: संचित निधि से धन निकालने को प्राधिकृत करता है; ऐसा **कोई संशोधन** नहीं हो सकता जो किसी अनुदान की राशि या प्रयोजन, या किसी भारित व्यय को बदले। इस विधि के बिना निधि से कोई धन नहीं निकलता।

★★ **अन्य अनुच्छेद**: **115** अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान; **116** लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान; **117** वित्तीय विधेयक; **265** कर केवल विधि द्वारा।

★★★ **केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है**: वित्त मंत्रालय के **आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) का बजट प्रभाग** (राजस्व विभाग नहीं)।

★★ **तिथियाँ**: 2017 से **1 फरवरी** को प्रस्तुत (पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को)। **रेल बजट**, जो **एकवर्थ समिति (Acworth Committee)** (1921) की रिपोर्ट पर **1924** से अलग था, **2017** में सामान्य बजट में **विलय** कर दिया गया।

★★ **पहली बार**: स्वतंत्र भारत का पहला बजट **आर.के. षण्मुखम चेट्टी (R.K. Shanmukham Chetty)** ने **26 नवंबर 1947** को प्रस्तुत किया; **इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)** (1970) बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला थीं। **निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)** ने 2026-27 का बजट रविवार, **1 फरवरी 2026** को प्रस्तुत किया, जो लगातार उनका नौवाँ बजट था।

★★ **कोई संसदीय बजट कार्यालय नहीं**: भारत में पूर्वानुमानों के आधार पर बजट की समीक्षा करने वाला ऐसा कोई स्वतंत्र कार्यालय (Parliamentary Budget Office) नहीं है; संसद का नियंत्रण बजट, विनियोग और वित्त विधेयकों, अनुपूरक अनुदानों, लेखानुदानों और अपनी समितियों के माध्यम से चलता है।

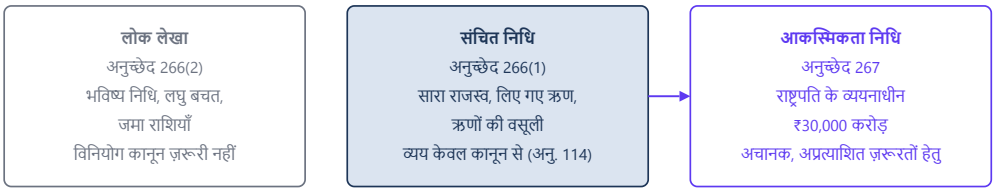

तात्कालिक व्यय पहले आकस्मिकता निधि से होता है; संसद की स्वीकृति के बाद उतनी ही राशि संचित निधि से निकालकर उसे फिर भरा जाता है (तीर)। लोक लेखा का धन न्यास के रूप में रखा जाता है।

संघ के तीन खाते। केवल संचित निधि से हर निकासी के लिए संसद की विधि चाहिए; अत्यावश्यक व्यय को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद आकस्मिकता निधि को इसी से फिर भरा जाता है।

स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षण्मुखम चेट्टी, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले बजट के बारे में प्रसारण करते हुए; यह बजट उन्होंने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। चित्र: Photo Division, Ministry of Information and Broadcasting, Wikimedia Commons, public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक लेखा से सभी भुगतानों के लिए संसद का प्राधिकार आवश्यक है' **गलत** है: यह केवल संचित निधि के लिए आवश्यक है। 'राजस्व विभाग बजट तैयार करता है' भी गलत है: आर्थिक कार्य विभाग करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** बजट कौन रखता है? संविधान कहता है कि **राष्ट्रपति** वार्षिक वित्तीय विवरण **रखवाते** हैं (अनुच्छेद 112); वास्तव में उसे **वित्त मंत्री** रखते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में। संघ लोक सेवा आयोग (2024) ने 'केंद्रीय वित्त मंत्री **प्रधानमंत्री की ओर से** वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं' को **सही** माना, साथ ही 'अनुदान की कोई माँग **राष्ट्रपति की सिफारिश** के बिना नहीं की जा सकती' (अनुच्छेद 113(3)) को भी: दोनों कथन सही। केवल इसलिए वित्त मंत्री वाले कथन को अस्वीकार न करें कि उसमें राष्ट्रपति का नाम नहीं है।

☑ झटपट जाँच

1. संघ के सभी कर और ऋण किस निधि में जाते हैं?
2. कौन-सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण की अपेक्षा करता है?
3. क्या लोक सभा अनुदान की किसी माँग को बढ़ा सकती है?

उत्तर: 1. भारत की संचित निधि (अनु. 266(1)) · 2. अनुच्छेद 112 · 3. नहीं: केवल अनुमति, अस्वीकार या कमी

संसद में बजट: चरण, कटौती प्रस्ताव, विशेष अनुदान

छह चरण

गिलोटिन

बजट संसद में छह चरणों से गुजरता है। दोनों सदन उस पर चर्चा करते हैं, पर धन पर मतदान केवल लोक सभा करती है, क्योंकि केवल वही सदन धन खर्च करने वाली सरकार को हटा सकता है।

कटौती प्रस्ताव

लेखानुदान

अंतरिम बजट

75 दिन

★★★ **छह चरण**: (1) **प्रस्तुतीकरण**; (2) दोनों सदनों में **सामान्य चर्चा**, बिना मतदान; (3) सदन के अवकाश (Recess) के दौरान **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (Department-related standing committees) द्वारा जाँच**; (4) लोक सभा में **अनुदान की माँगों (Demands for grants) पर मतदान**; (5) **विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)** पारित करना; (6) **वित्त विधेयक (Finance Bill)** पारित करना।

★★★ **राज्य सभा की भूमिका**: वह बजट पर **चर्चा** कर सकती है पर अनुदान की माँगों पर **मतदान नहीं** कर सकती। विनियोग और वित्त विधेयक धन विधेयक हैं, इसलिए वह केवल 14 दिन के भीतर सिफारिश कर सकती है।

★★ **अनुदान की माँगें**: सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए एक (कुछ की अधिक; बिना विधानमंडल वाले प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की एक)। संविधान कोई संख्या तय नहीं करता: मंत्रालयों के बनने, विलय होने या बँटने पर यह बदलती है। **2022-23 से 2026-27** तक हर वर्ष **102** माँगें; पहले: **109** (2015-16), **98** (2016-17), **100** (2017-18), **99** (2018-19), **100** (2019-20), **101** (2020-21 और 2021-22)।

★★ **गिलोटिन (Guillotine)**: मतदान के लिए तय अंतिम दिन, अध्यक्ष उन सभी माँगों को, जिन पर चर्चा नहीं हुई, एक साथ मतदान के लिए रखते हैं।

★★★ **कटौती प्रस्ताव (Cut motions)** (माँगों पर, लोक सभा में): **नीति अनुमोदन कटौती (Policy cut)**: नीति से असहमति दिखाने के लिए माँग को **घटाकर ₹1** करना; **मितव्ययिता कटौती (Economy cut)**: उसे **एक बताई गई राशि से** घटाना; **सांकेतिक कटौती (Token cut)**: किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए उसे **₹100 से** घटाना। कटौती प्रस्ताव केवल **घटा** सकता है, कभी बढ़ा नहीं सकता।

★★ **वित्त विधेयक**: पेश होने के **75 दिन** के भीतर अधिनियमित होना चाहिए (अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (Provisional Collection of Taxes Act)), क्योंकि नई कर दरें उसके पेश होने के दिन से ही वसूली जा सकती हैं।

★★★ **लेखानुदान (Vote on account) (अनुच्छेद 116)**: माँगों पर मतदान होने तक लोक सभा **वर्ष के एक भाग** (प्रायः दो महीने) के लिए **अग्रिम** धन देती है। यह **केवल व्यय** को शामिल करता है और **कोई भी** सरकार इसका उपयोग कर सकती है।

★★★ **अंतरिम बजट (Interim budget)**: **चुनाव वर्ष** में जाने वाली सरकार वर्ष के एक भाग के लिए **प्राप्तियों और व्यय का पूरा विवरण** प्रस्तुत करती है, परंपरा के अनुसार बड़े कर बदलावों के बिना, और साथ में लेखानुदान लेती है।

★★ **अनुपूरक अनुदान (Supplementary grant)**: किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि **अपर्याप्त** सिद्ध हो। **अतिरिक्त अनुदान (Additional grant)**: बजट में न रही किसी **नई सेवा** के लिए। **अधिक अनुदान (Excess grant)**: अनुदान से अधिक खर्च हुआ धन; लोक सभा के मतदान से पहले **लोक लेखा समिति (PAC)** की स्वीकृति आवश्यक है।

★★ **प्रत्ययानुदान (Vote of credit)**: ऐसी आवश्यकता के लिए कोरे चेक जैसा अनुदान जिसका आकार या ब्योरा बताया न जा सके (जैसे युद्ध)। **अपवादानुदान (Exceptional grant)**: ऐसे प्रयोजन के लिए जो किसी वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है। **सांकेतिक अनुदान (Token grant)**: पुनर्विनियोग से पूरी की गई नई सेवा, इसलिए केवल **₹1** का सांकेतिक मतदान होता है।

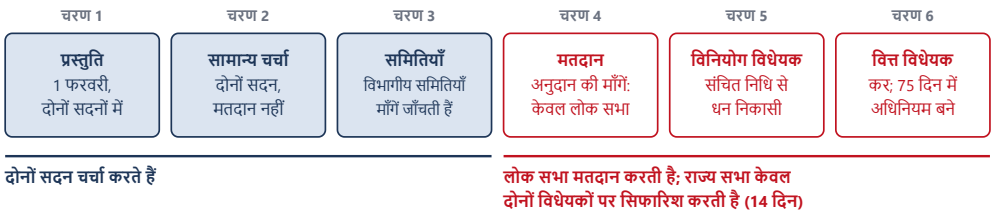

केंद्रीय बजट के छह चरण। चरण 4 से 6 में लोक सभा अकेले निर्णय करती है।

लेखानुदान और अंतरिम बजट ★★★

बिंदु	लेखानुदान	अंतरिम बजट
क्या शामिल	केवल व्यय	प्राप्तियाँ और व्यय
आधार	अनुच्छेद 116	परंपरा (कोई अनुच्छेद नहीं)
कौन उपयोग करता है	कोई भी सरकार, आवश्यक हो तो हर वर्ष	चुनाव वर्ष में जाने वाली सरकार
अवधि	वर्ष का एक भाग, प्रायः 2 महीने	वर्ष का एक भाग, नई सरकार के पूर्ण बजट तक

याद रखें: कटौती प्रस्ताव का क्रम **1, any, 100**: नीति अनुमोदन कटौती **₹1** तक ('आपका पूरा विचार ही अस्वीकार'), मितव्ययिता कटौती **कोई भी (any)** बताई गई राशि से ('कम खर्च करो'), सांकेतिक कटौती **₹100** से ('यह एक शिकायत दूर करो')।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'संसद के समक्ष अनुदान की कितनी माँगें रखी जाती हैं?' का कोई स्थायी उत्तर नहीं है। **109** (2015-16) और **98** (2016-17) पुरानी संख्याएँ हैं; 2022-23 के बजट में **102** थीं, और उसके बाद के हर बजट में भी। अतः 2022 के किसी प्रश्न में 98, 96, 104 और 109 विकल्प हों, तो उत्तर है **'इनमें से कोई नहीं'**।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लेखानुदान का उपयोग कार्यवाहक सरकार करती है और अंतरिम बजट का नियमित सरकार' **गलत** है: दोनों प्रकार की सरकारें लेखानुदान ले सकती हैं। वास्तविक अंतर: लेखानुदान = **केवल व्यय**; अंतरिम बजट = **प्राप्तियाँ और व्यय दोनों**।

झटपट जाँच

1. अनुदान की माँगों पर कौन-सा सदन मतदान करता है?
2. नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती: प्रत्येक कितना घटाती है?
3. लेखानुदान या अंतरिम बजट: प्राप्तियाँ भी किसमें शामिल होती हैं?

उत्तर: 1. केवल लोक सभा · 2. ₹1 तक; बताई गई राशि से; ₹100 से · 3. अंतरिम बजट

वित्तीय समितियाँ

स्थायी बनाम तदर्थ

लोक लेखा समिति 15 + 7

प्राक्कलन 30

सरकारी उपक्रम

CAG के प्रतिवेदन

पूरा सदन लेखों का पंक्ति-दर-पंक्ति अध्ययन नहीं कर सकता। सभी दलों के सांसदों की छोटी समितियाँ यह काम लगातार करती हैं, अधिकतर बंद कमरे में और दलगत आरोप-प्रत्यारोप से दूर। संविधान समितियों का उल्लेख करता है, पर उनकी संरचना प्रत्येक सदन के नियमों पर छोड़ देता है।

★★ **दो प्रकार**: **स्थायी समितियाँ (Standing committees)** स्थायी होती हैं और हर वर्ष पुनर्गठित होती हैं; **तदर्थ समितियाँ (Ad hoc committees)** किसी एक कार्य के लिए बनती हैं और उसके पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं।

★★★ **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee, PAC)**: **1921** में **भारत शासन अधिनियम, 1919 (Government of India Act)** के अंतर्गत गठित; **22 सदस्य: 15 लोक सभा से + 7 राज्य सभा से**, हर वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचित; कार्यकाल **एक वर्ष**; **मंत्री सदस्य नहीं हो सकते**।

★★★ **लोक लेखा समिति का कार्य**: **विनियोग लेखों**, **वित्त लेखों** और **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संपरीक्षा प्रतिवेदनों** की जाँच करती है; देखती है कि धन उसी तरह खर्च हुआ जैसे संसद ने स्वीकृत किया था। **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** को इसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है। इसका कार्य पोस्टमार्टम जैसा है, और इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है।

★★ **लोक लेखा समिति के सभापति**: **लोक सभा अध्यक्ष** इसके लोक सभा सदस्यों में से नियुक्त करते हैं; **1967** से परंपरा के अनुसार **विपक्ष** से।

★★★ **प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)**: पहली बार **1950** में **जॉन मथाई (John Mathai)** की सिफारिश पर गठित (एक स्थायी वित्तीय समिति 1921 से थी); **30 सदस्य, सभी लोक सभा से**, अतः राज्य सभा का इसमें कोई स्थान नहीं; वित्तीय समितियों में **सबसे बड़ी**। इसे 'सतत मितव्ययिता समिति' कहा जाता है; यह मितव्ययिता के उपाय और वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती है। इसके सभापति को लोक सभा अध्यक्ष नामित करते हैं, प्रायः सत्तारूढ़ दल से।

★★ **सरकारी उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings, COPU)**: **कृष्ण मेनन समिति (Krishna Menon Committee)** की सलाह पर **1964** में गठित; **22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा)**; मंत्री सदस्य नहीं हो सकते; सभापति की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष इसके लोक सभा सदस्यों में से करते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करती है।

★ **आकार का इतिहास**: प्राक्कलन समिति 1956 में 25 से बढ़कर 30 सदस्यों की हुई; सरकारी उपक्रम समिति 1974 में 15 से 22 की।

★★ दूरसंचार, बीमा, विद्युत और अन्य क्षेत्रों के **विनियामकों (Regulators)** की समीक्षा संसद अपनी **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों** और **तदर्थ समितियों** के माध्यम से करती है; वित्त आयोग और नीति आयोग (NITI Aayog) की ऐसी कोई भूमिका नहीं है।

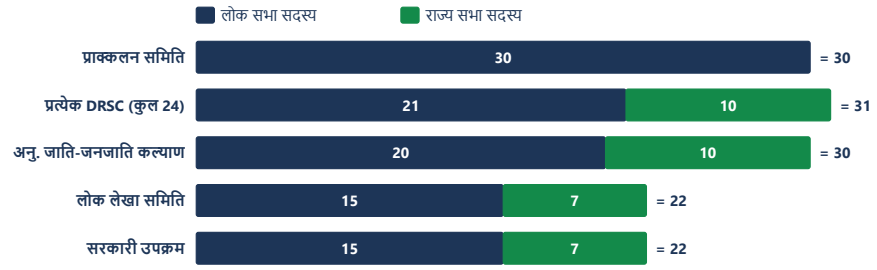

समितियों के आकार पैमाने पर (एक सदस्य = पट्टी की एक इकाई)। इनमें केवल प्राक्कलन समिति में राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं है।

याद रखें: लोक लेखा समिति पीछे देखती है, प्राक्कलन समिति आगे: लोक लेखा समिति पहले खर्च हो चुके धन की संपरीक्षा करती है (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ); प्राक्कलन समिति पूछती है कि अगले वर्ष का धन बेहतर ढंग से खर्च हो सकता है या नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक लेखा समिति में लोक सभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते' **गलत** है: इसमें 15 लोक सभा से और 7 राज्य सभा से होते हैं। तीनों वित्तीय समितियों में **सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति** (30) है।

झटपट जाँच

1. लोक लेखा समिति की संरचना?
2. किस वित्तीय समिति में केवल लोक सभा के सदस्य होते हैं?
3. लोक लेखा समिति किसके प्रतिवेदनों की जाँच करती है?

उत्तर: 1. 22: 15 लोक सभा + 7 राज्य सभा · 2. प्राक्कलन समिति (30) · 3. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदन

अन्य स्थायी और तदर्थ समितियाँ

विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ 24 × 31

अधीनस्थ विधान

आचार समिति

धन के अतिरिक्त, समितियाँ प्रत्येक मंत्रालय पर, प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर, सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए वचनों पर, और सदस्यों के अपने आचरण पर नज़र रखती हैं। संयुक्त संसदीय समितियों जैसी तदर्थ समितियाँ (Ad hoc committees) एक ही काम के लिए बनती हैं।

★★★ **विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (Department-related standing committees, DRSCs)**: **1993** में (17) शुरू हुईं, **2004** में बढ़ाकर **24** की गईं; प्रत्येक में **31 सदस्य (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा)**; **16** का संचालन लोक सभा सचिवालय और **8** का राज्य सभा सचिवालय करता है; मंत्री सदस्य नहीं हो सकते; कार्यकाल एक वर्ष।

★★ **ये समितियाँ जाँचती हैं**: अपने मंत्रालयों की **अनुदान की माँगें**, उन्हें सौंपे गए **विधेयक**, वार्षिक प्रतिवेदन और दीर्घकालिक नीतियाँ, तथा मंत्रालयों के अधीन निकाय, जिनमें विनियामक भी शामिल हैं। इनके प्रतिवेदन सलाहकारी होते हैं।

★★★ **अधीनस्थ विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation)**: जाँचती है कि संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कार्यपालिका द्वारा बनाए गए **नियम, विनियम, उपनियम और उपविधियाँ** उस **प्रत्यायोजन की सीमा में** हैं या नहीं। लोक सभा में 15 सदस्य।

★★ **सरकारी आश्वासन समिति**: जाँचती है कि सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए **वचन और आश्वासन** पूरे हुए या नहीं (लोक सभा में 15, राज्य सभा में 10)।

★★ **याचिका समिति (Committee on Petitions)** (15 लोक सभा, 10 राज्य सभा) और **विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges)** (15 लोक सभा, 10 राज्य सभा) जाँच समितियाँ हैं।

★★★ **आचार समिति (Ethics Committee)**: राज्य सभा **1997**; लोक सभा में **2000 में तदर्थ**, **2015** में स्थायी बनाई गई। सदस्यों के अनैतिक आचरण की शिकायतों की जाँच करती है। **कोई भी व्यक्ति** किसी सदस्य के माध्यम से शिकायत कर सकता है (सदस्य सीधे शिकायत कर सकता है)। यह ऐसे किसी मामले पर विचार **नहीं** करती जो **न्यायाधीन (Sub judice)** हो।

★★★ **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति**: **30 सदस्य (20 लोक सभा + 10 राज्य सभा)**; कार्यकाल **एक वर्ष**; **कोई मंत्री** सदस्य नहीं हो सकता; इसके सभापति की नियुक्ति **लोक सभा अध्यक्ष** करते हैं।

★★ **महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समिति**: 30 (20 लोक सभा + 10 राज्य सभा)। **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (Joint Committee on Offices of Profit)**: 15 (10 लोक सभा + 5 राज्य सभा); सिफारिश करती है कि कौन-से पद धारण करने से सदस्य निरर्ह न हों।

★★ **सदन की व्यवस्था संबंधी समितियाँ**: **कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee)** (कार्य के लिए समय तय करती है; अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं), **नियम समिति (Rules Committee)** और **सामान्य प्रयोजन समिति** (दोनों की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं), **आवास समिति**, **पुस्तकालय समिति**। **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति** और **सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति** केवल लोक सभा में हैं।

★★ **तदर्थ समितियाँ**: **जाँच** समितियाँ और **सलाहकार** समितियाँ (**विधेयकों पर प्रवर या संयुक्त समितियाँ**)। **संयुक्त संसदीय समितियों (Joint Parliamentary Committees, JPCs)** ने **बोफोर्स (Bofors)** (1987), **हर्षद मेहता (Harshad Mehta) प्रतिभूति घोटाले** (1992), शेयर बाज़ार घोटाले (2001), शीतल पेयों में कीटनाशकों (2003) और **2G स्पेक्ट्रम** (2011) की जाँच की; संयुक्त संसदीय समितियों ने **वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 (Waqf (Amendment) Bill)** और **एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election)** विधेयकों (129वाँ संशोधन विधेयक, 2024) की भी जाँच की।

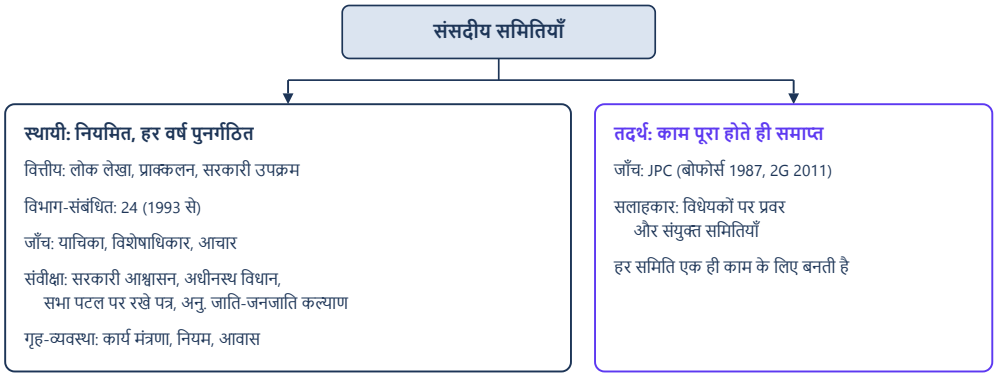

संसदीय समितियाँ एक नज़र में: कार्य के अनुसार समूहित स्थायी समितियाँ, और अपना कार्य पूरा होने पर समाप्त होने वाली तदर्थ समितियाँ।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** प्रत्यायोजित विधान वाले प्रश्न में तीन भ्रामक विकल्प होते हैं: **सरकारी आश्वासन समिति** (मंत्रियों के वचन), **नियम समिति** (सदन की अपनी प्रक्रिया) और **कार्य मंत्रणा समिति** (कार्य के लिए समय)। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की जाँच केवल **अधीनस्थ विधान समिति** करती है। 'प्रत्यायोजित विधान समिति' या 'कार्यपालिका विधान समिति' नाम की कोई समिति नहीं है।

☑ झटपट जाँच

1. विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की संख्या और प्रत्येक में सदस्य?
2. प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन बने नियमों की जाँच कौन-सी समिति करती है?
3. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के सभापति की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर: 1. 24; 31 (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा) · 2. अधीनस्थ विधान समिति · 3. लोक सभा अध्यक्ष

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (28)

UPSC 2011 भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है ?
(a) भारत के राष्ट्रपति (b) भारत की संसद (c) भारत के प्रधान मंत्री (d) संघीय वित्त मंत्री
उत्तर: (b) भारत की संसद. अनुच्छेद 114(3): विनियोग विधि के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता

UPSC 2011 करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है
(a) भारत की आकस्मिकता निधि में (b) लोक लेखे में (c) भारत की संचित निधि में (d) निक्षेप तथा अग्रिम निधि में
उत्तर: (c) भारत की संचित निधि में. अनुच्छेद 266(1): सभी राजस्व, उधार और ऋण-वसूली भारत की संचित निधि में जाते हैं

UPSC 2011 लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है ?
1. स्थाई सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है ।
2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्रं से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं ।
उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. लेखानुदान केवल वर्ष के एक भाग के व्यय को कवर करता है; अंतरिम बजट व्यय और प्राप्तियों दोनों का पूरा विवरण होता है

UPSC 2012 निम्नलिखित में से कौन-सी विधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं?
1. संसद् के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना
2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना
3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान
4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम-से-कम मध्यवर्षीय पुनरवलोकन
5. संसद् में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1, 2, 3 और 5 (b) केवल 1, 2 और 4 (c) केवल 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5
उत्तर: (a) केवल 1, 2, 3 और 5. संसद बजट, विनियोग और वित्त विधेयकों के माध्यम से लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है; भारत में कोई संसदीय बजट कार्यालय नहीं है

UPSC 2012 लोक सभा और राज्य सभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति/किन स्थितियों में संसद् की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है?
1. साधारण विधि-निर्माण को पारित करने की स्थिति में
2. धन-विधेयक को पारित करने की स्थिति में
3. संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1. अनुच्छेद 108: संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों पर गतिरोध दूर करती है; धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती

UPSC 2013 यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात् क्या होगा?
(a) लोक सभा, राज्य सभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है
(b) लोक सभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती (c) लोक सभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सभा को लौटा सकती है
(d) राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है
उत्तर: (a) लोक सभा, राज्य सभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है. अनुच्छेद 109: राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिनों में केवल सिफारिश कर सकती है; लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिशें मान भी सकती है और ठुकरा भी सकती है

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
लोक लेखा की संसदीय समिति
1. लोक सभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है
2. सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जाँच करती है
3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2 और 3. लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं: 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से; लोक लेखा समिति विनियोग और वित्त लेखों तथा CAG के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है

UPSC 2014 निम्नलिखित में से कौन-सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है?
(a) लोक लेखा समिति (b) प्राक्कलन समिति (c) सरकारी उपक्रम समिति (d) याचिका समिति (कमिटी ऑन पिटिशन्स)
उत्तर: (b) प्राक्कलन समिति. प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, सभी लोकसभा से

UPSC 2015 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. राज्य सभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।
2. राज्य सभा अनुदानों की माँगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
3. राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 1 और 2. राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिनों में केवल सिफारिश कर सकती है (अनुच्छेद 109); अनुदान माँगों पर मतदान केवल लोकसभा करती है (अनुच्छेद 113)

UPSC 2015 जब संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट (रेफर) किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है?
(a) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत (b) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई बहुमत
(c) सदनों का दो-तिहाई बहुमत (d) सदनों का पूर्ण बहुमत
उत्तर: (a) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत. संयुक्त बैठक में विधेयक उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है

UPSC 2015 संघ की सरकार (यूनियन गवर्नमेंट) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. राजस्व विभाग, संसद् में प्रस्तुत किए जाने वाले केन्द्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
2. भारत की संसद् के प्राधिकरण (ऑथराइज़ेशन) के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता।
3. लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों (डिस्बर्समेंट्स) के लिए भी भारत की संसद् के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 2. आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है; लोक लेखा से भुगतान के लिए संसदीय विनियोग आवश्यक नहीं (अनुच्छेद 266(2))

UPSC 2016 निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. लोक सभा में लम्बित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत (लैप्स) हो जाता है।
2. राज्य सभा में लम्बित कोई विधेयक, जिसे लोक सभा ने पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. सत्रावसान से लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते; लोक सभा के विघटन से हो सकते हैं; राज्य सभा में लंबित और लोक सभा से अपारित विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता

UPSC 2017 भारत की संसद् के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. ग़ैर-सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद् के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किन्तु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है ।
2. हाल ही में, भारत की संसद् के इतिहास में पहली बार एक ग़ैर-सरकारी विधेयक पारित किया गया है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. गैर-सरकारी विधेयक वह है जिसे कोई भी ऐसा सांसद पेश करे जो मंत्री नहीं है; चौदह गैर-सरकारी विधेयक कानून बने, सभी 1970 तक

UPSC 2018 भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि, आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों (डेलिगेशन) की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है ?
(a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (c) नियम समिति
(d) कार्य सलाहकार (बिज़नेस ऐडवाइज़री) समिति
उत्तर: (b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित नियम-निर्माण की जाँच करती है

UPSC 2018 धन विधेयक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?
(a) किसी बिल (विधेयक) को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हों ।
(b) धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं ।
(c) धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है ।
(d) धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है ।
उत्तर: (c) धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है ।. अनुच्छेद 110: धन विधेयक में केवल वहाँ सूचीबद्ध वित्तीय विषय होते हैं; धन का विनियोग संचित निधि से होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं

UPSC 2019 भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत् आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं?
1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ
2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
5. नीति (NITI) आयोग
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4 (c) 3, 4 और 5 (d) 2 और 5
उत्तर: (a) 1 और 2. संसदीय समितियाँ, स्थायी और तदर्थ दोनों, स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा करती हैं; विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ मंत्रालयों और उनके अधीन निकायों की जाँच करती हैं

UPSC 2023 भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. जब लोक सभा वित्त विधेयक को राज्य सभा में भेजती है, तो राज्य सभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है।
2. जब लोक सभा धन विधेयक को राज्य सभा में भेजती है, तो राज्य सभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएँ कर सकती है।
3. लोक सभा और राज्य सभा के बीच असहमति होने पर, धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किन्तु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (b) केवल दो. राज्यसभा धन विधेयक में केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें कर सकती है; राज्यसभा उस वित्त विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है जो धन विधेयक नहीं है; वित्त विधेयकों पर संयुक्त बैठक हो सकती है, धन विधेयकों पर कभी नहीं

UPSC 2024 संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ?
1. अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है ।
2. धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।
3. राज्य सभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती ।
4. राज्य सभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोक सभा द्वारा स्वीकार करना होगा ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) 1, 2 और 3 (d) 1, 3 और 4
उत्तर: (c) 1, 2 और 3. अनुच्छेद 109: धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया, जो केवल लोकसभा में पेश होते हैं; राज्यसभा धन विधेयक में केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें कर सकती है; लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिशें मान भी सकती है और ठुकरा भी सकती है

UPSC 2024 लोक सभा में आचार समिति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ?
1. प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी ।
2. केवल कोई लोक सभा का सदस्य ही किसी लोक सभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है ।
3. यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3. लोक सभा की आचार समिति 2000 में तदर्थ समिति के रूप में बनी और 2015 में स्थायी हुई; कोई भी व्यक्ति किसी लोक सभा सदस्य के माध्यम से सांसद के आचरण की शिकायत कर सकता है; आचार समिति न्यायाधीन मामलों पर विचार नहीं करती

UPSC 2024 केंद्रीय बजट (यूनियन बजट) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं ।
2. केंद्रीय (यूनियन) स्तर पर, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की माँग नहीं की जा सकती ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. अनुच्छेद 112: राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है; राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की माँग नहीं की जा सकती

UPSC 2024 भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. लोक सभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है ।
2. लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित कोई विधेयक लोक सभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है ।
3. कोई विधेयक, जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोक सभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) 1 और 2 (c) 2 और 3 (d) केवल 3
उत्तर: (b) 1 और 2. लोकसभा में लंबित या उसके द्वारा पारित विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं; अनुच्छेद 108(5): संयुक्त बैठक हेतु अधिसूचित विधेयक विघटन पर व्यपगत नहीं होता

UPSC 2026 भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्य सभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
2. राज्य सभा द्वारा बीस सदस्यों और लोक सभा द्वारा दस सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है।
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है।
4. सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?

(a) चारों कथन सही हैं। (b) केवल एक कथन सही है, जो कि कथन 2 है। (c) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 1 सम्मिलित है।
(d) कोई भी कथन सही नहीं है।

उत्तर: (d) कोई भी कथन सही नहीं है।. अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में 30 सदस्य हैं: 20 लोक सभा से, 10 राज्य सभा से; इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष करते हैं; सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष; कोई मंत्री सदस्य नहीं

BPSC 60th-62nd लेखानुदान क्या है

(a) कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए । (b) अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए । (c) बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आबंटन हेतु ।
(d) बजट के लिए (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक ।

उत्तर: (c) बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आबंटन हेतु ।. लेखानुदान बजट पारित होने तक वर्ष के एक भाग के लिए धन स्वीकृत करता है

BPSC 63rd धन विधेयक पेश किया जा सकता है

(a) केवल लोक सभा में (b) केवल राज्य सभा में (c) लोक सभा व राज्य सभा दोनों में (d) लोक सभा व राज्य सभा दोनों के संयुक्त सत्र में
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर: (a) केवल लोक सभा में. अनुच्छेद 109: धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है

BPSC 67th संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार, वार्षिक बजट में कितनी 'अनुदान की माँगें' संसद में पेश की जाती हैं?

(a) 98 (b) 96 (c) 104 (d) 109 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक. केंद्रीय बजट 2022-23 (मई 2022 में यह प्रश्नपत्र बनने के समय लागू) में 102 अनुदान माँगें थीं; 98, 96, 104 या 109 में से कोई सही नहीं; केवल 2015-16 के बजट में 109 माँगें थीं; 2022-23 से यह संख्या 102 है (2026-27: 102)

BPSC 67th निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम-विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है?

(a) कार्यकारी विधान पर समिति (b) अधीनस्थ विधान पर समिति (c) प्रशासकीय विधान पर समिति (d) प्रत्यायोजित विधान पर समिति
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर: (b) अधीनस्थ विधान पर समिति. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत बने नियमों की जाँच करती है

BPSC 70th संसद में "कटौती प्रस्ताव" का क्या उद्देश्य होता है ?

(a) सरकार के दैनिक वित्तिय खर्चों पर रोक (b) सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना
(c) सरकार के अनुदान पर रोक (d) भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक

उत्तर: (b) सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना. कटौती प्रस्ताव किसी अनुदान माँग की राशि घटाने का प्रस्ताव है

BPSC 70th re-exam भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ?

(a) अनुच्छेद 112 (b) अनुच्छेद 111 (c) अनुच्छेद 114 (d) अनुच्छेद 113

उत्तर: (a) अनुच्छेद 112. अनुच्छेद 112: राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाते हैं

स्वयं को परखें (11)

1. निम्नलिखित में से किसका समाधान संसद की संयुक्त बैठक में हो सकता है?

(a) धन विधेयक (b) संविधान संशोधन विधेयक (c) अनुच्छेद 117(1) के अधीन वित्तीय विधेयक (d) इनमें से कोई नहीं

2. कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं होता कि वह इसका उपबंध करता है:

(a) भारत सरकार द्वारा उधार लेना (b) संचित निधि से विनियोग (c) किसी अनुज्ञप्ति के लिए फीस लगाना
(d) आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा

3. लोक सभा के विघटन के बाद भी कौन-सा बना रहता है?

(a) लोक सभा में लंबित विधेयक (b) लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक
(c) राज्य सभा में लंबित और लोक सभा द्वारा पारित न किया गया विधेयक (d) राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा में लंबित विधेयक

4. इनमें से किससे धन निकालने के लिए संसद के विनियोग की आवश्यकता नहीं होती?

(a) भारत की संचित निधि (b) भारत का लोक लेखा (c) दोनों (d) कोई नहीं

5. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव अनुदान की माँग को कितना घटाना चाहता है?
(a) ₹1 (b) ₹10 (c) ₹100 (d) ₹1,000

6. यदि लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
(a) राज्य सभा के सभापति (b) राज्य सभा के उपसभापति (c) सबसे वरिष्ठ सदस्य (d) राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

7. किस समिति में केवल लोक सभा के सदस्य होते हैं?
(a) लोक लेखा समिति (b) सरकारी उपक्रम समिति (c) प्राक्कलन समिति
(d) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

8. अंतरिम बजट लेखानुदान से इस कारण भिन्न है कि वह:
(a) राज्य सभा द्वारा मतदान से स्वीकृत होता है (b) प्राप्तियों और व्यय दोनों को शामिल करता है (c) अनुच्छेद 116 में उपबंधित है
(d) पूरे वित्तीय वर्ष को शामिल करता है

9. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे राष्ट्रपति आहूत करते हैं।
2. इसमें विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है।
3. राष्ट्रपति द्वारा इसकी अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, लोक सभा का विघटन होने पर भी विधेयक व्यपगत नहीं होता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
अनुच्छेद : विषय
1. अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण
2. अनुच्छेद 115 : लेखानुदान
3. अनुच्छेद 114 : अनुदान की माँगें
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई नहीं

11. लोक सभा एक विधेयक पारित करती है जिसे अध्यक्ष ने धन विधेयक प्रमाणित किया है। राज्य सभा उसे दसवें दिन दो कर दरों में बदलाव की सिफारिशों के साथ लौटाती है, और लोक सभा इनमें से कोई भी स्वीकार नहीं करती। आगे क्या होगा?
(a) असहमति सुलझाने के लिए राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करनी होगी
(b) विधेयक सिफारिशों के बिना आगे बढ़ता है; कोई संयुक्त बैठक नहीं होती
(c) विधेयक राज्य सभा को वापस जाता है, जो अब अगले 14 दिनों में उसे अस्वीकार कर सकती है
(d) राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार लोक सभा को लौटा सकते हैं

उत्तर: 1. (c) वित्तीय विधेयकों को पेश होने के बाद साधारण विधेयक माना जाता है, इसलिए अनुच्छेद 108 लागू होता है; धन और संशोधन विधेयक इससे बाहर हैं। · 2. (c) अनुच्छेद 110(2): जुर्माने, शास्तियाँ और अनुज्ञप्तियों या सेवाओं के लिए फीस किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं बनाते। · 3. (c) जो केवल राज्य सभा के पास है वह बना रहता है; लोक सभा के पास जो कुछ है या जिसे उसने आगे भेजा है, वह व्यपगत हो जाता है। · 4. (b) लोक लेखा का धन न्यास में रखा जाता है और कार्यपालिका की कार्रवाई से दिया जाता है (अनुच्छेद 266(2))। · 5. (c) सांकेतिक कटौती: ₹100, किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए; नीति अनुमोदन कटौती माँग को घटाकर ₹1 कर देती है। · 6. (b) क्रम: लोक सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर राज्य सभा के उपसभापति; सभापति कभी पीठासीन नहीं होते। · 7. (c) प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोक सभा से आते हैं। · 8. (b) लेखानुदान केवल व्यय से संबंधित है; अनुच्छेद 116 लेखानुदान का उपबंध करता है, अंतरिम बजट का नहीं। · 9. (d) तीनों अनुच्छेद 108 के अनुरूप हैं: राष्ट्रपति इसे आहूत करते हैं, उपस्थित और मत देने वालों का साधारण बहुमत निर्णय करता है, और अनुच्छेद 108(5) अधिसूचित विधेयक को व्यपगत होने से बचाता है। · 10. (a) केवल युग्म 1 सही है: अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों से संबंधित है (लेखानुदान अनुच्छेद 116 में है), और अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है (अनुदान की माँगें अनुच्छेद 113 में हैं)। · 11. (b) अनुच्छेद 109: लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; धन विधेयक कभी संयुक्त बैठक में नहीं जाता और राष्ट्रपति उसे लौटा नहीं सकते।

अध्याय 14

न्यायपालिका

अनुच्छेद 131 के अधीन आरंभिक अधिकारिता, न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, नियुक्ति और कॉलेजियम, पद से हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन रिट, विधिक सहायता, ग्राम न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 27 बार पूछा गया: UPSC 16 · BPSC 11

≈ 53 min पढ़ने में ≈ 14 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. एक **एकीकृत न्यायपालिका (Integrated judiciary)** (भारत शासन अधिनियम 1935 से): उच्चतम न्यायालय → 25 उच्च न्यायालय → जिला न्यायालय; उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन **28 जनवरी 1950** को हुआ।
2. **अनुच्छेद 124(1)**: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या **संसद** विधि द्वारा तय करती है; 2026 के संशोधन अधिनियम से **मुख्य न्यायमूर्ति सहित 38**। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं (अनुच्छेद 216)।
3. **कॉलेजियम (Collegium)** (मुख्य न्यायमूर्ति + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) **द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993** से निकला; **99वाँ संशोधन (NJAC) 2015** में रद्द कर दिया गया। यह संसद के किसी अधिनियम में नहीं है।
4. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश: **65** पर सेवानिवृत्त, शपथ **राष्ट्रपति** के समक्ष; उच्च न्यायालय का न्यायाधीश: **62** पर सेवानिवृत्त, शपथ **राज्यपाल** के समक्ष; दोनों **राष्ट्रपति** को लिखकर त्यागपत्र देते हैं।
5. पद से हटाना: प्रत्येक सदन द्वारा एक ही सत्र में **विशेष बहुमत** से समावेदन पारित करने के बाद राष्ट्रपति का आदेश; प्रक्रिया **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968** में; अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर सकता है। आज तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया।
6. उच्चतम न्यायालय के वेतन भारत की संचित निधि पर **भारित** हैं; उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति **मुख्य न्यायमूर्ति** करते हैं (**अनुच्छेद 146**)।
7. **अनुच्छेद 131**: केंद्र–राज्य और अंतर-राज्य विवाद केवल उच्चतम न्यायालय सुनता है। सांसदों और विधायकों की निर्वाचन याचिकाएँ **उच्च न्यायालय** में जाती हैं।
8. **अनुच्छेद 32** (उच्चतम न्यायालय) केवल मौलिक अधिकारों के लिए; **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) मौलिक अधिकारों **और किसी अन्य प्रयोजन** के लिए: दोनों न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
9. **अनुच्छेद 136** विशेष अनुमति; **अनुच्छेद 137** पुनर्विलोकन; **अनुच्छेद 141** बाध्यकारी विधि; **अनुच्छेद 142** पूर्ण न्याय, साधारण विधियों से सीमित नहीं; **अनुच्छेद 143** सलाहकारी, बाध्यकारी नहीं।
10. अवमानना: शक्ति **अनुच्छेद 129, 215** देते हैं; सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा **न्यायालय अवमान अधिनियम 1971** (एच.एन. सान्याल समिति) में है; इस पर विधि संसद बनाती है।
11. विधिक सहायता: **अनुच्छेद 39A**; **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987**; लोक अदालत का पंचाट = सिविल डिक्री, **कोई अपील नहीं**; **ग्राम न्यायालय (2008) सिविल और आपराधिक** दोनों मामले सुनते हैं।
12. न्यायिक पुनर्विलोकन **संवैधानिकता** जाँचता है, विवेक नहीं; भारत **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया** अपनाता है (अनुच्छेद 21)। **24 अप्रैल 1973** के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़ी गई विधियों का पुनर्विलोकन हो सकता है (**आई.आर. कोएल्हो 2007**)।

एक एकीकृत न्यायपालिका

एकीकृत न्यायपालिका

संघीय न्यायालय 1937

28 जन. 1950

अनु. 124–147

अनु. 130 स्थान

भारत में न्यायपालिका **एक** है, दो नहीं। न्यायालयों की एक ही श्रृंखला, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court), बीच में उच्च न्यायालय (High Courts) और नीचे जिला न्यायालय, संघ और राज्य दोनों की विधियाँ लागू करती है। अमेरिका (USA) में संघीय और राज्य न्यायालय अलग-अलग हैं; भारत ने अपनी एकल व्यवस्था **भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act)** से ली।

★★★ **एकल एकीकृत न्यायपालिका (Integrated judiciary)**: न्यायालयों का एक ही पदानुक्रम केंद्रीय और राज्य दोनों विधियों को लागू करता है; यह विशेषता **भारत शासन अधिनियम, 1935** से ली गई।

★★ 1935 के अधिनियम के अधीन **संघीय न्यायालय (Federal Court)** (1937, दिल्ली) केंद्र और प्रांतों के विवाद सुलझाता था; अपीलें फिर भी लंदन की **प्रिवी काउंसिल (Privy Council)** में जाती थीं, जिसकी भारत पर अधिकारिता **1949** में समाप्त कर दी गई।

★★★ **उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ**, संविधान लागू होने के दो दिन बाद। इसने शीर्ष न्यायालय के रूप में संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल दोनों का स्थान लिया।

★★ यह पहले **संसद भवन** के नरेंद्र मंडल कक्ष (Chamber of Princes) में बैठा और **1958** में तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित अपने भवन में गया।

★★ **अनुच्छेद**: उच्चतम न्यायालय **भाग V, अनुच्छेद 124–147** में; उच्च न्यायालय **भाग VI, अनुच्छेद 214–231** में; अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate courts) **अनुच्छेद 233–237** में।

★★★ **एक साथ कई भूमिकाएँ**: **संघीय न्यायालय** (केंद्र–राज्य विवाद), संविधान का **संरक्षक और अंतिम व्याख्याता**, **मौलिक अधिकारों का रक्षक** (अनुच्छेद 32) और **अपील का सर्वोच्च न्यायालय**।

★★ **स्थान (अनुच्छेद 130)**: दिल्ली, या कोई अन्य स्थान जिसे **मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) राष्ट्रपति के अनुमोदन से** चुनें। व्यवहार में न्यायालय केवल दिल्ली में बैठता है।

★ **अनुच्छेद 50** (राज्य की नीति का एक निदेशक तत्व) राज्य से कहता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को **कार्यपालिका से पृथक** रखे।

★ नवंबर 2026 की स्थिति में **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (Chief Justice of India)**: **न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Surya Kant)**, **53वें** मुख्य न्यायमूर्ति (24 नवंबर 2025 से; 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे)। पहले मुख्य न्यायमूर्ति **एच.जे. कानिया (H.J. Kania)** (1950) थे।

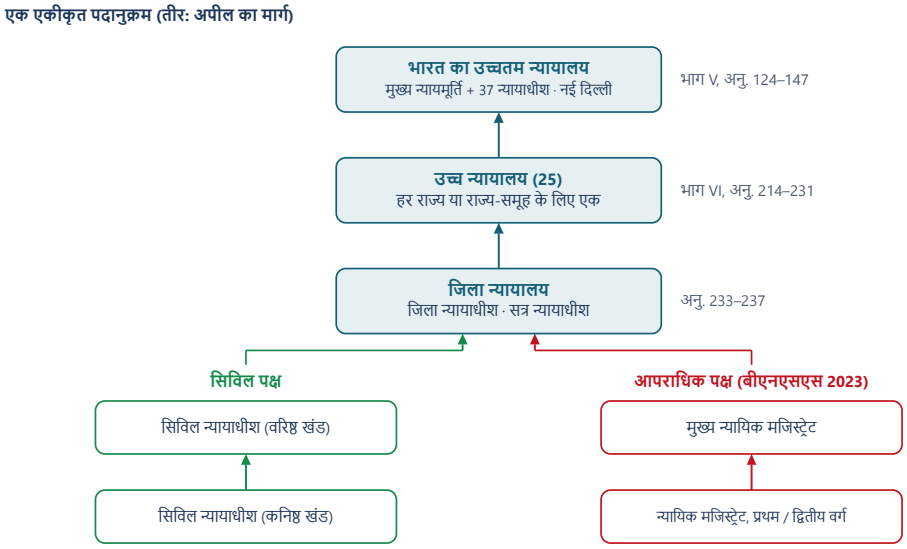

एकीकृत पदानुक्रम। संघ की विधि या राज्य की विधि का मामला अपील की एक ही सीढ़ी चढ़ता है; उच्च न्यायालय अपने नीचे के जिला न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है (अनुच्छेद 235)।

उच्चतम न्यायालय भवन, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। न्यायालय 1950 से संसद भवन में बैठता था और 1958 में यहाँ आया। चित्र: Subhashish Panigrahi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

याद रखें: एक सीढ़ी, दो तरह की विधि। चाहे मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, संघ की विधि) में चले या राज्य की आबकारी विधि में, आप वही तीन पायदान चढ़ते हैं: जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → उच्चतम न्यायालय।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय क्या है (संघीय न्यायालय, संविधान का अंतिम व्याख्याता, अधिकारों का रक्षक), तो उत्तर है **ये सभी**: जहाँ विकल्प हो, 'उपर्युक्त में से एक से अधिक' चुनें। और उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन नहीं है; वह अपने नीचे के न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है।

झटपट जाँच

1. किस अधिनियम से भारत को एकल एकीकृत न्यायपालिका मिली?
2. उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ?
3. अपीलें सुनने के अलावा उच्चतम न्यायालय की दो भूमिकाएँ बताइए।

उत्तर: 1. भारत शासन अधिनियम, 1935 · 2. 28 जनवरी 1950 · 3. संघीय न्यायालय; संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश: संख्या और नियुक्ति

अनु. 124(1)

38 न्यायाधीश (2026)

अनु. 124(2)

कॉलेजियम

NJAC रद्द

संविधान न तो न्यायाधीशों की संख्या तय करता है, न कोई चयन पैनल। संख्या **संसद** विधि द्वारा तय करती है और नियुक्ति **राष्ट्रपति** करते हैं। असल में कौन चुनता है, यह उच्चतम न्यायालय ने स्वयं चार मामलों की एक श्रृंखला में तय किया, जिसका अंत **कॉलेजियम (Collegium)** पर हुआ।

★★★ **अनुच्छेद 124(1)**: उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जितने **संसद विधि द्वारा** विहित करे। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति और विधि आयोग (Law Commission) यह संख्या नहीं बदल सकते।

★★★ **संख्या**: 1950 में **8** (मुख्य न्यायमूर्ति + 7); 2019 से **34**; **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act)** (अनुमति **11 अगस्त 2026**) से बढ़कर **38 (मुख्य न्यायमूर्ति + 37)**; इसने एक अध्यादेश का स्थान लिया और यह **16 मई 2026** से प्रभावी माना जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 124(2)**: उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति **राष्ट्रपति** अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा करते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश के लिए **मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श अनिवार्य** है।

★★ **मुख्य न्यायमूर्ति का चयन**: परंपरा से उच्चतम न्यायालय का **वरिष्ठतम** न्यायाधीश; निवर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति उसका नाम सुझाते हैं। यह परंपरा **1973** (ए.एन. रे, A.N. Ray) और **1977** (एम.एच. बेग, M.H. Beg, एच.आर. खन्ना (H.R. Khanna) की जगह) में टूटी।

★★★ **कॉलेजियम**: **मुख्य न्यायमूर्ति + 4 वरिष्ठतम** न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं; उच्च न्यायालय की नियुक्तियाँ **मुख्य न्यायमूर्ति + 2** वरिष्ठतम तय करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मुख्य न्यायमूर्ति + 4 से होकर जाते हैं। यह केवल निर्णयों पर टिका है, संविधान के पाठ या संसद के किसी अधिनियम पर नहीं।

★★★ **द्वितीय न्यायाधीश मामला (Second Judges Case, 1993)** ने मुख्य न्यायमूर्ति की राय को **प्रधानता (Primacy)** देकर कॉलेजियम बनाया; **तृतीय न्यायाधीश मामला (Third Judges Case, 1998)**, जो **अनुच्छेद 143** के अधीन राष्ट्रपति का निर्देश (Presidential reference) था, ने इसका आकार मुख्य न्यायमूर्ति और चार न्यायाधीश तय किया।

★★ **प्रथम न्यायाधीश मामला (एस.पी. गुप्ता, S.P. Gupta, 1981)**, जिसे न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती (P.N. Bhagwati)** ने लिखा, ने माना था कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है; इससे सरकार का पलड़ा भारी हुआ।

★★★ **NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग)**: **99वें संशोधन (2014)** (अनुच्छेद 124A–124C) और NJAC अधिनियम ने छह सदस्यीय आयोग बनाया; न्यायालय ने **16 अक्टूबर 2015** को (**चतुर्थ न्यायाधीश मामला**, 4:1) न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानकर दोनों को रद्द कर दिया। कॉलेजियम जारी है।

★★ **आज उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का हर न्यायाधीश** कॉलेजियम के रास्ते नियुक्त होता है; सरकार कोई नाम एक बार लौटा सकती है, पर कॉलेजियम उसे **दोहरा** दे तो नियुक्ति करनी ही होगी।

★ **उल्लेखनीय मुख्य न्यायमूर्ति**: **वाई.वी. चंद्रचूड़ (Y.V. Chandrachud)** सबसे लंबे समय तक रहे (1978–85); **के.एन. सिंह (K.N. Singh)** सबसे कम (17 दिन, 1991); **ए.एस. आनंद (A.S. Anand) 1998 से 2001** तक मुख्य न्यायमूर्ति रहे। **एम. फातिमा बीवी (M. Fathima Beevi) 1989** में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।

चार न्यायाधीश मामले ★★★

मामला	वर्ष	क्या कहा गया
प्रथम (एस.पी. गुप्ता)	1981	परामर्श सहमति नहीं है; कार्यपालिका को प्रधानता
द्वितीय (SC एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन)	1993	मुख्य न्यायमूर्ति की राय को प्रधानता; कॉलेजियम का जन्म
तृतीय (राष्ट्रपति का निर्देश, अनुच्छेद 143)	1998	कॉलेजियम = उच्चतम न्यायालय (और उच्च न्यायालय के स्थानांतरण) के लिए मुख्य न्यायमूर्ति + 4 वरिष्ठतम; उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायमूर्ति + 2
चतुर्थ (NJAC मामला)	2015	99वाँ संशोधन और NJAC अधिनियम शून्य; कॉलेजियम बहाल

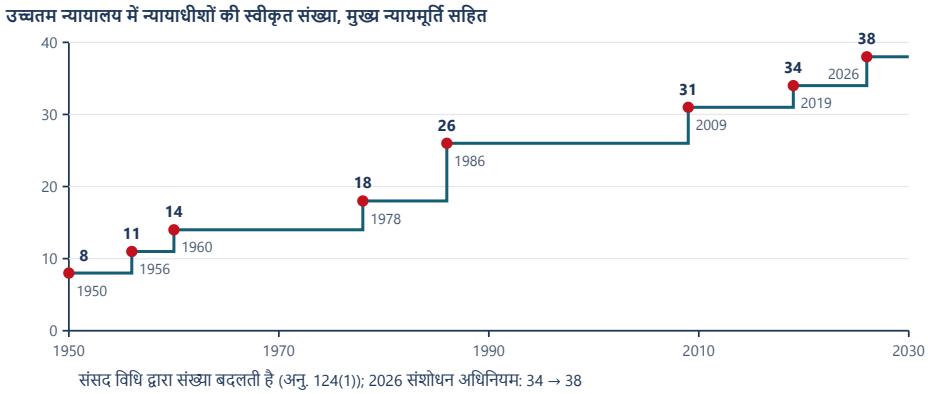

मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या, उस वर्ष के अनुसार जिसमें हर वृद्धि लागू हुई। हर बढ़ोतरी के लिए संसद की विधि चाहिए थी।

याद रखें: एक शब्द 'परामर्श' पर रस्साकशी: 1981 में सरकार खींचती है (परामर्श लो, मानना जरूरी नहीं); 1993 में न्यायाधीश वापस खींचते हैं (मुख्य न्यायमूर्ति की राय चलेगी); 1998 में वे रस्सी पर पाँच हाथ रखते हैं (कॉलेजियम); 2015 में वे नई रस्सी ठुकराते हैं (NJAC)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** कॉलेजियम संसद ने **नहीं** बनाया और **न ही** प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) ने; यह **द्वितीय (1993)** से आया। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या **संसद** तय करती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या **राष्ट्रपति** तय करते हैं।

झटपट जाँच

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है?
2. किस मामले से कॉलेजियम का जन्म हुआ?
3. किस संशोधन ने NJAC बनाया, और वह कब रद्द हुआ?

उत्तर: 1. संसद, विधि द्वारा (अनुच्छेद 124(1)) · 2. द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993 · 3. 99वाँ संशोधन (2014); 2015 में रद्द

न्यायाधीशों का कार्यकाल, पद से हटाना और स्वतंत्रता

अनु. 124(3)

65 पर सेवानिवृत्ति

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम

विशेष बहुमत

अनु. 125, 146

जिस न्यायाधीश को सरकार हटा सके, या जिसका वेतन घटा सके, वह सरकार के विरुद्ध निर्णय देने में हिचकेगा। इसलिए संविधान पद से हटाना बहुत कठिन बनाता है, न्यायाधीशों के वेतन को संसद के वार्षिक मतदान से बाहर रखता है और किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा का निषेध करता है।

★★★ **अर्हताएँ (अनुच्छेद 124(3))**: भारत का **नागरिक** जो **5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश** रहा हो, या **10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता** रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में **पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished jurist)** हो। **कोई न्यूनतम आयु** निर्धारित नहीं है।

★★ **शपथ राष्ट्रपति** (या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) के समक्ष, **तीसरी अनुसूची** में दिए प्रारूप में।

★★★ **कार्यकाल**: कोई निश्चित अवधि नहीं; न्यायाधीश **65** वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, और **राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र** दे सकता है।

★★★ **पद से हटाना (अनुच्छेद 124(4))**: **राष्ट्रपति** के आदेश से, केवल **साबित कदाचार या असमर्थता (Proved misbehaviour or incapacity)** के आधार पर, जब प्रत्येक सदन **एक ही सत्र** में **विशेष बहुमत** (कुल सदस्य संख्या का बहुमत **और** उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) से पारित समावेदन (Address) प्रस्तुत करे।

★★★ **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act)** प्रक्रिया देता है: **100 लोक सभा** या **50 राज्य सभा** सदस्यों के हस्ताक्षर वाली सूचना; **अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं**; तीन सदस्यीय समिति (उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और एक पारंगत विधिवेत्ता) जाँच करती है; यदि वह न्यायाधीश को दोषी नहीं पाती, तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।

★★ संविधान 'कदाचार' या 'असमर्थता' की **परिभाषा नहीं देता**; प्रक्रिया का विवरण 1968 के अधिनियम में है, संविधान में नहीं।

★★ **आज तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया**: न्यायमूर्ति **वी. रामास्वामी (V. Ramaswami)** (उच्चतम न्यायालय) के विरुद्ध प्रस्ताव **1993** में लोक सभा में गिर गया; न्यायमूर्ति **सौमित्र सेन (Soumitra Sen)** (कलकत्ता उच्च न्यायालय) ने राज्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद **2011** में त्यागपत्र दिया; न्यायमूर्ति **यशवंत वर्मा (Yashwant Varma)** (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) ने **अप्रैल 2026** में त्यागपत्र दिया, जब एक जाँच समिति आरोपों की जाँच कर रही थी।

★★★ **वेतन मतदान से परे**: वेतन और भत्ते, जो संसद तय करती है (**अनुच्छेद 125**), **भारत की संचित निधि पर भारित (Charged)** हैं; नियुक्ति के बाद इन्हें न्यायाधीश के अहित में घटाया नहीं जा सकता, सिवाय **वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)** के दौरान।

★★★ **अनुच्छेद 146**: उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति **मुख्य न्यायमूर्ति** (या उनके द्वारा निर्देशित न्यायाधीश) करते हैं; इसके प्रशासनिक व्यय भी संचित निधि पर भारित हैं। सरकार इनकी नियुक्ति नहीं करती।

★★ **आचरण पर चर्चा नहीं**: संसद किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन में आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती, सिवाय हटाने के प्रस्ताव के (**अनुच्छेद 121**); राज्य विधानमंडल बिल्कुल नहीं कर सकता (**अनुच्छेद 211**)।

★★ **सेवानिवृत्ति के बाद** उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत में **किसी भी न्यायालय** या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता (**अनुच्छेद 124(7)**)।

★★ **कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति (अनुच्छेद 126)**: राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। **तदर्थ न्यायाधीश (Ad hoc judge, अनुच्छेद 127)**: जब गणपूर्ति न हो, मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की **पूर्व सहमति** से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद, किसी अर्ह उच्च न्यायालय न्यायाधीश से बैठने का अनुरोध करते हैं।

★★★ **सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128)**: मुख्य न्यायमूर्ति, **राष्ट्रपति की पूर्व सहमति** से, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (या उच्चतम न्यायालय के लिए अर्ह किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश) से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

★ **वेतन** (2018 का अधिनियम): मुख्य न्यायमूर्ति **₹2.80 लाख** प्रति माह; उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश **₹2.50 लाख**।

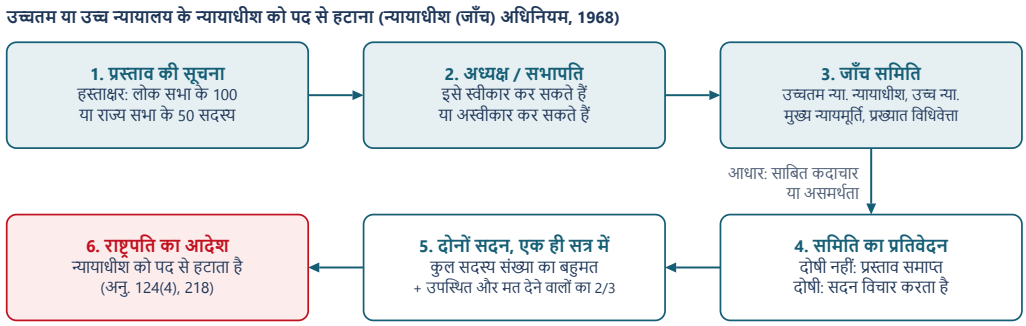

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ऊपर की पंक्ति बाएँ से दाएँ पढ़ें, फिर नीचे की पंक्ति दाएँ से बाएँ।

याद रखें: दूसरे अंक से आयु याद रखें: ऊँचे न्यायालय का दूसरा अंक भी ऊँचा। उच्चतम न्यायालय 65, उच्च न्यायालय 62।

⚠ **परीक्षा में सावधान: मुख्य न्यायमूर्ति किसी न्यायाधीश को नहीं हटा सकते**; केवल राष्ट्रपति, दोनों सदनों के बाद, हटा सकते हैं। अध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए **बाध्य नहीं** है। और 'संचित निधि पर भारित' का अर्थ है कि संसद इन वेतनों पर **चर्चा** कर सकती है, पर इन पर **मतदान नहीं** करती।

झटपट जाँच

1. किन दो आधारों पर किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है?
2. उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है?
3. किस अनुच्छेद के अधीन किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय में बैठने का अनुरोध किया जा सकता है, और किसकी सहमति चाहिए?

उत्तर: 1. साबित कदाचार या असमर्थता · 2. मुख्य न्यायमूर्ति (अनुच्छेद 146) · 3. अनुच्छेद 128; राष्ट्रपति की पूर्व सहमति

उच्चतम न्यायालय क्या सुनता है: अधिकारिता और शक्तियाँ

अनु. 131 आरंभिक
अनु. 32 रिट
अनु. 136 SLP
अनु. 143 सलाहकारी
अनु. 142
अवमानना

उच्चतम न्यायालय को कई टोपियाँ पहने हुए सोचिए: केंद्र और राज्यों के बीच **अंपायर**, एक **अधिकार न्यायालय**, **अपील का अंतिम न्यायालय**, राष्ट्रपति का **सलाहकार** और एक **अभिलेख न्यायालय (Court of record)** जो अवमानना के लिए दंड दे सकता है। हर टोपी का अपना अनुच्छेद है।

★★★ **आरंभिक अधिकारिता (Original jurisdiction, अनुच्छेद 131)**: **केंद्र और एक या अधिक राज्यों** के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों का अन्य राज्यों के विरुद्ध, या **दो या अधिक राज्यों** के बीच विवाद, जहाँ कोई विधिक अधिकार दाँव पर हो। यह **अनन्य** है: कोई अन्य न्यायालय इन्हें नहीं सुन सकता।

★★ **अनुच्छेद 131 से बाहर**: संविधान-पूर्व संधियों और करारों से जुड़े विवाद, **अंतर-राज्यिक नदी जल** विवाद (अनुच्छेद 262), **वित्त आयोग** को सौंपे गए विषय, और केंद्र के विरुद्ध किसी निजी नागरिक का वाद।

★★★ **निर्वाचन विवाद**: **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय में जाता है (**अनुच्छेद 71**); **सांसदों और विधायकों** की निर्वाचन याचिकाएँ पहले **उच्च न्यायालय** में जाती हैं।

★★★ **रिट अधिकारिता (Writ jurisdiction, अनुच्छेद 32)**: **केवल मौलिक अधिकारों** को लागू कराने के लिए रिट। यह आरंभिक है पर **अनन्य नहीं**: उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन इसमें साझेदार हैं। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है।

★★ **अपीलें**: उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र पर संवैधानिक मामले (**अनुच्छेद 132**), विधि के सारवान प्रश्न वाले सिविल मामले (**अनुच्छेद 133**) और आपराधिक मामले (**अनुच्छेद 134**), जैसे जब उच्च न्यायालय दोषमुक्ति को पलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे।

★★ **विशेष अनुमति (Special leave, अनुच्छेद 136)**: न्यायालय अपने **विवेक** से भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, **सैन्य** न्यायालयों और अधिकरणों **को छोड़कर**।

★★★ **सलाहकारी (Advisory, अनुच्छेद 143)**: राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व का विधि या तथ्य का प्रश्न भेज सकते हैं; **143(1)** के अधीन न्यायालय **मना कर सकता है**, **143(2)** (संविधान-पूर्व संधि विवाद) के अधीन उसे उत्तर **देना ही होगा**। यह राय राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी नहीं** है।

★★ **सलाहकारी उदाहरण**: बेरुबारी (Berubari, 1960); अयोध्या निर्देश (1993), जिसे न्यायालय ने 1994 में **अस्वीकार** किया; तृतीय न्यायाधीश मामला (1998); राज्य विधेयकों पर अनुमति (नवंबर 2025)।

★★ **अनुच्छेद 141**: उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के **सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी** है। **अनुच्छेद 144**: सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उसकी सहायता में कार्य करते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय (Complete justice)**: न्यायालय अपने समक्ष किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है; **साधारण विधियों** की सीमाएँ इस शक्ति को **नहीं बाँधतीं**, अतः संसद की विधियाँ इसे सीमित नहीं कर सकतीं। उपयोग: भोपाल गैस समझौता (1989), पेरारिवलन (Perarivalan) की रिहाई (2022), विवाह के असुधार्य रूप से टूटने पर तलाक (2023)।

★★★ **पुनर्विलोकन (Review, अनुच्छेद 137)**: उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है; पुनर्विलोकन विफल होने पर **उपचारात्मक याचिका (Curative petition)** अंतिम उपाय है (**रूपा अशोक हुर्रा, Rupa Ashok Hurra, 2002**)।

★★ **अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय**: इसके निर्णय पूर्व-निर्णय के रूप में रखे जाते हैं और यह स्वयं की **अवमानना के लिए दंड** दे सकता है। **अनुच्छेद 145(3)**: संविधान की व्याख्या के सारवान प्रश्न का निर्णय कम से कम **पाँच न्यायाधीश** (संविधान पीठ) करते हैं। **अनुच्छेद 139A**: यह उच्च न्यायालयों के बीच या अपने पास मामले स्थानांतरित कर सकता है।

★★ **न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act)**, जो **एच.एन. सान्याल समिति (H.N. Sanyal Committee)** की रिपोर्ट पर पारित हुआ, **सिविल** और **आपराधिक** अवमानना की परिभाषा देता है; संविधान नहीं देता। दंड: **6 माह** तक का साधारण कारावास, **₹2,000** तक जुर्माना, या दोनों; 2006 से लोकहित में **सत्य** एक बचाव है।

★★ अवमानना पर विधि **संसद** बनाती है: संघ सूची की प्रविष्टि 77 (उच्चतम न्यायालय की अवमानना) और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 14 (अन्य न्यायालयों की अवमानना)। अवमानना **अनुच्छेद 19(2)** के अधीन वाक्-स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध का भी एक आधार है।

★ **अनुच्छेद 317**: राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने से पहले उसके कदाचार की जाँच करता है।

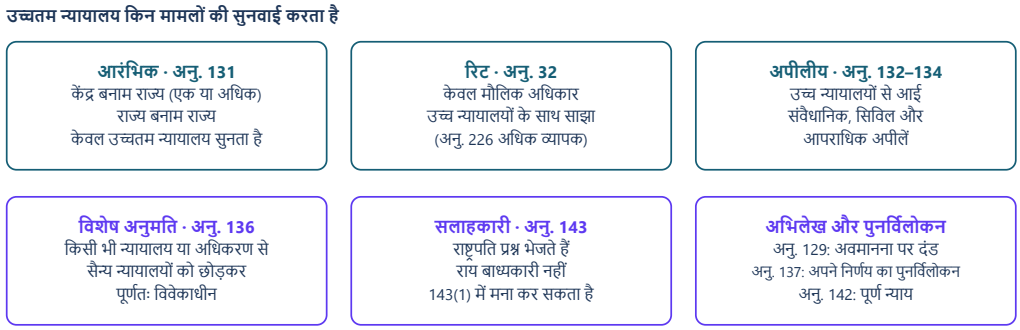

उच्चतम न्यायालय की छह टोपियाँ। ऊपर की पंक्ति: संविधान द्वारा दी गई अधिकारिता; नीचे की पंक्ति: विवेकाधीन, सलाहकारी और अंतर्निहित शक्तियाँ।

सिविल और आपराधिक अवमानना (न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971) ★★

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
सिविल अवमानना	न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा, या न्यायालय को दिए गए वचन का भंग	बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने के आदेश की अनदेखी
आपराधिक अवमानना	ऐसा कुछ प्रकाशित करना या करना जो न्यायालय को बदनाम करे या उसका प्राधिकार घटाए, किसी मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, या न्याय में बाधा डाले	मामला लंबित रहते हुए बिना आधार किसी पीठ को भ्रष्ट कहना

याद रखें: Our Wise Apex Speaks Again: **O**riginal = आरंभिक (131), **W**rit = रिट (32), **A**ppeal = अपील (132–134), **S**pecial leave = विशेष अनुमति (136), **A**dvice = सलाह (143)।

⚠ **परीक्षा में सावधान: केंद्र और किसी राज्य** के बीच विवाद कभी पहले उच्च न्यायालय में नहीं सुना जाता, और किसी सांसद की **निर्वाचन याचिका** कभी पहले उच्चतम न्यायालय में नहीं जाती। अनुच्छेद 143 की सलाहकारी राय राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी नहीं** है, और अनुच्छेद 141 अन्य न्यायालयों को बाँधता है, उच्चतम न्यायालय को स्वयं **नहीं**।

आसपास देखें: जब कोई राज्य उधार सीमा या केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग को लेकर संघ पर वाद करता है, तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में **अनुच्छेद 131 के अधीन आरंभिक वाद** दायर करता है; नीचे कोई विचारण न्यायालय नहीं होता।

झटपट जाँच

1. उच्चतम न्यायालय केंद्र–राज्य विवाद किस अधिकारिता के अधीन तय करता है?
2. कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' करने देता है?
3. क्या संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा देता है?

उत्तर: 1. आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 131 (अनन्य) · 2. अनुच्छेद 142 · 3. नहीं; न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 देता है

उच्च न्यायालय

अनु. 214, 231
अनु. 216 संख्या
अनु. 217
62 पर सेवानिवृत्ति
अनु. 226
अनु. 227

उच्च न्यायालय (High Court) राज्य की न्यायपालिका का प्रमुख है। इसकी रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से **व्यापक** है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के साथ साधारण विधिक अधिकारों की भी रक्षा कर सकता है, और यह अपने क्षेत्र के हर न्यायालय और अधिकरण का पर्यवेक्षण करता है।

★★★ **अनुच्छेद 214**: प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। **7वाँ संशोधन (1956)** संसद को दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र के लिए **साझा उच्च न्यायालय** स्थापित करने देता है (**अनुच्छेद 231**)।

★★ नवंबर 2026 की स्थिति में **25 उच्च न्यायालय**। सबसे पुराने **कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास (1862)**; फिर **इलाहाबाद (1866)**; **पटना (1916)**। सबसे नया **आंध्र प्रदेश** (अमरावती में, 1 जनवरी 2019 से)।

★★ **साझा उच्च न्यायालय**: **गुवाहाटी** (असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश); **बॉम्बे** (महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव); **पंजाब और हरियाणा** (चंडीगढ़ सहित); **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख**।

★★ **संघ राज्यक्षेत्र**: **दिल्ली** का अपना उच्च न्यायालय है (1966); पुडुचेरी **मद्रास** के अधीन, अंडमान और निकोबार **कलकत्ता** के अधीन, लक्षद्वीप **केरल** के अधीन आता है।

★★★ **न्यायाधीशों की संख्या**: संविधान तय नहीं करता; प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए **राष्ट्रपति** इसे तय करते हैं (**अनुच्छेद 216**)।

★★ **नियुक्ति (अनुच्छेद 217)**: **राष्ट्रपति** द्वारा, **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** और **राज्यपाल** से परामर्श के बाद; मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीशों के लिए उस उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायमूर्ति** से भी। नाम कॉलेजियम से आते हैं।

★★ **अर्हताएँ (अनुच्छेद 217(2))**: ऐसा नागरिक जो **10 वर्ष तक न्यायिक पद** पर रहा हो या **10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता** रहा हो। इसमें **'पारंगत विधिवेत्ता' का कोई रास्ता नहीं** है और कोई न्यूनतम आयु नहीं।

★★★ **शपथ राज्यपाल** के समक्ष (**अनुच्छेद 219**)। **62** पर सेवानिवृत्त (**15वें संशोधन, 1963** द्वारा 60 से बढ़ाई गई); **राष्ट्रपति** को लिखकर त्यागपत्र; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जाता है।

★★ **स्थानांतरण (अनुच्छेद 222)**: राष्ट्रपति द्वारा, **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** से परामर्श के बाद। **कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति (अनुच्छेद 223)**; **अपर न्यायाधीश (अनुच्छेद 224) 2 वर्ष** तक के लिए, और किसी स्थायी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश; **सेवानिवृत्त न्यायाधीशों (अनुच्छेद 224A)** से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अनुरोध कर सकते हैं।

★★ **सेवानिवृत्ति के बाद** उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश **उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों** में वकालत कर सकता है, पर उस न्यायालय में नहीं जहाँ उसने सेवा की (**अनुच्छेद 220**)।

★★★ **अनुच्छेद 226**: **मौलिक अधिकारों और 'किसी अन्य प्रयोजन'** के लिए रिट, अतः साधारण विधिक अधिकारों के लिए भी। अनुच्छेद 32 से व्यापक; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय **दोनों** मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

★★ **अनुच्छेद 227**: अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर **अधीक्षण (Superintendence)**, **सैन्य** अधिकरणों **को छोड़कर**। **अनुच्छेद 228**: संविधान की विधि के सारवान प्रश्न वाला लंबित मामला यह अपने पास ले सकता है।

★★ **आरंभिक अधिकारिता**: संसद और राज्य विधानमंडलों की **निर्वाचन याचिकाएँ**, नावधिकरण (admiralty), वसीयत, विवाह-विच्छेद, कंपनी विधि और अवमानना के मामले; मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।

★★★ **अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215)**: स्वयं की अवमानना के लिए दंड देता है। उच्च न्यायालय **केंद्रीय विधि को रद्द कर सकता है**; 42वें संशोधन की इस पर रोक **43वें (1977)** ने हटा दी।

★★★ **पुनर्विलोकन**: संविधान अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति **केवल उच्चतम न्यायालय को (अनुच्छेद 137)** देता है; कोई अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को ऐसी शक्ति नहीं देता। अतः 'उच्च न्यायालय को **उच्चतम न्यायालय की तरह** अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति है' को **गलत** मानें: UPSC (2021) की उत्तर कुंजी में यही है।

★ **वेतन**: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन **राज्य** की संचित निधि पर भारित हैं; उनकी पेंशन **भारत की संचित निधि** पर।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आमने-सामने ★★★

विशेषता	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय
अनुच्छेद	124–147 (भाग V)	214–231 (भाग VI)
न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है	संसद, विधि द्वारा	राष्ट्रपति
अर्हता के रास्ते	उच्च न्यायालय न्यायाधीश 5 वर्ष; उच्च न्यायालय अधिवक्ता 10 वर्ष; पारंगत विधिवेत्ता	न्यायिक पद 10 वर्ष; उच्च न्यायालय अधिवक्ता 10 वर्ष
शपथ किसके समक्ष	राष्ट्रपति	राज्यपाल
सेवानिवृत्ति आयु	65	62
त्यागपत्र किसे	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
रिट	अनुच्छेद 32: केवल मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 226: मौलिक अधिकार और कोई अन्य प्रयोजन
संविधान में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन	हाँ, अनुच्छेद 137	ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं
सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वापस बुलाना	अनुच्छेद 128: मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति से	अनुच्छेद 224A: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति से
सेवानिवृत्ति के बाद वकालत	भारत के हर न्यायालय में वर्जित	केवल उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में

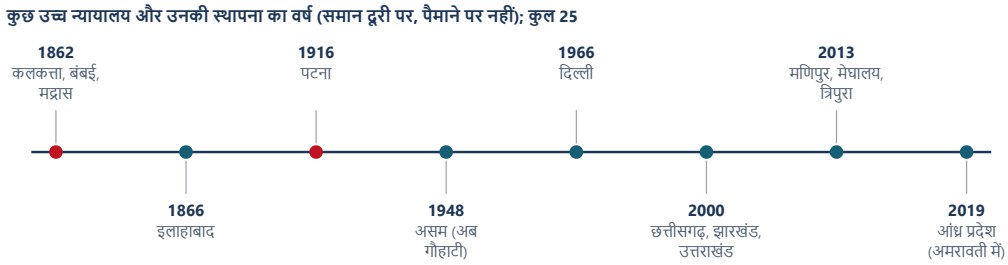

कुछ उच्च न्यायालय कब शुरू हुए। तीन प्रेसीडेंसी नगरों के न्यायालय सबसे पहले 1862 में बने; बिहार का उच्च न्यायालय, पटना, 1916 में खुला।

याद रखें: प्रेसीडेंसी नगर पहले: कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ब्रिटिश भारत के तीन प्रेसीडेंसी नगर थे, इसलिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 (Indian High Courts Act) के एक वर्ष बाद, **1862** में, इन्हें तीन सबसे पुराने उच्च न्यायालय मिले।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** न्यायाधीशों की संख्या: उच्चतम न्यायालय की **संसद**, उच्च न्यायालय की **राष्ट्रपति** तय करते हैं। शपथ: उच्चतम न्यायालय **राष्ट्रपति** के समक्ष, उच्च न्यायालय **राज्यपाल** के समक्ष। पर त्यागपत्र **दोनों राष्ट्रपति** को देते हैं, कभी राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं।

झटपट जाँच

1. किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, यह कौन तय करता है?
2. अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से व्यापक क्यों है?
3. किस संशोधन ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की अनुमति दी?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति (अनुच्छेद 216) · 2. यह केवल मौलिक अधिकार नहीं, 'किसी अन्य प्रयोजन' को भी शामिल करता है · 3. 7वाँ संशोधन, 1956

अधीनस्थ न्यायालय, विधिक सहायता और विधि व्यवसाय

अनु. 233

अनु. 39A

नालसा (NALSA)

लोक अदालत

ग्राम न्यायालय

अधिवक्ता अधिनियम 1961

अधिकांश लोग न्यायपालिका से जिला न्यायालय में मिलते हैं। संविधान इन न्यायालयों को सरकार के नहीं, उच्च न्यायालय के अधीन रखता है, और विधियों ने न्याय के सस्ते दरवाजे खोले हैं: निःशुल्क विधिक सहायता (Free legal aid), लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय और कुटुंब न्यायालय।

★★★ **अनुच्छेद 233**: **जिला न्यायाधीशों (District judges)** की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति **राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से** करते हैं; सीधी भर्ती वाला व्यक्ति कम से कम **7 वर्ष** अधिवक्ता रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो।

★★ **अनुच्छेद 234**: अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल **राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय** से परामर्श के बाद करते हैं। **अनुच्छेद 235**: अधीनस्थ न्यायालयों पर **उच्च न्यायालय का नियंत्रण** है।

★★ **एक अधिकारी, दो पदनाम**: **जिला न्यायाधीश** सिविल मामले सुनता है; वही अधिकारी **सत्र न्यायाधीश (Sessions judge)** के रूप में गंभीर अपराधों का विचारण करता है। सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए **मृत्युदंड** की **उच्च न्यायालय से पुष्टि** आवश्यक है।

★★ **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)** (**1 जुलाई 2024** से लागू) के अधीन **आपराधिक न्यायालय**: सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट; अलग महानगर मजिस्ट्रेट श्रेणी समाप्त हो गई।

★★ **अनुच्छेद 39A** (**42वें संशोधन, 1976** द्वारा जोड़ा गया): समान न्याय और **निःशुल्क विधिक सहायता**। विधि: **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act)**, **9 नवंबर 1995** से लागू (राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस)।

★★★ **नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, NALSA)**: **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) हैं; उच्चतम न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ देता है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए **नीतियाँ और दिशानिर्देश बनाता** है।

★★★ **निःशुल्क विधिक सहायता किसे मिलती है** (धारा 12): **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के सदस्य, मानव दुर्व्यापार या बेगार के पीड़ित, **महिलाएँ और बच्चे**, दिव्यांगजन, आपदा और जातीय हिंसा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, **अभिरक्षा में** रखे लोग, और वह हर व्यक्ति जिसकी आय सरकारी नियमों में तय सीमा से कम हो।

★★ **आय सीमाएँ** सरकारी नियमों के अनुसार **भिन्न हैं** (कई पुराने राज्य नियमों में ₹1 लाख प्रति वर्ष; दिल्ली में **ट्रांसजेंडर** व्यक्तियों के लिए **₹2 लाख** तक)। **'सभी वरिष्ठ नागरिकों' के लिए कोई सामान्य अधिकार नहीं** है, और केवल OBC होना पात्रता नहीं देता।

★★★ **लोक अदालत (Lok Adalat)** ('जनता का न्यायालय'): पहला शिविर **गुजरात, 1982** में; 1987 के अधिनियम से सांविधिक। समझौते से निपटारा; **कोई न्यायालय शुल्क नहीं** (पहले दिया शुल्क लौटा दिया जाता है); इसका पंचाट **सिविल न्यायालय की डिक्री** है, अंतिम, **कोई अपील नहीं**। यह **अशमनीय (Non-compoundable)** अपराधों का निपटारा नहीं कर सकती।

★★ **स्थायी लोक अदालतें (Permanent Lok Adalat)** (2002 का संशोधन): परिवहन, डाक, दूरसंचार, बिजली, जल, अस्पताल और बीमा जैसी **जनोपयोगी सेवाओं** के लिए; बातचीत विफल हो तो गुण-दोष पर निर्णय दे सकती हैं; मूल्य सीमा **₹1 करोड़** (2015 से)।

★★★ **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (Gram Nyayalayas Act)** (2 अक्टूबर 2009 से लागू): प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के ग्राम-स्तरीय न्यायालय, जिनका पीठासीन अधिकारी **न्यायाधिकारी** होता है; **चलते-फिरते (Mobile)**; **सिविल और आपराधिक दोनों** मामलों का विचारण; पहले सुलह का प्रयास और **स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता** बना सकते हैं; साक्ष्य के कठोर नियमों की जगह नैसर्गिक न्याय का पालन।

★★ **कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act)**: राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित करती है; **10 लाख** से अधिक जनसंख्या वाले हर नगर या शहर में अनिवार्य; केवल **एक अपील**, **उच्च न्यायालय** में।

★★★ **अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act)**: **भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India)** और राज्य विधिज्ञ परिषदें बनाता है। राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकित **व्यक्ति** ही अधिवक्ता होते हैं (विधि फर्म नहीं); **भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक शिक्षा** के मानक तय करती है और नामांकन के लिए विधि उपाधियों और महाविद्यालयों को **मान्यता** देती है।

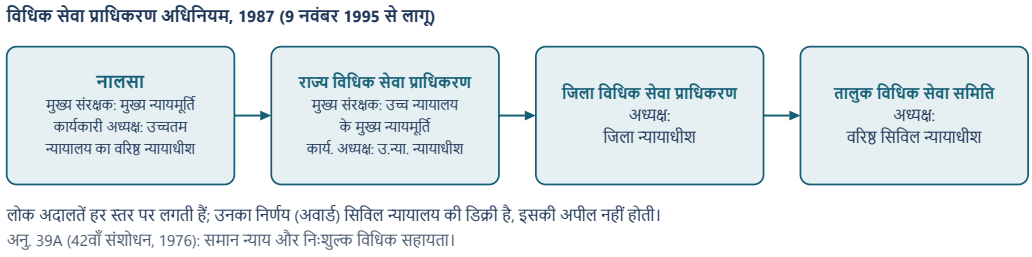

राष्ट्रीय स्तर से तालुका स्तर तक विधिक सेवाओं की श्रृंखला। हर स्तर लोक अदालतें और विधिक सहायता क्लिनिक चलाता है।

न्याय के सस्ते दरवाजे ★★

मंच	विधि	याद रखें
लोक अदालत	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987	समझौता; पंचाट अंतिम, कोई अपील नहीं; कोई न्यायालय शुल्क नहीं
स्थायी लोक अदालत	1987 के अधिनियम में 2002 का संशोधन	जनोपयोगी सेवा विवाद; ₹1 करोड़ तक
ग्राम न्यायालय	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008	चलते-फिरते; सिविल और आपराधिक; न्यायाधिकारी
कुटुंब न्यायालय	कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर; उच्च न्यायालय में एक अपील

⚠ **परीक्षा में सावधान:** ग्राम न्यायालय **सिविल के साथ आपराधिक** मामले भी सुनते हैं; 'केवल सिविल मामले' वाला कथन गलत है। लोक अदालत के पंचाट के विरुद्ध **कोई अपील नहीं** होती, पर समझौता न हो तो मामला सीधे नियमित न्यायालय में लौट जाता है।

👁 **आसपास देखें:** एक शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत देश भर में लाखों ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस और बैंक ऋण के मामले निपटा सकती है; हर समझौता उसी दिन अंतिम हो जाता है।

☑ **झटपट जाँच**

1. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, और किसके परामर्श से?
2. क्या ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों का विचारण कर सकता है?
3. भारत में विधिक शिक्षा के मानक कौन तय करता है?

उत्तर: 1. राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से (अनुच्छेद 233) · 2. हाँ, सिविल और आपराधिक दोनों · 3. भारतीय विधिज्ञ परिषद (अधिवक्ता अधिनियम, 1961)

न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका

न्यायिक पुनर्विलोकन

अनु. 13

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

नौवीं अनुसूची

24 अप्रैल 1973

जनहित याचिका

न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review) न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे संविधान का उल्लंघन करने वाली किसी विधि या कार्यपालिका के आदेश को रद्द करते हैं। भारत का रूप अमेरिका से **संकीर्ण** है: हमारे न्यायालय पूछते हैं कि विधि **संवैधानिक** है या नहीं, यह नहीं कि वह बुद्धिमानी भरी है या नहीं। इससे उच्चतम न्यायालय संविधान का **अभिरक्षक** बनता है।

★★★ **अर्थ**: केंद्र और राज्यों की **विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता** पर निर्णय देने, और संविधान का उल्लंघन करने पर उन्हें शून्य घोषित करने की न्यायपालिका की शक्ति।

★★★ **न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है**: किसी विधि की **बुद्धिमत्ता** पर प्रश्न, **अनुमति से पहले** विधेयकों की जाँच, या न्यायालय द्वारा **अपने निर्णय का पुनर्विलोकन** (वह अनुच्छेद 137 है)।

★★ **आधार**: 'न्यायिक पुनर्विलोकन' शब्द संविधान में कहीं नहीं है; यह शक्ति **अनुच्छेद 13**, **32**, **226**, 131–136, 143, 245–246 और 372 से निकलती है। यह विचार अमेरिका में शुरू हुआ (**मारबरी बनाम मैडिसन, Marbury v. Madison, 1803**)।

★★★ **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)** (अनुच्छेद 21, जापान के संविधान से), अमेरिकी **विधि की सम्यक् प्रक्रिया (Due process of law)** नहीं। **मेनका गांधी (Maneka Gandhi, 1978)** के बाद प्रक्रिया का **उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त** होना भी आवश्यक है।

★★★ **संशोधनों का पुनर्विलोकन हो सकता है**: **केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati, 1973)** ने माना कि संशोधन **मूल ढाँचे (Basic structure)** को नष्ट नहीं कर सकता; **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills, 1980)** ने न्यायिक पुनर्विलोकन को ही उसका भाग घोषित किया।

★★ **एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar, 1997)**: उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226, 227) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की पुनर्विलोकन शक्ति छीनी नहीं जा सकती; अधिकरणों के निर्णय पहले उच्च न्यायालय की पीठ के पास जाते हैं।

★★★ **उच्च न्यायालय केंद्रीय विधियों को रद्द कर सकते हैं**। 42वें संशोधन (1976) ने इस पर रोक लगाई थी (अनुच्छेद 226A, 131A); **43वें संशोधन (1977)** ने यह शक्ति बहाल की।

★★★ **नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)**: **अनुच्छेद 31B** और यह अनुसूची भूमि सुधार विधियों को संरक्षण देने के लिए **पहले (1st) संशोधन, 1951** से जोड़ी गई। कोई विधि इसमें केवल संसद के **संविधान संशोधन** से ही जाती है।

★★★ **आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho, 2007)**, नौ न्यायाधीश: **24 अप्रैल 1973 के बाद** (केशवानंद की तिथि) नौवीं अनुसूची में रखी गई विधियाँ, यदि मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ, तो रद्द की जा सकती हैं, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधिकार भी शामिल हैं।

★★ **न्यायिक सक्रियता (Judicial activism)**: न्यायालयों का संकीर्ण विवाद से आगे जाकर अधिकारों की रक्षा करना और अन्य अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना; 1970 के दशक के मध्य से न्यायमूर्ति **वी.आर. कृष्णा अय्यर (V.R. Krishna Iyer)** और **पी.एन. भगवती** ने इसकी शुरुआत की। **न्यायिक संयम (Judicial restraint)** इसका उलटा है; **न्यायिक अतिक्रमण (Judicial overreach)** तब है जब न्यायालय स्वयं नीति बनाने लगें।

★★★ **जनहित याचिका (Public Interest Litigation)**: कोई भी लोक-भावना वाला व्यक्ति उन लोगों के लिए न्यायालय जा सकता है जो स्वयं नहीं जा सकते; **सुने जाने का अधिकार (Locus standi)** शिथिल है और एक **पत्र** को भी याचिका माना जा सकता है (पत्र-आधारित अधिकारिता, epistolary jurisdiction)। इसे सामाजिक कार्रवाई मुकदमा भी कहते हैं।

★★ **हुसैनआरा खातून (Hussainara Khatoon, 1979)**, जो **बिहार की जेलों में बंद** हजारों **विचाराधीन कैदियों** पर था, अक्सर पहली जनहित याचिका कहा जाता है; **एस.पी. गुप्ता (1981)** ने किसी भी लोक-भावना वाले व्यक्ति के लिए सुने जाने का अधिकार खोला।

★★ **जनहित याचिका के परिणाम**: **विशाखा (Vishaka, 1997)**, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश; **एम.सी. मेहता (M.C. Mehta)** मामले, दिल्ली में CNG बसें और गंगा की सफाई। न्यायालय ने जनहित याचिका पत्रों को स्वीकार करने के दिशानिर्देश **1988** में बनाए।

न्यायिक पुनर्विलोकन किसे जाँचता है ★★

न्यायालय जाँच सकते हैं	न्यायालय नहीं जाँचते
संसद और राज्य विधानमंडलों की विधियाँ	विधि बुद्धिमानी भरी या अच्छी नीति है या नहीं
कार्यपालिका के आदेश और नियम	अनुमति मिलने से पहले कोई विधेयक
संविधान संशोधन (मूल ढाँचा)	वे विषय जिन्हें संविधान पूरी तरह विधानमंडल की आंतरिक प्रक्रिया पर छोड़ता है (अनुच्छेद 122, 212)
24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई नौवीं अनुसूची की विधियाँ	उस तिथि से पहले जोड़ी गई नौवीं अनुसूची की विधियाँ, केवल भाग III के आधार पर

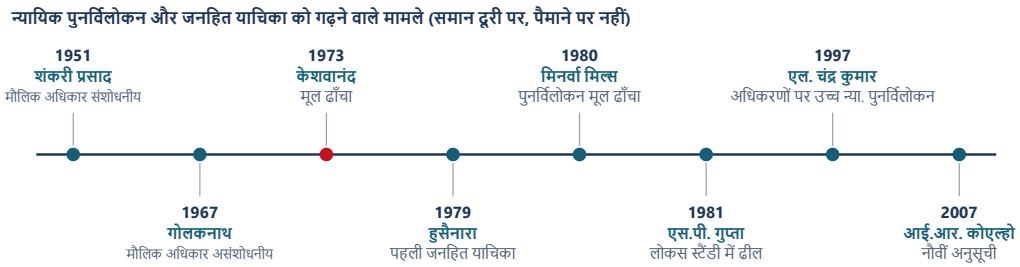

वे मामले जिन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका को गढ़ा, क्रम से (दूरी समान है, पैमाने पर नहीं)।

याद रखें: 24-4-73: वह दिन जब केशवानंद भारती का निर्णय आया। इसे नौवीं अनुसूची के कवच की समाप्ति तिथि समझिए: इसके बाद डाली गई हर विधि जाँची जा सकती है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** ये दोनों कथन **गलत** हैं: 'कोई उच्च न्यायालय केंद्रीय विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकता' और 'संविधान संशोधन पर उच्चतम न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता'। 99वाँ संशोधन (NJAC) 2015 में रद्द किया गया। इसी तरह गलत: 'नौवीं अनुसूची की किसी विधि की कोई न्यायालय कभी जाँच नहीं कर सकता'।

☑ झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 21 कौन-सा वाक्यांश प्रयोग करता है: 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' या 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया'?
2. किस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची की विधियाँ मूल ढाँचे के आधार पर पुनर्विलोकन के लिए खुली हैं?
3. बिहार के विचाराधीन कैदियों पर 1979 का कौन-सा मामला पहली जनहित याचिका कहलाता है?

उत्तर: 1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया · 2. 24 अप्रैल 1973 (आई.आर. कोएल्हो, 2007) · 3. हुसैनआरा खातून

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (27)

UPSC 2012 निम्नलिखित में से कौन-से उच्चतम न्यायालय की आरम्भिक अधिकारिता में आते हैं?
1. भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
2. संसद् के किसी भी सदन या राज्य विधान-मण्डल में हुए चुनाव पर विवाद
3. भारत सरकार तथा किसी संघ राज्यक्षेत्र के बीच का विवाद
4. दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3 (c) 1 और 4 (d) 3 और 4
उत्तर: (c) 1 और 4. अनुच्छेद 131: उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता केंद्र–राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर है; संसद और राज्य विधानमंडल की सीटों की चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालय में जाती हैं

UPSC 2012 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है?
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना पड़ता है।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमण्डल को अपना मत नहीं देना होता है।
4. भारत के उच्चतम न्यायालय के अफ़सरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के पश्चात् ही की जाती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a) केवल 1 और 3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है; अनुच्छेद 146: उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति CJI करता है; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के समावेदन के बाद राष्ट्रपति हटाता है

UPSC 2013 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश-भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. NALSA कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा देता है और राज्य प्राधिकरणों को निर्देश देता है

UPSC 2014 केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अन्तर्गत आती है?
(a) परामर्शी अधिकारिता के अन्तर्गत (b) अपीली अधिकारिता के अन्तर्गत (c) मूल अधिकारिता के अन्तर्गत (d) रिट अधिकारिता के अन्तर्गत
उत्तर: (c) मूल अधिकारिता के अन्तर्गत. अनुच्छेद 131: उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता केंद्र–राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर है

UPSC 2014 भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है?
(a) भारत का राष्ट्रपति (b) संसद (c) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति (d) विधि आयोग
उत्तर: (b) संसद. अनुच्छेद 124(1): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा तय करती है

UPSC 2015 निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक (कस्टोडियन) है?
(a) भारत का राष्ट्रपति (b) भारत का प्रधानमंत्री (c) लोक सभा सचिवालय (d) भारत का उच्चतम न्यायालय
उत्तर: (d) भारत का उच्चतम न्यायालय. उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है

UPSC 2016 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं।
2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. 2008 के अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मामले सुनते हैं; ग्राम न्यायालय स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता के रूप में ले सकते हैं

UPSC 2017 भारत में, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है
(a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ।
(b) विधानमण्डलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार ।
(c) न्यायपालिका का, सभी विधायी अधिनियमनों के, राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व, पुनरीक्षण का अधिकार ।
(d) न्यायपालिका का, समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार ।
उत्तर: (a) विधियों और कार्यपालिक आदेशों की सांविधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ।. न्यायिक पुनरावलोकन: न्यायालय कानूनों और कार्यकारी आदेशों को संविधान की कसौटी पर परखते हैं

UPSC 2018 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत की संसद किसी क़ानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है ।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी क़ानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (a) केवल 1. संसद नौवीं अनुसूची में कानून केवल संविधान संशोधन द्वारा जोड़ सकती है; 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानून मूल ढाँचे की कसौटी पर जाँचे जा सकते हैं

UPSC 2019 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।
4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 3 और 4 (d) 1, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 3 और 4. अध्यक्ष या सभापति न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं; न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन में एक ही सत्र में विशेष बहुमत चाहिए; न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया तय करता है

UPSC 2019 भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?
(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
(d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।
उत्तर: (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।. अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है

UPSC 2019 भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून रद्द कर सकते हैं; 43वें संशोधन ने 42वें की रोक हटाई; संविधान संशोधन मूल ढाँचे की कसौटी पर न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं

UPSC 2020 भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं ?
1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को
2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को
3. ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को
4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 4
उत्तर: (a) केवल 1 और 2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र बताती है; निःशुल्क विधिक सहायता की आय-सीमा और अतिरिक्त वर्ग नियमों द्वारा तय होते हैं

UPSC 2021 भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a) केवल 1. अनुच्छेद 128: CJI राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को SC में बैठने को कह सकता है; अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की स्पष्ट शक्ति देता है

UPSC 2022 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था ।
2. भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु, शक्ति प्रदान करता है ।
3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है ।
4. भारत में, न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 4 (c) केवल 3 और 4 (d) केवल 3
उत्तर: (b) 1, 2 और 4. अनुच्छेद 129 और 215 उच्चतम और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना पर दंड देने देते हैं; सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में है

UPSC 2022 भारत के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता-प्राप्त हैं, किन्तु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं ।
2. विधिज्ञ परिषदों (बार कौंसिलों) को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत अधिवक्ता वे व्यक्ति हैं जो बार काउंसिल में नामांकित हैं; भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक शिक्षा के मानक तय करती है और विधि उपाधियों को मान्यता देती है

BPSC 63rd भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
(a) प्रधानमंत्री (b) राष्ट्रपति (c) भारत का मुख्य न्यायाधीश (d) लोकपाल (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) राष्ट्रपति. अनुच्छेद 124(2): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

BPSC 63rd सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की उम्र क्या है?
(a) 60 वर्ष (b) 62 वर्ष (c) 65 वर्ष (d) 70 वर्ष (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) 65 वर्ष. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष पर और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं

BPSC 64th सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है?
(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री (c) विधि मंत्री (d) भारत के महान्यायवादी (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) राष्ट्रपति. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है (अनुच्छेद 124(2))

BPSC 67th भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है?
(a) संविधान (b) नियमित कानून की उचित प्रक्रिया (c) परंपरा (d) कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया. अनुच्छेद 21 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अपनाता है, अमेरिकी 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' नहीं

BPSC 67th ए॰ एस॰ आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे?
(a) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश (c) मुख्य सतर्कता आयुक्त (d) महान्यायवादी
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश. न्यायमूर्ति ए॰ एस॰ आनंद 1998 से 2001 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे

BPSC 67th re-exam सर्वोच्च न्यायालय एक
(a) सिविल न्यायालय है (b) संघीय न्यायालय है (c) मानव अधिकारों का संरक्षक है (d) संविधान का अंतिम विवेचक है
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक. उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय और संविधान का अंतिम व्याख्याता है; अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है

BPSC 68th निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है?
(a) अपीलीय अधिकार क्षेत्र (b) मूल अधिकार क्षेत्र (c) कॉलेजियम प्रणाली (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक. उच्चतम न्यायालय के पास मूल (अनुच्छेद 131) और अपीलीय (अनुच्छेद 132–134) क्षेत्राधिकार है; वरिष्ठ न्यायाधीशों का कॉलेजियम, जो न्यायिक निर्णयों से बना, SC और HC नियुक्तियों की सिफारिश करता है

BPSC 69th कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक पाँच-सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (सी॰ जे॰ आइ॰) करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
2. संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरम्भ किया है।
3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है।
4. कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी॰ एन॰ भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) 1 और 2 (c) 3 और 4 (d) 1 और 3
उत्तर: (d) 1 और 3. कॉलेजियम प्रणाली किसी कानून से नहीं, द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) से निकली है; उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बनता है

BPSC 69th उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है?
(a) राष्ट्रपति (b) राज्य के मुख्यमंत्री (c) प्रधानमंत्री (d) संसद
उत्तर: (a) राष्ट्रपति. प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करता है (अनुच्छेद 216); उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून बनाकर तय करती है

BPSC 70th re-exam केन्द्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है ?
(a) परामर्शी क्षेत्राधिकार (b) संवैधानिक क्षेत्राधिकार (c) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (d) अपीलीय क्षेत्राधिकार
उत्तर: (c) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार. अनुच्छेद 131: केंद्र–राज्य विवादों में उच्चतम न्यायालय का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है

BPSC 71st निम्नलिखित में से कौन-सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है?
(a) केंद्र और राज्य के बीच विवाद (b) राज्यों के बीच विवाद (c) मौलिक अधिकारों का संरक्षण (d) संविधान के उल्लंघन से संरक्षण
उत्तर: (c) मौलिक अधिकारों का संरक्षण. उच्चतम न्यायालय (अनु. 32) और उच्च न्यायालय (अनु. 226) दोनों मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं; अनुच्छेद 131: केंद्र–राज्य और अंतर्राज्यीय विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में जाते हैं

स्वयं को परखें (12)

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(a) राष्ट्रपति (b) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (c) राज्य के राज्यपाल (d) उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति

2. इनमें से कौन-सा विवाद उच्चतम न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता में आता है?
(a) किसी राज्य के विरुद्ध केंद्र का वाद (b) किसी लोक सभा सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन याचिका (c) अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद
(d) 1950 से पहले की किसी संधि से जुड़ा विवाद

3. न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव किससे हुआ?
(a) न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 (b) प्रथम न्यायाधीश मामला, 1981 (c) द्वितीय न्यायाधीश मामला, 1993
(d) 99वाँ संशोधन, 2014

4. उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उसी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध कौन कर सकता है?
(a) राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सलाह पर (b) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से (c) संसद, संकल्प द्वारा
(d) पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम, स्वयं

5. विचार कीजिए: 1. लोक अदालत के पंचाट को जिला न्यायालय में अपील में चुनौती दी जा सकती है। 2. स्थायी लोक अदालत ₹1 करोड़ तक के जनोपयोगी सेवा विवादों का निर्णय कर सकती है। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. किस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में रखी गई विधियों को मूल ढाँचे की कसौटी पर जाँचा जा सकता है?
(a) 26 जनवरी 1950 (b) 25 जून 1975 (c) 1 अप्रैल 1977 (d) 24 अप्रैल 1973

7. कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है?
(a) अनुच्छेद 141 (b) अनुच्छेद 137 (c) अनुच्छेद 142 (d) अनुच्छेद 144

8. जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए वकालत की न्यूनतम अवधि है
(a) 10 वर्ष (b) 5 वर्ष (c) 12 वर्ष (d) 7 वर्ष

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) मुख्य न्यायमूर्ति असमर्थता के आधार पर किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं (b) संविधान 'साबित कदाचार' की परिभाषा देता है
(c) अध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर सकता है (d) प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत पर्याप्त है

10. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद विधि द्वारा तय करती है।
2. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है।
3. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहाँ उसने सेवा की।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली संसद के एक अधिनियम में निर्धारित है।
2. अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।
3. ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों का विचारण करते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई भी नहीं

12. एक जिला अधिकारी किसी व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर देता है। यह आदेश उसके व्यापार करने के मौलिक अधिकार और राज्य की एक विधि से मिले अधिकार, दोनों का उल्लंघन करता है। वह दोनों अधिकारों के लिए एक ही रिट याचिका चाहता है। उसे यह कहाँ दायर करनी चाहिए?
(a) उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन, जो दोनों तरह के अधिकारों को शामिल करता है
(b) उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136 के अधीन, विशेष अनुमति याचिका के रूप में (c) उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन
(d) जिला न्यायालय में, क्योंकि अधिकारी राज्य सरकार के अधीन काम करता है

उत्तर: 1. (c) अनुच्छेद 219: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल (या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति) के समक्ष शपथ लेता है। · 2. (a) अनुच्छेद 131 केंद्र–राज्य और अंतर-राज्य विवादों को शामिल करता है; जल विवाद, संविधान-पूर्व संधियाँ और सांसदों की निर्वाचन याचिकाएँ इससे बाहर हैं। · 3. (c) द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) ने मुख्य न्यायमूर्ति की राय को प्रधानता दी और कॉलेजियम बनाया; 99वें संशोधन ने इसकी जगह लेने का प्रयास किया। · 4. (b) अनुच्छेद 128: मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह अनुरोध कर सकते हैं। · 5. (b) लोक अदालत का पंचाट अंतिम है, उसकी कोई अपील नहीं; स्थायी लोक अदालतें ₹1 करोड़ तक के जनोपयोगी सेवा विवाद सुनती हैं। · 6. (d) आई.आर. कोएल्हो (2007) ने 24 अप्रैल 1973 चुना, जो केशवानंद भारती निर्णय की तिथि है। · 7. (a) अनुच्छेद 141 सभी न्यायालयों को बाँधता है; अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन है, अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय, अनुच्छेद 144 प्राधिकारियों से न्यायालय की सहायता में कार्य करने को कहता है। · 8. (d) अनुच्छेद 233(2): कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता या प्लीडर, जिसकी सिफारिश उच्च न्यायालय करे। · 9. (c) न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 के अधीन अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं; हटाने के लिए विशेष बहुमत और राष्ट्रपति का आदेश चाहिए। · 10. (b) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं; उच्च न्यायालय की संख्या राष्ट्रपति (अनुच्छेद 216) तय करते हैं, और अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त न्यायाधीश को केवल उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत करने देता है। · 11. (d) तीनों गलत हैं: कॉलेजियम न्यायाधीश मामलों पर टिका है, अनुच्छेद 143 की राय बाध्यकारी नहीं है, और ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों मामलों का विचारण करते हैं। · 12. (c) अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और 'किसी अन्य प्रयोजन' के लिए रिट जारी करने देता है; अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों को शामिल करता है और अनुच्छेद 136 अपील का रास्ता है।

अध्याय 15

राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और संघ राज्यक्षेत्र

राज्यपाल की नियुक्ति, उन्मुक्ति और विवेकाधिकार, विधेयक पर चार विकल्प, मंत्रियों की 15% सीमा, विधान परिषद की संरचना, अध्यक्ष का पद, और विधानमंडल वाले तथा बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 19 बार पूछा गया: UPSC 10 · BPSC 9

≈ 50 min पढ़ने में ≈ 12 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. राज्यपाल (Governor): **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 155); आयु **35** वर्ष, भारत का नागरिक (अनुच्छेद 157); 5 वर्ष का कार्यकाल, पर **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** (अनुच्छेद 156); संविधान में **हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं**; एक ही व्यक्ति **दो या अधिक राज्यों** का राज्यपाल हो सकता है (7वाँ संशोधन, 1956)।
2. शपथ **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** के समक्ष (अनुच्छेद 159); वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित, और कार्यकाल में **घटाया नहीं जा सकता** (अनुच्छेद 158)।
3. **अनुच्छेद 361**: पद के कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में उसके विरुद्ध **कोई आपराधिक कार्यवाही** न शुरू हो सकती है, न जारी रह सकती है।
4. **अनुच्छेद 163** में राज्यपाल के **विवेकाधिकार (discretion)** का स्पष्ट उल्लेख है: विधेयक को आरक्षित करना (अनुच्छेद 200) और राष्ट्रपति शासन के लिए प्रतिवेदन भेजना (अनुच्छेद 356) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
5. **अनुच्छेद 200**: अनुमति देना, अनुमति रोकना (फिर लौटाना), पुनर्विचार हेतु लौटाना (धन विधेयक नहीं) या आरक्षित करना; दोबारा पारित विधेयक को अनुमति देनी ही होगी। **कोई समय-सीमा** नहीं लिखी है; न्यायालय भी समय-सीमा तय नहीं कर सकते (राष्ट्रपति संदर्भ पर राय, नवंबर 2025)।
6. राज्य का विधेयक केवल **राज्यपाल** आरक्षित कर सकता है; राष्ट्रपति स्वयं किसी विधेयक को अपने पास नहीं मँगा सकता (अनुच्छेद 201)।
7. **सरकारिया आयोग (1983–87)**: राज्यपाल राज्य के **बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति** हो, जो राजनीति से अलग रहा हो।
8. मुख्यमंत्री सहित मंत्री: विधान सभा के अधिकतम **15%** और न्यूनतम **12** (**91वाँ संशोधन, 2003**); गैर-सदस्य **6 महीने** तक मंत्री रह सकता है, पर तभी जब वह सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
9. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से **विधान सभा** के प्रति उत्तरदायी है (अनुच्छेद 164(2))।
10. विधान परिषद (Legislative Council): विधान सभा के अधिकतम **1/3**, न्यूनतम **40**; 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधायक, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक, 1/6 मनोनीत; **छह** राज्यों में है। वह अपना **सभापति** स्वयं चुनती है।
11. विधायक न रहने पर अध्यक्ष (Speaker) पद छोड़ता है, पर **विघटन पर नहीं**: वह नई विधान सभा की पहली बैठक तक बना रहता है। विधायक की निरर्हता (दल-बदल को छोड़कर): **राज्यपाल** तय करता है, निर्वाचन आयोग की राय पर (अनुच्छेद 192)।
12. **अनुच्छेद 210–212**: कार्यवाही राज्य की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी में; किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं; प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते।
13. **लद्दाख बिना** विधानमंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र है; **दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर** में विधान सभा है। हिमाचल प्रदेश में **68** विधायक; अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय प्रत्येक में **60**।

राज्यपाल: नियुक्ति, कार्यकाल और स्थिति

अनुच्छेद 153–162

अनुच्छेद 155

आयु 35

अनुच्छेद 156 प्रसादपर्यंत

अनुच्छेद 159 शपथ

सरकारिया

राज्य, केंद्र के संसदीय मॉडल को अपनाते हैं: एक **औपचारिक प्रमुख**, राज्यपाल, और एक **वास्तविक कार्यपालिका**, मुख्यमंत्री और मंत्री। चूँकि राज्यपाल को केंद्र नियुक्त करता है, यह पद राज्य और **संघ के बीच कड़ी** का काम भी करता है।

★★ **भाग VI, अनुच्छेद 153–167** राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है; स्वयं राज्यपाल का पद **अनुच्छेद 153–162** में है।

★★★ **अनुच्छेद 153**: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल; **7वाँ संशोधन (1956) एक ही व्यक्ति** को **दो या अधिक राज्यों** का राज्यपाल बनने की अनुमति देता है।

★★★ **अनुच्छेद 155**: **राष्ट्रपति** अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा नियुक्त करता है। यह **कनाडा** के मॉडल पर है, जहाँ केंद्र प्रांतों के प्रमुख नियुक्त करता है।

★★ **निर्वाचित नहीं**: संविधान सभा ने प्रत्यक्ष चुनाव को अस्वीकार किया, क्योंकि दो निर्वाचित प्रमुख (राज्यपाल और मुख्यमंत्री) टकरा सकते थे, नाममात्र के प्रमुख के लिए महँगा चुनाव अनावश्यक है, और निर्वाचित राज्यपाल किसी दल का आदमी बन जाता।

★★ केंद्र का **कर्मचारी नहीं**: राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद धारण करता है (**हरगोविंद पंत, 1979**)।

★ **दो परिपाटियाँ (conventions)**: राज्यपाल प्रायः राज्य के **बाहर** का होता है, और नियुक्ति से पहले केंद्र **मुख्यमंत्री से परामर्श** करता है।

★★★ **योग्यताएँ (अनुच्छेद 157)**: केवल दो: भारत का **नागरिक** और कम से कम **35 वर्ष** की आयु।

★★★ **शर्तें (अनुच्छेद 158)**: संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं (पद ग्रहण करते ही उसकी सीट रिक्त हो जाती है) और कोई अन्य लाभ का पद नहीं; **राजभवन** किराया-मुक्त मिलता है; उसकी उपलब्धियाँ **कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकतीं**।

★★ **वेतन**: संसद तय करती है और यह राज्य की संचित निधि पर **भारित** है (2018 से ₹3.5 लाख प्रति माह); दो राज्यों के राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार **बँटता** है।

★★★ **शपथ (अनुच्छेद 159)**: **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** (या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश) के समक्ष; संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता की सेवा की शपथ।

★★★ **कार्यकाल (अनुच्छेद 156)**: **5 वर्ष**, पर वह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है और उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बना रहता है।

★★★ **हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं**: राष्ट्रपति के विपरीत, संविधान में न **महाभियोग** है, न हटाने का **कोई आधार**।

★★ **बी.पी. सिंघल (2010)**: हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस आवश्यक नहीं, पर हटाना **मनमाना** नहीं हो सकता, न केवल इसलिए कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल बदल गया; चुनौती मिलने पर केंद्र को कारण बताने होंगे।

★★ **अनुच्छेद 160**: जिन स्थितियों का संविधान में प्रावधान नहीं, जैसे अचानक पद रिक्त होना, उनमें राज्यपाल के कार्यों की व्यवस्था राष्ट्रपति करता है।

★★★ **सरकारिया आयोग** (गठन **1983**, प्रतिवेदन **1987**): राज्यपाल राज्य के **बाहर** का कोई **प्रतिष्ठित** व्यक्ति हो, **निकट अतीत** में राजनीति में सक्रिय न रहा हो, एक **तटस्थ** व्यक्ति, जिसे मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद चुना जाए।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना ★★★

बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
कैसे चुना जाता है	निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
न्यूनतम आयु	35	35
शपथ किसके समक्ष	भारत के मुख्य न्यायाधीश	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
हटाना	महाभियोग (अनुच्छेद 61)	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; कोई प्रक्रिया लिखी नहीं
पाठ में विवेकाधिकार	शब्दों में कोई नहीं (अनुच्छेद 74)	स्पष्ट उल्लेख (अनुच्छेद 163)
अध्यादेश	किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं	तीन स्थितियों में राष्ट्रपति के निर्देश आवश्यक
क्षमादान	मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है; सेना न्यायालय (court-martial) के दंड को भी	मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा नहीं; सेना न्यायालय पर कोई शक्ति नहीं
आपातकाल	अनुच्छेद 352, 356, 360	अपनी कोई शक्ति नहीं; केवल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रतिवेदन

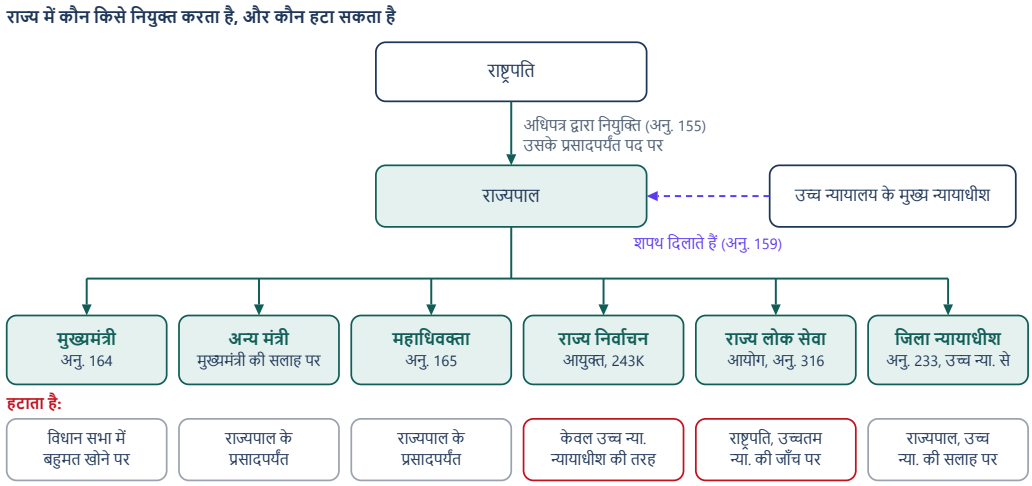

राज्य में कौन किसे नियुक्त करता है। राज्यपाल सभी छह को नियुक्त करता है, पर हटा केवल उन्हें सकता है जो उसके प्रसादपर्यंत पद पर हैं; राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संरक्षित हैं।

याद रखें: दो संख्याएँ और एक शर्त: आयु **35**, कार्यकाल **5** वर्ष; शर्त है राष्ट्रपति का **प्रसाद**, इसलिए पाँच वर्ष कभी पक्के नहीं।

परीक्षा में सावधान: 'एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता' **असत्य** है (7वाँ संशोधन)। 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त करता है' **असत्य** है: उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 'संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई' **सत्य** है।

झटपट जाँच

1. राज्यपाल को कौन और किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त करता है?
2. राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है?
3. किस आयोग ने चाहा कि राज्यपाल बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो हाल में राजनीति में न रहा हो?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 · 2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश · 3. सरकारिया आयोग

राज्यपाल की शक्तियाँ

अनुच्छेद 154, 166

अनुच्छेद 174, 176

अनुच्छेद 192

अनुच्छेद 213 अध्यादेश

अनुच्छेद 161 क्षमा

कागज़ पर राज्य की पूरी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है; व्यवहार में वह लगभग सारी शक्ति **मंत्रियों की सलाह** पर प्रयोग करता है। उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति जैसी हैं, बस कुछ, जैसे क्षमादान और अध्यादेश, अधिक सीमित हैं।

★★ **अनुच्छेद 154**: राज्य की कार्यपालिका शक्ति **राज्यपाल में निहित** है; **अनुच्छेद 166**: सारी कार्यपालिका कार्रवाई **उसके नाम से** होती है, और वह मंत्रियों की सलाह पर **कार्य-संचालन नियम (rules of business)** बनाता है।

★★★ **नियुक्तियाँ**: **मुख्यमंत्री** और उसकी सलाह पर अन्य मंत्री (**अनुच्छेद 164**); **महाधिवक्ता (Advocate General)** (**अनुच्छेद 165**); **राज्य निर्वाचन आयुक्त** (**अनुच्छेद 243K**); **राज्य लोक सेवा आयोग** के सदस्य (**अनुच्छेद 316**); जिला न्यायाधीश (**अनुच्छेद 233**)।

★★ **वह सभी को हटा नहीं सकता**: राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल **राष्ट्रपति**, उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद (**अनुच्छेद 317**)।

★★ **अनुच्छेद 167**: मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय राज्यपाल को बताए और माँगी गई सूचना दे; राज्यपाल कह सकता है कि किसी मंत्री का अकेले लिया निर्णय पूरी परिषद के सामने रखा जाए।

★★ **अन्य भूमिकाएँ**: पड़ोसी **संघ राज्यक्षेत्र (UT)** का प्रशासक (**अनुच्छेद 239(2)**), जैसे **चंडीगढ़** के लिए पंजाब का राज्यपाल; राज्य कानूनों (संविधान नहीं) के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों का **कुलाधिपति**।

★★ **अनुच्छेद 174**: वह विधान सभा को **आहूत** करता है, उसका **सत्रावसान** करता है और उसे **विघटित** करता है; दो सत्रों के बीच **छह महीने** से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। यहाँ वह मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है (**नबाम रेबिया, 2016**)।

★★★ **अनुच्छेद 176**: प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और **हर वर्ष के पहले सत्र** में **विशेष अभिभाषण**; इसे सरकार लिखती है।

★★ **मनोनयन**: विधान परिषद का **छठा भाग** (**अनुच्छेद 171(5)**)। विधान सभा में एक **आंग्ल-भारतीय** का मनोनयन **जनवरी 2020** में समाप्त हुआ (**104वाँ संशोधन, 2019**)।

★★★ **अनुच्छेद 192**: कोई विधायक निरर्ह है या नहीं (दल-बदल के अलावा अन्य आधारों पर), यह **राज्यपाल** तय करता है, और उसे **निर्वाचन आयोग की राय** के अनुसार काम करना होता है। दल-बदल के मामले **अध्यक्ष या सभापति** के पास जाते हैं (दसवीं अनुसूची)।

★★★ **अध्यादेश (अनुच्छेद 213)**: जब विधानमंडल, या दो सदन हों तो कोई एक सदन, **सत्र में न हो**; मंत्रिमंडल की सलाह पर; राज्य के अधिनियम जितना ही प्रभाव; **विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद** समाप्त; अधिकतम आयु लगभग **छह महीने और छह सप्ताह**।

★★ अध्यादेश से पहले **राष्ट्रपति के निर्देश** तब आवश्यक हैं जब वही विषय विधेयक के रूप में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, आरक्षण या अनुमति माँगता। अध्यादेश **न्यायिक पुनर्विलोकन** के अधीन हैं (44वाँ संशोधन, 1978)।

★★ **डी.सी. वाधवा (1987)**: बिहार में वर्षों तक विधानमंडल के बिना **अध्यादेश बार-बार जारी करना संविधान के साथ कपट** था; **कृष्ण कुमार सिंह (2017)** ने जोड़ा कि अध्यादेश सदन के सामने रखे जाने चाहिए।

★★ **वित्तीय मामले**: राज्य का बजट सदन में रखा जाता है (**अनुच्छेद 202**); **धन विधेयक** के लिए उसकी **सिफ़ारिश** आवश्यक (**अनुच्छेद 207**); राज्य की **आकस्मिकता निधि** उसके अधिकार में (**अनुच्छेद 267(2)**); वह हर 5 वर्ष पर **राज्य वित्त आयोग** गठित करता है (**अनुच्छेद 243I**)।

★★★ **क्षमादान (अनुच्छेद 161)**: **राज्य के विषयों** से जुड़े कानूनों के विरुद्ध अपराधों में वह क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन दे सकता है। वह **मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा नहीं** कर सकता (लघुकरण कर सकता है) और **सेना न्यायालय** के दंडों पर उसकी **कोई शक्ति नहीं**।

★★ **सलाह पर**: क्षमादान राज्य सरकार की सलाह पर होता है (**मारू राम, 1980**); **पेरारिवलन (2022)** में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु का राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह से बँधा है।

क्षमादान के पाँच प्रकार (अनुच्छेद 72 और 161) ★★

शब्द	क्या करता है	उदाहरण
क्षमा (Pardon)	दंड और दोषसिद्धि दोनों मिटा देता है	दोषी ऐसे मुक्त, मानो कभी दोषी ठहराया ही न गया हो
लघुकरण (Commutation)	दंड को हल्के प्रकार में बदलता है	मृत्युदंड से आजीवन कारावास
परिहार (Remission)	दंड की अवधि घटाता है, प्रकार वही	10 वर्ष घटकर 6 वर्ष
विराम (Respite)	किसी विशेष कारण से कम दंड	दोषी की गर्भावस्था या दिव्यांगता
प्रविलंबन (Reprieve)	दंड को कुछ समय के लिए रोकता है	दया याचिका की सुनवाई तक फाँसी स्थगित

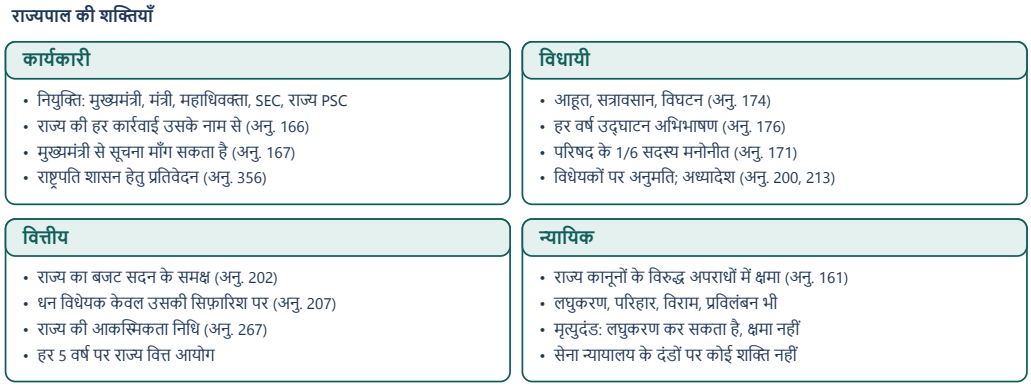

राज्यपाल की शक्तियाँ चार समूहों में। लगभग सभी मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती हैं।

याद रखें: क्षमादान, सबसे प्रबल से: **P-C-R-R-R**, 'Please Call Rani, Read Ramayan': **P**ardon (क्षमा), **C**ommutation (लघुकरण), **R**emission (परिहार), **R**espite (विराम), **R**eprieve (प्रविलंबन)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अध्यादेश विधानमंडल के **पुनः समवेत होने** के छह सप्ताह बाद समाप्त होता है, जारी होने के छह सप्ताह बाद नहीं। राज्यपाल की अपनी **कोई आपात शक्ति नहीं**; वह केवल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है।

झटपट जाँच

1. दल-बदल के अलावा किसी अन्य कारण से विधायक निरर्ह है या नहीं, यह कौन तय करता है?
2. राज्यपाल का अध्यादेश कब समाप्त होता है?
3. क्या राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा कर सकता है?

उत्तर: 1. राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय पर (अनुच्छेद 192) · 2. विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद · 3. नहीं; वह लघुकरण कर सकता है, क्षमा केवल राष्ट्रपति दे सकता है

विवेकाधिकार, विधेयकों पर अनुमति और उन्मुक्ति

अनुच्छेद 163

अनुच्छेद 200, 201

कोई समय-सीमा नहीं

अनुच्छेद 356 प्रतिवेदन

अनुच्छेद 361

अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को शब्दों में कोई विवेकाधिकार नहीं देता; **अनुच्छेद 163 खुलकर कहता है** कि जहाँ संविधान अपेक्षा करे, वहाँ राज्यपाल 'अपने विवेक से' कार्य कर सकता है। न्यायालयों ने यह दायरा संकरा रखा है, पर तीन जगह यह अब भी मायने रखता है: **विधेयक**, **राष्ट्रपति शासन** और **त्रिशंकु विधान सभा**।

★★★ **अनुच्छेद 163(1)**: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, **सिवाय** उन मामलों के जहाँ संविधान उससे **अपने विवेक से** कार्य करने की अपेक्षा करता है। इस प्रकार संविधान उसके विवेकाधिकार का **स्पष्ट** उल्लेख करता है।

★★ **अनुच्छेद 163(2)**: कोई मामला विवेकाधीन है या नहीं, इस पर विवाद हो तो **राज्यपाल का निर्णय अंतिम** है; **163(3)**: मंत्रियों ने क्या सलाह दी, इसकी जाँच कोई न्यायालय नहीं कर सकता।

★★★ **संवैधानिक विवेकाधिकार**: विधेयक को राष्ट्रपति के लिए **आरक्षित करना** (अनुच्छेद 200); **राष्ट्रपति शासन** के लिए राष्ट्रपति को **प्रतिवेदन** (अनुच्छेद 356); पड़ोसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य; मुख्यमंत्री से सूचना माँगना (अनुच्छेद 167); छठी अनुसूची क्षेत्रों में **खनन रॉयल्टी** का हिस्सा तय करना।

★★ **परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार**: **त्रिशंकु विधान सभा** में या मुख्यमंत्री की मृत्यु पर मुख्यमंत्री चुनना; बहुमत खो चुके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना; ऐसी स्थिति में विधान सभा भंग करना।

★★ **न्यायालयों ने इसे सीमित किया**: **शमशेर सिंह (1974)**: राज्यपाल और राष्ट्रपति असाधारण मामलों को छोड़ सलाह से बँधे हैं; **एस.आर. बोम्मई (1994)**: बहुमत की परीक्षा **सदन के पटल** पर होगी; **नबाम रेबिया (2016)**: विवेकाधिकार वहीं है जहाँ संविधान उसकी अनुमति देता है।

★★ **रामेश्वर प्रसाद (2006)**: राज्यपाल के प्रतिवेदन पर **2005 में बिहार विधान सभा का विघटन असंवैधानिक** था।

★★★ **अनुच्छेद 200, चार विकल्प**: **अनुमति** देना, अनुमति **रोकना**, पुनर्विचार के लिए **लौटाना** (धन विधेयक नहीं), या राष्ट्रपति के लिए **आरक्षित** करना। लौटाया गया विधेयक सदन फिर पारित कर दे तो वह **अनुमति रोक नहीं सकता**।

★★★ **आरक्षित करना अनिवार्य**: ऐसा विधेयक जो **उच्च न्यायालय** की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डाले। राज्य का विधेयक **केवल राज्यपाल** आरक्षित कर सकता है; आरक्षित हुए बिना राष्ट्रपति **स्वयं** किसी राज्य विधेयक पर विचार नहीं कर सकता।

★★ **अनुच्छेद 201**: आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति **अनुमति** दे सकता है, **रोक** सकता है, या (धन विधेयक न हो तो) उसे **लौटाने** का निर्देश दे सकता है; सदन को **छह महीने** में पुनर्विचार करना होता है, और दोबारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने को **बाध्य नहीं**।

★★★ **कोई समय-सीमा नहीं**: अनुच्छेद 200 राज्यपाल के लिए **कोई समय-सीमा** तय नहीं करता; वह केवल कहता है कि विधेयक 'यथाशीघ्र' लौटाया जा सकता है।

★★ **पंजाब राज्य (2023)**: अनुमति रोकने वाले राज्यपाल को विधेयक सदन को **लौटाना ही होगा**; वह उसे अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं रख सकता। **तमिलनाडु बनाम राज्यपाल (अप्रैल 2025)** ने कहा कि **10 पुनः पारित विधेयक** रोकना अवैध था, और समय-सीमाएँ तय कीं।

★★★ **राष्ट्रपति संदर्भ पर राय (20 नवंबर 2025)**, **अनुच्छेद 143** के अंतर्गत पाँच न्यायाधीश: न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए **समय-सीमा तय नहीं** कर सकते और **'मान ली गई अनुमति' (deemed assent)** घोषित नहीं कर सकते; पर **लंबी, बिना कारण** निष्क्रियता पर न्यायालय उचित समय में निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है।

★★ **अनुच्छेद 356**: संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को भेजा गया राज्यपाल का **प्रतिवेदन** उसका अपना निर्णय है, मंत्रियों की सलाह नहीं।

★ **विशेष उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 371–371J)**: कुछ राज्यों में राज्यपाल का विशेष दायित्व है, जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) तथा सौराष्ट्र और कच्छ (गुजरात) के लिए अलग **विकास बोर्ड**, और **नागालैंड में कानून-व्यवस्था** (अनुच्छेद 371A); वह मंत्रियों से परामर्श करता है पर अपने निर्णय से कार्य करता है।

★★★ **उन्मुक्ति (अनुच्छेद 361)**: अपने पद के कार्यों के लिए **किसी न्यायालय** के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में **कोई आपराधिक कार्यवाही** न शुरू हो सकती है, न जारी रह सकती है, और गिरफ़्तारी का आदेश नहीं हो सकता; निजी कार्यों पर दीवानी मामलों के लिए **दो महीने का नोटिस** आवश्यक।

★★ यह उन्मुक्ति **व्यक्तिगत** है: राज्य सरकार पर फिर भी मुकदमा हो सकता है और उसके कार्यों की समीक्षा हो सकती है। आपराधिक मामले पद छोड़ने के **बाद** शुरू हो सकते हैं।

राज्यपाल पद पर आयोग ★★

निकाय	वर्ष	मुख्य विचार
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग	1966–70	लंबे सार्वजनिक अनुभव वाले, दलगत राजनीति से ऊपर राज्यपाल
राजमन्नार समिति (तमिलनाडु द्वारा गठित)	1969–71	अधिक राज्य स्वायत्तता; अनुच्छेद 356 और 357 हटाए जाएँ
सरकारिया आयोग	1983–87	बाहर का प्रतिष्ठित, राजनीति से अलग व्यक्ति; मुख्यमंत्री से परामर्श; अनुच्छेद 356 केवल अंतिम उपाय
एनसीआरडब्ल्यूसी (वेंकटचलैया)	2000–02	मुख्यमंत्री से परामर्श; राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दें
पुंछी आयोग	2007–10	प्रसादपर्यंत खंड हटाएँ; राज्य विधानमंडल के संकल्प से हटाना; विधेयकों पर 6 महीने में निर्णय

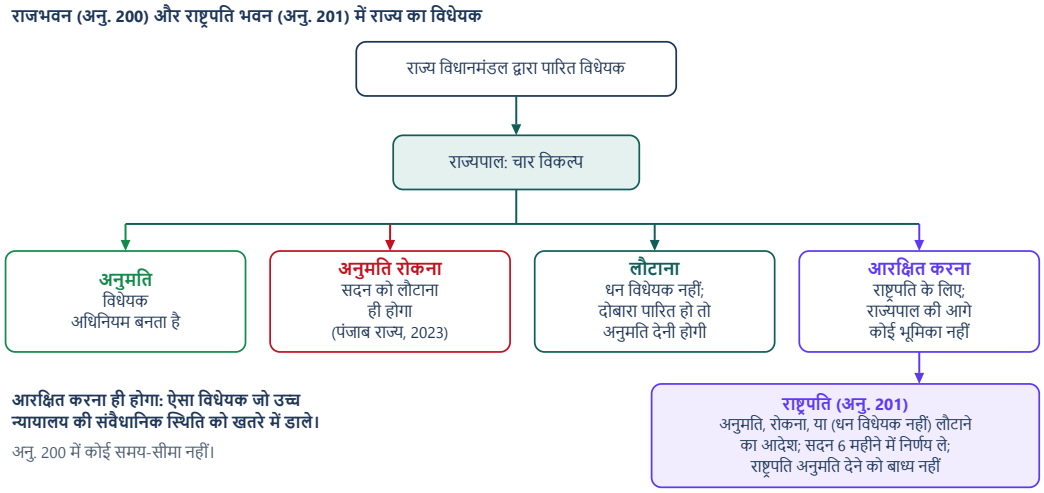

राज्य विधेयक के संभावित रास्ते। अनुमति रोकने का अर्थ अब विधेयक सदन को लौटाना है; आरक्षित विधेयक सदा के लिए राज्यपाल के हाथ से निकल जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** विवेकाधीन **नहीं**: मंत्रियों की नियुक्ति (मुख्यमंत्री की सलाह) और **कार्य-संचालन नियम** बनाना (अनुच्छेद 166(3))। **विवेकाधीन**: अनुच्छेद 356 का प्रतिवेदन और विधेयक आरक्षित करना। और राष्ट्रपति राज्य विधेयक को अपने लिए **कभी** आरक्षित नहीं कर सकता; केवल राज्यपाल उसे भेज सकता है।

आसपास देखें: 2020 से 2023 के बीच तमिलनाडु, केरल और पंजाब के राज्यपालों ने कई विधेयक महीनों लंबित रखे; ये गतिरोध उच्चतम न्यायालय पहुँचे और 2023 तथा 2025 के निर्णयों का कारण बने।

झटपट जाँच

1. संविधान द्वारा राज्यपाल को दी गई दो विवेकाधीन शक्तियाँ बताइए।
2. क्या अनुच्छेद 200 राज्यपाल के लिए विधेयक पर कार्य करने की समय-सीमा तय करता है?
3. कौन-सा अनुच्छेद राज्यपाल को कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति देता है?

उत्तर: 1. विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना; राष्ट्रपति शासन के लिए प्रतिवेदन · 2. नहीं · 3. अनुच्छेद 361

मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता

अनुच्छेद 164

छह महीने

15% और 12

अनुच्छेद 164(2)

अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

मुख्यमंत्री राज्य का **वास्तविक** कार्यपालिका प्रमुख है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री। वह और उसके मंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें **विधान सभा** का समर्थन प्राप्त है।

★★★ **अनुच्छेद 164(1)**: मुख्यमंत्री को **राज्यपाल** नियुक्त करता है, और अन्य मंत्रियों को **मुख्यमंत्री की सलाह** पर। परिपाटी से विधान सभा में बहुमत का नेता चुना जाता है; कोई निश्चित कार्यकाल नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 164(4)**: राज्य विधानमंडल का गैर-सदस्य **छह महीने** तक मंत्री (या मुख्यमंत्री) रह सकता है, पर तभी जब वह **सदस्य बनने की योग्यता** रखता हो (कम से कम 25 वर्ष का भारतीय नागरिक, निरर्ह नहीं)। **एस.आर. चौधरी (2001)**: बिना चुने उसे बार-बार नियुक्त नहीं किया जा सकता।

★★★ **अनुच्छेद 164(2)**: मंत्रिपरिषद **विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** है; राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधान परिषद के प्रति नहीं। विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सभी मंत्री हटते हैं, विधान परिषद वाले भी।

★★★ **आकार (अनुच्छेद 164(1A))**: मुख्यमंत्री सहित मंत्री विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के **15%** से अधिक और **12** से कम नहीं हो सकते: **91वाँ संशोधन (2003)**।

★★ **अनुच्छेद 164(1B)** (यह भी 91वाँ संशोधन): **दल-बदल** के कारण निरर्ह विधायक अपना कार्यकाल पूरा होने या दोबारा चुने जाने तक मंत्री नहीं बन सकता।

★★ **जनजातीय कल्याण मंत्री** (अनुच्छेद 164(1) का परंतुक): **छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा** में अनिवार्य; **94वें संशोधन (2006)** ने बिहार को सूची से हटाया और छत्तीसगढ़ व झारखंड को जोड़ा।

★★ पद और गोपनीयता की **शपथ राज्यपाल** के समक्ष; वेतन **राज्य विधानमंडल** तय करता है। मंत्री राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत** पद पर रहते हैं, जिसका व्यवहार में अर्थ मुख्यमंत्री की इच्छा है।

★★ **अनुच्छेद 177**: हर मंत्री और महाधिवक्ता किसी भी सदन में **बोल** सकते हैं, पर **मत** केवल उसी सदन में दे सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं।

★★ **मुख्यमंत्री की अन्य भूमिकाएँ**: मंत्रिपरिषद का प्रमुख (उसका त्यागपत्र परिषद को **भंग** कर देता है); विधान सभा को आहूत और भंग करने पर सलाह; **नीति आयोग की शासी परिषद** और **अंतर-राज्य परिषद** का सदस्य; बारी-बारी से अपनी **क्षेत्रीय परिषद** का उपाध्यक्ष (अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है)।

★★★ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951, धारा 8(3)**: **दो वर्ष या अधिक** की सज़ा पाया व्यक्ति दोषसिद्धि की तिथि से **रिहाई के छह वर्ष बाद** तक निरर्ह है, यानी स्थायी रूप से नहीं। **लिली थॉमस (2013)** ने वह संरक्षण समाप्त किया जिससे पदासीन विधायक अपील के दौरान सीट बचाए रखते थे।

★★★ **महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)**: राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, **राज्यपाल** द्वारा नियुक्त; **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश** बनने की योग्यता आवश्यक; राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत** पद पर; वेतन राज्यपाल तय करता है। वह कार्यवाही में भाग ले सकता है पर उसे **मत देने का अधिकार नहीं**।

महान्यायवादी और महाधिवक्ता ★★

बिंदु	महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)	महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)
नियुक्ति	राष्ट्रपति	राज्यपाल
योग्यता	उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य
पद पर	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत	राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
विधानमंडल में	संसद के दोनों सदनों में बोलता है, मत नहीं (अनुच्छेद 88)	राज्य के सदनों में बोलता है, मत नहीं (अनुच्छेद 177)

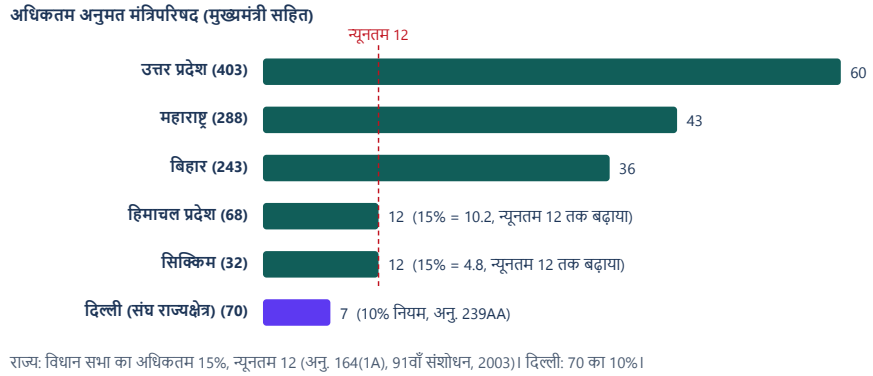

मुख्यमंत्री सहित अधिकतम अनुमत मंत्रिपरिषद। छोटी विधान सभाओं में 15% का आँकड़ा 12 से नीचे आता है, इसलिए न्यूनतम 12 लागू होता है; दिल्ली अपने 10% नियम पर चलती है।

याद रखें: ऊपर पंद्रह, नीचे बारह: 91वाँ संशोधन हर राज्य के मंत्रिमंडल पर 15% की **छत** और 12 का **फ़र्श** रखता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'मत देने का पात्र कोई भी व्यक्ति छह महीने के लिए मंत्री बन सकता है' **असत्य** है: मतदान की आयु 18 है, पर मंत्री को **सदस्य बनने के योग्य** होना चाहिए (विधायक के लिए 25)। और मंत्रालय **विधान सभा** के प्रति उत्तरदायी है, राज्यपाल के प्रति नहीं।

झटपट जाँच

1. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति उत्तरदायी है?
2. किस संशोधन ने राज्य मंत्रिमंडल को विधान सभा के 15% तक सीमित किया, न्यूनतम 12 के साथ?
3. क्या महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल में मत दे सकता है?

उत्तर: 1. विधान सभा · 2. 91वाँ संशोधन, 2003 · 3. नहीं; वह केवल बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है

राज्य विधानमंडल: विधान सभा और विधान परिषद

अनुच्छेद 168
छह विधान परिषदें
अनुच्छेद 169
अनुच्छेद 171
अध्यक्ष
अनुच्छेद 210–212

राज्य विधानमंडल का अर्थ है **राज्यपाल और एक या दो सदन** (अनुच्छेद 168)। अधिकांश राज्यों में केवल विधान सभा है। छह राज्यों में **विधान परिषद** भी है, और वह राज्य सभा से कहीं कमज़ोर है: संसद उसे साधारण कानून से समाप्त भी कर सकती है।

★★ **भाग VI, अनुच्छेद 168–212**। राज्यपाल विधानमंडल का अंग है, यद्यपि किसी सदन का सदस्य नहीं।

★★★ **विधान परिषद वाले छह राज्य** (नवंबर 2026): **आंध्र प्रदेश** (58), **बिहार** (75), **कर्नाटक** (75), **महाराष्ट्र** (78), **तेलंगाना** (40), **उत्तर प्रदेश** (100)।

★★ **जो परिषदें समाप्त हुईं**: आंध्र प्रदेश ने **1985** में अपनी परिषद समाप्त की और **2007** में फिर बनाई; तमिलनाडु की **1986** में समाप्त हुई; जम्मू-कश्मीर की **2019** में। राजस्थान और असम के प्रस्ताव अभी कानून नहीं बने।

★★★ **अनुच्छेद 169**: राज्य विधान सभा **विशेष बहुमत** (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) से संकल्प पारित करे, तो **संसद कानून द्वारा** परिषद बनाती या समाप्त करती है। ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन **नहीं** माना जाता।

★★ **विधान सभा (अनुच्छेद 170)**: **60 से 500** सदस्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित। सिक्किम (**32**), गोवा (**40**) और मिज़ोरम (**40**) विशेष प्रावधानों के कारण छोटे हैं। सबसे बड़ी: **उत्तर प्रदेश, 403**; बिहार में **243**।

★★★ **छोटे पहाड़ी राज्य**: **हिमाचल प्रदेश 68**; **अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय** प्रत्येक में **60**।

★★ **आरक्षित सीटें**: अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें जनसंख्या के अनुपात में, जो **104वें संशोधन** द्वारा **2030** तक बढ़ाई गईं। **106वाँ संशोधन (2023)**, **16 अप्रैल 2026** से लागू, विधान सभा की **एक-तिहाई** सीटें **महिलाओं** के लिए आरक्षित करता है (अनुच्छेद 332A); ये आरक्षित सीटें अगली जनगणना के बाद पहले परिसीमन के बाद ही लागू होंगी, और 15 वर्ष चलेंगी।

★★★ **परिषद का आकार (अनुच्छेद 171)**: विधान सभा के **एक-तिहाई** से अधिक नहीं और **40** से कम नहीं। सदस्य: **1/3** स्थानीय निकायों द्वारा, **1/3** विधायकों द्वारा (गैर-सदस्यों में से), **1/12** स्नातकों द्वारा और **1/12** कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों द्वारा, **1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत**।

★★ **परिषद स्थायी है**: कभी भंग नहीं होती; सदस्य **6 वर्ष** के लिए, हर 2 वर्ष पर एक-तिहाई सेवानिवृत्त। विधान सभा का कार्यकाल **5 वर्ष** है, जो राष्ट्रीय आपातकाल में एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है (अनुच्छेद 172)।

★★ **न्यूनतम आयु (अनुच्छेद 173)**: विधान सभा के लिए **25**, परिषद के लिए **30**।

★★★ **अध्यक्ष (Speaker) (अनुच्छेद 178–179)**: विधान सभा द्वारा निर्वाचित; **सदस्य न रहने** पर पद छोड़ता है; **14 दिन** के नोटिस के बाद **विधान सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। **विघटन** पर वह पद **नहीं** छोड़ता, बल्कि नई विधान सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक बना रहता है।

★★★ **परिषद का सभापति (Chairman)** परिषद **द्वारा** अपने सदस्यों में से **चुना जाता है** (**अनुच्छेद 182**), राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं। धन विधेयकों को केवल **अध्यक्ष** प्रमाणित करता है।

★★ **गणपूर्ति (Quorum) (अनुच्छेद 189)**: **10 सदस्य या सदन का दसवाँ भाग**, जो भी अधिक हो। अध्यक्ष या सभापति केवल बराबरी की स्थिति में मत देता है।

★★★ **विशेषाधिकार (अनुच्छेद 194)**: सदन या उसकी समितियों में **कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत** के लिए सदस्यों को **किसी न्यायालय** में नहीं ले जाया जा सकता।

★★★ **अनुच्छेद 210**: कार्य राज्य की **राजभाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी** में होता है; पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी **मातृभाषा** में बोलने की अनुमति दे सकता है। **अनुच्छेद 211**: उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन में आचरण पर चर्चा नहीं। **अनुच्छेद 212**: न्यायालय **प्रक्रिया की अनियमितता** के आधार पर कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते।

★★ **नियम (अनुच्छेद 208)**: प्रत्येक सदन अपने नियम बनाता है; जहाँ नियम मौन हों, वहाँ सदन **लोक सभा** के नियम और परंपरा अपनाता है।

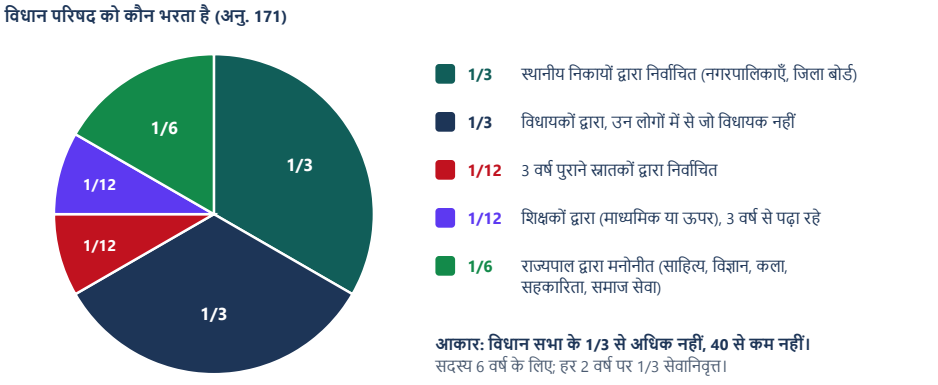

विधान परिषद को कौन भरता है। पाँचों हिस्से मिलकर पूरा बनाते हैं: 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 + 1/6 = 1।

पटना में बिहार विधान सभा। बिहार दो सदनों वाले छह राज्यों में से एक है: 243 सदस्यों की विधान सभा और 75 सदस्यों की विधान परिषद।

चित्र: Itcell.bla, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

विधान सभा और विधान परिषद आमने-सामने ★★★

बिंदु	विधान सभा	विधान परिषद
कहाँ है	हर राज्य में	छह राज्यों में
आकार	60 से 500 (कुछ छोटी)	विधान सभा का अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40
चुनाव	प्रत्यक्ष निर्वाचन	अधिकतर अप्रत्यक्ष निर्वाचन; 1/6 मनोनीत
कार्यकाल	5 वर्ष; भंग हो सकती है	स्थायी; हर 2 वर्ष पर 1/3 सेवानिवृत्त
न्यूनतम आयु	25	30
पीठासीन अधिकारी	अध्यक्ष	सभापति
क्या मंत्रालय को हटा सकती है	हाँ, अविश्वास प्रस्ताव से	नहीं

याद रखें: परिषद के हिस्से एक **थाली** की तरह: दो बड़ी कटोरियाँ (**1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधायक**), एक मझोली (**1/6 मनोनीत**), दो छोटी (**1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक**)। उद्योगपतियों के लिए कोई कटोरी नहीं।

परीक्षा में सावधान: परिषद विधान सभा के एक-तिहाई से **अधिक नहीं** हो सकती, और उसका सभापति **निर्वाचित** होता है, मनोनीत नहीं। विधान सभा भंग होने पर अध्यक्ष तुरंत पद **नहीं** छोड़ता।

झटपट जाँच

1. विधान परिषद वाले छह राज्यों के नाम बताइए।
2. परिषद के आकार की ऊपरी और निचली सीमा क्या है?
3. क्या विधान सभा भंग होने पर अध्यक्ष पद छोड़ देता है?

उत्तर: 1. आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश · 2. विधान सभा का अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40 · 3. नहीं; केवल नई विधान सभा की पहली बैठक से ठीक पहले

राज्य में कानून बनाना

अनुच्छेद 196–197

3 + 1 महीने

अनुच्छेद 198

14 दिन

संयुक्त बैठक नहीं

परिषद विधेयक को केवल **विलंबित** कर सकती है, कभी रोक नहीं सकती: अंतिम निर्णय सदा विधान सभा का होता है। इसीलिए राज्य स्तर पर **संयुक्त बैठक (joint sitting)** की आवश्यकता नहीं।

★★ **साधारण विधेयक**: **किसी भी सदन** में शुरू हो सकता है (अनुच्छेद 196)। दोनों सदनों के पारित करने, या पारित मान लिए जाने के बाद ही वह राज्यपाल के पास जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 197**: परिषद विधान सभा के विधेयक को **अस्वीकार** करे, **3 महीने** रोके रखे, या ऐसे बदलाव करे जो विधान सभा न माने, तो विधान सभा उसे **दोबारा** पारित कर सकती है। परिषद फिर अस्वीकार करे या **1 महीने** रोके, तो विधेयक विधान सभा वाले रूप में **पारित मान लिया जाता** है।

★★ **अधिकतम विलंब**: साधारण विधेयक के लिए **4 महीने** (3 + 1); इसके विपरीत राज्य सभा संयुक्त बैठक की स्थिति ला सकती है।

★★★ राज्य में **संयुक्त बैठक नहीं** होती। जो विधेयक **परिषद में शुरू** हो और विधान सभा उसे अस्वीकार कर दे, वह सीधे **समाप्त** हो जाता है।

★★★ **धन विधेयक (अनुच्छेद 198)**: केवल **विधान सभा** में, केवल **राज्यपाल की सिफ़ारिश** पर; परिषद को उसे **14 दिन** में सिफ़ारिशों सहित लौटाना होता है, जिन्हें विधान सभा माने या न माने।

★★ **अनुच्छेद 199**: कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह **अध्यक्ष** तय करता है, और उसका निर्णय अंतिम है।

★★ **बजट**: अनुदान माँगों पर मतदान केवल **विधान सभा** करती है; **भारित** मदें, जैसे राज्यपाल की उपलब्धियाँ और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, मतदान के लिए नहीं रखी जातीं।

★★ **समवर्ती सूची में टकराव**: केंद्रीय कानून से टकराने वाला राज्य कानून उस राज्य में तभी प्रभावी होता है जब वह **आरक्षित** हुआ हो और उसे **राष्ट्रपति की अनुमति** मिली हो (अनुच्छेद 254(2))।

राज्य सभा और विधान परिषद ★★

बिंदु	राज्य सभा	विधान परिषद
साधारण विधेयक पर गतिरोध	संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)	अधिकतम 4 महीने बाद विधान सभा की बात मान्य
धन विधेयक	14 दिन, केवल सिफ़ारिशें	14 दिन, केवल सिफ़ारिशें
क्या समाप्त की जा सकती है?	नहीं	हाँ, संसद के कानून से (अनुच्छेद 169)
राष्ट्रपति चुनाव में मत?	निर्वाचित सदस्य मत देते हैं	सदस्य मत नहीं देते
प्रतिनिधित्व	राज्य और कुछ संघ राज्यक्षेत्र	स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक, विधायकों की पसंद, मनोनीत

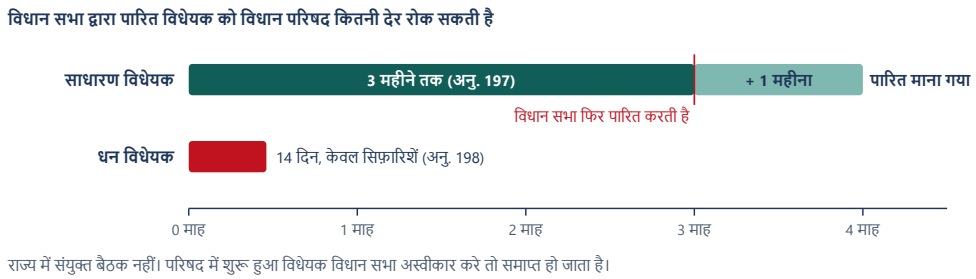

परिषद विधान सभा के विधेयक को कितनी देर रोक सकती है: साधारण विधेयक को अधिकतम 3 + 1 महीने, धन विधेयक को 14 दिन (लगभग आधे महीने के रूप में दर्शाया)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** परिषद धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है, न संशोधित, ठीक राज्य सभा की तरह; पर साधारण विधेयक पर राज्य सभा संयुक्त बैठक की स्थिति ला सकती है, जबकि परिषद केवल विलंब कर सकती है।

☑ **झटपट जाँच**

1. परिषद विधान सभा के साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय रोक सकती है?
2. परिषद को धन विधेयक कितने दिन में लौटाना होता है?
3. परिषद में शुरू हुए और विधान सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक का क्या होता है?

उत्तर: 1. चार महीने (3 + 1) · 2. 14 दिन · 3. वह समाप्त हो जाता है; संयुक्त बैठक नहीं होती

संघ राज्यक्षेत्र

भाग VIII

अनुच्छेद 239

अनुच्छेद 239AA दिल्ली

अनुच्छेद 239A पुदुचेरी

जम्मू-कश्मीर 2019

लद्दाख

संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) का शासन **केंद्र** चलाता है, **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। इनमें से तीन में निर्वाचित विधान सभाएँ हैं, पर उनकी शक्ति भी राज्य से कम है: कई मामलों में अंतिम निर्णय केंद्र के प्रतिनिधि का होता है।

★★ **भाग VIII, अनुच्छेद 239–241**। **अनुच्छेद 239**: राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अपने नियुक्त **प्रशासक** के माध्यम से करता है, जिसका पदनाम वह तय करता है (उपराज्यपाल, प्रशासक)।

★★★ **आठ संघ राज्यक्षेत्र**: दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (दो संघ राज्यक्षेत्र **26 जनवरी 2020** को मिलाए गए)।

★★★ **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (J&K Reorganisation Act), 2019** (**31 अक्टूबर 2019** से): राज्य दो संघ राज्यक्षेत्र बना, **विधानमंडल सहित जम्मू और कश्मीर** और **बिना विधानमंडल का लद्दाख**। उसकी विधान परिषद समाप्त कर दी गई।

★★ **आज का जम्मू-कश्मीर**: अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निष्क्रिय किया गया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने **11 दिसंबर 2023** को सही ठहराया और यथाशीघ्र राज्य का दर्जा लौटाने को कहा। विधान सभा: **90** निर्वाचित सीटें, उपराज्यपाल द्वारा अधिकतम **5** मनोनीत; पहली संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा **2024** में चुनी गई। नवंबर 2026 तक यह संघ राज्यक्षेत्र ही है।

★★★ **दिल्ली (अनुच्छेद 239AA)**, **69वें संशोधन (1991)** द्वारा जोड़ा गया: **70** सदस्यों की विधान सभा, जो राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, **सिवाय लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि** के। **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है**; मंत्री विधान सभा के **10%** से अधिक नहीं हो सकते।

★★ **दिल्ली के विवाद**: उच्चतम न्यायालय ने **2018** में कहा कि आरक्षित विषयों से बाहर उपराज्यपाल मंत्रियों की सलाह से बँधा है, और **2023** में **सेवाओं** का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को दिया; फिर **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम (GNCTD (Amendment) Act), 2023** ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव) बनाया, जिसमें अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का है।

★★★ **पुदुचेरी (अनुच्छेद 239A)**, **14वें संशोधन (1962)** द्वारा जोड़ा गया: संसद ने संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम (Government of Union Territories Act), 1963 से इसकी विधान सभा बनाई: **30** निर्वाचित सदस्य और केंद्र द्वारा अधिकतम **3** मनोनीत। **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है**।

★★ **अध्यादेश**: विधान सभा का सत्र न होने पर पुदुचेरी का प्रशासक (अनुच्छेद 239B) अध्यादेश जारी कर सकता है; द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों और दादरा-दमन के लिए **राष्ट्रपति विनियम बनाता है** (अनुच्छेद 240)।

★★ **उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 241)**: अपना उच्च न्यायालय केवल **दिल्ली** के पास है; चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के, पुदुचेरी मद्रास के, अंडमान और निकोबार कलकत्ता के, लक्षद्वीप केरल के, दादरा-दमन बॉम्बे के उच्च न्यायालय से जुड़े हैं, और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख का एक साझा उच्च न्यायालय है।

★★ संघ राज्यक्षेत्रों की **राज्य सभा सीटें**: केवल **दिल्ली (3)**, **जम्मू और कश्मीर (4)** और **पुदुचेरी (1)**।

★ **चंडीगढ़** का प्रशासन **पंजाब का राज्यपाल** प्रशासक के रूप में चलाता है; **लद्दाख** में लेह और कारगिल में दो **स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें** हैं।

विधान सभा वाले संघ राज्यक्षेत्र ★★★

संघ राज्यक्षेत्र	आधार	विधान सभा	याद रखें
दिल्ली	अनुच्छेद 239AA (69वाँ संशोधन, 1991)	70 निर्वाचित	पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि केंद्र के पास
पुदुचेरी	अनुच्छेद 239A (14वाँ संशोधन, 1962); 1963 का अधिनियम	30 निर्वाचित + अधिकतम 3 मनोनीत	1963 से विधान सभा
जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019	90 निर्वाचित + अधिकतम 5 मनोनीत	राज्य के दर्जे का वादा, अभी लौटाया नहीं गया

आठ संघ राज्यक्षेत्र, उनके प्रमुख और उच्च न्यायालय। छायांकित कार्डों में विधान सभा है; लद्दाख, यद्यपि 2019 में जम्मू-कश्मीर के साथ बना, विधान सभा-विहीन है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** दिल्ली और पुदुचेरी में **मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है**, उपराज्यपाल नहीं। **लद्दाख** में विधानमंडल नहीं; **जम्मू-कश्मीर** में है। किसी संघ राज्यक्षेत्र में विधान परिषद नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. 2019 में बना कौन-सा संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडल-विहीन है?
2. किस संशोधन ने दिल्ली को विधान सभा दी, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत?
3. कौन-से तीन विषय दिल्ली विधान सभा की पहुँच से बाहर हैं?

उत्तर: 1. लद्दाख · 2. 69वाँ संशोधन (1991), अनुच्छेद 239AA · 3. लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (19)

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
(a) भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता
(b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं
(c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है
(d) विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा, बहुमत समर्थन के आधार पर, की जाती है
उत्तर: (c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 156); एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है (अनुच्छेद 153, 7वाँ संशोधन)

UPSC 2014 निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं?
1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना
3. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (b) केवल 1 और 3. राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को अपने विवेक से प्रतिवेदन भेजता है; राज्यपाल राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है

UPSC 2015 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में किसी राज्य की विधान परिषद् आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद् के सभापति को नामनिर्देशित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2. विधान परिषद विधानसभा के आकार के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती (अनुच्छेद 171); विधान परिषद अपने सभापति का चुनाव स्वयं करती है (अनुच्छेद 182)

UPSC 2018 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. विधान सभा का/की अध्यक्ष, यदि विधान सभा का/की सदस्य नहीं रहता है/रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा/देगी ।
2. जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा/देगी ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (a) केवल 1. अनुच्छेद 179: विधायक न रहने पर अध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देता है; विघटन होने पर अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक पद पर रहता है

UPSC 2018 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. अनुच्छेद 361: पदावधि के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही नहीं; अनुच्छेद 158: पदावधि के दौरान राज्यपाल की परिलब्धियाँ कम नहीं की जा सकतीं

UPSC 2019 भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है।
2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. अनुच्छेद 176: राज्यपाल हर वर्ष के पहले सत्र और हर आम चुनाव के बाद संबोधन करता है; किसी विषय पर नियम न होने पर राज्य विधानमंडल लोकसभा की प्रथा अपनाता है

UPSC 2019 निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हों या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो?
(a) पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) (b) राजमन्नार समिति (1969) (c) सरकारिया आयोग (1983)
(d) संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2000)
उत्तर: (c) सरकारिया आयोग (1983). सरकारिया आयोग: राज्यपाल राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित और राजनीति से अलग व्यक्ति हो

UPSC 2020 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कि वह उस राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है ।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अन्तर्गत दोषी पाया गया है और जिसे पाँच वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. गैर-सदस्य छह माह तक मंत्री तभी रह सकता है जब वह सदस्य बनने की योग्यता रखता हो; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951: दो वर्ष या अधिक की सज़ा पर रिहाई के छह वर्ष बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक

UPSC 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है।
II. भारत का राष्ट्रपति, अपने-आप, किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल I (b) केवल II (c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II
उत्तर: (a) केवल I. अनुच्छेद 163 मानता है कि जहाँ संविधान अपेक्षा करे, वहाँ राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है; अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए केवल राज्यपाल आरक्षित कर सकता है

UPSC 2025 भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
II. राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
III. किसी राज्य विधान-मंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?
(a) केवल I और II (b) केवल II और III (c) केवल I और III (d) I, II और III
उत्तर: (d) I, II और III. अनुच्छेद 361: राज्यपाल अपने पदीय कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; अनुच्छेद 361: पदावधि के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही नहीं; अनुच्छेद 194: सदन में कही गई किसी बात के लिए राज्य विधायकों पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो सकती

BPSC 64th किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है
(a) प्रधानमंत्री द्वारा (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (c) राष्ट्रपति द्वारा (d) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) राष्ट्रपति द्वारा. राष्ट्रपति अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं (अनुच्छेद 155)

BPSC 65th निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है?
(a) अरुणाचल प्रदेश (b) हिमाचल प्रदेश (c) मणिपुर (d) मेघालय (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं; अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय में 60

BPSC 67th राज्य विधान परिषद् के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते?
(a) स्थानीय निकायों/पंचायतों के सदस्य (b) शिक्षक (c) स्नातक (d) उद्योगपति (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) उद्योगपति. विधान परिषद के निर्वाचक: विधायक, स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक; शेष मनोनीत

BPSC 67th जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है?
(a) जम्मू (b) कश्मीर (c) लद्दाख (d) कश्मीर और लद्दाख दोनों (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) लद्दाख. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया

BPSC 68th राज्य का मंत्रिपरिषद् सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है?
(a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल (c) विधान-सभा (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) विधान-सभा. अनुच्छेद 164(2): राज्य मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है

BPSC 70th संविधान की दसवीं अनुसूची से सम्बन्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है ?
(a) अध्यक्ष विधानसभा (b) राज्यपाल (c) उच्च न्यायालय (d) राज्य चुनाव आयोग
उत्तर: (b) राज्यपाल. अनुच्छेद 192: विधायक की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय पर करता है; दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के मामलों का निर्णय अध्यक्ष या सभापति करता है

BPSC 70th कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को सम्बन्धित राज्य विधानमण्डल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है ?
(a) एक महिना (b) तीन महिना (c) दो महिना (d) कोई समय सीमा नहीं
उत्तर: (d) कोई समय सीमा नहीं. अनुच्छेद 200 राज्यपाल के लिए विधेयक पर निर्णय की कोई समय-सीमा तय नहीं करता

BPSC 70th re-exam निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रीपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है ?
(a) 81वें संवैधानिक संशोधन ने (b) 91वें संवैधानिक संशोधन ने (c) 86 वें संवैधानिक संशोधन ने (d) उपर्युक्त में से किसी संशोधन ने नहीं
उत्तर: (b) 91वें संवैधानिक संशोधन ने. 91वें संशोधन (2003) ने मंत्रियों की संख्या लोक सभा या विधानसभा के 15% तक सीमित की; राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए

BPSC 71st राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है?
(a) विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएगें।
(b) महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। (c) यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है।
(d) किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं।
उत्तर: (a) विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएगें।. अनुच्छेद 210: राज्य विधानमंडल का कार्य राज्य की राजभाषा, हिन्दी या अंग्रेज़ी में होता है; अनुच्छेद 211: राज्य विधानमंडल न्यायाधीश के कर्तव्य-निर्वहन के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता; अनुच्छेद 212: प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय विधायी कार्यवाही पर प्रश्न नहीं कर सकते

स्वयं को परखें (11)

1. अनुच्छेद 157–158 में राज्यपाल के लिए लिखी योग्यता या शर्त इनमें से कौन-सी नहीं है?
(a) भारत का नागरिक हो (b) 35 वर्ष पूरे कर चुका हो (c) कोई अन्य लाभ का पद धारण न करे (d) किसी अन्य राज्य का निवासी हो

2. राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है
(a) केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह (b) राज्यपाल द्वारा अपने प्रसादपर्यंत (c) मंत्रिमंडल की सहमति से मुख्यमंत्री द्वारा
(d) निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा

3. राज्यपाल का अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता
(a) जारी होने के छह महीने बाद (b) जारी होने के छह सप्ताह बाद (c) विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद
(d) जिस वित्त वर्ष में जारी हुआ उसके अंत में

4. बिहार विधान सभा में 243 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम अनुमत मंत्रिपरिषद है
(a) 24 (b) 36 (c) 40 (d) 48

5. किस राज्य में विधान परिषद नहीं है (नवंबर 2026)?
(a) तेलंगाना (b) कर्नाटक (c) तमिलनाडु (d) बिहार

6. विचार कीजिए: 1. जो विधेयक विधान परिषद में शुरू हो और विधान सभा उसे अस्वीकार कर दे, वह वहीं समाप्त हो जाता है। 2. राज्य के दोनों सदनों के बीच गतिरोध संयुक्त बैठक से सुलझाया जाता है। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम दल-बदल के कारण निरर्ह विधायक को इससे भी रोकता है:
(a) अगले छह वर्ष तक कोई चुनाव लड़ना (b) दोबारा चुने जाने तक मंत्री बनना (c) राज्य सभा चुनाव में मत देना
(d) शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनना

8. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है
(a) उपराज्यपाल (b) दिल्ली विधान सभा (c) केंद्रीय गृह मंत्री (d) राष्ट्रपति

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है।
2. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
3. राष्ट्रपति संविधान में दी गई महाभियोग प्रक्रिया से राज्यपाल को हटाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. किसी राज्य की विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी सदस्य संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती।
2. इसके सभापति को राज्यपाल मनोनीत करता है।
3. इसके छठे भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

11. दो सदनों वाले एक राज्य में विधान सभा एक साधारण विधेयक पारित करती है। विधान परिषद उस पर कोई कार्रवाई किए बिना उसे तीन महीने रोके रखती है। विधान सभा विधेयक को फिर पारित करती है, और अब परिषद उसे अस्वीकार कर देती है। विधेयक का क्या होगा?
(a) राज्यपाल उसे सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है (b) वह व्यपगत हो जाता है, क्योंकि परिषद ने उसे दो बार ठुकराया
(c) वह विधान सभा द्वारा पारित रूप में पारित मान लिया जाता है (d) राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित करना होगा

उत्तर: 1. (d) बाहरी होना केवल परिपाटी है; संविधान नागरिकता, 35 वर्ष की आयु, और विधानमंडल की सीट या अन्य लाभ का पद न होना माँगता है। · 2. (a) अनुच्छेद 243K(2): राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है। · 3. (c) अनुच्छेद 213(2): यह विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है, यदि पहले अस्वीकृत न हो। · 4. (b) 243 का 15% 36.45 है, इसलिए अधिकतम 36 मंत्री (91वाँ संशोधन)। · 5. (c) तमिलनाडु ने 1986 में अपनी परिषद समाप्त की; परिषद वाले छह राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। · 6. (a) राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक नहीं होती; विधान सभा की बात मान्य होती है, और जिस परिषद-विधेयक को वह अस्वीकार करे वह समाप्त हो जाता है। · 7. (b) 2003 में जोड़े गए अनुच्छेद 164(1B) और 75(1B) ऐसे सदस्य को मंत्री पद से रोकते हैं। · 8. (d) अनुच्छेद 239AA(5): मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है; अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। · 9. (a) शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होती है (अनुच्छेद 159); न्यूनतम आयु 35 है, 30 नहीं (अनुच्छेद 157), और हटाने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं: वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है। · 10. (b) कथन 1 (अनुच्छेद 171) और 3 सही हैं; जाल कथन 2 है, क्योंकि परिषद अपने सदस्यों में से अपना सभापति स्वयं चुनती है (अनुच्छेद 182)। · 11. (c) अनुच्छेद 197: दूसरी अस्वीकृति के बाद विधेयक विधान सभा वाले रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है; संयुक्त बैठक केवल संसद के लिए है, राज्य में कभी नहीं।

अध्याय 16

स्थानीय शासन: पंचायतें और नगरपालिकाएँ

73वाँ और 74वाँ संशोधन, अनुच्छेद 243 के खंड (आयु 21, महिलाओं के लिए एक-तिहाई, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, 20 लाख का नियम), बलवंत राय मेहता से गाडगिल तक की समितियाँ, ग्यारहवीं अनुसूची और बिहार में महिलाओं का 50% आरक्षण लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं, सबसे अधिक BPSC में।

पिछले प्रश्नपत्रों में 28 बार पूछा गया: UPSC 7 · BPSC 21

≈ 56 min पढ़ने में ≈ 13 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. **अनुच्छेद 40** (राज्य की नीति का निदेशक तत्व) राज्य से ग्राम पंचायतें गठित करने को कहता है; **73वें संशोधन, 1992** (**24 अप्रैल 1993** से लागू, अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) ने **भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O)** और **ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)** जोड़ी।
2. **74वाँ संशोधन, 1992** (**1 जून 1993** से लागू): नगरपालिकाओं के लिए **भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG)** और **बारहवीं अनुसूची (18 विषय)**।
3. स्थानीय शासन **राज्य सूची की प्रविष्टि 5** है: संशोधन एक बाध्यकारी ढाँचा देते हैं; हर राज्य के अपने अधिनियम उसे भरते हैं।
4. हर राज्य में **तीन स्तर** (ग्राम, मध्यवर्ती या प्रखंड, जिला), पर **20 लाख से अधिक नहीं** जनसंख्या वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकता है (अनुच्छेद 243B)।
5. चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु: **21** (अनुच्छेद 243F, 243V)। पहली बैठक से कार्यकाल **5 वर्ष**; विघटन के **6 महीने** के भीतर चुनाव; समय से पहले विघटन के बाद चुना गया निकाय केवल **शेष** कार्यकाल तक रहता है।
6. कम से कम **एक-तिहाई** सीटें और अध्यक्ष पद **महिलाओं** के लिए (अनुच्छेद 243D); अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटें जनसंख्या के अनुपात में; पिछड़े वर्गों का आरक्षण राज्य के लिए **वैकल्पिक** है।
7. **राज्य निर्वाचन आयुक्त**: **राज्यपाल** द्वारा नियुक्त, केवल **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** की तरह हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 243K)। **राज्य वित्त आयोग**: **राज्यपाल हर 5 वर्ष** पर गठित करता है (अनुच्छेद 243I, 243Y)।
8. **बलवंत राय मेहता (1957)**: तीन स्तर, 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण'; पहला उद्घाटन **नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959** को। **अशोक मेहता (1977-78)**: दो स्तर और अलग **न्याय पंचायतें**। **एल.एम. सिंघवी (1986)**: संवैधानिक दर्जा।
9. भाग IX **नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम**, पाँचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों तथा जिला परिषदों वाले मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं; **पेसा (PESA) 1996** ने इसे पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक बढ़ाया।
10. **बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006**: बिहार तीनों स्तरों पर सीटों और प्रमुख पदों का **50% महिलाओं** के लिए आरक्षित करने वाला **पहला राज्य** बना; अब (2026) **21 राज्य और 2 संघ राज्यक्षेत्र** ऐसा करते हैं।
11. बिहार के प्रमुख: **मुखिया** (ग्राम पंचायत, प्रत्यक्ष निर्वाचित), **प्रमुख** (पंचायत समिति), **अध्यक्ष** (जिला परिषद); **सरपंच ग्राम कचहरी**, यानी ग्राम न्यायालय का प्रमुख है।
12. **जिला योजना समिति** (अनुच्छेद 243ZD, कम से कम 4/5 निर्वाचित) और **महानगर योजना समिति** (अनुच्छेद 243ZE, कम से कम 2/3 निर्वाचित, **10 लाख+** का क्षेत्र) विकास योजनाओं के प्रारूप तैयार करती हैं।
13. **3 लाख+** की नगरपालिका में **वार्ड समितियाँ** अनिवार्य (अनुच्छेद 243S); नगरपालिका को **विघटन से पहले सुनवाई** का अवसर देना होता है (अनुच्छेद 243U); भारत का पहला नगर निगम **मद्रास (1688)** में बना।

स्थानीय शासन क्यों, और संविधान में उसका स्थान

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

अनुच्छेद 40

प्रविष्टि 5, राज्य सूची

भाग IX, IXA

11वीं, 12वीं अनुसूची

गाँव के कुएँ या कस्बे की नाली के बारे में निर्णय वही लोग सबसे अच्छा ले सकते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। **स्थानीय स्वशासन (Local self-government)** ऐसे निर्णय उन निकायों को सौंपता है जिन्हें स्थानीय लोग चुनते हैं। राज्य की राजधानी से निर्वाचित स्थानीय निकायों तक शक्ति ले जाना **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (democratic decentralisation)** है: यह न संघवाद है (संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बँटवारा), न केवल प्रत्यायोजन (अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति)।

★★★ **मूल उद्देश्य**: **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण** और **विकास में तथा स्थानीय मामलों के संचालन में जनता की भागीदारी**। **राजनीतिक जवाबदेही** और **वित्तीय संसाधन जुटाना** इसके मूल उद्देश्य नहीं हैं। पंचायती राज ग्रामीण रूप है; नगरपालिकाएँ शहरी रूप हैं।

★★ **विकेंद्रीकरण के लक्षण**: स्थानीय निकायों की स्वायत्तता, जनता की भागीदारी और स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण। स्थानीय समुदायों में अविश्वास फैलाना इसका उलटा है।

★★★ **अनुच्छेद 40** (निदेशक तत्व): राज्य **ग्राम पंचायतों** का गठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ देगा।

★★★ **प्रविष्टि 5, राज्य सूची** (सातवीं अनुसूची): स्थानीय शासन, जिसमें नगर निगम, जिला बोर्ड और ग्राम प्रशासन शामिल हैं। इसलिए हर राज्य अपना पंचायत अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम बनाता है।

★★★ **73वाँ संशोधन**: **भाग IX**, 'पंचायतें', अनुच्छेद **243 से 243O**, और **ग्यारहवीं अनुसूची** (29 विषय)। **74वाँ संशोधन**: **भाग IXA**, 'नगरपालिकाएँ', अनुच्छेद **243P से 243ZG**, और **बारहवीं अनुसूची** (18 विषय)।

★★ **बाध्यकारी ढाँचा**: 1993 से हर राज्य को इसी ढाँचे पर पंचायतें और नगरपालिकाएँ **बनानी ही होती हैं** और नियमित चुनाव कराने होते हैं; अकेले अनुच्छेद 40 को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता था।

★★ **नीचे क्या जाता है**: पूरी व्यवस्था: निर्णय लेने की शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और धन। भाग IX पंचायतों को **कोई न्यायिक शक्ति नहीं** देता; न्याय पंचायत या बिहार की ग्राम कचहरी जैसे ग्राम न्यायालय राज्य कानूनों से आते हैं।

★★ **स्थानीय निकाय का काम नहीं**: **लोक व्यवस्था बनाए रखना** (पुलिस) राज्य के पास रहता है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनोपयोगी सेवाएँ परंपरागत स्थानीय कार्य हैं।

★ **मंत्रालय**: पंचायतों के लिए **पंचायती राज मंत्रालय** (गठन **27 मई 2004**); शहरी निकायों के लिए **आवास और शहरी कार्य मंत्रालय**; छावनी बोर्डों के लिए **रक्षा मंत्रालय**; संघ राज्यक्षेत्रों के शहरी निकायों के लिए **गृह मंत्रालय**।

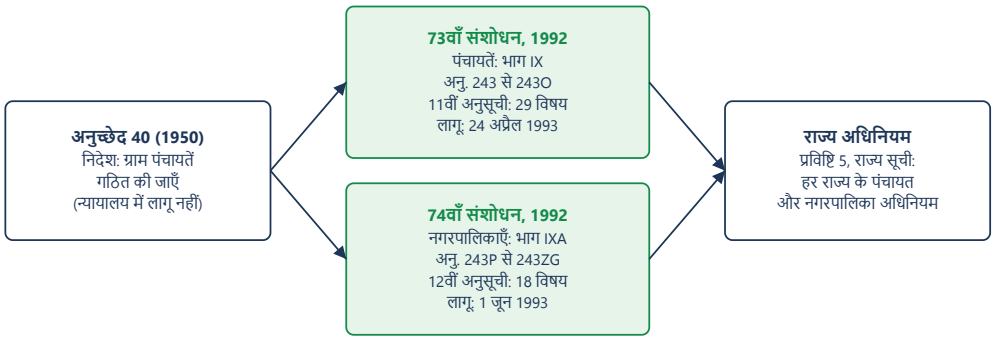

स्थानीय शासन का स्थान: 1950 का एक निदेश (अनुच्छेद 40) 1992 के दो संशोधनों से बाध्यकारी बना, जिनमें प्रत्येक का अपना भाग और अनुसूची है; विवरण राज्य अधिनियम भरते हैं, क्योंकि स्थानीय शासन राज्य का विषय है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'स्थानीय स्वशासन को सबसे अच्छी तरह किसका अभ्यास कहा जा सकता है: संघवाद / लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण / प्रशासनिक प्रत्यायोजन / प्रत्यक्ष लोकतंत्र' → **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**। शक्ति निर्वाचित स्थानीय निकायों को जाती है, अधिकारियों को नहीं (प्रत्यायोजन) और किसी नए संप्रभु स्तर को नहीं (संघवाद)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'पंचायती राज का उल्लेख संघ / राज्य / समवर्ती सूची में है' → **राज्य सूची**, प्रविष्टि 5। 73वें संशोधन ने इसे समवर्ती सूची में नहीं डाला।

☑ झटपट जाँच

1. स्थानीय स्वशासन _____ का अभ्यास है।
2. कौन-सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश देता है?
3. भाग IX और भाग IXA में कौन-से अनुच्छेद हैं?

उत्तर: 1. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण · 2. अनुच्छेद 40 (निदेशक तत्व) · 3. 243 से 243O; 243P से 243ZG

रिपन से 73वें संशोधन तक: इतिहास और समितियाँ

रिपन 1882

बलवंत राय मेहता 1957

नागौर 1959

अशोक मेहता 1978

सिंघवी 1986

64वाँ विधेयक 1989

निर्वाचित स्थानीय बोर्ड ब्रिटिश शासन में शुरू हुए, कुछ खर्च बाँटने के लिए और कुछ भारतीयों को सार्वजनिक कार्य चलाना सिखाने के लिए। स्वतंत्रता के बाद **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952)** ने विकास प्रखंड बनाए, पर जनता की भागीदारी कम रही। फिर समितियों की एक श्रृंखला ने पूछा कि ग्रामीण अपना विकास स्वयं कैसे चलाएँ; 35 वर्षों में निखरे उनके उत्तर 73वाँ संशोधन बने।

★★ **लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव (1870)**: वित्तीय विकेंद्रीकरण; स्थानीय निकायों के लिए पहला सरकारी प्रयास।

★★★ **लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882)**: स्थानीय स्वशासन का **'मैग्ना कार्टा'** कहलाता है; रिपन को भारत में **स्थानीय स्वशासन का जनक** माना जाता है।

★ **विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग**: 1907 में नियुक्त, 1909 में प्रतिवेदन।

★★ **भारत सरकार अधिनियम 1919**: स्थानीय स्वशासन निर्वाचित भारतीय मंत्री के अधीन **हस्तांतरित विषय** बना (द्वैध शासन)। **1935 का अधिनियम**: **प्रांतीय विषय**।

★★ **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)** और **राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953)**: अधिकारियों द्वारा चलाए गए विकास प्रखंड, जनता की भागीदारी कमज़ोर।

★★★ **बलवंत राय मेहता समिति** (नियुक्ति जनवरी 1957, प्रतिवेदन नवंबर 1957): **तीन स्तरों** के माध्यम से **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**: ग्राम पंचायत (ग्राम), पंचायत समिति (प्रखंड) और जिला परिषद (जिला)। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी थी; जिला परिषद सलाहकारी और समन्वयकारी निकाय, जिसका **अध्यक्ष कलेक्टर** हो। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे **1958** में स्वीकार किया; बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है।

★★★ **पहला पंचायती राज**: जवाहरलाल नेहरू ने **2 अक्टूबर 1959** को **नागौर, राजस्थान** में उद्घाटन किया; आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही बाद में इसे अपनाया।

★★★ **अशोक मेहता समिति** (जनता सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में नियुक्त, प्रतिवेदन अगस्त 1978): **दो स्तर** (जिला परिषद और गाँवों के समूह के लिए **मंडल पंचायत**); राज्य के नीचे विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु **जिला**; राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी; अनिवार्य कराधान शक्तियाँ; संवैधानिक मान्यता; और योग्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग निकाय के रूप में **न्याय पंचायतें**। इस पर कार्रवाई से पहले सरकार गिर गई।

★ **दांतवाला समिति (1978)** प्रखंड स्तरीय नियोजन पर और **हनुमंत राव समिति (1984)** जिला नियोजन पर; दोनों ने कलेक्टर को बड़ी भूमिका दी।

★★ **जी.वी.के. राव समिति (1985, योजना आयोग)**: पंचायतें नौकरशाही के अधीन होकर 'बिना जड़ की घास' (grass without roots) बन गई थीं; **जिले** को नियोजन की मूल इकाई बनाया, एक जिला विकास आयुक्त के साथ।

★★ **एल.एम. सिंघवी समिति (1986)**: पंचायतों को **संवैधानिक मान्यता** और संरक्षण चाहिए; गाँवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतें; अधिक धन।

★★ **थुंगन समिति (1988)**: संवैधानिक दर्जा, तीन स्तर, पाँच वर्ष का कार्यकाल, जिला परिषद धुरी के रूप में। **गाडगिल समिति (1988)**: तीन स्तर, प्रत्यक्ष चुनाव, पाँच वर्ष का कार्यकाल, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग: 73वें संशोधन का खाका।

★★★ **64वाँ संशोधन विधेयक (1989)**, राजीव गांधी सरकार: संवैधानिक पंचायतों का पहला प्रयास; लोक सभा में पारित, राज्य सभा में गिरा। **65वाँ विधेयक** (नगरपालिका, कस्बों के लिए) भी साथ में विफल रहा। पी.वी. नरसिंह राव सरकार के **सितंबर 1991** के विधेयक **73वाँ और 74वाँ संशोधन** बने, जो **दिसंबर 1992** में पारित हुए।

★★ **लागू होना**: 73वाँ **24 अप्रैल 1993** को (इसीलिए **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल**); 74वाँ **1 जून 1993** को।

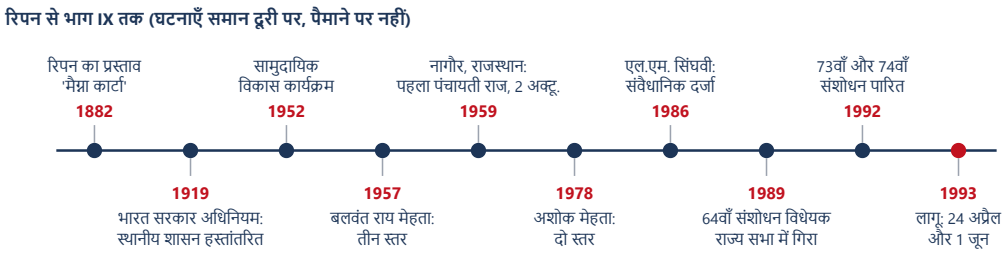

भाग IX और भाग IXA तक पहुँचने के पड़ाव। घटनाएँ समान दूरी पर हैं, समय के पैमाने पर नहीं।

याद रखें: समितियों का क्रम **'B-A-G-S-T-G'**: **B**alwant/बलवंत (1957), **A**shok/अशोक (1977), **G**.V.K. Rao/जी.वी.के. राव (1985), **S**inghvi/सिंघवी (1986), **T**hungon/थुंगन और **G**adgil/गाडगिल (1988)। बलवंत ने तीन स्तर बनाए, अशोक ने उन्हें घटाकर दो किए, और अंतिम तीन ने संवैधानिक दर्जा माँगा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अलग न्याय पंचायतें और दो-स्तरीय व्यवस्था: **अशोक मेहता**, बलवंत राय मेहता नहीं। 'बिना जड़ की घास': **जी.वी.के. राव**। 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' का विचार और तीन स्तर: **बलवंत राय मेहता**।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** '73वें संशोधन की जड़ किस विधेयक में है?' → **64वाँ संशोधन विधेयक (1989)**। 61वें संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की; 65वाँ विधेयक नगरपालिकाओं के लिए था।

☑ झटपट जाँच

1. किस समिति ने अलग न्याय पंचायतों और दो स्तरों की सिफ़ारिश की?
2. पंचायती राज का पहली बार उद्घाटन कहाँ और कब हुआ?
3. किस विधेयक ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया?

उत्तर: 1. अशोक मेहता समिति (1977-78) · 2. नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 · 3. 64वाँ संशोधन विधेयक, 1989

भाग IX के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था

ग्राम सभा, 243A

तीन स्तर, 243B

20 लाख

आयु 21, 243F

5 वर्ष, 243E

राज्य निर्वाचन आयोग, 243K

भाग IX एक साझा ढाँचा तय करता है और बाकी हर राज्य पर छोड़ता है। ढाँचा है: गाँव के सभी मतदाताओं की ग्राम सभा, तीन स्तरों पर निर्वाचित पंचायतें, पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल, आरक्षित सीटें, और दो स्वतंत्र राज्य निकाय: एक चुनाव कराने के लिए और एक धन बाँटने के लिए।

★★★ **ग्राम सभा (Gram Sabha)** (अनुच्छेद 243A): ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी गाँव (या गाँवों के समूह) की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति। यह व्यवस्था की नींव है; इसकी शक्तियाँ और इसकी बैठकें कितनी बार हों, यह **राज्य कानून** तय करता है।

★★★ **तीन स्तर** (अनुच्छेद 243B): ग्राम, **मध्यवर्ती** (प्रखंड: पंचायत समिति) और जिला (जिला परिषद)। **20 लाख से अधिक नहीं** जनसंख्या वाले राज्य के लिए मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं, इसलिए मध्यवर्ती पंचायतें हर राज्य में नहीं हैं (गोवा और सिक्किम में दो स्तर हैं)।

★★ प्रखंड स्तर पर **पंचायत समिति** अपने नीचे की ग्राम पंचायतों पर **समन्वय और पर्यवेक्षण** करने वाला प्राधिकरण है; **जिला परिषद** जिले में समन्वय करती है।

★ **पंचायती राज निकाय नहीं**: खाप पंचायतें और जाति पंचायतें परंपरागत, अनौपचारिक जमावड़े हैं जिनका भाग IX में कोई दर्जा नहीं; इस व्यवस्था में गठित निकाय ग्राम पंचायत है।

★★ **संरचना** (अनुच्छेद 243C): हर स्तर पर पंचायत का हर सदस्य किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से **प्रत्यक्ष निर्वाचित** होता है; सीटें ऐसे बाँटी जाती हैं कि प्रति सीट जनसंख्या लगभग बराबर रहे।

★★ **अध्यक्ष** (अनुच्छेद 243C): **मध्यवर्ती और जिला** स्तर पर वे निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से **अप्रत्यक्ष** रूप से चुने जाते हैं; **ग्राम** स्तर पर तरीका राज्य कानून पर छोड़ा गया है (बिहार में प्रत्यक्ष चुनाव)।

★★ **अतिरिक्त सदस्य**: राज्य कानून निचले स्तरों के अध्यक्षों को, और उन **सांसदों और विधायकों** को सीट दे सकता है जिनके निर्वाचन क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में आते हैं।

★★★ **कार्यकाल** (अनुच्छेद 243E): पहली बैठक से **5 वर्ष**। चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले, या विघटन के **6 महीने** के भीतर होने चाहिए। समय से पहले विघटन के बाद चुनी गई पंचायत पाँच वर्ष के केवल **शेष** समय तक रहती है; 6 महीने से कम बचे हों तो चुनाव नहीं होता।

★★★ **अर्हता** (अनुच्छेद 243F): राज्य के निर्वाचन कानून या राज्य अधिनियम से निरर्ह व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, पर **21 वर्ष** का हो जाने पर किसी को 25 से कम आयु के कारण निरर्ह नहीं किया जाता। इसलिए हर स्तर पर न्यूनतम आयु **21** है, 25 नहीं और 30 नहीं।

★★★ **राज्य निर्वाचन आयोग** (अनुच्छेद 243K): मतदाता सूचियों और **सभी पंचायत चुनावों** का अधीक्षण करता है। **राज्य निर्वाचन आयुक्त** की नियुक्ति **राज्यपाल** करता है, उसे केवल **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** की रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है, और उसकी सेवा-शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं।

★★ **न्यायालय बाहर** (अनुच्छेद 243O): परिसीमन और सीटों के आवंटन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; पंचायत चुनाव पर प्रश्न केवल राज्य कानून के अंतर्गत **चुनाव याचिका** से उठाया जा सकता है।

★ **संघ राज्यक्षेत्र** (अनुच्छेद 243L): भाग IX राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित बदलावों के साथ लागू होता है। भाग IX से टकराने वाले **मौजूदा कानून** (अनुच्छेद 243N) संशोधित न हों तो अधिकतम एक वर्ष चल सकते थे।

हर राज्य को क्या करना ही है, और क्या कर सकता है ★★★

अनिवार्य	स्वैच्छिक (राज्य की इच्छा)
हर गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा	पंचायतों में सांसदों, विधायकों और निचले स्तर के अध्यक्षों को सीटें
तीन स्तर (20 लाख से कम पर मध्य स्तर वैकल्पिक)	पिछड़े वर्गों के लिए सीटों और पदों का आरक्षण
सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव	ग्राम स्तर का अध्यक्ष कैसे चुना जाए
मध्यवर्ती और जिला अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष चुनाव	ग्यारहवीं अनुसूची के कौन-से विषय सौंपे जाएँ
न्यूनतम आयु 21	कर लगाने की शक्ति; सहायता अनुदान
अनुसूचित जाति, जनजाति (जनसंख्या के अनुसार) और महिलाओं (कम से कम एक-तिहाई) के लिए आरक्षण	ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य
पाँच वर्ष का कार्यकाल; विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव	लेखे रखने और उनकी लेखापरीक्षा के नियम
राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग	महिलाओं के लिए एक-तिहाई से अधिक सीटें आरक्षित करना

भाग IX के अंतर्गत पंचायती राज के तीन स्तर, ग्राम सभा की नींव पर। टूटी रेखा वाला मध्य स्तर केवल वहीं छोड़ा जा सकता है जहाँ राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम हो।

मारवंथे, उडुपी जिला, कर्नाटक का एक ग्राम पंचायत कार्यालय। ग्राम स्तर की अपनी निर्वाचित परिषद, कार्यालय और कर्मचारी हैं; ऊपर के सभा-कक्ष में पंचायत बैठती है। चित्र: Rohan Pinto, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

याद रखें: भाग IX की संख्या-सीढ़ी: चुनाव लड़ने को **21**, सेवा के लिए **5** वर्ष, फिर से चुनाव को **6** महीने, मध्य स्तर छोड़ने को **20 लाख**, सँभालने को **29** विषय।

परीक्षा में सावधान: 'पंचायत सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 है' या 'मध्यवर्ती स्तर के लिए आयु 30' → दोनों गलत: हर स्तर के लिए यह **21** है। 'मध्यवर्ती पंचायतें सभी राज्यों में हैं' → गलत, 20 लाख के नियम के कारण।

झटपट जाँच

1. पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु?
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, और उसे कैसे हटाया जा सकता है?
3. कौन-से राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकते हैं?

उत्तर: 1. 21 वर्ष (अनुच्छेद 243F) · 2. राज्यपाल; केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह · 3. जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं

पंचायतों में आरक्षण और महिलाओं के लिए 50% कोटा

अनुच्छेद 243D

एक-तिहाई महिलाएँ

चक्रानुक्रम

OBC वैकल्पिक

अनुच्छेद 334 से जुड़ाव

21 राज्य + 2 संघ राज्यक्षेत्र

पंचायतों में आरक्षण दो स्तरों पर है: सीटें (सदस्य) और पद (अध्यक्ष)। संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए न्यूनतम सीमा तय करता है और पिछड़े वर्गों का मामला राज्य पर छोड़ता है। कई राज्य महिलाओं के लिए इस न्यूनतम से ऊपर गए हैं, और बिहार सबसे पहले गया।

★★★ **अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें** (अनुच्छेद 243D(1)): हर पंचायत में, क्षेत्र की जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में, निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम (rotation) से।

★★ **अनुसूचित जाति/जनजाति सीटों में महिलाएँ** (243D(2)): आरक्षित अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों का **कम से कम एक-तिहाई** उन्हीं वर्गों की महिलाओं को।

★★★ **कुल महिलाएँ** (243D(3)): प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली सभी सीटों का **कम से कम एक-तिहाई**, अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं की सीटें मिलाकर, चक्रानुक्रम से।

★★ **अध्यक्ष** (243D(4)): हर स्तर पर पद अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए राज्य कानून के अनुसार आरक्षित, जिनमें कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए।

★★★ **पिछड़े वर्ग** (243D(6)): राज्य विधानमंडल उनके लिए सीटें या पद आरक्षित **कर सकता है**; संविधान इसे अनिवार्य नहीं करता।

★★ **समय-सीमा** (243D(5)): अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटों और पदों का आरक्षण **अनुच्छेद 334** में तय अवधि (अब **25 जनवरी 2030**) के साथ समाप्त होता है; महिलाओं के आरक्षण की ऐसी **कोई** अंतिम तिथि नहीं।

★★ **अरुणाचल प्रदेश**: इसकी पंचायतों में अनुसूचित जाति आरक्षण नहीं (अनुच्छेद 243M(3A), **83वें संशोधन, 2000** द्वारा जोड़ा गया), क्योंकि राज्य में अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं।

★★★ **महिलाओं के लिए 50%**: **21 राज्य और 2 संघ राज्यक्षेत्र** पंचायत की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं (2026)। सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाएँ **लगभग आधी** हैं।

★★★ **बिहार पहला**: **बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006** ने बिहार को तीनों स्तरों पर सीटों और प्रमुख पदों का **50%** महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला **पहला राज्य** बनाया। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य ने अपने कानूनों से इसका अनुसरण किया।

★★ **छद्म नेतृत्व**: निर्वाचित महिला की जगह पति या रिश्तेदार का काम करना ('सरपंच पति') एक जानी-पहचानी समस्या है; पंचायती राज मंत्रालय इसे रोकने के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है।

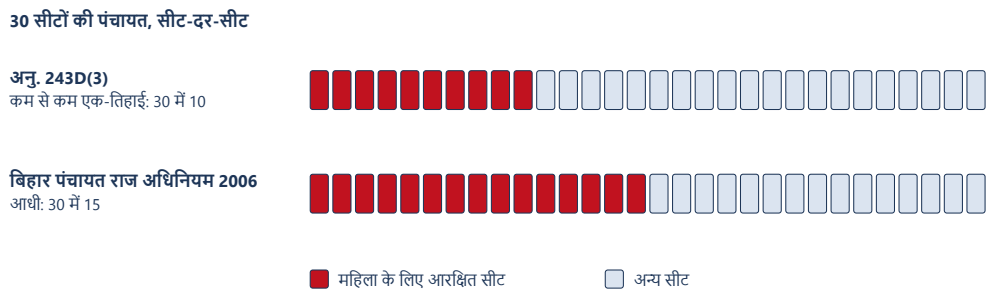

30 सीटों वाली पंचायत, सीट-दर-सीट। संविधान महिलाओं को कम से कम 10 सीटें (एक-तिहाई) देता है; बिहार का 2006 का कानून, जिसका 20 अन्य राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों ने अनुसरण किया, उन्हें 15 (आधी) देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** '73वाँ संशोधन पंचायत की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है' → नहीं: संविधान **कम से कम एक-तिहाई** कहता है; 50% **राज्य कानूनों** से आता है, सबसे पहले बिहार के (2006)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'भाग IX के अंतर्गत पंचायतों में OBC आरक्षण अनिवार्य है' → नहीं: यह राज्य पर छोड़ा गया है (अनुच्छेद 243D(6))।

☑ झटपट जाँच

1. पंचायत सीटों में महिलाओं का संवैधानिक न्यूनतम हिस्सा?
2. पंचायत की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला पहला राज्य, और किस कानून से?
3. क्या पंचायतों में OBC आरक्षण अनिवार्य है?

उत्तर: 1. एक-तिहाई (अनुच्छेद 243D) · 2. बिहार, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 · 3. नहीं, राज्य के लिए वैकल्पिक (243D(6))

शक्तियाँ, धन और ग्यारहवीं अनुसूची

अनुच्छेद 243G

29 विषय

अनुच्छेद 243H

राज्य वित्त आयोग, 243I

लेखापरीक्षा, 243J

अनुच्छेद 280(3)(bb)

बिना काम या धन के पंचायत केवल एक नामपट्ट है। इसलिए भाग IX बताता है कि पंचायतें क्या कर सकती हैं और उन्हें धन कैसे मिल सकता है, पर वह 'कर सकता है' शब्द का प्रयोग करता है: पंचायत को वास्तव में कितना मिलता है, यह इस पर निर्भर है कि उसका राज्य कितना सौंपना चाहता है।

★★★ **शक्तियाँ** (अनुच्छेद 243G): राज्य कानून पंचायतों को **आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय** की योजनाएँ बनाने और कार्यक्रम लागू करने की शक्तियाँ **दे सकता है**, जिनमें **ग्यारहवीं अनुसूची** के **29 विषयों** वाले कार्यक्रम भी हैं। 'कौन-सा अनुच्छेद 29 कार्यों की सूची देता है' पूछा जाए तो उत्तर **अनुच्छेद 243G** है: यही अनुच्छेद पंचायतों को उस ग्यारहवीं अनुसूची से जोड़ता है जिसमें सूची छपी है।

★★ **कर और अनुदान** (अनुच्छेद 243H): राज्य कानून पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और रखने दे सकता है; राज्य द्वारा वसूले गए कर उन्हें सौंप सकता है; और राज्य की संचित निधि से **सहायता अनुदान** दे सकता है।

★★★ **राज्य वित्त आयोग** (अनुच्छेद 243I): 73वें संशोधन के एक वर्ष के भीतर और फिर **हर पाँच वर्ष** पर **राज्यपाल** द्वारा गठित। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और सिफ़ारिश करता है कि राज्य के कर पंचायतों के साथ कैसे बँटें और उन्हें क्या अनुदान मिले। यही आयोग नगरपालिकाओं के वित्त की भी समीक्षा करता है (अनुच्छेद 243Y)।

★★★ **लेखे और लेखापरीक्षा** (अनुच्छेद 243J): पंचायतें लेखे कैसे रखें और उनकी लेखापरीक्षा कैसे हो, इसका प्रावधान **राज्य विधानमंडल** कानून द्वारा करता है।

★★ **केंद्रीय वित्त आयोग** (अनुच्छेद 280(3)(bb), 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया): राज्य वित्त आयोग के निष्कर्षों के आधार पर, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाता है। 74वें द्वारा जोड़ा गया खंड (c) नगरपालिकाओं के लिए यही करता है।

★★ **16वाँ वित्त आयोग** (2026-27 से 2030-31): ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए **₹4.35 लाख करोड़**, सीधे पंचायत खातों में।

★ **अपना राजस्व**: गृह या संपत्ति कर, बाज़ार और मेलों की फीस, जल-दर और लाइसेंस शुल्क पंचायत की सामान्य आय हैं; फिर भी अधिकांश धन अनुदानों से आता है।

ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों के 29 विषय (अनुच्छेद 243G) ★★★

समूह	विषय (मद संख्या)
खेती और भूमि (1-7)	1 कृषि और कृषि विस्तार; 2 भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, मृदा संरक्षण; 3 लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलविभाजक विकास; 4 पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन; 5 मत्स्य पालन; 6 सामाजिक और फार्म वानिकी; 7 लघु वनोपज
उद्योग और आधारभूत ढाँचा (8-15)	8 लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण सहित; 9 खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग; 10 ग्रामीण आवास; 11 पेयजल; 12 ईंधन और चारा; 13 सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग; 14 ग्रामीण विद्युतीकरण, वितरण सहित; 15 गैर-परंपरागत ऊर्जा
गरीबी और शिक्षा (16-21)	16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम; 17 शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित; 18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा; 19 प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा; 20 पुस्तकालय; 21 सांस्कृतिक गतिविधियाँ
बाज़ार, स्वास्थ्य और कल्याण (22-29)	22 बाज़ार और मेले; 23 स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित; 24 परिवार कल्याण; 25 महिला और बाल विकास; 26 समाज कल्याण, दिव्यांगों सहित; 27 कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण; 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली; 29 सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

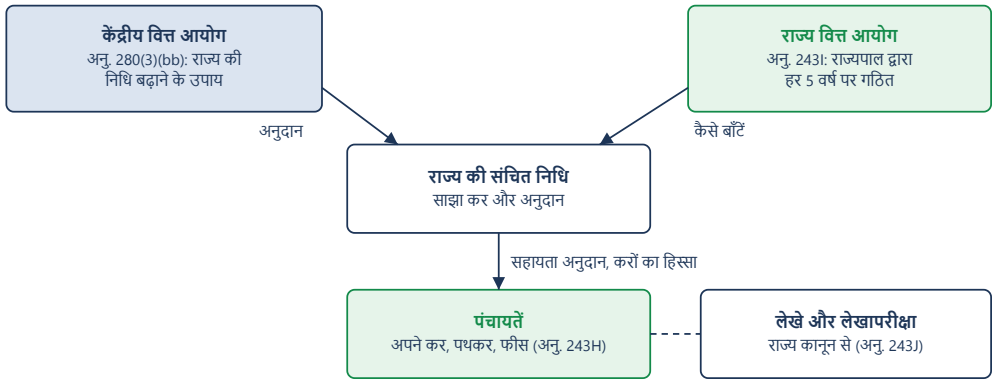

पंचायत तक धन कैसे पहुँचता है। राज्य वित्त आयोग सलाह देता है कि राज्य अपने कर और अनुदान कैसे बाँटे; केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के लिए राज्य की निधि बढ़ाने की सिफ़ारिश करता है; पंचायतें अपने कर भी जुटाती हैं; उनकी लेखापरीक्षा राज्य कानून से होती है।

याद रखें: ग्यारहवीं अनुसूची **29**, बारहवीं **18**: 'गाँव के 29, शहर के 18'। गाँव की सूची लंबी है क्योंकि ग्राम निकाय खेती, वन और मत्स्य पालन भी सँभालता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** ग्यारहवीं अनुसूची में नहीं: **ग्रामीण खेल**, पुलिस, लोक व्यवस्था, अग्निशमन सेवाएँ (यह बारहवीं में है)। इसमें हैं: पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, बाज़ार और मेले, लघु वनोपज।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है?' → **राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग**, न मुख्यमंत्री, न केंद्रीय वित्त आयोग।

☑ झटपट जाँच

1. राज्य वित्त आयोग का गठन कौन और कितने समय पर करता है?
2. ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
3. पंचायत लेखों की लेखापरीक्षा का प्रावधान कौन करता है?

उत्तर: 1. राज्यपाल, हर 5 वर्ष (अनुच्छेद 243I) · 2. 29 · 3. राज्य विधानमंडल, कानून द्वारा (अनुच्छेद 243J)

जहाँ भाग IX लागू नहीं होता

अनुच्छेद 243M

नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम

मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र

दार्जिलिंग

पेसा 1996

जब भाग IX आया, तब कुछ क्षेत्रों में जनजातीय या परंपरागत स्वशासन पहले से चल रहा था। उसे हटाने की जगह अनुच्छेद 243M इन क्षेत्रों को भाग IX से बाहर रखता है और बाद में इसे केवल राज्य विधान सभा या संसद के सोचे-समझे निर्णय से लागू होने देता है।

★★★ **बाहर रखे गए** (अनुच्छेद 243M): **पाँचवीं अनुसूची** के अनुसूचित क्षेत्र और **छठी अनुसूची** के जनजातीय क्षेत्र; **नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम** राज्य; और जिला परिषदों वाले **मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र**।

★★ **दार्जिलिंग**: दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों पर जिला स्तर के पंचायत प्रावधान लागू नहीं होते, और भाग IX उस परिषद की शक्तियाँ नहीं घटाता।

★★ **स्वयं अपनाना**: नागालैंड, मेघालय या मिज़ोरम कानून द्वारा भाग IX को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, यदि उनकी विधान सभा पहले कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से संकल्प पारित करे।

★★★ **संसद द्वारा विस्तार**: संसद भाग IX को बदलावों के साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है, और ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन **नहीं** है। **पेसा (PESA), 1996** ने यह **पाँचवीं अनुसूची** क्षेत्रों के लिए किया (अध्याय 17)।

★★ **उनके पास क्या है**: नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम गाँवों को परंपरागत ग्राम परिषदों से चलाते हैं, और मेघालय व मिज़ोरम में छठी अनुसूची की जिला परिषदें भी हैं।

★ **नगरपालिकाएँ** (अनुच्छेद 243ZC): भाग IXA भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद को प्रभावित नहीं करता, और संसद इसका विस्तार कर सकती है।

भाग IX लागू	भाग IX बाहर (अनु. 243M)
अन्य सभी राज्य	नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम
संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार	पाँचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्र
पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र, पेसा 1996 से	जिला परिषदों वाले मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र
नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, यदि अपनाएँ	दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों में जिला स्तर
नगरपालिकाएँ: यही ढाँचा (अनु. 243ZC)	अरुणाचल में अनुसूचित जाति कोटा (83वाँ संशोधन)

भाग IX कहाँ लागू है और अनुच्छेद 243M उसे कहाँ बाहर रखता है। नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम दोनों ओर दिखते हैं: जब तक उनकी विधान सभाएँ इसे न अपनाएँ, वे बाहर हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है: केरल, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय?' → **नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय** तीनों भाग IX से बाहर हैं, इसलिए 'उपर्युक्त में से एक से अधिक' सही विकल्प है। केरल की पंचायत व्यवस्था सबसे अधिक अधिकार-संपन्न व्यवस्थाओं में से एक है।

झटपट जाँच

1. कौन-से तीन राज्य भाग IX से बाहर हैं?
2. किस कानून ने भाग IX को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक बढ़ाया?
3. क्या भाग IX का विस्तार करने वाला संसद का कानून संविधान संशोधन है?

उत्तर: 1. नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम · 2. पेसा, 1996 · 3. नहीं (अनुच्छेद 243M(4)(b))

बिहार की पंचायतें

2006 का अधिनियम 6

50% महिलाएँ

EBC 20% तक

मुखिया

ग्राम कचहरी

सरपंच, न्याय मित्र

बिहार ने अपने 1993 के पंचायत कानून की जगह **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006** लाया और उससे बदल दिया कि ग्राम शासन में कौन बैठता है: सभी सीटों और प्रमुख पदों का आधा महिलाओं के लिए, और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अलग कोटा। यही अधिनियम हर ग्राम पंचायत को उसका अपना निर्वाचित ग्राम न्यायालय देता है।

★★★ **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006** (2006 का बिहार अधिनियम 6) ने **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993** की जगह ली; यह तीनों स्तर और ग्राम कचहरी स्थापित करता है।

★★★ **महिलाओं के लिए 50% वाला पहला राज्य**: हर वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित) में, यथासंभव **आधी सीटें** और मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष और सरपंच के **आधे पद** महिलाओं को।

★★★ **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)**: अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों के बाद, बिहार के आरक्षण कानून के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध पिछड़े वर्गों (EBC) को **20%** तक सीटें, और अनुसूचित जाति + जनजाति + पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण **50%** के भीतर।

★★ **शहरों में भी**: बिहार ने **2007** में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को **50%** दिया।

★★★ **ग्राम पंचायत**: प्रमुख **मुखिया**, जिसे पंचायत के सभी मतदाता **प्रत्यक्ष चुनते** हैं; **उप-मुखिया** को सदस्य चुनते हैं।

★★ **पंचायत समिति** (प्रखंड): प्रमुख **प्रमुख**। **जिला परिषद** (जिला): प्रमुख **अध्यक्ष**। दोनों को निर्वाचित सदस्य अपने में से चुनते हैं।

★★★ **ग्राम कचहरी**: हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम न्यायालय, जिसका प्रमुख **सरपंच** है, और जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित **पंच** होते हैं (लगभग 500 लोगों पर एक)। विधि स्नातक **न्याय मित्र** इसकी सहायता करता है। यह छोटे अपराधों और छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करती है; जुर्माना लगा सकती है पर किसी को **कभी** जेल नहीं भेज सकती।

★★ **बिहार में ग्राम सभा**: दो बैठकों के बीच **तीन महीने** से अधिक का अंतर नहीं; मुखिया बैठक बुलाता है और अध्यक्षता करता है।

★★ **आकार**: **8,053** ग्राम पंचायतें, **533** पंचायत समितियाँ और **38** जिला परिषदें।

★ **पिछले पंचायत चुनाव**: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सितंबर से दिसंबर **2021** के बीच **11 चरणों** में।

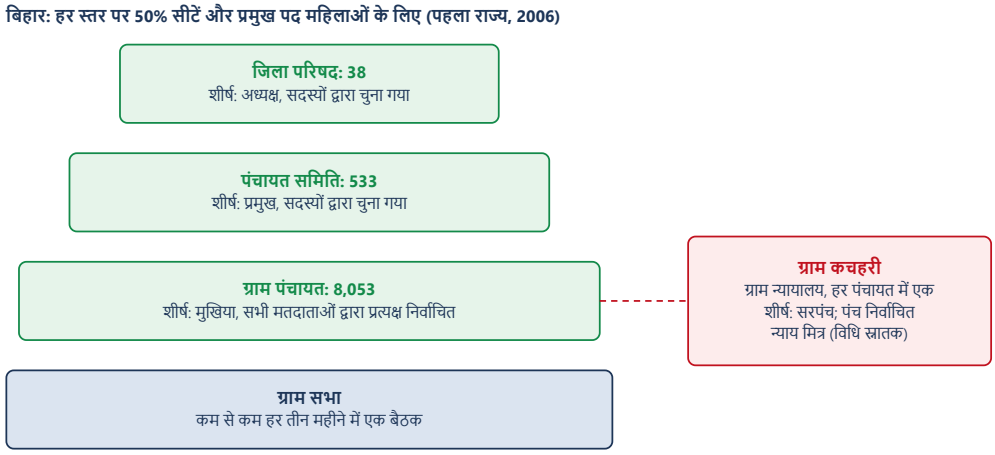

बिहार की पंचायत व्यवस्था, अपने नामों और संख्याओं के साथ। सरपंच की अध्यक्षता वाली ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत के साथ उसके न्यायालय के रूप में बैठती है।

याद रखें: बिहार के गाँव में **मुखिया चलाता है** और **सरपंच सुलझाता है**: पंचायत के लिए मुखिया, कचहरी के लिए सरपंच। सीढ़ी पर ऊपर: **पंचायत समिति** में **प्रमुख** (दोनों 'प' से); जिले की सबसे ऊँची कुर्सी **अध्यक्ष** की।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** बिहार में **सरपंच ग्राम कचहरी** (न्यायालय) का प्रमुख है, ग्राम पंचायत का नहीं; पंचायत का प्रमुख **मुखिया** है। कई अन्य राज्यों में 'सरपंच' का अर्थ ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कानून है' → चारों के लिए सत्य। संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई है; इन राज्यों ने अपने अधिनियमों से इसे बढ़ाया।

झटपट जाँच

1. बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन है?
2. बिहार में पंचायत की कितनी सीटें तक EBC को मिलती हैं?
3. बिहार में मुखिया कैसे चुना जाता है?

उत्तर: 1. सरपंच · 2. 20% (कुल आरक्षण 50% के भीतर) · 3. ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से

शहरी स्थानीय निकाय: 74वाँ संशोधन

भाग IXA

तीन प्रकार, 243Q

वार्ड समिति, 3 लाख

सुनवाई, 243U

12वीं अनुसूची: 18

भाग IXB सहकारी समितियाँ

कस्बों को भी गाँवों जैसा ही व्यवहार मिला, बस एक भाग बाद। 74वाँ संशोधन लगभग खंड-दर-खंड 73वें का अनुसरण करता है, तीन शहरी जोड़ों के साथ: नगरपालिकाएँ तीन आकार की होती हैं, बड़ी नगरपालिकाओं में वार्ड समितियाँ अनिवार्य हैं, और महानगर क्षेत्रों की अपनी योजना समिति होती है।

★★★ **तीन प्रकार** (अनुच्छेद 243Q): ग्रामीण से शहरी में **संक्रमणशील** क्षेत्र के लिए **नगर पंचायत**; **छोटे** शहरी क्षेत्र के लिए **नगरपालिका परिषद**; **बड़े** शहरी क्षेत्र के लिए **नगर निगम**। क्षेत्रों का वर्गीकरण **राज्यपाल** जनसंख्या, घनत्व, स्थानीय राजस्व, गैर-कृषि रोज़गार के हिस्से और आर्थिक महत्त्व के आधार पर करता है।

★★ **औद्योगिक नगरी**: जिस औद्योगिक नगरी में नागरिक सेवाएँ वहाँ का औद्योगिक प्रतिष्ठान देता है, उसे राज्यपाल छूट दे सकता है।

★★ **संरचना** (अनुच्छेद 243R): सभी सीटें **वार्डों** से **प्रत्यक्ष चुनाव** द्वारा भरी जाती हैं। राज्य कानून नगरपालिका प्रशासन के मताधिकार-रहित विशेषज्ञ, और सांसद, विधायक तथा वार्ड समिति अध्यक्ष जोड़ सकता है।

★★★ **वार्ड समितियाँ** (अनुच्छेद 243S): **3 लाख या अधिक** जनसंख्या वाली नगरपालिका में अनिवार्य।

★★ **आरक्षण** (अनुच्छेद 243T): अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटें जनसंख्या के अनुसार; उनमें से कम से कम एक-तिहाई उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए; सभी सीटों का **कम से कम एक-तिहाई** महिलाओं के लिए; अध्यक्ष पद राज्य कानून के अनुसार; पिछड़े वर्ग राज्य की इच्छा पर।

★★★ **कार्यकाल** (अनुच्छेद 243U): **5 वर्ष**; विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव; समय से पहले विघटन के बाद शेष कार्यकाल। पंचायत के विपरीत, नगरपालिका को विघटन से पहले **सुनवाई का उचित अवसर** मिलना चाहिए।

★★ **निरर्हता** (अनुच्छेद 243V): न्यूनतम आयु **21**, पंचायतों की तरह।

★★★ **कार्य और धन**: राज्य कानून **बारहवीं अनुसूची** के **18** विषय सौंप सकता है (अनुच्छेद 243W); कर, साझा कर और अनुदान (अनुच्छेद 243X); **राज्य वित्त आयोग** नगरपालिकाओं को भी देखता है (अनुच्छेद 243Y); लेखापरीक्षा राज्य कानून से (अनुच्छेद 243Z); चुनाव **उसी राज्य निर्वाचन आयोग** द्वारा (अनुच्छेद 243ZA)।

★ **मिलते-जुलते खंड**: संघ राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 243ZB), मौजूदा कानून (243ZF) और चुनावी मामलों में न्यायालयों पर रोक (243ZG) भाग IX जैसे ही हैं।

बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं के 18 विषय (अनुच्छेद 243W) ★★

समूह	विषय (मद संख्या)
नियोजन और भूमि	1 नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन; 2 भूमि उपयोग और भवन निर्माण का विनियमन; 3 आर्थिक और सामाजिक विकास का नियोजन
निर्माण और सेवाएँ	4 सड़कें और पुल; 5 घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति; 6 लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफ़ाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; 7 अग्निशमन सेवाएँ
पर्यावरण और गरीब	8 शहरी वानिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी; 9 दिव्यांगों सहित कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा; 10 गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन; 11 शहरी गरीबी उन्मूलन
सुविधाएँ और अभिलेख	12 पार्क, उद्यान, खेल के मैदान; 13 सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलू; 14 कब्रिस्तान, श्मशान, विद्युत शवदाह गृह; 15 मवेशी बाड़े, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम; 16 जन्म और मृत्यु सहित महत्त्वपूर्ण आँकड़े; 17 सड़क-प्रकाश, पार्किंग, बस स्टॉप, जन सुविधाएँ; 18 बूचड़खाने और चर्मशोधनशालाएँ

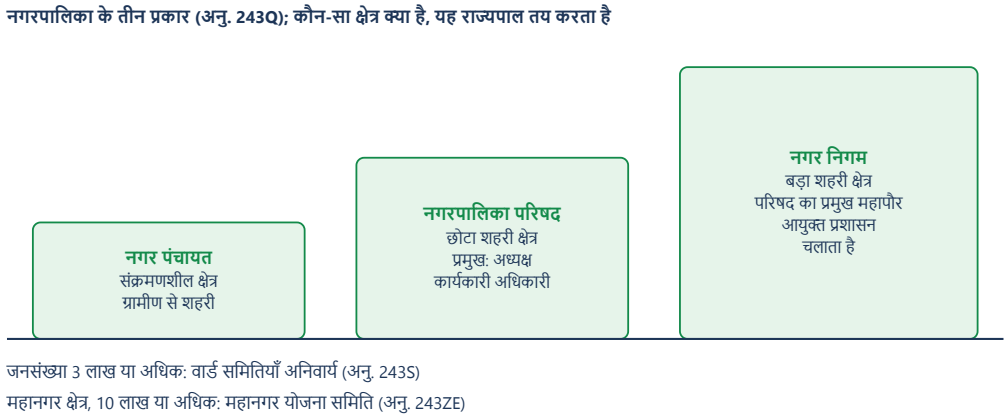

नगरपालिका के तीन प्रकार, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, उन दो जनसंख्या सीमाओं के साथ जो हर परीक्षक पूछता है: वार्ड समितियों के लिए 3 लाख और महानगर क्षेत्र के लिए 10 लाख।

⚠ **परीक्षा में सावधान: भाग IXB** (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) **सहकारी समितियों** के बारे में है (97वाँ संशोधन, 2011), नगरपालिकाओं के बारे में नहीं। **2021** में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के भीतर की सहकारी समितियों के लिए इसे रद्द किया, क्योंकि आधे राज्यों ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया था, और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए इसे बनाए रखा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** किसी कस्बे को नगर पंचायत मिले या नगरपालिका परिषद, यह कौन तय करता है? **राज्यपाल**, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा; न राज्य निर्वाचन आयोग, न केंद्र।

झटपट जाँच

1. नगरपालिका के तीन प्रकार बताइए।
2. किस जनसंख्या से ऊपर वार्ड समितियाँ अनिवार्य हैं?
3. विघटन से पहले किस निकाय की सुनवाई ज़रूरी है: पंचायत या नगरपालिका?

उत्तर: 1. नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम · 2. 3 लाख · 3. नगरपालिका (अनुच्छेद 243U)

योजना समितियाँ और अन्य शहरी निकाय

जिला योजना समिति, 243ZD

महानगर योजना समिति, 243ZE

10 लाख

महापौर, आयुक्त

छावनी बोर्ड

मद्रास 1688

हर गाँव और कस्बे की अलग-अलग बनी योजनाओं को जोड़कर जिले या महानगर की एक योजना बननी चाहिए। यह जोड़ने का काम दो समितियाँ करती हैं, और दोनों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि होने चाहिए।

★★★ **जिला योजना समिति (District Planning Committee)** (अनुच्छेद 243ZD): हर जिले में; पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर जिले की **विकास योजना का प्रारूप** बनाती है। इसके कम से कम **चार-पाँचवें** सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष योजना राज्य सरकार को भेजता है।

★★★ **महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee)** (अनुच्छेद 243ZE): हर **महानगर क्षेत्र** में, यानी **10 लाख या अधिक** लोगों वाले क्षेत्र में (अनुच्छेद 243P); पूरे क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप बनाती है। कम से कम **दो-तिहाई** सदस्य क्षेत्र के निर्वाचित नगरपालिका सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं। यह **संवैधानिक** निकाय है जो **योजनाएँ बनाता** है; सरकारी योजनाओं को अकेले लागू **नहीं** करता।

★★ **जिला योजना समिति भाग IXA में है**: यह **74वें** संशोधन से आई, यद्यपि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी योजना बनाती है।

★★ **नगर निगम**: बड़े शहरों के लिए। इसकी परिषद का प्रमुख **महापौर (Mayor)** होता है (राज्य कानून के अनुसार प्रत्यक्ष या पार्षदों द्वारा, राज्य द्वारा तय अवधि के लिए चुना गया); कार्यकारी प्रमुख **नगर आयुक्त** होता है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, प्रायः एक IAS अधिकारी।

★★ **नगरपालिका परिषद**: प्रमुख अध्यक्ष; राज्य द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी इसका दैनिक काम चलाता है।

★★ **अधिसूचित क्षेत्र समिति**: तेज़ी से बढ़ते औद्योगिक कस्बे के लिए, या ऐसे कस्बे के लिए जो अभी नगरपालिका के योग्य नहीं; राज्य सरकार की अधिसूचना से बनती है; अध्यक्ष सहित सभी सदस्य **मनोनीत** होते हैं।

★ **नगर क्षेत्र समिति**: छोटे कस्बे के लिए अर्ध-नगरपालिका निकाय, अलग राज्य अधिनियम से बनी, कुछ ही कार्यों के साथ, जैसे जल-निकास, सड़कें, सड़क-प्रकाश और सफ़ाई।

★★★ **छावनी बोर्ड**: सैन्य छावनी में रहने वाले नागरिकों के लिए नागरिक निकाय, **छावनी अधिनियम, 2006** के अंतर्गत, जो एक **केंद्रीय** कानून है; **रक्षा मंत्रालय** के अधीन; कुछ सदस्य निर्वाचित, कुछ मनोनीत।

★ **नगरी (Township)**: किसी बड़े सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों की कॉलोनी के लिए चलाई जाती है, कोई निर्वाचित सदस्य नहीं (जैसे बिहार में बरौनी जैसी रिफ़ाइनरी नगरी)। **पत्तन न्यास (Port trust)**: बंदरगाह और उसकी नागरिक सेवाएँ चलाने के लिए संसद के अधिनियम से बनता है।

★ **विशेष उद्देश्य अभिकरण**: एक-एक काम के लिए वैधानिक बोर्ड, जैसे आवास बोर्ड, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और विकास प्राधिकरण।

★★★ **इतिहास**: भारत का पहला **नगर निगम 1688** में **मद्रास** में बना; **बॉम्बे** और **कलकत्ता** में **1726** में।

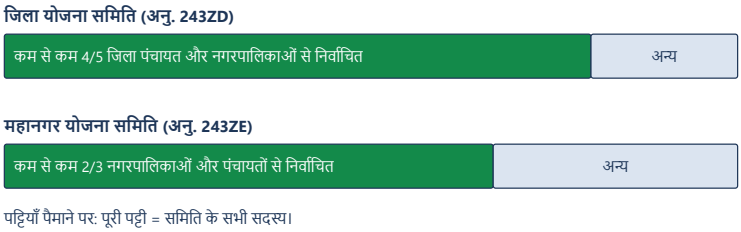

योजना समितियों में कौन बैठता है, पैमाने पर। निर्वाचित स्थानीय सदस्य जिला योजना समिति के कम से कम चार-पाँचवें और महानगर योजना समिति के कम से कम दो-तिहाई होते हैं।

याद रखें: D पहले M, 4/5 पहले 2/3: जिला (District) समिति को बड़ा निर्वाचित हिस्सा (चार-पाँचवाँ) चाहिए, महानगर (Metropolitan) समिति को छोटा (दो-तिहाई)।

परीक्षा में सावधान: 'महानगर योजना समिति संविधान के अंतर्गत बनती है और विकास योजनाओं के प्रारूप तैयार करती है' → सत्य। 'क्षेत्र में सरकारी योजनाएँ लागू करने की एकमात्र ज़िम्मेदारी उसी की है' → असत्य।

झटपट जाँच

1. जिला योजना समिति का कितना हिस्सा निर्वाचित स्थानीय सदस्य होने चाहिए?
2. कितनी जनसंख्या से महानगर क्षेत्र बनता है?
3. छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन और किस अधिनियम से चलते हैं?

उत्तर: 1. कम से कम चार-पाँचवाँ · 2. 10 लाख या अधिक · 3. रक्षा; छावनी अधिनियम, 2006

आज की पंचायतें: योजनाएँ और आँकड़े (नवंबर 2026 तक)

24 अप्रैल

पुनर्गठित RGSA 2022-26

वित्तपोषण 60:40

PM-VGSY 2026-31

स्वामित्व (SVAMITVA)

GPDP, LSDGs

2004 से एक अलग केंद्रीय मंत्रालय पंचायतों के प्रशिक्षण, भवनों और डिजिटल साधनों के लिए धन देता है। परीक्षक योजनाओं के वर्ष, वित्तपोषण के हिस्से और हर साधन का काम पूछते हैं।

★★ **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस**: **24 अप्रैल**, जिस दिन 1993 में 73वाँ संशोधन लागू हुआ।

★★★ **पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)**: **1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026** (2022-23 से 2025-26), परिव्यय **₹5,911 करोड़**; पंचायतों की **शासन क्षमता** बढ़ाता है ताकि वे **सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** पूरे कर सकें। पहला RGSA 2018-19 से 2021-22 तक चला।

★★★ **RGSA का वित्तपोषण**: केंद्रीय घटकों का पूरा खर्च केंद्र देता है; राज्य घटक **60:40** में बँटते हैं, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए **90:10**, अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के लिए **100%** केंद्रीय। यह सभी राज्यों के लिए कभी 100% केंद्रीय नहीं था।

★★ **उत्तराधिकारी योजना**: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **28 अक्टूबर 2026** को **2026-27 से 2030-31** के लिए **प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY)** को मंज़ूरी दी, लगभग **₹7,395 करोड़** (केंद्र लगभग ₹4,869 करोड़, राज्य लगभग ₹2,526 करोड़), जो 16वें वित्त आयोग की अवधि से मेल खाती है।

★★ **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)**: हर ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना, जो **जन योजना अभियान** ('सबकी योजना सबका विकास', 2 अक्टूबर 2018 से) के अंतर्गत ग्राम सभाओं में बनती है।

★★ **स्थानीयकृत SDGs**: पंचायतों के लिए 17 SDGs को **नौ विषयों** में बाँटा गया है (गरीबी-मुक्त, स्वस्थ, बाल-हितैषी, जल-पर्याप्त, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भर आधारभूत ढाँचा, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, सुशासन, महिला-हितैषी); **पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Advancement Index)** इन पर प्रगति मापता है।

★★ **ई-ग्रामस्वराज (e-GramSwaraj)**: पंचायतों के लिए ऑनलाइन नियोजन, लेखा और भुगतान मंच; 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व के साथ शुरू।

★★★ **स्वामित्व (SVAMITVA)**: **24 अप्रैल 2020** को शुरू; ड्रोन गाँव की आबादी भूमि का सर्वेक्षण करते हैं और मालिकों को कानूनी **संपत्ति कार्ड** मिलते हैं, जिनसे वे बैंक ऋण ले सकते हैं।

★ **पैमाना**: **2.5 लाख** से अधिक ग्राम पंचायतें; सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाएँ लगभग आधी हैं (2026)।

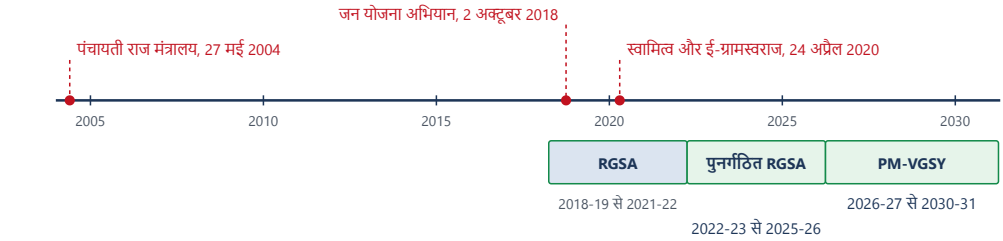

योजना-अवधियाँ समय-अक्ष पर पैमाने के अनुसार (वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू)।

पंचायत योजनाएँ एक समय-रेखा पर, पैमाने पर: RGSA, फिर पुनर्गठित RGSA (2022-23 से 2025-26), फिर PM-VGSY (2026-27 से 2030-31), मंत्रालय, जन योजना अभियान और स्वामित्व चिह्नित।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** पुनर्गठित RGSA **2022-23 से 2025-26** तक चला, 1 अप्रैल 2021 से नहीं; इसका लक्ष्य SDGs पूरे करने की पंचायत क्षमता है; और केवल इसके **केंद्रीय** घटकों का पूरा वित्तपोषण केंद्र करता है।

☑ झटपट जाँच

1. पुनर्गठित RGSA की अवधि?
2. स्वामित्व योजना कब शुरू हुई, और ग्रामीणों को क्या देती है?
3. सामान्य राज्यों में RGSA के राज्य घटकों का वित्तपोषण अनुपात?

उत्तर: 1. 2022-23 से 2025-26 · 2. 24 अप्रैल 2020; कानूनी संपत्ति कार्ड · 3. 60:40 (केंद्र:राज्य)

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (28)

UPSC 2011 संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजों की व्यवस्था करता है ?
1. ज़िला योजना समितियों का गठन करने की
2. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 2 और 3. अनुच्छेद 243K: राज्य निर्वाचन आयोग सभी पंचायत चुनाव कराता है; अनुच्छेद 243I: राज्य वित्त आयोग हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है; ज़िला योजना समितियाँ 74वें संशोधन (अनुच्छेद 243ZD) से आती हैं

UPSC 2011 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
भारत में महानगर योजना समिति
1. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है ।
2. उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है ।
3. उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रयोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है ।
उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1 और 2. अनुच्छेद 243ZE: महानगर योजना समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है

UPSC 2015 पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
1. विकास में जन-भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
4. वित्तीय संग्रहण (फ़ाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 1 और 3. पंचायती राज का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन-भागीदारी है

UPSC 2016 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है।
2. पंचायत के समयपूर्व भंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 243F); समयपूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक रहती है

UPSC 2017 स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है
(a) संघवाद का (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का (c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का
उत्तर: (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का. स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है: शक्ति निर्वाचित स्थानीय निकायों को जाती है

UPSC 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं।
II. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को तीस वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए।
III. किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है।
उपर्युक्त में कौन-कौन से कथन सही नहीं हैं?
(a) केवल I और II (b) केवल II और III (c) केवल I और III (d) I, II और III
उत्तर: (d) I, II और III. 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत आवश्यक नहीं है; पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनुच्छेद 243F); राज्यपाल हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है (अनु. 243I)

UPSC 2026 संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
1. इसके कार्यान्वयन की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 है।
2. संशोधित RGSA का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताएँ विकसित करना है।
3. सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संशोधित RGSA हेतु केंद्रीय वित्त पोषण का हिस्सा 100% है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
(a) 1 और 2 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2. संशोधित RGSA (2022-23 से 2025-26) SDG हासिल करने हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाता है; संशोधित RGSA में केंद्रीय घटक पूरी तरह केंद्र देता है; राज्य घटकों की लागत साझा होती है

BPSC 56th-59th विकेन्द्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी?
(a) सी॰ राजगोपालाचारी (b) जे॰ बी॰ कृपलानी (c) बलवंत राय मेहता (d) अशोक मेहता
उत्तर: (c) बलवंत राय मेहता. बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की

BPSC 60th-62nd भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है
(a) एक सलाहकार निकाय (b) एक सलाहकार समिति (c) समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी (d) प्रशासनिक प्राधिकारी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी. खंड स्तर की पंचायत समिति ग्राम पंचायतों का समन्वय और पर्यवेक्षण करती है

BPSC 63rd निम्नलिखित में से किस कमेटी/आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी?
(a) बलवन्त राय मेहता कमेटी (b) अशोक मेहता कमेटी (c) जी॰ वी॰ के॰ राव कमेटी (d) सरकारिया आयोग
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता समिति (1978) ने अलग न्याय पंचायतों की सिफारिश की

BPSC 63rd निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता?
(a) सार्वजनिक स्वास्थ्य (b) स्वच्छता (c) जनोपयोगी सेवा (d) सार्वजनिक अनुशासन का रख-रखाव
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) सार्वजनिक अनुशासन का रख-रखाव. सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, स्थानीय निकायों का कार्य नहीं

BPSC 63rd पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है?
(a) संघ सूची (b) राज्य सूची (c) समवर्ती सूची (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं (e) उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) राज्य सूची. पंचायतों सहित स्थानीय शासन राज्य सूची की प्रविष्टि 5 है

BPSC 63rd किस राज्य/किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है?
I. बिहार
II. उत्तराखण्ड
III. मध्य प्रदेश
IV. हिमाचल प्रदेश
(a) केवल III (b) केवल II व III (c) II, III व IV (d) I, II, III व IV (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) I, II, III व IV. बिहार ने 2006 में सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया; अनुच्छेद 243D पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई सीटें तय करता है

BPSC 64th निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है?
(a) अनुच्छेद 33 (b) अनुच्छेद 40 (c) अनुच्छेद 48 (d) अनुच्छेद 50 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) अनुच्छेद 40. अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है

BPSC 65th निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था?
(a) खाप पंचायत (b) जाति पंचायत (c) ग्राम पंचायत (d) जन पंचायत (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत पंचायती राज की ग्राम-स्तरीय संस्था है

BPSC 66th पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है?
(a) अनुच्छेद 243 (H) (b) अनुच्छेद 243 (E) (c) अनुच्छेद 243 (F) (d) अनुच्छेद 243 (G)
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) अनुच्छेद 243 (G). अनुच्छेद 243G राज्यों को 11वीं अनुसूची के 29 विषय पंचायतों को सौंपने का अधिकार देता है

BPSC 66th 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई?
(a) 61वाँ संविधान संशोधन बिल (b) 62वाँ संविधान संशोधन बिल (c) 63वाँ संविधान संशोधन बिल (d) 64वाँ संविधान संशोधन बिल
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) 64वाँ संविधान संशोधन बिल. 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक (1989) पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास था

BPSC 66th निम्न में से कौन-सा विकेन्द्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है?
(a) स्वायत्तता (b) लोक-सहभागिता (c) स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना (d) स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना. विकेंद्रीकरण स्थानीय समुदायों को शक्ति, स्वायत्तता और भागीदारी सौंपता है

BPSC 67th निम्नलिखित में से क्या संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
(a) पुस्तकालय (b) ईंधन और चारा (c) ग्रामीण खेल (d) तकनीकी प्रशिक्षण (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) ग्रामीण खेल. अनुच्छेद 243G से जुड़ी ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय हैं

BPSC 67th re-exam पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्षों में क्या गठित करती है?
(a) सलाहकार समिति (b) वित्त आयोग (c) वित्त समिति (d) सलाहकार आयोग (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) वित्त आयोग. अनुच्छेद 243I: राज्यपाल हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है

BPSC 67th re-exam किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है?
(a) केरल (b) नागालैण्ड (c) मिजोरम (d) मेघालय (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक. अनुच्छेद 243M: भाग IX नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम पर लागू नहीं होता; नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में गाँवों का प्रशासन पारंपरिक या ग्राम परिषदें चलाती हैं

BPSC 68th निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
73वें संशोधन के बाद विकेन्द्रीकरण किया गया
1. निर्णय लेने की शक्तियों का
2. पूर्ण व्यवस्था का
3. न्यायिक शक्तियों का
4. प्रशासनिक शक्तियों का
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (b) केवल 1, 2 और 4. 73वें संशोधन ने निर्णय लेने और प्रशासन की शक्तियों का पंचायतों तक विकेंद्रीकरण किया; भाग IX पंचायतों को न्यायिक शक्तियाँ नहीं देता; ग्राम न्यायालय राज्य कानूनों पर आधारित हैं

BPSC 68th 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है?
(a) 21 वर्ष (b) 25 वर्ष (c) 18 वर्ष (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (a) 21 वर्ष. अनुच्छेद 243F: पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है

BPSC 68th एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है?
(a) जिला स्तर (b) ग्राम पंचायत स्तर (c) ब्लॉक-स्तरीय निकाय (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) ब्लॉक-स्तरीय निकाय. पंचायती राज के तीन स्तर हैं: ग्राम, मध्यवर्ती (प्रखंड) और जिला

BPSC 70th अनुच्छेद "243J" के अन्तर्गत पंचायतों के लेखा प्रबन्धन से सम्बन्धित नियम कौन बनाता है ?
(a) राज्य विधानमण्डल (b) संसद (c) राज्य वित्त आयोग (d) जिला कलेक्टर
उत्तर: (a) राज्य विधानमण्डल. अनुच्छेद 243J: राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों के लेखा और लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करता है

BPSC 70th re-exam पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गयी है ?
(a) ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना (b) ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना
(c) ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चार स्तरीय संरचना
(d) ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना
उत्तर: (d) ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना. अनुच्छेद 243B: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतें; 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर की पंचायत छोड़ सकता है

BPSC 71st पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है?
(a) मुख्यमंत्री (b) ब्लॉक समिति का अध्यक्ष (c) जिला परिषद का अध्यक्ष (d) राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग
उत्तर: (d) राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग. अनुच्छेद 243I: राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग गठित करता है

BPSC 71st पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है?
(a) कृषि उत्पादन में वृद्धि करना (b) रोजगार सृजन (c) जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना
(d) जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना
उत्तर: (d) जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना. पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय विकास और शासन में जनता की भागीदारी है

स्वयं को परखें (13)

1. अनुच्छेद 243B के अंतर्गत किन राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित करना आवश्यक नहीं?
(a) 20 से कम जिलों वाले राज्य (b) 20 लाख से अधिक जनसंख्या न रखने वाले राज्य (c) छठी अनुसूची वाले राज्य
(d) 10 लाख से अधिक जनसंख्या न रखने वाले राज्य

2. राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है
(a) राज्यपाल द्वारा अपने प्रसादपर्यंत (b) मंत्रिमंडल की सलाह पर मुख्यमंत्री द्वारा
(c) केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति और आधारों पर (d) भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा

3. किस समिति ने मंडल पंचायतों वाले दो-स्तरीय पंचायती राज की सिफ़ारिश की?
(a) बलवंत राय मेहता समिति (b) अशोक मेहता समिति (c) एल.एम. सिंघवी समिति (d) जी.वी.के. राव समिति

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नगरपालिका को विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। 2. अनुच्छेद 243E पंचायत को भी यही अधिकार देता है। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. वार्ड समितियाँ उस नगरपालिका में अनिवार्य हैं जिसकी जनसंख्या है
(a) 1 लाख या अधिक (b) 3 लाख या अधिक (c) 5 लाख या अधिक (d) 10 लाख या अधिक

6. इनमें से कौन ग्यारहवीं अनुसूची का विषय नहीं है?
(a) लघु वनोपज (b) ईंधन और चारा (c) अग्निशमन सेवाएँ (d) बाज़ार और मेले

7. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है
(a) मुखिया (b) प्रमुख (c) सरपंच (d) अध्यक्ष

8. अनुच्छेद 280(3)(bb) वित्त आयोग से किस उपाय की सिफ़ारिश करने को कहता है?
(a) पंचायत करों की दरें तय करना (b) पंचायत संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाना
(c) पंचायतों के लेखों की लेखापरीक्षा करना (d) हर पंचायत में सीटों की संख्या तय करना

9. संविधान का भाग IX निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? 1. नागालैंड 2. मिज़ोरम 3. केरल 4. मेघालय
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

10. जिला योजना समिति का कम से कम कितना हिस्सा जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाना चाहिए?
(a) आधा (b) दो-तिहाई (c) तीन-चौथाई (d) चार-पाँचवाँ

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
2. समय से पहले विघटन के बाद चुनी गई पंचायत पाँच वर्ष के कार्यकाल के केवल शेष समय तक रहती है।
3. राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल हर पाँच वर्ष पर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

12. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
समिति : सिफ़ारिश
1. बलवंत राय मेहता : मंडल पंचायतों के साथ दो स्तर
2. जी.वी.के. राव : पंचायतें 'बिना जड़ की घास' बन गई थीं
3. अशोक मेहता : जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

13. एक ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक के 4 वर्ष 7 महीने बाद भंग कर दी जाती है। संविधान का भाग IX क्या अपेक्षा करता है?
(a) पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए छह महीने के भीतर नए चुनाव (b) शेष अवधि के लिए कोई चुनाव आवश्यक नहीं
(c) केवल शेष महीनों के लिए छह महीने के भीतर नए चुनाव (d) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक महीने के भीतर चुनाव

उत्तर: 1. (b) अनुच्छेद 243B(2): जहाँ राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो, वहाँ मध्यवर्ती स्तर वैकल्पिक है। · 2. (c) अनुच्छेद 243K(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा संरक्षण देता है। · 3. (b) अशोक मेहता (1977-78) ने जिला परिषद और मंडल पंचायत, तथा अलग न्याय पंचायतें प्रस्तावित कीं। · 4. (a) सुनवाई वाला परंतुक अनुच्छेद 243U (नगरपालिकाएँ) में है; अनुच्छेद 243E (पंचायतें) में ऐसा कोई परंतुक नहीं। · 5. (b) अनुच्छेद 243S: जहाँ नगरपालिका की जनसंख्या 3 लाख या अधिक हो, वहाँ वार्ड समितियाँ अनिवार्य हैं। · 6. (c) अग्निशमन सेवाएँ बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाएँ) की मद 7 है; बाकी तीन ग्यारहवीं अनुसूची की मदें हैं। · 7. (c) सरपंच ग्राम न्यायालय का प्रमुख है; मुखिया ग्राम पंचायत का। · 8. (b) 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया खंड (bb) राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर काम करता है। · 9. (b) अनुच्छेद 243M(2)(a) नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम को बाहर रखता है; केरल में भाग IX के अंतर्गत पंचायतें हैं। · 10. (d) अनुच्छेद 243ZD(2): कम से कम चार-पाँचवाँ, महानगर योजना समिति के लिए दो-तिहाई। · 11. (d) तीनों भाग IX में हैं: आयु 21 (अनुच्छेद 243F), शेष-कार्यकाल नियम (अनुच्छेद 243E) और हर पाँच वर्ष पर राज्यपाल का वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I); सामान्य जाल हैं आयु 25 और राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री। · 12. (a) केवल युग्म 2 सही है; मंडल पंचायतों के साथ दो स्तर अशोक मेहता की सिफ़ारिश थी, और कलेक्टर को जिला परिषद अध्यक्ष बनाना बलवंत राय मेहता की; दोनों मेहता आपस में बदल दिए गए। · 13. (b) अनुच्छेद 243E: समय से पहले विघटन के बाद चुना गया निकाय केवल शेष अवधि तक रहता है, और जब छह महीने से कम बचे हों तो चुनाव नहीं होता; यहाँ केवल पाँच महीने बचे हैं।

अध्याय 17

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र; आरक्षण

पाँचवीं बनाम छठी अनुसूची (कौन-से राज्य, घोषणा कौन करता है, राज्यपाल की शक्तियाँ, जनजातीय भूमि), पेसा में ग्राम सभा की शक्तियाँ, अनुसूचित जनजातियों को कौन अधिसूचित करता है, PVTG, अनुच्छेद 330 से 342 और आरक्षण के बड़े मामले (इंदिरा साहनी, नागराज, EWS, उप-वर्गीकरण) UPSC और BPSC के प्रश्नपत्रों में बार-बार आते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 13 बार पूछा गया: UPSC 10 · BPSC 3

≈ 44 min पढ़ने में ≈ 10 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. **अनुच्छेद 341, 342**: **राष्ट्रपति**, **राज्यपाल** से परामर्श के बाद, किसी राज्य की अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ अधिसूचित करता है; उसके बाद सूची केवल **संसद** कानून द्वारा बदल सकती है। यह दर्जा **राज्य-विशिष्ट** है।
2. **अनुसूचित जनजाति की कसौटियाँ** (लोकुर समिति, 1965): आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बाहरी संपर्क में संकोच, पिछड़ापन।
3. **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)**: **18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र** (अंडमान और निकोबार) में **75** समूह; पहचान: कृषि-पूर्व तकनीक, बहुत कम साक्षरता, स्थिर या घटती जनसंख्या, निर्वाह अर्थव्यवस्था।
4. **पाँचवीं अनुसूची** (अनुच्छेद 244(1)): **10 राज्यों** में अनुसूचित क्षेत्र, **राष्ट्रपति के आदेश** से घोषित; राज्यपाल **जनजातीय भूमि के हस्तांतरण** पर रोक लगा सकता है, साहूकारी का विनियमन कर सकता है और कानूनों के लागू होने का ढंग बदल सकता है, हर वर्ष **राष्ट्रपति** को प्रतिवेदन देता है, और **जनजाति सलाहकार परिषद** (अधिकतम 20, तीन-चौथाई अनुसूचित जनजाति विधायक) उसे सलाह देती है।
5. **छठी अनुसूची** (अनुच्छेद 244(2), 275(1)): **असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम** के जनजातीय क्षेत्र; **10** स्वायत्त परिषदें; जिला परिषद में अधिकतम **30** सदस्य, जिनमें अधिकतम **4** राज्यपाल द्वारा मनोनीत, कार्यकाल 5 वर्ष।
6. **समता (1997)**: अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातीय भूमि निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर देना शून्य है। **नियमगिरि (2013)**: खनन से उनके अधिकारों को हानि होगी या नहीं, यह ग्राम सभाएँ तय करती हैं।
7. **पेसा (PESA) (24 दिसंबर 1996)**: भाग IX को पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक बढ़ाता है; ग्राम सभा **लघु वनोपज** की स्वामी है, भूमि हस्तांतरण रोकती है, **लघु खनिज** पट्टों के लिए उसकी सिफ़ारिश अनिवार्य है; कम से कम **आधी** सीटें और **सभी अध्यक्ष पद** अनुसूचित जनजातियों को।
8. लोक सभा में आरक्षित सीटें: **84 अनुसूचित जाति, 47 अनुसूचित जनजाति** (अनुच्छेद 330); विधान सभाएँ अनुच्छेद 332; समय-सीमा अनुच्छेद 334, अब **25 जनवरी 2030** (104वाँ संशोधन, जिसने आंग्ल-भारतीय मनोनयन भी समाप्त किया)।
9. **106वाँ संशोधन (2023)**: **16 अप्रैल 2026** से लागू; लोक सभा और विधान सभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए, पर केवल उस तिथि के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद, फिर 15 वर्ष के लिए।
10. **इंदिरा साहनी (1992)**: 27% OBC कोटा वैध, **50% की सीमा**, **क्रीमी लेयर** बाहर, पदोन्नति में आरक्षण नहीं (बाद में **77वें संशोधन**, अनुच्छेद 16(4A) से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुमति)।
11. **103वाँ संशोधन (2019)**: **10% तक EWS** (अनुच्छेद 15(6), 16(6)), **जनहित अभियान (2022)** में 3:2 से वैध। **दविंदर सिंह (2024)**: राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों का **उप-वर्गीकरण** कर सकते हैं।
12. बिहार: **2 अक्टूबर 2023** के **जाति सर्वेक्षण** के परिणाम: अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%; आरक्षण **65%** करने वाला उसका कानून **पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024** को रद्द कर दिया।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कौन है

अनुच्छेद 341, 342

राष्ट्रपति + राज्यपाल

संसद बदलती है

लोकुर कसौटियाँ

PVTG: 75

संविधान किसी जाति या जनजाति का नाम नहीं लेता। वह राष्ट्रपति को राज्य-दर-राज्य उन्हें अधिसूचित करने देता है और फिर सूची को स्थिर कर देता है, ताकि केवल संसद उसे बदल सके। इसलिए कोई समुदाय एक राज्य में अनुसूचित जनजाति हो सकता है और अगले में नहीं।

★★ **परिभाषाएँ**: अनुच्छेद **366(24)** (अनुसूचित जातियाँ) और **366(25)** (अनुसूचित जनजातियाँ) का अर्थ है अनुच्छेद **341** और **342** के अंतर्गत सूचीबद्ध समुदाय।

★★★ **अधिसूचना कौन करता है**: राज्य के लिए **राष्ट्रपति**, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, **राज्यपाल से परामर्श के बाद**; संघ राज्यक्षेत्र के लिए अकेले राष्ट्रपति। राज्यपाल केवल सलाह देता है; वह घोषणा नहीं करता।

★★★ **सूची कौन बदलता है**: पहली अधिसूचना के बाद केवल **संसद कानून द्वारा** किसी समुदाय को जोड़ या हटा सकती है; राष्ट्रपति बाद की अधिसूचना से इसमें बदलाव नहीं कर सकता।

★★★ **राज्य-विशिष्ट**: एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय का दूसरे में भी होना ज़रूरी नहीं, और प्रवास करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का दर्जा नए राज्य में साथ नहीं ले जाता।

★★★ **अनुसूचित जनजाति की कसौटियाँ** (लोकुर समिति, 1965, अब भी अपनाई जाती हैं): **आदिम लक्षणों** के संकेत, **विशिष्ट संस्कृति**, **भौगोलिक अलगाव**, बड़े समुदाय से **संपर्क में संकोच**, और **पिछड़ापन**।

★★ **धर्म और अनुसूचित जाति का दर्जा**: संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 पहले केवल **हिंदुओं** पर लागू था; **सिख 1956** में और **बौद्ध 1990** में जोड़े गए। अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए धर्म की **कोई** शर्त नहीं।

★★ **संख्या (जनगणना 2011)**: भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियाँ **16.6%** (लगभग 20.1 करोड़) और अनुसूचित जनजातियाँ **8.6%** (लगभग 10.4 करोड़); **700** से अधिक जनजातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं।

★ **कहाँ**: सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में; सबसे अधिक हिस्सा लक्षद्वीप (94.8%) और मिज़ोरम (94.4%) में; पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं।

★★★ **PVTG**: **18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) में **75** विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups)। पहचान: **कृषि-पूर्व** स्तर की तकनीक, **कम साक्षरता**, **स्थिर या घटती जनसंख्या**, निर्वाह अर्थव्यवस्था।

★★ **PVTG का इतिहास**: ढेबर आयोग (1960-61) ने सबसे पिछड़ी जनजातियों को अलग से चिह्नित किया; 'आदिम जनजातीय समूह' 1975 से पहचाने गए और **2006** में उनका नाम PVTG रखा गया।

★★ **PVTG के उदाहरण**: जारवा, ओंगे, शोम्पेन, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी (अंडमान और निकोबार); **इरुला** और टोडा (तमिलनाडु); **कोंडा रेड्डी** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना); बैगा और सहरिया (मध्य प्रदेश); बोंडा (ओडिशा); बिरहोर और असुर (झारखंड); कातकरी (महाराष्ट्र)।

★★ **पीएम-जनमन (PM-JANMAN)**: **15 नवंबर 2023** को, जनजातीय गौरव दिवस (बिरसा मुंडा की जयंती) पर शुरू; PVTG बस्तियों तक आवास, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए।

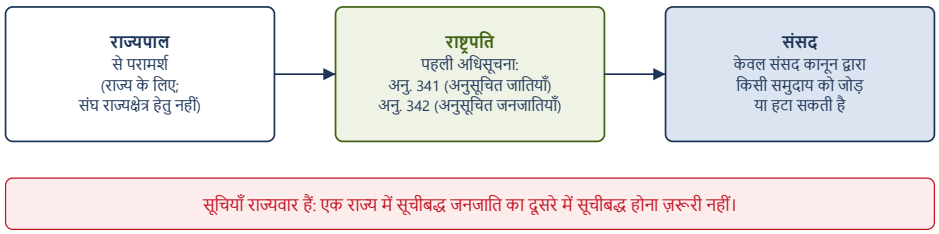

कोई समुदाय अनुसूचित जाति या जनजाति कैसे बनता है: राज्यपाल से परामर्श होता है, राष्ट्रपति पहली सूची जारी करता है, और उसके बाद केवल संसद उसे बदल सकती है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता और घोषणा राज्यपाल देता है' → असत्य। **राष्ट्रपति** राज्यपाल से परामर्श के बाद अधिसूचित करता है (अनुच्छेद 342); बाद के बदलावों के लिए **संसद का अधिनियम** चाहिए।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** PVTG की संख्या **75** है, 95 नहीं, और वे **18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र** में रहते हैं। स्थिर या घटती जनसंख्या इसकी एक कसौटी है।

☑ **झटपट जाँच**

1. किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों को कौन अधिसूचित करता है?
2. बाद में सूची में किसी जनजाति को जोड़ या हटा केवल कौन सकता है?
3. कितने PVTG, कितने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श के बाद (अनुच्छेद 342) · 2. संसद, कानून द्वारा · 3. 75; 18 राज्य और 1 संघ राज्यक्षेत्र

पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्र

अनुच्छेद 244(1)
10 राज्य
राष्ट्रपति का आदेश
राज्यपाल के विनियम
जनजातीय भूमि
जनजाति सलाहकार परिषद

जहाँ जनजातीय लोग किसी सामान्य राज्य के भीतर सघन, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, वहाँ संविधान राज्य सरकार को ही प्रभारी रखता है, पर राज्यपाल को पहरे पर बैठाता है। वह जनजातीय लोगों को हानि पहुँचाने वाले कानूनों को रोक सकता है और उनकी भूमि उन्हीं के हाथ में रखने के लिए विशेष नियम बना सकता है।

★★ **अनुच्छेद 244(1)** और **पाँचवीं अनुसूची**: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम **को छोड़कर** हर राज्य के **अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas)** और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण।

★★★ **10 राज्यों** में अनुसूचित क्षेत्र हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। बिहार में कोई नहीं।

★★★ **राष्ट्रपति द्वारा घोषित**, **आदेश** से, राज्यपाल से परामर्श के बाद; राष्ट्रपति उन्हें बढ़ा, घटा या नए सिरे से निर्धारित भी कर सकता है। सबसे बड़ी इकाई पूरा **जिला** है; सबसे छोटी किसी प्रखंड में **गाँवों का समूह**।

★★ **कसौटियाँ**: जनजातीय लोगों का बड़ा बहुमत, सघनता और उचित आकार, व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई, और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन।

★★★ **शासन राज्य का ही**: राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर भी है। क्षेत्र किसी स्थानीय निकाय को नहीं जाता, संघ राज्यक्षेत्र नहीं बनता, और राज्य को 'विशेष श्रेणी' का राज्य नहीं बनाता।

★★★ **संघ की भूमिका**: संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को उसके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर **निर्देश** देने तक है; संघ उनका प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेता।

★★★ **वार्षिक प्रतिवेदन**: **राज्यपाल** हर वर्ष, या माँगे जाने पर, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर **राष्ट्रपति** को प्रतिवेदन देता है।

★★★ **राज्यपाल की शक्तियाँ**: निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का कोई अधिनियम वहाँ **लागू न हो**, या बदलावों के साथ लागू हो; शांति और सुशासन के लिए **विनियम** बना सकता है, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच **भूमि हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध**, **भूमि आवंटन** का विनियमन, और अनुसूचित जनजातियों को **साहूकारी** का विनियमन। विनियमों के लिए **राष्ट्रपति की अनुमति** आवश्यक है।

★★★ **जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council)**: अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य में अनिवार्य; **अधिकतम 20 सदस्य**, जिनमें लगभग **तीन-चौथाई** राज्य विधान सभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य। विनियम बनाने से पहले राज्यपाल इससे परामर्श करता है। जिस राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहाँ भी राष्ट्रपति ऐसी परिषद का निर्देश दे सकता है।

★★ **अनुच्छेद 339**: राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर आयोग नियुक्त कर सकता है, और 1950 के दस वर्ष बाद उसे ऐसा करना ही था: **यू.एन. ढेबर आयोग (1960-61)**; दूसरा **दिलीप सिंह भूरिया आयोग (2002-04)** था।

★★★ **समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997)**: पाँचवीं अनुसूची के संरक्षण के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातीय भूमि का **गैर-जनजातियों या खनन के लिए निजी कंपनियों** को पट्टा या हस्तांतरण शून्य है।

★★ **अनुच्छेद 275(1)**: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर उठाने के लिए भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान।

★★ **जनजातीय कल्याण मंत्री** (अनुच्छेद 164(1)): **छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा** में अनिवार्य; **94वें संशोधन (2006)** ने बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड रखे।

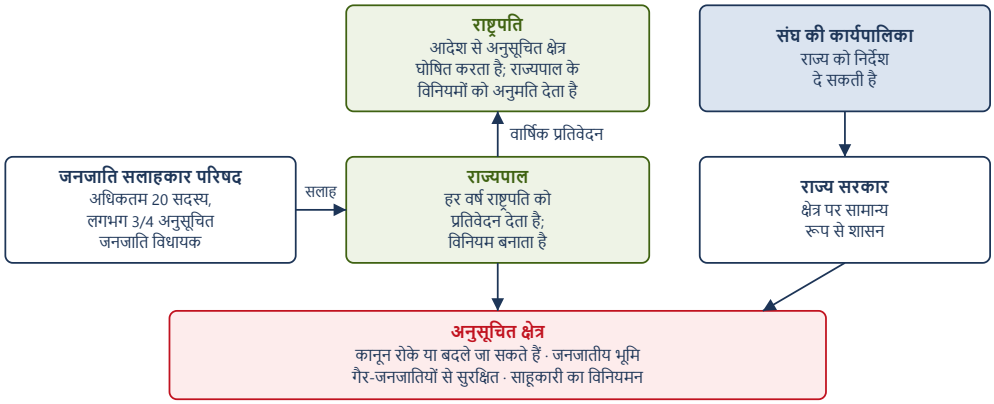

पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में कौन क्या करता है। राज्य सरकार सामान्य रूप से शासन करती है; जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह पर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से कानून रोक या बदल सकता है और जनजातीय भूमि की रक्षा कर सकता है; राज्यपाल हर वर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'मुख्यमंत्री अनुसूचित क्षेत्रों पर वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजते हैं' → असत्य: **राज्यपाल राष्ट्रपति** को प्रतिवेदन देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** किसी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची में लाने से कोई स्थानीय निकाय, संघ राज्यक्षेत्र या विशेष श्रेणी का राज्य **नहीं** बनता; इसका सबसे प्रसिद्ध प्रभाव है **जनजातीय भूमि को गैर-जनजातियों के हाथ जाने से रोकना**।

☑ **झटपट जाँच**

1. अनुसूचित क्षेत्रों पर कौन, किसे और कितनी बार प्रतिवेदन देता है?
2. कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं?
3. जनजाति सलाहकार परिषद का आकार और उसमें अनुसूचित जनजाति विधायकों का हिस्सा?

उत्तर: 1. राज्यपाल, राष्ट्रपति को, हर वर्ष · 2. 10 · 3. अधिकतम 20; लगभग तीन-चौथाई

छठी अनुसूची: पूर्वोत्तर की स्वायत्त परिषदें

अनुच्छेद 244(2)

असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम

10 परिषदें

30 सदस्य, 4 मनोनीत

अनुच्छेद 244A

पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियाँ बहुमत में थीं और उनकी अपनी संस्थाएँ मज़बूत थीं। इसलिए छठी अनुसूची पाँचवीं से आगे जाती है: यह निर्वाचित **स्वायत्त जिला परिषदें (autonomous district councils)** बनाती है जो भूमि, वन और रीति-रिवाज पर अपने कानून बनाती हैं और अपने ग्राम न्यायालय चलाती हैं।

★★★ **अनुच्छेद 244(2)** और **अनुच्छेद 275(1)**: छठी अनुसूची केवल **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है।

★★★ **साझा उद्देश्य**: पाँचवीं और छठी दोनों अनुसूचियाँ **अनुसूचित जनजातियों के हितों** और उनकी भूमि की **रक्षा** के लिए हैं; कोई भी राज्य की सीमाएँ या पंचायतों की शक्तियाँ तय नहीं करती।

★★ **स्वायत्त जिले**: **राज्यपाल** उन्हें संगठित और पुनर्गठित कर सकता है: बनाना, मिलाना, क्षेत्र या नाम बदलना। कई जनजातियों वाले जिले को **स्वायत्त क्षेत्रों** में बाँटा जा सकता है, हर एक की अपनी क्षेत्रीय परिषद के साथ।

★★★ **जिला परिषद**: अधिकतम **30 सदस्य**, जिनमें अधिकतम **4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत** और बाकी **वयस्क मताधिकार से निर्वाचित**, **5 वर्ष** के लिए।

★★ **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद** (असम, 2003) बड़ा अपवाद है, जिसमें अधिकतम 46 सदस्य हैं।

★★ **कानून बनाना**: परिषदें भूमि, आरक्षित वनों के अलावा अन्य वन, नहर का पानी, **झूम खेती (shifting cultivation)**, ग्राम और नगर प्रशासन, उत्तराधिकार, **विवाह और तलाक** तथा सामाजिक रीतियों पर कानून बनाती हैं; इनके लिए **राज्यपाल की अनुमति** आवश्यक है।

★★ **न्यायालय और धन**: परिषदें अनुसूचित जनजातियों के बीच के मामलों के लिए ग्राम परिषदें या न्यायालय बना सकती हैं, भू-राजस्व और कुछ कर वसूल सकती हैं, और प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाज़ार, सड़कें और घाट चला सकती हैं।

★★ **बाहरी कानून**: संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम अपने-आप लागू नहीं होते; राज्यपाल (या इनमें से कुछ राज्यों में संसद के अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति) निर्देश दे सकता है कि वे बदलावों सहित या बिना लागू हों।

★★ **राज्यपाल का नियंत्रण**: किसी परिषद के कामकाज की जाँच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है और उसके प्रतिवेदन पर परिषद को **भंग** कर सकता है; **खनन रॉयल्टी** के बँटवारे के विवाद अपने विवेक से निपटाता है।

★★ **अनुच्छेद 244A** (22वाँ संशोधन, 1969): संसद असम के जनजातीय क्षेत्रों से **असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य** बना सकती है। मेघालय की शुरुआत 1970 में इसी तरह हुई और वह **1972** में पूर्ण राज्य बना।

★★ **त्रिपुरा 49वें संशोधन (1984)** से छठी अनुसूची में आया।

छठी अनुसूची की दस परिषदें ★★

राज्य	स्वायत्त परिषदें
असम (3)	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद; कार्बी आंगलोंग; दिमा हसाओ (उत्तरी कछार पहाड़ियाँ)
मेघालय (3)	खासी पहाड़ियाँ; जयंतिया पहाड़ियाँ; गारो पहाड़ियाँ
त्रिपुरा (1)	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
मिज़ोरम (3)	चकमा; लाई; मारा

पाँचवीं और छठी अनुसूची आमने-सामने ★★★

बिंदु	पाँचवीं अनुसूची	छठी अनुसूची
अनुच्छेद	244(1)	244(2) और 275(1)
कहाँ	10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र
क्षेत्र कैसे चिह्नित होता है	राष्ट्रपति का आदेश	अनुसूची में सूचीबद्ध; जिलों को राज्यपाल संगठित करता है
अपना निर्वाचित निकाय	अनुसूची में कोई नहीं; पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाएँ	स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदें
विशेष कानून कौन बनाता है	राज्यपाल के विनियम, राष्ट्रपति की अनुमति से	जिला परिषदें, राज्यपाल की अनुमति से
सलाहकार निकाय	जनजाति सलाहकार परिषद	प्रावधान नहीं; परिषदें स्वयं
निगरानी	राज्यपाल हर वर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है	राज्यपाल आयोग नियुक्त कर परिषद भंग कर सकता है

छठी अनुसूची क्षेत्र स्वयं कैसे शासन करता है: राज्यपाल जिलों को आकार देता है; हर निर्वाचित जिला परिषद भूमि, वन और रीति-रिवाज पर कानून बनाती है, और क्षेत्रीय परिषदें तथा ग्राम न्यायालय बना सकती है।

याद रखें: छठी अनुसूची के राज्य: '**A**ssam's **M**any **T**ribal **M**ountains' → **A**ssam (असम), **M**eghalaya (मेघालय), **T**ripura (त्रिपुरा), **M**izoram (मिज़ोरम); हिंदी में 'अमेत्रिमि': **अ**सम, **मे**घालय, **त्रि**पुरा, **मि**ज़ोरम; दस परिषदें, 3 + 3 + 1 + 3।

परीक्षा में सावधान: 'असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत शासित हैं' → असत्य: यह **छठी** है। नागालैंड (अनुच्छेद 371A) और मणिपुर (अनुच्छेद 371C) के अलग विशेष प्रावधान हैं, छठी अनुसूची की परिषदें नहीं।

झटपट जाँच

1. छठी अनुसूची के चार राज्य बताइए।
2. जिला परिषद में अधिकतम सदस्य, और कितने मनोनीत?
3. कौन-सा अनुच्छेद असम के भीतर स्वायत्त राज्य की अनुमति देता है?

उत्तर: 1. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम · 2. 30; अधिकतम 4 राज्यपाल द्वारा · 3. अनुच्छेद 244A (22वाँ संशोधन, 1969)

पेसा 1996 और वन अधिकार

पेसा, 24 दिसंबर 1996

भूरिया समिति

ग्राम सभा की शक्तियाँ

लघु खनिज

लघु वनोपज

वन अधिकार अधिनियम 2006

भाग IX अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहा, जब तक संसद ने अनुच्छेद 243M(4)(b) का प्रयोग कर उसे बदलावों के साथ नहीं बढ़ाया। **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act), 1996** रीति-रिवाज के अनुरूप, जनजातीय स्वशासन के केंद्र में निर्वाचित पंचायत को नहीं, **ग्राम सभा** को रखता है।

★★★ **पेसा (PESA) 24 दिसंबर 1996** को लागू हुआ, **दिलीप सिंह भूरिया समिति** (1994-95) के बाद; यह **10 राज्यों** के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू है।

★★★ **उद्देश्य**: ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन, **परंपरागत अधिकारों** और रूढ़िगत कानून की मान्यता, और शोषण (भूमि हड़पना, साहूकार, शराब) से मुक्ति। **स्वायत्त क्षेत्र** बनाना इसका उद्देश्य **नहीं**: वह छठी अनुसूची का काम है।

★★★ **ग्राम सभा की शक्तियाँ**: ग्राम योजनाओं को मंज़ूरी और लाभार्थियों का चयन; **भूमि अधिग्रहण** और पुनर्वास से पहले परामर्श; **भूमि हस्तांतरण रोकना** और अवैध रूप से ली गई भूमि लौटाना; **लघु वनोपज का स्वामित्व**; ग्राम बाज़ारों का प्रबंधन; अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी पर नियंत्रण; मादक पदार्थों की बिक्री का विनियमन या प्रतिबंध; स्थानीय सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और उनके कर्मचारियों पर नियंत्रण।

★★★ **खनिज**: पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या नीलामी रियायत से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सिफ़ारिश केवल **लघु खनिजों** के लिए **अनिवार्य** है; प्रमुख खनिज इस नियम से बाहर हैं।

★★★ **पेसा में आरक्षण**: हर पंचायत में अनुसूचित जनजाति की सीटें जनसंख्या के अनुपात में, पर कुल सीटों के **आधे से कम नहीं**; हर स्तर पर **सभी अध्यक्ष** अनुसूचित जनजाति के; राज्य मध्यवर्ती और जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व से वंचित अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, निर्वाचित सदस्यों के **दसवें भाग** तक, मनोनीत कर सकता है।

★★ **रीति-रिवाज पहले**: इन क्षेत्रों के राज्य पंचायत कानून रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंधन के अनुरूप होने चाहिए; ऊपरी स्तर ग्राम सभा की शक्तियाँ अपने हाथ में नहीं ले सकते।

★★ **नोडल मंत्रालय**: पंचायती राज मंत्रालय; हर राज्य अपने पेसा नियम बनाता है।

★★ **वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act), 2006**: अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है; दावों की प्रक्रिया **ग्राम सभा** शुरू करती है; व्यक्तिगत भूमि दावे **4 हेक्टेयर** तक; **13 दिसंबर 2005** से पहले का कब्ज़ा।

★★ **नियमगिरि मामला (2013)**: उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों की ग्राम सभाओं पर छोड़ा कि बॉक्साइट खनन से उनके धार्मिक और वन अधिकारों को हानि होगी या नहीं; सभी **12** ने इसे अस्वीकार किया।

★ **आयकर**: पूर्वोत्तर और लद्दाख के निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति सदस्यों की उन्हीं क्षेत्रों में अर्जित आय आयकर से मुक्त है।

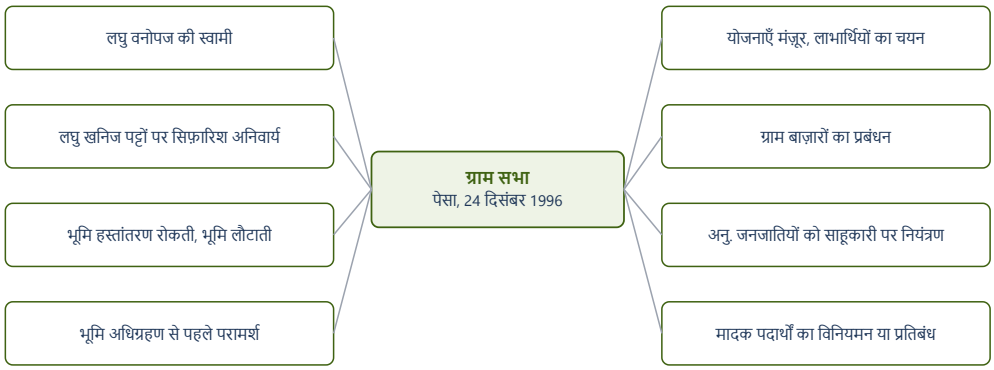

पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियाँ। बाईं ओर की चार जनजातीय भूमि और संसाधनों की रक्षा करती हैं; दाईं ओर की चार गाँव को अपने मामले स्वयं चलाने देती हैं।

मेंढा (लेखा), गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र के एक गोंड गाँव में ग्राम सभा की बैठक; यह पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र है। गाँव खुली सभा में अपने मामले तय करता है, जैसा पेसा चाहता है। चित्र: Mendhalekha, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

याद रखें: पेसा की ग्राम सभा के पास चार **M** हैं: **M**inor forest produce (लघु वनोपज: स्वामी), **M**inor minerals (लघु खनिज: सिफ़ारिश अनिवार्य), **M**arkets (बाज़ार: प्रबंधन), **M**oney-lenders (साहूकार: नियंत्रण); और वह भूमि की रखवाली करती है।

⚠ परीक्षा में सावधान: पेसा ग्राम सभाओं को **लघु** खनिजों पर अधिकार देता है, 'किसी भी खनिज' पर नहीं; और लघु वनोपज का **स्वामित्व** उन्हें सौंपता है। दोनों कथन-प्रश्नों के पुराने मोड़ हैं।

☑ झटपट जाँच

1. पेसा कब लागू हुआ?
2. किन खनिजों के लिए ग्राम सभा की सिफ़ारिश अनिवार्य है?
3. पेसा के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें और कौन-से पद मिलते हैं?

उत्तर: 1. 24 दिसंबर 1996 · 2. केवल लघु खनिज · 3. कम से कम आधी; सभी अध्यक्ष पद

संसद, विधान सभाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटें

अनुच्छेद 330, 332

84 अनुसूचित जाति, 47 अनुसूचित जनजाति

अनुच्छेद 334: 2030

आंग्ल-भारतीय समाप्त

106वाँ: महिलाएँ

243D, 243T

आरक्षित सीटें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं हैं: निर्वाचन क्षेत्र का हर मतदाता मत देता है, पर उम्मीदवार केवल अनुसूचित जाति या जनजाति का हो सकता है। ऐसी सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुसार होती है, और आरक्षण की एक समय-सीमा है जिसे संसद हर दस वर्ष पर बढ़ाती आई है।

★★★ **अनुच्छेद 330**: **लोक सभा** में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (असम के स्वायत्त जिलों की जनजातियों सहित) के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें: **543** में से **84 अनुसूचित जाति** और **47 अनुसूचित जनजाति**।

★★ **अनुच्छेद 332**: यही **राज्य विधान सभाओं** के लिए।

★★★ **अनुच्छेद 334**: आरक्षण एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त होता है; **104वें संशोधन (2019)** ने इसे 1950 से **80 वर्ष**, यानी **25 जनवरी 2030** तक बढ़ाया।

★★★ **आंग्ल-भारतीय**: लोक सभा में अधिकतम 2 (अनुच्छेद 331) और विधान सभा में 1 (अनुच्छेद 333) का मनोनयन **25 जनवरी 2020** को समाप्त हुआ, क्योंकि 104वें संशोधन ने इसे नहीं बढ़ाया।

★★★ **महिलाएँ (106वाँ संशोधन, 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम)**: नए अनुच्छेद **330A** और **332A**, तथा दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA, लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा की **एक-तिहाई** सीटें आरक्षित करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का एक-तिहाई भी। **16 अप्रैल 2026** से लागू, पर अनुच्छेद **334A** के अंतर्गत सीटें उस तिथि के बाद की पहली जनगणना पर आधारित **परिसीमन** के बाद ही आरक्षित होंगी, और फिर **15 वर्ष** के लिए।

★★ **इसे पहले लागू करने का प्रयास विफल**: **संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026**, जो जल्दी लागू करने को 2011 की जनगणना पर आधारित नए परिसीमन और बड़ी लोक सभा से जोड़ता था, **17 अप्रैल 2026** को लोक सभा में गिर गया (298 पक्ष में, 230 विरोध में: उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई से कम)।

★★★ **स्थानीय निकाय**: अनुच्छेद **243D** (पंचायतें) और **243T** (नगरपालिकाएँ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुसार और महिलाओं के लिए **कम से कम एक-तिहाई** सीटें आरक्षित करते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का एक-तिहाई उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए।

★★ **जहाँ आरक्षण नहीं**: संसद या विधान सभाओं में OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं, और **राज्य सभा** या विधान परिषदों में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए भी नहीं।

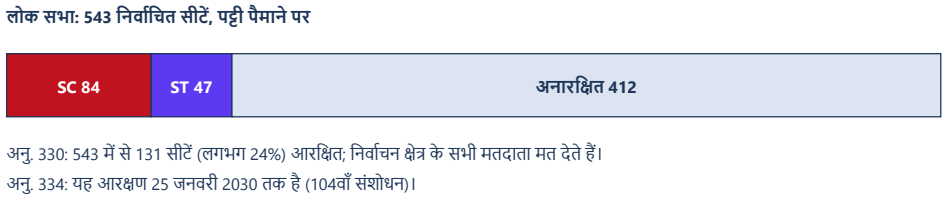

लोक सभा में आरक्षित सीटें, पैमाने पर: 543 में से 84 अनुसूचित जातियों और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए, सदन का लगभग एक-चौथाई।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक सभा में अनुसूचित जातियों की सीटें अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आरक्षित हैं' → नहीं: **अनुच्छेद 330** लोक सभा है, **अनुच्छेद 332** राज्य विधान सभाएँ, **अनुच्छेद 334** समय-सीमा।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है?
2. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
3. अनुसूचित जाति/जनजाति सीट आरक्षण कब तक है?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 330 · 2. 84 और 47 · 3. 25 जनवरी 2030 (104वाँ संशोधन)

नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण

अनुच्छेद 15(4), 16(4)

16(4A): 77वाँ

16(4B): 81वाँ

15(5): 93वाँ

EWS: 103वाँ

मंडल, 27%

अनुच्छेद 14 से 16 की समानता राज्य को असमान समूहों से अलग व्यवहार करने देती है, ताकि वे बराबर हो सकें। आरक्षण की अनुमति देने वाला लगभग हर खंड किसी न्यायिक निर्णय के बाद जोड़ा या पैना किया गया, इसलिए खंड और मामले साथ-साथ याद करना सबसे अच्छा है।

आरक्षण का संवैधानिक आधार ★★★

प्रावधान	क्या अनुमति देता है	किसने जोड़ा
अनुच्छेद 15(4)	सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान (जैसे कॉलेज की सीटें)	पहला (1st) संशोधन, 1951
अनुच्छेद 15(5)	निजी संस्थानों में, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त, आरक्षित प्रवेश; अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर	93वाँ संशोधन, 2005
अनुच्छेद 15(6), 16(6)	अन्य कोटों से बाहर के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए 10% तक	103वाँ संशोधन, 2019
अनुच्छेद 16(4)	पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए पदों में आरक्षण	मूल संविधान
अनुच्छेद 16(4A)	अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता सहित	77वाँ (1995); 85वाँ (2001)
अनुच्छेद 16(4B)	न भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ आगे ले जाई जाती हैं, उस वर्ष की 50% सीमा से बाहर	81वाँ संशोधन, 2000
अनुच्छेद 335	पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के दावे दक्षता के साथ तौले जाएँ; परंतुक योग्यता अंकों में छूट देता है	परंतुक 82वें संशोधन, 2000 से
अनुच्छेद 46	निदेशक तत्व: अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा	मूल संविधान

★★★ **केंद्रीय कोटा**: केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति **15%**, अनुसूचित जनजाति **7.5%**, OBC **27%** (नॉन-क्रीमी लेयर) और EWS **10%**।

★★★ **क्रीमी लेयर (creamy layer)**: संपन्न OBC बाहर रखे जाते हैं; आय सीमा **₹8 लाख प्रति वर्ष** (2017 से)। EWS के लिए भी पारिवारिक आय सीमा यही ₹8 लाख है।

★★★ **मंडल आयोग**: **अनुच्छेद 340** के अंतर्गत दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष **बी.पी. मंडल** (गठन 1979, प्रतिवेदन 1980); OBC के लिए **27%** की सिफ़ारिश; वी.पी. सिंह सरकार ने **अगस्त 1990** में इसे लागू करने का आदेश दिया। **पहला** आयोग **काका कालेलकर** का था (1953-55)।

★★ **OBC सूचियाँ**: **102वें संशोधन (2018)** ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया (**अनुच्छेद 338B**) और अनुच्छेद 342A जोड़ा; **105वें (2021)** ने राज्यों की अपनी OBC सूचियाँ रखने की शक्ति लौटाई।

★★ **राष्ट्रीय आयोग**: अनुसूचित जातियाँ (**अनुच्छेद 338**), अनुसूचित जनजातियाँ (**अनुच्छेद 338A**, **89वें संशोधन, 2003** द्वारा अलग किया गया) और पिछड़े वर्ग (**अनुच्छेद 338B**)।

★★ **रोहिणी आयोग** (2017, प्रतिवेदन 2023) ने केंद्रीय OBC सूची के उप-वर्गीकरण की जाँच की।

★★ **क्षैतिज आरक्षण**: महिलाओं, दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act), 2016 के अंतर्गत पदों का **4%**) और पूर्व सैनिकों के लिए; यह अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और EWS के ऊर्ध्वाधर खंडों के आर-पार चलता है।

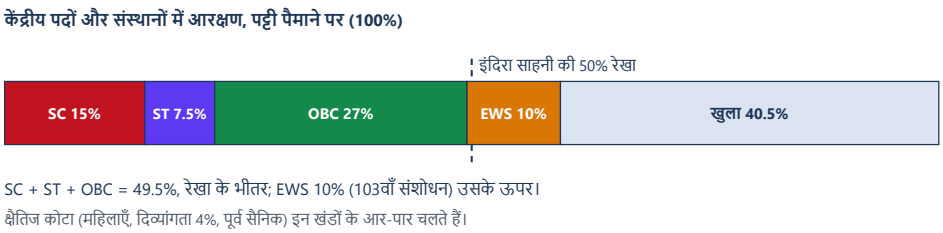

केंद्रीय आरक्षण, पैमाने पर। अनुसूचित जाति 15% + अनुसूचित जनजाति 7.5% + OBC 27% = 49.5%, 50% की रेखा के ठीक भीतर; 10% का EWS खंड उसके पार है, जिसकी उच्चतम न्यायालय ने 2022 में अनुमति दी।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 16(4A) **पदोन्नति** में आरक्षण की अनुमति **केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों** को देता है, OBC को नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. किस संशोधन ने अनुसूचित जाति/जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया?
2. EWS कोटा किन खंडों से मिलता है, और कितना?
3. केंद्रीय OBC कोटा, और किस आयोग ने इसका प्रस्ताव किया?

उत्तर: 1. 77वाँ (1995), अनुच्छेद 16(4A) · 2. अनुच्छेद 15(6), 16(6); 10% तक · 3. 27%; मंडल आयोग

आरक्षण पर ऐतिहासिक मामले

चंपकम 1951

बालाजी 1962

इंदिरा साहनी 1992

नागराज 2006

जनहित अभियान 2022

दविंदर सिंह 2024

न्यायालयों ने आरक्षण की बाहरी सीमाएँ तय की हैं: कितना (50%), किसके लिए (क्रीमी लेयर नहीं), कहाँ (पदोन्नति में या नहीं) और किस आधार पर (आँकड़े, अनुमान नहीं)। हर निर्णय प्रायः उसके एक-पंक्ति सार के साथ पूछा जाता है।

याद रखने वाले मामले ★★★

मामला (वर्ष)	निर्णय
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन (1951)	जाति-आधारित कॉलेज कोटा रद्द; इसी से पहले (1st) संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) आया
एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962)	आरक्षण सामान्यतः 50% से कम रहे; जाति पिछड़ेपन की एक कसौटी हो सकती है, एकमात्र नहीं
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992), 9 न्यायाधीश	27% OBC कोटा वैध; असाधारण स्थिति छोड़कर 50% की सीमा; क्रीमी लेयर बाहर; पदोन्नति में आरक्षण नहीं
ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004)	अनुसूचित जातियाँ एक वर्ग हैं; उप-वर्गीकरण नहीं (2024 में पलटा गया)
एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)	77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधन वैध; पदोन्नति कोटे के लिए पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता के आँकड़े चाहिए
अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)	93वाँ संशोधन और केंद्रीय संस्थानों में 27% OBC कोटा वैध, क्रीमी लेयर बाहर
प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट (2014)	अनुच्छेद 15(5) गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों पर भी वैध; अल्पसंख्यक संस्थान मुक्त
जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता (2018)	पदोन्नति कोटे के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों का पिछड़ापन दिखाना ज़रूरी नहीं; पदोन्नति में उन पर क्रीमी लेयर लागू
जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (2021)	मराठा कोटा रद्द; 50% की सीमा फिर से पुष्ट
जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022), 3:2	103वाँ संशोधन (10% तक EWS) वैध; आर्थिक कसौटी मान्य है और 50% की सीमा उस पर लागू नहीं
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024), 7 न्यायाधीश, 6:1	राज्य आँकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं; ई.वी. चिन्नैया पलटा गया

★★ **इंदिरा साहनी** को **मंडल मामला** भी कहते हैं: इसने OBC के लिए 27% वाले 1990 के आदेश को वैध ठहराया।

★★ **दविंदर सिंह, क्रीमी लेयर**: सात में से चार न्यायाधीशों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी क्रीमी लेयर कसौटी सुझाई; केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में कहा कि वह इसे लागू नहीं करेगी।

★ **जनहित अभियान में असहमति**: मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट।

★★ **जनजातीय भूमि के मामले** अलग परिवार के हैं: **समता (1997)** और **नियमगिरि (2013)** जनजातीय भूमि और ग्राम सभाओं की रक्षा करते हैं, कोटे की नहीं।

आरक्षण के मामले क्रम से (घटनाएँ समान दूरी पर, पैमाने पर नहीं)

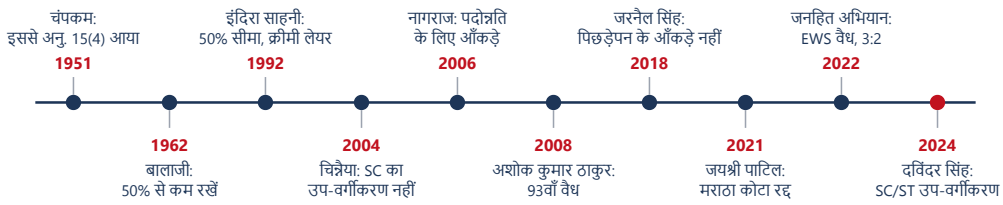

आरक्षण के मामले उसी क्रम में जिसमें वे आए, हर एक उस पंक्ति के साथ जो परीक्षक पूछते हैं। समान दूरी पर, समय के पैमाने पर नहीं।

याद रखें: पहले निर्णय, फिर संशोधन: **चंपकम** → पहला (1st) संशोधन (15(4)); **इंदिरा साहनी** (पदोन्नति कोटा नहीं) → 77वाँ (16(4A)); **जयश्री पाटिल** (OBC की सूची केवल केंद्र बनाए) → 105वाँ (राज्यों की सूचियाँ वापस)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण चिन्नैया (2004) में **रोका** गया और दविंदर सिंह (2024) में **अनुमत** हुआ। 50% की सीमा **इंदिरा साहनी** से आती है; बालाजी ने केवल 'सामान्यतः 50% से कम' कहा था।

झटपट जाँच

1. किस मामले ने 50% की सीमा और क्रीमी लेयर तय की?
2. किस मामले ने राज्यों को अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी?
3. किस मामले में EWS कोटा वैध ठहरा, और किस अंतर से?

उत्तर: 1. इंदिरा साहनी (1992) · 2. दविंदर सिंह (2024) · 3. जनहित अभियान (2022), 3:2

बिहार: जातियाँ, कोटा और जनजातियाँ

जाति सर्वेक्षण 2023

EBC 36.01%

65% वाला कानून

पटना उच्च न्यायालय 2024

कर्पूरी ठाकुर 1978

अनुसूचित क्षेत्र नहीं

बिहार में आरक्षण नीति सबसे तेज़ी से बदली है: 1978 में सबसे पिछड़ों के लिए स्तरीकृत कोटा, 2006 में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अलग पंचायत कोटा, और 2023 में किसी राज्य द्वारा प्रकाशित पहला जाति सर्वेक्षण।

★★★ **बिहार जाति सर्वेक्षण**: परिणाम **2 अक्टूबर 2023** को जारी; जनसंख्या **13.07 करोड़**: अत्यंत पिछड़ा वर्ग **36.01%**, पिछड़ा वर्ग **27.12%**, अनुसूचित जाति **19.65%**, अनुसूचित जनजाति **1.68%**, सामान्य **15.52%**।

★★★ **65% वाला कानून**: **नवंबर 2023** में बिहार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50% से बढ़ाकर **65%** किया (EWS सहित 75%)। इंदिरा साहनी की 50% सीमा तोड़ने के कारण **पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को इसे रद्द कर दिया**; उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2024 में उस निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया।

★★ **सर्वेक्षण वैध, कानून रद्द**: पटना उच्च न्यायालय ने **अगस्त 2023** में स्वयं जाति सर्वेक्षण को वैध ठहराया था।

★★ **कर्पूरी ठाकुर फ़ॉर्मूला (1978)**: राज्य की नौकरियों में बिहार का पहला स्तरीकृत आरक्षण (26%), जिसमें सबसे पिछड़ों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अगड़ी जातियों के गरीबों के अलग हिस्से थे। कर्पूरी ठाकुर को **2024** में मरणोपरांत **भारत रत्न** दिया गया।

★★★ **पंचायतों में EBC**: बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 पंचायत की **20%** तक सीटें पिछड़े वर्गों (EBC) के लिए आरक्षित करता है, साथ ही हर वर्ग में महिलाओं के लिए **50%**।

★★ **अनुसूचित क्षेत्र नहीं**: बिहार के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र **2000** में **झारखंड** में चले गए; इसी कारण **94वें संशोधन (2006)** ने बिहार को अनुच्छेद 164(1) के जनजातीय कल्याण मंत्री वाले खंड से हटाया।

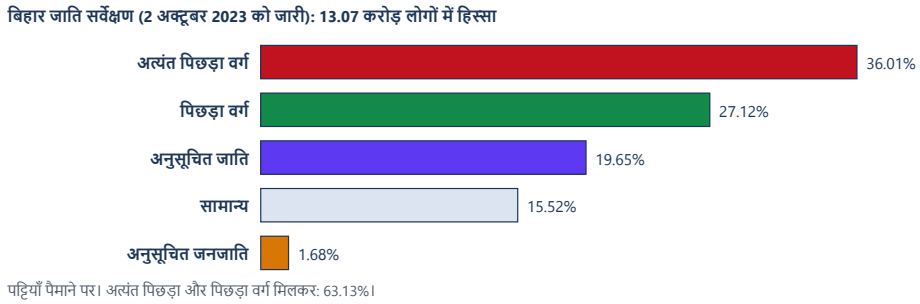

बिहार का 2023 का जाति सर्वेक्षण, पैमाने पर: अत्यंत पिछड़े और पिछड़े वर्ग मिलकर राज्य की जनसंख्या का 63.13% हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** पटना उच्च न्यायालय (20 जून 2024) ने बिहार का **65% आरक्षण कानून** रद्द किया, **जाति सर्वेक्षण** नहीं, जिसे उसने 2023 में वैध ठहराया था।

झटपट जाँच

1. बिहार के 2023 के जाति सर्वेक्षण में सबसे बड़ा समूह, और उसका हिस्सा?
2. किस न्यायालय ने बिहार का 65% वाला कानून रद्द किया, और कब?
3. बिहार में अनुसूचित क्षेत्र क्यों नहीं हैं?

उत्तर: 1. अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 36.01% · 2. पटना उच्च न्यायालय, 20 जून 2024 · 3. वे 2000 में झारखंड में चले गए

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (13)

UPSC 2012 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका/शक्ति है?
1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।
2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 1 और 2. पेसा 1996 ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति देता है; पेसा 1996 लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं और पंचायतों को देता है; पेसा के तहत खनन पट्टे के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा केवल गौण खनिजों के लिए आवश्यक है

UPSC 2013 सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है?
(a) स्वशासन प्रदान करना (b) पारम्परिक अधिकारों को मान्यता देना (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
(d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना
उत्तर: (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना. पेसा 1996 का उद्देश्य पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा के ज़रिए जनजातीय स्वशासन है; स्वायत्त ज़िला परिषदें छठी अनुसूची से हैं, पेसा से नहीं

UPSC 2015 भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबन्ध निम्नलिखित में से किसलिए किए गए हैं?
(a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए (b) राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए
(c) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए
उत्तर: (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए. पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों की रक्षा करती हैं

UPSC 2019 भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?
(a) तीसरी अनुसूची (b) पाँचवीं अनुसूची (c) नौवीं अनुसूची (d) बारहवीं अनुसूची
उत्तर: (b) पाँचवीं अनुसूची. पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से, और छठी चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है; पाँचवीं अनुसूची: राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अंतरण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है

UPSC 2019 भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों [पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs)] के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्यक्षेत्र में निवास करते हैं।
2. स्थिर या कम होती जनसंख्या, PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं।
4. PVTGs की सूची में ईरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4 (c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और 4
उत्तर: (c) 1, 2 और 4. 75 PVTGs अधिसूचित हैं, जो 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) में रहते हैं; PVTG के मानदंड: कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, निम्न साक्षरता, स्थिर या घटती जनसंख्या

UPSC 2022 यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ?
(a) इससे जनजातीय लोगों की जमीनें ग़ैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी ।
(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा । (c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र में बदल जाएगा ।
(d) जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा ।
उत्तर: (a) इससे जनजातीय लोगों की जमीनें ग़ैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी ।. पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में राज्यपाल जनजातीय भूमि के गैर-जनजातीय हस्तांतरण पर रोक लगा सकता है

UPSC 2023 भारत में 'अनुसूचित क्षेत्र' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी राज्य के भीतर, किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है।
3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं
उत्तर: (b) केवल दो. राष्ट्रपति पाँचवीं अनुसूची के तहत आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है; अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं

UPSC 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है ।
2. किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. अनुच्छेद 342: राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित करते हैं; अनुसूचित जनजाति का दर्जा राज्य-विशिष्ट है; सूची में बदलाव केवल संसद कर सकती है

UPSC 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
भारत के संविधान के संदर्भ में, यदि पाँचवीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो
I. ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है
II. संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल I (b) केवल II (c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II
उत्तर: (d) न तो I और न ही II. पाँचवीं अनुसूची: राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों तक है, राज्यपाल की विशेष शक्तियों के साथ; पाँचवीं अनुसूची के तहत संघ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्य को निर्देश दे सकता है

UPSC 2026 भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं।
2. भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं।
3. भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?
(a) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। (b) दो कथन सही हैं, जो कि कथन 1 और कथन 3 हैं। (c) केवल एक कथन सही है।
(d) सभी तीन कथन सही हैं।
उत्तर: (a) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है।. छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र; अनुच्छेद 243D पंचायतों में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित करता है, उनमें एक-तिहाई उनकी महिलाओं के लिए; आयकर कानून विशिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुछ आय को छूट देता है

BPSC 64th भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था?
(a) अनुच्छेद 330 (b) अनुच्छेद 331 (c) अनुच्छेद 332 (d) अनुच्छेद 333 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) अनुच्छेद 330. अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में SC-ST के लिए सीटें आरक्षित करता है

BPSC 69th किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएँ हैं
1. आदिम लक्षणों के संकेत
2. विशिष्ट संस्कृति
3. बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में शर्म
4. पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव
उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4 (c) केवल 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी
उत्तर: (d) उपर्युक्त सभी. अनुसूचित जनजाति के मानदंड: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, अलगाव, संपर्क में संकोच, पिछड़ापन; अनुच्छेद 342: राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित करता है; संसद सूची बदल सकती है

BPSC 69th पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से सम्बन्धित है?
(a) अनुसूचित जाति (b) धार्मिक अल्पसंख्यक (c) अनुसूचित जनजाति (d) भाषाई अल्पसंख्यक
उत्तर: (c) अनुसूचित जनजाति. पाँचवीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के बाहर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ; छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र

स्वयं को परखें (12)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?
(a) पाँचवीं अनुसूची : त्रिपुरा (b) छठी अनुसूची : झारखंड (c) पाँचवीं अनुसूची : ओडिशा (d) छठी अनुसूची : नागालैंड

2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियम केवल इसके बाद प्रभावी होते हैं:
(a) राज्य विधानमंडल का अनुमोदन (b) राष्ट्रपति की अनुमति (c) जनजाति सलाहकार परिषद का अनुमोदन
(d) केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना

3. पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की पूर्व सिफ़ारिश किसके खनन पट्टे के लिए अनिवार्य है?
(a) सभी खनिज (b) केवल प्रमुख खनिज (c) केवल लघु खनिज (d) केवल परमाणु खनिज

4. छठी अनुसूची की स्वायत्त जिला परिषद में अधिकतम कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं?
(a) दो (b) चार (c) छह (d) दस

5. किस संशोधन ने लोक सभा में अनुसूचित जाति/जनजाति सीट आरक्षण 2030 तक बढ़ाया और आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त किया?
(a) 95वाँ (b) 103वाँ (c) 104वाँ (d) 106वाँ

6. किस निर्णय ने राज्यों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी?
(a) इंदिरा साहनी (1992) (b) ई.वी. चिन्नैया (2004) (c) एम. नागराज (2006) (d) दविंदर सिंह (2024)

7. अनुच्छेद 16(4A) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध है
(a) केवल OBC को (b) अनुसूचित जातियों और जनजातियों को (c) अनुसूचित जातियों, जनजातियों और OBC को
(d) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को

8. एक बार अधिसूचित होने के बाद किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची से किसी समुदाय को कौन हटा सकता है?
(a) राज्य का राज्यपाल (b) राष्ट्रपति, नई अधिसूचना द्वारा (c) संसद, कानून द्वारा (d) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

9. बिहार के 2023 के जाति सर्वेक्षण में सबसे बड़ा समूह था
(a) पिछड़ा वर्ग (b) अनुसूचित जाति (c) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (d) सामान्य वर्ग

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र राज्य का राज्यपाल घोषित करता है।
2. छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
3. जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें लगभग तीन-चौथाई राज्य विधान सभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
प्रावधान : विषय
1. अनुच्छेद 330 : राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें
2. अनुच्छेद 16(4A) : OBC के लिए पदोन्नति में आरक्षण
3. अनुच्छेद 342 : अनुसूचित जातियों की अधिसूचना
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. जिस व्यक्ति का समुदाय ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है, वह पंजाब में बस जाता है और पंजाब सरकार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर आवेदन करता है। उसकी स्थिति क्या है?
(a) वह पंजाब में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं माँग सकता (b) उसका दर्जा बना रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सूची पूरे देश पर लागू है
(c) पंजाब का राज्यपाल सहमत हो तो उसे दर्जा मिलता है (d) पंजाब में दस वर्ष रहने के बाद उसे दर्जा मिलता है

उत्तर: 1. (c) ओडिशा पाँचवीं अनुसूची के 10 राज्यों में से एक है; त्रिपुरा छठी में है; झारखंड पाँचवीं में; नागालैंड किसी में नहीं। · 2. (b) पाँचवीं अनुसूची: राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श करता है, पर विनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। · 3. (c) पेसा लघु खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे और नीलामी पर लागू है। · 4. (b) अधिकतम 30 सदस्य, जिनमें अधिकतम 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। · 5. (c) 104वें संशोधन (2019) ने अनुच्छेद 334 को 80 वर्ष तक बढ़ाया और आंग्ल-भारतीय मनोनयन को 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने दिया। · 6. (d) दविंदर सिंह (2024) में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने उप-वर्गीकरण की अनुमति दी और चिन्नैया को पलट दिया। · 7. (b) 77वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 16(4A) केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर लागू है। · 8. (c) अनुच्छेद 342(2): पहली अधिसूचना के बाद केवल संसद कानून द्वारा समुदायों को जोड़ या हटा सकती है। · 9. (c) अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% था, पिछड़े वर्ग (27.12%) से आगे। · 10. (c) केवल 3 सही है; अनुसूचित क्षेत्र राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति के आदेश से घोषित होते हैं, और छठी अनुसूची का चौथा राज्य मिज़ोरम है, नागालैंड नहीं। · 11. (d) तीनों गलत हैं: अनुच्छेद 330 लोक सभा है (अनुच्छेद 332 विधान सभाएँ), अनुच्छेद 16(4A) केवल अनुसूचित

जातियों और जनजातियों पर लागू है, और अनुच्छेद 342 जनजातियों के लिए है (अनुच्छेद 341 जातियों के लिए)। · 12. (a) अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा राज्य-विशिष्ट है और प्रवासी के साथ नहीं जाता; जाल यह मानना है कि राष्ट्रपति का आदेश एक अखिल भारतीय सूची है।

अध्याय 18

संवैधानिक निकाय

वित्त आयोग (Finance Commission) (अनुच्छेद 280, इसके आँकड़े और सिफ़ारिशें), निर्वाचन आयोग की संरचना और शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है और कौन हटाता है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सीमाएँ, और कौन-से आयोग संवैधानिक हैं: ये लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 16 बार पूछा गया: UPSC 8 · BPSC 8

≈ 40 min पढ़ने में ≈ 9 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. निर्वाचन आयोग (अनु. 324): मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) + 2 निर्वाचन आयुक्त; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; CEC को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है, निर्वाचन आयुक्त को केवल CEC की सिफ़ारिश पर। हर चुनाव की समय-सारणी निर्वाचन आयोग तय करता है, गृह मंत्रालय नहीं।
2. 2023 का अधिनियम: चयन समिति = प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + लोक सभा में विपक्ष का नेता + प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री; भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) इसमें नहीं हैं। विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति पाँच नामों की सूची बनाती है।
3. संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (अनु. 315-323): UPSC की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, SPSC की राज्यपाल, पर दोनों को हटाता केवल राष्ट्रपति है (कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद)। आयु सीमा UPSC में 65, SPSC में 62।
4. अनुच्छेद 319: सेवानिवृत्त UPSC अध्यक्ष आगे कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता; UPSC की सलाह बाध्यकारी नहीं है।
5. वित्त आयोग (अनु. 280): हर 5 वर्ष; अध्यक्ष + 4 सदस्य; योग्यताएँ संसद तय करती है (1951 का अधिनियम); केवल सलाहकारी; पहला आयोग 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में बना।
6. विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा: 13वाँ वित्त आयोग 32% → 14वाँ 42% → 15वाँ 41% → 16वाँ 41% (2026-31, अरविंद पनगढ़िया)।
7. 15वें वित्त आयोग के क्षैतिज मानदंड: आय-दूरी 45, जनसंख्या 15, क्षेत्रफल 15, वन और पारिस्थितिकी 10, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5, कर और राजकोषीय प्रयास 2.5। 16वें वित्त आयोग ने कर प्रयास हटाया और GDP में योगदान (10) जोड़ा।
8. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अनु. 148): 6 वर्ष या 65; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है; बाद में कोई पद नहीं; अनु. 151 के तहत रिपोर्टें राष्ट्रपति या राज्यपाल को जाती हैं और लोक लेखा समिति उनकी जाँच करती है। कोई न्यायिक शक्ति नहीं, धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनु. 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनु. 338A (89वाँ संशोधन 2003), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनु. 338B (102वाँ संशोधन 2018): हर एक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
10. पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953: काका कालेलकर। दूसरा (1979): बी.पी. मंडल।
11. NCBC, NHRC (सांविधिक), विधि आयोग (कार्यकारी) और NCDRC (सांविधिक) में से केवल NCBC संवैधानिक है।
12. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी: अनु. 350B (7वाँ संशोधन 1956)। जीएसटी परिषद: अनु. 279A; निर्णय के लिए भारित मतों का तीन-चौथाई चाहिए।

तीन प्रकार के निकाय: संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी

संवैधानिक निकाय

सांविधिक निकाय

कार्यकारी निकाय

अनु. 338B

NCDRC

संवैधानिक निकाय (Constitutional body) इसलिए अस्तित्व में है कि संविधान का कोई अनुच्छेद उसे बनाता है, इसलिए संसद संविधान संशोधन के बिना न उसे समाप्त कर सकती है, न उसका मूल स्वरूप बदल सकती है। **सांविधिक निकाय (Statutory body)** किसी साधारण अधिनियम से बनता है और दूसरे अधिनियम से बदला जा सकता है। **कार्यकारी निकाय (Executive body)** मंत्रिमंडल के संकल्प या मंत्रालय के आदेश से बनता है, और दूसरा आदेश उसे समाप्त कर सकता है। इसीलिए किसी निकाय की उत्पत्ति तय करती है कि वह कितना स्वतंत्र है।

★★★ इस अध्याय के **संवैधानिक निकाय**: निर्वाचन आयोग (अनु. 324), संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (अनु. 315), वित्त आयोग (अनु. 280), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) (अनु. 148), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) (अनु. 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) (अनु. 338A), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) (अनु. 338B), भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनु. 350B), जीएसटी परिषद (GST Council) (अनु. 279A)।

★★★ **NCBC 102वें संशोधन, 2018** (अनुच्छेद 338B) से संवैधानिक बना। 1993 से 2018 तक यह केवल NCBC अधिनियम, 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय था।

★★ **सांविधिक उदाहरण**: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) (CVC अधिनियम, 2003), केंद्रीय सूचना आयोग (RTI अधिनियम, 2005), लोकपाल (2013 का अधिनियम), NCDRC यानी शीर्ष उपभोक्ता न्यायालय (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, अब 2019 का अधिनियम)।

★★ **कार्यकारी उदाहरण**: नीति आयोग (मंत्रिमंडल का संकल्प, 2015), विधि आयोग (केंद्र सरकार का आदेश, हर तीन वर्ष पर नवीनीकृत), पुराना योजना आयोग (1950) और राष्ट्रीय विकास परिषद (1952), और CBI (1963 का संकल्प; शक्तियाँ DSPE अधिनियम, 1946 से)।

★★ राज्य और स्थानीय स्तर पर **ये भी संवैधानिक हैं**: राज्य निर्वाचन आयोग (अनु. 243K) और राज्य वित्त आयोग (अनु. 243I), दोनों राज्यपाल द्वारा नियुक्त; महान्यायवादी (Attorney General) (अनु. 76) और महाधिवक्ता (Advocate General) (अनु. 165)।

यह किस प्रकार का निकाय है? ★★★

निकाय	प्रकार	आधार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	संवैधानिक	अनु. 338B (102वाँ संशोधन, 2018)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	सांविधिक	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
भारत का विधि आयोग	कार्यकारी	केंद्र सरकार का आदेश
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	सांविधिक	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
वित्त आयोग	संवैधानिक	अनु. 280
नीति आयोग	कार्यकारी	मंत्रिमंडल का संकल्प, 1 जनवरी 2015
जीएसटी परिषद	संवैधानिक	अनु. 279A (101वाँ संशोधन, 2016)

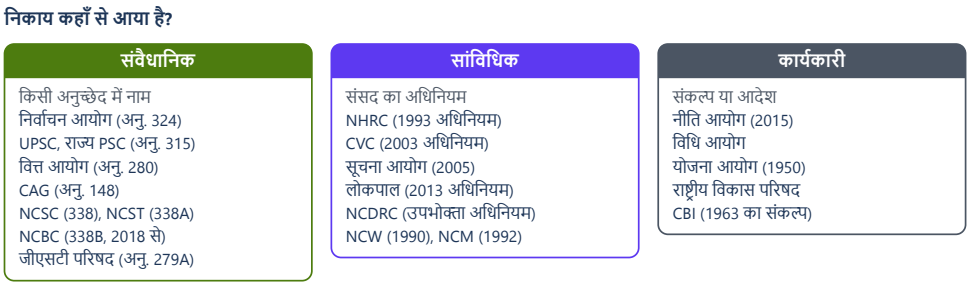

किसी निकाय को उसकी उत्पत्ति से पहचानिए: अनुच्छेद (संवैधानिक), अधिनियम (सांविधिक), या संकल्प अथवा आदेश (कार्यकारी)।

याद रखें: उसका जन्म प्रमाणपत्र माँगिए। **अनुच्छेद संख्या** = संवैधानिक। **अधिनियम और वर्ष** = सांविधिक। **संकल्प की तिथि** = कार्यकारी।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'NCBC, NHRC, विधि आयोग, NCDRC: कितने संवैधानिक हैं?' केवल **एक**, NCBC। पुरानी किताबें अब भी NCBC को सांविधिक बताती हैं; यह 2018 में बदल गया। NHRC अपने महत्व के बावजूद सांविधिक है, संवैधानिक नहीं।

झटपट जाँच

1. NCBC, NHRC, विधि आयोग और NCDRC में से कौन संवैधानिक है?
2. विधि आयोग अधिनियम से बना है, अनुच्छेद से या आदेश से?

उत्तर: 1. केवल NCBC (अनु. 338B, 2018) · 2. केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश से

भारत का निर्वाचन आयोग

अनु. 324
CEC + 2 EC
2023 का अधिनियम

स्वतंत्र चुनाव के लिए ऐसा अंपायर चाहिए जिसे सत्ताधारी दल चला न सके। **अनुच्छेद 324** एक ही निकाय को मतदाता सूचियों तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के हर चुनाव का **अधीक्षण, निदेशन और**

अनु. 324(5)

प्रतीक आदेश

नियंत्रण (Superintendence, direction and control) सौंपता है। इसकी स्वतंत्रता निश्चित कार्यकाल और पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया पर टिकी है।

★★ **दायरा**: लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाएँ और विधान परिषदें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पंचायत और नगरपालिका चुनाव **नहीं**: वे **राज्य निर्वाचन आयोग** के पास हैं (अनु. 243K और 243ZA)।

★★★ **संरचना**: एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और उतने निर्वाचन आयुक्त जितने राष्ट्रपति तय करे। **1 अक्टूबर 1993** से यह **तीन-सदस्यीय** निकाय है: CEC + 2 निर्वाचन आयुक्त। तीनों की बात बराबर है; निर्णय बहुमत से होते हैं (टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ, 1995)।

★★ **इतिहास**: **25 जनवरी 1950** को स्थापित (2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस)। शुरू में एक-सदस्यीय; 16 अक्टूबर 1989 को दो निर्वाचन आयुक्त जोड़े गए, 1 जनवरी 1990 को ये पद समाप्त हुए, और 1993 में फिर बहाल हुए। पहले CEC: **सुकुमार सेन (Sukumar Sen)**, जिन्होंने 1951-52 का आम चुनाव कराया।

★★★ **नियुक्ति (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023)**: राष्ट्रपति एक **चयन समिति (Selection Committee)** की सलाह पर नियुक्ति करता है: **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), **लोक सभा में विपक्ष का नेता** (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) और **प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**। **विधि मंत्री** की अध्यक्षता वाली एक **खोज समिति (Search Committee)**, जिसमें सचिव स्तर के दो अधिकारी होते हैं, पाँच नामों का पैनल बनाती है।

★★ **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023)**: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक संसद कानून न बनाए, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और **भारत के मुख्य न्यायाधीश** का पैनल चयन करेगा। 2023 के अधिनियम ने CJI की जगह एक कैबिनेट मंत्री को रखा। ज्ञानेश कुमार (19 फ़रवरी 2025 से CEC) इस अधिनियम के तहत चुने गए पहले CEC थे।

★★★ **पात्रता, कार्यकाल, वेतन**: **भारत सरकार के सचिव** के बराबर पद पर हो या रहा हो; कार्यकाल **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो पहले हो; वेतन **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश** के बराबर।

★★★ **पद से हटाना**: **CEC** को केवल **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह** (सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन)। **निर्वाचन आयुक्त** को राष्ट्रपति **केवल CEC की सिफ़ारिश पर** हटा सकता है (अनु. 324(5))।

★★ **संविधान की कमियाँ**: यह निर्वाचन आयुक्तों के लिए न कोई योग्यता तय करता है, न कोई कार्यकाल, और न उन्हें बाद में सरकारी पद लेने से रोकता है; ये बातें कानून से आती हैं।

★★★ **शक्तियाँ**: **हर चुनाव और उपचुनाव की समय-सारणी** तय करता है (गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं); मतदाता सूचियाँ बनाता और संशोधित करता है; दलों का पंजीकरण करता है, उन्हें मान्यता देता है और प्रतीक आवंटित करता है; **मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन और विलय के विवाद** तय करता है (निर्वाचन प्रतीक आदेश, 1968, पैरा 15); **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)** लागू करता है।

★★ **सलाहकारी भूमिका**: दल-बदल के अलावा अन्य आधारों पर सांसदों की अयोग्यता पर इसकी राय राष्ट्रपति (अनु. 103) पर और विधायकों के मामले में राज्यपाल (अनु. 192) पर बाध्यकारी है।

★ **नवंबर 2026 की स्थिति**: CEC **ज्ञानेश कुमार** (26वें CEC); निर्वाचन आयुक्त **सुखबीर सिंह संधू** और **विवेक जोशी**।

निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और पद से हटाना (2023 का अधिनियम)

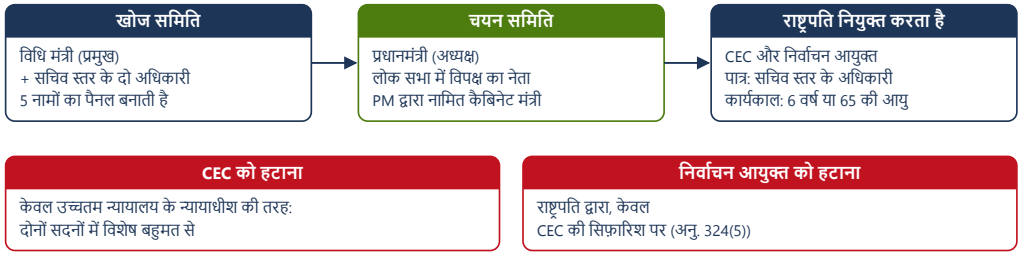

2023 के अधिनियम के तहत नियुक्ति खोज समिति से चयन समिति और फिर राष्ट्रपति तक जाती है। हटाने का तरीका जान-बूझकर असमान है: CEC को न्यायाधीश जैसी सुरक्षा है; बाकी दो के लिए CEC की सिफ़ारिश चाहिए।

याद रखें: 3-6-65: तीन सदस्य, छह वर्ष, पैंसठ की आयु। और 'कप्तान अपने दल की रक्षा करता है': निर्वाचन आयुक्त को तभी हटाया जा सकता है जब CEC इसकी सिफ़ारिश करे।

परीक्षा में सावधान: 'निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है' और 'गृह मंत्रालय चुनाव की समय-सारणी तय करता है', दोनों गलत हैं। सही: निर्वाचन आयोग **मान्यता प्राप्त** दलों के विभाजन और विलय के विवाद सुलझाता है।

झटपट जाँच

1. आम चुनावों और उपचुनावों की तिथियाँ कौन तय करता है?
2. CEC की तुलना में निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है?
3. 2023 के अधिनियम में चयन पैनल पर CJI की जगह किसे रखा गया?

उत्तर: 1. स्वयं निर्वाचन आयोग · 2. राष्ट्रपति द्वारा CEC की सिफ़ारिश पर; CEC को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह · 3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग

अनु. 315-323
अनु. 317
अनु. 319
65 बनाम 62
अनु. 320

मंत्रियों द्वारा दी गई नौकरियाँ वफ़ादारी का इनाम बन जाती हैं। भर्ती को योग्यता पर टिकाए रखने के लिए **भाग XIV (अनु. 315-323)** ऐसे आयोग बनाता है जिन पर मंत्री आसानी से दबाव न डाल सकें: निश्चित कार्यकाल, केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना, और पद छोड़ने के बाद सदस्यों के काम पर सीमाएँ।

★★ **इतिहास**: **1 अक्टूबर 1926** को एक लोक सेवा आयोग बना (ली आयोग (Lee Commission), 1924); भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत यह संघीय लोक सेवा आयोग बना, और 26 जनवरी 1950 को **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)**।

★★ **अनु. 315**: संघ के लिए एक UPSC और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग। दो या अधिक राज्यों के लिए **संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC)** उनके विधानमंडलों के अनुरोध पर **संसद के अधिनियम** से बनता है, इसलिए JSPSC सांविधिक है, संवैधानिक नहीं।

★★★ **नियुक्ति (अनु. 316)**: UPSC के अध्यक्ष और सदस्य **राष्ट्रपति** द्वारा; SPSC के अध्यक्ष और सदस्य **राज्यपाल** द्वारा। संविधान न सदस्य-संख्या तय करता है न योग्यता, सिवाय इसके कि **आधे** सदस्य कम से कम **10 वर्ष** सरकारी पद पर रहे हों।

★★★ **कार्यकाल**: UPSC के लिए **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**; SPSC और JSPSC के लिए **6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु**। उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं।

★★★ **पद से हटाना (अनु. 317)**: केवल **राष्ट्रपति** द्वारा, SPSC सदस्यों को भी। **कदाचार (Misbehaviour)** के लिए **उच्चतम न्यायालय की जाँच** के बाद, जिसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। दिवालियापन, कर्तव्यों से बाहर वेतन वाला काम, या मन अथवा शरीर की अशक्तता पर बिना जाँच के। जाँच चलने तक राज्यपाल SPSC सदस्य को केवल **निलंबित** कर सकता है।

★★ **अनु. 319 (पद के बाद)**: UPSC अध्यक्ष **आगे कोई सरकारी नौकरी** नहीं ले सकता; UPSC सदस्य केवल UPSC अध्यक्ष या किसी SPSC का अध्यक्ष बन सकता है; SPSC के अध्यक्ष और सदस्य UPSC में या किसी SPSC के अध्यक्ष पद पर जा सकते हैं।

★★ **कार्य (अनु. 320)**: भर्ती परीक्षाएँ कराता है; भर्ती के तरीकों, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनिक मामलों पर सलाह देता है। इसकी **सलाह बाध्यकारी नहीं** है। पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण (अनु. 16(4)) या SC/ST के दावों (अनु. 335) पर इससे परामर्श ज़रूरी नहीं।

★★ **अनु. 321-323**: संसद इसे अतिरिक्त कार्य दे सकती है; इसके व्यय संचित निधि पर **भारित** हैं (मतदान नहीं होता); यह हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है (SPSC राज्यपाल को), और जिन मामलों में इसकी सलाह नहीं मानी गई वे कारणों सहित विधानमंडल के सामने रखे जाते हैं।

★ **नवंबर 2026 की स्थिति**: UPSC अध्यक्ष **अजय कुमार** (मई 2025 से)। UPSC **धौलपुर हाउस (Dholpur House)**, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली से काम करता है।

धौलपुर हाउस, नई दिल्ली: UPSC का भवन, जहाँ सिविल सेवा परीक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं। चित्र: Ramesh lalwani, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

अनुच्छेद 319: कार्यकाल समाप्त होने के बाद व्यक्ति आगे बन सकता है...

पद छोड़ते समय ↓	UPSC अध्यक्ष	UPSC सदस्य	SPSC अध्यक्ष	कोई अन्य सरकारी पद
UPSC अध्यक्ष	○	✗	✗	✗
UPSC सदस्य	✓	○	✓	✗
SPSC अध्यक्ष	✓	✓	✓ (अन्य राज्य)	✗
SPSC सदस्य	✓	✓	✓	✗

○ : उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं। ✗ : वर्जित, संघ या किसी राज्य के अधीन कोई भी अन्य नौकरी सहित।

एक ग्रिड में अनुच्छेद 319: कार्यकाल के बाद सदस्य क्या बन सकता है। UPSC अध्यक्ष के लिए सब कुछ वर्जित है।

याद रखें: राज्यपाल रखता है, राष्ट्रपति हटाता है। SPSC सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करता है, पर हटा केवल राष्ट्रपति सकता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति / UPSC अध्यक्ष नियुक्त करता है': गलत, उसे **राज्यपाल** नियुक्त करता है (अनु. 316)। पर हटाता राष्ट्रपति है, राज्यपाल कभी नहीं।

झटपट जाँच

1. SPSC सदस्य को कौन नियुक्त करता है और कौन हटाता है?
2. UPSC और SPSC सदस्यों की आयु सीमा?
3. क्या सेवानिवृत्त UPSC अध्यक्ष किसी SPSC का अध्यक्ष बन सकता है?

उत्तर: 1. राज्यपाल नियुक्त करता है; केवल राष्ट्रपति हटाता है · 2. 65 और 62 · 3. नहीं: आगे कोई सरकारी नियोजन नहीं (अनु. 319)

वित्त आयोग

अनु. 280

अनु. 281

ऊर्ध्वाधर / क्षैतिज

32 → 42 → 41

बड़े और बढ़ते कर (आयकर, निगम कर, अधिकांश GST) संघ वसूलता है, जबकि स्कूल, पुलिस, अस्पताल और खेती राज्य चलाते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए हर पाँच वर्ष पर एक स्वतंत्र **वित्त आयोग (Finance Commission)** सिफ़ारिश करता है कि कर-पूल **ऊर्ध्वाधर (Vertical)** रूप से (संघ बनाम सभी राज्य) और **क्षैतिज (Horizontal)** रूप से (राज्यों के बीच) कैसे बँटे। इसे **राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र (Balancing wheel of fiscal federalism)** कहा जाता है।

★★★ **अनु. 280**: राष्ट्रपति **हर पाँचवें वर्ष** या उससे पहले वित्त आयोग गठित करता है। यह एक **संवैधानिक, अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial)** निकाय है, सांविधिक नहीं।

★★★ **सदस्य**: **एक अध्यक्ष + 4 सदस्य**, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। उनकी योग्यताएँ **संसद कानून द्वारा** तय करती है (अनु. 280(2)): **वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम (Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act), 1951**। अध्यक्ष: सार्वजनिक मामलों का अनुभव। सदस्य: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके योग्य व्यक्ति; सरकारी वित्त और लेखा का विशेषज्ञ; वित्त और प्रशासन का व्यापक अनुभव रखने वाला; अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला। पुनर्नियुक्ति की अनुमति है।

★★ **कर्तव्य (अनु. 280(3))**: (क) संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपस में **करों के शुद्ध आगम** का बँटवारा; (ख) भारत की संचित निधि से राज्यों को **सहायता अनुदान (Grants-in-aid)** के सिद्धांत (अनु. 275); (ग) राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों के आधार पर **पंचायतों और नगरपालिकाओं** के लिए राज्यों के संसाधन बढ़ाने के उपाय; (घ) राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई अन्य विषय।

★★★ **सलाहकारी**: इसकी सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। **अनु. 281** के तहत राष्ट्रपति उन्हें की गई कार्रवाई के **व्याख्यात्मक ज्ञापन** के साथ दोनों सदनों के सामने रखता है।

★★ **इसका काम नहीं**: बजट बनाना, मंत्रालयों को धन बाँटना, विदेशी पूँजी आकर्षित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को धन देना, या वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता की निगरानी करना।

★★★ **पहला वित्त आयोग**: **1951** में (1950 में नहीं) गठित, अध्यक्ष **के.सी. नियोगी (K.C. Neogy)**, अवधि 1952-57।

★★ **13वाँ वित्त आयोग** (विजय केलकर, 2010-15): राज्यों का हिस्सा **32%**; **GST का एक ढाँचा** प्रस्तावित किया, जिसमें क्षतिपूर्ति पैकेज राज्यों द्वारा इसे अपनाने से जुड़ा था; स्थानीय निकायों को विभाज्य पूल के एक हिस्से से जुड़े अनुदान दिए।

★★★ **14वाँ वित्त आयोग** (वाई.वी. रेड्डी, 2015-20): राज्यों का हिस्सा **32% से 42%** किया, अब तक की सबसे बड़ी छलांग; **कोई क्षेत्र-विशेष अनुदान नहीं** दिया। सुदीप्तो मुंडले इसी आयोग के सदस्य थे (15वें के नहीं)।

★★★ **15वाँ वित्त आयोग** (एन.के. सिंह, 2020-21 और 2021-26): **41%** (एक अंक कम, क्योंकि जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बन गया)। सदस्यों में अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह और रमेश चंद थे; इसने कर प्रयास को मानदंड के रूप में **फिर शामिल किया**।

★★ **15वें वित्त आयोग के अनुदान**: प्रदर्शन अनुदान, जिनमें बेहतर **शिक्षा परिणामों** को पुरस्कृत करने के लिए लगभग **₹4,800 करोड़** (2022-23 से 2025-26) और **कृषि सुधारों** के प्रोत्साहन के लिए **₹45,000 करोड़** शामिल हैं।

★★★ **16वाँ वित्त आयोग** (अरविंद पनगढ़िया; 31 दिसंबर 2023 को गठित; अवधि **2026-27 से 2030-31**; रिपोर्ट 1 फ़रवरी 2026 को पेश): राज्यों का हिस्सा **41%** पर रखा; **GDP में योगदान** (10%) जोड़ा और कर प्रयास हटाया; राजस्व-घाटा अनुदान बंद किए।

★★ **राज्य वित्त आयोग**: अनु. 243I (पंचायतें) और 243Y (नगरपालिकाएँ); राज्यपाल इसे हर पाँच वर्ष पर गठित करता है।

याद रखने लायक वित्त आयोग ★★★

वित्त आयोग	अध्यक्ष	अवधि	राज्यों का हिस्सा और पहचान
पहला (1st)	के.सी. नियोगी	1952-57	1951 में गठित
13वाँ	विजय केलकर	2010-15	32%; GST का ढाँचा
14वाँ	वाई.वी. रेड्डी	2015-20	42%; क्षेत्र-विशेष अनुदान नहीं
15वाँ	एन.के. सिंह	2020-26	41%; कर प्रयास वापस
16वाँ	अरविंद पनगढ़िया	2026-31	41%; GDP में योगदान जोड़ा

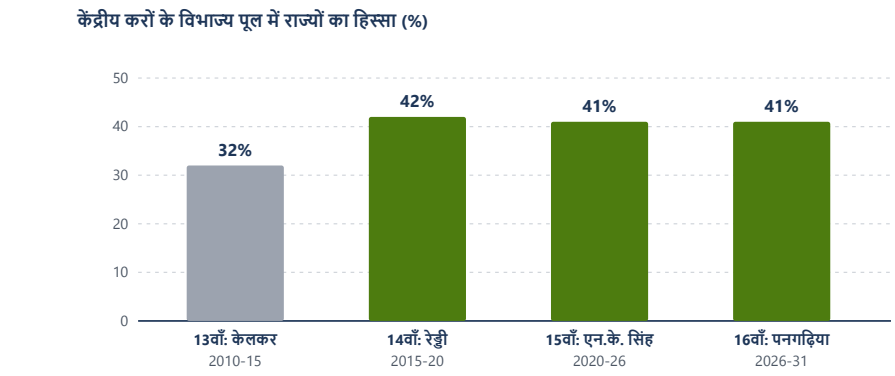

विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा, पैमाने पर (प्रति प्रतिशत अंक 4 इकाई): 14वें वित्त आयोग की 10 अंक की छलांग, फिर 15वें से एक अंक कम।

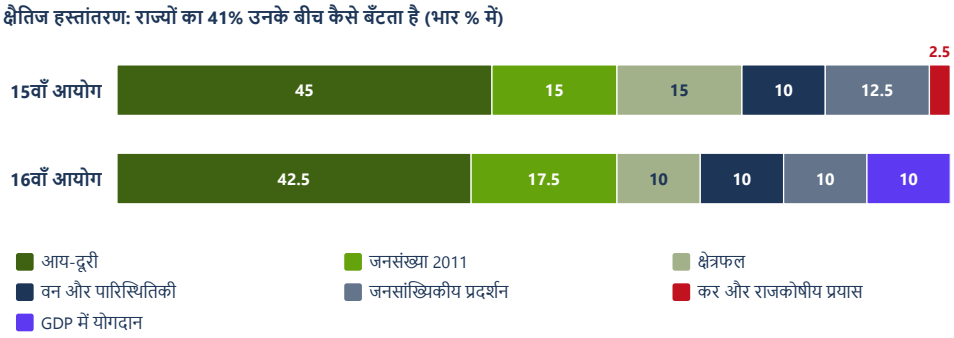

15वें और 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के पूल को राज्यों के बीच कैसे बाँटा। हर पट्टी 100% है; खंडों की चौड़ाई पैमाने पर है।

याद रखें: 32 → 42 → 41 → 41: केलकर 32, रेड्डी ने दस की छलांग लगाई, सिंह ने जम्मू और कश्मीर के कारण एक लौटाया, पनगढ़िया ने उसे बनाए रखा। 15वें वित्त आयोग की बड़ी संख्या **45** आय-दूरी का भार है, राज्यों का हिस्सा नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'वित्त आयोग सांविधिक है', 'पहला वित्त आयोग 1950 में बना' और 'सदस्यों की योग्यताएँ राष्ट्रपति तय करता है', तीनों गलत हैं: यह संवैधानिक है, पहली बार 1951 में बना, और योग्यताएँ कानून द्वारा **संसद** तय करती है।

झटपट जाँच

1. वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ कौन तय करता है?
2. 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग में राज्यों का हिस्सा?
3. 16वें वित्त आयोग ने कौन-सा मानदंड जोड़ा और कौन-सा हटाया?

उत्तर: 1. संसद, कानून द्वारा (1951 का अधिनियम) · 2. 42%, 41%, 41% · 3. GDP में योगदान जोड़ा; कर प्रयास हटाया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)

अनु. 148

अनु. 151

6 वर्ष / 65

लोक लेखा समिति

केवल लेखापरीक्षक

धन संसद स्वीकृत करती है; सरकार से बाहर किसी को जाँचना होता है कि वह कानून के अनुसार और स्वीकृति के मुताबिक खर्च हुआ। संसद की ओर से यह लेखापरीक्षा **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General)** करता है, इसीलिए डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद कहा। इसका काम धन खर्च होने के **बाद** शुरू होता है: यह लेखापरीक्षा करता है, स्वीकृति नहीं देता।

★★ **अनु. 148**: **राष्ट्रपति** अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है; राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है (तीसरी अनुसूची)।

★★★ **कार्यकाल**: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो पहले हो (CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, **1971**)। राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है।

★★★ **पद से हटाना**: केवल **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह**। पद छोड़ने के बाद संघ या किसी राज्य के अधीन **आगे कोई पद नहीं**। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर; व्यय संचित निधि पर **भारित**; नियुक्ति के बाद सेवा-शर्तों में कटौती नहीं हो सकती।

★★ **कर्तव्य (अनु. 149, 1971 का अधिनियम)**: संघ और हर राज्य की **संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा** से प्राप्तियों और खर्च की लेखापरीक्षा; सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों की लेखापरीक्षा।

★★★ **रिपोर्टें (अनु. 151)**: संघ के लेखों पर **राष्ट्रपति** को, जो उन्हें संसद के सामने रखता है; राज्य के लेखों पर **राज्यपाल** को, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के सामने रखता है।

★★★ **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)** CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है; CAG इस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' है, पर उसका **सदस्य नहीं**।

★★★ **कोई न्यायिक शक्ति नहीं**: CAG किसी पर मुकदमा नहीं चला सकता। फिर भी जाँच एजेंसियाँ उसके निष्कर्षों के आधार पर आरोप लगा सकती हैं।

★★★ **केवल लेखापरीक्षक, नियंत्रक नहीं**: भारत में CAG का संचित निधि से **धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं** है, न आपातकाल में न अन्यथा। ब्रिटेन के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास यह शक्ति है।

★★ **अनु. 279**: CAG किसी कर के **शुद्ध आगम** को प्रमाणित करता है, और वह प्रमाणपत्र अंतिम है। **अनु. 150**: लेखे उस रूप में रखे जाते हैं जो राष्ट्रपति CAG की सलाह पर तय करे।

★★ संघ के लिए **लेखा को लेखापरीक्षा से अलग** किया गया **1976** में: CAG अब संघ के लेखे संकलित नहीं करता।

★ स्वतंत्र भारत के **पहले CAG**: **वी. नरहरि राव** (1948)। **नवंबर 2026 की स्थिति**: **के. संजय मूर्ति** (21 नवंबर 2024 से)। लेखापरीक्षा दिवस (Audit Diwas) 16 नवंबर को मनाया जाता है।

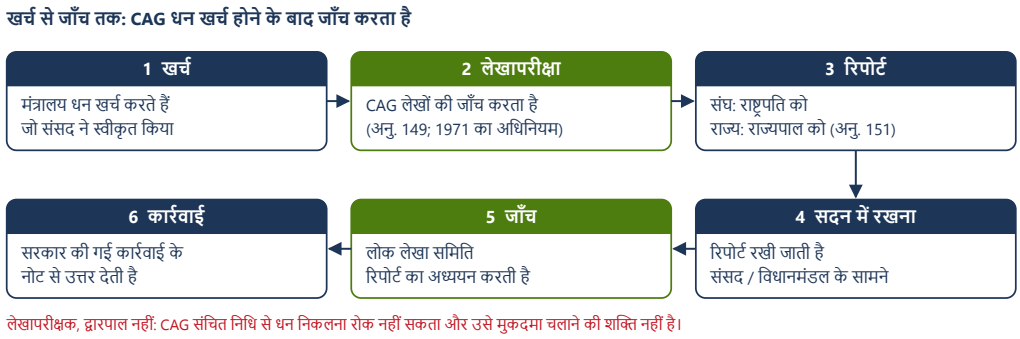

लेखापरीक्षा की कड़ी: खर्च, लेखापरीक्षा, रिपोर्ट (अनु. 151), सदन के सामने रखना, लोक लेखा समिति की जाँच, की गई कार्रवाई का उत्तर। CAG चरण 2 पर है, धन खर्च होने के बाद।

याद रखें: CAG **पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर** है, द्वारपाल नहीं: घटना के बाद शरीर की जाँच करता है और रिपोर्ट लिखता है; लोक लेखा समिति उसे पढ़ती है; पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'वित्तीय आपातकाल में CAG राजकोष पर नियंत्रण रखता है' और 'CAG के पास मुकदमा चलाने की न्यायिक शक्ति है', दोनों गलत हैं। सही: CAG की रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति चर्चा करती है, और एजेंसियाँ उनके आधार पर आरोप लगा सकती हैं।

झटपट जाँच

1. संघ के लेखों पर CAG अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?
2. CAG की रिपोर्टों की जाँच कौन-सी समिति करती है?
3. क्या CAG संचित निधि से धन निकलने से रोक सकता है?

उत्तर: 1. राष्ट्रपति को (अनु. 151), जो उसे संसद के सामने रखता है · 2. लोक लेखा समिति · 3. नहीं: केवल लेखापरीक्षक, राजकोष पर कोई नियंत्रण नहीं

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के आयोग; भाषाई अल्पसंख्यक

अनु. 340

अनु. 338 / 338A

अनु. 338B

102वाँ संशोधन 2018

अनु. 350B

संविधान कमज़ोर वर्गों को आरक्षण और संरक्षण का वादा करता है, पर वादों को पहरेदार चाहिए। ये आयोग **शिकायतों की जाँच करते हैं, सुरक्षा उपायों की निगरानी करते हैं और रिपोर्ट** राष्ट्रपति को देते हैं, जो रिपोर्टें संसद के सामने रखता है। ये सलाह देते हैं; आदेश नहीं देते।

★★★ **अनु. 340**: राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के अध्ययन के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। **पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (1953)**: **काका कालेलकर (Kaka Kalelkar)** (रिपोर्ट 1955)। **दूसरा (1979)**: **बी.पी. मंडल (B.P. Mandal)** (रिपोर्ट 1980); इसके 27% OBC आरक्षण को इंद्रा साहनी (1992) में सही ठहराया गया।

★★ **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) (अनु. 338)**: शुरुआत SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी (1950) से हुई; 1978 में एक गैर-सांविधिक आयोग आया; **65वें संशोधन, 1990** ने संवैधानिक **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग** बनाया।

★★★ **89वें संशोधन, 2003** ने इसे **NCSC (अनु. 338)** और **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) (नया अनु. 338A)** में बाँटा, जो 2004 से अलग-अलग काम करते हैं।

★★ NCSC, NCST और NCBC की **संरचना** एक जैसी है: **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य**, जिन्हें **राष्ट्रपति** हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है; नियमों के तहत कार्यकाल **3 वर्ष**।

★★ **शक्तियाँ**: जाँच के समय **सिविल न्यायालय** की शक्तियाँ (समन करना, शपथ पर पूछताछ, दस्तावेज़ मँगाना); संबंधित वर्ग पर असर डालने वाली प्रमुख नीतियों पर संघ और राज्यों को इनसे परामर्श करना होता है। वार्षिक रिपोर्टें राष्ट्रपति को जाती हैं, जो उन्हें की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के सामने रखता है; राज्य से जुड़े मामले राज्यपाल को भी भेजे जाते हैं।

★★★ **NCBC (अनु. 338B)**: 1993 से सांविधिक (इंद्रा साहनी के बाद बना NCBC अधिनियम); **2018 से संवैधानिक** (**102वाँ संशोधन**, जिसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची पर अनु. 342A भी जोड़ा)।

★★ **105वाँ संशोधन, 2021**: राज्यों को पिछड़े वर्गों की अपनी सूचियाँ बनाने की शक्ति लौटाई, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के मराठा आरक्षण फ़ैसले (मई 2021) ने 102वें संशोधन को यह शक्ति छीनने वाला माना था।

★★ **भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनु. 350B)**: **7वें संशोधन, 1956** से जोड़ा गया; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, जो रिपोर्टें संसद के सामने रखता है और राज्यों को भेजता है। मुख्यालय: प्रयागराज; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन। संविधान इसकी योग्यता, कार्यकाल और हटाने पर मौन है।

★ **अनु. 350A**: राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर **मातृभाषा** में शिक्षा की व्यवस्था करें।

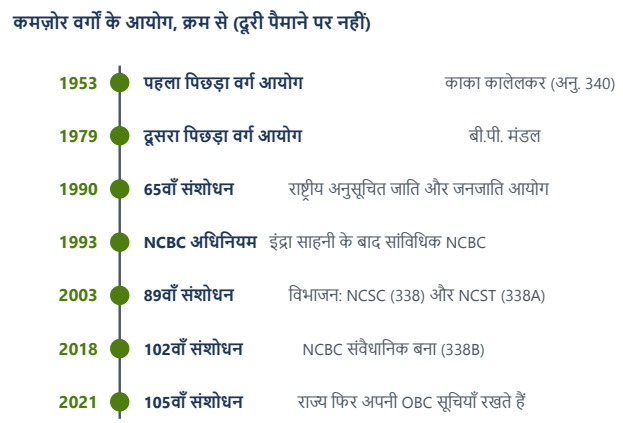

पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से 105वें संशोधन तक, वर्ष के क्रम में।

याद रखें: 338 परिवार: सादा **338** अनुसूचित जातियों के लिए, **338A** आदिवासियों (A = Adivasi, अनुसूचित जनजातियाँ) के लिए, **338B** पिछड़े वर्गों (B = Backward classes) के लिए। कालेलकर **पहले** आए (K, M से पहले), मंडल **दूसरे**।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष: बी.पी. मंडल / बी.आर. आंबेडकर / जगजीवन राम', सब गलत। वे **काका कालेलकर** थे (1953)। मंडल ने 1979 में दूसरे आयोग की अध्यक्षता की।

झटपट जाँच

1. पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की, और कब?
2. किस संशोधन ने NCBC को संवैधानिक बनाया, और किस अनुच्छेद के तहत?
3. किस संशोधन ने SC/ST आयोग को दो भागों में बाँटा?

उत्तर: 1. काका कालेलकर, 1953 · 2. 102वाँ (2018), अनु. 338B · 3. 89वाँ (2003): NCSC 338, NCST 338A

एक साथ तुलना: नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाना

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह	
उच्चतम न्यायालय की जाँच	
6 वर्ष / 62	
अनु. 243K	
जीएसटी परिषद	

प्रश्न अक्सर इन पदों को आपस में मिला देते हैं, इसलिए इन्हें एक ग्रिड के रूप में याद कीजिए। मोटा नियम: किसी पद से हटाना जितना कठिन है, संविधान उसे तत्कालीन सरकार से उतना ही मुक्त रखना चाहता है।

नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाना ★★★

पद	अनुच्छेद	नियुक्ति	कार्यकाल	पद से हटाना
मुख्य निर्वाचन आयुक्त	324	राष्ट्रपति (2023 अधिनियम का पैनल)	6 वर्ष या 65	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
निर्वाचन आयुक्त	324	राष्ट्रपति (2023 अधिनियम का पैनल)	6 वर्ष या 65	CEC की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	148	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
UPSC अध्यक्ष / सदस्य	316	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65	राष्ट्रपति द्वारा; कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच
SPSC अध्यक्ष / सदस्य	316	राज्यपाल	6 वर्ष या 62	राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा नहीं
वित्त आयोग	280	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार	निर्दिष्ट नहीं; पुनर्नियुक्ति संभव
NCSC / NCST / NCBC	338 / 338A / 338B	राष्ट्रपति	3 वर्ष (नियम)	नियमों के अनुसार
राज्य निर्वाचन आयुक्त	243K	राज्यपाल	राज्य कानून के अनुसार	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
महान्यायवादी	76	राष्ट्रपति	निश्चित नहीं	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत

★★★ **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाए जाते हैं**: **CEC** और **CAG** (स्वयं न्यायाधीशों के अलावा)। UPSC सदस्य नहीं; उन्हें उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है।

★★ **राज्य निर्वाचन आयुक्त** (अनु. 243K): राज्यपाल द्वारा नियुक्त, केवल **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** की तरह हटाया जाता है।

★★ **जीएसटी परिषद (अनु. 279A, 101वाँ संशोधन 2016)**: केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष; वित्त के केंद्रीय राज्य मंत्री और हर राज्य का वित्त मंत्री सदस्य। केंद्र के मत का भार **एक-तिहाई**, सभी राज्यों का मिलाकर **दो-तिहाई**; निर्णय के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का **तीन-चौथाई** चाहिए।

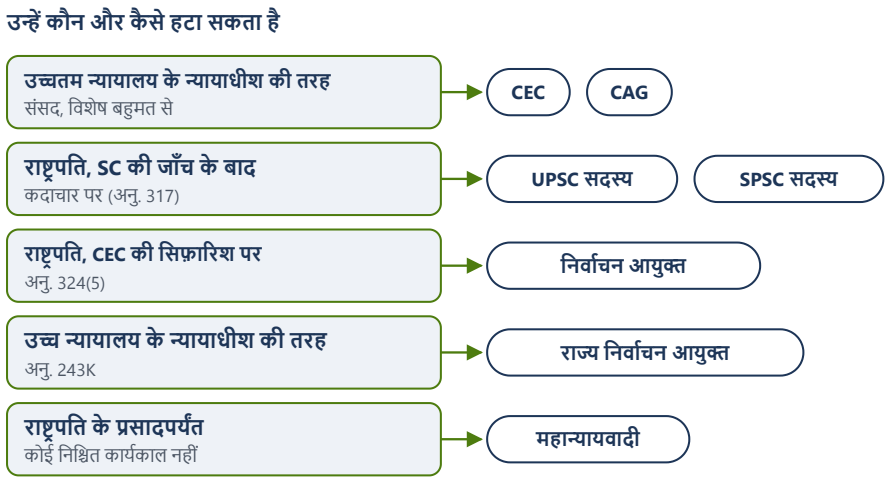

पद छोड़ने के पाँच रास्ते: हर पंक्ति तरीका बताती है, और उसके चिह्न वे पद बताते हैं जिनकी वह रक्षा करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'UPSC सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है': गलत। संसद की कोई भूमिका नहीं; उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति उन्हें हटाता है।

झटपट जाँच

1. इस अध्याय के कौन-से दो संवैधानिक पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाए जाते हैं?
2. जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए कैसा बहुमत चाहिए?

उत्तर: 1. CEC और CAG · 2. उपस्थित और मत देने वालों के भारित मतों का तीन-चौथाई

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (16)

UPSC 2011 भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है ?
(a) वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है
(b) वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में संमुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है (c) वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है
(d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है
उत्तर: (d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है. अनुच्छेद 280: वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है

UPSC 2012 निम्नलिखित में से कौन-सी अनुशंसा/अनुशंसाएँ तेरहवें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता/विशिष्टताएँ है/हैं?
1. वस्तुओं व सेवाओं पर कर (टैक्स) लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से सम्बद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज
2. भारत के जनांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरियाँ सृजन करने की योजना
3. केन्द्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तान्तरण
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3. 13वें वित्त आयोग ने GST का प्रारूप और उसके पालन से जुड़ा क्षतिपूर्ति पैकेज सुझाया; 13वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के अनुदान को विभाज्य पूल के हिस्से से जोड़ा

UPSC 2012 लोक निधि के फ़लोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है?
1. CAG संसद् की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपत/वित्तीय आपत घोषित करता है।
2. CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार-विमर्श करती है।
3. CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसियाँ उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है, जिन्होंने लोक निधि प्रबन्धन में कानून का उल्लंघन किया हो।
4. CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1, 3 और 4 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 2 और 3. मंत्रालयों पर CAG की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति करती है; CAG के पास कोई न्यायिक या अभियोजन शक्ति नहीं है

UPSC 2015 चौदहवें वित्त आयोग के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इसने केन्द्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।
2. इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े (सेक्टर-स्पेसिफिक) अनुदानों से सम्बन्धित सिफ़ारिशें की हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a) केवल 1. 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया; 14वें वित्त आयोग ने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों की सिफारिश नहीं की

UPSC 2017 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3
उत्तर: (d) केवल 3. निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं; सभी चुनावों का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, सरकार नहीं; प्रतीक आदेश के तहत मान्यता-प्राप्त दलों के विभाजन का निर्णय निर्वाचन आयोग करता है

UPSC 2023 निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
1. जनांकिकीय निष्पादन
2. वन और पारिस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थिर सरकार
5. कर एवं राजकोषीय प्रयास
समस्तर कर-अवक्रमण के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?
(a) केवल दो (b) केवल तीन (c) केवल चार (d) सभी पाँच
उत्तर: (b) केवल तीन. 15वें वित्त आयोग ने छह मानदंडों के आधार पर राज्यों में करों का बँटवारा किया; 15वें वित्त आयोग के मानदंड: आय का अंतर, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन, जनांकिकीय निष्पादन, कर प्रयास

UPSC 2023 भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए :
1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय विधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार
उत्तर: (a) केवल एक. 102वें संशोधन (2018) ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक निकाय बनाया; राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वैधानिक निकाय है; विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है

UPSC 2025 भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं?
I. इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹ 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है।
II. संघ के करों के निवल आगम का 45%, राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिए।
III. सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹ 45,000 करोड़ रखे जाएँ।
IV. इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरम्भ किया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) I, II और III (b) I, II और IV (c) I, III और IV (d) II, III और IV
उत्तर: (c) I, III और IV. 15वें वित्त आयोग ने विभाज्य केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% तय किया; 15वें वित्त आयोग ने कर-हस्तांतरण में कर प्रयास के मानदंड को फिर से शामिल किया; 15वें वित्त आयोग ने शिक्षा और कृषि सुधारों के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान सुझाए

BPSC 64th पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे?
(a) जगजीवन राम (b) काका साहेब कालेलकर (c) बी॰ डी॰ शर्मा (d) बी॰ आर॰ अम्बेडकर
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) काका साहेब कालेलकर. काका कालेलकर पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (1953) के अध्यक्ष थे

BPSC 64th राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
(a) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (b) भारत के राष्ट्रपति (c) राज्य के राज्यपाल (d) मुख्यमंत्री
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) राज्य के राज्यपाल. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल नियुक्त करते हैं (अनुच्छेद 316); राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं (अनुच्छेद 317)

BPSC 64th निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है?
(a) अनुच्छेद 280 (b) अनुच्छेद 269 (c) अनुच्छेद 268 (d) अनुच्छेद 265 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) अनुच्छेद 280. अनुच्छेद 280: राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं

BPSC 66th भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 324 (b) अनुच्छेद 148 (c) अनुच्छेद 342 (d) अनुच्छेद 325 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) अनुच्छेद 324. अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण निर्वाचन आयोग को सौंपता है

BPSC 67th इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है?
(a) अशोक कुमार लाहिड़ी (b) सुदीप्तो मुंडले (c) रमेश चंद (d) अजय नारायण झा
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) सुदीप्तो मुंडले. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और इसकी अवधि 2020-21 से 2025-26 थी

BPSC 67th भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है।
2. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था।
3. वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं।
4. पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 2 और 4 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) केवल 2 और 3. अनुच्छेद 280: वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो हर पाँच वर्ष में गठित होता है; पहला वित्त आयोग 1951 में के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुआ; वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी हैं, सरकार पर बाध्यकारी नहीं

BPSC 70th re-exam भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है
(a) राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना (b) वार्षिक बजट तैयार करना (c) संघ एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों को निधि का आवंटन करना
(d) केन्द्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बँटवारा
उत्तर: (d) केन्द्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बँटवारा. अनुच्छेद 280: वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है

BPSC 71st निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है?
(a) भारत का राष्ट्रपति (b) मंत्रिपरिषद (c) संसद विधि द्वारा (d) संघीय कैबिनेट
उत्तर: (c) संसद विधि द्वारा. अनुच्छेद 280(2): वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ संसद विधि द्वारा तय करती है

स्वयं को परखें (12)

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत चयन समिति में कौन नहीं है?
(a) प्रधानमंत्री (b) लोक सभा में विपक्ष का नेता (c) भारत के मुख्य न्यायाधीश (d) प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

2. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है?
(a) राज्यपाल, उच्च न्यायालय की जाँच के बाद (b) राष्ट्रपति, कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद
(c) राज्य विधानमंडल, विशेष बहुमत से (d) राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर

3. सोलहवें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच करों के बँटवारे के लिए कौन-सा नया मानदंड जोड़ा?
(a) कर और राजकोषीय प्रयास (b) GDP में योगदान (c) वन और पारिस्थितिकी (d) जनसांख्यिकीय प्रदर्शन

4. विचार कीजिए: 1. CAG धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चला सकता है। 2. संघ के लेखों पर CAG की रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपी जाती हैं। 3. CAG लोक लेखा समिति का सदस्य है। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग आयोगों में किसने बाँटा?
(a) 65वाँ संशोधन (b) 73वाँ संशोधन (c) 89वाँ संशोधन (d) 102वाँ संशोधन

6. पद छोड़ने के बाद UPSC का अध्यक्ष किस पद पर नियुक्ति के योग्य है?
(a) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (b) UPSC का सदस्य (c) किसी केंद्रीय मंत्रालय में सचिव
(d) इनमें से कोई नहीं: आगे कोई सरकारी नियोजन नहीं

7. निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक निकाय है?
(a) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (b) भारत का विधि आयोग (c) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (d) नीति आयोग

8. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किसमें है?
(a) अनुच्छेद 350A (b) अनुच्छेद 350B (c) अनुच्छेद 347 (d) अनुच्छेद 29

9. चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना तय किया?
(a) 32 प्रतिशत (b) 41 प्रतिशत (c) 42 प्रतिशत (d) 50 प्रतिशत

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर पाँचवें वर्ष या उससे पहले करता है।
2. वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ राष्ट्रपति तय करता है।
3. वित्त आयोग की सिफ़ारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
आयोग : अनुच्छेद
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग : अनुच्छेद 338
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग : अनुच्छेद 338B
3. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी : अनुच्छेद 350B
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. मुख्य निर्वाचन आयुक्त पाता है कि एक निर्वाचन आयुक्त मतदान की तिथियाँ लीक करता रहा है और वह उसे पद से हटवाना चाहता है। संविधान के तहत निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है?
(a) संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाली प्रक्रिया से (b) राष्ट्रपति द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप की जाँच के बाद
(c) प्रधानमंत्री द्वारा, चयन समिति की सलाह पर (d) राष्ट्रपति द्वारा, CEC की सिफ़ारिश पर

उत्तर: 1. (c) अधिनियम ने CJI (जो अनूप बरनवाल, 2023 द्वारा तय अंतरिम पैनल में थे) की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को रखा। · 2. (b) अनु. 317: UPSC और SPSC सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटाता है; कदाचार के मामले में पहले उच्चतम न्यायालय जाँच करता है। राज्यपाल केवल निलंबित कर सकता है। · 3. (b) 16वें वित्त आयोग ने GDP में योगदान को 10% भार दिया और कर व राजकोषीय प्रयास हटाया; वन और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पहले से इस्तेमाल हो रहे थे। · 4. (b) अनु. 151 संघ की रिपोर्टें राष्ट्रपति को भेजता है। CAG के पास मुकदमा चलाने की शक्ति नहीं है और वह लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक है, सदस्य नहीं। · 5. (c) 89वें संशोधन (2003) ने अनु. 338 के तहत NCSC और नए अनु. 338A के तहत NCST बनाया। · 6. (d) अनु. 319(क) UPSC अध्यक्ष को संघ या किसी राज्य के अधीन आगे किसी भी नियोजन से रोकता है। · 7. (c) 102वें संशोधन (अनु. 338B) से NCBC संवैधानिक है। NHRC सांविधिक है; विधि आयोग और नीति आयोग कार्यकारी निकाय हैं। · 8. (b) अनु. 350B, जिसे 7वें संशोधन (1956) ने जोड़ा। अनु. 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है। · 9. (c) 14वें वित्त आयोग ने इसे 32% (13वाँ वित्त आयोग) से बढ़ाकर 42% किया; 15वें और 16वें ने 41% तय किया। · 10. (a) अनु. 280 के तहत राष्ट्रपति इसे हर पाँचवें वर्ष या पहले गठित करता है; योग्यताएँ राष्ट्रपति नहीं, संसद (1951 का अधिनियम) तय करती है, और इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। · 11. (b) NCSC (338) और विशेष अधिकारी (350B) सही हैं; NCST अनु. 338A के तहत है, जबकि 338B मिलता-जुलता अनुच्छेद है जो NCBC का है। · 12. (d) अनु. 324(5): निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति केवल CEC की सिफ़ारिश पर हटाता है; विकल्प A वाली न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया स्वयं CEC की रक्षा करती है।

अध्याय 19

सांविधिक और अन्य निकाय

कोई निकाय संविधान में है या नहीं, नीति आयोग बनाम योजना आयोग, NHRC की संरचना और सीमाएँ, लोकपाल की पात्रता के नियम और प्रधानमंत्री पर उसका क्षेत्राधिकार, और कौन-सी अन्वेषण एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन है: यही सामान्य प्रश्न हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 7 बार पूछा गया: UPSC 5 · BPSC 2

≈ 32 min पढ़ने में ≈ 8 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

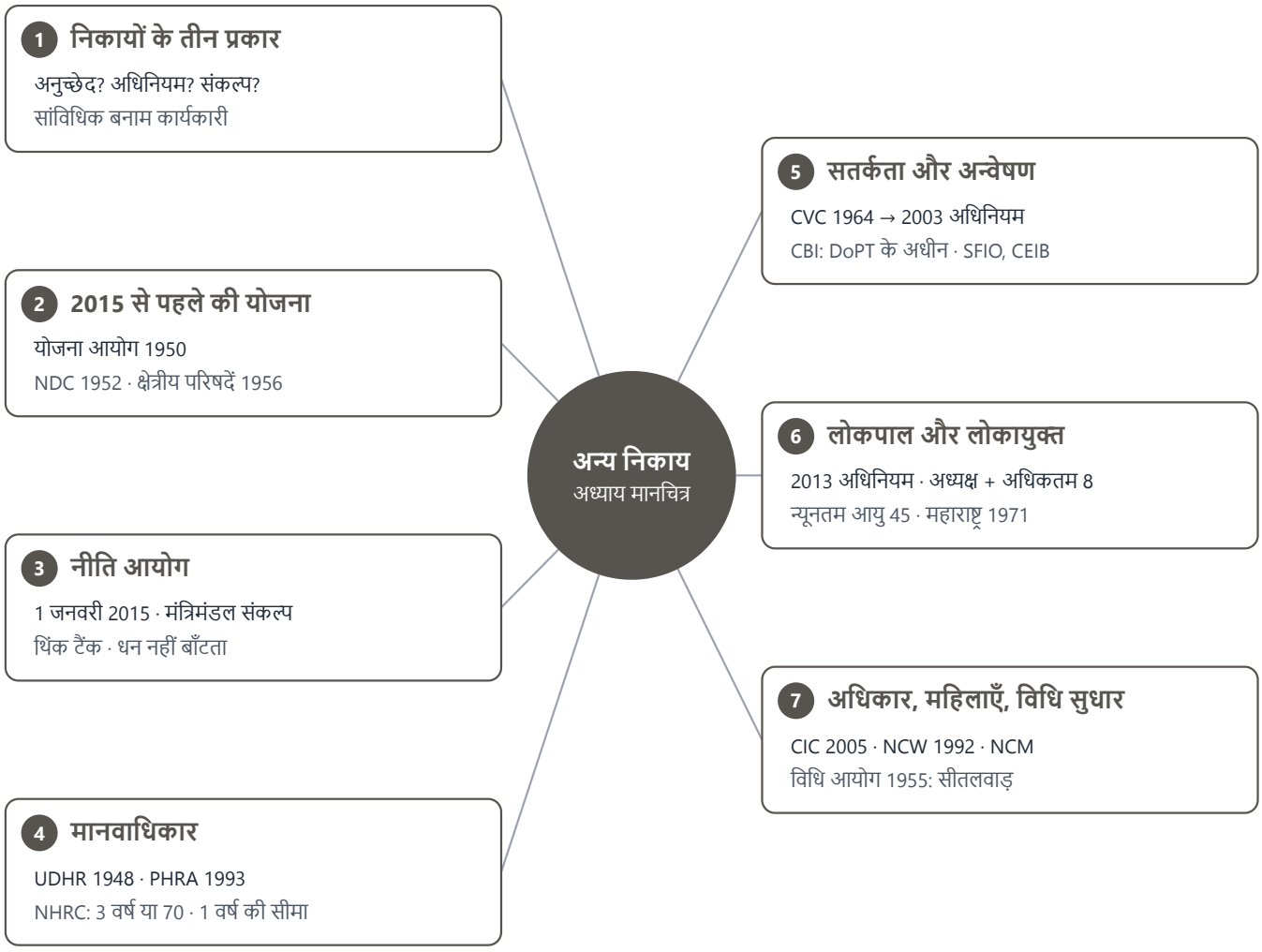

रिवीज़न कार्ड

1. योजना आयोग (15 मार्च 1950), राष्ट्रीय विकास परिषद (6 अगस्त 1952) और नीति आयोग (1 जनवरी 2015): तीनों कार्यकारी संकल्प से बने; कोई भी संविधान में नहीं है।
2. क्षेत्रीय परिषदें: सांविधिक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956; कुल पाँच, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एक अलग निकाय थी, योजना आयोग का अंग नहीं।
3. आर्थिक और सामाजिक योजना: समवर्ती सूची। अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने देता है।
4. नीति आयोग: अध्यक्ष प्रधानमंत्री; शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री; यह एक थिंक टैंक है जो धन नहीं बाँटता। अप्रैल 2026 से उपाध्यक्ष: अशोक कुमार लाहिड़ी।
5. UDHR (10 दिसंबर 1948) में शिक्षा, लोक सेवा तक समान पहुँच और भोजन (पर्याप्त जीवन स्तर) के अधिकार शामिल हैं।
6. NHRC: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993; अध्यक्ष पूर्व CJI या उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश; चयन प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री करते हैं; 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु; एक वर्ष से पुराना कोई मामला नहीं; सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं।
7. CVC: 1964 का संकल्प (संथानम समिति), 2003 से सांविधिक; CVC + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त; 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; चयन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता करते हैं।
8. CBI: 1963 का संकल्प, शक्तियाँ DSPE अधिनियम 1946 से, कार्मिक मंत्रालय (DoPT) के अधीन। SFIO: कॉर्पोरेट कार्य। CEIB, ED, DRI: वित्त। NIA, NCB: गृह मंत्रालय।
9. लोकपाल (2013 अधिनियम): अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य, आधे न्यायिक; न्यूनतम आयु 45; कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु; प्रधानमंत्री भी दायरे में, सिवाय विदेश मामलों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के; भारत के भीतर और बाहर के लोक सेवक भी दायरे में।
10. पहले लोकपाल अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पी.सी. घोष (2019); अब न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर। पहला लोकायुक्त: महाराष्ट्र (1971 अधिनियम)।
11. विधि आयोग: कार्यकारी निकाय; स्वतंत्र भारत का पहला आयोग 1955 में एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में; 23वें विधि आयोग (2024-27) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी।
12. सांविधिक आयोग: NCW (1990 अधिनियम, गठन 1992), NCM (1992; छह अल्पसंख्यक, जैन 2014 में जोड़े गए), NCPCR (2005 अधिनियम), सूचना आयोग (RTI अधिनियम 2005)।

अनुच्छेद, अधिनियम या संकल्प: निकायों की छँटाई

सांविधिक

कार्यकारी

संविधानेतर

क्षेत्रीय परिषदें

भारत के अधिकांश प्रहरी और सलाहकार निकाय संविधान में **नहीं** हैं। **सांविधिक (Statutory)** निकाय किसी अधिनियम से बनता है, इसलिए उसकी शक्तियाँ और उसके सदस्यों के चयन का तरीका कानून में लिखा होता है। **कार्यकारी (Executive)** (गैर-सांविधिक, संविधानेतर (Extra-constitutional)) निकाय सरकार के किसी संकल्प या आदेश से बनता है और उसके पास केवल वही शक्तियाँ होती हैं जो वह आदेश देता है।

★★★ **संविधान में नहीं**: योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), NHRC, CVC, CBI, लोकपाल, विधि आयोग, सूचना आयोग, NCW, NCM।

★★ **सांविधिक** (एक अधिनियम): NHRC और SHRC (1993), CVC (2003), सूचना आयोग (2005), लोकपाल और लोकायुक्त (2013), NCW (1990 अधिनियम), NCM (1992), NCPCR (2005 अधिनियम), NCDRC (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम), क्षेत्रीय परिषदें (1956), पूर्वोत्तर परिषद (1971 अधिनियम)।

★★ **कार्यकारी** (संकल्प या आदेश): नीति आयोग, योजना आयोग, NDC, विधि आयोग, CBI। कार्यकारी निकाय को किसी दूसरे आदेश से बदला या समाप्त किया जा सकता है, जैसा 2015 में योजना आयोग के साथ हुआ।

★★ **अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council)**: संविधान इसकी अनुमति देता है (अनुच्छेद 263); राष्ट्रपति ने सरकारिया आयोग की सलाह पर **1990** में इसे गठित किया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

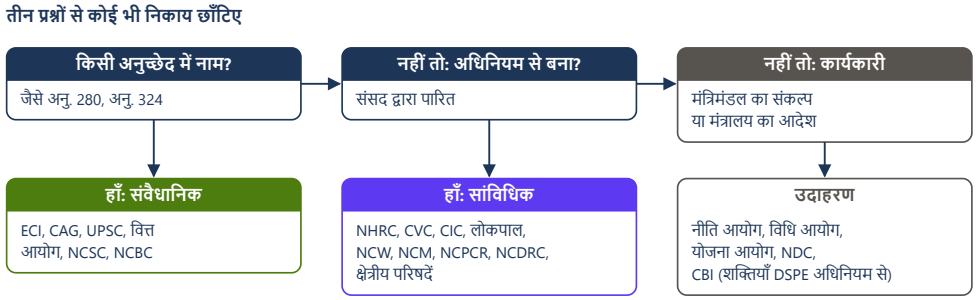

तीन प्रश्नों से कोई भी निकाय छाँटिए: किसी अनुच्छेद में नाम है (संवैधानिक), किसी अधिनियम से बना है (सांविधिक), या दोनों में से कुछ नहीं (कार्यकारी)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं': नहीं, वे **सांविधिक** हैं (राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), 1956)। एक अनुच्छेद (263) पर टिका निकाय **अंतर्राज्यीय परिषद** है।

☑ झटपट जाँच

1. क्षेत्रीय परिषदें किस कानून के अंतर्गत बनीं?
2. मंत्रिमंडल के संकल्प से बने निकाय को क्या कहते हैं?

उत्तर: 1. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 · 2. कार्यकारी (गैर-सांविधिक, संविधानेतर)

2015 से पहले की योजना: योजना आयोग, NDC और क्षेत्रीय परिषदें

15 मार्च 1950

NDC 1952

समवर्ती सूची

अनु. 243G

पंचवर्षीय योजनाएँ

स्वतंत्रता के बाद केंद्र ने अर्थव्यवस्था की योजना पाँच-पाँच वर्ष के चरणों में बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए योजना का मसौदा बनाने वाला विशेषज्ञ निकाय भी चाहिए था और ऐसा मंच भी जहाँ राज्य उस पर सहमत हों। दोनों **कार्यकारी संकल्पों** से बने, संविधान से नहीं।

★★★ **योजना आयोग (Planning Commission)**: **15 मार्च 1950** को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से गठित; अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** (पहले नेहरू)। न संवैधानिक, न सांविधिक। 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग आया।

★★★ **राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council, NDC)**: **6 अगस्त 1952** को कार्यकारी संकल्प से गठित; अध्यक्ष प्रधानमंत्री; सदस्य थे सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य। यह हर पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती थी। यह **अलग निकाय थी, योजना आयोग का अंग नहीं**, यद्यपि आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता था।

★★★ **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)**: **सांविधिक**, **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के अंतर्गत; पाँच परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी); प्रत्येक के अध्यक्ष **केंद्रीय गृह मंत्री**। पूर्वोत्तर परिषद NEC अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बनी।

★★★ **आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची (Concurrent List)** की प्रविष्टि 20 है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 243G**: राज्य **पंचायतों** को **आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ** बनाने की शक्ति दे सकता है (ग्यारहवीं अनुसूची, 29 विषय)। अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं के लिए यही करता है (बारहवीं अनुसूची, 18 विषय)।

★★ **ज़िला योजना समिति (District Planning Committee)** (अनुच्छेद 243ZD) ज़िले की पंचायत और नगरपालिका योजनाओं को समेकित करती है; **महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee)** (अनुच्छेद 243ZE) 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिए है।

★★ **पंचवर्षीय योजनाएँ (Five-Year Plans)**: पहली 1951-56 (कृषि; हैरोड-डोमर मॉडल); दूसरी 1956-61 (भारी उद्योग; महालनोबिस मॉडल); योजना अवकाश 1966-69 (तीन वार्षिक योजनाएँ); **बारहवीं योजना 2012-17 अंतिम थी**।

योजना निकाय वर्ष के क्रम में, योजना आयोग (1950) से नीति आयोग (2015) तक। पंक्तियाँ बराबर दूरी पर हैं, पैमाने पर नहीं।

याद रखें: योजना 1950, अनुमोदन 1952, समन्वय 1956: आयोग ने मसौदा बनाया, NDC ने अनुमोदित किया, क्षेत्रीय परिषदों ने पड़ोसी राज्यों में समन्वय किया।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'NDC योजना आयोग का अंग है' गलत है, और 'NDC, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख संविधान में है' तीनों के लिए गलत है।

झटपट जाँच

1. आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में है?
2. कौन-सा अनुच्छेद पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने देता है?
3. क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?

उत्तर: 1. समवर्ती सूची (प्रविष्टि 20) · 2. अनुच्छेद 243G · 3. केंद्रीय गृह मंत्री

नीति आयोग

1 जनवरी 2015
शासी परिषद
थिंक टैंक
सहकारी संघवाद

योजना आयोग दिल्ली में बनी योजना के साथ राज्यों को धन भी देता था। **नीति आयोग (NITI Aayog)** (National Institution for Transforming India) सलाह की भूमिका रखता है पर धन देने का काम छोड़ देता है: यह एक **थिंक टैंक (Think tank)** है जो राज्यों के ऊपर से (ऊपर से नीचे) नहीं, उनके साथ (नीचे से ऊपर) काम करता है।

★★★ **गठन**: **1 जनवरी 2015** को **केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प** से: एक कार्यकारी निकाय, न संवैधानिक, न सांविधिक।

★★★ **अध्यक्ष**: **प्रधानमंत्री**। **शासी परिषद (Governing Council)**: प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री, तथा अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल।

★★ **प्रादेशिक परिषदें (Regional Councils)**: किसी क्षेत्र के एक से अधिक राज्यों को छूने वाले मुद्दों के लिए बनती हैं; अध्यक्ष प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति।

★★ **उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)** (कैबिनेट मंत्री का दर्जा) और **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)** (सचिव का दर्जा, निश्चित कार्यकाल) की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री का होता है; अधिकतम **2 अंशकालिक** सदस्य; अधिकतम **4 केंद्रीय मंत्री** पदेन सदस्य।

★★★ राज्यों या मंत्रालयों को **धन आवंटन की कोई शक्ति नहीं**; हस्तांतरण अब वित्त आयोग और केंद्रीय बजट के माध्यम से होते हैं।

★★ **दृष्टिकोण**: सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and competitive federalism); SDG भारत सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जैसे सूचकांकों से राज्यों को रैंक करता है; **अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission)** (2016) चलाता है।

★ **व्यक्ति**: पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया (2015); नीति आयोग के पुनर्गठन पर **अप्रैल 2026** में **अशोक कुमार लाहिड़ी** उपाध्यक्ष बने।

योजना आयोग बनाम नीति आयोग ★★★

बिंदु	योजना आयोग	नीति आयोग
गठन	15 मार्च 1950, संकल्प	1 जनवरी 2015, संकल्प
दृष्टिकोण	ऊपर से नीचे, सबके लिए एक योजना	नीचे से ऊपर, राज्यों के साथ
धन	योजना निधि आवंटित करता था	आवंटन के लिए कोई निधि नहीं
राज्यों का मंच	NDC (अलग निकाय)	शासी परिषद (नीति आयोग के भीतर)
अध्यक्ष	प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री

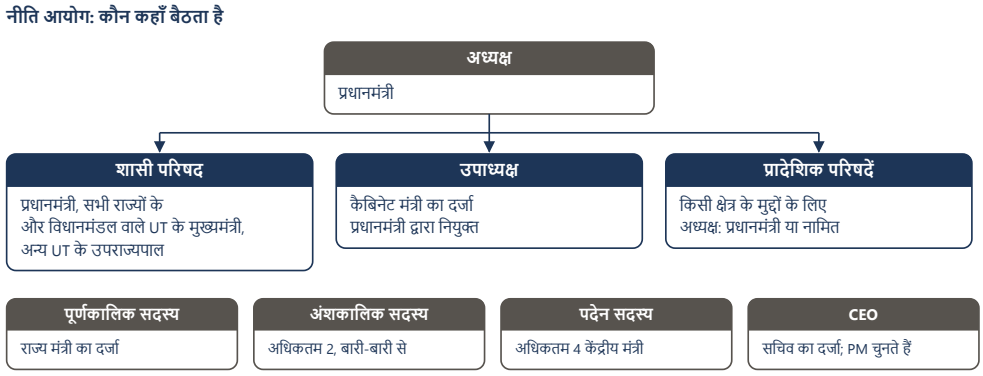

नीति आयोग की संरचना: शीर्ष पर प्रधानमंत्री; उसके नीचे शासी परिषद, उपाध्यक्ष और प्रादेशिक परिषदें; आधार पर सदस्य और CEO।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'नीति आयोग संसद के अधिनियम से बना' या 'यह राज्यों को योजना निधि बाँटता है': दोनों गलत। पुराने आयोग जैसा ही अध्यक्ष (प्रधानमंत्री), पर शक्तियाँ अलग।

☑ झटपट जाँच

1. नीति आयोग कैसे और कब बना?
2. नीति आयोग की शासी परिषद में कौन होते हैं?

उत्तर: 1. मंत्रिमंडल का संकल्प, 1 जनवरी 2015 · 2. प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल

मानवाधिकार: UDHR, NHRC और राज्य आयोग

UDHR 1948

PHRA 1993

चयन समिति

एक वर्ष की सीमा

न्यायालय अधिकारों को लागू करते हैं, पर धीरे-धीरे और ऐसी लागत पर जिसे अधिकांश पीड़ित नहीं उठा सकते। **मानवाधिकार आयोग (Human rights commission)** किसी शिकायत पर, या स्वयं, मामला उठा सकता है, सिविल न्यायालय की शक्तियों से जाँच कर सकता है और राहत की सिफ़ारिश कर सकता है। इसके पास दंड देने की शक्ति नहीं है, यही इसकी मुख्य कमज़ोरी है।

SHRC

★★★ **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)**: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **10 दिसंबर 1948** (मानवाधिकार दिवस) को अपनाई, **30 अनुच्छेद**। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार (जीवन, स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, अपने देश में **लोक सेवा तक समान पहुँच**) और सामाजिक व आर्थिक अधिकार (काम, सामाजिक सुरक्षा, **भोजन**, वस्त्र और आवास सहित पर्याप्त जीवन स्तर, और **शिक्षा**) हैं। यह एक घोषणा है, बाध्यकारी संधि नहीं।

★★★ **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)**: **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act), 1993** के अंतर्गत सांविधिक निकाय; **12 अक्टूबर 1993** को गठित; 2006 और 2019 में संशोधित।

★★ **अध्यक्ष**: भारत का पूर्व **मुख्य न्यायाधीश** या उच्चतम न्यायालय का पूर्व **न्यायाधीश** (2019 के संशोधन ने यह पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी खोला)।

★★ **सदस्य**: उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश; उच्च न्यायालय का एक वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश; मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले **तीन** व्यक्ति, जिनमें कम से कम **एक महिला**। **सात पदेन** सदस्य: NCSC, NCST, NCW, NCM, NCBC, NCPCR के अध्यक्ष और दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त।

★★★ **नियुक्ति**: **राष्ट्रपति** द्वारा, एक **छह सदस्यीय समिति** की सिफ़ारिश पर: **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), **लोक सभा अध्यक्ष**, **राज्य सभा का उपसभापति**, दोनों सदनों में **विपक्ष के नेता**, और **केंद्रीय गृह मंत्री**।

★★★ **कार्यकाल**: **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु**, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति के पात्र। राष्ट्रपति हटाते हैं: उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर, या दिवालियेपन, बाहर सवेतन काम और ऐसे ही आधारों पर।

★★★ **सीमाएँ**: घटना के **एक वर्ष से अधिक** बाद किसी मामले की जाँच नहीं कर सकता; सिफ़ारिशें **बाध्यकारी नहीं**; **सशस्त्र बलों** के मामले में केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है।

★★ **राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)**: वही अधिनियम; अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश; नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं, एक समिति की सलाह पर जिसमें **मुख्यमंत्री** (अध्यक्ष), विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विपक्ष का नेता होते हैं (जहाँ विधान परिषद है, वहाँ उसका सभापति और विपक्ष का नेता भी)। हटाने का अधिकार केवल **राष्ट्रपति** को। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर काम करता है।

★ **मानवाधिकार न्यायालय**: हर ज़िले में एक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य द्वारा स्थापित, मानवाधिकार अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए।

★ **व्यक्ति**: NHRC के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति **रंगनाथ मिश्र**; **नवंबर 2026 तक** न्यायमूर्ति **वी. रामसुब्रमण्यन** (दिसंबर 2024 से)।

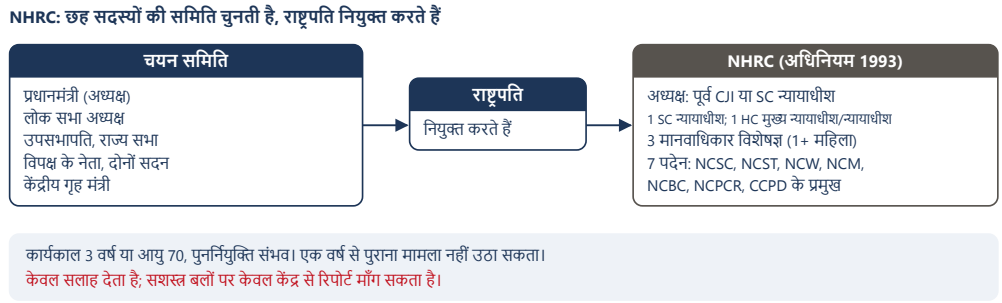

NHRC: छह सदस्यीय समिति सिफ़ारिश करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दाईं ओर का बॉक्स 2019 के संशोधन के बाद गठित आयोग है।

याद रखें: NHRC = 3 / 70 / 1: तीन वर्ष का कार्यकाल, सत्तर पर सेवानिवृत्ति, और एक वर्ष से पुराना कोई मामला नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'भोजन का अधिकार UDHR में नहीं है' और 'लोक सेवा तक समान पहुँच UDHR के अंतर्गत मानवाधिकार नहीं है': दोनों गलत; शिक्षा, लोक सेवा तक समान पहुँच और भोजन, तीनों इसमें हैं।

झटपट जाँच

1. NHRC अध्यक्ष की सिफ़ारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
2. NHRC कितना पुराना मामला उठा सकता है?
3. SHRC सदस्यों को कौन नियुक्त करता है और कौन हटाता है?

उत्तर: 1. प्रधानमंत्री · 2. एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं · 3. राज्यपाल नियुक्त करते हैं; हटाते केवल राष्ट्रपति हैं

सतर्कता और अन्वेषण: CVC, CBI और अन्य एजेंसियाँ

संथानम समिति

CVC अधिनियम 2003

DSPE अधिनियम 1946

DoPT

SFIO / CEIB

भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (Santhanam Committee) (1962-64) से दो निकाय निकले: केंद्र सरकार में ईमानदारी की निगरानी के लिए **केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)**, और जाँच के लिए **CBI**। उच्चतम न्यायालय के विनीत नारायण निर्णय (1997) के बाद दोनों को अधिक कानूनी आधार मिला।

★★★ **CVC**: **फ़रवरी 1964** में कार्यकारी संकल्प से गठित; **CVC अधिनियम, 2003** से **सांविधिक**। सदस्य: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + **अधिकतम 2** सतर्कता आयुक्त।

★★ **CVC की नियुक्ति**: राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र से, **प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता** की सलाह पर। कार्यकाल **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**; उसके बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं। उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद, या दिवालियेपन जैसे आधारों पर राष्ट्रपति हटाते हैं।

★★ **CVC स्वयं जाँच नहीं करता**: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 के मामलों में यह **CBI** का पर्यवेक्षण करता है, और मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से काम करता है।

★★★ **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)**: **1 अप्रैल 1963** को गृह मंत्रालय के संकल्प से गठित; **सांविधिक नहीं**; इसकी शक्तियाँ **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), 1946** से आती हैं। यह **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अधीन काम करता है। इसके घोषित उद्देश्य में सार्वजनिक जीवन के मूल्यों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की रक्षा शामिल है।

★★ **CBI निदेशक**: **प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता** (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) और **CJI** या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुनते हैं; न्यूनतम **2 वर्ष** का कार्यकाल, एक-एक वर्ष करके अधिकतम **5 वर्ष** तक बढ़ सकता है (2021 के संशोधन)।

★★ **राज्य की सहमति**: किसी राज्य में जाँच के लिए CBI को उस राज्य की सहमति चाहिए (DSPE अधिनियम की धारा 6), जब तक उच्चतम न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय जाँच का आदेश न दे। कई राज्यों ने अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।

एजेंसी और नियंत्रक मंत्रालय ★★★

एजेंसी	काम	मंत्रालय
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)	भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध, आर्थिक अपराध	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO), 2003	जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी (कंपनी अधिनियम 2013)	कॉर्पोरेट कार्य
केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB), 1985	आर्थिक अपराधों पर एजेंसियों में समन्वय	वित्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED)	धन-शोधन (PMLA 2002), विदेशी मुद्रा (FEMA 1999)	वित्त (राजस्व विभाग)
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI)	सीमा-शुल्क तस्करी	वित्त
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)	आतंकवाद (NIA अधिनियम 2008)	गृह मंत्रालय
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB), 1986	मादक पदार्थ कानूनों का प्रवर्तन	गृह मंत्रालय

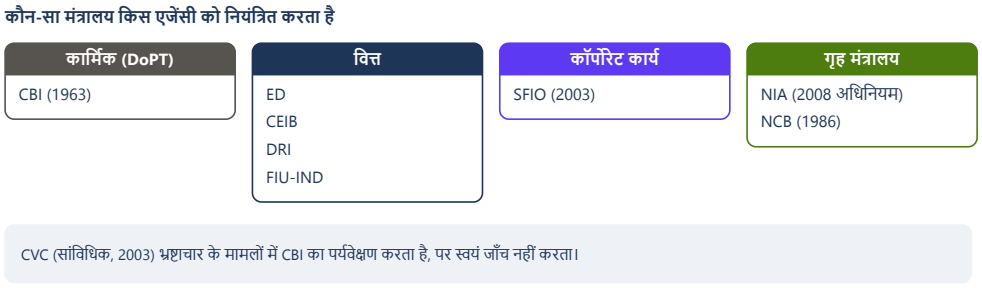

नियंत्रक मंत्रालय के अनुसार समूहित एजेंसियाँ। केवल CBI कार्मिक मंत्रालय के अधीन है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'SFIO वित्त मंत्रालय के अधीन है' (नहीं: **कॉर्पोरेट कार्य**) और 'CEIB गृह मंत्रालय के अधीन है' (नहीं: **वित्त**)। कार्मिक मंत्रालय वाली CBI की पंक्ति ही सही है।

☑ झटपट जाँच

1. CBI किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?
2. SFIO को कौन-सा मंत्रालय नियंत्रित करता है?
3. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सिफ़ारिश कौन करता है?

उत्तर: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (DoPT) · 2. कॉर्पोरेट कार्य · 3. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता

लोकपाल और लोकायुक्त

2013 अधिनियम

अध्यक्ष + 8

न्यूनतम आयु 45

प्रधानमंत्री भी दायरे में

महाराष्ट्र 1971

ओम्बुड्समैन (Ombudsman) एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है जो अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें सुनता है। भ्रष्टाचार के लिए भारत के ऐसे निकाय, **लोकपाल (Lokpal)**, में चार दशक से अधिक लगे: विचार 1960 के दशक में आया, विधेयक बार-बार व्यपगत हुए, और 2011 के जन आंदोलन के बाद अधिनियम केवल 2013 में आया।

★★ **उत्पत्ति**: 'लोकपाल' शब्द **एल.एम. सिंघवी (L.M. Singhvi)** ने गढ़ा (1963); मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)** ने केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की सिफ़ारिश की।

★★ **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (Lokpal and Lokayuktas Act), 2013**: **16 जनवरी 2014** से लागू (लोकपाल स्थापना दिवस)। पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति **पिनाकी चंद्र घोष** (मार्च 2019); **नवंबर 2026 तक**, न्यायमूर्ति **ए.एम. खानविलकर** (मार्च 2024 से)।

★★★ **संरचना**: **एक अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य**; कम से कम **आधे न्यायिक**; कम से कम आधे **SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिलाएँ**।

★★★ **अध्यक्ष**: भारत का पूर्व **मुख्य न्यायाधीश**, उच्चतम न्यायालय का पूर्व **न्यायाधीश**, या भ्रष्टाचार-निरोध, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, विधि या प्रबंधन में कम से कम 25 वर्ष की विशेषज्ञता वाला सत्यनिष्ठ **प्रतिष्ठित व्यक्ति**। CJI होना आवश्यक नहीं।

★★★ **अपात्र**: सांसद या विधायक, दोषसिद्ध व्यक्ति, **45 वर्ष से कम** आयु का कोई व्यक्ति, पंचायत या नगरपालिका का सदस्य, विश्वास या लाभ के पद का धारक, या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति।

★★ **चयन समिति**: **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), **लोक सभा अध्यक्ष**, लोक सभा में **विपक्ष का नेता**, **CJI** या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, और पहले चार द्वारा चुना गया एक **प्रख्यात विधिवेत्ता**। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु**।

★★★ **क्षेत्राधिकार**: **प्रधानमंत्री** (सुरक्षा उपायों के साथ), केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र के समूह A से D तक के अधिकारी, और सरकार से वित्तपोषित निकाय; यह **भारत के भीतर और बाहर** के लोक सेवकों पर लागू होता है।

★★★ **प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा उपाय**: **अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से जुड़े आरोपों की जाँच नहीं; किसी अन्य जाँच के लिए **पूर्ण पीठ** और **दो-तिहाई** की स्वीकृति चाहिए, और जाँच **बंद कमरे में (in camera)** होती है।

★★ **शिकायत पर काम**: स्वतः संज्ञान (suo motu) की शक्ति नहीं; जाँच शाखा प्रारंभिक जाँच करती है और अभियोजन शाखा मामले न्यायालय में ले जाती है; यह मामले CBI को भेज सकता है।

★★★ **लोकायुक्त (Lokayukta)**: राज्य कानूनों से; 2013 के अधिनियम ने हर राज्य से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त गठित करने को कहा। **महाराष्ट्र** में **पहला** लोकायुक्त बना, अपने **1971** के अधिनियम के अंतर्गत; ओडिशा ने 1970 में अधिनियम पारित किया, पर वह 1983 में ही लागू हुआ।

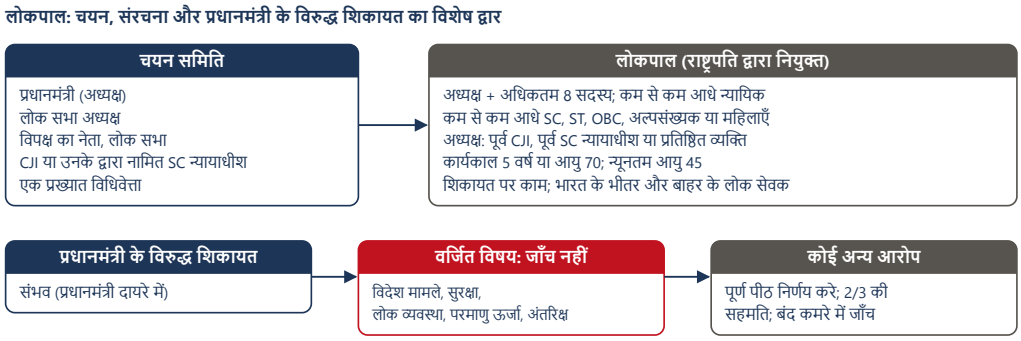

लोकपाल: कौन चुनता है, कौन उसमें बैठता है, और प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत को कौन-सा द्वार पार करना होता है।

याद रखें: लोकपाल 45-70-5-8: जुड़ने के लिए कम से कम 45, 70 पर विदाई, 5 वर्ष का कार्यकाल, और अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 8 सदस्य।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोकपाल पदासीन प्रधानमंत्री की जाँच नहीं कर सकता' (सुरक्षा उपायों के साथ कर सकता है), 'केवल CJI ही इसका अध्यक्ष हो सकता है' (उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति भी पात्र है) और 'विदेश में तैनात लोक सेवक इसके दायरे में नहीं हैं' (हैं): तीनों गलत। सही: अध्यक्ष या सदस्य की आयु कम से कम 45 होनी चाहिए।

☑ झटपट जाँच

1. लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य की न्यूनतम आयु?
2. दो विषय बताइए जिन पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत की जाँच नहीं हो सकती।
3. किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त गठित किया?

उत्तर: 1. 45 वर्ष · 2. इनमें से कोई दो: विदेश मामले, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष · 3. महाराष्ट्र (1971 अधिनियम)

सूचना, महिलाएँ, अल्पसंख्यक, बच्चे और विधि सुधार

RTI अधिनियम 2005

NCW 1992

NCM: छह अल्पसंख्यक

NCPCR

विधि आयोग

इनमें से हर निकाय एक वादे की रखवाली करता है: सूचना का अधिकार, महिलाओं की समानता, अल्पसंख्यकों और बच्चों की सुरक्षा, और समाज के साथ चलने वाले कानून। विधि आयोग को छोड़कर सभी सांविधिक हैं; सभी आदेश नहीं, सलाह देते हैं।

★★ **केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)** (सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005): मुख्य सूचना आयुक्त + **अधिकतम 10** सूचना आयुक्त; नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, **प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता** और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** की सलाह पर।

★★ **कार्यकाल**: जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे (**RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019** ने यह शक्ति दी; नियमों में 3 वर्ष) या 65 वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति नहीं। सिविल न्यायालय की शक्तियों के साथ अपीलें और शिकायतें सुनता है। **नवंबर 2026 तक**: मुख्य सूचना आयुक्त **राज कुमार गोयल** (15 दिसंबर 2025 से)।

★★ **राज्य सूचना आयोग**: नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की सलाह पर।

★★★ **राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)**: **NCW अधिनियम, 1990**; **31 जनवरी 1992** को गठित; पहली अध्यक्ष **जयंती पटनायक**; एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य-सचिव, सभी केंद्र सरकार द्वारा नामित।

★★★ **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)**: 1978 में संकल्प से अल्पसंख्यक आयोग बना; **NCM अधिनियम, 1992** के अंतर्गत सांविधिक। **छह अधिसूचित अल्पसंख्यक**: मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (ज़रथुस्त्री) और **जैन (2014 में जोड़े गए)**।

★★ **NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)**: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, **2005**; मार्च 2007 में गठित; बालक का अर्थ **18** वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।

★★ **NCDRC**: **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम** (1986, जिसकी जगह 2019 का अधिनियम आया) के अंतर्गत शीर्ष उपभोक्ता न्यायालय; इसके निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में होती है।

★★ **विधि आयोग (Law Commission)**: एक **कार्यकारी** निकाय, केंद्र सरकार के आदेश से हर तीन वर्ष पर पुनर्गठित; कानूनों का अध्ययन कर सुधार की सिफ़ारिश करता है। पहला (औपनिवेशिक): **1834**, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, अध्यक्ष **लॉर्ड मैकाले** (इसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा बनाया)।

★★★ **स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग**: **1955**, अध्यक्ष **एम.सी. सीतलवाड़**, भारत के पहले महान्यायवादी।

★★ **23वाँ विधि आयोग**: 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027; अध्यक्ष न्यायमूर्ति **दिनेश माहेश्वरी**, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (अप्रैल 2025 से)।

अन्य प्रहरी और सलाहकार निकाय, क्रम से (दूरी पैमाने पर नहीं)

अन्य प्रहरी और सलाहकार निकाय कब बने, सबसे पुराना पहले। पंक्तियाँ बराबर दूरी पर हैं, पैमाने पर नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष: न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर / न्यायमूर्ति टी.वी. वेंकटराम अय्यर': नहीं, वे **एम.सी. सीतलवाड़** (1955) थे। और विधि आयोग सांविधिक नहीं है: कोई अधिनियम इसे नहीं बनाता।

☑ झटपट जाँच

1. स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता किसने और कब की?
2. 2014 में कौन-सा समुदाय अधिसूचित अल्पसंख्यक बना?
3. मुख्य सूचना आयुक्त की सिफ़ारिश कौन करता है?

उत्तर: 1. एम.सी. सीतलवाड़, 1955 · 2. जैन · 3. प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (7)

UPSC 2011 निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
1. शिक्षा का अधिकार
2. समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार
3. भोजन का अधिकार
"मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा" के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से अधिकार मानव अधिकार/अधिकारों में आता है/आते हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में शिक्षा, लोक सेवा तक समान पहुँच और भोजन के अधिकार शामिल हैं

UPSC 2013 निम्नलिखित में से किस निकाय/किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद्
2. योजना आयोग
3. क्षेत्रीय परिषदें
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यकारी संकल्प से गठित हुए; क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक निकाय हैं

UPSC 2013 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग का एक अंग है।
2. आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है।
3. भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2 और 3. आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची में है; अनुच्छेद 243G: पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बना सकती हैं; राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं, अलग कार्यकारी निकाय थी

UPSC 2025 लोकपाल के विषय में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किन्तु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती।
II. संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा।
III. इसका अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा।
IV. लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जाँच नहीं कर सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल III (b) II और III (c) I और IV (d) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है
उत्तर: (a) केवल III. लोकपाल प्रधानमंत्री की जाँच कर सकता है, सुरक्षा, विदेश संबंध, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष को छोड़कर; लोकपाल अध्यक्ष: पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या कोई प्रख्यात व्यक्ति; लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए

UPSC 2026 भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए :
संगठन | कार्य | नियंत्रक केंद्रीय मंत्रालय
1. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) | विविध विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना | गृह मंत्रालय
2. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO) | जटिल निगमित कपटों का अन्वेषण करना | वित्त मंत्रालय
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) | सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को परिरक्षित करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दशा को सुनिश्चित करना | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
उपर्युक्त कितनी पंक्तियों में, दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) कोई नहीं
उत्तर: (a) 1. CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है; गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है; केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो वित्त मंत्रालय के अधीन है

BPSC 67th किस राज्य में पहला 'लोकायुक्त' स्थापित हुआ था?
(a) ओडिशा (b) केरल (c) महाराष्ट्र (d) पंजाब (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) महाराष्ट्र. महाराष्ट्र अपने 1971 के अधिनियम के तहत लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य था

BPSC 67th re-exam स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) श्री एम० सी० सेतलवाद (b) न्यायाधीश जे० एल० कपूर (c) न्यायाधीश वी० के० सुन्दरम (d) न्यायाधीश टी० वी० वेंकटरामा अय्यर
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) श्री एम० सी० सेतलवाद. स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग (1955) के अध्यक्ष एम॰ सी॰ सेतलवाद थे; विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है

स्वयं को परखें (12)

1. नीति आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ?
(a) 2014 में संसद के एक अधिनियम द्वारा (b) 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा (c) एक संविधान संशोधन द्वारा
(d) एक राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा

2. घटना की तिथि से कितने समय बाद NHRC किसी मामले की जाँच नहीं कर सकता?
(a) छह माह (b) एक वर्ष (c) दो वर्ष (d) तीन वर्ष

3. CBI किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है?
(a) गृह मंत्रालय (b) विधि और न्याय मंत्रालय (c) कार्मिक मंत्रालय (DoPT) (d) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

4. लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम आयु है:
(a) 35 वर्ष (b) 40 वर्ष (c) 45 वर्ष (d) 50 वर्ष

5. लोकपाल का चयन करने वाली समिति में कौन नहीं होता?
(a) लोक सभा अध्यक्ष (b) लोक सभा में विपक्ष का नेता (c) CJI या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(d) राज्य सभा का सभापति

6. भारत में क्षेत्रीय परिषदें किसके अंतर्गत स्थापित की गईं?
(a) संविधान के अनुच्छेद 263 (b) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (c) 1950 के मंत्रिमंडल संकल्प (d) नीति आयोग के संकल्प

7. राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सिफ़ारिश करने वाली समिति का प्रमुख होता है:
(a) राज्यपाल (b) मुख्यमंत्री (c) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (d) विधानसभा अध्यक्ष

8. NCM अधिनियम के अंतर्गत 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया?
(a) सिख (b) पारसी (c) जैन (d) बौद्ध

9. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सिफ़ारिश करने वाली समिति में कौन नहीं होता?
(a) प्रधानमंत्री (b) केंद्रीय गृह मंत्री (c) लोक सभा में विपक्ष का नेता (d) भारत का मुख्य न्यायाधीश

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता।
2. केवल भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।
3. लोकपाल के क्षेत्राधिकार में भारत के बाहर सेवारत लोक सेवक भी आते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
एजेंसी : नियंत्रक मंत्रालय
1. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय : वित्त मंत्रालय
2. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो : गृह मंत्रालय
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो : गृह मंत्रालय
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. मार्च 2026 में एक व्यक्ति फ़रवरी 2024 में हुई पुलिस हिरासत में यातना की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से करता है। आयोग को क्या करना चाहिए?
(a) अस्वीकार करे, घटना एक वर्ष से पुरानी है (b) जाँच करे, क्योंकि हिरासत में यातना गंभीर उल्लंघन है
(c) उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद ही जाँच करे (d) जाँच के लिए इसे राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजे

उत्तर: 1. (b) 1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडल संकल्प ने इसे बनाया, इसलिए यह एक कार्यकारी निकाय है। · 2. (b) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एक वर्ष से पुराने मामलों पर रोक लगाता है। · 3. (c) CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम करता है। · 4. (c) 2013 का अधिनियम पद ग्रहण की तिथि पर 45 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को अपात्र करता है। · 5. (d) समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष का नेता, CJI या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। · 6. (b) ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सांविधिक निकाय हैं, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। · 7. (b) इसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं; नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं। · 8. (c) जैन 2014 में जोड़े गए; अन्य पाँच 1993 में अधिसूचित हुए थे। · 9. (d) CVC अधिनियम, 2003 में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता का नाम है। · 10. (c) 2013 का अधिनियम 45 वर्ष से कम आयु वालों को रोकता है और भारत के भीतर व बाहर के लोक सेवकों पर लागू होता है; उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अध्यक्ष हो सकता है, इसलिए कथन 2 गलत है। · 11. (d) कोई भी नहीं: SFIO कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के, CEIB वित्त मंत्रालय के और CBI कार्मिक मंत्रालय (DoPT) के अधीन है; हर युग्म में मिलता-जुलता गलत मंत्रालय रखा गया है। · 12. (a) 1993 का अधिनियम NHRC को घटना के एक वर्ष से अधिक बाद किसी मामले की जाँच से रोकता है; आरोप की गंभीरता इस रोक को नहीं हटाती।

अध्याय 20

निर्वाचन, राजनीतिक दल और दल-बदल विरोधी कानून

दसवीं अनुसूची (कौन निर्णय करता है, विलय का नियम, मनोनीत सदस्य), परिसीमन (कितने आयोग, 2026 तक की रोक), कौन चुनाव लड़ सकता है, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, महिला आरक्षण और दलों की मान्यता बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 16 बार पूछा गया: UPSC 10 · BPSC 6

≈ 38 min पढ़ने में ≈ 11 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

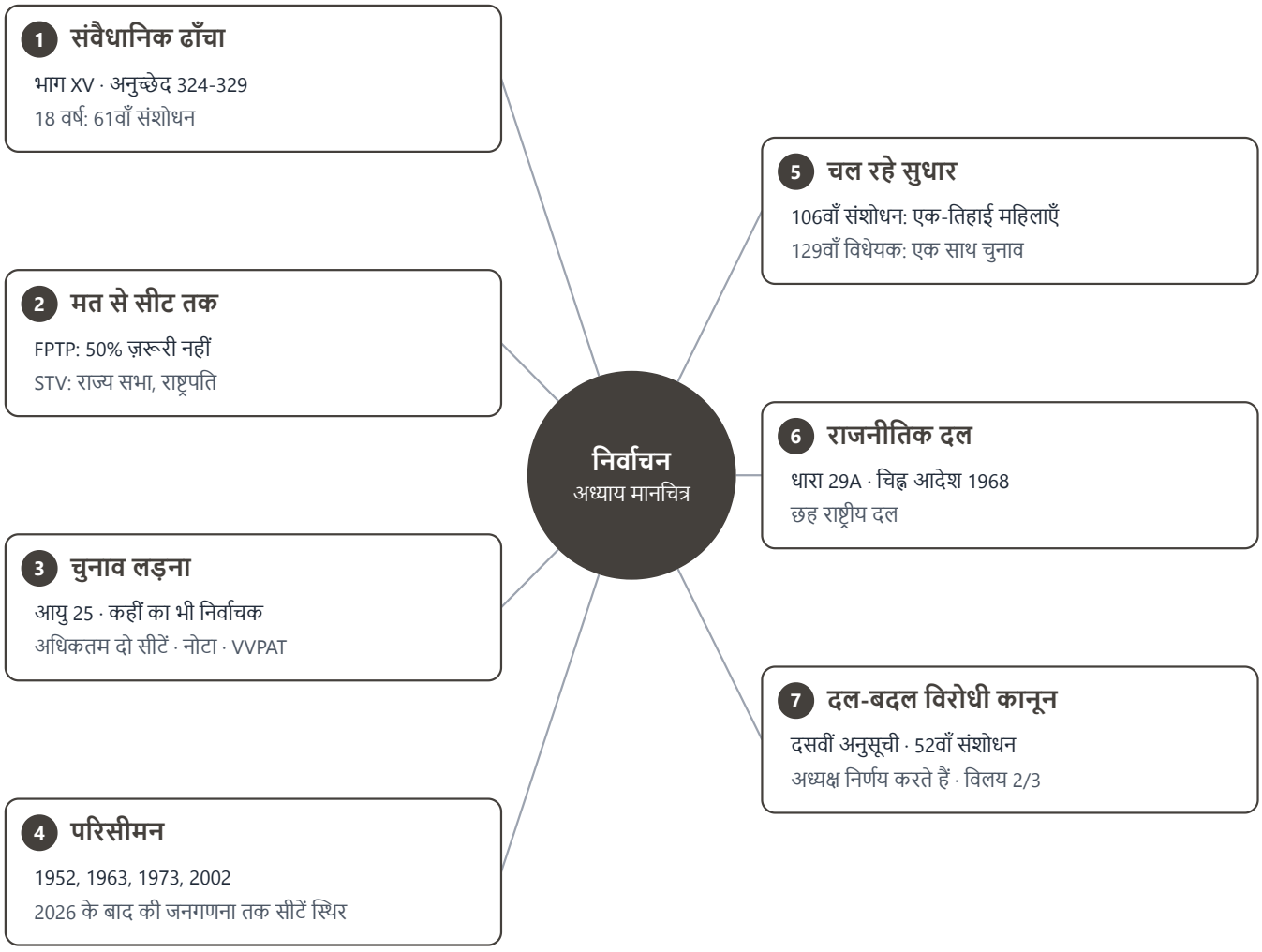

रिवीज़न कार्ड

1. भाग XV, अनुच्छेद 324-329: निर्वाचन आयोग (324), धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को बाहर न करने वाली एक नामावली (325), 18 वर्ष पर वयस्क मताधिकार (326; 61वाँ संशोधन, 1988), निर्वाचन याचिका के सिवा निर्वाचन मामलों में न्यायालयों पर रोक (329)।
2. मताधिकार: अनुच्छेद 326 के अधीन संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं। चुनाव लड़ने का अधिकार: सांविधिक।
3. लोक सभा और विधान सभाएँ: सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, सबसे अधिक मत पाने वाला जीतता है, 50% ज़रूरी नहीं। राज्य सभा, विधान परिषदें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति: एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
4. लोक सभा उम्मीदवार: नागरिक, कम से कम 25 वर्ष, और भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक। राज्य सभा: 30।
5. एक चुनाव में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र (धारा 33(7), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1996 से)। देवी लाल ने 1991 में तीन लोक सभा सीटों से चुनाव लड़ा था।
6. वैध मतों के छठे भाग से कम पर जमानत राशि ज़ब्त। नोटा 2013 से (PUCL मामला)। EVM पहली बार 1982 (परवूर); VVPAT पहली बार 2013 (नोकसेन), 2019 में हर बूथ पर; M3 मशीनें प्रयोग में।
7. चार परिसीमन आयोग: 1952, 1963, 1973, 2002। उनके आदेशों को कानून का बल प्राप्त है, लोक सभा या विधान सभाएँ उन्हें बदल नहीं सकतीं, और लंबे समय तक उन्हें न्यायालय में चुनौती से परे माना गया।
8. प्रत्येक राज्य की सीटें 1971 की जनगणना पर 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर (84वाँ संशोधन, 2001)। जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027।
9. 106वाँ संशोधन 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम): लोक सभा और विधान सभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए, SC/ST महिलाएँ उन्हीं कोटों के भीतर; 16 अप्रैल 2026 से लागू, पर सीटें अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षित होंगी; 15 वर्ष तक। राज्य सभा के लिए नहीं।
10. एक राष्ट्र एक चुनाव: संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक 2024 (अनुच्छेद 82A; अनुच्छेद 83, 172, 327 में संशोधन) संयुक्त संसदीय समिति के पास है; अनुच्छेद 83 और 172 पाँच वर्ष का कार्यकाल तय करते हैं।
11. दल: पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के अधीन; मान्यता चुनाव चिह्न आदेश 1968 के अधीन। छह राष्ट्रीय दल: भाजपा, कांग्रेस, बसपा, माकपा, आप, एनपीपी।
12. स्थापना: कांग्रेस 1885, भाकपा 1925, माकपा 1964, भाजपा 1980, बसपा 1984, तृणमूल कांग्रेस 1998, आप 2012।
13. दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन, 1985): अध्यक्ष या सभापति निर्णय करते हैं, अनुसूची में कोई समय-सीमा नहीं; विलय के लिए दो-तिहाई चाहिए; एक-तिहाई विभाजन की छूट 2003 में हटी (91वाँ); किहोतो होलोहान (1992) न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति देता है।
14. मनोनीत सदस्य सीट ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है; बाद में शामिल होने पर निरर्हता।

संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 324-329

अनु. 326

61वाँ संशोधन

अनु. 329

लो.प्र. अधिनियम 1950 / 1951

निर्वाचन याचिका

संविधान निर्वाचन के केवल सिद्धांत लिखता है: उन्हें कौन कराएगा, कौन मत देगा और विवाद कैसे सुलझेंगे। ब्योरे (नामावली, नामांकन, मतगणना, निरर्हता) संसद पर छोड़े गए, जिसने उन्हें **1950 और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों (Representation of the People Acts)** में लिखा।

★★★ **भाग XV (अनुच्छेद 324-329)**: 324 निर्वाचन आयोग (Election Commission); **325** हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली (Electoral roll), किसी को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा; **326** वयस्क मताधिकार (Adult suffrage); **327** निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति; **328** जहाँ संसद ने कानून नहीं बनाया वहाँ राज्य के निर्वाचनों के लिए राज्य की शक्ति; **329** न्यायालयों पर रोक।

★★★ **अनुच्छेद 326**: अर्हता तिथि को **18 वर्ष या अधिक** आयु का हर नागरिक मत दे सकता है, जब तक वह अयोग्य न हो (अनिवास, विकृतचित्तता, अपराध, भ्रष्ट आचरण)। **61वें संशोधन, 1988** (28 मार्च 1989 से लागू) ने आयु **21 से घटाकर 18** की।

★★★ **मताधिकार (Right to vote)**: अनुच्छेद 326 से निकला **संवैधानिक अधिकार**, मौलिक अधिकार नहीं; इसका प्रयोग कैसे हो (पंजीकरण, अर्हता तिथि) यह लो.प्र. अधिनियम 1950 तय करता है। **चुनाव लड़ने का अधिकार** सांविधिक (Statutory) अधिकार है।

★★ **लो.प्र. अधिनियम 1950**: सीटों का आवंटन, परिसीमन, निर्वाचक नामावली, मतदाताओं की अर्हताएँ। **लो.प्र. अधिनियम 1951**: निर्वाचन का संचालन, सदस्यों की अर्हताएँ और निरर्हताएँ, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन विवाद, दलों का पंजीकरण।

★★ **अनुच्छेद 329**: परिसीमन से जुड़े कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और निर्वाचन को केवल **निर्वाचन याचिका (Election petition)** से चुनौती दी जा सकती है। संसद और विधान सभा के निर्वाचनों की याचिकाएँ **उच्च न्यायालय** में जाती हैं (अपील उच्चतम न्यायालय में); राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद सीधे **उच्चतम न्यायालय** जाते हैं (अनुच्छेद 71)।

★★ **अन्य आधारों पर निरर्हता** (अनुच्छेद 102): **राष्ट्रपति** निर्वाचन आयोग की राय पर निर्णय करते हैं, जो उन पर बाध्यकारी है (अनुच्छेद 103); विधायकों के लिए राज्यपाल (अनुच्छेद 192)।

★★ **दोषसिद्धि**: **2 वर्ष या अधिक** की सज़ा पाया विधायक दोषसिद्धि की तिथि से और रिहाई के 6 वर्ष बाद तक अयोग्य रहता है (धारा 8, लो.प्र. अधिनियम 1951)। **लिली थॉमस (Lily Thomas, 2013)** ने धारा 8(4) रद्द की, जो अपील करने वाले वर्तमान सदस्यों को बचाती थी।

★ **पहला आम चुनाव**: 25 अक्टूबर 1951 से 21 फ़रवरी 1952, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन (Sukumar Sen) के अधीन; 489 लोक सभा सीटें।

संविधान का भाग XV: छह अनुच्छेदों में निर्वाचन

अनु. 324	निर्वाचन आयोग: अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण
अनु. 325	हर निर्वाचन क्षेत्र की एक नामावली; धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर बहिष्कार नहीं
अनु. 326	वयस्क मताधिकार: 18 वर्ष या अधिक का हर नागरिक, जब तक अयोग्य न हो
अनु. 327	संसद निर्वाचन कानून बनाती है (नामावली, परिसीमन, मतदान)
अनु. 328	राज्य विधानमंडल राज्य के निर्वाचनों के लिए कानून बना सकता है, जहाँ संसद ने न बनाया हो
अनु. 329	न्यायालयों पर रोक: निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका से चुनौती

भाग XV छह पंक्तियों में: अंपायर, नामावली, मतदाता, दो कानून-निर्माताओं और न्यायालयों के लिए एक-एक अनुच्छेद।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'मताधिकार मौलिक अधिकार है' या 'प्राकृतिक अधिकार है': नहीं। यह **अनुच्छेद 326** से आता है, इसलिए यह संवैधानिक अधिकार है, जिसे कानून नियंत्रित करता है।

☑ झटपट जाँच

1. किस संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की?
2. लोक सभा सीट की निर्वाचन याचिका कहाँ दायर होती है?

उत्तर: 1. 61वाँ संशोधन, 1988 · 2. उच्च न्यायालय में

मत से सीट तक: सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत

FPTP

50% का नियम नहीं

एकल संक्रमणीय मत

उपाध्यक्ष

84 SC / 47 ST

भारत लोक सभा और विधान सभाओं का चुनाव **सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली (First past the post, FPTP)** से करता है: हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सीट, और जिसे सबसे अधिक मत मिलें वह जीतता है, भले ही उसे आधे से बहुत कम मत मिलें। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में **एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation by single transferable vote, STV)** होता है, जहाँ मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम देते हैं और अधिशेष मत क्रम में नीचे जाते हैं।

★★★ **FPTP**: लोक सभा और राज्य विधान सभाएँ। **50% का कोई नियम नहीं**: 38% पाने वाला उम्मीदवार 34%, 20% और 8% वाले तीन प्रतिद्वंद्वियों को हरा देता है।

★★★ **STV**: **राज्य सभा** (निर्वाचित विधायक मत देते हैं), **विधान परिषदें**, **राष्ट्रपति** और **उपराष्ट्रपति**।

★★ **राज्य सभा** के मत **खुले मतपत्र** से डाले जाते हैं (2003 से): दल का विधायक अपना मत दल के अभिकर्ता को दिखाता है।

★★ **लाभ और हानि**: FPTP स्थिर बहुमत और स्थानीय प्रतिनिधि देती है, पर सीटें मतों के हिस्से से मेल नहीं खातीं; आनुपातिक प्रतिनिधित्व हिस्से से मेल खाता है, पर सदन को बाँट देता है।

★★★ **उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)**: अनुच्छेद 93 केवल इतना कहता है कि सदन एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देना एक **परिपाटी (Convention)** है, नियम नहीं; 17वीं लोक सभा (2019-24) में कोई उपाध्यक्ष था ही नहीं।

★★ लोक सभा में **आरक्षित सीटें** (अनुच्छेद 330): 2008 के परिसीमन से **84 अनुसूचित जातियों के लिए**, **47 अनुसूचित जनजातियों के लिए**।

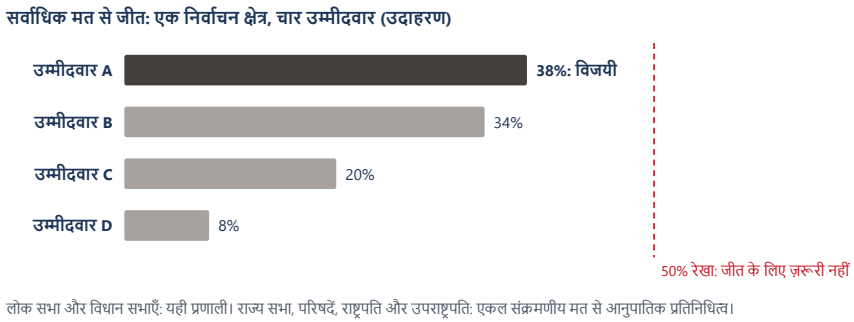

एक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत से जीत (उदाहरण के आँकड़े, पट्टियाँ पैमाने पर): A 38% से जीतता है, धराशायी 50% रेखा से काफ़ी नीचे।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का कम से कम 50% मिलना चाहिए' और 'संविधान उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देता है' दोनों असत्य हैं।

☑ झटपट जाँच

1. क्या लोक सभा के विजेता को 50% मत चाहिए?
2. एकल संक्रमणीय मत से होने वाले दो निर्वाचन बताइए।

उत्तर: 1. नहीं: सबसे अधिक मत वाला जीतता है (FPTP) · 2. कोई दो: राज्य सभा, विधान परिषदें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

चुनाव लड़ना और मत देना: उम्मीदवार, जमानत राशि, नोटा और मशीनें

कहीं का भी निर्वाचक
धारा 33(7)
छठा भाग
नोटा 2013
VVPAT

उम्मीदवारों के नियम दो बातें साधते हैं: मुकाबला हर नागरिक के लिए खुला रहे, और बेमतलब या चाल चलने वाले उम्मीदवार रुकें। जमानत राशि, एक व्यक्ति कितनी सीटें लड़ सकता है इसकी सीमा, और खर्च की सीमा यही करती हैं। मशीनें और कागज़ी पर्ची मतगणना की रक्षा करती हैं।

★★★ **लोक सभा उम्मीदवार**: नागरिक, कम से कम **25** वर्ष, और भारत के **किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक** (धारा 4, लो.प्र. अधिनियम 1951)। उसका उसी सीट में रहना या उसका मतदाता होना ज़रूरी नहीं जहाँ से वह लड़ रहा है। आरक्षित सीट के लिए SC या ST उम्मीदवार चाहिए।

★★ **राज्य सभा**: कम से कम **30** वर्ष और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक; उसी राज्य का मतदाता होने की शर्त **2003** में हटी (कुलदीप नैयर मामले, 2006 में सही ठहराई गई)। **विधान सभा**: 25 वर्ष और उसी राज्य का निर्वाचक; **विधान परिषद**: 30।

★★ **प्रस्तावक**: मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार को **एक** चाहिए; दूसरों को निर्वाचन क्षेत्र के **दस** निर्वाचक (या निर्वाचकों का दसवाँ भाग, यदि वह कम हो)।

★★★ **जमानत राशि (Security deposit)**: लोक सभा **₹25,000** (SC/ST ₹12,500); विधान सभा ₹10,000 (₹5,000)। यदि उम्मीदवार वैध मतों के **छठे भाग** से कम पाए, तो यह **ज़ब्त** हो जाती है।

★★★ **दो सीटों की सीमा**: **1996** से लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा **33(7)** किसी व्यक्ति को एक आम चुनाव या उप-चुनावों के एक दौर में **अधिकतम दो** निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने देती है। इससे पहले कोई सीमा नहीं थी: **देवी लाल (Devi Lal)** ने **1991** में **तीन** लोक सभा सीटों से चुनाव लड़ा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि विजेता या उसका दल अपने कारण हुए उप-चुनाव का खर्च दे।

★★ **खर्च की सीमा** (2022): बड़े राज्यों में लोक सभा **₹95 लाख** (छोटे राज्यों में ₹75 लाख); विधान सभा ₹40 लाख (₹28 लाख)। दल कितना खर्च करे, इसकी कोई सीमा नहीं।

★★ **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)**: कानून नहीं; दलों की सहमति से बने दिशानिर्देश (पहली बार केरल में, 1960), जिन्हें निर्वाचन आयोग कार्यक्रम की घोषणा से परिणाम तक लागू करता है।

★★★ **नोटा (NOTA)**: **PUCL बनाम भारत संघ (सितंबर 2013)** के बाद जोड़ा गया; पहली बार 2013 के अंत के विधान सभा चुनावों में प्रयोग; इसका चिह्न (2015) NID, अहमदाबाद ने बनाया। यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलें, तब भी सबसे अधिक मत वाला उम्मीदवार ही जीतता है।

★★★ **EVM**: पहली बार **परवूर (Paravur)** (केरल) उप-चुनाव, **1982** में प्रयोग; लो.प्र. अधिनियम की धारा 61A (1989) से वैध; **2004** से हर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग; BEL और ECIL इन्हें बनाते हैं।

★★★ **VVPAT** (कागज़ की पर्ची जिसे मतदाता 7 सेकंड तक देखता है): पहली बार **नोकसेन (Noksen)** (नागालैंड) उप-चुनाव, **2013** में; **2019** के लोक सभा चुनाव से हर बूथ पर। EVM और VVPAT की **M3** पीढ़ी प्रयोग में है।

★★ **अमिट स्याही**: इसमें **सिल्वर नाइट्रेट** होता है; इसे **मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड** बनाती है; यह **बाएँ हाथ की तर्जनी** पर लगाई जाती है ताकि कोई दो बार मत न दे।

★★ **चुनावी बॉन्ड (Electoral bonds)** (2018 की योजना) को **15 फ़रवरी 2024** को सर्वसम्मति से रद्द किया गया (ADR बनाम भारत संघ), क्योंकि वे मतदाताओं के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन करते थे।

★ निर्वाचक नामावली का **विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)**: 2025 में बिहार में हुआ, फिर चरणों में अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों तक बढ़ाया गया; आयोग घर-घर जाकर हर निर्वाचक की दोबारा जाँच करता है।

दिल्ली, 14 जनवरी 1952, भारत के पहले आम चुनाव के दौरान: मतदान अधिकारी मत डालने से पहले एक मतदाता की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाता है। चित्र: Photo Division, Ministry of Information and Broadcasting, Wikimedia Commons, Public domain

मतदान का तरीका कैसे बदला: 1952 के कागज़ी मतपत्रों से 2019 में हर बूथ पर VVPAT तक। पंक्तियाँ समान दूरी पर हैं, पैमाने पर नहीं।

याद रखें: दो सीटें, छठा भाग: आप दो सीटें लड़ सकते हैं, और जमानत तभी बचती है जब छह में से एक मतदाता ने आपको चुना हो।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक सभा उम्मीदवार को उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी या मतदाता होना चाहिए जहाँ से वह लड़ता है': नहीं, भारत के **किसी भी** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना काफ़ी है। 'कोई कितनी भी सीटें लड़ सकता है': 1996 से असत्य (दो)।

झटपट जाँच

1. एक उम्मीदवार आम चुनाव में अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकता है?
2. वैध मतों के किस हिस्से से कम पर जमानत राशि ज़ब्त होती है?
3. VVPAT पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ?

उत्तर: 1. दो (धारा 33(7), लो.प्र. अधिनियम 1951) · 2. छठा भाग · 3. नोकसेन, नागालैंड, 2013

परिसीमन और सीटों पर रोक

अनु. 82
चार आयोग
आदेश अंतिम
84वाँ संशोधन
जनगणना 2027

जनसंख्या असमान रूप से बढ़ती है, इसलिए हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ (और प्रति राज्य सीटें) फिर से खींची जानी चाहिए, ताकि 'एक व्यक्ति, एक मत' बना रहे। जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को सीटें गँवाने से बचाने के लिए 1976 से प्रति राज्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर **स्थिर (Frozen)** है।

★★ **अनुच्छेद 82** (लोक सभा) और **अनुच्छेद 170** (विधान सभाएँ): हर जनगणना के बाद सीटें उस प्राधिकारी द्वारा पुनः समायोजित होती हैं जिसे संसद कानून से बनाती है।

★★★ **चार परिसीमन आयोग (Delimitation Commissions): 1952, 1963, 1973 और 2002** (1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन अधिनियमों के अधीन)। न्यायमूर्ति **कुलदीप सिंह (Kuldip Singh)** की अध्यक्षता वाले 2002 के आयोग ने 2001 की जनगणना पर सीमाएँ फिर खींचीं; इसका आदेश 2008 में लागू हुआ।

★★ **कौन सदस्य होते हैं**: राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं; उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होता है; मुख्य निर्वाचन आयुक्त (या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त) और राज्य निर्वाचन आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं।

★★★ **आदेश अंतिम हैं**: राजपत्र में प्रकाशित होने पर उन्हें **कानून का बल** मिलता है; लोक सभा या विधान सभा के सामने रखे जाने पर सदन उन्हें **बदल नहीं सकता**, और अनुच्छेद 329 सामान्य न्यायिक चुनौती पर रोक लगाता है (मेघराज कोठारी मामला)।

★★ **सीमित पुनर्विलोकन**: **किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ (जुलाई 2024)** में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परिसीमन आदेश पूरी तरह न्यायिक जाँच से मुक्त नहीं है; यदि वह **स्पष्ट रूप से मनमाना** हो, तो न्यायालय दखल दे सकता है।

★★★ **रोक (Freeze)**: **42वें संशोधन (1976)** ने प्रति राज्य सीटें 1971 की जनगणना पर 2000 तक स्थिर कीं; **84वें संशोधन (2001)** ने इसे **2026 के बाद की पहली जनगणना** तक बढ़ाया; **87वें संशोधन (2003)** ने सीटों की संख्या बदले बिना 2001 की जनगणना पर सीमाएँ फिर खींचने दीं।

★★ **जनगणना 2027**: संदर्भ तिथि **1 मार्च 2027** (लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ़ से घिरे क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026); मकान-सूचीकरण अप्रैल 2026 से चला। इसके आँकड़े प्रकाशित होने के बाद नया परिसीमन हो सकता है।

★ **जम्मू और कश्मीर**: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अधीन एक अलग आयोग (न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, 2020-22) ने 90 विधान सभा सीटें तय कीं। इसे चार राष्ट्रीय परिसीमन आयोगों में नहीं गिना जाता।

परिसीमन और सीटों पर रोक (दूरी पैमाने पर नहीं)

चार आयोग और दो रोकें, वर्ष के क्रम में। पंक्तियाँ समान दूरी पर हैं, पैमाने पर नहीं।

याद रखें: 52, 63, 73, 02: 1951, 1961, 1971 और 2001 की हर जनगणना के लगभग एक-दो वर्ष बाद एक आयोग, और रोक के कारण 1981 या 1991 के लिए कोई नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोक सभा अपने सामने रखे गए परिसीमन आयोग के आदेश को बदल सकती है' असत्य है। 'सीटों पर रोक 2024 या 2027 तक' असत्य है: यह **2026 के बाद की पहली जनगणना** तक है।

झटपट जाँच

1. कितने परिसीमन आयोग बने, और किन वर्षों में?
2. प्रति राज्य सीटें कब तक स्थिर हैं?

उत्तर: 1. चार: 1952, 1963, 1973, 2002 · 2. 2026 के बाद की पहली जनगणना तक (84वाँ संशोधन)

चल रहे सुधार: महिला आरक्षण और एक साथ चुनाव

106वाँ संशोधन
15 वर्ष
अनु. 334A
कोविंद समिति
129वाँ विधेयक

दोनों सुधार सीटों और कार्यकाल के काम करने का ढंग बदलते हैं, इसलिए दोनों किसी अगले कदम की प्रतीक्षा में हैं। महिला आरक्षण कानून बन चुका है, पर जनगणना और परिसीमन के बाद ही चालू होगा; एक साथ चुनाव के लिए अभी संसद को संविधान संशोधन पारित करना है।

★★★ **106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)**: **लोक सभा**, **राज्य विधान सभाओं** और **दिल्ली विधान सभा** में **एक-तिहाई** सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिनमें **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिए आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है (नए अनुच्छेद 330A, 332A; अनुच्छेद 239AA में संशोधन)।

★★★ **कब से**: अधिनियम **16 अप्रैल 2026** को लागू किया गया, पर सीटें उस तिथि के बाद हुई पहली जनगणना, यानी जनगणना 2027, पर आधारित **परिसीमन** के बाद ही आरक्षित होंगी (अनुच्छेद 334A); इसलिए 18वीं लोक सभा (2024) से **नहीं**, और अभी कोई सीट आरक्षित नहीं है। यह **15 वर्ष** चलेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है; हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बदलती रहेंगी।

★★ **संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026**: लोक सभा को **850** सीटों तक बढ़ाता और 2029 से नए परिसीमन के ज़रिए महिला आरक्षण लाता; लोक सभा में **17 अप्रैल 2026** को **गिर गया** (पक्ष में 298, विपक्ष में 230, आवश्यक दो-तिहाई से कम)।

★★ **शामिल नहीं**: राज्य सभा और राज्य विधान परिषदें; OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं है।

★ **पारित होना**: लोक सभा 20 सितंबर 2023, राज्य सभा 21 सितंबर, अनुमति 28 सितंबर 2023; नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक।

★★ **एक साथ चुनाव (Simultaneous elections)** 1951-52 से 1967 तक सामान्य बात थे; समय से पहले विघटन ने यह चक्र तोड़ा।

★★ **कोविंद समिति** (पूर्व राष्ट्रपति **राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind)** की उच्च-स्तरीय समिति, सितंबर 2023 में बनी, रिपोर्ट मार्च 2024): पहले लोक सभा और विधान सभा चुनाव एक साथ, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय।

★★★ **संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024**: 17 दिसंबर 2024 को लोक सभा में पेश; **अनुच्छेद 82A** जोड़ता है और **अनुच्छेद 83** (लोक सभा का कार्यकाल), **172** (विधान सभा का कार्यकाल) और **327** में संशोधन करता है। इसे **संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee)** को भेजा गया, जिसका कार्यकाल 2026 में बढ़ाया गया; **नवंबर 2026 तक** यह कानून नहीं बना है।

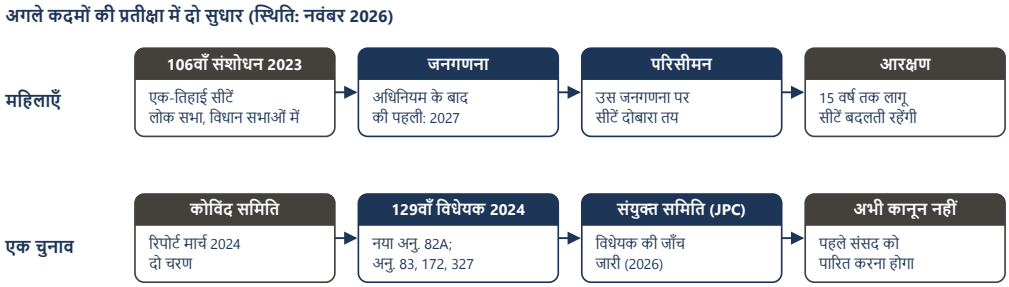

दो सुधार, हर एक कदमों की श्रृंखला: महिला कोटा जनगणना और परिसीमन की प्रतीक्षा में है; एक साथ चुनाव के लिए विधेयक का पारित होना ज़रूरी है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'महिला आरक्षण 18वीं लोक सभा से लागू है' असत्य है (इसके लिए नया परिसीमन चाहिए)। 'एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए केवल अनुच्छेद 83 बदलना होगा' असत्य है: अनुच्छेद **83 और 172** दोनों पाँच वर्ष का कार्यकाल तय करते हैं, इसलिए एक से अधिक अनुच्छेद बदलेंगे।

☑ झटपट जाँच

1. 106वें संशोधन के अधीन महिला आरक्षण कितने समय चलेगा?
2. कौन-से दो अनुच्छेद वह पाँच वर्ष का कार्यकाल तय करते हैं जिसे एक साथ चुनाव के लिए बदलना होगा?

उत्तर: 1. 15 वर्ष (संसद बढ़ा सकती है) · 2. अनुच्छेद 83 (लोक सभा) और अनुच्छेद 172 (विधान सभाएँ)

राजनीतिक दल: पंजीकरण और मान्यता

धारा 29A

चिह्न आदेश 1968

राष्ट्रीय दल

मूल संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं था। दल पहले निर्वाचन आयोग में **पंजीकृत (Registered)** होता है; उसे राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में **मान्यता (Recognition)** तभी मिलती है जब वह मतों या सीटों में वास्तविक समर्थन दिखाए। मान्यता से आरक्षित चुनाव चिह्न और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं।

राज्य दल

छह राष्ट्रीय दल

★★★ **संविधान में**: 'राजनीतिक दल' शब्द **52वें संशोधन, 1985** (दसवीं अनुसूची) से आया।

★★ **पंजीकरण**: लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा **29A** (1989 में जोड़ी गई); गठन के **30 दिनों** के भीतर आयोग को आवेदन; दल के संविधान में भारत के संविधान के प्रति और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की शपथ होनी चाहिए। जो पंजीकृत दल मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वे 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल' कहलाते हैं।

★★★ **हर मान्यता प्राप्त दल पहले पंजीकृत दल होता है**। मान्यता **चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols (Reservation and Allotment) Order)** के अधीन मिलती है, जो आयोग का आदेश है, अधिनियम नहीं।

★★★ **राष्ट्रीय दल** (कोई एक शर्त): लोक सभा या विधान सभा चुनाव में **4 या अधिक राज्यों** में वैध मतों का **6% और साथ में 4 लोक सभा सीटें**; या कम से कम **3 राज्यों** से **लोक सभा की 2% सीटें** (11); या **4 राज्यों में राज्य दल** के रूप में मान्यता।

★★ **राज्य दल** (कोई एक शर्त): विधान सभा चुनाव में 6% मत + 2 सीटें; या राज्य के लोक सभा चुनाव में 6% + 1 लोक सभा सीट; या विधान सभा की 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी अधिक हो; या राज्य की हर 25 लोक सभा सीटों पर 1 सीट; या राज्य में वैध मतों का **8%**।

★★ **लाभ**: दल के लिए आरक्षित चिह्न; दस के बजाय एक प्रस्तावक; सरकारी प्रसारकों पर मुफ़्त समय; निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ।

★★★ **छह राष्ट्रीय दल** (नवंबर 2026 तक): **भाजपा (BJP), कांग्रेस (INC), बसपा (BSP), माकपा (CPI(M)), आप (AAP) और एनपीपी (NPP)**। अप्रैल 2023 में **आप** को राष्ट्रीय दर्जा मिला, जबकि **तृणमूल कांग्रेस (AITC), राकांपा (NCP) और भाकपा (CPI)** का दर्जा छिन गया।

★★★ **आप**: 2012 में स्थापित; 2019 में यह दिल्ली और पंजाब में मान्यता प्राप्त **राज्य दल** था (और हर मान्यता प्राप्त दल की तरह पंजीकृत दल भी); 2023 से राष्ट्रीय दल।

★★★ **स्थापना वर्ष**: कांग्रेस **1885** (बंबई; डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष; ए.ओ. ह्यूम संस्थापक); भाकपा **1925** (कानपुर); माकपा **1964** (भाकपा से अलग होकर); भाजपा **1980**; बसपा **1984** (कांशी राम); तृणमूल कांग्रेस **1998** (ममता बनर्जी); आप **2012**; एनपीपी **2013** (पी.ए. संगमा)।

★★ **विभाजन**: चिह्न आदेश के पैरा 15 के अधीन आयोग तय करता है कि कौन-सा गुट असली मान्यता प्राप्त दल है (कांग्रेस 1969; शिवसेना 2023; राकांपा 2024)।

★ **दबाव समूह** (FICCI, मज़दूर संघ, किसान संगठन) नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, पर दलों के विपरीत सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते।

दलों की श्रेणियाँ ★★

श्रेणी	कैसे	चिह्न
पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त	केवल धारा 29A के अधीन पंजीकृत	मुक्त चिह्नों में से चुनता है
राज्य दल	राज्य की एक शर्त पूरी करता है	उस राज्य में आरक्षित
राष्ट्रीय दल	राष्ट्रीय एक शर्त पूरी करता है	पूरे भारत में आरक्षित

मुख्य दलों के स्थापना वर्ष। भरे बिंदु: नवंबर 2026 तक के राष्ट्रीय दल; खोखले बिंदु: वे दल जिनका राष्ट्रीय दर्जा 2023 में गया।

याद रखें: इसे बढ़ती गिनती की तरह बोलिए: **भाकपा 25, माकपा 64, बसपा 84, TMC 98**। मूल दल अपने विभाजन से पहले आता है, और कांशी राम की बसपा ममता बनर्जी की TMC से पहले।

परीक्षा में सावधान: एक-उत्तर वाले प्रश्न में 'आप (केवल) राज्य दल है / पंजीकृत दल है': 2019 में यह दोनों था, इसलिए उत्तर 'एक से अधिक' था। 'मान्यता के मानदंड लो.प्र. अधिनियम में हैं' असत्य है: वे आयोग के चिह्न आदेश, 1968 में हैं।

झटपट जाँच

1. दलों को राष्ट्रीय या राज्य दल की मान्यता किस आदेश के अधीन मिलती है?
2. छह राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए।
3. भाकपा और माकपा के स्थापना वर्ष?

उत्तर: 1. चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 · 2. भाजपा, कांग्रेस, बसपा, माकपा, आप, एनपीपी · 3. 1925 और 1964

दल-बदल विरोधी कानून: दसवीं अनुसूची

आया राम गया राम

52वाँ संशोधन

विलय 2/3

किहोतो होलोहान

91वाँ संशोधन

1967 में हरियाणा के विधायक **गया लाल (Gaya Lal)** ने एक ही दिन में तीन बार दल बदला, जिससे भारत को **'आया राम गया राम'** मुहावरा मिला। पद के लिए दल बदलने से एक के बाद एक सरकारें गिरीं। **दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)** दल छोड़ने वाले विधायक से उसकी सीट की कीमत वसूलती है।

★★★ **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** ने **दसवीं अनुसूची** जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया; 1 मार्च 1985 से लागू।

★★★ **आधार**: सदस्य (1) **स्वेच्छा से** दल की सदस्यता **छोड़ दे** (आचरण से भी यह दिख सकता है: रवि एस. नाइक, 1994); (2) बिना अनुमति **दल के व्हिप (Whip) के विरुद्ध मत दे या मतदान से दूर रहे**, जब तक दल **15 दिनों** के भीतर उसे माफ़ न कर दे; (3) **निर्दलीय** के रूप में चुने जाने के बाद किसी दल में शामिल हो; (4) **मनोनीत** सदस्य के रूप में सीट ग्रहण करने के **छह महीने बाद** किसी दल में शामिल हो।

★★★ **विलय (Merger) की छूट**: यदि मूल दल किसी दूसरे दल में विलीन हो और उसके विधायक दल के कम से कम **दो-तिहाई** सदस्य सहमत हों, तो निरर्हता नहीं होती।

★★★ **विभाजन की छूट** (एक-तिहाई का अलग होना) **91वें संशोधन, 2003** द्वारा **हटा दी गई**।

★★ **पीठासीन अधिकारी**: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति चुना गया सदस्य दल छोड़ सकता है और पद छोड़ने के बाद बिना निरर्हता के फिर उसमें शामिल हो सकता है।

★★★ **निर्णय कौन करता है**: **अध्यक्ष** (लोक सभा, विधान सभा) या **सभापति** (राज्य सभा, विधान परिषद), न कि राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग। अनुसूची निर्णय के लिए **कोई समय-सीमा** तय नहीं करती।

★★★ **किहोतो होलोहान बनाम ज़चिल्हू (Kihoto Hollohan v Zachillhu, 1992)**: अनुसूची वैध है, पर न्यायालयों पर रोक लगाने वाला **पैरा 7** रद्द किया गया; पीठासीन अधिकारी अधिकरण की तरह काम करता है और उसका निर्णय सीमित आधारों पर **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)** के अधीन है।

★★ **कीशम मेघचंद्र सिंह (2020)**: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यक्षों को दल-बदल याचिकाओं पर सामान्यतः **तीन महीने** के भीतर निर्णय करना चाहिए।

★★ **91वें संशोधन, 2003** ने यह भी किया: अयोग्य ठहराया गया दल-बदलू दोबारा चुने जाने तक मंत्री या लाभ वाला राजनीतिक पद नहीं पा सकता; मंत्रिपरिषद की सीमा लोक सभा या विधान सभा की सदस्य संख्या का **15%** (राज्य में कम से कम 12) तय हुई।

★ **अन्य निरर्हताएँ** (लाभ का पद, विकृतचित्तता, दिवालियापन, दोषसिद्धि) का निर्णय अनुच्छेद 103 और 192 के अधीन निर्वाचन आयोग की राय पर **राष्ट्रपति** (सांसद) या **राज्यपाल** (विधायक) करते हैं।

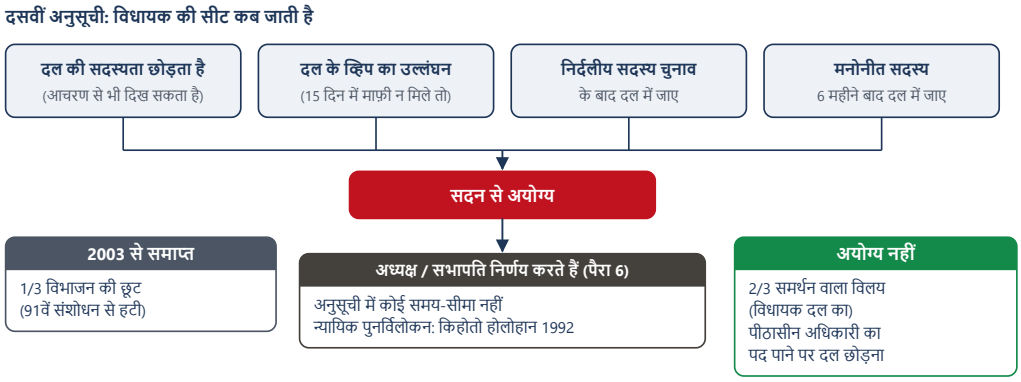

दसवीं अनुसूची एक प्रवाह के रूप में: चार आधार निरर्हता तक ले जाते हैं; अध्यक्ष या सभापति निर्णय करते हैं; दो-तिहाई समर्थन वाला विलय और पीठासीन अधिकारी छूट में हैं।

याद रखें: विलय दो-तिहाई, विभाजन शून्य: 2003 से केवल दो-तिहाई वाला विलय ही समूह को बचाता है। **मनोनीत** सदस्य को दल चुनने के लिए **छह महीने** की खिड़की मिलती है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर दल-बदल मामलों का निर्णय करते हैं': असत्य; **अध्यक्ष या सभापति** करते हैं। 'मनोनीत सदस्य छह महीने के भीतर किसी दल में शामिल नहीं हो सकता': उलटा; वह छह महीने के भीतर **शामिल हो सकता है** और केवल बाद में शामिल होने पर अयोग्य होता है। 'राजनीतिक दल का संविधान में उल्लेख नहीं है': 1985 से असत्य।

☑ झटपट जाँच

1. दल-बदल के आधार पर किसी सांसद की निरर्हता का निर्णय कौन करता है?
2. किस संशोधन ने एक-तिहाई विभाजन की छूट हटाई?
3. किस मामले ने न्यायालयों को अध्यक्ष के दल-बदल निर्णयों के पुनर्विलोकन की अनुमति दी?

उत्तर: 1. उस सदन के अध्यक्ष या सभापति · 2. 91वाँ संशोधन, 2003 · 3. किहोतो होलोहान बनाम ज़चिल्हू, 1992

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (16)

UPSC 2012 परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोक सभा अथवा राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों. परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त है और उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने समक्ष रखे गए परिसीमन आदेशों में संशोधन नहीं कर सकती

UPSC 2014 भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनुसूची में दल-बदल विरोध विषयक उपबन्ध हैं?
(a) दूसरी अनुसूची (b) पाँचवीं अनुसूची (c) आठवीं अनुसूची (d) दसवीं अनुसूची
उत्तर: (d) दसवीं अनुसूची. 1985 में जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून है

UPSC 2017 लोक सभा के निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र
(a) भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है ।
(b) जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है ।
(c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है ।
(d) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है ।
उत्तर: (c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची में है, दाखिल किया जा सकता है ।. लोकसभा का उम्मीदवार किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए

UPSC 2017 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए, किए गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतिशत पाना अनिवार्य है ।
2. भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोक सभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. लोक सभा और विधानसभा चुनाव 'सर्वाधिक मत से जीत' प्रणाली से होते हैं: सबसे अधिक मत पाने वाला जीतता है; संविधान उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के लिए आरक्षित नहीं करता

UPSC 2017 भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार
(a) मूल अधिकार है (b) नैसर्गिक अधिकार है (c) संवैधानिक अधिकार है (d) विधिक अधिकार है
उत्तर: (c) संवैधानिक अधिकार है. अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का प्रावधान करता है; मताधिकार मौलिक अधिकार नहीं है

UPSC 2021 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोक सभा चुनाव में तीन निर्वाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।
2. 1991 के लोक सभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
3. वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोक सभा चुनाव में कई निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिए, जिन्हें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से विजयी हुआ हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) 2 और 3
आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में यह प्रश्न हटा दिया (अंक नहीं दिए गए)।

UPSC 2022 भारत में दल-बदल विरोधी कानून के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के छह मास के अन्दर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता ।
2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अन्दर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामला विनिश्चित करना होता है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. मनोनीत सदस्य छह माह के बाद किसी दल में शामिल होने पर ही अयोग्य होता है; दसवीं अनुसूची पीठासीन अधिकारी के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करती

UPSC 2024 दिसम्बर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं ?
(a) एक (b) दो (c) तीन (d) चार
उत्तर: (d) चार. परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित हुए; अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है

UPSC 2024 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. ये उपबंध 18वीं लोक सभा से प्रभावी होंगे ।
2. अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा ।
3. इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3
उत्तर: (c) केवल 2 और 3. 106वाँ संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है; महिला आरक्षण अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा; महिला आरक्षण 15 वर्ष के लिए है और SC व ST कोटे के भीतर उनकी महिलाओं को भी शामिल करता है

UPSC 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोक सभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद् की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
II. भारत के संविधान में शब्द 'राजनीतिक दल' का कोई उल्लेख नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल I (b) केवल II (c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II
उत्तर: (d) न तो I और न ही II. दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल से निरर्हता का निर्णय अध्यक्ष या सभापति करते हैं; 52वें संशोधन (1985) ने संविधान में 'राजनीतिक दल' शब्द जोड़ा; अनुच्छेद 103: अन्य निरर्हताओं का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करते हैं

BPSC 65th आम आदमी पार्टी
(a) राज्य पार्टी है (b) राष्ट्रीय पार्टी है (c) क्षेत्रीय पार्टी है (d) पंजीकृत पार्टी है (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक. हर मान्यता प्राप्त दल पहले निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दल होता है; 2019 तक आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मान्यता प्राप्त राज्य दल थी

BPSC 65th भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है?
(a) M1 (b) Z1 (c) M3 (d) Z3 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) M3. 2019 तक भारत में M3 पीढ़ी की EVM और VVPAT का प्रयोग होता था

BPSC 67th re-exam भारत में यदि 'एक राज्य एक चुनाव' लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी?
(a) अनुच्छेद 246 (b) अनुच्छेद 83 (c) अनुच्छेद 172 (d) अनुच्छेद 356 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक. अनुच्छेद 83(2) लोक सभा का और अनुच्छेद 172 विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष तय करता है; एक साथ चुनाव के लिए अनुच्छेद 83, 172 और संबंधित प्रावधानों में संशोधन चाहिए

BPSC 67th re-exam प्रत्येक राज्य में लोक सभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है?
(a) 2027 (b) 2024 (c) 2025 (d) 2026 (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) 2026. 84वें संशोधन ने राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर कर दी

BPSC 69th सूची-I में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची-II में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए :
सूची-I | सूची-II
(राजनीतिक दल) | (स्थापना के वर्ष)
a. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 1. 1964
b. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 2. 1998
c. बहुजन समाज पार्टी | 3. 1925
d. ऑल इन्डिया तृणमूल काँग्रेस (ए० आइ० टी० सी०) | 4. 1984
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
a b c d
(a) 1 3 4 2 (b) 2 1 4 3 (c) 2 1 3 4 (d) 3 4 1 2
उत्तर: (a) 1 3 4 2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी; भाकपा (मार्क्सवादी) 1964 में उससे अलग हुई; बहुजन समाज पार्टी 1984 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी

BPSC 70th re-exam भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल-विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गये हैं ?
(a) आठवीं अनुसूची (b) दसवीं अनुसूची (c) द्वितीय अनुसूची (d) पाँचवीं अनुसूची
उत्तर: (b) दसवीं अनुसूची. दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन, 1985) में दल-बदल विरोधी कानून है

स्वयं को परखें (12)

1. आम चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकता है?
(a) एक (b) दो (c) तीन (d) कोई सीमा नहीं

2. किसी उम्मीदवार की जमानत राशि ज़ब्त हो जाती है, यदि उसे मिले मत इससे कम हों:
(a) वैध मतों का दसवाँ भाग (b) वैध मतों का छठा भाग (c) वैध मतों का चौथाई भाग (d) वैध मतों का एक-तिहाई भाग

3. राज्य सभा के किसी सदस्य की दल-बदल के आधार पर निरर्हता का निर्णय कौन करता है?
(a) राष्ट्रपति (b) निर्वाचन आयोग (c) राज्य सभा का सभापति (d) उच्चतम न्यायालय

4. विधायक दल में एक-तिहाई 'विभाजन' को संरक्षण देने वाला उपबंध किसके द्वारा हटाया गया?
(a) 52वाँ संशोधन (b) 61वाँ संशोधन (c) 91वाँ संशोधन (d) 97वाँ संशोधन

5. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई?
(a) 42वाँ संशोधन (b) 44वाँ संशोधन (c) 61वाँ संशोधन (d) 73वाँ संशोधन

6. इनमें से कौन सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली से चुना जाता है?
(a) राज्य सभा के सदस्य (b) राष्ट्रपति (c) लोक सभा के सदस्य (d) उपराष्ट्रपति

7. कोई दल राष्ट्रीय दल बनने का एक तरीका यह है कि उसे कम से कम इतने राज्यों में राज्य दल की मान्यता मिली हो:
(a) दो राज्य (b) तीन राज्य (c) चार राज्य (d) पाँच राज्य

8. 106वें संशोधन के अधीन महिला आरक्षण किस पर लागू नहीं होता?
(a) लोक सभा (b) राज्य विधान सभाएँ (c) दिल्ली विधान सभा (d) राज्य सभा

9. 2002 में गठित चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (b) न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह (c) न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (d) न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दल-बदल के आधार पर निरर्हता पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
2. दसवीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष को दल-बदल याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय करना होता है।
3. जो मनोनीत सदस्य सीट ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, वह अयोग्य हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं।
2. लोक सभा में चुने जाने के लिए उम्मीदवार को डाले गए मतों के 50% से अधिक पाने होंगे।
3. दलों को राष्ट्रीय या राज्य दल की मान्यता चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन मिलती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. किसी दल के 30 में से बारह विधायक एक साथ बाहर निकलकर नए दल की घोषणा करते हैं; उनका मूल दल किसी दूसरे दल में विलीन नहीं हुआ है। निरर्हता याचिका अध्यक्ष के पास पहुँचती है। दसवीं अनुसूची के अधीन क्या होगा?
(a) वे सुरक्षित हैं, क्योंकि एक-तिहाई से अधिक सदस्य एक साथ निकले (b) यदि निर्वाचन आयोग उनके नए दल को मान्यता दे, तो वे सुरक्षित हैं
(c) वे अयोग्य ठहराए जा सकते हैं; केवल दो-तिहाई वाला विलय सुरक्षित है (d) राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय पर याचिका का निर्णय करते हैं

उत्तर: 1. (b) 1996 में जोड़ी गई लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा 33(7) इसे दो तक सीमित करती है। · 2. (b) जमानत राशि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को लौटाई जाती है जो वैध मतों का कम से कम छठा भाग पाते हैं। · 3. (c) दसवीं अनुसूची का पैरा 6 यह निर्णय सभापति (लोक सभा में अध्यक्ष) को देता है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। · 4. (c) 91वें संशोधन (2003) ने विभाजन की छूट हटाई; अब केवल दो-तिहाई वाला विलय बचता है। · 5. (c) 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया; यह 1989 में लागू हुआ। · 6. (c) लोक सभा और विधान सभाएँ FPTP अपनाती हैं; अन्य तीन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। · 7. (c) चिह्न आदेश, 1968 के अधीन चार राज्यों में राज्य दल की मान्यता किसी दल को राष्ट्रीय दल बना देती है। · 8. (d) यह लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा पर लागू है, राज्य सभा या विधान परिषदों पर नहीं। · 9. (b) न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह अध्यक्ष थे; आयोग ने 2001 की जनगणना पर सीमाएँ फिर खींचीं। न्यायमूर्ति देसाई अलग जम्मू और कश्मीर आयोग की अध्यक्ष थीं। · 10. (b) किहोतो

होलोहान (1992) न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति देता है; अनुसूची स्वयं कोई समय-सीमा तय नहीं करती (तीन महीने न्यायालय की 2020 की सलाह है), और मनोनीत सदस्य केवल छह महीने बाद शामिल होने पर अयोग्य होता है। · 11. (b) कथन 1 और 3 सही हैं; सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली में सबसे अधिक मत वाला जीतता है, इसलिए 50% का कोई नियम नहीं है। · 12. (c) 91वें संशोधन (2003) ने एक-तिहाई विभाजन की छूट हटा दी, इसलिए केवल दो-तिहाई समर्थन वाला विलय बचता है; निर्णय राज्यपाल नहीं, अध्यक्ष करते हैं।

अध्याय 21

शासन: सिविल सेवाएँ, अधिकार-आधारित कानून, पुलिस और न्याय

संघ की सिविल सेवा का प्रमुख कौन है, विभाजित प्रणाली, RTI की समय-सीमाएँ, वन अधिकार अधिनियम और ग्राम सभा, उपभोक्ता आयोग, दिव्यांगता कानून, हिरासत, पैरोल, ज़ीरो एफआईआर और MPLADS लगभग हर वर्ष कथन-आधारित प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 20 बार पूछा गया: UPSC 15 · BPSC 5

≈ 1 h 01 min पढ़ने में ≈ 13 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

रिवीज़न कार्ड

1. **कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)** संघ का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक है (महान्यायवादी के साथ रैंक 11); **मुख्य सचिव (Chief Secretary)** राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख है, उसे **मुख्यमंत्री** चुनते हैं और उसका **कोई निश्चित कार्यकाल नहीं** होता।
2. **विभाजित प्रणाली (Split system)**: सचिवालय **नीति** बनाता है; संलग्न और क्षेत्रीय कार्यालय उसे **लागू** करते हैं। नौकरशाही का मूल काम **लोक नीति का क्रियान्वयन** है।
3. **अनुच्छेद 310** प्रसादपर्यंत का सिद्धांत; **अनुच्छेद 311** नियुक्ति करने वाले से निचला प्राधिकारी पदच्युत नहीं कर सकता, और पदच्युति केवल जाँच के बाद; **अनुच्छेद 312** नई अखिल भारतीय सेवा **राज्य सभा के संकल्प (उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई)** से।
4. **RTI अधिनियम 2005**: PIO **30 दिन** में उत्तर देता है (जीवन या स्वतंत्रता के मामले में **48 घंटे**); प्रथम अपील 30 दिन में; द्वितीय अपील CIC/SIC को **90 दिन** में; जुर्माना ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000।
5. **वन अधिकार अधिनियम 2006**: प्रक्रिया **ग्राम सभा** शुरू करती है; नोडल मंत्रालय **जनजातीय कार्य**; **13 दिसंबर 2005** से पहले का कब्ज़ा; अधिकतम **4 हेक्टेयर**।
6. **मनरेगा (MGNREGA, 2005)**, 100 दिन, की जगह **VB-G RAM G अधिनियम 2025** आया: प्रति ग्रामीण परिवार **125 दिन**, **1 जुलाई 2026** से लागू।
7. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019**: जिला आयोग **₹50 लाख** तक, राज्य ₹50 लाख से ₹2 करोड़, राष्ट्रीय **₹2 करोड़** से ऊपर; मृत उपभोक्ता की ओर से उसका विधिक उत्तराधिकारी शिकायत कर सकता है।
8. **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) 2016** (2018 नहीं): **21** दिव्यांगताएँ, **4%** नौकरियाँ, **5%** उच्च शिक्षा; **NDFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्रालय के अधीन है।
9. **आधार निर्णय (2018)**: **भारत की संचित निधि** से दिए जाने वाले लाभों और PAN के लिए अनिवार्य; बैंक खाते, सिम, बीमा या स्कूल प्रवेश के लिए नहीं; अनुबंध के आधार पर निजी उपयोग या डेटा साझा करना नहीं; मेटाडेटा अधिकतम **छह महीने** तक रखा जा सकता है।
10. **पुलिस, लोक व्यवस्था और कारागार राज्य सूची** के विषय हैं; **अनुच्छेद 355** संघ पर राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व डालता है।
11. **न्यायिक हिरासत** = मजिस्ट्रेट के अधीन जेल; पूछताछ के लिए पुलिस को **न्यायालय की अनुमति** चाहिए। **पैरोल** अधिकार नहीं है; राज्य अपने पैरोल नियम स्वयं बनाते हैं।
12. **BNS, BNSS, BSA** ने **1 जुलाई 2024** से IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली; **संज्ञेय** अपराध के लिए **ज़ीरो एफआईआर** किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है।
13. **MPLADS**: प्रति सांसद ₹5 करोड़ प्रति वर्ष, **व्यपगत न होने वाली (non-lapsable)** राशि, कम से कम **15% SC** और **7.5% ST** क्षेत्रों के लिए, केवल टिकाऊ परिसंपत्तियाँ।

संविधान में सिविल सेवाएँ

भाग XIV

अनु. 310 प्रसादपर्यंत

अनु. 311 संरक्षण

अनु. 312 अखिल भारतीय सेवा

अनु. 323A CAT

मंत्री कुछ वर्षों में बदल जाते हैं; सिविल सेवा बनी रहती है। इसलिए संविधान सिविल सेवकों को कुछ सुरक्षा देता है (ताकि वे ईमानदार सलाह दे सकें) और साथ ही उन्हें चुनी हुई सरकार के प्रति उत्तरदायी भी रखता है। एक पंक्ति में इसका काम है: राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई **लोक नीति का क्रियान्वयन (Implementation of public policy)**।

★★ **भाग XIV (अनुच्छेद 308–323)** संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं और लोक सेवा आयोगों से संबंधित है; **भाग XIV-A (अनुच्छेद 323A, 323B)** अधिकरणों (Tribunals) से संबंधित है, जिसे **42वें संशोधन (1976)** ने जोड़ा।

★★ **अनुच्छेद 309**: संसद और राज्य विधानमंडल भर्ती और सेवा-शर्तों का विनियमन करते हैं; जब तक वे ऐसा न करें, राष्ट्रपति या राज्यपाल नियम बना सकते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 310 (प्रसादपर्यंत का सिद्धांत, Doctrine of pleasure)**: संघ के सिविल सेवक **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद धारण करते हैं; राज्य के सिविल सेवक **राज्यपाल के प्रसादपर्यंत**।

★★★ **अनुच्छेद 311 के संरक्षण**: **नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ** कोई प्राधिकारी पदच्युत नहीं कर सकता या पद से नहीं हटा सकता, और ऐसी **जाँच** के बिना पदच्युति, हटाना या पदावनति नहीं हो सकती जिसमें अधिकारी को आरोप बताए जाएँ और उसकी सुनवाई हो।

★★ **अनुच्छेद 311 के अपवाद** (जाँच आवश्यक नहीं): आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि; जाँच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक न हो (कारण दर्ज करके); या राष्ट्रपति/राज्यपाल संतुष्ट हो कि **राज्य की सुरक्षा** के हित में जाँच करना उचित नहीं है।

★★★ **अनुच्छेद 312**: यदि **राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से संकल्प पारित करे, तो संसद नई **अखिल भारतीय सेवा (All India Service)** (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बना सकती है। **IAS और IPS** को इसी अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाएँ माना गया है।

★★ **अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम (All India Services Act) 1951** IAS और IPS को नियंत्रित करता है; **भारतीय वन सेवा 1966** में बनी। अधिकारियों की भर्ती केंद्र (UPSC के माध्यम से) करता है और उन्हें राज्य **संवर्गों (Cadres)** में आवंटित करता है; दिन-प्रतिदिन का नियंत्रण राज्य का, अंतिम अनुशासनिक नियंत्रण केंद्र का होता है।

★★ **अनुच्छेद 323A**: सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरण केवल **संसद** बना सकती है। **प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम (Administrative Tribunals Act) 1985** ने 1985 में **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)** बनाया। **एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar, 1997)** के बाद CAT के आदेश के विरुद्ध अपील पहले **उच्च न्यायालय** की खंडपीठ में जाती है, सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं।

★ **अनुच्छेद 323B**: संसद **और** राज्य विधानमंडल कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवाद, भूमि सुधार, चुनाव, खाद्य आपूर्ति और ऐसे ही विषयों के लिए अधिकरण बना सकते हैं।

★ **समूह (Groups)**: केंद्रीय सिविल पद **समूह A** (जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा), **समूह B** और **समूह C** में बँटे हैं। राज्य सेवाओं (राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा) की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करता है।

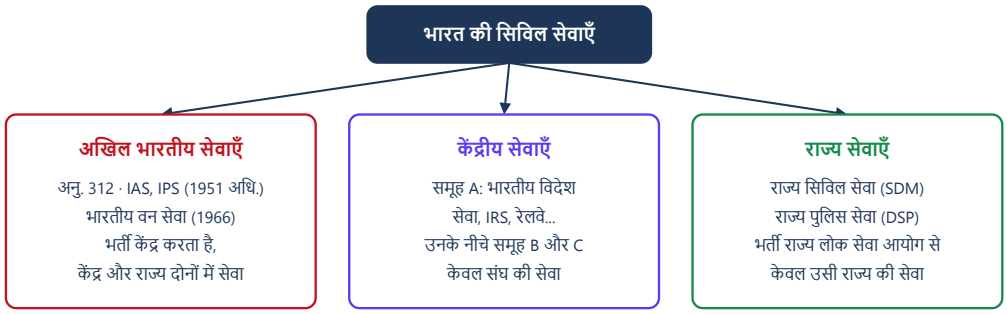

सिविल सेवा के तीन प्रकार। केवल अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्य दोनों की सेवा करती हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'अनुच्छेद 311 केवल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की रक्षा करता है' गलत है: यह संघ या राज्य की **किसी भी सिविल सेवा के हर सदस्य** की रक्षा करता है, और ये संरक्षण सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होते। साथ ही, नई अखिल भारतीय सेवा के लिए **राज्य सभा** का संकल्प चाहिए, लोक सभा का नहीं।

💡 **याद रखें: 309 नियम, 310 प्रसादपर्यंत, 311 कवच, 312 अखिल भारत**: चारों संख्याओं को एक कहानी की तरह पढ़िए: नियम बनते हैं, अधिकारी प्रसादपर्यंत सेवा करता है, मनमानी पदच्युति से कवच पाता है, और उनमें सबसे अच्छे पूरे भारत की सेवा करते हैं।

☑ झटपट जाँच

1. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शुरुआत केवल कौन-सा सदन कर सकता है, और किस बहुमत से?
2. अनुच्छेद 311 के दो संरक्षण बताइए।
3. अनुच्छेद 323A किस संशोधन ने जोड़ा?

उत्तर: 1. राज्य सभा; उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई (अनुच्छेद 312) · 2. नियुक्ति करने वाले से निचला प्राधिकारी नहीं हटा सकता; हटाना केवल जाँच के बाद · 3. 42वाँ संशोधन, 1976

सरकारी तंत्र कैसे संगठित है

कैबिनेट सचिव

विभाजित प्रणाली

कार्यकाल प्रणाली

मुख्य सचिव

कलेक्टर

पटवारी

केंद्र में **मंत्रालय (Ministry)** का प्रमुख एक मंत्री होता है और उसे सचिव के अधीन एक **विभाग (Department)** चलाता है। **सचिवालय (Secretariat)** सोचता है (नीति, कानून, बजट); **संलग्न (Attached)** और **अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate offices)** करते हैं (क्षेत्र में क्रियान्वयन)। दोनों को अलग रखना **विभाजित प्रणाली (Split system)** कहलाता है।

★★★ **कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)**: संघ का **सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक**, **कैबिनेट सचिवालय** का प्रमुख (सीधे प्रधानमंत्री के अधीन), संघीय मंत्रिमंडल का सचिव और **सिविल सेवा बोर्ड** का अध्यक्ष। पहले पदधारी: **एन. आर. पिल्लै (N. R. Pillai, 1950)**।

★★ **नवंबर 2026 की स्थिति में**: **टी. वी. सोमनाथन (T. V. Somanathan) 30 अगस्त 2024** से कैबिनेट सचिव हैं; अगस्त 2026 में उनका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया।

★★★ **विभाजित प्रणाली**: नीति-निर्माण (सचिवालय) को नीति-क्रियान्वयन (कार्यकारी एजेंसियाँ: निदेशालय, संलग्न और क्षेत्रीय कार्यालय) से अलग रखा जाता है।

★★ **कार्यकाल प्रणाली (Tenure system)**: राज्यों के अधिकारी **निश्चित अवधि** के लिए केंद्र में सेवा करते हैं और फिर लौट जाते हैं (आज केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन)। इसकी शुरुआत **लॉर्ड कर्ज़न (Lord Curzon, 1905)** से मानी जाती है।

★★ **सचिवालय के पद** (वरिष्ठ से कनिष्ठ): सचिव → अपर सचिव → संयुक्त सचिव → निदेशक → उप सचिव → अवर सचिव → अनुभाग अधिकारी।

★★★ **मुख्य सचिव (Chief Secretary)**: राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख और राज्य मंत्रिमंडल का सचिव। इसे **मुख्यमंत्री** चुनते हैं (औपचारिक नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्यपाल नहीं); **कोई निश्चित कार्यकाल नहीं**।

★★ **जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट (District Collector / District Magistrate)**: IAS अधिकारी जो जिले में राजस्व, कानून-व्यवस्था और विकास-समन्वय का प्रमुख होता है। नीचे: **SDM** (उपखंड), **तहसीलदार** (तहसील), **कानूनगो** (राजस्व निरीक्षक)।

★★★ **पटवारी (Patwari)** (उत्तर प्रदेश में **लेखपाल**, गुजरात और महाराष्ट्र में **तलाटी**) **गाँव का भू-अभिलेख अधिकारी** है: अधिकार-अभिलेख, फसल और नामांतरण (Mutation) का रिकॉर्ड रखता है। **लंबरदार** गाँव का मुखिया था जो भू-राजस्व वसूलता था; **जैलदार** पंजाब में गाँवों के एक समूह का प्रमुख था।

★★ **खंड विकास अधिकारी (BDO)** खंड स्तर पर विकास का समन्वय करता है; यह पद **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)** के साथ बना।

★★ **अधिमान्यता क्रम (Table of Precedence)** (औपचारिक क्रम): राष्ट्रपति 1, उपराष्ट्रपति 2, प्रधानमंत्री 3; **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9**; रैंक **9A UPSC के अध्यक्ष** (पहले सूचीबद्ध), **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** और **CAG** साझा करते हैं; **महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव 11**; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश **14** (अपने राज्य में)। इनमें 'पहले कौन आता है' पूछा जाए तो उत्तर **UPSC अध्यक्ष** है, जो 9A प्रविष्टि का पहला नाम है।

भरा हुआ बॉक्स: राजनीतिक प्रमुख। तीर वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर हैं।

केंद्र, राज्य और जिले में आदेश की श्रृंखलाएँ। कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव शीर्ष सिविल सेवक हैं।

नई दिल्ली में रायसीना हिल पर नॉर्थ ब्लॉक: केंद्रीय सचिवालय का भाग, विभाजित प्रणाली का नीति वाला छोर। चित्र: Kuldeep Maruvada, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उसका कार्यकाल निश्चित है': **दोनों गलत**। इसकी तुलना **DGP** से कीजिए, जिसे प्रकाश सिंह निर्देशों के अधीन **कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल** मिलता है।

👁 **आसपास देखें:** अपना भू-अभिलेख ठीक कराने के लिए आप **पटवारी** के पास जाते हैं; नामांतरण विवाद में ऊपर **तहसीलदार**, फिर **SDM**, फिर **कलेक्टर** तक जाते हैं: व्यवहार में यही राजस्व की सीढ़ी है।

☑ झटपट जाँच

1. संघ का सबसे ऊँचा सिविल सेवक कौन है?
2. 'विभाजित प्रणाली' किसे किससे अलग करती है?
3. गाँव के भू-अभिलेख कौन रखता है?

उत्तर: 1. कैबिनेट सचिव · 2. नीति-निर्माण (सचिवालय) को क्रियान्वयन (कार्यकारी एजेंसियाँ) से · 3. पटवारी (लेखपाल / तलाटी)

सिविल सेवाओं का इतिहास और सुधार

मैकाले 1854

ली आयोग

UPSC 1950

ARC 1966

कार्मिक विभाग 1970

मिशन कर्मयोगी

अंग्रेज़ों ने 1850 के दशक में संरक्षण (Patronage) की जगह **खुली प्रतियोगिता** अपनाई; भारतीयों ने पदों में उचित हिस्से और भारत में परीक्षा के लिए दशकों संघर्ष किया। 1947 के बाद सेवाएँ बनी रहीं, उनका भारतीयकरण हुआ और आयोगों के माध्यम से बार-बार सुधार हुए।

★★ **मैकाले समिति (Macaulay Committee, 1854)** ने **खुली प्रतियोगी परीक्षा** से प्रवेश की सिफारिश की; पहली परीक्षा **1855 में लंदन** में हुई।

★★ **सत्येंद्रनाथ टैगोर (Satyendranath Tagore)** ICS में सफल होने वाले पहले भारतीय बने (**1863**)।

★ **एचिसन आयोग (Aitchison Commission, 1886)** ने लोक सेवाओं की समीक्षा की; इसके बाद **इस्लिंगटन आयोग (Islington Commission, 1912)** आया।

★★ **ली आयोग (Lee Commission, 1924)** ने **लोक सेवा आयोग** की सिफारिश की, जो **1 अक्टूबर 1926** को बना; भारत शासन अधिनियम 1935 ने इसे **संघीय लोक सेवा आयोग** बनाया, जो **26 जनवरी 1950** को **UPSC** बन गया।

★★ **सरदार वल्लभभाई पटेल** ने एकीकृत अखिल भारतीय सेवा बनाए रखने का पक्ष लिया और उन्हें इसका जनक कहा जाता है। **सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल** है, वह दिन जब 1947 में उन्होंने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में पहले परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया।

★★ **एन. गोपालस्वामी आयंगर रिपोर्ट (N. Gopalaswamy Ayyangar, 1949)** केंद्र सरकार के तंत्र के पुनर्गठन से संबंधित थी: **मंत्रालयों का समूहन** और सचिवालय का बेहतर कामकाज। इसने केवल प्रशासनिक सुधार के लिए समर्पित एक मंत्री और एक सचिव का सुझाव **नहीं** दिया। **पॉल एपलबी (Paul Appleby)** की रिपोर्टों (1953, 1956) से **O&M प्रभाग (1954)** और **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (1954)** बने।

★★ भ्रष्टाचार पर **संथानम समिति (Santhanam Committee, 1962–64)** से **केंद्रीय सतर्कता आयोग (1964)** बना।

★★★ **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission, 1966)**: अध्यक्ष **मोरारजी देसाई**, बाद में **के. हनुमंतैया**; 20 रिपोर्टें। इसकी सलाह पर **1970** में कैबिनेट सचिवालय में **कार्मिक विभाग** बना, **प्रधानमंत्री** के प्रभार में।

★★ **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (1985)**, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) सहित, **प्रधानमंत्री** के अधीन रहता है।

★★ **कोठारी समिति (Kothari Committee, 1976)** ने तीन-चरणीय सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार) दी, जो **1979** से लागू है। बाद की समीक्षाएँ: सतीश चंद्र (1989), अलघ (2001), होता (2004), बासवान (2016)।

★★★ **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005)**: अध्यक्ष **एम. वीरप्पा मोइली**; **15 रिपोर्टें**, पहली **सूचना के अधिकार** पर।

★ **लेटरल एंट्री (Lateral entry)**: 2018 से संयुक्त सचिव स्तर पर विशेषज्ञों की भर्ती; अगस्त 2024 का UPSC विज्ञापन सरकार के अनुरोध पर वापस ले लिया गया।

★★ **मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi, 2020)**: सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, **iGOT कर्मयोगी** ऑनलाइन मंच और **क्षमता निर्माण आयोग** के साथ।

सिविल सेवाओं के पड़ाव, क्रम में (दूरियाँ पैमाने पर नहीं)। लाल: UPSC का गठन और दोनों प्रशासनिक सुधार आयोग।

याद रखें: ARC-I = 1966, कार्मिक विभाग = 1970: आयोग ने सलाह दी, प्रधानमंत्री का अपना विभाग चार वर्ष बाद आया। **ARC-II = 2005**, RTI का वर्ष, और इसकी पहली रिपोर्ट RTI पर थी।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** कार्मिक विभाग (1970) **प्रथम ARC** से निकला, 1949 की गोपालस्वामी आयंगर रिपोर्ट से नहीं, और इसे **प्रधानमंत्री** के अधीन रखा गया, गृह मंत्री के नहीं। 'गोपालस्वामी आयंगर समिति ने केवल प्रशासनिक सुधार के लिए एक मंत्री और एक सचिव का सुझाव दिया' **गलत** है: उनकी रिपोर्ट मंत्रालयों के समूहन पर थी।

झटपट जाँच

1. दूसरे ARC की अध्यक्षता किसने की, और उसने कितनी रिपोर्टें दीं?
2. कार्मिक विभाग कब और किसकी सलाह पर बना?
3. 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस क्यों है?

उत्तर: 1. एम. वीरप्पा मोइली; 15 · 2. 1970, प्रथम ARC (1966) · 3. पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को पहले परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

PIO 30 दिन
48 घंटे
प्रथम अपील
CIC / SIC
धारा 8
2019 संशोधन

न्यायालयों ने **जानने के अधिकार** को **अनुच्छेद 19(1)(a)** में पढ़ा; **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम** उसे समय-सीमाओं और दंड वाली कार्यप्रणाली में बदलता है। कोई भी नागरिक किसी **लोक प्राधिकरण (Public authority)** से बिना कारण बताए सूचना माँग सकता है; गोपनीयता अपवाद है, नियम नहीं।

★★ **लागू**: **12 अक्टूबर 2005** से पूरी तरह। हर **लोक प्राधिकरण** पर लागू; संविधान या कानून से बने निकाय, और सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण वाले या उससे पर्याप्त वित्त पाने वाले निकाय।

★★★ **समय-सीमाएँ**: **लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer, PIO) 30 दिन** में उत्तर देता है; सूचना किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से जुड़ी हो तो **48 घंटे**; सहायक PIO के माध्यम से आवेदन पर 35 दिन।

★★ **शुल्क**: केंद्रीय आवेदन पर ₹10; **गरीबी रेखा से नीचे** के लोगों के लिए **कोई शुल्क नहीं**। समय पर न दी गई सूचना बाद में निःशुल्क देनी होती है।

★★★ **अपीलें**: प्रथम अपील **30 दिन** में उसी प्राधिकरण में **PIO से वरिष्ठ** अधिकारी को; द्वितीय अपील **90 दिन** में **केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग** को।

★★ **दंड**: बिना युक्तियुक्त कारण के मना करने या देर करने पर आयोग PIO पर **₹250 प्रतिदिन**, अधिकतम **₹25,000** का जुर्माना लगा सकता है।

★★ **धारा 4**: प्राधिकरणों को **मुख्य सूचनाएँ स्वयं प्रकाशित** करनी होती हैं (स्वतः प्रकटीकरण, suo motu disclosure)।

★★ **धारा 8 की छूटों** में संप्रभुता और सुरक्षा, कैबिनेट के कागज़ात (निर्णय होने तक), संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन और **व्यक्तिगत सूचना** शामिल हैं। **14 नवंबर 2025** से (जब **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) 2023** की धारा 44(3) लागू हुई) खंड 8(1)(j) व्यक्तिगत सूचना को पूरी तरह रोकता है; **धारा 8(2)** का सामान्य लोकहित वाला अधिभावी प्रावधान बना हुआ है।

★★ **धारा 24**: दूसरी अनुसूची के सुरक्षा और खुफिया संगठन अधिनियम से बाहर हैं, **सिवाय भ्रष्टाचार** और **मानवाधिकार** उल्लंघन की सूचना के।

★★★ **केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)**: एक **मुख्य सूचना आयुक्त** और अधिकतम **10** सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति **राष्ट्रपति** करते हैं: **प्रधानमंत्री**, **लोक सभा में विपक्ष के नेता** और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** की समिति की सलाह पर।

★★ **RTI (संशोधन) अधिनियम 2019**: अब केंद्र सूचना आयुक्तों (केंद्र और राज्य) का **कार्यकाल और वेतन** तय करता है; 2019 के नियमों ने कार्यकाल **3 वर्ष** (ऊपरी आयु 65) रखा। पहले अधिनियम स्वयं 5 वर्ष तय करता था।

★ **राज्य सूचना आयोग**: नियुक्ति **राज्यपाल** करते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की सलाह पर।

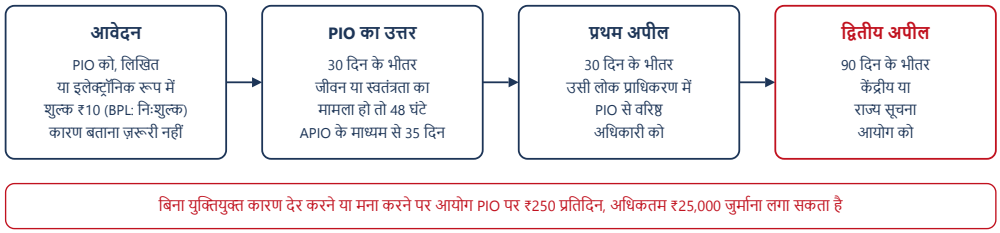

RTI का मार्ग अपनी समय-सीमाओं के साथ। अधिनियम के भीतर सूचना आयोग अंतिम पड़ाव है; उसके बाद केवल रिट याचिका।

याद रखें: 30 · 48 · 30 · 90: उत्तर के लिए तीस दिन, जब जान पर बन आए तो अड़तालीस घंटे, भीतर अपील के लिए तीस दिन, आयोग तक पहुँचने के लिए नब्बे दिन।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** आवेदक को **कारण बताने की ज़रूरत नहीं**। और CIC को ऐसी समिति चुनती है जिसमें **लोक सभा में विपक्ष के नेता** होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं।

झटपट जाँच

1. जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो तो PIO को कितने समय में उत्तर देना होता है?
2. मुख्य सूचना आयुक्त की सिफारिश करने वाली समिति में कौन होते हैं?
3. 2023 के किस कानून ने व्यक्तिगत सूचना की RTI छूट बदली?

उत्तर: 1. 48 घंटे · 2. प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री · 3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023

अधिकार देने वाले कानून: शिक्षा, भोजन, काम, वन भूमि

RTE 2009

NFSA 2013

मनरेगा 2005

VB-G RAM G 2025

अधिकार-आधारित कानून (Rights-based law) किसी कल्याण योजना को कानूनी दावे में बदल देता है: नागरिक उसकी माँग कर सकता है, समय-सीमा होती है, और राज्य के विफल होने पर उपचार होता है। चार बड़े कानून स्कूली शिक्षा, भोजन, ग्रामीण रोज़गार और वन भूमि से जुड़े हैं।

★★★ **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) 2009** (**1 अप्रैल 2010** से लागू) **अनुच्छेद 21A** (86वाँ संशोधन, 2002) को लागू करता है: **6 से 14 वर्ष** के बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

★★ **RTE के विवरण**: निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश कक्षा की **25%** सीटें कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए (राज्य प्रतिपूर्ति करता है); कोई कैपिटेशन फीस नहीं, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं; छात्र-शिक्षक अनुपात **30:1** (प्राथमिक) और **35:1** (उच्च प्राथमिक); विद्यालय प्रबंधन समितियाँ; निगरानी **NCPCR** करता है।

★ **अनुत्तीर्ण न करने की नीति (No-detention)**: **2019 का संशोधन** कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा की और, पुनः परीक्षा के बाद, राज्य के निर्णय पर बच्चे को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति देता है।

★★★ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) 2013**: अधिकतम **75% ग्रामीण** और **50% शहरी** जनसंख्या; प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह **5 kg** अनाज और **अंत्योदय** परिवारों को प्रति परिवार **35 kg**।

★★ **NFSA के विवरण**: **1 जनवरी 2023** से अनाज **निःशुल्क** है (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाई गई); राशन कार्ड के लिए **सबसे बड़ी महिला (18+)** परिवार की मुखिया होती है; गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कम से कम **₹6,000** का मातृत्व लाभ मिलता है।

★★★ **मनरेगा (MGNREGA, 2005)**: हर उस ग्रामीण परिवार को वर्ष में **100 दिन** का गारंटीशुदा मज़दूरी-रोज़गार जिसके वयस्क अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ; पहले **2 फरवरी 2006** से 200 जिलों में, 2008 से सभी ग्रामीण जिलों में; **ग्राम सभा** द्वारा सामाजिक अंकेक्षण; **ग्रामीण विकास** मंत्रालय।

★★★ **VB-G RAM G अधिनियम 2025** (विकसित भारत: रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी; Viksit Bharat: Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)): **18 दिसंबर 2025** को पारित, **21 दिसंबर 2025** को अनुमति, **1 जुलाई 2026** से लागू, मनरेगा के स्थान पर। गारंटी बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार **125 दिन** की गई।

★★ **VB-G RAM G के विवरण**: राज्य बुवाई और कटाई के चरम मौसम में कुल **60 दिन** तक काम रोक सकते हैं; मज़दूरी साप्ताहिक, अधिकतम एक **पखवाड़े** में; लागत **60:40** (केंद्र:राज्य) में साझा, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए **90:10**, विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए **100%** केंद्रीय; माँग-आधारित धन की जगह **मानक (Normative)** (निश्चित) आवंटन; **15 दिन** बाद बेरोज़गारी भत्ता, जो राज्य देता है; कम से कम **छह महीने** में एक बार सामाजिक अंकेक्षण।

★★★ **वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) 2006** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम): व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार तय करने की प्रक्रिया **शुरू** करने वाला प्राधिकारी **ग्राम सभा (Gram Sabha)** है।

★★★ **FRA का नोडल मंत्रालय**: **जनजातीय कार्य** मंत्रालय। दावे ग्राम सभा → **उपखंड स्तरीय समिति** → **जिला स्तरीय समिति** (अंतिम) की ओर जाते हैं; **राज्य स्तरीय निगरानी समिति** देखरेख करती है।

★★ **FRA पात्रता**: **13 दिसंबर 2005** से पहले कब्ज़े वाली वन भूमि; व्यक्तिगत अधिकार-पत्र अधिकतम **4 हेक्टेयर**; अन्य परंपरागत वन निवासियों को **तीन पीढ़ियों (75 वर्ष)** का निवास दिखाना होता है। अधिकार उत्तराधिकार में मिलते हैं पर **हस्तांतरणीय नहीं** हैं; अधिकार-पत्र पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होते हैं।

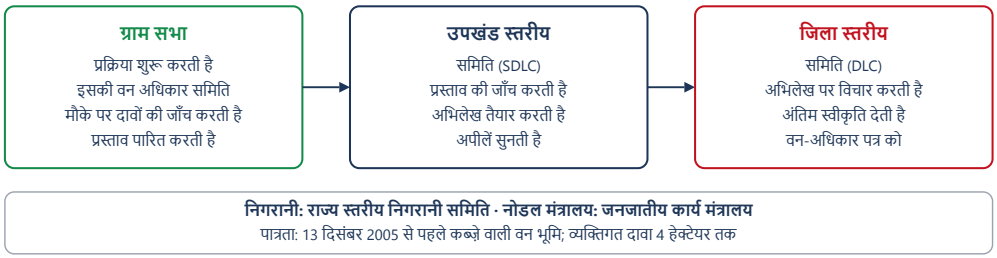

2006 के अधिनियम में वन-अधिकार दावा कैसे आगे बढ़ता है। इसे ग्राम सभा शुरू करती है, वन विभाग या कलेक्टर नहीं।

ग्रामीण रोज़गार गारंटी: पुराना और नया कानून ★★

विशेषता	मनरेगा 2005	VB-G RAM G अधिनियम 2025
गारंटीशुदा दिन	प्रति ग्रामीण परिवार वर्ष में 100	प्रति ग्रामीण परिवार वर्ष में 125
वित्तपोषण	अकुशल मज़दूरी पूरी और सामग्री लागत का 75% केंद्र देता था	60:40 में साझा (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य 90:10); मानक आवंटन
काम पर रोक	कोई नहीं	चरम कृषि मौसम में 60 दिन तक, राज्य अधिसूचित करता है
मज़दूरी	15 दिन के भीतर	साप्ताहिक, अधिकतम एक पखवाड़े में
स्थिति (नवंबर 2026)	निरस्त; काम नई योजना में जारी रहे	1 जुलाई 2026 से लागू

⚠ **परीक्षा में सावधान:** वन-अधिकार दावे कौन **शुरू** करता है? राज्य वन विभाग नहीं, कलेक्टर नहीं, तहसीलदार नहीं: **ग्राम सभा**। नोडल मंत्रालय: **जनजातीय कार्य**, पर्यावरण नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. वन अधिकार अधिनियम में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया कौन शुरू करता है?
2. 2025 का ग्रामीण रोज़गार कानून कितने दिनों की गारंटी देता है, और कब से?
3. NFSA का कवरेज, ग्रामीण और शहरी?

उत्तर: 1. ग्राम सभा · 2. 125 दिन; 1 जुलाई 2026 से · 3. अधिकतम 75% ग्रामीण, 50% शहरी

रक्षा करने वाले कानून: उपभोक्ता, दिव्यांगजन, निजता, महिलाएँ और बच्चे

उपभोक्ता अधिनियम 2019

₹50 लाख / ₹2 करोड़

RPwD अधिनियम 2016

सुगम्य भारत

आधार 2018

POSH 2013

ये कानून कमज़ोर पक्ष को उसका अपना मंच देते हैं: विक्रेता के विरुद्ध खरीदार, दुर्गम व्यवस्था के विरुद्ध दिव्यांग व्यक्ति, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिक, दुर्व्यवहार के विरुद्ध महिला या बच्चा। परीक्षा **मंच, संख्याएँ और वर्ष** पूछती है।

★★ **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) 1986** (अनुमति 24 दिसंबर: **राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस**) ने त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई: **जिला फोरम**, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। जिला फोरम में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते थे, **जिनमें एक महिला**; राज्य किसी जिले में **एक से अधिक जिला फोरम** बना सकता था।

★★ **पुरानी सीमाएँ (1986 का अधिनियम, 2002 के बाद)**: जिला फोरम **₹20 लाख** तक, राज्य आयोग ₹1 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग ₹1 करोड़ से ऊपर।

★★★ **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019** (जुलाई 2020 से लागू) ने फोरमों का नाम **आयोग** रखा और **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** बनाया; यह ई-कॉमर्स, भ्रामक विज्ञापन, उत्पाद दायित्व और मध्यस्थता को कवर करता है; शिकायत ऑनलाइन और शिकायतकर्ता के निवास स्थान पर दर्ज हो सकती है।

★★★ **वर्तमान सीमाएँ** (30 दिसंबर 2021 के नियम, चुकाए गए मूल्य के आधार पर): **जिला** आयोग **₹50 लाख** तक; **राज्य** आयोग ₹50 लाख से ऊपर **₹2 करोड़** तक; **राष्ट्रीय** आयोग **₹2 करोड़** से ऊपर।

★★ **कौन शिकायत कर सकता है**: उपभोक्ता, पंजीकृत उपभोक्ता संघ, सरकार, और उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसका **विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि**। दावे के अनुसार शुल्क देना होता है; **₹5 लाख** तक के दावे निःशुल्क हैं।

★★ **खाद्य परीक्षण**: **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act) 2006** के अधीन खरीदार शुल्क देकर खाद्य नमूने की जाँच खाद्य विश्लेषक से करा सकता है।

★ **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस**: 15 मार्च। छह उपभोक्ता अधिकार: सुरक्षा, सूचना, चुनाव, सुनवाई, निवारण, उपभोक्ता शिक्षा।

★★ **दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (Persons with Disabilities Act) 1995**: 7 दिव्यांगताएँ, **3%** आरक्षण; **18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा**, व्यवसाय और आवास के लिए **भूमि का अधिमान्य आवंटन**, और **बाधा-मुक्त** सार्वजनिक भवन (रैंप)।

★★★ **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) 2016** (अप्रैल 2017 से लागू; 2006 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप): **21** दिव्यांगताएँ; **बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या अधिक)** वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में **4%** और उच्च शिक्षा में **5%** आरक्षण; **6 से 18** वर्ष के ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा; **सुगम्यता और भेदभाव-निषेध** सुनिश्चित करने का सरकार पर कानूनी दायित्व।

★★★ **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)**, **3 दिसंबर 2015** को शुरू: **तीन क्षेत्रों** में सार्वभौमिक सुगम्यता: निर्मित वातावरण, **परिवहन** और **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**।

★★ **NDFDC** (राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम, 1997) **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) के अधीन एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो स्वरोज़गार के लिए ऋण देती है।

★★★ **आधार निर्णय (पुट्टस्वामी, Puttaswamy, 26 सितंबर 2018)**: आधार अधिनियम वैध ठहराया गया; **भारत की संचित निधि** से दी जाने वाली सब्सिडी और लाभों के लिए तथा **PAN/आयकर** के लिए **अनिवार्य**; बैंक खाते, मोबाइल सिम, स्कूल प्रवेश या बीमा के लिए **नहीं**; धारा 57 का अनुबंध वाला खंड रद्द, इसलिए **निजी कंपनियाँ अनुबंध के आधार पर आधार नहीं माँग सकतीं** और **राज्य निजी निगमों से आधार डेटा साझा करने का अनुबंध नहीं कर सकता**; प्रमाणीकरण लेन-देन डेटा, **मेटाडेटा सहित**, अधिकतम **छह महीने** रखा जा सकता है (तीन महीने नहीं, और विनियमों द्वारा अनुमत पाँच वर्ष भी नहीं)।

★★ **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023**: सहमति-आधारित व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण, **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड**; नियम **14 नवंबर 2025** को अधिसूचित, चरणों में लागू हो रहे हैं।

★★ **महिलाएँ और बच्चे**: **घरेलू हिंसा** से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम **2005**; **POSH अधिनियम 2013** (**10 या अधिक** कर्मियों वाले हर कार्यस्थल में आंतरिक समिति, जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति; **विशाखा 1997** पर आधारित); **POCSO अधिनियम 2012** (बच्चा = 18 से कम, विशेष न्यायालय); **किशोर न्याय अधिनियम 2015** (जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर आकलन के बाद वयस्क की तरह मुकदमा चल सकता है)।

★ **अन्य**: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (अधिकरण ₹10,000 प्रति माह तक का आदेश दे सकता है); ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (**NALSA 2014** के बाद); मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 (आत्महत्या का प्रयास गंभीर तनाव में किया गया माना जाता है)।

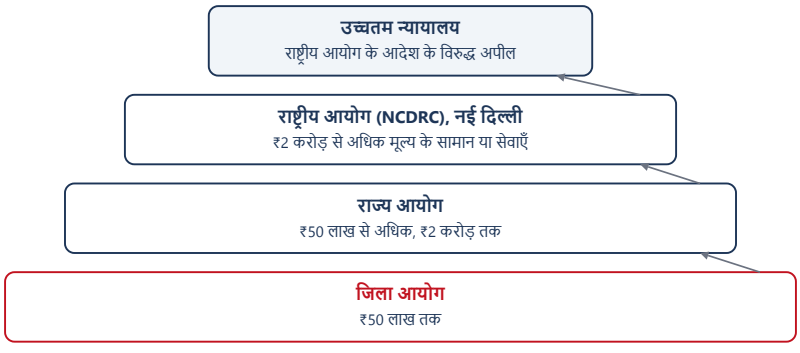

2019 के अधिनियम के अधीन उपभोक्ता आयोग, दिसंबर 2021 से लागू सीमाओं के साथ। हर स्तर अपने नीचे वाले स्तर की अपीलें सुनता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** दिव्यांगता कानून **RPwD अधिनियम 2016** है, 2018 नहीं। NDFDC **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** के अधीन है, कॉर्पोरेट कार्य के नहीं। और 'जिला फोरम के लिए ₹50 लाख' **2019 के अधिनियम के जिला आयोग** (2021 के नियम) पर लागू होता है, 1986 के अधिनियम पर नहीं, जिसका जिला फोरम ₹20 लाख पर रुकता था।

💡 **याद रखें: RPwD 2016: 21-4-5**: इक्कीस दिव्यांगताएँ, चार प्रतिशत नौकरियाँ, पाँच प्रतिशत कॉलेज सीटें। उपभोक्ता सीढ़ी: **50 लाख, 2 करोड़**: 'जिला पचास, राज्य दो, राष्ट्र उससे ऊपर'।

झटपट जाँच

1. आज जिला उपभोक्ता आयोग की आर्थिक सीमा?
2. सुगम्य भारत अभियान के तीन क्षेत्र?
3. 2018 के निर्णय ने किन लाभों के लिए आधार अनिवार्य रखा?

उत्तर: 1. ₹50 लाख तक · 2. निर्मित वातावरण, परिवहन, ICT · 3. भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले लाभ (और PAN)

पुलिस: नियंत्रण किसका है और सुधार कैसे हो

राज्य सूची

अनु. 355

CAPF

प्रकाश सिंह 2006

DGP कार्यकाल

NIA 2008

कानून-व्यवस्था स्थानीय विषय है, इसलिए संविधान **पुलिस और लोक व्यवस्था राज्यों को** देता है। संघ के पास एक सहारा देने वाला दायित्व (अनुच्छेद 355) और अपने सशस्त्र पुलिस बल हैं। जब राज्य पुलिस को राजनीतिक दबाव से बचाने में विफल रहे तो न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया।

★★★ **सातवीं अनुसूची, राज्य सूची (State List)**: **लोक व्यवस्था (प्रविष्टि 1)**, **पुलिस (प्रविष्टि 2)** और **कारागार (प्रविष्टि 4)**। इसलिए पुलिस हर राज्य के अपने कानूनों के अधीन चलती है; कई राज्य अब भी **पुलिस अधिनियम 1861** का पालन करते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 355**: संघ का **दायित्व है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे** और सुनिश्चित करे कि उसकी सरकार संविधान के अनुसार चले।

★★ **संघ सूची की प्रविष्टि 2A** (1976 में जोड़ी गई) संघ को सिविल शक्ति की सहायता में किसी राज्य में अपने सशस्त्र बल और सशस्त्र पुलिस तैनात करने देती है।

★★ **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) गृह मंत्रालय** के अधीन: CRPF (1939; आंतरिक सुरक्षा), BSF (1965; पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाएँ), ITBP (1962; चीन सीमा), SSB (1963; नेपाल और भूटान सीमाएँ), CISF (1969; औद्योगिक इकाइयाँ, हवाई अड्डे)। **असम राइफल्स** (1835, सबसे पुराना) गृह मंत्रालय के अधीन म्यांमार सीमा की रक्षा करता है, परिचालन नियंत्रण सेना के पास है।

★★ **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)** (NIA अधिनियम **2008**, मुंबई हमलों के बाद) राज्यों के पार आतंकवाद और अन्य अनुसूचित अपराधों की जाँच करता है; **2019 का संशोधन** इसे विदेश में भारतीयों या भारतीय हितों के विरुद्ध ऐसे अपराधों की जाँच करने देता है।

★★★ **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (Prakash Singh v. Union of India, 22 सितंबर 2006)**: सात निर्देश, जिनमें **राज्य सुरक्षा आयोग**, **UPSC** द्वारा सूचीबद्ध **तीन सबसे वरिष्ठ** अधिकारियों में से चुना गया **DGP** जिसका **कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल** हो, **अन्वेषण को कानून-व्यवस्था से अलग** करना, **पुलिस स्थापना बोर्ड** और **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** शामिल हैं।

★ **सुधार समितियाँ**: राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977, **धर्म वीरा**); रिबेरो समिति (1998); पद्मनाभैया समिति (2000); आपराधिक न्याय प्रणाली पर **मलिमथ समिति (2003)**; मॉडल पुलिस अधिनियम (2006, सोली सोराबजी समिति)।

★ बड़े शहरों में **कमिश्नरेट प्रणाली** पुलिस आयुक्त को वे मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ देती है जो जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के पास रहती हैं।

प्रकाश सिंह (2006) में उच्चतम न्यायालय के सात निर्देश। संख्या 1, 5, 6 और 7 नए निकाय हैं; 2 और 3 कार्यकाल तय करते हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'पुलिस समवर्ती सूची का विषय है' गलत है: **पुलिस, लोक व्यवस्था और कारागार राज्य सूची में हैं**। अनुच्छेद 355 संघ का **दायित्व** है; अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) वह शक्ति है जो दायित्व पूरा न होने पर आती है।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद संघ को राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करने को बाध्य करता है?
2. प्रकाश सिंह के अनुसार DGP कैसे चुना जाता है और कितने समय के लिए?
3. पुलिस किस सूची और प्रविष्टि में है?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 355 · 2. UPSC द्वारा सूचीबद्ध 3 सबसे वरिष्ठ में से; कम से कम 2 वर्ष · 3. राज्य सूची, प्रविष्टि 2

शिकायत से मुकदमे तक: FIR, गिरफ़्तारी, हिरासत और नए आपराधिक कानून

संज्ञेय

ज़ीरो एफआईआर

24 घंटे

डिफ़ॉल्ट जमानत

BNS · BNSS · BSA

1 जुलाई 2024

गंभीर अपराध **संज्ञेय (Cognizable)** होते हैं: पुलिस को उन्हें दर्ज करना होता है और वह बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। गिरफ़्तारी के बाद हर कदम समयबद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 राज्य को किसी व्यक्ति को न्यायाधीश की नज़र के बिना रोके रखने नहीं देते। **1 जुलाई 2024** से ये कदम तीन नई संहिताओं में दिए गए हैं।

तीन नए आपराधिक कानून (दिसंबर 2023 में पारित, 1 जुलाई 2024 से लागू) ★★★

नया कानून	किसकी जगह ली	धाराएँ
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023	भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860	358 (IPC में 511 थीं)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023	दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973	531 (CrPC में 484 थीं)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023	भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act), 1872	170 (पुराने साक्ष्य अधिनियम में 167 थीं)

★★ **संज्ञेय अपराध**: पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है और उसे **FIR** दर्ज करनी होती है (BNSS **धारा 173**, पहले CrPC 154); पंजीकरण अनिवार्य है (**ललिता कुमारी, 2013**)। **असंज्ञेय (Non-cognizable)**: रजिस्टर में दर्ज होता है; पुलिस केवल **मजिस्ट्रेट के आदेश** से अन्वेषण करती है।

★★★ **ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR)** (BNSS धारा 173): **संज्ञेय** अपराध की सूचना **किसी भी थाने में, अपराध का स्थान चाहे जो हो**, दी जा सकती है; थाना उसे दर्ज करके संबंधित थाने को भेजता है। सूचना **मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक** रूप से दी जा सकती है; ई-FIR पर **तीन दिन** में हस्ताक्षर करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराना विकल्प है, बाध्यता नहीं।

★★★ **प्रारंभिक जाँच**: **3 वर्ष या अधिक पर 7 वर्ष से कम** दंडनीय अपराधों में थाना प्रभारी **DSP से अनिम्न** अधिकारी की अनुमति से, आगे बढ़ने का निर्णय करने से पहले, **14 दिन** में प्रारंभिक जाँच कर सकता है।

★★★ **गिरफ़्तारी के संरक्षण (अनुच्छेद 22)**: आधार बताए जाएँ, **वकील** से परामर्श का अधिकार, **24 घंटे में मजिस्ट्रेट** के सामने पेशी (यात्रा का समय छोड़कर)। **डी. के. बसु (D. K. Basu, दिसंबर 1996 में निर्णीत)** ने गिरफ़्तारी ज्ञापन और किसी संबंधी को सूचना देना जोड़ा।

★★ **पुलिस हिरासत (Police custody)** कुल मिलाकर अधिकतम **15 दिन** हो सकती है; BNSS इसे पहले **40 दिन** (10 वर्ष तक के अपराध) या **60 दिन** (अधिक गंभीर अपराध) के भीतर **हिस्सों में** लेने देती है। उसके बाद अभियुक्त **न्यायिक हिरासत** (जेल) में रहता है।

★★ **डिफ़ॉल्ट जमानत (Default bail)**: यदि आरोप-पत्र **60 दिन** में (या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10+ वर्ष से दंडनीय अपराधों में **90 दिन** में) दाखिल न हो, तो अभियुक्त को अधिकार के रूप में जमानत मिलती है।

★★ **जमानत**: **जमानती** अपराधों में यह अधिकार है; अजमानती अपराधों में न्यायालय तय करता है। **अग्रिम जमानत (Anticipatory bail)** (CrPC 438, अब BNSS 482) पहले से गिरफ़्तारी से बचाती है। **अर्नेश कुमार (2014)**: 7 वर्ष तक दंडनीय अपराधों में नियमित गिरफ़्तारी नहीं।

★★ **BNSS की अन्य विशेषताएँ**: उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा; **7 वर्ष या अधिक** दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य; तलाशी और ज़ब्ती की वीडियोग्राफी; 7 वर्ष तक दंडनीय अपराधों के लिए **सौदा-अभिवाक् (Plea bargaining)** (2005/06 से), महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध अपराधों और सामाजिक-आर्थिक अपराधों को छोड़कर।

★★ **BNS के बदलाव**: राजद्रोह हटाया गया (धारा 152 अब संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है); **आतंकवाद** और **संगठित अपराध** परिभाषित; मॉब लिंचिंग दंडनीय; दंड के रूप में **सामुदायिक सेवा** जोड़ी गई; व्यभिचार अपराध नहीं।

★★★ **निवारक निरोध (Preventive detention) (अनुच्छेद 22(3)–(7))**: **अनुच्छेद 22(1)–(2)** के अधीन तुरंत आधार जानने और वकील से परामर्श का अधिकार निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों (या शत्रु विदेशियों) पर **लागू नहीं होता**; **3 महीने** से अधिक निरोध के लिए **सलाहकार बोर्ड** की रिपोर्ट चाहिए। कानून: **NSA 1980** (12 महीने तक), COFEPOSA 1974, PITNDPS अधिनियम 1988।

★★ **संस्वीकृति (Confession)**: पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति सामान्यतः **साक्ष्य नहीं** होती (साक्ष्य अधिनियम धारा 25, अब BSA धारा 23)। आतंकवाद-विरोधी कानूनों ने अपवाद बनाए: **POTA 2002** (2004 में निरस्त) और TADA के अधीन **पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर** के अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति स्वीकार्य थी।

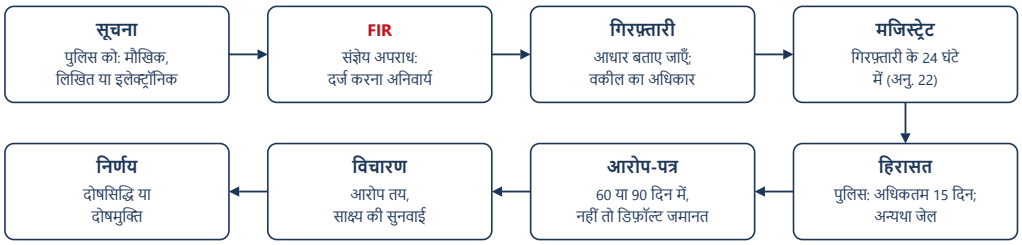

सूचना से निर्णय तक एक आपराधिक मामला। याद रखने वाली दो घड़ियाँ: मजिस्ट्रेट तक 24 घंटे, आरोप-पत्र के लिए 60 या 90 दिन।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** ज़ीरो एफआईआर केवल **संज्ञेय** अपराधों के लिए है, 'संज्ञेय या असंज्ञेय' के लिए नहीं; और सूचना **इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना वैकल्पिक** है। 14 दिन की प्रारंभिक जाँच के लिए **DSP** की अनुमति चाहिए और यह केवल 3 से 7 वर्ष वाले दायरे पर लागू है।

💡 **याद रखें: BNS 358, BNSS 531, BSA 170**: 'तीन-पाँच-आठ, पाँच-तीन-एक, एक-सात-शून्य'। तीनों **1-7-24** को जीवित हुए: 2024 के 7वें महीने की 1 तारीख।

झटपट जाँच

1. IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह किन तीन कानूनों ने ली, और कब से?
2. क्या असंज्ञेय अपराध के लिए ज़ीरो एफआईआर दर्ज हो सकती है?
3. क्या अनुच्छेद 22 का वकील वाला अधिकार निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति पर लागू होता है?

उत्तर: 1. BNS, BNSS, BSA; 1 जुलाई 2024 · 2. नहीं, केवल संज्ञेय अपराधों के लिए · 3. नहीं (अनुच्छेद 22(3))

कारागार, पैरोल और विधिक सहायता

कारागार अधिनियम 1894

न्यायिक हिरासत

पैरोल बनाम फरलो

विचाराधीन कैदी

अनु. 39A

लोक अदालत

कारागार **राज्य का विषय** है, इसलिए हर राज्य पुराने **कारागार अधिनियम (Prisons Act) 1894** के अधीन बने अपने **जेल मैनुअल** और नियमों से जेल चलाता है। अधिकतर कैदी **विचाराधीन (Undertrials)** हैं, यानी जिन्हें अभी दोषी नहीं ठहराया गया, इसीलिए जमानत, विधिक सहायता और शीघ्र विचारण इतने महत्वपूर्ण हैं।

★★★ **कारागार अधिनियम 1894** ने कारागारों को स्पष्ट रूप से **प्रांतीय (अब राज्य) सरकारों** के नियंत्रण में रखा, इसीलिए हर राज्य अपने नियमों से जेल चलाता है; कारागार **राज्य सूची (प्रविष्टि 4)** में हैं। जेल के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए हर राज्य के अपने नियम हैं।

★★ **मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023** (गृह मंत्रालय द्वारा तैयार, कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ज़ोर) राज्यों को 1894 के अधिनियम की जगह अपनाने के लिए दिया गया है; **मॉडल जेल मैनुअल 2016** जेल नियमों का मार्गदर्शन करता है। **मुल्ला समिति (1980–83)** ने जेल सुधारों की दिशा दी।

★★★ **न्यायिक हिरासत (Judicial custody)**: अभियुक्त **मजिस्ट्रेट** के आदेश से **जेल** में रहता है, पुलिस लॉक-अप में नहीं; पुलिस अभियुक्त से **पूछताछ** केवल **न्यायालय की अनुमति** से कर सकती है।

★★★ **पैरोल (Parole)**: किसी **विशेष कारण** (परिवार में बीमारी या मृत्यु, विवाह) से दोषी की सशर्त, अस्थायी रिहाई। यह **अधिकार नहीं** है: पर्याप्त आधार होने पर भी यह विवेकाधीन है, और हर **राज्य के अपने पैरोल नियम** हैं।

★★ **फरलो (Furlough)**: लंबी सज़ा वाले दोषी की सज़ा का एक भाग पूरा होने के बाद समय-समय पर रिहाई, विराम और अच्छे आचरण के प्रोत्साहन के रूप में; फरलो का समय सामान्यतः सज़ा में गिना जाता है।

★★ **विचाराधीन कैदी** भारत के कैदियों में लगभग **हर चार में से तीन** हैं। **BNSS धारा 479**: अधिकतम सज़ा का **एक-तिहाई** निरोध में बिता चुके **पहली बार के अपराधी** को जमानत पर छोड़ा जाना है (अन्य: आधा)।

★★ **शीघ्र विचारण** अनुच्छेद 21 का भाग है (**हुसैनआरा खातून, 1979**), जिसने निःशुल्क विधिक सहायता को भी अनुच्छेद 21 से जोड़ा।

★★★ **अनुच्छेद 39A** (**42वें संशोधन, 1976** द्वारा जोड़ा गया): समान न्याय और **निःशुल्क विधिक सहायता**। **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) 1987** (**9 नवंबर 1995** से लागू, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस) ने **NALSA** (मुख्य संरक्षक: भारत के मुख्य न्यायाधीश), राज्य और जिला प्राधिकरण बनाए।

★★ **लोक अदालत (Lok Adalat)**: मामलों को समझौते से निपटाती है; इसका पंचाट **सिविल न्यायालय की डिक्री** माना जाता है, **अंतिम** होता है (कोई अपील नहीं) और न्यायालय शुल्क लौटा दिया जाता है। **स्थायी लोक अदालतें** सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवाद निपटाती हैं।

	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	पैरोल	फरलो
कहाँ	पुलिस लॉक-अप	जेल	थोड़े समय के लिए घर पर	थोड़े समय के लिए घर पर
निर्णय कौन	मजिस्ट्रेट पुलिस को रखने की अनुमति देता है	मजिस्ट्रेट या न्यायालय	राज्य, अपने जेल नियमों के अधीन	राज्य, अपने जेल नियमों के अधीन
उद्देश्य	पुलिस द्वारा पूछताछ	जमानत या मुकदमे तक बंद रखना	विशेष ज़रूरत: बीमारी, मृत्यु, विवाह	लंबी सज़ा में एक विराम
मुख्य बात	कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिन (BNSS)	पुलिस पूछताछ केवल न्यायालय की अनुमति से	अधिकार नहीं: विवेकाधीन	पूर्ण अधिकार नहीं: अच्छे आचरण से मिलता है

चार शब्द जिन्हें परीक्षा आपस में मिलाती है। हिरासत मुकदमे से पहले अभियुक्त से जुड़ी है; पैरोल और फरलो दोषी के लिए विराम हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'न्यायिक हिरासत में अभियुक्त थाने में बंद रहता है': गलत, वह **जेल** में रहता है। 'पर्याप्त आधार दिखाने पर पैरोल अधिकार बन जाता है': गलत, यह **विवेकाधीन** ही रहता है।

👁 **आसपास देखें:** किसी दोषी की माँ गंभीर रूप से बीमार है: वह अपने राज्य के नियमों के अधीन **पैरोल** के लिए आवेदन करता है। अच्छे आचरण के साथ वर्षों की सज़ा काट चुका कैदी नियमित रूप से दो सप्ताह के लिए घर जाता है: यह **फरलो** है।

☑ **झटपट जाँच**

1. न्यायिक हिरासत में अभियुक्त कहाँ रखा जाता है?
2. क्या पैरोल कैदी का अधिकार है?
3. कौन-सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता देता है, और उसे किस संशोधन ने जोड़ा?

उत्तर: 1. जेल में, मजिस्ट्रेट के अधीन · 2. नहीं; विवेकाधीन, राज्य के नियमों के अधीन · 3. अनुच्छेद 39A; 42वाँ संशोधन

सुशासन की योजनाएँ और साधन

MPLADS

15% SC, 7.5% ST

व्यपगत न होने वाली

नागरिक चार्टर

सामाजिक अंकेक्षण

आकांक्षी जिले

सुशासन का अर्थ है समय पर सेवाएँ, ऐसा पैसा जिसका हिसाब लगाया जा सके, और ऐसे नागरिक जो शिकायत कर सकें और जिनकी सुनवाई हो। ये साधन इसे मापने योग्य बनाने का प्रयास करते हैं: सांसदों के लिए स्थानीय क्षेत्र निधि, सेवा मानकों वाले चार्टर, स्वयं लोगों द्वारा अंकेक्षण, और डेटा डैशबोर्ड।

★★★ **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)** (**23 दिसंबर 1993** से; **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्रालय): हर सांसद **₹5 करोड़ प्रति वर्ष** के कार्यों की सिफारिश कर सकता है, जो ₹2.5 करोड़ की दो किस्तों में जारी होते हैं; यह धन **व्यपगत नहीं होता (Non-lapsable)** (बिना खर्च हुई राशि आगे जुड़ जाती है)।

★★★ **MPLADS के नियम**: केवल **टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ** (सड़कें, स्कूल भवन, स्वास्थ्य और पेयजल कार्य); पात्र राशि का कम से कम **15% अनुसूचित जाति** बहुल क्षेत्रों और **7.5% अनुसूचित जनजाति** क्षेत्रों के लिए; **जिला प्राधिकारी** स्वीकृति देता है और कार्य कराता है, और उसे हर वर्ष चल रहे कार्यों में से **कम से कम 10%** का **निरीक्षण** करना होता है।

★★ **सांसद कहाँ खर्च कर सकते हैं**: लोक सभा सांसद अपने **निर्वाचन क्षेत्र** में; निर्वाचित राज्य सभा सांसद **जिस राज्य से चुने गए** उसमें; **मनोनीत** सांसद **भारत** में कहीं भी। 1 अप्रैल 2023 से धन **ई-साक्षी (e-SAKSHI)** पोर्टल से जाता है।

★ **कोविड विराम**: MPLADS अप्रैल 2020 से निलंबित रही और नवंबर 2021 से बहाल हुई।

★★ **नागरिक चार्टर (Citizen's Charter)** (भारत में **1997** से, विचार ब्रिटेन से, 1991): किसी लोक प्राधिकरण का सेवा मानकों, समय-सीमाओं और शिकायत निवारण का वचन। **सेवोत्तम** मॉडल (दूसरे ARC से) सेवा प्रदायगी को श्रेणी देता है।

★★ **सामाजिक अंकेक्षण (Social audit)**: जिन लोगों को लाभ मिलना है वे **ग्राम सभा** की बैठक में योजना के अभिलेखों की जाँच करते हैं; ग्रामीण रोज़गार कानून में इसे अनिवार्य बनाया गया। सामाजिक अंकेक्षण पर पहला राज्य कानून **मेघालय** ने पारित किया (2017)।

★ **शिकायत निवारण**: **CPGRAMS** (DARPG का ऑनलाइन पोर्टल); **प्रगति (PRAGATI)** (2015), मुख्य सचिवों के साथ परियोजनाओं और शिकायतों की प्रधानमंत्री की वीडियो समीक्षा।

★★ **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer)** (**1 जनवरी 2013** से) सब्सिडी सीधे बैंक खातों में देता है, **JAM त्रयी** के सहारे: जन धन खाते, आधार और मोबाइल फोन।

★★ **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)** (जनवरी **2018**, नीति आयोग): **112** जिले, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना पर मासिक रैंकिंग; **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम** (2023): 500 ब्लॉक।

★ **सुशासन दिवस**: **25 दिसंबर** (अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन); **सुशासन सूचकांक** DARPG ने पहली बार 2019 में जारी किया।

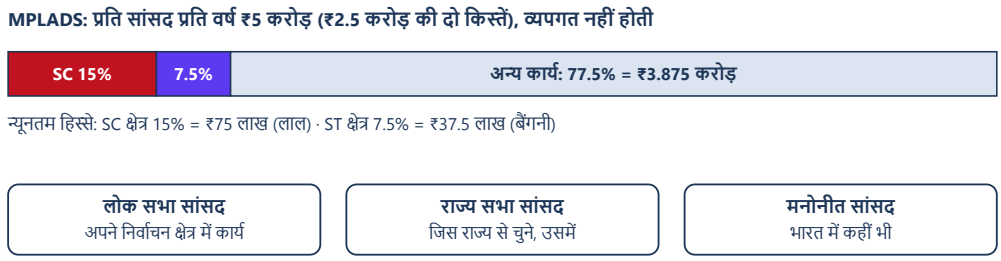

एक सांसद की वार्षिक MPLADS राशि, पैमाने पर: 15% और 7.5% के हिस्से SC और ST क्षेत्रों के लिए न्यूनतम हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'MPLADS का धन वर्ष के अंत में व्यपगत हो जाता है' गलत है: यह **व्यपगत नहीं होता**। MPLADS **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** चलाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, और सांसद केवल **सिफारिश** करता है: स्वीकृति और क्रियान्वयन जिला प्राधिकारी करता है।

💡 **याद रखें: MPLADS = 5 · 15 · 7.5 · 10**: पाँच करोड़, पंद्रह प्रतिशत SC, साढ़े सात ST, दस प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण।

☑ झटपट जाँच

1. SC और ST क्षेत्रों के लिए MPLADS के न्यूनतम हिस्से?
2. क्या बिना खर्च हुई MPLADS राशि व्यपगत होती है?
3. MPLADS कौन-सा मंत्रालय चलाता है?

उत्तर: 1. 15% और 7.5% · 2. नहीं, व्यपगत नहीं होती · 3. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (20)

UPSC 2011 भारत में विकलांग व्यक्तियों (persons with disabilities) की संख्या लाखों में है । वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन-कौन से लाभ उपलब्ध हैं ?

1. सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा ।
2. व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन ।
3. सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्ध होना ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3. विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 ने विकलांग बच्चों को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी; विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में भूमि का वरीयता आवंटन और बाधा-मुक्त सार्वजनिक भवनों का प्रावधान था

UPSC 2012 भारतीय विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/विशेषाधिकारों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जाँच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है।
2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है, तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती।
3. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3. उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उसका वैधानिक उत्तराधिकारी शिकायत दर्ज कर सकता है; खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत क्रेता खाद्य नमूने की जाँच करा सकता है

UPSC 2013 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा?
(a) राज्य वन विभाग (b) जिला कलक्टर/उपायुक्त (c) तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी (d) ग्राम सभा
उत्तर: (d) ग्राम सभा. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दावे की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है

UPSC 2016 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2. मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल नहीं; मुख्य सचिव का कोई नियत कार्यकाल नहीं होता

UPSC 2020 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. 'आधार' मेटाडेटा को तीन महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है ।
2. राज्य निजी निगमों (Corporations) से 'आधार' डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता ।
3. 'आधार' बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है ।
4. 'आधार' भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 4 (c) केवल 3 (d) केवल 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2 और 4. आधार निर्णय (2018): भारत की संचित निधि से मिलने वाले लाभों के लिए आधार अनिवार्य है; आधार निर्णय (2018): निजी संस्थाएँ अनुबंध के आधार पर आधार नहीं माँग सकतीं

UPSC 2020 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अन्तर्गत निधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं ?
1. MPLADS निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं ।
2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है ।
3. MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता ।
4. कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है ।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 4
उत्तर: (d) केवल 1, 2 और 4. MPLADS निधियाँ व्यपगत नहीं होतीं और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ बनाने में लगती हैं; MPLADS में 15% निधि अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए है

UPSC 2020 भारत के संदर्भ में, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन-सा उपयुक्त चरित्र-चित्रण है ?
(a) संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण (b) संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण
(c) राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण (d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण
उत्तर: (d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण. नौकरशाही की मूल भूमिका लोक नीति को लागू करना है

UPSC 2021 संघ सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. एन० गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए।
2. प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. कार्मिक विभाग 1970 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की सलाह पर प्रधानमंत्री के अधीन बना

UPSC 2021 भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है न कि जेल में।

2. न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b) केवल 2. न्यायिक हिरासत में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के आदेश से जेल में रहता है; न्यायिक हिरासत में अभियुक्त से पूछताछ के लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति चाहिए

UPSC 2021 भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।

2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b) केवल 2. पैरोल सशर्त और विवेकाधीन रिहाई है, कैदी का अधिकार नहीं; कारागार राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य अपने पैरोल नियम बनाते हैं

UPSC 2021 राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मंत्रालय केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है?

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (b) पंचायती राज मंत्रालय (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है

UPSC 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

कथन-I :

भारत में, दैनंदिन जेल-प्रशासन के लिए, जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं।

कथन-II :

भारत में, जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम, 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है

(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है

उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है. जेल राज्य सूची का विषय है, जिसे हर राज्य अपने नियमों और नियमावली से चलाता है; जेल अधिनियम, 1894 जेल नियम बनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ता है

UPSC 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के संविधान के अनुसार, केन्द्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए।

2. भारत का संविधान राज्यों को, निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसेल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है।

3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (b) केवल दो. अनुच्छेद 355: संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे; अनुच्छेद 22 का वकील से परामर्श का अधिकार निवारक निरोध पर लागू नहीं होता; POTA 2002 ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को साक्ष्य में ग्राह्य बनाया

UPSC 2026 भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पहुँच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है।

2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढाँचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने पर केंद्रित है।

3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

(a) 1 और 2 (b) केवल 2 (c) 1 और 3 (d) केवल 1

उत्तर: (b) केवल 2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बना; सुगम्य भारत अभियान निर्मित परिवेश, परिवहन और सूचना-संचार प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है; NDFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है

UPSC 2026 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधीन ज़ीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट (Zero FIR) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
1. ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान, उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो।
2. किसी पुलिस स्टेशन, जहाँ ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज की गई है, वहाँ के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है।
3. ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) के अंतर्गत, सूचना देने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में दे।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 (d) केवल 2
उत्तर: (d) केवल 2. BNSS के तहत संज्ञेय अपराध की ज़ीरो FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है; 3 से 7 वर्ष की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस 14 दिन की प्रारंभिक जाँच कर सकती है; सूचना मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है; इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वैकल्पिक है

BPSC 63rd केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है?
(a) भारत का महान्यायवादी (b) मंत्रिमंडल सचिव (c) गृह सचिव (d) वित्त सचिव (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) मंत्रिमंडल सचिव. मंत्रिमंडल सचिव संघ का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी है

BPSC 65th भारत के वरीयता-क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है?
(a) UPSC का अध्यक्ष (b) मुख्य चुनाव आयुक्त (c) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (d) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) UPSC का अध्यक्ष. वरीयता-क्रम में UPSC अध्यक्ष, CEC और CAG एक ही स्थान पर हैं

BPSC 65th निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है?
(a) पटवारी (b) लम्बरदार (c) ज़मींदार (d) ज़ैलदार (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) पटवारी. पटवारी राजस्व प्रशासन के निचले स्तर पर गाँव के भूमि अभिलेख रखता है

BPSC 67th भारतीय प्रशासन में 'विभाजन प्रणाली' किससे संबंधित है?
(a) लेखा-परीक्षण/लेखा (b) केन्द्र/राज्य (c) नीति/कार्यान्वयन (d) अखिल भारतीय सेवाएँ/केन्द्रीय सेवाएँ
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) नीति/कार्यान्वयन. विभाजन प्रणाली में सचिवालय नीति बनाता है और कार्यकारी एजेंसियाँ उसे लागू करती हैं

BPSC 68th भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है।
(b) जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी।
(c) जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।
(d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।. उपभोक्ता विवाद दावे के मूल्य के अनुसार जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग में जाते हैं; 1986 के अधिनियम के तहत जिला फोरम केवल ₹20 लाख तक के दावे सुन सकता था

स्वयं को परखें (12)

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील कहाँ होती है?
(a) लोक प्राधिकरण के प्रमुख के पास (b) केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास (c) केवल उच्च न्यायालय में (d) लोकपाल के पास

2. संसद नई अखिल भारतीय सेवा केवल किसके संकल्प के बाद बना सकती है?
(a) लोक सभा, साधारण बहुमत से (b) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (c) राज्य सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से
(d) आधे राज्य विधानमंडल

3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) जिला कलेक्टर दावे की प्रक्रिया शुरू करता है (b) पर्यावरण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है
(c) ग्राम सभा अधिकार तय करने की प्रक्रिया शुरू करती है (d) इसके अधीन मान्य अधिकार बेचे जा सकते हैं

4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और 2021 के नियमों के अधीन ₹1.5 करोड़ मूल्य के सामान की शिकायत कहाँ जाएगी?
(a) जिला आयोग (b) राज्य आयोग (c) राष्ट्रीय आयोग (d) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने किसकी जगह ली?
(a) भारतीय दंड संहिता, 1860 (b) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (d) पुलिस अधिनियम, 1861

6. विचार कीजिए: 1. पुलिस राज्य सूची में है। 2. कारागार समवर्ती सूची में हैं। 3. अनुच्छेद 355 संघ पर राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा का दायित्व डालता है। कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के अधीन मज़दूरी-रोज़गार के गारंटीशुदा दिन कितने हैं?
(a) 100 (b) 125 (c) 150 (d) 120

8. इनमें से कौन-सा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) का निर्देश नहीं है?
(a) राज्य सुरक्षा आयोग (b) DGP का कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल (c) राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति
(d) पुलिस शिकायत प्राधिकरण

9. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना है?
(a) 3% (b) 4% (c) 5% (d) 21%

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदक को सूचना माँगने का कारण बताना होता है।
2. किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना 48 घंटे में देनी होती है।
3. सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
कानून : वर्ष
1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम : 2009
2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम : 2018
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम : 2005
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. पटना की एक महिला के साथ उत्तर प्रदेश से गुज़रती ट्रेन में लूट (एक संज्ञेय अपराध) होती है। घर लौटकर वह पटना के एक थाने में जाती है, पर अधिकारी कहता है कि अपराध दूसरे राज्य में हुआ। BNSS, 2023 के अधीन अधिकारी को क्या करना चाहिए?
(a) मना कर दे; केवल वही थाना दर्ज कर सकता है जहाँ अपराध हुआ
(b) उससे पहले मजिस्ट्रेट का आदेश लाने को कहे, क्योंकि अपराध उसके क्षेत्र से बाहर हुआ
(c) ज़ीरो एफआईआर दर्ज करे और उसे संबंधित थाने को भेजे (d) शिकायत तभी ले जब वह ई-FIR के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराए

उत्तर: 1. (b) द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर CIC या SIC को जाती है। · 2. (c) अनुच्छेद 312 के लिए राज्य सभा का ऐसा संकल्प चाहिए जिसे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन हो। · 3. (c) प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है; नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य है; अधिकार उत्तराधिकार में मिलते हैं पर हस्तांतरणीय नहीं। · 4. (b) राज्य आयोग ₹50 लाख से ऊपर और ₹2 करोड़ तक के मामले सुनता है। · 5. (b) BNSS ने CrPC की, BNS ने IPC की और BSA ने पुराने साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। · 6. (b) कारागार राज्य सूची (प्रविष्टि 4) में हैं, समवर्ती सूची में नहीं। · 7. (b) इसने मनरेगा की 100 दिन की गारंटी बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन कर दी। · 8. (c) मुख्य सचिव इसमें शामिल नहीं है; बाकी तीन सात निर्देशों में हैं। · 9. (b) नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5%; 21 दिव्यांगताओं की संख्या है। · 10. (d) 48 घंटे का नियम और ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना अधिनियम में हैं; जाल कथन 1 है, क्योंकि आवेदक को कोई कारण नहीं बताना होता। · 11. (a) केवल RTE अधिनियम (2009) सही है; RPwD अधिनियम 2016 का और NFSA 2013 का है, जबकि 2005 मनरेगा और RTI अधिनियम का वर्ष है। · 12. (c) BNSS धारा 173 संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने में, अपराध का स्थान चाहे जो हो, देने देती है; मजिस्ट्रेट का आदेश असंज्ञेय मामलों के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराना वैकल्पिक है।

अध्याय 22

राजनीतिक सिद्धांत और मुख्य अवधारणाएँ

UPSC लगभग हर वर्ष पूछता है कि राज्य, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अर्थ क्या है; सही विकल्प प्रायः वही होता है जो सत्ता को सीमित करे और व्यक्ति की रक्षा करे। विचारक और विचारधाराएँ (मार्क्स, गांधी) भी पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 15 बार पूछा गया: UPSC 14 · BPSC 1

≈ 40 min पढ़ने में ≈ 9 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

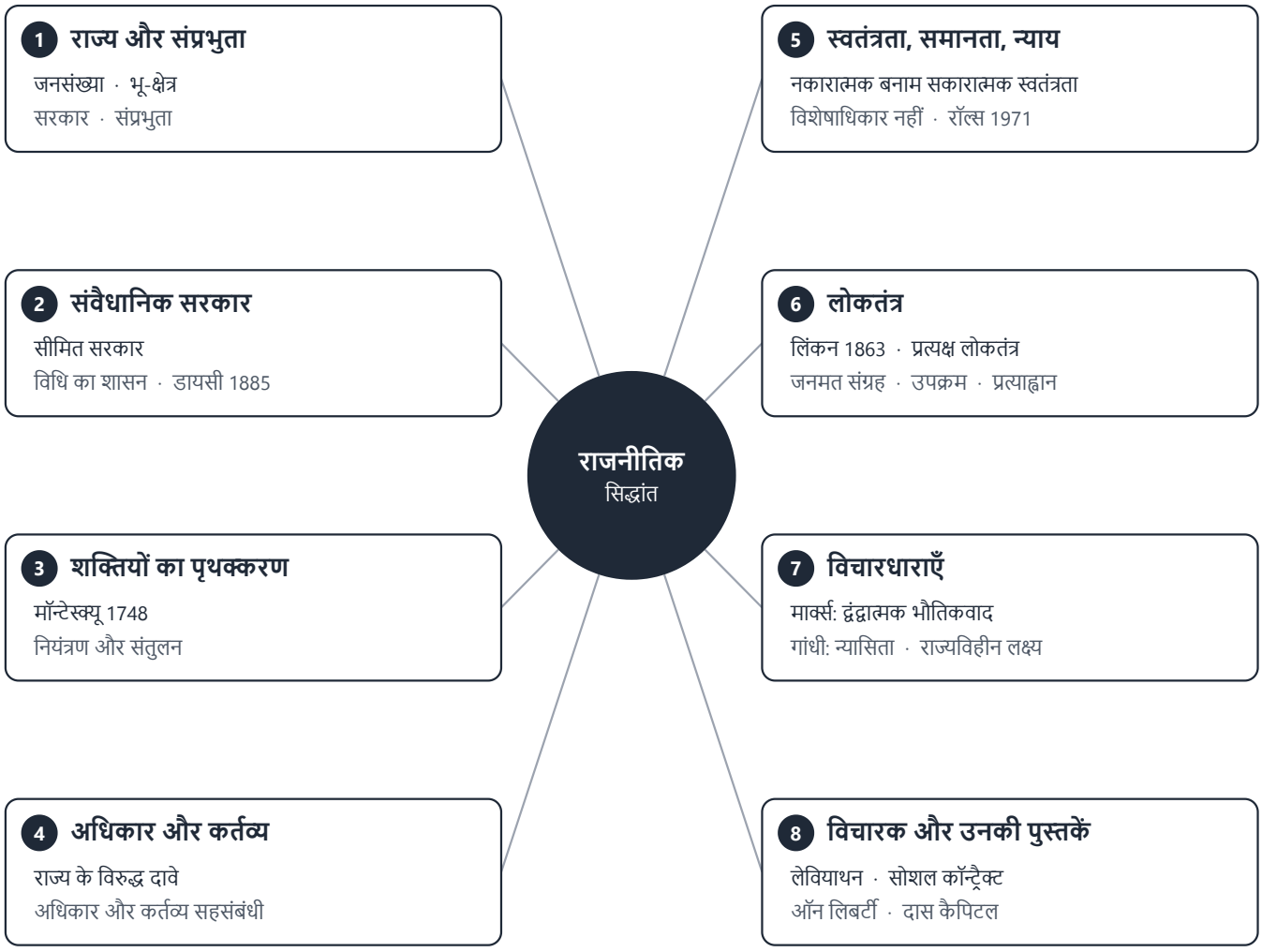

रिवीज़न कार्ड

1. राज्य = जनसंख्या + भू-क्षेत्र + सरकार + संप्रभुता; संप्रभुता (बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता) ही वह तत्व है जो किसी प्रांत या समाज के पास नहीं होता।
2. संविधान का मुख्य प्रयोजन: सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना। संवैधानिक सरकार = सीमित सरकार।
3. संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है, कभी इसका उल्टा नहीं।
4. विधि का शासन (ए.वी. डायसी, 1885): विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, न्यायालयों के निर्णयों से अधिकार। भारत पहले दो को मानता है (अनुच्छेद 14): सबके लिए एक विधि और एक न्यायपालिका।
5. उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा: शक्तियों का पृथक्करण (मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज़, 1748)।
6. अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के दावे हैं, जिन्हें समाज मान्यता देता है और विधि लागू करती है; अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधी हैं।
7. स्वतंत्रता का सबसे उपयुक्त अर्थ: स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर (सकारात्मक स्वतंत्रता); 'प्रतिबंधों का अभाव' नकारात्मक स्वतंत्रता है।
8. विधि और स्वतंत्रता: यदि विधियाँ नहीं हैं, तो स्वतंत्रता भी नहीं है (लॉक)।
9. समाज में समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और सबके लिए समान अवसर।
10. लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण: यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है।
11. प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन: जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याह्वान, लोकमत संग्रह। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है।
12. मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया; गांधीवाद और मार्क्सवाद में केवल अंतिम लक्ष्य, राज्यविहीन समाज, साझा है।

राज्य, राष्ट्र और संप्रभुता

चार तत्व

संप्रभुता

राज्य बनाम सरकार

अनुच्छेद 12

सामाजिक संविदा

सप्तांग

राज्य (State) एक निश्चित भू-क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का राजनीतिक संगठन है, जिसके पास सरकार होती है और उन पर सर्वोच्च शक्ति होती है। **सरकार (Government)** केवल उसका तंत्र है: चुनावों के बाद सरकारें बदलती हैं, राज्य बना रहता है।

★★★ **परिभाषा** (जे.डब्ल्यू. गार्नर, J.W. Garner): व्यक्तियों का ऐसा समुदाय जो **किसी निश्चित भू-क्षेत्र पर स्थायी रूप से बसा** हो, **बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र** हो, और जिसके पास ऐसी **संगठित सरकार** हो जिसका पालन अधिकांश लोग आदतन करते हों।

★★★ **चार तत्व**: **जनसंख्या (Population)**, **भू-क्षेत्र (Territory)**, **सरकार** और **संप्रभुता (Sovereignty)**। किसी प्रांत, नगरपालिका या कंपनी के पास पहले तीन हो सकते हैं, पर संप्रभुता नहीं होती।

★★ **संप्रभुता**: राज्य की सर्वोच्च शक्ति: **आंतरिक** (अपने भीतर हर व्यक्ति और संस्था पर) और **बाहरी** (विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता)। **जीन बोदाँ (Jean Bodin)** (1576) ने इसका आधुनिक विचार दिया; **जॉन ऑस्टिन (John Austin)** ने संप्रभु को वह निश्चित सत्ता माना जिसके आदेश ही विधि हैं; **हेरोल्ड लास्की (Harold Laski)** जैसे **बहुलवादी (Pluralists)** मानते थे कि शक्ति अन्य संघों के साथ बँटी होती है।

★★ **लोकप्रिय संप्रभुता (Popular sovereignty)**: अंतिम सत्ता जनता में निहित है; भारत की प्रस्तावना 'हम, भारत के लोग' से शुरू होती है।

★★★ **राज्य बनाम सरकार**: राज्य स्थायी और अमूर्त है; सरकार अस्थायी और मूर्त है। नागरिक राज्य का विरोध किए बिना सरकार का विरोध कर सकता है।

★★ **राज्य बनाम राष्ट्र**: राष्ट्र (Nation) ऐसे लोग हैं जो साझी पहचान (इतिहास, संस्कृति, आकांक्षाएँ) से बँधे हों; अपना राज्य मिलने पर वह राष्ट्र-राज्य (Nation-State) बन जाता है। एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयताएँ हो सकती हैं।

★★ **राज्य बनाम समाज**: समाज मानवीय संबंधों का पूरा ताना-बाना है; राज्य उसके भीतर एक संगठन है, जिसकी पहचान विधि के बल पर बाध्य करने की उसकी शक्ति है।

★★ **अनुच्छेद 12 में 'राज्य'** (मौलिक अधिकारों के लिए): भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और सरकार के नियंत्रण वाले अन्य प्राधिकारी।

★★ **उत्पत्ति के सिद्धांत**: दैवी अधिकार (राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त); शक्ति; **सामाजिक संविदा (Social contract)** (लोगों ने सहमति से राज्य बनाया: हॉब्स, लॉक, रूसो); **विकासवादी (Evolutionary)** सिद्धांत (राज्य नातेदारी, धर्म और राजनीति से धीरे-धीरे विकसित हुआ), जो सबसे अधिक स्वीकार्य है।

★ **तीन सामाजिक संविदाएँ**: **हॉब्स (Hobbes)** (लेवियाथन, Leviathan, 1651): राज्य के बिना जीवन 'एकाकी, दरिद्र, घृणित, पाशविक और अल्पकालिक' था, इसलिए लोगों ने सारी शक्ति एक निरंकुश संप्रभु को सौंप दी। **लॉक (Locke)** (1690): लोगों ने **जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति** के प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखे और केवल सीमित शक्ति दी। **रूसो (Rousseau)** (1762): संप्रभुता जनता की **सामान्य इच्छा (General will)** में निहित है।

★★ **कौटिल्य का सप्तांग (Saptanga)** (अर्थशास्त्र): राज्य के सात अंग: स्वामी (शासक), अमात्य (मंत्री), जनपद (जनता और भूमि), दुर्ग (किला), कोश (खजाना), दंड (सेना), मित्र (सहयोगी)।

★ **अरस्तू (Aristotle)**, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है।

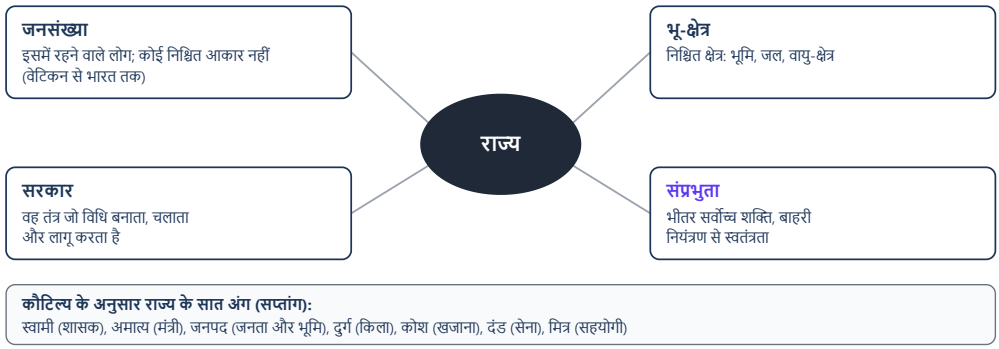

राज्य के चार तत्व, जिनमें संप्रभुता उसे अलग पहचान देती है, और वे सात अंग जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गिनाए।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** परीक्षा की परिभाषा है 'व्यक्तियों का ऐसा समुदाय जो किसी निश्चित भू-क्षेत्र पर स्थायी रूप से बसा हो, **बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र** हो और जिसके पास **संगठित सरकार** हो'। 'केंद्रीय सत्ता के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका' या 'प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का कर्तव्य' जोड़ने वाले विकल्प भ्रामक हैं।

याद रखें: P-T-G-S: People Take Government Seriously: Population (जनसंख्या), Territory (भू-क्षेत्र), Government (सरकार), Sovereignty (संप्रभुता)। हिंदी में **'ज-भू-स-सं'**: जनसंख्या, भू-क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता।

झटपट जाँच

1. राज्य के चार तत्व?
2. किसी प्रांत या नगरपालिका के पास कौन-सा तत्व नहीं होता?
3. राज्य या सरकार: कौन स्थायी है?

उत्तर: 1. जनसंख्या, भू-क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता · 2. संप्रभुता · 3. राज्य; सरकारें बदलती हैं

संविधान, संविधानवाद और विधि का शासन

सीमित सरकार
संविधानवाद
विधि का शासन
डायसी 1885
सम्यक् प्रक्रिया

संविधान सरकार के अंगों की स्थापना करता है, पर उसका मुख्य प्रयोजन उनकी शक्तियों को **परिभाषित और सीमित** करना है। यह विचार कि सरकार को ऐसी सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, **संविधानवाद (Constitutionalism)** है। लिखित संविधान होते हुए भी किसी देश में संविधानवाद का अभाव हो सकता है, यदि उसके शासक इन सीमाओं की अनदेखी करें।

★★★ **संविधान का मुख्य प्रयोजन**: **सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना**। पदों का सृजन, विधियों के लक्ष्य तय करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसके बाद आते हैं।

★★★ **संवैधानिक सरकार (Constitutional government) = सीमित सरकार (Limited government)**: यह **व्यक्ति की स्वतंत्रता** के हित में **राज्य की सत्ता** पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, न कि राज्य की सत्ता के हित में स्वतंत्रता पर।

★★ **शक्ति कैसे सीमित होती है**: लिखित नियम, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनर्विलोकन वाले स्वतंत्र न्यायालय, स्वतंत्र और नियमित चुनाव, और शक्तियों का संघीय बँटवारा।

★★ **लिखित या अलिखित, कठोर या लचीला**: भारत और अमेरिका के संविधान लिखित हैं; ब्रिटेन का संविधान संविधियों, अभिसमयों और न्यायालयी निर्णयों पर टिका है। भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है (अनुच्छेद 368)।

★★★ **विधि का शासन (Rule of law) (ए.वी. डायसी, A.V. Dicey, 1885)**: (1) **विधि की सर्वोच्चता**: किसी को तब तक दंड नहीं दिया जाता जब तक साधारण न्यायालय में विधि का उल्लंघन सिद्ध न हो, अतः कोई मनमानी शक्ति नहीं; (2) **विधि के समक्ष समता**: अधिकारियों सहित सभी एक ही विधि और एक ही न्यायालयों के अधीन हैं; (3) संविधान न्यायालयों द्वारा घोषित साधारण विधि का परिणाम है।

★★★ **भारत में विधि का शासन**: पहले दो लागू होते हैं; अनुच्छेद 14 **विधि के समक्ष समता** और **विधियों का समान संरक्षण** देता है। तीसरा लागू नहीं होता, क्योंकि अधिकार लिखित संविधान से आते हैं। विधि का शासन **मूल ढाँचे (Basic structure)** का भाग है (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, 1975)।

★★ **अपवाद**: राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पदीय कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं (अनुच्छेद 361); विदेशी राजनयिकों को उन्मुक्ति प्राप्त है।

★★ **अनुच्छेद 14 के दो वाक्यांश**: 'विधि के समक्ष समता' (ब्रिटिश, नकारात्मक: किसी को विशेषाधिकार नहीं) और 'विधियों का समान संरक्षण' (अमेरिकी, सकारात्मक: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार)।

★★ **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाम सम्यक् प्रक्रिया**: अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)' है (जापान से ली गई); **मेनका गांधी (1978)** के बाद से यह प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त भी होनी चाहिए, जो अमेरिकी 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया (Due process of law)' के निकट है।

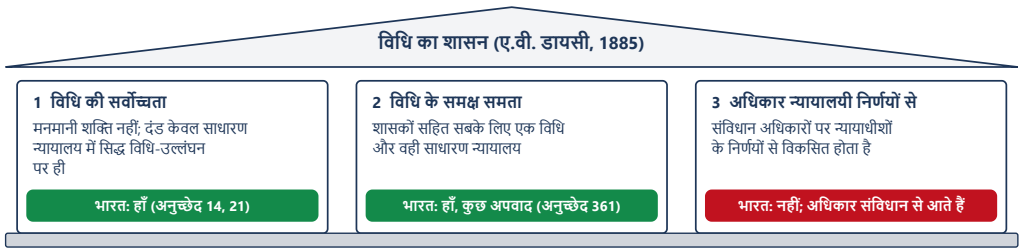

विधि के शासन के डायसी के तीन स्तंभ। भारत पहले दो को मानता है; तीसरा उस देश में नहीं बैठता जहाँ अधिकार लिखित संविधान से आते हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** विकल्प में 'विधि का शासन': **सबके लिए एक विधि और सबके लिए एक न्यायपालिका**। 'संवैधानिक सरकार' का अर्थ **सीमित सरकार** है, न कि 'विधायिका द्वारा सरकार', 'लोकप्रिय सरकार', 'बहुदलीय सरकार' या ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियाँ हों।

💡 **याद रखें: संविधान सत्ता के चारों ओर बाड़ है, जनता के चारों ओर नहीं।**

☑ झटपट जाँच

1. संवैधानिक सरकार, दो शब्दों में?
2. विधि के शासन के डायसी के तीन विचार?
3. डायसी के विचार का कौन-सा भाग भारत नहीं मानता, और क्यों?

उत्तर: 1. सीमित सरकार · 2. विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, न्यायालयी निर्णयों से अधिकार · 3. तीसरा: अधिकार लिखित संविधान से आते हैं

शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन

मॉन्टेस्क्यू 1748

तीन अंग

नियंत्रण और संतुलन

अनुच्छेद 50

भारत में सम्मिलन

यदि एक ही व्यक्ति या संस्था विधि बनाए, उसे लागू करे और उसके अंतर्गत विवादों का निर्णय भी करे, तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मॉन्टेस्क्यू का उत्तर था तीनों शक्तियों को तीन अलग अंगों को देना, जो एक-दूसरे पर नज़र रखें। इसीलिए **शक्तियों के पृथक्करण (Separation of powers)** को उदार लोकतंत्र में **स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा** कहा जाता है।

★★★ **मॉन्टेस्क्यू (Montesquieu)** ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (The Spirit of the Laws, **1748**) में यह सिद्धांत ब्रिटिश व्यवस्था के अध्ययन से निकाला; **अमेरिकी संविधान** (1787) इसे सबसे कठोरता से लागू करता है।

★★★ उदार लोकतंत्र में **स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा**: **शक्तियों का पृथक्करण**। 'प्रतिबद्ध' न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण या केवल निर्वाचित सरकार अपने आप स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रखते।

★★ **नियंत्रण और संतुलन (Checks and balances)**: हर अंग दूसरों पर अंकुश लगा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति विधेयकों पर वीटो कर सकता है, सीनेट नियुक्तियों की पुष्टि करती है, कांग्रेस महाभियोग चला सकती है और न्यायालय विधियों का पुनर्विलोकन करते हैं।

★★★ **भारत**: कठोर पृथक्करण नहीं। कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है (सम्मिलन, Fusion), इसलिए यह सिद्धांत मुख्यतः **न्यायपालिका** और अन्य दो अंगों के बीच काम करता है, और तीनों के बीच परस्पर नियंत्रण रहते हैं।

★★ **भारत के नियंत्रण**: संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछती है और अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें हटा सकती है; कार्यपालिका लोक सभा का विघटन करा सकती है और अध्यादेश जारी कर सकती है (अनुच्छेद 123); संसद न्यायाधीशों को हटाती है (अनुच्छेद 124(4), 217); कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है; न्यायालय असंवैधानिक विधियों और आदेशों को रद्द करते हैं।

★★ **अनुच्छेद 50** (निदेशक तत्व): राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

★★ **मूल ढाँचा**: शक्तियों का पृथक्करण इसका भाग है (केशवानंद भारती, 1973 में सूचीबद्ध; इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, 1975 में लागू)।

मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (1748): सत्ता ही सत्ता पर अंकुश लगाए

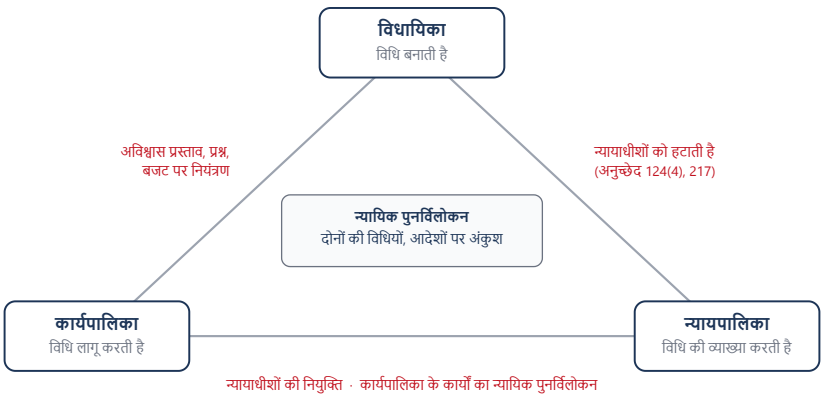

तीनों अंग और भारत में हर अंग दूसरों पर कैसे अंकुश रखता है। पृथक्करण शक्ति को बाँटे रखता है; नियंत्रण हर भाग को ईमानदार रखते हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा पूछी जाए तो **शक्तियों का पृथक्करण** चुनें। **प्रतिबद्ध** न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्टा है, और शक्तियों का **केंद्रीकरण** स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

💡 **याद रखें:** मॉन्टेस्क्यू का नियम: **सत्ता ही सत्ता पर अंकुश बने**। तीन जेबों में तीन चाबियाँ, ताकि कोई अकेला हर ताला न खोल सके।

झटपट जाँच

1. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने और किस पुस्तक में दिया?
2. उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा?
3. कौन-सा निदेशक तत्व न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने को कहता है?

उत्तर: 1. मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (1748) · 2. शक्तियों का पृथक्करण · 3. अनुच्छेद 50

अधिकार और कर्तव्य

राज्य के विरुद्ध दावे

सहसंबंधी

लास्की

अधिकारों के प्रकार

अनुच्छेद 300A

अनुच्छेद 51A

अधिकार (Right) व्यक्ति का ऐसा दावा है, जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, उन परिस्थितियों के लिए जो उसे अच्छे जीवन के लिए चाहिए। मेरा अधिकार तभी सुरक्षित रह सकता है जब दूसरे उसका सम्मान करें, इसलिए **हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है**।

★★★ **अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं**: ये सीमित करते हैं कि राज्य क्या कर सकता है। ये कुछ लोगों के विशेषाधिकार नहीं हैं, न ही नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे।

★★★ **अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधी (Correlative) हैं**: मेरा जीवन का अधिकार आपका यह कर्तव्य है कि आप मुझे हानि न पहुँचाएँ; और मैं कोई अधिकार तभी तक माँग सकता हूँ जब तक दूसरों के उसी अधिकार का सम्मान करूँ।

★★ **हेरोल्ड लास्की (Harold Laski)** (ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, A Grammar of Politics, 1925): अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पाने का प्रयास नहीं कर सकता।

★★ **अधिकारों के प्रकार**: **प्राकृतिक** (जन्मजात; लॉक के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति); **नैतिक** (अंतःकरण पर टिके, विधि पर नहीं); **कानूनी** (न्यायालयों द्वारा लागू), जो **नागरिक**, **राजनीतिक** या **आर्थिक** होते हैं।

★★ **नागरिक अधिकार (Civil rights)**: जीवन, स्वतंत्रता, समता, वाक्, संपत्ति। **राजनीतिक अधिकार**: मत देना, चुनाव लड़ना, पद धारण करना, सरकार की आलोचना करना। **आर्थिक अधिकार**: काम, उचित मज़दूरी, विश्राम, सामाजिक सुरक्षा।

★★ **भारत में**: मौलिक अधिकार (भाग III) **अनुच्छेद 32** के माध्यम से लागू होते हैं; संपत्ति का अधिकार अब केवल **अनुच्छेद 300A** के अंतर्गत एक **संवैधानिक कानूनी अधिकार** है (44वाँ संशोधन, 1978)।

★★ **मानव अधिकार**: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **10 दिसंबर 1948** को **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights)** अपनाई; यह दिन अब मानव अधिकार दिवस है।

★★★ **मौलिक कर्तव्य**: **अनुच्छेद 51A** (भाग IVA), **स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee)** की सलाह पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़े गए; अब **11** कर्तव्य हैं, 11वाँ (माता-पिता 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दें) **86वें संशोधन (2002)** से। न्यायालय इन्हें सीधे लागू नहीं करा सकते।

★ **गांधी** सिखाते थे कि अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है: भली-भाँति अर्जित अधिकार, भली-भाँति निभाया गया कर्तव्य है।

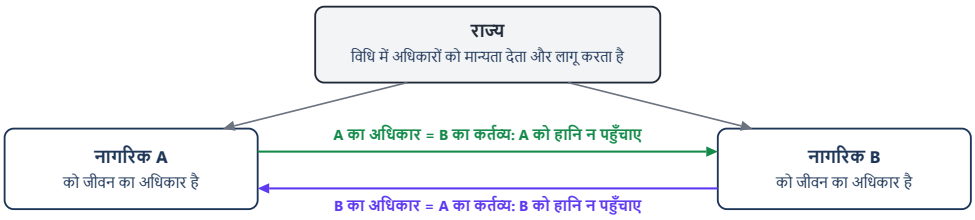

अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के दावे हैं; हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा है।

अधिकार और कर्तव्य एक ही संबंध के दो पहलू हैं: हर नागरिक का अधिकार हर दूसरे नागरिक का कर्तव्य है, और राज्य दोनों को मान्यता देता है और लागू करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'अधिकार व्यक्तिगत हैं और समाज से स्वतंत्र हैं' **गलत** है: अधिकार केवल समाज में ही होते हैं। 'अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं' विचार को उलट देता है। **राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे** और **कर्तव्यों के साथ सहसंबंधी** चुनें।

याद रखें: अधिकार और कर्तव्य एक ही रस्सी के दो सिरे हैं: एक सिरा खींचो तो दूसरा भी हिलता है।

झटपट जाँच

1. अधिकार किसके, किसके विरुद्ध दावे हैं?
2. 'अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधी हैं' का क्या अर्थ है?
3. संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है, और किस प्रकार का?

उत्तर: 1. नागरिकों के, राज्य के विरुद्ध · 2. एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है · 3. अनुच्छेद 300A; कानूनी (संवैधानिक) अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं

स्वतंत्रता, समानता और न्याय

नकारात्मक स्वतंत्रता

सकारात्मक स्वतंत्रता

विधि और स्वतंत्रता

विशेषाधिकार नहीं

रॉल्स 1971

बंधुता

स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रस्तावना के आदर्श हैं, और बंधुता उन्हें जोड़ती है। हर एक का एक संकीर्ण और एक व्यापक अर्थ है, और परीक्षा के विकल्प 'सबसे उपयुक्त' अर्थ पूछते हैं: प्रायः व्यापक अर्थ।

★★★ **नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative liberty)**: प्रतिबंध **से** मुक्ति: व्यक्ति वहाँ स्वतंत्र है जहाँ राज्य और दूसरे उसे अकेला छोड़ दें (हॉब्स, लॉक, **जे.एस. मिल (J.S. Mill)**, ऑन लिबर्टी, On Liberty, 1859)।

★★★ **सकारात्मक स्वतंत्रता (Positive liberty)**: कुछ करने और बढ़ने **की** स्वतंत्रता: **स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर**, जिसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और उचित परिस्थितियाँ देनी पड़ सकती हैं (टी.एच. ग्रीन, लास्की)। **आइज़ाया बर्लिन (Isaiah Berlin)** ने 'टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी' (1958) में दोनों को ये नाम दिए।

★★★ स्वतंत्रता की **सबसे उपयुक्त परिभाषा**: **स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर**। 'प्रतिबंधों का अभाव' और 'जो चाहे वह करना' अधूरे हैं; 'निरंकुश शासकों से सुरक्षा' केवल एक भाग है।

★★★ **विधि और स्वतंत्रता**: विधि स्वतंत्रता की शर्त है: **यदि विधियाँ नहीं हैं, तो स्वतंत्रता नहीं है** (लॉक: जहाँ विधि नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं)। अधिक विधियों का अर्थ अपने आप कम स्वतंत्रता नहीं है।

★★ **मिल का हानि सिद्धांत (Harm principle)**: किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति के उचित प्रयोग का एकमात्र प्रयोजन दूसरों को हानि से बचाना है।

★★ **प्रस्तावना में स्वतंत्रता**: **विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना** की।

★★ **स्वतंत्रता की सुरक्षा**: विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और जागरूक नागरिक; इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य है।

★★★ **समानता (Equality)**: किसी व्यक्ति या समूह के लिए **विशेषाधिकारों का अभाव**, और सबके लिए **समान अवसर**। इसका अर्थ एक जैसा व्यवहार नहीं है, न ही प्रतिस्पर्धा या प्रतिबंधों का अभाव।

★★ **समानता के प्रकार**: **कानूनी** (अनुच्छेद 14), **सामाजिक** (अनुच्छेद 15, 17), **राजनीतिक** (एक व्यक्ति, एक मत: सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326), **आर्थिक** (निदेशक तत्व, अनुच्छेद 38, 39)। समानता **सामाजिक** असमानताओं (जाति, वर्ग) को मिटाना चाहती है, प्राकृतिक भिन्नताओं (प्रतिभा, कद) को नहीं।

★★ **औपचारिक बनाम सारभूत समानता**: असमानों से एक जैसा व्यवहार असमानता को गहरा कर सकता है, इसलिए संविधान **आरक्षण** और विशेष उपबंधों की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(4), 16(4); इंद्रा साहनी, 1992)।

★★ **न्याय (Justice)**: प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक (रूसी क्रांति से लिया गया आदर्श)। **जॉन रॉल्स (John Rawls)**, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (A Theory of Justice, **1971**): सिद्धांत **अज्ञान के पर्दे (Veil of ignorance)** के पीछे से चुनें, समाज में अपना स्थान जाने बिना; असमानताएँ तभी न्यायसंगत हैं जब उनसे सबसे वंचित लोगों को लाभ हो।

★ **बंधुता (Fraternity)**: भाईचारे की भावना जो **व्यक्ति की गरिमा** और **राष्ट्र की एकता और अखंडता** सुनिश्चित करती है ('अखंडता' 42वें संशोधन से जोड़ी गई)। आंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को एक अविभाज्य त्रयी मानते थे।

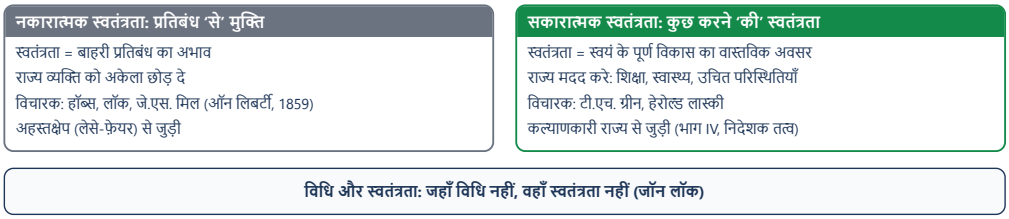

स्वतंत्रता के दो अर्थ। परीक्षाएँ सकारात्मक अर्थ को चुनती हैं; और विधि स्वतंत्रता की शर्त है, उसकी शत्रु नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** समाज में समानता का अर्थ **विशेषाधिकारों** का अभाव है, प्रतिबंधों, प्रतिस्पर्धा या विचारधारा का नहीं। विधि और स्वतंत्रता के बीच सबसे अच्छा कथन है '**यदि विधियाँ नहीं हैं, तो स्वतंत्रता नहीं है**', न कि 'अधिक विधियाँ, कम स्वतंत्रता'।

💡 **याद रखें: नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है 'मुझे अकेला छोड़ दो'; सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है 'मुझे बढ़ने में मदद करो'।**

☑ **झटपट जाँच**

1. राज्य-व्यवस्था में स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा?
2. समाज में समानता का अर्थ किसका अभाव है?
3. 'अज्ञान का पर्दा' किसने और किस पुस्तक में दिया?

उत्तर: 1. स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर · 2. विशेषाधिकारों का · 3. जॉन रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971)

लोकतंत्र

लिंकन 1863

साधारण नागरिक

प्रत्यक्ष बनाम प्रतिनिधि

जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान

उदार लोकतंत्र

लोकतंत्र (Democracy) जनता का शासन है। छोटे समुदाय में लोग सीधे निर्णय ले सकते हैं; बड़े देश में वे प्रतिनिधि चुनते हैं। इसकी शक्ति गति में नहीं, **सहभागिता** में है: यह सार्वजनिक प्रश्नों पर साधारण नागरिकों पर भरोसा करता है।

★★★ **अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln)** (गेटिसबर्ग संबोधन, **1863**): **जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए** सरकार।

★★★ **लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण**: यह **साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र** को क्रियाशील बनाता है, किसी एक प्रतिभाशाली नेता या दल-कार्यकर्ताओं के समूह को नहीं।

★★★ **प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct democracy)**: जनता स्वयं निर्णय लेती है; प्राचीन **एथेंस**; आज भी कुछ **स्विस कैंटन** खुली सभाओं (लैंड्सगेमाइंडे, Landsgemeinde) में निर्णय लेते हैं, और **स्विट्ज़रलैंड** में अक्सर जनमत संग्रह होते हैं।

★★★ **प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन**: **जनमत संग्रह (Referendum)** (जनता किसी विधि या प्रस्ताव पर मत देती है), **उपक्रम (Initiative)** (जनता विधि का प्रस्ताव करती है), **प्रत्याह्वान (Recall)** (मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाते हैं), **लोकमत संग्रह (Plebiscite)** (जनता किसी सार्वजनिक प्रश्न पर मत देती है, प्रायः संप्रभुता या भू-क्षेत्र के प्रश्न पर)।

★★ **भारत** एक **प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष) लोकतंत्र** है: जनता संसद और विधानसभाओं के सदस्य चुनती है। प्रत्याह्वान केवल कुछ राज्यों के कानूनों के अंतर्गत कुछ स्थानीय निकायों के प्रमुखों के लिए है।

★★ **उदार लोकतंत्र (Liberal democracy)**: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस, और **अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ बहुमत का शासन**।

★★ **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** भारत के **पहले आम चुनाव (1951–52)** से; मतदान की आयु **61वें संशोधन (1988)** से **21 से घटाकर 18** की गई, 1989 से प्रभावी।

★★ **आंबेडकर की चेतावनी** (25 नवंबर 1949): राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो; 'एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य' सामाजिक और आर्थिक जीवन तक भी पहुँचना चाहिए।

★★ **लोकतंत्र और गणराज्य**: गणराज्य (Republic) में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है; ब्रिटेन लोकतंत्र है पर गणराज्य नहीं, भारत दोनों है।

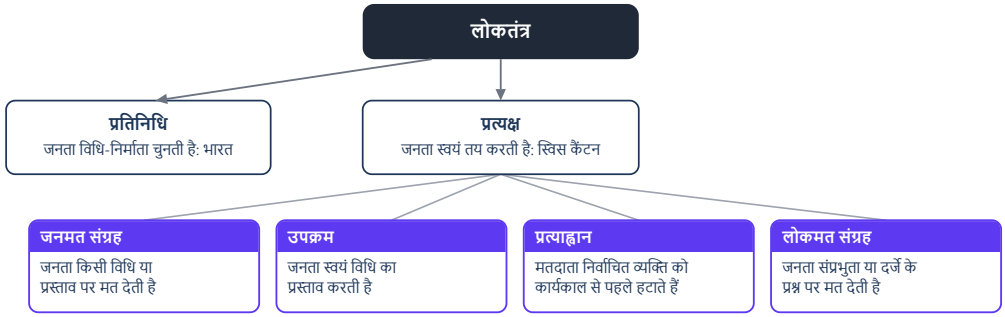

लोकतंत्र के दो प्रकार और वे चार साधन जिनसे जनता सीधे निर्णय लेती है। भारत प्रतिनिधित्व अपनाता है; प्रत्याह्वान केवल कुछ स्थानीय निकायों में बचा है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण' यह है कि यह **साधारण पुरुषों और महिलाओं** को सक्रिय करता है; 'गतिशीलता और दूरदृष्टि वाले श्रेष्ठ व्यक्ति' या 'कार्यपालिका के नेतृत्व को मज़बूत करने' की प्रशंसा करने वाले विकल्प इसका उल्टा बताते हैं।

💡 **याद रखें: R-I-R-P: 'Recall Is Real Power'**: Referendum (जनमत संग्रह), Initiative (उपक्रम), Recall (प्रत्याह्वान), Plebiscite (लोकमत संग्रह)।

☑ **झटपट जाँच**

1. लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण किसे क्रियाशील बनाने में है?
2. कौन-सा साधन मतदाताओं को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रतिनिधि को हटाने देता है?
3. किस संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की?

उत्तर: 1. साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को · 2. प्रत्याह्वान · 3. 61वाँ संशोधन (1988)

विचारधाराएँ: उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और गांधीवाद

उदारवाद

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद

वर्ग संघर्ष

समाजवादी ढाँचा

न्यासिता

राज्यविहीन समाज

विचारधारा दो प्रश्नों का उत्तर देती है: अच्छा समाज क्या है, और वहाँ कैसे पहुँचें। उदारवाद **व्यक्ति** को पहले रखता है, मार्क्सवाद **वर्ग** को, गांधीवाद **नैतिक व्यक्ति और गाँव** को। परीक्षाएँ हर एक का मुख्य शब्द और वह बिंदु पूछती हैं जहाँ वे मिलते हैं।

★★ **उदारवाद (Liberalism)**: व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, सीमित सरकार, विधि का शासन और मुक्त बाज़ार (लॉक; एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, The Wealth of Nations, 1776)। आधुनिक उदारवाद राज्य की कल्याणकारी भूमिका भी स्वीकार करता है।

★★★ **मार्क्सवाद (Marxism)**: **कार्ल मार्क्स (Karl Marx)** (1818–1883) और **फ्रेडरिक एंगेल्स (Friedrich Engels)**: **कम्युनिस्ट घोषणापत्र (The Communist Manifesto, 1848)** और **दास कैपिटल (Das Kapital)** (खंड 1, **1867**)।

★★★ **द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical materialism)**: मार्क्स ने इतिहास और **वर्ग संघर्ष** को इसी से समझाया। पदार्थ (आर्थिक शक्तियाँ) पहले आता है, और परिवर्तन विरोधी तत्वों के टकराव से होता है। इतिहास पर लागू होने पर यह **ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical materialism)** है: आर्थिक आधार (वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है) विधि, राजनीति और धर्म को आकार देता है।

★★★ **वर्ग संघर्ष (Class struggle)**: अब तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है (दास और स्वामी, कृषिदास और सामंत, श्रमिक और पूँजीपति); पूँजीपति श्रमिकों के श्रम का **अधिशेष मूल्य (Surplus value)** अपने पास रखकर उनका शोषण करते हैं।

★★★ **मार्क्स का मार्ग**: श्रमिक क्रांति → **सर्वहारा का अधिनायकत्व (Dictatorship of the proletariat)** → समाजवाद → राज्य **मुरझा जाता है (Withers away)** → **वर्गविहीन, राज्यविहीन** साम्यवादी समाज।

★★ **समाजवाद (Socialism)**: असमानता मिटाने के लिए सामाजिक स्वामित्व और नियोजन; **लोकतांत्रिक समाजवाद** इसे चुनावों और विधि के माध्यम से चाहता है (फेबियन सोसाइटी, ब्रिटेन)। कांग्रेस के **आवडी अधिवेशन (1955)** ने '**समाजवादी ढाँचे का समाज (Socialistic pattern of society)**' अपनाया; **42वें संशोधन (1976)** ने प्रस्तावना में '**समाजवादी**' शब्द जोड़ा। भारतीय समाजवाद का अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारों का मेल है।

★★★ **गांधीवाद (Gandhism)**: **अहिंसा** और **सत्याग्रह**; **स्वराज** (हिंद स्वराज, **1909**); **सर्वोदय**, सबका कल्याण (रस्किन की अनटू दिस लास्ट, Unto This Last, का उनका 1908 का रूपांतर); **न्यासिता (Trusteeship)** (धनी लोग धन को समाज की धरोहर के रूप में रखें); **ग्राम स्वराज** और विकेंद्रीकरण; पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन।

★★★ **राज्य पर गांधी**: वे राज्य को केंद्रित रूप में हिंसा मानते थे और **प्रबुद्ध अराजकता (Enlightened anarchy)** का लक्ष्य रखते थे: ऐसा राज्यविहीन समाज जहाँ हर व्यक्ति स्वयं पर शासन करे।

★★★ **साझा आधार**: गांधीवाद और मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य एक है: **राज्यविहीन समाज** और शोषण का अंत। साधनों पर वे भिन्न हैं: मार्क्स ने हिंसक क्रांति, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति का उन्मूलन और आर्थिक नियतिवाद स्वीकार किए; गांधी ने चारों को अस्वीकार कर अहिंसा, हृदय-परिवर्तन और न्यासिता को अपनाया।

★ **विकल्पों में अन्य 'वाद'**: **अस्तित्ववाद (Existentialism)** (किर्केगार्ड, सार्त्र: हर व्यक्ति अपना अर्थ स्वयं बनाता है); **उपयोगितावाद (Utilitarianism)** (बेंथम: अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख); **अराजकतावाद (Anarchism)** (प्रूधों, बाकुनिन, क्रोपोटकिन: राज्य को अभी समाप्त करो); **फासीवाद (Fascism)** (मुसोलिनी: सर्वशक्तिमान राज्य)।

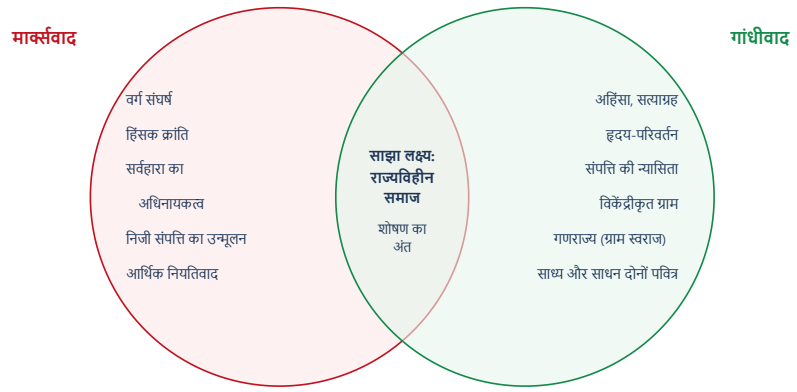

गांधीवाद और मार्क्सवाद कहाँ मिलते हैं: केवल अंतिम लक्ष्य पर। वहाँ तक पहुँचने के मार्ग की हर बात अलग है।

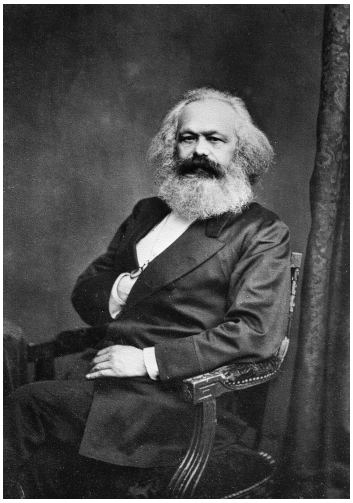

कार्ल मार्क्स, 1875 से पहले का फ़ोटो। उन्होंने वर्ग संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया। चित्र: John Jabez Edwin Mayall, Wikimedia Commons, public domain

महात्मा गांधी, स्टूडियो चित्र, लंदन, 1931। उनकी हिंद स्वराज (1909) ने स्वराज, अहिंसा और ग्राम स्वशासन का विचार रखा। चित्र: Elliott & Fry, Wikimedia Commons, public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान:** गांधीवाद और मार्क्सवाद **केवल अंतिम लक्ष्य** (राज्यविहीन समाज) पर सहमत हैं। वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति का उन्मूलन और आर्थिक नियतिवाद मार्क्सवादी विचार हैं जिन्हें गांधी ने अस्वीकार किया। मार्क्स की पद्धति **द्वंद्वात्मक भौतिकवाद** है, न कि अनुभवमूलक उदारवाद, अस्तित्ववाद या डार्विन का सिद्धांत।

याद रखें: द्वंद्वात्मक = विरोधियों (वर्गों) की बहस; भौतिकवाद = पैसा और मशीनें इतिहास चलाते हैं।

झटपट जाँच

1. मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को किस सिद्धांत से समझाया?
2. गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक साझा बिंदु?
3. गांधी का न्यासिता का विचार क्या है?

उत्तर: 1. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद · 2. राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य · 3. धनी लोग धन को समाज की धरोहर के रूप में रखें

विचारक और उनकी पुस्तकें

प्लेटो, अरस्तू

कौटिल्य

हॉब्स, लॉक, रूसो

मॉन्टेस्क्यू

सुमेलन वाले प्रश्न विचारकों को पुस्तकों और विचारों से जोड़ते हैं। समय की एक रेखा पर रखने से ये जोड़े याद रखना आसान होता है।

मिल, मार्क्स

रॉल्स

किसने क्या लिखा ★★

विचारक	रचना (वर्ष)	याद रखने वाला विचार
प्लेटो (Plato)	रिपब्लिक (Republic, लगभग 375 ई.पू.)	दार्शनिक-राजा का शासन
अरस्तू (Aristotle)	पॉलिटिक्स (Politics)	मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है
कौटिल्य (Kautilya)	अर्थशास्त्र	राज्य के सात अंग (सप्तांग); राज्य-कला
निकोलो मैकियावेली (Niccolò Machiavelli)	द प्रिंस (The Prince, 1513)	राजनीति नैतिकता से अलग; यदि दोनों संभव न हों तो शासक से डरा जाना, प्रेम किए जाने से बेहतर है
थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)	लेवियाथन (Leviathan, 1651)	निरंकुश संप्रभु बनाने वाली सामाजिक संविदा
जॉन लॉक (John Locke)	टू ट्रीटाइज़ेज़ ऑफ गवर्नमेंट (Two Treatises of Government, 1690)	जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार; सीमित सरकार
मॉन्टेस्क्यू (Montesquieu)	द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (The Spirit of the Laws, 1748)	शक्तियों का पृथक्करण
ज्याँ-जाक रूसो (Jean-Jacques Rousseau)	द सोशल कॉन्ट्रैक्ट (The Social Contract, 1762)	सामान्य इच्छा; लोकप्रिय संप्रभुता
जेरेमी बेंथम (Jeremy Bentham)	ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट (A Fragment on Government, 1776)	अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स (Karl Marx and Friedrich Engels)	कम्युनिस्ट घोषणापत्र (1848); दास कैपिटल (मार्क्स, 1867)	वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
जे.एस. मिल (J.S. Mill)	ऑन लिबर्टी (On Liberty, 1859)	हानि सिद्धांत; विचार और वाक् की स्वतंत्रता
ए.वी. डायसी (A.V. Dicey)	इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन (1885)	विधि का शासन
एम.के. गांधी (M.K. Gandhi)	हिंद स्वराज (1909)	स्वराज, अहिंसा, न्यासिता
हेरोल्ड लास्की (Harold Laski)	ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स (A Grammar of Politics, 1925)	बहुलवादी संप्रभुता; आत्म-विकास की परिस्थितियों के रूप में अधिकार
जॉन रॉल्स (John Rawls)	ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (A Theory of Justice, 1971)	अज्ञान का पर्दा; निष्पक्षता के रूप में न्याय

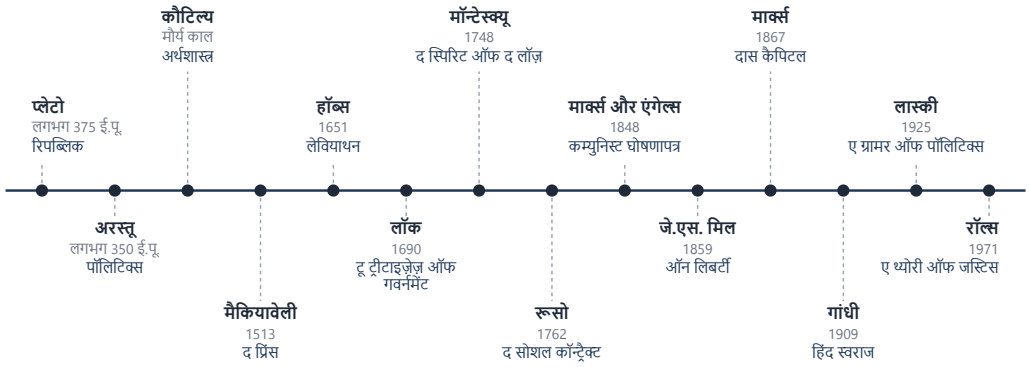

समय के क्रम में विचारक और वह रचना जिससे परीक्षाएँ उन्हें जोड़ती हैं। दूरियाँ बराबर रखी गई हैं, पैमाने पर नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** शक्तियों का पृथक्करण **मॉन्टेस्क्यू** का है, लॉक या रूसो का नहीं; **सामान्य इच्छा रूसो** की है; 'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख' **बेंथम** का है; **लेवियाथन** हॉब्स की रचना है।

याद रखें: हॉब्स सब कुछ सौंप देता है (निरंकुश शासक); **लॉक (Lock = ताला) अधिकारों पर ताला लगाता है** (सीमित सरकार); **रूसो सत्ता जनता के पास रखता है** (सामान्य इच्छा)।

झटपट जाँच

1. लेवियाथन किसने और कब लिखी?
2. 'सामान्य इच्छा' किसका विचार है?
3. ऑन लिबर्टी किसने लिखी?

उत्तर: 1. थॉमस हॉब्स, 1651 · 2. रूसो (द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762) · 3. जे.एस. मिल (1859)

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (15)

UPSC 2011 कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है ?
(a) आनुभविक उदारवाद (b) अस्तित्ववाद (c) डार्विन का विकासवाद (d) द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
उत्तर: (d) द्वंद्वात्मक भौतिकवाद. मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से समझाया

UPSC 2014 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
संवैधानिक सरकार वह है
1. जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाती है
2. जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाती है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b) केवल 2. संविधानवाद का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की शक्ति को सीमित करना है

UPSC 2017 लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है
(a) साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को । (b) कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को ।
(c) गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को । (d) समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को ।
उत्तर: (a) साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को ।. लोकतंत्र की शक्ति यह है कि वह साधारण नागरिकों की बुद्धि और चरित्र को सक्रिय करता है

UPSC 2017 भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है ?
(a) अधिकार कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं । (b) अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं ।
(c) नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार, न कि कर्तव्य, महत्त्वपूर्ण हैं ।
(d) राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य, न कि अधिकार, महत्त्वपूर्ण हैं ।
उत्तर: (a) अधिकार कर्तव्यों के साथ सह-संबंधित हैं ।. अधिकार और कर्तव्य सह-संबंधित हैं: एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है

UPSC 2017 समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें
(a) विशेषाधिकारों का अभाव है (b) अवरोधों का अभाव है (c) प्रतिस्पर्धा का अभाव है (d) विचारधारा का अभाव है
उत्तर: (a) विशेषाधिकारों का अभाव है. समाज में समानता का अर्थ है किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव

UPSC 2017 निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है ?
(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । (b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं ।
(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं । (d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं ।
उत्तर: (c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं ।. अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे हैं, जो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं

UPSC 2018 विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिम्बित करता है ?
(a) यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है । (b) यदि विधि नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है ।
(c) यदि स्वाधीनता है तो विधि-निर्माण जनता को करना होगा । (d) यदि विधि-परिवर्तन बार-बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए ख़तरा है ।
उत्तर: (b) यदि विधि नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है ।. स्वतंत्रता कानून के भीतर ही संभव है: कानून के बिना किसी की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं

UPSC 2019 राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे?
(a) राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण (b) नियंत्रण का अभाव (c) इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर
(d) स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर
उत्तर: (d) स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर. सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं के पूर्ण विकास का अवसर

UPSC 2020 गाँधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है । यह निम्नलिखित में से कौन-सी है ?
(a) एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज (b) वर्ग संघर्ष (c) निजी संपत्ति की समाप्ति (d) आर्थिक नियतिवाद
उत्तर: (a) एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज. गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम लक्ष्य राज्यविहीन समाज है

UPSC 2020 परिभाषा से, संवैधानिक सरकार का अर्थ है
(a) विधान मंडल द्वारा सरकार (b) लोकप्रिय सरकार (c) बहु-दलीय सरकार (d) सीमित सरकार
उत्तर: (d) सीमित सरकार. संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान द्वारा सीमित सरकार है

UPSC 2021 निम्नलिखित में से कौन-सा 'राज्य' शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(a) व्यक्तियों का एक समुदाय, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है
(b) एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग, जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं
(c) बहुत से व्यक्ति, जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन-व्यवस्था के साथ रहते आए हैं
(d) एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, जिसकी एक केन्द्रीय प्राधिकारी तथा केन्द्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है
उत्तर: (a) व्यक्तियों का एक समुदाय, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है. राज्य के चार तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता

UPSC 2021 निम्नलिखित में से कौन-सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है?
(a) एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका (b) शक्तियों का केन्द्रीकरण (c) निर्वाचित सरकार (d) शक्तियों का पृथक्करण
उत्तर: (d) शक्तियों का पृथक्करण. शक्तियों का पृथक्करण सारी शक्ति किसी एक अंग के हाथ में न आने देकर स्वतंत्रता की रक्षा करता है

UPSC 2021 सांविधानिक सरकार का आशय क्या है?
(a) किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार (b) कोई सरकार, जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियाँ हों
(c) कोई सरकार, जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों (d) कोई सरकार, जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो
उत्तर: (d) कोई सरकार, जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो. सांविधानिक सरकार का अर्थ है संविधान से सीमित सरकार

UPSC 2023 निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन किसी देश के 'संविधान' के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?
(a) यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। (b) यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है।
(c) यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है।
(d) यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है।
उत्तर: (c) यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है।. संविधानवाद: संविधान का मुख्य प्रयोजन सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है

BPSC 66th 'विधि का नियम' या 'कानून का अधिराज्य' का मतलब क्या है?
(a) सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र (b) सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य
(c) सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र (d) एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र. विधि के शासन का अर्थ है कि सभी एक ही कानून और एक ही न्यायालयों के अधीन हैं; अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है

स्वयं को परखें (11)

1. संवैधानिक सरकार का अर्थ है
(a) बहुमत दल द्वारा चलाई जाने वाली सरकार (b) संविधान की शर्तों से सीमित सरकार
(c) ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियाँ हों (d) जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार

2. द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने रखा?
(a) रूसो (b) जॉन लॉक (c) थॉमस हॉब्स (d) मॉन्टेस्क्यू

3. कौन-सा साधन मतदाताओं को निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने देता है?
(a) जनमत संग्रह (b) उपक्रम (c) प्रत्याह्वान (d) लोकमत संग्रह

4. 'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख' किसका सिद्धांत है?
(a) उपयोगितावाद (b) उदारवाद (c) मार्क्सवाद (d) अस्तित्ववाद

5. 'अज्ञान का पर्दा' का विचार किससे जुड़ा है?
(a) जॉन रॉल्स (b) हेरोल्ड लास्की (c) जे.एस. मिल (d) ए.वी. डायसी

6. निम्नलिखित में से कौन राज्य का तत्व नहीं है?
(a) जनसंख्या (b) संप्रभुता (c) राजनीतिक दल (d) भू-क्षेत्र

7. सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन है
(a) सभी प्रतिबंधों का अभाव (b) स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर (c) जो चाहे वह करने की स्वतंत्रता
(d) शासकों की निरंकुशता से व्यक्ति की सुरक्षा

8. डायसी के विधि के शासन का कौन-सा भाग भारत में लागू नहीं होता?
(a) मनमानी शक्ति पर विधि की सर्वोच्चता (b) साधारण न्यायालयों के समक्ष सबकी समता (c) न्यायाधीशों के निर्णयों पर टिके अधिकार
(d) विधि के उल्लंघन के बिना कोई दंड नहीं

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के दावे हैं।
2. संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
3. मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 44वें संशोधन से जोड़े गए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्याह्वान से मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटा सकते हैं।
2. उपक्रम विधायिका द्वारा पहले से पारित विधि पर जनता का मतदान है।
3. 61वें संशोधन (1988) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

11. एक राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है कि उसके अधिकारियों पर ड्यूटी पर किए गए किसी भी कार्य के लिए साधारण न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जबकि वही कार्य करने वाले निजी नागरिक पर चलाया जा सकता है। यह किस विचार का सबसे सीधा उल्लंघन है?
(a) लोकप्रिय संप्रभुता (b) शक्तियों का पृथक्करण (c) विधि के समक्ष समता (d) बंधुता

उत्तर: 1. (b) संविधानवाद का अर्थ है कि संविधान सरकार की शक्ति को परिभाषित और सीमित करता है। · 2. (d) मॉन्टेस्क्यू ने इसे 1748 में प्रकाशित किया। · 3. (c) प्रत्याह्वान प्रतिनिधि को हटाता है; जनमत संग्रह और लोकमत संग्रह प्रश्नों पर मतदान हैं; उपक्रम से विधि का प्रस्ताव होता है। · 4. (a) जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद। · 5. (a) रॉल्स ने इसका प्रयोग ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (1971) में किया। · 6. (c) चार तत्व हैं जनसंख्या, भू-क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। · 7. (b) सकारात्मक स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व के विकास का वास्तविक अवसर है। · 8. (c) भारत में अधिकार लिखित संविधान से आते हैं, न्यायालयी निर्णयों से नहीं। · 9. (a) केवल 1 सही है: अनुच्छेद 300A संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाता है, मौलिक अधिकार नहीं, और मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन (1976) से आए, 44वें से नहीं। · 10. (b) कथन 1 और 3 सही हैं; कथन 2 जनमत संग्रह का वर्णन है, जबकि उपक्रम में जनता स्वयं विधि का प्रस्ताव करती है। · 11. (c) डायसी की विधि के समक्ष समता अधिकारियों को नागरिकों वाली ही विधि और उन्हीं साधारण न्यायालयों के अधीन रखती है; शक्तियों का पृथक्करण तीनों अंगों के बीच कार्यों के बँटवारे से जुड़ा है।

अध्याय 23

त्वरित तालिकाएँ: अनुच्छेद, संशोधन, ऐतिहासिक मामले, समितियाँ

सुमेलन और 'कौन-सा अनुच्छेद / कौन-सा संशोधन / कौन-सा मामला' वाले प्रश्न हर वर्ष इन्हीं सूचियों से आते हैं; यह अध्याय परीक्षा से पहले के अंतिम सप्ताह के लिए पूरी पुस्तक की संख्याएँ एक जगह रखता है।

≈ 1 h 02 min पढ़ने में ≈ 2 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21

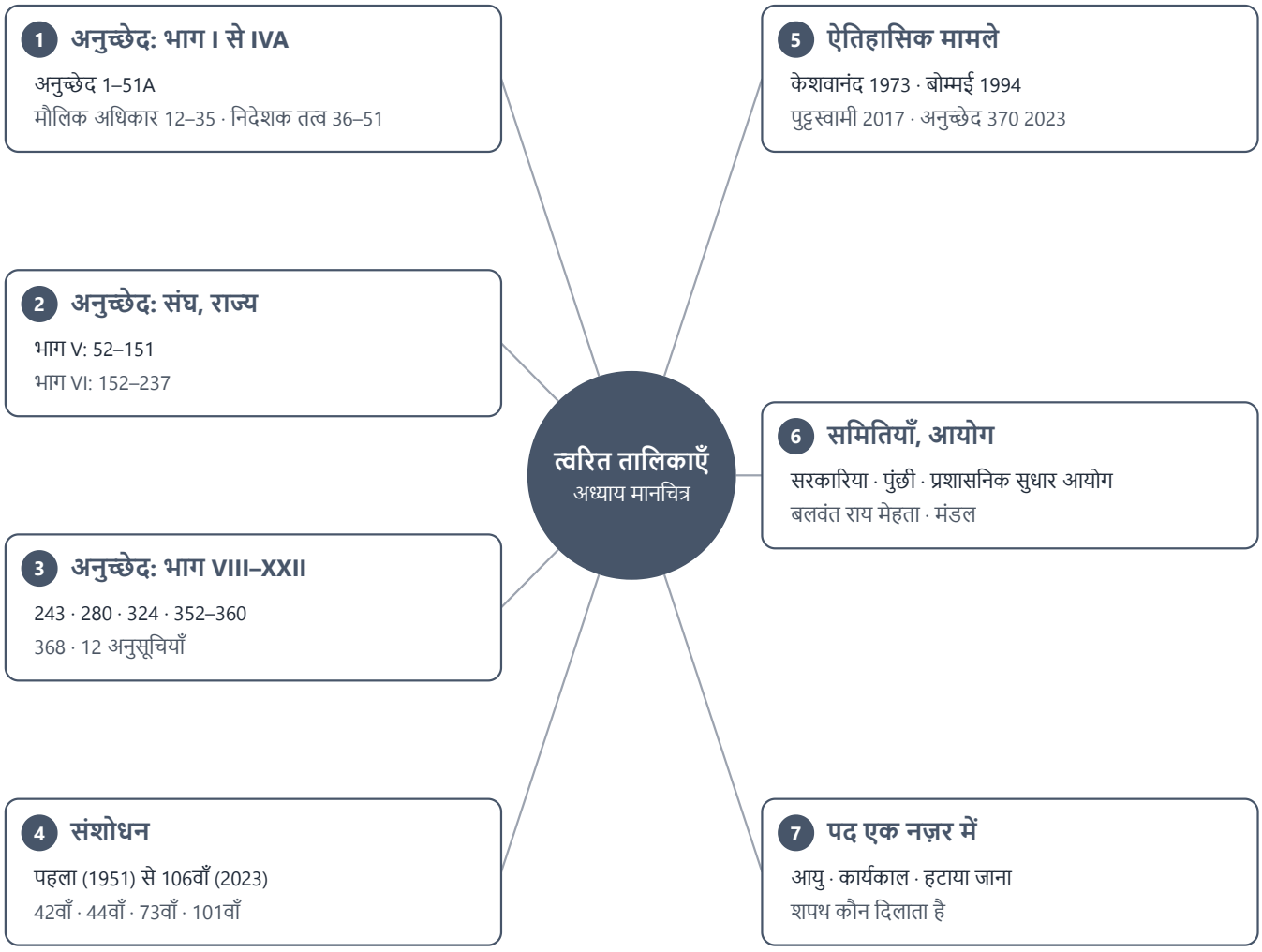

रिवीज़न कार्ड

1. संविधान में **25 भाग** (I से XXII तथा IV-A, IX-A, IX-B, XIV-A; भाग VII 1956 में निरसित) और **12 अनुसूचियाँ** हैं।
2. **अनुच्छेद 32**: उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट, केवल मौलिक अधिकारों के लिए; **अनुच्छेद 226**: उच्च न्यायालयों द्वारा रिट, मौलिक अधिकारों के लिए **और किसी अन्य प्रयोजन** के लिए।
3. **अनुच्छेद 368** से संविधान में संशोधन होता है। अंतिम अधिनियमित संशोधन **106वाँ (2023)** है, महिला आरक्षण, 16 अप्रैल 2026 से लागू; **131वाँ संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026** को लोक सभा में गिर गया।
4. **42वाँ (1976)**: 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता', मौलिक कर्तव्य, पाँच विषय समवर्ती सूची में। **44वाँ (1978)**: संपत्ति भाग III से निकलकर **अनुच्छेद 300A** में; 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह'।
5. **केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973)**, 13 न्यायाधीश, 7:6: संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर **मूल ढाँचे में नहीं**।
6. **पुट्टस्वामी (2017)**, 9 न्यायाधीश: **निजता** अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। **एस.आर. बोम्मई (1994)**: राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन; बहुमत की परीक्षा सदन में।
7. **इंद्रा साहनी (1992)**: 27% OBC कोटा वैध, **क्रीमी लेयर** बाहर, **50% की सीमा**, पदोन्नति में कोटा नहीं (SC/ST के लिए 77वें संशोधन ने पलटा)।
8. **उच्चतम न्यायालय की संख्या**: 2026 के अधिनियम के अंतर्गत CJI + **37** न्यायाधीश (कुल **38**), 16 मई 2026 से लागू।
9. **आयु**: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल **35**; लोक सभा और विधानसभा **25**; राज्य सभा और विधान परिषद **30**; पंचायत **21**। **सेवानिवृत्ति**: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश **65**, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **62**।
10. **शपथ**: राष्ट्रपति को **CJI**; राज्यपाल को **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति**; उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और CAG **राष्ट्रपति** के समक्ष; महान्यायवादी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त **कोई संवैधानिक शपथ नहीं** लेते।
11. **सरकारिया (1983)** और **पुंछी (2007)**: केंद्र-राज्य संबंध। **बलवंत राय मेहता (1957)**: त्रि-स्तरीय पंचायतें; **अशोक मेहता (1977)**: दो स्तर।
12. **2024 के मामले**: चुनावी बॉण्ड रद्द (**15 फ़रवरी**); सांसदों और विधायकों को **रिश्वत के लिए कोई उन्मुक्ति नहीं** (सीता सोरेन, 4 मार्च); अनुसूचित जातियों का **उप-वर्गीकरण** संभव (1 अगस्त)।

भागवार अनुच्छेद: भाग I से IV-A

अनुच्छेद 1–4

अनुच्छेद 5–11

अनुच्छेद 12–35

अनुच्छेद 36–51

अनुच्छेद 51A

भाग I (अनुच्छेद 1–4): संघ और उसका राज्यक्षेत्र; भाग II (अनुच्छेद 5–11): नागरिकता ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
1	'भारत, अर्थात् इंडिया, **राज्यों का संघ (Union of States)** होगा'; राज्यक्षेत्र = राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और अर्जित राज्यक्षेत्र
2	संसद **नए राज्यों** को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है (ऐसा क्षेत्र जो पहले से भारत में नहीं है)
3	संसद नए राज्य बना सकती है और **क्षेत्र, सीमाएँ या नाम** बदल सकती है (विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश चाहिए; राज्य विधानमंडल के विचार माँगे जाते हैं पर वे बाध्यकारी नहीं); जैसे केरल 25 अगस्त 2026 से **केरलम** बना
4	अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनी विधियाँ अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन **नहीं** हैं (साधारण बहुमत)
5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता (अधिवास)
6 / 7	पाकिस्तान **से** आए प्रवासी / पाकिस्तान **को** गए प्रवासी
8	विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति
9	स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त
11	संसद विधि द्वारा नागरिकता का विनियमन करती है (नागरिकता अधिनियम, Citizenship Act 1955)

भाग III (अनुच्छेद 12–35): मौलिक अधिकार ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
12	'राज्य' की परिभाषा
13	मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ **शून्य** हैं (न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार)
14	**विधि के समक्ष समता** और **विधियों का समान संरक्षण**
15	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं; **15(4)** पिछड़े वर्ग (प्रथम संशोधन, 1st), **15(5)** निजी संस्थाओं सहित प्रवेश (93वाँ), **15(6)** EWS (103वाँ)
16	लोक नियोजन में अवसर की समता; **16(4)** पिछड़े वर्ग, **16(4A)** SC/ST के लिए पदोन्नति (77वाँ), **16(4B)** कैरी-फॉरवर्ड (81वाँ), **16(6)** EWS (103वाँ)
17	**अस्पृश्यता** का अंत
18	**उपाधियों** का अंत (सैन्य और शैक्षिक विशिष्टताएँ अनुमत)
19	छह स्वतंत्रताएँ: वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम (सहकारी समितियों सहित), संचरण, निवास, वृत्ति
20	**कार्योत्तर (Ex post facto)** दंड नहीं, **दोहरा दंड (Double jeopardy)** नहीं, **आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination)** नहीं
21	**प्राण और दैहिक स्वतंत्रता**: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा
21A	**6 से 14 वर्ष** तक निःशुल्क और अनिवार्य **शिक्षा** (86वाँ, 2002)
22	**गिरफ़्तारी और निरोध** से संरक्षण; निवारक निरोध
23	मानव का **दुर्व्यापार** और बलात् श्रम (बेगार) निषिद्ध
24	**14 वर्ष से कम** आयु का कोई बालक कारखानों, खानों या खतरनाक काम में नहीं
25	अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
27	किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं
28	**पूर्णतः राज्य-निधि** से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं
29	नागरिकों का कोई भी वर्ग अपनी **भाषा, लिपि या संस्कृति** बनाए रख सकता है
30	**अल्पसंख्यक** (धार्मिक और भाषाई) शिक्षा संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं
31A / 31B / 31C	कुछ विधियों की व्यावृत्ति: संपदाएँ, **नौवीं अनुसूची**, अनुच्छेद 39(b), (c) को प्रभावी करने वाली विधियाँ
32	**संवैधानिक उपचारों का अधिकार**: उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट ('हृदय और आत्मा', आंबेडकर)
33	संसद सशस्त्र बलों, पुलिस और ऐसे ही बलों के अधिकारों पर रोक लगा सकती है
34	**सेना विधि (Martial law)** लागू रहने पर अधिकारों पर रोक

भाग IV (अनुच्छेद 36–51): निदेशक तत्व; भाग IV-A (अनुच्छेद 51A): मौलिक कर्तव्य ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
37	न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, पर **देश के शासन में मूलभूत**
38	न्याययुक्त सामाजिक व्यवस्था; **38(2)** आय की असमानताएँ कम करना (44वाँ)
39	आजीविका; **39(b)** सामूहिक हित के लिए भौतिक संसाधन, **39(c)** धन का संकेंद्रण नहीं, **39(d)** समान कार्य के लिए समान वेतन
39A	**समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता** (42वाँ)
40	**ग्राम पंचायतों** का संगठन
41	काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार
42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ; **प्रसूति सहायता**
43 / 43A / 43B	निर्वाह मज़दूरी और कुटीर उद्योग / **उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी** (42वाँ) / **सहकारी समितियाँ** (97वाँ)
44	**समान सिविल संहिता**
45	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा** (86वाँ)
46	SC, ST और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित
47	पोषण, लोक स्वास्थ्य, मादक पेयों और ड्रग्स का **प्रतिषेध**
48 / 48A	कृषि और पशुपालन, **गोवध** / **पर्यावरण, वन, वन्यजीव** (42वाँ)
49	राष्ट्रीय महत्व के **स्मारकों** का संरक्षण
50	**न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना**
51	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
51A	**ग्यारह मौलिक कर्तव्य**: दस 42वें संशोधन (1976, स्वर्ण सिंह समिति, Swaran Singh Committee) से जोड़े गए; 11वाँ, माता-पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएँ, 86वें (2002) से

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का नाम बदलने देता है, और किस बहुमत से?
2. कौन-से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की संस्कृति और उनकी शिक्षा संस्थाओं की रक्षा करते हैं?
3. कौन-सा निदेशक तत्व समान सिविल संहिता की बात करता है?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 3; साधारण बहुमत · 2. अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 · 3. अनुच्छेद 44

अनुच्छेद 52–78
अनुच्छेद 79–122
अनुच्छेद 123
अनुच्छेद 124–147
अनुच्छेद 148–151

संघ की कार्यपालिका (अनुच्छेद 52–78) ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
52 / 53	भारत का एक **राष्ट्रपति** होगा; संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है
54	निर्वाचक मंडल: दोनों सदनों के और **राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली और पुडुचेरी** के **निर्वाचित** सदस्य
55	रीति: **एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व**, गुप्त मतदान
56 / 57 / 58	कार्यकाल **5 वर्ष** / पुनर्निर्वाचन संभव / अर्हताएँ (**35** वर्ष, लोक सभा के लिए योग्य)
60	**भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** के समक्ष शपथ
61	संविधान के अतिक्रमण पर **महाभियोग**
62	रिक्ति **6 महीने** के भीतर चुनाव से भरी जाती है
63 / 64 / 65	**उपराष्ट्रपति** / पदेन **राज्य सभा का सभापति** / रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य
66 / 67	उपराष्ट्रपति का चुनाव **दोनों सदनों के सभी सदस्य** (मनोनीत भी) करते हैं / कार्यकाल 5 वर्ष, हटाया जाना
72	**क्षमा**, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण (सेना न्यायालय और मृत्युदंड सहित)
74	प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद **सहायता और सलाह** देगी; सलाह बाध्यकारी (42वाँ), एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाई जा सकती है (44वाँ)
75	प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं; मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर; **लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व**; आकार की सीमा लोक सभा का **15%** (91वाँ)
76	**महान्यायवादी (Attorney General)**
77	सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से
78	प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को **सूचना देने का कर्तव्य**

संसद (अनुच्छेद 79–122) और अध्यादेश (अनुच्छेद 123) ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
79	संसद = **राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा**
80	राज्य सभा: अधिकतम **250** (238 निर्वाचित + **12 मनोनीत**)
81	लोक सभा: राज्यों से अधिकतम **530** + संघ राज्यक्षेत्रों से **20**
83	राज्य सभा **स्थायी**; लोक सभा **5 वर्ष** (राष्ट्रीय आपात में एक बार में एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है)
84	अर्हताएँ: राज्य सभा के लिए **30**, लोक सभा के लिए **25**
85	आहूत करना, सत्रावसान, विघटन; दो सत्रों के बीच अंतराल **6 महीने से कम**
86 / 87	राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश / चुनाव के बाद पहले सत्र में और हर वर्ष **विशेष अभिभाषण**
88	मंत्री और **महान्यायवादी** किसी भी सदन में बोल सकते हैं (महान्यायवादी मत नहीं दे सकता)
89 / 93	राज्य सभा के सभापति, उपसभापति / लोक सभा के **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष**
94	अध्यक्ष को लोक सभा के **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित संकल्प द्वारा, **14 दिन** की सूचना पर हटाया जाता है
99	सदस्यों की शपथ
100	मतदान; **गणपूर्ति सदन का दसवाँ भाग**
101–103	स्थानों का रिक्त होना और **निरर्हता**; राष्ट्रपति **निर्वाचन आयोग की राय** पर निर्णय करते हैं
105	संसद और उसके सदस्यों के **विशेषाधिकार**
107 / 108	विधेयकों का पारित होना / **संयुक्त बैठक** (अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है)
109 / 110	धन विधेयक की प्रक्रिया (राज्य सभा **14 दिन** में लौटाती है) / परिभाषा; **अध्यक्ष प्रमाणित करता है**
111	विधेयकों पर राष्ट्रपति की **अनुमति**
112	**वार्षिक वित्तीय विवरण** (बजट)
113 / 114	अनुदान माँगें / **विनियोग विधेयक**
115 / 116	अनुपूरक अनुदान / **लेखानुदान**
117	वित्त विधेयक
120	संसद में भाषा: हिंदी या अंग्रेज़ी
122	न्यायालय **संसद की कार्यवाहियों** की जाँच नहीं करेंगे
123	संसद सत्र में न हो तब राष्ट्रपति का **अध्यादेश**

संघ की न्यायपालिका (अनुच्छेद 124–147) और CAG (अनुच्छेद 148–151) ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
124	उच्चतम न्यायालय; न्यायाधीशों की संख्या विधि द्वारा तय: **CJI + 37** (2026 का अधिनियम); सेवानिवृत्ति **65** पर; संसद द्वारा हटाया जाना (अनुच्छेद 124(4))
124A–124C	**NJAC** (99वाँ संशोधन), 2015 में रद्द
127 / 128	**तदर्थ** न्यायाधीश / उच्चतम न्यायालय में **सेवानिवृत्त** न्यायाधीशों की उपस्थिति
129	उच्चतम न्यायालय **अभिलेख न्यायालय** है (अवमानना के लिए दंड दे सकता है)
130	स्थान **दिल्ली** में (या जहाँ CJI राष्ट्रपति के अनुमोदन से तय करें)
131	**मूल अधिकारिता**: केंद्र और राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच विवाद
132–134	संवैधानिक, सिविल और दांडिक मामलों में अपील
136	किसी भी न्यायालय या अधिकरण से **अपील की विशेष अनुमति** (सैन्य नहीं)
137	अपने निर्णयों का **पुनर्विलोकन**
139A	उच्च न्यायालयों के बीच मामलों का अंतरण
141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि **सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी**
142	**पूर्ण न्याय** के लिए आदेश
143	राष्ट्रपति को **सलाहकारी राय**
148	**नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)**, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है
149 / 151	CAG के कर्तव्य / लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति (संघ) या राज्यपाल (राज्य) को जाते हैं, जो उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' करने देता है?
2. धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, और इसकी परिभाषा किस अनुच्छेद में है?
3. संसद के प्रत्येक सदन की गणपूर्ति?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 142 · 2. लोक सभा अध्यक्ष; अनुच्छेद 110 · 3. कुल सदस्यों का दसवाँ भाग (अनुच्छेद 100)

भागवार अनुच्छेद: भाग VI से IX-B

अनुच्छेद 153–167
अनुच्छेद 168–213
अनुच्छेद 214–237
अनुच्छेद 239AA
अनुच्छेद 243
अनुच्छेद 243ZH

भाग VI (अनुच्छेद 152–237): राज्य ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
153 / 155 / 156	**राज्यपाल** / **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त / राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण, सामान्यतः 5 वर्ष
157	अर्हताएँ: नागरिक, **35** वर्ष
159	**उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति** के समक्ष शपथ
161	राज्य की विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान शक्ति (सेना न्यायालय के दंडादेशों पर कोई शक्ति नहीं)
163	सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, सिवाय वहाँ जहाँ राज्यपाल **अपने विवेक से** कार्य करता है
164	मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है; मंत्री विधानसभा के अधिकतम **15%**, कम से कम **12**; **छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा** में जनजाति कल्याण मंत्री
165	राज्य का **महाधिवक्ता (Advocate General)**
167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य
168 / 169	राज्य विधानमंडल / विधानसभा के विशेष बहुमत से अनुरोध पर संसद **विधान परिषद** का सृजन या उत्सादन करती है
170 / 171	विधानसभा **60 से 500** सदस्य / परिषद अधिकतम विधानसभा का **एक-तिहाई**, कम से कम **40**
172 / 174	विधानसभा 5 वर्ष, परिषद स्थायी / सत्र, अंतराल **6 महीने से कम**
178	विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
200	विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प: अनुमति, अनुमति रोकना, लौटाना (धन विधेयक नहीं), **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना**
201	राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक
202	राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण
213	राज्यपाल का **अध्यादेश**
214 / 217	हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति; सेवानिवृत्ति **62** पर
219	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ **राज्यपाल** के समक्ष
222 / 224 / 224A	न्यायाधीशों का **स्थानांतरण** / अपर और कार्यकारी न्यायाधीश / सेवानिवृत्त न्यायाधीश
226	उच्च न्यायालयों द्वारा **रिट**, मौलिक अधिकारों के लिए और **किसी अन्य प्रयोजन** के लिए
227	अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर **अधीक्षण** (सैन्य नहीं)
231	दो या अधिक राज्यों के लिए **एक ही उच्च न्यायालय**
233	**जिला न्यायाधीशों** की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है

भाग VIII (अनुच्छेद 239–242): संघ राज्यक्षेत्र ★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
239	संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन **राष्ट्रपति** एक प्रशासक के माध्यम से करते हैं
239A	**पुडुचेरी** के लिए विधानमंडल (14वाँ, 1962)
239AA / 239AB	**दिल्ली**: विधानसभा और मंत्रिपरिषद वाला राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (69वाँ, 1991) / दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता
240	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति के **विनियम** (जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप)
241	संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) पंचायतें; भाग IX-A (243P–243ZG) नगरपालिकाएँ; भाग IX-B (243ZH–243ZT) सहकारी समितियाँ ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
243A / 243B	**ग्राम सभा** / तीन स्तर (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला); **20 लाख** या उससे कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं
243D	SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान; **महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई** (सदस्य और अध्यक्ष)
243E	**5 वर्ष** का कार्यकाल; अवधि समाप्त होने से पहले या विघटन के **6 महीने** के भीतर चुनाव
243F	निरर्हता; न्यूनतम आयु **21**
243G	शक्तियाँ और कार्य: **ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)**
243I	हर 5 वर्ष में **राज्य वित्त आयोग**
243K	पंचायत चुनावों के लिए **राज्य निर्वाचन आयोग**
243M	नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं (**PESA 1996** से पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित)
243Q	तीन प्रकार: **नगर पंचायत**, **नगरपालिका परिषद**, **नगर निगम**
243S	**3 लाख** या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में **वार्ड समितियाँ**
243W	शक्तियाँ: **बारहवीं अनुसूची (18 विषय)**
243ZD / 243ZE	**जिला योजना समिति** / **महानगर योजना समिति** (10 लाख या अधिक)
243ZH–243ZT	सहकारी समितियाँ (97वाँ, 2011): अधिकतम **21 निदेशक**, 5 वर्ष का कार्यकाल; 2021 से (राजेंद्र एन. शाह मामला) केवल **बहु-राज्य** सहकारी समितियों पर लागू

☑ झटपट जाँच

1. राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है?
2. कौन-सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का उपबंध करता है?
3. कौन-सा अनुच्छेद दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संबंधित है?

उत्तर: 1. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (अनुच्छेद 159) · 2. अनुच्छेद 243I · 3. अनुच्छेद 239AA

अनुच्छेद 245–263
अनुच्छेद 265–300A
अनुच्छेद 324–329
अनुच्छेद 330–342A
अनुच्छेद 343–351
अनुच्छेद 352–360

भाग X से XIV-A (अनुच्छेद 244–323B) ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
244 / 244A	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र / असम के भीतर स्वायत्त राज्य (22वाँ, 1969)
245 / 246	विधियों का विस्तार / सातवीं अनुसूची की **तीन सूचियाँ**
246A	**GST**: संसद और राज्य दोनों विधि बनाते हैं (101वाँ)
248	**अवशिष्ट शक्तियाँ** संसद के पास
249	यदि **राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से संकल्प पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाती है (एक बार में एक वर्ष)
250 / 252 / 253	राष्ट्रीय आपात के दौरान / दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर / **संधियों** को लागू करने के लिए
254	समवर्ती सूची में विरोध होने पर **संघ की विधि अभिभावी**
256 / 257	राज्य संघ की विधियों का पालन करें / राज्यों को संघ के निदेश
262	**अंतरराज्यिक नदी जल विवाद**
263	**अंतरराज्यिक परिषद** (1990 में गठित)
265	**विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं**
266 / 267	**संचित निधि** और लोक लेखा / **आकस्मिकता निधि**
269A	अंतरराज्यिक आपूर्ति पर GST (IGST)
270 / 275	राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले कर / **सहायता अनुदान**
279A	**GST परिषद**, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री
280	**वित्त आयोग**, हर पाँच वर्ष में
282	विवेकाधीन अनुदान
292 / 293	संघ द्वारा उधार / राज्यों द्वारा उधार
300A	**संपत्ति का अधिकार**: कानूनी (मौलिक नहीं) अधिकार (44वाँ, 1978)
301	पूरे भारत में **व्यापार, वाणिज्य और समागम** की स्वतंत्रता
309 / 310 / 311	भर्ती नियम / **प्रसादपर्यंत का सिद्धांत** / पदच्युति के विरुद्ध सुरक्षा
312	**अखिल भारतीय सेवाएँ**, राज्य सभा के संकल्प (उपस्थित और मत देने वालों का दो-तिहाई) के बाद सृजित
315 / 316 / 317	**लोक सेवा आयोग** / नियुक्ति और कार्यकाल / हटाया जाना
320	लोक सेवा आयोगों के कार्य
323A / 323B	**प्रशासनिक अधिकरण** / अन्य अधिकरण (42वाँ)

भाग XV से XXII (अनुच्छेद 324–395) ★★★

अनुच्छेद	क्या उपबंध करता है
324	**निर्वाचन आयोग**: संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव
325 / 326	एक साधारण निर्वाचक नामावली / **18 वर्ष पर वयस्क मताधिकार** (61वाँ)
329	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक (विवाद निर्वाचन याचिका से जाते हैं)
330 / 332	लोक सभा में / विधानसभाओं में **SC और ST** के लिए स्थान
330A / 332A / 334A	लोक सभा में / विधानसभाओं में **महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान** / स्थान केवल उस परिसीमन के बाद आरक्षित होंगे जो अधिनियम लागू होने (16 अप्रैल 2026) के बाद हुई पहली जनगणना पर आधारित हो, **15 वर्ष** के लिए (106वाँ)
331	लोक सभा में आंग्ल-भारतीय मनोनयन: **25 जनवरी 2020 को समाप्त** (104वें ने इसे नहीं बढ़ाया)
334	SC/ST स्थान आरक्षण **25 जनवरी 2030** तक (104वाँ)
338 / 338A / 338B	**NCSC** / **NCST** (89वाँ, 2003) / **NCBC** (102वाँ, 2018)
340	पिछड़े वर्गों के लिए आयोग (कालेलकर, मंडल)
341 / 342 / 342A	राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित, संसद द्वारा परिवर्तित **SC सूची** / **ST सूची** / SEBC सूची (102वाँ; 105वें ने राज्यों की अपनी सूचियाँ बहाल कीं)
343	**देवनागरी लिपि में हिंदी** संघ की राजभाषा; अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप
344	राजभाषा आयोग (1955, बी.जी. खेर) और संसद की समिति
348	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विधियों के पाठ के लिए **अंग्रेज़ी**
350A / 350B	**मातृभाषा** में प्राथमिक शिक्षा / **भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी** (दोनों 7वाँ, 1956)
351	हिंदी के विकास का कर्तव्य
352	**राष्ट्रीय आपात**: युद्ध, बाह्य आक्रमण, **सशस्त्र विद्रोह**; विशेष बहुमत से **एक महीने** में अनुमोदन
355	राज्यों की आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा का संघ का **कर्तव्य**
356	**राष्ट्रपति शासन**; **दो महीने** में अनुमोदन; अधिकतम **3 वर्ष**
358 / 359	युद्ध या बाह्य आक्रमण के आपात में अनुच्छेद 19 निलंबित / अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित, **अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं** (44वाँ)
360	**वित्तीय आपात** (कभी लागू नहीं हुआ)
361	राष्ट्रपति और राज्यपाल पदीय कार्यों के लिए न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में कोई आपराधिक मामला नहीं
361B	दल-बदल करने वाला **लाभकारी राजनीतिक पद** धारण नहीं कर सकता (91वाँ)
363A	पूर्व शासकों की मान्यता और **प्रिवी पर्स** समाप्त (26वाँ)
368	संविधान का **संशोधन**
370	जम्मू और कश्मीर: 5 और 6 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों से **निष्क्रिय** (11 दिसंबर 2023 को वैध ठहराया गया)
371 से 371J	विशेष उपबंध: महाराष्ट्र और गुजरात (371), नगालैंड (371A), असम (371B), मणिपुर (371C), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (371D, E), सिक्किम (371F), मिज़ोरम (371G), अरुणाचल (371H), गोवा (371I), कर्नाटक (371J)
394A	संविधान का प्राधिकृत **हिंदी पाठ** (58वाँ, 1987)
395	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का निरसन

बारह अनुसूचियाँ ★★★

अनुसूची	विषय-वस्तु
पहली	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, उनके राज्यक्षेत्रों सहित
दूसरी	वेतन और भत्ते: राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश, CAG
तीसरी	**शपथों के प्रारूप**: संघ और राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक और उम्मीदवार, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, CAG (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 60, 69, 159 के अंतर्गत शपथ लेते हैं)
चौथी	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को **राज्य सभा के स्थानों** का आवंटन
पाँचवीं	**अनुसूचित क्षेत्रों** और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
छठी	**असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के जनजातीय क्षेत्र (स्वायत्त जिला परिषदें)
सातवीं	**संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ**: 1950 में 97, 66 और 47 प्रविष्टियाँ; अब लागू **98, 59 और 52** (101वें संशोधन, 2016 से पहले 100, 61 और 52)
आठवीं	**22 भाषाएँ** (मूलतः 14; सिंधी 1967, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003)
नौवीं	मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती से संरक्षित विधियाँ (प्रथम संशोधन, 1st, 1951); **24 अप्रैल 1973** के बाद जोड़ी गई विधियों को मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है
दसवीं	**दल-बदल विरोधी** (52वाँ, 1985)
ग्यारहवीं	**पंचायतें**: 29 विषय (73वाँ, 1992)
बारहवीं	**नगरपालिकाएँ**: 18 विषय (74वाँ, 1992)

☑ झटपट जाँच

1. किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सभा के संकल्प के बाद संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाती है?
2. आपात के दौरान कौन-से अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं किए जा सकते?
3. कौन-सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 249 · 2. अनुच्छेद 20 और 21 · 3. छठी अनुसूची

पहला (1st), 1951
42वाँ 1976
44वाँ 1978
73वाँ / 74वाँ
101वाँ GST
106वाँ महिलाएँ

संशोधन, 1951 से 1978 ★★★

क्रम (वर्ष)	क्या बदला
पहला (1st, 1951)	अनुच्छेद **15(4)**; **19(2)** में नए आधार (लोक व्यवस्था, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध-उद्दीपन); **नौवीं अनुसूची**, अनुच्छेद 31A और 31B
दूसरा (2nd, 1952)	लोक सभा के प्रति स्थान जनसंख्या का पुनः समायोजन
7वाँ (1956)	भाषाई आधार पर **राज्यों का पुनर्गठन** (14 राज्य, 6 संघ राज्यक्षेत्र); भाग A, B, C, D राज्य समाप्त; साझा उच्च न्यायालय; अनुच्छेद 350A, 350B
9वाँ (1960)	**बेरुबारी** क्षेत्र पाकिस्तान (पूर्वी पाकिस्तान) को हस्तांतरित
10वाँ (1961)	**दादरा और नगर हवेली** संघ राज्यक्षेत्र बना
12वाँ (1962)	**गोवा, दमन और दीव** संघ राज्यक्षेत्र बना
13वाँ (1962)	**नगालैंड**: अनुच्छेद 371A
14वाँ (1962)	**पुडुचेरी** संघ राज्यक्षेत्र बना; अनुच्छेद 239A, संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधानमंडल
15वाँ (1963)	**उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 → 62**
21वाँ (1967)	**सिंधी** आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई
22वाँ (1969)	असम के भीतर स्वायत्त राज्य के रूप में **मेघालय** (अनुच्छेद 244A)
24वाँ (1971)	संसद **मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग** में संशोधन कर सकती है; संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को **अनुमति देनी ही होगी**
25वाँ (1971)	'प्रतिकर' के स्थान पर 'रकम'; **अनुच्छेद 31C** जोड़ा गया
26वाँ (1971)	पूर्व शासकों के **प्रिवी पर्स** और विशेषाधिकार समाप्त
31वाँ (1973)	लोक सभा के निर्वाचित स्थान 525 से बढ़ाकर **545**
36वाँ (1975)	**सिक्किम** पूर्ण राज्य (अनुच्छेद 371F)
38वाँ (1975)	आपात की घोषणाएँ न्यायालय की परिधि से बाहर (44वें ने पलटा)
39वाँ (1975)	प्रधानमंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव न्यायालयों की पहुँच से बाहर (यह खंड इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण में रद्द)

42वाँ (1976)	'लघु संविधान (Mini-Constitution)': प्रस्तावना में **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता**; **मौलिक कर्तव्य**; अनुच्छेद 39A, 43A, 48A; अधिकरण (भाग XIV-A); **शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षी, नाप-तौल, न्याय प्रशासन** समवर्ती सूची में; लोक सभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 → 6 वर्ष; सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी
43वाँ (1977)	42वें द्वारा घटाई गई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता बहाल की
44वाँ (1978)	**संपत्ति का अधिकार** भाग III से हटाया गया (अनुच्छेद 300A); 'आंतरिक अशांति' → **'सशस्त्र विद्रोह'**; आपात केवल मंत्रिमंडल की **लिखित** सलाह पर; अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते; कार्यकाल फिर 5 वर्ष; राष्ट्रपति सलाह एक बार लौटा सकते हैं

संशोधन, 1985 से 2023 ★★★

क्रम (वर्ष)	क्या बदला
52वाँ (1985)	**दल-बदल विरोधी कानून**: दसवीं अनुसूची
53वाँ / 55वाँ / 56वाँ (1986–87)	राज्य बनने पर **मिज़ोरम** (371G), **अरुणाचल** (371H), **गोवा** (371I) के लिए विशेष उपबंध
58वाँ (1987)	संविधान का प्राधिकृत **हिंदी पाठ** (अनुच्छेद 394A)
61वाँ (1988)	**मतदान आयु 21 → 18** (अनुच्छेद 326)
65वाँ (1990)	बहु-सदस्यीय **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग**
69वाँ (1991)	**दिल्ली** को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र नाम दिया गया (अनुच्छेद 239AA)
70वाँ (1992)	दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल
71वाँ (1992)	**कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली** आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं
73वाँ (1992)	**पंचायती राज**: भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची (24 अप्रैल 1993 से लागू)
74वाँ (1992)	**नगरपालिकाएँ**: भाग IX-A, बारहवीं अनुसूची (1 जून 1993 से लागू)
77वाँ (1995)	SC/ST के लिए **पदोन्नति में आरक्षण** (अनुच्छेद 16(4A))
84वाँ (2001)	स्थानों की संख्या पर रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाई गई
86वाँ (2002)	**अनुच्छेद 21A** (शिक्षा 6–14), नया अनुच्छेद 45, कर्तव्य 51A(k)
89वाँ (2003)	अलग **NCSC** और **NCST** (अनुच्छेद 338A)
91वाँ (2003)	मंत्रियों की संख्या निचले सदन के **15%** तक सीमित (राज्यों में न्यूनतम 12); विभाजन अब बचाव नहीं; दल-बदल करने वाले लाभकारी राजनीतिक पदों से वंचित
92वाँ (2003)	**बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली** जोड़ी गईं (22 भाषाएँ)
93वाँ (2005)	**निजी शिक्षा संस्थाओं** में आरक्षण (अनुच्छेद 15(5)), अल्पसंख्यक संस्थाएँ बाहर
95वाँ (2009)	SC/ST और आंग्ल-भारतीय आरक्षण 2020 तक बढ़ाया गया
96वाँ (2011)	आठवीं अनुसूची में **'उड़िया' → 'ओड़िया'** (Oriya → Odia)
97वाँ (2011)	**सहकारी समितियाँ**: इन्हें बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)), अनुच्छेद 43B, भाग IX-B
98वाँ (2012)	**हैदराबाद-कर्नाटक** क्षेत्र (अनुच्छेद 371J)
99वाँ (2014)	**NJAC** (2015 में रद्द)
100वाँ (2015)	**भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता**: एन्क्लेवों का आदान-प्रदान
101वाँ (2016)	**GST**: अनुच्छेद 246A, 269A, 279A (GST परिषद); GST 1 जुलाई 2017 से लागू
102वाँ (2018)	**NCBC** को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B), अनुच्छेद 342A
103वाँ (2019)	अधिकतम **10% EWS** आरक्षण (अनुच्छेद 15(6), 16(6)); 2022 में वैध ठहराया गया
104वाँ (2019)	SC/ST स्थान आरक्षण **2030** तक बढ़ाया; **आंग्ल-भारतीय** मनोनयन समाप्त (25 जनवरी 2020 से लागू)
105वाँ (2021)	राज्यों की अपनी **SEBC सूचियाँ** बनाने की शक्ति बहाल
106वाँ (2023)	लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में **महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान** (नारी शक्ति वंदन अधिनियम); अनुमति 28 सितंबर 2023; 16 अप्रैल 2026 से लागू; स्थान अगले परिसीमन के बाद ही आरक्षित होंगे

पारित न हुए संशोधन विधेयक (नवंबर 2026 तक) ★★

विधेयक	उद्देश्य	स्थिति
129वाँ संशोधन विधेयक, 2024	**एक राष्ट्र, एक चुनाव**: लोक सभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव (नया अनुच्छेद 82A)	17 दिसंबर 2024 को पेश; संयुक्त संसदीय समिति के पास
130वाँ संशोधन विधेयक, 2025	5 वर्ष या अधिक की सज़ा वाले आरोपों में **लगातार 30 दिन** हिरासत में रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाना	20 अगस्त 2025 को पेश; संयुक्त संसदीय समिति के पास
131वाँ संशोधन विधेयक, 2026	लोक सभा का विस्तार (अधिकतम 850 स्थान) और नए परिसीमन के माध्यम से 2029 से महिला आरक्षण लागू करना	17 अप्रैल 2026 को लोक सभा में **पराजित** (298 पक्ष में, 230 विरोध में: दो-तिहाई से कम)

झटपट जाँच

1. किस संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की?
2. किस संशोधन ने लोक सभा में आंग्ल-भारतीयों का मनोनयन समाप्त किया?
3. किस संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' रखा?

उत्तर: 1. 61वाँ (1988) · 2. 104वाँ (जनवरी 2020 से लागू) · 3. 44वाँ (1978)

ऐतिहासिक मामले

गोलकनाथ 1967

केशवानंद 1973

मिनर्वा मिल्स 1980

मेनका 1978

बोम्मई 1994

पुट्टस्वामी 2017

संशोधन शक्ति और मूल ढाँचा ★★★

मामला (वर्ष)	न्यायालय ने क्या कहा
बेरुबारी यूनियन (Berubari Union, 1960)	प्रस्तावना संविधान का **भाग नहीं** है; क्षेत्र सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन चाहिए
शंकरी प्रसाद (Shankari Prasad, 1951); सज्जन सिंह (Sajjan Singh, 1965)	संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत **मौलिक अधिकारों** में संशोधन कर सकती है
गोलकनाथ (Golaknath, 1967)	11 न्यायाधीश: संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन **नहीं** कर सकती; **भावी प्रभाव से निरसन (Prospective overruling)**
केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati, 24 अप्रैल 1973)	13 न्यायाधीश, 7:6: संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर **मूल ढाँचे में नहीं**; प्रस्तावना संविधान का **भाग है**
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (Indira Gandhi v. Raj Narain, 1975)	**स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** मूल ढाँचा हैं; 39वें संशोधन का खंड रद्द
मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills, 1980)	**सीमित संशोधन शक्ति** और **मौलिक अधिकारों तथा निदेशक तत्वों का संतुलन** मूल ढाँचा हैं; 42वें के कुछ भाग रद्द
वामन राव (Waman Rao, 1981)	**24 अप्रैल 1973** के बाद की नौवीं अनुसूची की विधियाँ मूल ढाँचे की कसौटी पर परखी जा सकती हैं
एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar, 1997)	उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का **न्यायिक पुनर्विलोकन** मूल ढाँचा है; अधिकरणों के आदेश पहले उच्च न्यायालय जाते हैं
आई.आर. कोएल्हो (I. R. Coelho, 2007)	24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़ी गई विधियाँ मूल ढाँचे का उल्लंघन करें तो रद्द की जा सकती हैं
SC एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SC Advocates-on-Record Assn., 2015)	**NJAC** और 99वाँ संशोधन रद्द; कॉलेजियम जारी (न्यायपालिका की स्वतंत्रता)

अधिकार ★★★

मामला (वर्ष)	न्यायालय ने क्या कहा
ए.के. गोपालन (A. K. Gopalan, 1950)	अनुच्छेद 21 ('विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया') की संकीर्ण व्याख्या; अधिकार अलग-अलग खानों में
रोमेश थापर (Romesh Thappar, 1950)	**प्रेस की स्वतंत्रता** अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (State of Madras v. Champakam Dorairajan, 1951)	जाति-आधारित प्रवेश आदेश रद्द; इसी से प्रथम संशोधन (1st) आया (अनुच्छेद 15(4))
ADM जबलपुर (ADM Jabalpur, 1976)	आपात में अनुच्छेद 21 निलंबित किया जा सकता था (बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला); 2017 में उलटा गया
मेनका गांधी (Maneka Gandhi, 1978)	अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया **न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त** होनी चाहिए; अनुच्छेद 14, 19, 21 साथ पढ़े जाएँ
हुसैनआरा खातून (Hussainara Khatoon, 1979)	**शीघ्र विचारण** और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 का भाग
बचन सिंह (Bachan Singh, 1980)	मृत्युदंड केवल **'विरल से विरलतम'** मामलों में
ओल्गा टेलिस (Olga Tellis, 1985)	**आजीविका का अधिकार** अनुच्छेद 21 का भाग
शाह बानो (Shah Bano, 1985)	तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत **भरण-पोषण** माँग सकती है
एम.सी. मेहता (M. C. Mehta, ओलियम गैस, 1986)	खतरनाक उद्योगों के लिए **पूर्ण दायित्व (Absolute liability)**
इंद्रा साहनी (Indra Sawhney, 1992)	27% OBC कोटा वैध; **क्रीमी लेयर** बाहर; **50% की सीमा**; पदोन्नति में आरक्षण नहीं
मोहिनी जैन (Mohini Jain, 1992); उन्नीकृष्णन (Unni Krishnan, 1993)	**शिक्षा का अधिकार** अनुच्छेद 21 से निकलता है (14 वर्ष तक निःशुल्क)
डी.के. बसु (D. K. Basu, निर्णय दिसंबर 1996)	**गिरफ़्तारी और हिरासत** संबंधी अधिकारों पर दिशानिर्देश
विशाखा (Vishaka, 1997)	**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न** के विरुद्ध दिशानिर्देश (कानून 2013 में)
टी.एम.ए. पाई (T. M. A. Pai, 2002)	अल्पसंख्यक दर्जा **राज्यवार** तय होगा; निजी और अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार
एम. नागराज (M. Nagaraj, 2006)	पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आँकड़ों के साथ पदोन्नति में आरक्षण वैध; जरनैल सिंह (Jarnail Singh, 2018) ने SC/ST के लिए पिछड़ेपन के आँकड़ों की शर्त हटाई
अशोक कुमार ठाकुर (Ashoka Kumar Thakur, 2008)	केंद्रीय उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण (93वाँ) वैध, क्रीमी लेयर बाहर
अरुणा शानबाग (Aruna Shanbaug, 2011)	सुरक्षा उपायों के साथ **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** की अनुमति
NALSA (2014)	**ट्रांसजेंडर व्यक्ति** तीसरे लिंग के रूप में मान्य
श्रेया सिंघल (Shreya Singhal, 2015)	IT अधिनियम की **धारा 66A** रद्द
के.एस. पुट्टस्वामी (K. S. Puttaswamy, 24 अगस्त 2017)	9 न्यायाधीश: **निजता** मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 21); ADM जबलपुर उलटा गया
शायरा बानो (Shayara Bano, 2017)	**तत्काल तीन तलाक** असंवैधानिक
कॉमन कॉज़ (Common Cause, 2018)	गरिमा के साथ मरने का अधिकार; **लिविंग विल** को मान्यता
नवतेज सिंह जौहर (Navtej Singh Johar, 2018)	सहमति से समलैंगिक संबंध **अपराध नहीं** (धारा 377 सीमित की गई)

जोसेफ शाइन (Joseph Shine, 2018)	**व्यभिचार** (धारा 497) रद्द
इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (Indian Young Lawyers Assn., सबरीमाला, 2018)	10 से 50 वर्ष की महिलाओं के सबरीमाला प्रवेश पर रोक रद्द
पुट्टस्वामी (आधार, Aadhaar, 2018)	संचित निधि से मिलने वाले लाभों के लिए आधार वैध; अनुबंध द्वारा निजी उपयोग रद्द
अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin, 2020)	इंटरनेट बंदी **आनुपातिक** हो और उसकी समीक्षा हो
जनहित अभियान (Janhit Abhiyan, 2022)	**EWS** कोटा (103वाँ) 3:2 से वैध
सुप्रियो चक्रवर्ती (Supriyo Chakraborty, 2023)	**समलैंगिक विवाह** का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं; निर्णय संसद पर
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (State of Punjab v. Davinder Singh, 1 अगस्त 2024)	7 न्यायाधीश, 6:1: राज्य **अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण** कर सकते हैं
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (Property Owners Assn., 5 नवंबर 2024)	9 न्यायाधीश: हर निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(b) के अंतर्गत 'समुदाय का भौतिक संसाधन' नहीं है

संघवाद, संस्थाएँ और चुनाव ★★★

मामला (वर्ष)	न्यायालय ने क्या कहा
एस.पी. गुप्ता (S. P. Gupta, 1981)	प्रथम न्यायाधीश मामला: न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रधानता
द्वितीय न्यायाधीश मामला (Second Judges case, 1993)	**कॉलेजियम** का जन्म: CJI की राय को प्रधानता
तृतीय न्यायाधीश मामला (Third Judges case, 1998)	**CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों** का कॉलेजियम
किहोतो होलोहन (Kihoto Hollohan, 1992)	दसवीं अनुसूची वैध; दल-बदल पर अध्यक्ष का निर्णय **न्यायिक पुनर्विलोकन** के अधीन
एस.आर. बोम्मई (S. R. Bommai, 1994)	अनुच्छेद 356 **न्यायिक पुनर्विलोकन** के अधीन; बहुमत की परीक्षा **सदन में**; **पंथनिरपेक्षता** मूल ढाँचा
भारत संघ बनाम ADR (Union of India v. ADR, 2002)	मतदाताओं को उम्मीदवारों के **आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, शिक्षा** जानने का अधिकार
रामेश्वर प्रसाद (Rameshwar Prasad, 2006)	2005 में बिहार विधानसभा का विघटन असंवैधानिक
कुलदीप नैयर (Kuldip Nayar, 2006)	राज्य सभा के उम्मीदवार का उस राज्य का **अधिवासी** होना ज़रूरी नहीं; खुला मतदान वैध
प्रकाश सिंह (Prakash Singh, 2006)	**पुलिस सुधार** पर सात निदेश
बी.पी. सिंघल (B. P. Singhal, 2010)	राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत हटाया जा सकता है, पर **मनमाने ढंग से नहीं**
लिली थॉमस (Lily Thomas, 2013)	2+ वर्ष की सज़ा पाने वाला विधायक **तुरंत निरर्ह**; RPA की धारा 8(4) रद्द
PUCL (2013)	वोटिंग मशीनों पर **नोटा (NOTA)** विकल्प
नबाम रेबिया (Nabam Rebia, 2016)	राज्यपाल का विवेक सीमित; अरुणाचल प्रदेश के निर्णय पलटे गए
भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (Union of India v. Rajendra N. Shah, 2021)	राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IX-B रद्द (राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत थी)
अनुच्छेद 370 संदर्भ मामला (11 दिसंबर 2023)	अनुच्छेद 370 हटाना **वैध**; जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो और चुनाव हों
ADR बनाम भारत संघ (ADR v. Union of India, 15 फ़रवरी 2024)	**चुनावी बॉण्ड** योजना रद्द
सीता सोरेन (Sita Soren, 4 मार्च 2024)	7 न्यायाधीश: वोट या भाषण के लिए **रिश्वत लेने** वाले सांसदों और विधायकों को कोई उन्मुक्ति नहीं; 1998 का पी.वी. नरसिंह राव वाला मत उलटा गया
तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (State of Tamil Nadu v. Governor, 8 अप्रैल 2025)	दो न्यायाधीशों ने राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय की और दस विधेयकों पर मानित अनुमति दी
अनुमति पर राष्ट्रपति का संदर्भ (Presidential Reference on assent, 20 नवंबर 2025)	5 न्यायाधीश (अनुच्छेद 143): न्यायालय राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए **समय-सीमा तय नहीं कर सकते**; कोई **मानित अनुमति (Deemed assent)** नहीं

झटपट जाँच

1. किस मामले में मूल ढाँचे का सिद्धांत पहली बार कहा गया, और किस मत-विभाजन से?
2. किस मामले ने निजता को मौलिक अधिकार बनाया?
3. 2024 के किस मामले ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी?

उत्तर: 1. केशवानंद भारती, 1973, 7:6 · 2. के.एस. पुट्टस्वामी, 2017 · 3. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह

समितियाँ और आयोग

प्रारूप समिति

सरकारिया 1983

पुंछी 2007

बलवंत राय मेहता

मंडल 1979

स्वर्ण सिंह 1976

संविधान सभा की समितियाँ ★★

समिति	अध्यक्ष
प्रारूप समिति (Drafting Committee)	**बी.आर. आंबेडकर (B. R. Ambedkar)**
संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्य समितियाँ	**जवाहरलाल नेहरू**
प्रांतीय संविधान समिति; मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति	**वल्लभभाई पटेल**
प्रक्रिया नियम, संचालन, वित्त और कर्मचारी समितियाँ; राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति	**राजेंद्र प्रसाद**
मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बारदोलोई
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र (असम के अतिरिक्त) उप-समिति	ए.वी. ठक्कर

राज्य, केंद्र-राज्य संबंध और प्रशासन ★★★

निकाय (वर्ष)	अध्यक्ष	विषय
धर आयोग (Dhar Commission, 1948)	एस.के. धर	भाषाई प्रांत: इनके विरुद्ध सलाह
JVP समिति (JVP Committee, 1948)	नेहरू, पटेल, पट्टाभि सीतारमैया	भाषाई राज्य: अभी नहीं
राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission, 1953)	फ़ज़ल अली (के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंज़रू के साथ)	रिपोर्ट 1955; 7वें संशोधन, 1956 का आधार
संथानम समिति (Santhanam Committee, 1962)	के. संथानम	भ्रष्टाचार; इससे CVC (1964) बना
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First ARC, 1966)	मोरारजी देसाई, फिर के. हनुमंतैया	प्रशासनिक सुधार; 20 रिपोर्टें
राजमन्नार समिति (Rajamannar Committee, 1969)	पी.वी. राजमन्नार (तमिलनाडु द्वारा गठित)	राज्य स्वायत्तता
स्वर्ण सिंह समिति (1976)	सरदार स्वर्ण सिंह	**मौलिक कर्तव्य**
शाह आयोग (Shah Commission, 1977)	जे.सी. शाह	आपातकाल की ज़्यादतियाँ
सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission, 1983)	आर.एस. सरकारिया	**केंद्र-राज्य संबंध**; रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 (1988 में सार्वजनिक); इसके बाद अंतरराज्यिक परिषद (1990)
वर्मा समिति (Verma Committee, 1999)	जे.एस. वर्मा	मौलिक कर्तव्यों को व्यवहार में लाना
NCRWC (2000)	एम.एन. वेंकटचलैया	संविधान के कामकाज की समीक्षा; रिपोर्ट 2002
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second ARC, 2005)	एम. वीरप्पा मोइली	प्रशासनिक सुधार; 15 रिपोर्टें
पुंछी आयोग (Punchhi Commission, 2007)	एम.एम. पुंछी	**केंद्र-राज्य संबंध**; रिपोर्ट 2010

स्थानीय शासन ★★★

निकाय (वर्ष)	अध्यक्ष	मुख्य सिफ़ारिश
बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee, 1957)	बलवंत राय मेहता	**लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**: तीन स्तर, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत; सबसे पहले **राजस्थान** ने अपनाया (नागौर, 2 अक्टूबर 1959)
अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee, 1977)	अशोक मेहता	**दो स्तर**: जिला परिषद और मंडल पंचायत; राजनीतिक दलों की भागीदारी
हनुमंत राव समिति (Hanumantha Rao Committee, 1984)	सी.एच. हनुमंत राव	जिला योजना
जी.वी.के. राव समिति (G. V. K. Rao Committee, 1985)	जी.वी.के. राव	जिला योजना की इकाई; जिला परिषद केंद्रीय
एल.एम. सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee, 1986)	एल.एम. सिंघवी	पंचायतों को **संवैधानिक दर्जा**
पी.के. थुंगन समिति (P. K. Thungon Committee, 1988)	पी.के. थुंगन	संवैधानिक मान्यता; 5 वर्ष का कार्यकाल

चुनाव, आरक्षण, न्याय और वित्त ★★

निकाय (वर्ष)	अध्यक्ष	विषय
काका कालेलकर आयोग (Kaka Kalelkar Commission, 1953)	काका कालेलकर	प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
मंडल आयोग (Mandal Commission, 1979)	बी.पी. मंडल	द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग; **27% OBC** कोटा; रिपोर्ट 1980
तारकुंडे समिति (Tarkunde Committee, 1974)	वी.एम. तारकुंडे	चुनाव सुधार (जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित)
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (National Police Commission, 1977)	धर्म वीर	पुलिस सुधार
दिनेश गोस्वामी समिति (Dinesh Goswami Committee, 1990)	दिनेश गोस्वामी	चुनाव सुधार
वोहरा समिति (Vohra Committee, 1993)	एन.एन. वोहरा	**अपराधी-राजनेता गठजोड़**
इंद्रजीत गुप्त समिति (Indrajit Gupta Committee, 1998)	इंद्रजीत गुप्त	चुनावों का **राजकीय वित्तपोषण**
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission, 2002)	कुलदीप सिंह	2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
मलिमथ समिति (Malimath Committee, 2000, रिपोर्ट 2003)	वी.एस. मलिमथ	आपराधिक न्याय सुधार
रंगनाथ मिश्र आयोग (Ranganath Misra Commission, 2004)	रंगनाथ मिश्र	धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक
सच्चर समिति (Sachar Committee, 2005)	राजिंदर सच्चर	मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति
जे.एस. वर्मा समिति (J. S. Verma Committee, 2012)	जे.एस. वर्मा	महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर आपराधिक विधि; इसी से 2013 के संशोधन आए
रोहिणी आयोग (Rohini Commission, 2017)	जी. रोहिणी	OBC का उप-वर्गीकरण; रिपोर्ट 31 जुलाई 2023
बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (B. N. Srikrishna Committee, 2017)	बी.एन. श्रीकृष्ण	डेटा संरक्षण; रिपोर्ट 2018
एक साथ चुनाव पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on simultaneous elections, 2023)	राम नाथ कोविंद	**एक राष्ट्र, एक चुनाव**; रिपोर्ट मार्च 2024
पंद्रहवाँ वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission, 2017)	एन.के. सिंह	2021–26; राज्यों का हिस्सा **41%**
सोलहवाँ वित्त आयोग (Sixteenth Finance Commission, 2023)	अरविंद पनगढ़िया	2026–31; राज्यों का हिस्सा **41%** पर बरकरार; 'GDP में योगदान' नया मानदंड; रिपोर्ट 1 फ़रवरी 2026 को पेश

☑ झटपट जाँच

1. केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन किन दो आयोगों ने किया, उनके अध्यक्षों सहित?
2. किस समिति ने पंचायतों के दो स्तरों की सिफ़ारिश की?
3. सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

उत्तर: 1. सरकारिया (आर.एस. सरकारिया, 1983); पुंछी (एम.एम. पुंछी, 2007) · 2. अशोक मेहता समिति (1977) · 3. अरविंद पनगढ़िया

पद एक नज़र में: आयु, कार्यकाल, हटाया जाना, शपथ

35 / 25 / 30

65 और 62

महाभियोग

विशेष बहुमत

शपथ CJI द्वारा

कार्यपालिका ★★★

पद	आयु / अर्हता	कार्यकाल	हटाया जाना	शपथ किसके समक्ष
राष्ट्रपति	35; लोक सभा के लिए योग्य	5 वर्ष; पुनर्निर्वाचन संभव	संविधान के अतिक्रमण पर **महाभियोग**: किसी सदन के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से आरोप, 14 दिन की सूचना, हर सदन की **कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई** से पारित (अनुच्छेद 61)	**भारत का मुख्य न्यायमूर्ति** (अनुच्छेद 60)
उपराष्ट्रपति	35; राज्य सभा के लिए योग्य	5 वर्ष	राज्य सभा का **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित संकल्प, लोक सभा की सहमति; 14 दिन की सूचना (अनुच्छेद 67)	**राष्ट्रपति** (अनुच्छेद 69)
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री	संसद सदस्य, या 6 महीने के भीतर बनना होगा	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (व्यवहार में, जब तक लोक सभा में बहुमत रहे)	लोक सभा में अविश्वास मत; मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर बर्खास्त	**राष्ट्रपति** (अनुच्छेद 75(4))
राज्यपाल	35; नागरिक	5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत	राष्ट्रपति द्वारा कभी भी; संविधान में कोई आधार नहीं	**उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति** (अनुच्छेद 159)
मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री	राज्य विधानमंडल का सदस्य, या 6 महीने के भीतर बनना होगा	राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (व्यवहार में, जब तक विधानसभा में बहुमत रहे)	विधानसभा में अविश्वास मत	**राज्यपाल** (अनुच्छेद 164(3))
महान्यायवादी	उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य	कोई निश्चित कार्यकाल नहीं; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 76)	राष्ट्रपति द्वारा	कोई निर्धारित नहीं
महाधिवक्ता	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य	राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 165)	राज्यपाल द्वारा	कोई निर्धारित नहीं

विधायक, पीठासीन अधिकारी और न्यायाधीश ★★★

पद	आयु / अर्हता	कार्यकाल	हटाया जाना	शपथ किसके समक्ष
लोक सभा सदस्य	25	5 वर्ष (सदन का जीवन)	निरर्हता (अनुच्छेद 102, दसवीं अनुसूची)	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 99)
राज्य सभा सदस्य	30	6 वर्ष; हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त	निरर्हता (अनुच्छेद 102, दसवीं अनुसूची)	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 99)
लोक सभा अध्यक्ष	लोक सभा का सदस्य	नई लोक सभा की पहली बैठक तक	**तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से संकल्प, 14 दिन की सूचना (अनुच्छेद 94)	केवल सदस्य के रूप में शपथ
विधायक / विधान परिषद सदस्य	25 / 30	5 वर्ष / 6 वर्ष	निरर्हता (अनुच्छेद 191, दसवीं अनुसूची)	राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 188)
पंचायत या नगरपालिका सदस्य	21	5 वर्ष	राज्य विधि के अंतर्गत निरर्हता (अनुच्छेद 243F, 243V)	राज्य विधि के अनुसार
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (CJI सहित)	नागरिक; 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता, या विख्यात विधिवेत्ता	**65** वर्ष की आयु तक	सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर **प्रत्येक सदन** द्वारा **विशेष बहुमत** (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वालों का दो-तिहाई) से समावेदन के बाद राष्ट्रपति का आदेश (अनुच्छेद 124(4))	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 124(6))
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश	नागरिक; 10 वर्ष न्यायिक पद पर या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में	**62** वर्ष की आयु तक	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह (अनुच्छेद 217, 218)	राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 219)

संवैधानिक और सांविधिक निकाय ★★★

पद	नियुक्ति	कार्यकाल	हटाया जाना	शपथ किसके समक्ष
CAG (अनुच्छेद 148)	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह	राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 324)	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफ़ारिश पर (2023 का अधिनियम)	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह; अन्य निर्वाचन आयुक्त केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर	कोई निर्धारित नहीं
UPSC अध्यक्ष और सदस्य (अनुच्छेद 316, 317)	राष्ट्रपति	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक	उच्चतम न्यायालय की जाँच (कदाचार) के बाद राष्ट्रपति द्वारा, या दिवालियापन, बाहरी सवेतन काम, अशक्तता पर	कोई निर्धारित नहीं
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य	राज्यपाल	6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक	केवल **राष्ट्रपति** द्वारा	कोई निर्धारित नहीं
वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)	राष्ट्रपति	जैसा राष्ट्रपति तय करें; पुनर्नियुक्ति संभव	संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं	कोई निर्धारित नहीं
NHRC अध्यक्ष	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर	3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक	राष्ट्रपति द्वारा (कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच)	कोई निर्धारित नहीं
मुख्य सूचना आयुक्त	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफ़ारिश पर	3 वर्ष (2019 के नियम) या 65 वर्ष की आयु तक	उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा	कोई निर्धारित नहीं
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति की सिफ़ारिश पर	4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक	उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा	कोई निर्धारित नहीं
लोकपाल अध्यक्ष	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, CJI (या उनके नामित) और एक विख्यात विधिवेत्ता की समिति की सिफ़ारिश पर	5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक	कम से कम 100 सांसदों की याचिका पर, उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति द्वारा	कोई निर्धारित नहीं

☑ झटपट जाँच

1. राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु?
3. उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन-सा सदन अकेले शुरू कर सकता है?

उत्तर: 1. CJI; राष्ट्रपति · 2. 62 · 3. राज्य सभा

स्वयं को परखें (12)

1. अंतरराज्यिक परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 262 (b) अनुच्छेद 263 (c) अनुच्छेद 280 (d) अनुच्छेद 249

2. किस संशोधन ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े?
(a) 24वाँ (b) 42वाँ (c) 44वाँ (d) 52वाँ

3. किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है?
(a) बेरुबारी यूनियन (b) गोलकनाथ (c) केशवानंद भारती (d) मिनर्वा मिल्स

4. सुमेलित कीजिए: बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, सरकारिया, स्वर्ण सिंह। कौन-सा युग्म गलत है?
(a) बलवंत राय मेहता: त्रि-स्तरीय पंचायतें (b) एल.एम. सिंघवी: पंचायतों को संवैधानिक दर्जा (c) सरकारिया: मौलिक कर्तव्य
(d) स्वर्ण सिंह: मौलिक कर्तव्य

5. राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(a) राष्ट्रपति (b) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति (c) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (d) विधानसभा अध्यक्ष

6. नवंबर 2026 तक, मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या है:
(a) 31 (b) 34 (c) 38 (d) 36

7. किस संशोधन ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों का उपबंध किया?
(a) 103वाँ (b) 104वाँ (c) 106वाँ (d) 108वाँ

8. किस मामले ने राज्यों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी?
(a) इंद्रा साहनी (1992) (b) ई.वी. चिन्नैया (2004) (c) जरनैल सिंह (2018) (d) पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)

9. किस अधिकारी के लिए संविधान में कोई शपथ निर्धारित नहीं है?
(a) CAG (b) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (c) महान्यायवादी (d) केंद्रीय मंत्री

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक है।
2. राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता।
3. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात कभी घोषित नहीं हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
निकाय : विषय
1. पुंछी आयोग : भाषाई राज्य
2. अशोक मेहता समिति : द्वि-स्तरीय पंचायतें
3. काका कालेलकर आयोग : द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

12. 18 लाख जनसंख्या वाला एक राज्य भाग IX के अंतर्गत अपना पंचायत कानून बना रहा है। उसकी पंचायतों के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) उसे ग्राम, मध्यवर्ती और जिला पंचायतें रखनी ही होंगी (b) उसे मध्यवर्ती स्तर बनाने की आवश्यकता नहीं है
(c) उसके पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग को ही कराने होंगे (d) वह ग्राम स्तर हटाकर जिला स्तर रख सकता है

उत्तर: 1. (b) अनुच्छेद 263; अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदी जल विवादों से संबंधित है। · 2. (b) 42वें संशोधन (1976) ने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। · 3. (c) केशवानंद (1973) ने इस बिंदु पर बेरुबारी (1960) को पलट दिया। · 4. (c) सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन किया। · 5. (c) अनुच्छेद 159: उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। · 6. (c) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 ने इसे 34 से बढ़ाकर 38 (CJI + 37) किया, 16 मई 2026 से प्रभावी। · 7. (c) 106वाँ संशोधन, 2023। · 8. (d) 2024 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 से उप-वर्गीकरण की अनुमति दी और चिन्नैया से अलग राह ली। · 9. (c) तीसरी अनुसूची में महान्यायवादी के लिए कोई शपथ नहीं है। · 10. (d) तीनों सही हैं: अनुच्छेद 356 के लिए सीमा दो महीने है (एक महीना अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपात के लिए है), 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 और 21 को सुरक्षित किया, और अनुच्छेद 360 का कभी प्रयोग नहीं हुआ। · 11. (a) केवल युग्म 2 सही है: पुंछी ने केंद्र-राज्य संबंधों का अध्ययन किया, और कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे; द्वितीय के अध्यक्ष मंडल थे। · 12. (b) अनुच्छेद 243B के अनुसार 20 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले राज्य को मध्यवर्ती स्तर की छूट है; पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं।

सभी ★★★ तथ्य एक जगह

वे तथ्य जिन पर परीक्षक बार-बार लौटते हैं, अध्याय के क्रम में। इन्हें परीक्षा से पहले की रात और परीक्षा की सुबह पढ़ें।

1. संविधान का निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताएँ

★ **रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act) 1773**: कंपनी पर नियंत्रण की दिशा में ब्रिटिश संसद का पहला कदम और उसकी राजनीतिक भूमिका की पहली स्वीकृति। बंगाल का गवर्नर **बंगाल का गवर्नर-जनरल** बना (पहले **वॉरेन हेस्टिंग्स**), 4 सदस्यों की परिषद के साथ; **1774** में **कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय** बना।

★ **चार्टर ऐक्ट 1833**: केंद्रीकरण का अंतिम चरण। बंगाल का गवर्नर-जनरल **भारत का गवर्नर-जनरल** बना (पहले **लॉर्ड विलियम बैंटिक**), जिसके पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थीं; कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय रह गई।

★ **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act) 1858** (1857 के विद्रोह के बाद): शासन कंपनी से **ब्रिटिश क्राउन** के पास गया। गवर्नर-जनरल **वायसराय (Viceroy)** भी बना (पहले **लॉर्ड कैनिंग**); नया **भारत सचिव (Secretary of State for India)**, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था, 15 सदस्यों वाली भारत परिषद के साथ; नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त हुए।

★ **भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)**: **मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate electorate)** लाया (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व), इसलिए **लॉर्ड मिंटो** को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाता है। **सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय (विधि सदस्य) बने।

★ **भारत शासन अधिनियम 1919 (मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)**: प्रांतीय विषय **आरक्षित (Reserved)** और **हस्तांतरित (Transferred)** में बँटे (प्रांतों में **द्वैध शासन (Dyarchy)**); निर्वाचित बहुमत वाला **द्विसदनीय (Bicameral)** केंद्रीय विधानमंडल (विधान सभा और राज्य परिषद); संपत्ति पर आधारित सीमित मताधिकार पर **प्रत्यक्ष चुनाव**।

★ **भारत शासन अधिनियम 1935**: सबसे लंबा अधिनियम (321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ)। इसने प्रांतों और देशी रियासतों के **अखिल भारतीय संघ** का प्रस्ताव रखा, जो कभी नहीं बना क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुईं।

★ **1935, शक्तियों का बँटवारा**: तीन सूचियाँ, **संघीय** (59 विषय), **प्रांतीय** (54) और **समवर्ती** (36); **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary powers) गवर्नर-जनरल के पास**।

★ **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act) 1947** (3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर): ब्रिटिश शासन **15 अगस्त 1947** को समाप्त; दो डोमिनियन, **भारत और पाकिस्तान**, दोनों राष्ट्रमंडल छोड़ने को स्वतंत्र; **वायसराय** का पद समाप्त (हर डोमिनियन के लिए उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर एक गवर्नर-जनरल); **भारत सचिव** का पद समाप्त; देशी रियासतों पर **ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy)** समाप्त।

★ **एम.एन. रॉय (M.N. Roy)** ने **1934** में पहली बार संविधान सभा (Constituent Assembly) का विचार रखा; **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने **1935** में आधिकारिक रूप से इसकी माँग की।

★ **कैबिनेट मिशन योजना, 1946**: योजना तय की। कुल सदस्य संख्या **389**: ब्रिटिश भारत के लिए **296** (11 गवर्नर प्रांतों से **292** और मुख्य आयुक्त प्रांतों से **4**) और देशी रियासतों के लिए **93**।

★ **सदस्य कैसे चुने गए**: प्रांतों के सदस्य **प्रांतीय विधान सभाओं** के सदस्यों द्वारा **अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** हुए, **एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व** से; देशी रियासतों के सदस्य शासकों द्वारा **मनोनीत** होने थे।

★ **विभाजन के बाद**: पाकिस्तान में गए क्षेत्रों के सदस्य चले गए; सभा घटकर **299** रह गई (प्रांतों से 229, देशी रियासतों से 70)।

★ **9 दिसंबर 1946**: पहली बैठक; मुस्लिम लीग अनुपस्थित रही। सबसे वृद्ध सदस्य **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Sachchidananda Sinha)** फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार **अस्थायी अध्यक्ष (Provisional President)** बने।

★ **11 दिसंबर 1946**: **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** सभा के **अध्यक्ष** चुने गए। **एच.सी. मुखर्जी** और **वी.टी. कृष्णमाचारी** उपाध्यक्ष रहे।

★ **13 दिसंबर 1946**: **नेहरू** ने **उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)** रखा; सभा ने इसे **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके विचार बाद में प्रस्तावना बने।

★ **22 जुलाई 1947**: **राष्ट्रीय ध्वज** अपनाया गया।

★ **26 नवंबर 1949**: संविधान **अंगीकृत** हुआ, यही तिथि प्रस्तावना में लिखी है। तब इसमें प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ** थीं। यह दिन **2015** से **संविधान दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

★ **24 जनवरी 1950**: अंतिम बैठक। सदस्यों ने संविधान पर **हस्ताक्षर** किए (**284** हस्ताक्षर), **राष्ट्रगान** और **राष्ट्रगीत** अपनाए, और **राजेंद्र प्रसाद** को भारत का पहला **राष्ट्रपति** चुना।

★ **26 जनवरी 1950**: संविधान पूरी तरह लागू हुआ (**गणतंत्र दिवस**); यह तिथि इसलिए चुनी गई कि कांग्रेस ने **26 जनवरी 1930** को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था।

★ **लगा समय**: **2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन**, **11 सत्रों** और **165 दिनों** की बैठकों में, जिनमें से **114 दिन** प्रारूप पर लगे।

★ **प्रारूप समिति**: **29 अगस्त 1947** को **7 सदस्यों** के साथ बनी: **बी.आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar)** (अध्यक्ष), **एन. गोपालस्वामी आयंगर**, **अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर**, **के.एम. मुंशी**, **सैयद मोहम्मद सादुल्ला**, **एन. माधव राव** और **टी.टी. कृष्णमाचारी**।

★ विश्व का **सबसे लंबा लिखित संविधान**। 1950 में: प्रस्तावना, **22 भागों में 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ**। नवंबर 2026 तक: **25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 106 बार** संशोधित (नवीनतम: महिलाओं की सीटों पर 106वाँ संशोधन, 2023); अंतिम अनुच्छेद अब भी 395 है, बीच में अक्षर वाले अनुच्छेद जोड़े गए हैं।

★ **कठोर और लचीला साथ-साथ**: अनुच्छेद 368 में अधिकतर संशोधनों के लिए संसद का **विशेष बहुमत** चाहिए और संघीय उपबंधों के लिए **आधे राज्यों का अनुसमर्थन** भी; कुछ उपबंध साधारण कानून द्वारा **साधारण बहुमत** से बदलते हैं। ब्रिटेन का संविधान लचीला है; अमेरिका का कठोर।

★ **एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली (Federal system with a unitary bias)**: दो स्तर की सरकारें, लिखित और सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का बँटवारा, स्वतंत्र न्यायालय और दूसरा सदन संघीय लक्षण हैं; शक्तिशाली केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ और आपात शक्तियाँ एकात्मक लक्षण हैं।

★ **अनुच्छेद 1** भारत को '**राज्यों का संघ (Union of States)**' कहता है। आंबेडकर ने कारण बताया: संघ राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है, और **कोई राज्य अलग नहीं हो सकता**। 'फ़ेडरेशन' शब्द संविधान में कहीं नहीं है।

★ केंद्र और राज्यों में **संसदीय सरकार (Parliamentary government)** (ब्रिटिश या वेस्टमिंस्टर मॉडल): **नाममात्र का प्रमुख** (राष्ट्रपति, राज्यपाल) और **वास्तविक कार्यपालिका** (प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और मंत्री), मंत्री विधानमंडल से, निचले सदन के प्रति **सामूहिक उत्तरदायित्व** (अनुच्छेद 75(3), 164(2)), और निचले सदन को भंग करने की शक्ति।

★ **संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मेल**: संसद संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है, और न्यायालय कानून रद्द कर सकते हैं; दोनों में से कोई भी निरंकुश नहीं, क्योंकि **मूल ढाँचा** सिद्धांत (**केशवानंद भारती, 1973**) संशोधनों को सीमित करता है।

★ **एकल नागरिकता (Single citizenship)**: हर भारतीय केवल भारत का नागरिक है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं (अमेरिका में दोहरी नागरिकता है)।

★ **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)** (भाग III, अनुच्छेद 12 से 35): आज **छह** (समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार)। मूल रूप से सात: **44वें संशोधन (1978)** ने संपत्ति का अधिकार हटाया, जो अब **अनुच्छेद 300A** में विधिक अधिकार है। **अनुच्छेद 32** (उच्चतम न्यायालय) और **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) से लागू।

★ **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles)** (भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51): न्यायालय में लागू नहीं, फिर भी 'देश के शासन में मूलभूत' (अनुच्छेद 37)। आंबेडकर ने इन्हें **'अनोखी विशेषता' (Novel feature)** कहा। **मिनर्वा मिल्स (1980)**: मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों का संतुलन मूल ढाँचे का भाग है।

★ **मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)** (भाग IVA, अनुच्छेद 51A): **स्वर्ण सिंह समिति** की सलाह पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़े गए; पहले दस, ग्यारहवाँ (माता-पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें) **86वें संशोधन (2002)** से; न्यायालय द्वारा लागू नहीं।

★ **सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal adult franchise)** (अनुच्छेद 326): **18** वर्ष या अधिक आयु का हर नागरिक मत दे सकता है, संपत्ति, शिक्षा या लिंग की किसी शर्त के बिना। **61वें संशोधन अधिनियम, 1988** तक यह आयु **21** थी।

★ **विधि का शासन** (**ए.वी. डायसी (A.V. Dicey)**, ब्रिटेन) के तीन भाग हैं: **विधि की सर्वोच्चता** (कोई मनमानी शक्ति नहीं; दंड केवल कानून तोड़ने पर), **विधि के समक्ष समता (Equality before law)** (अधिकारी और नागरिक एक ही कानून और न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी), और **न्यायालयों के निर्णयों से निकलने वाले अधिकार**। इसके लक्षण हैं **शक्ति पर सीमा, विधि के समक्ष समता, और स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षण**।

★ **भारत में विधि का शासन**: पहले दो भाग लागू होते हैं (**अनुच्छेद 14**, न्यायिक पुनर्विलोकन); तीसरा नहीं, क्योंकि भारतीय अधिकार लिखित संविधान (भाग III) से आते हैं, न्यायाधीशों के निर्णयों से नहीं।

★ केंद्र और राज्यों के बीच **शक्तियों का बँटवारा** (तीन सूचियाँ) **भारत शासन अधिनियम 1935** पर आधारित है, 1909, 1919 या 1947 के अधिनियमों पर नहीं।

★ **मौलिक अधिकार** और **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)**: **अमेरिका** से (उसका अधिकार-पत्र)।

★ **निदेशक तत्व**: **आयरलैंड** (1937 का संविधान) से, जिसने यह विचार **स्पेन** से लिया था।

2. प्रस्तावना

★ **उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)**: **जवाहरलाल नेहरू** ने **13 दिसंबर 1946** को रखा, **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकृत। प्रस्तावना इसी से निकली।

★ शेष संविधान के साथ **26 नवंबर 1949** को अंगीकृत (यही तिथि इसमें लिखी है); **26 जनवरी 1950** से लागू।

★ **प्रस्तावना का विचार**: **अमेरिकी संविधान** पहला था जो प्रस्तावना से आरंभ हुआ, 'We the People' से।

★ **'हम, भारत के लोग'**: संविधान के पीछे की सत्ता **जनता** है (लोकप्रिय संप्रभुता), न कोई राजा, न ब्रिटिश संसद।

★ **पाँच शब्दों का क्रम**: **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य**।

★ लोग सभी नागरिकों को **न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने** का, और उन सबमें **बंधुता बढ़ाने** का संकल्प करते हैं।

★ **बंधुता** दो बातें सुनिश्चित करती है: **व्यक्ति की गरिमा** और **राष्ट्र की एकता और अखंडता**।

★ **संप्रभु (Sovereign)**: भारत अपने **आंतरिक और बाहरी** मामले स्वयं तय करता है; कोई बाहरी शक्ति उसके ऊपर नहीं है। यह किसी का आश्रित या डोमिनियन नहीं है।

★ **समाजवादी (Socialist)** (1976): **लोकतांत्रिक समाजवाद**, चुनाव और निजी संपत्ति बनाए रखते हुए कानून और कल्याण से असमानता घटाना; **मिश्रित अर्थव्यवस्था**, हर चीज़ पर राज्य का स्वामित्व नहीं।

★ **पंथनिरपेक्ष (Secular)** (1976): राज्य का **अपना कोई धर्म नहीं** है और वह सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है (**सर्व धर्म समभाव**)। भारतीय पंथनिरपेक्षता **सकारात्मक** है: राज्य धार्मिक प्रथाओं में सुधार कर सकता है (अनुच्छेद 17, 25(2)), राज्य और धर्म के बीच कठोर दीवार के विपरीत।

★ **एस.आर. बोम्मई (1994)**: पंथनिरपेक्षता **मूल ढाँचे** का भाग है।

★ **गणराज्य (Republic)**: राष्ट्राध्यक्ष **निर्वाचित** होता है, वंशानुगत नहीं। भारत का राष्ट्रपति **पाँच वर्ष** के लिए **अप्रत्यक्ष रूप से** चुना जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि **कोई विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग नहीं**: हर सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुला है।

★ **न्याय (Justice)**: **सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक**। सामाजिक: जाति, रंग, नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर असमान व्यवहार नहीं; आर्थिक: आय और संपत्ति की खाई घटाना; राजनैतिक: समान राजनीतिक अधिकार और पदों तक समान पहुँच।

★ **आर्थिक न्याय प्रस्तावना** और **निदेशक तत्वों** दोनों का लक्ष्य है (अनुच्छेद 38 राज्य से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था बनाने को कहता है; अनुच्छेद 39 आर्थिक लक्ष्य बताता है)।

★ **विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना** की **स्वतंत्रता (Liberty)**: मुख्यतः **अनुच्छेद 19, 21 और 25 से 28** से सुनिश्चित।

★ **प्रतिष्ठा** और **अवसर** की **समता (Equality)**: किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं, और सबके लिए समान अवसर।

★ **स्रोत**: स्वतंत्रता, समता, बंधुता **फ्रांसीसी क्रांति (1789)** से; न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) **रूसी क्रांति (1917)** से।

★ **बेरुबारी संघ मामला (In re Berubari Union, 1960)**: प्रस्तावना संविधान का भाग **नहीं** है, यद्यपि यह निर्माताओं के मन की कुंजी है। यह बेरुबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देने पर एक **राष्ट्रपतीय संदर्भ (अनुच्छेद 143)** था; न्यायालय ने कहा कि भूमि सौंपने के लिए संशोधन चाहिए, जिससे **9वाँ संशोधन (1960)** आया।

★ **केशवानंद भारती (1973)**: प्रस्तावना संविधान का भाग **है**; बेरुबारी का मत अस्वीकार हुआ। न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि सभा ने इस पर किसी अन्य उपबंध की तरह बहस कर इसे पारित किया था।

★ **न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं (Not justiciable)**: कोई न्यायालय प्रस्तावना को अकेले लागू नहीं कर सकता। यह विधानमंडल के लिए न **शक्ति का स्रोत** है, न उस पर **सीमा**; शक्तियाँ विशिष्ट अनुच्छेदों से आती हैं।

★ **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976**: 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बदलकर 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न **समाजवादी पंथनिरपेक्ष** लोकतंत्रात्मक गणराज्य' हुआ, और 'राष्ट्र की एकता' बदलकर 'राष्ट्र की एकता **और अखंडता**'।

★ इसलिए **26 जनवरी 1950** को भारत एक '**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य**' था।

★ **बलराम सिंह बनाम भारत संघ (25 नवंबर 2024)**: उच्चतम न्यायालय ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' के विरुद्ध याचिकाएँ **खारिज** कीं। प्रस्तावना में लिखी अंगीकरण की तिथि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन में बाधा नहीं है; 'समाजवादी' निर्वाचित सरकारों को किसी एक आर्थिक नीति से नहीं बाँधता; 'पंथनिरपेक्ष' का अर्थ है कि राज्य न किसी धर्म का पक्ष लेता है, न उससे भेदभाव करता है।

3. भाग, अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद

★ **1950 में**: प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद**, **22 भाग**, **8 अनुसूचियाँ**।

★ **नवंबर 2026 तक**: **25 भाग** और **12 अनुसूचियाँ**; **106 संशोधन**, नवीनतम **106वाँ (2023)**, जो लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह **16 अप्रैल 2026** को लागू हुआ, पर सीटें उस तिथि के बाद की पहली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही आरक्षित होंगी; इसे जल्दी करने वाला **131वाँ संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026** को लोक सभा में गिर गया। क्रमांक अब भी **अनुच्छेद 395** पर समाप्त होता है।

★ **जोड़े गए भाग**: **IVA** मौलिक कर्तव्य और **XIVA** अधिकरण (**42वाँ, 1976**); **IXA** नगरपालिकाएँ (**74वाँ, 1992**); **IXB** सहकारी समितियाँ (**97वाँ, 2011**)।

★ **अंतिम चार अनुच्छेद**: **अनुच्छेद 393**: 'इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है'; **अनुच्छेद 394**: प्रारंभ, अधिकांश पाठ के लिए **26 जनवरी 1950** का उल्लेख; **अनुच्छेद 394A**: प्राधिकृत **हिंदी** पाठ (58वाँ संशोधन, 1987); **अनुच्छेद 395**: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का **निरसन**।

★ **तीसरी अनुसूची** में संघ और राज्य के **मंत्रियों**, **सांसदों और विधायकों** तथा उन सीटों के उम्मीदवारों, **उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** और **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** की शपथ है। **राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60)**, **उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69)** और **राज्यपाल (अनुच्छेद 159)** की शपथ अनुच्छेदों में है, इस अनुसूची में नहीं।

★ **पाँचवीं अनुसूची**: **10 राज्यों** में **अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas)** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान); राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है और एक **जनजाति सलाहकार परिषद** जनजातीय कल्याण पर सलाह देती है।

★ **छठी अनुसूची**: **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के जनजातीय क्षेत्र, **स्वायत्त ज़िला परिषदों** (कुल 10) के माध्यम से चलाए जाते हैं, जिनके पास विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ हैं; परिषदें **प्राथमिक विद्यालय** स्थापित और संचालित कर सकती हैं।

★ **ग्यारहवीं अनुसूची**: पंचायतों के लिए **29** विषय; **बारहवीं अनुसूची**: नगरपालिकाओं के लिए **18** विषय।

★ **सातवीं अनुसूची** (अनुच्छेद 246): **संघ सूची (Union List)** (1950 में 97 प्रविष्टियाँ), **राज्य सूची (State List)** (66), **समवर्ती सूची (Concurrent List)** (47); आज **98, 59 और 52** प्रविष्टियाँ लागू हैं। संघ सूची पर केवल संसद, राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, और टकराव में संघ का कानून प्रभावी रहता है।

★ **42वें संशोधन (1976)** ने पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले: **शिक्षा**, **वन**, **माप-तौल**, **वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण**, और **न्याय प्रशासन** (उच्चतम और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन)।

★ **नौवीं अनुसूची**: प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** के समय **पहले (1st) संशोधन (1951)** से, **अनुच्छेद 31B** के साथ, **भूमि सुधार** कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती से बचाने के लिए जोड़ी गई। यह **13** कानूनों से शुरू हुई और अब इसमें **280** से अधिक हैं।

★ **आई.आर. कोएल्हो (2007)**: **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून **मूल ढाँचे** का उल्लंघन करें तो रद्द किए जा सकते हैं।

★ **दसवीं अनुसूची** (दल-बदल विरोध): राजीव गांधी के समय **52वें संशोधन (1985)** से जोड़ी गई। कोई सदस्य **दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने** या **दल के व्हिप के विरुद्ध मत देने** पर निरर्ह होता है; **अध्यक्ष या सभापति** निर्णय करता है।

★ **अनुच्छेद 343**: संघ की राजभाषा **देवनागरी लिपि में हिंदी** है; अंक **भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप** हैं (1, 2, 3)।

★ **अंग्रेज़ी** को **15 वर्ष** (1965 तक) चलना था; **राजभाषा अधिनियम (Official Languages Act) 1963** (1967 में संशोधित) इसे हिंदी के साथ बिना किसी अंतिम तिथि के जारी रखता है।

★ **अनुच्छेद 348**: **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों** की कार्यवाहियाँ, और विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों और नियमों के प्राधिकृत पाठ **अंग्रेज़ी** में होते हैं, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे। राज्यपाल, **राष्ट्रपति की पूर्व सहमति** से, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य की भाषा की अनुमति दे सकता है।

★ **आठवीं अनुसूची** (अनुच्छेद 344 और 351 से जुड़ी): **22 भाषाएँ**, शुरू में 14। जोड़ी गईं: **सिंधी** (**21वाँ संशोधन, 1967**); **कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली** (**71वाँ, 1992**); **बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली** (**92वाँ, 2003**)।

★ **अनुच्छेद 300**: भारत सरकार '**भारत संघ (Union of India)**' के नाम से वाद लाती है और उस पर वाद लाया जाता है, राज्य सरकार **राज्य** के नाम से। संविदाएँ **अनुच्छेद 299** में हैं।

★ **अनुच्छेद 370**: स्वयं अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों से **6 अगस्त 2019** से निष्क्रिय; **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019** ने **31 अक्टूबर 2019** से **जम्मू और कश्मीर** तथा **लद्दाख** संघ राज्यक्षेत्र बनाए। उच्चतम न्यायालय ने **11 दिसंबर 2023** को इसे सही ठहराया। नवंबर 2026 तक जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र बना हुआ है।

4. संघ, उसका राज्यक्षेत्र और नागरिकता

★ **अनुच्छेद 1(1)**: 'भारत, अर्थात **इंडिया**, **राज्यों का संघ (Union of States)** होगा।' दोनों नाम आधिकारिक हैं।

★ **'संघ' क्यों**: (1) भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है; (2) राज्यों को **अलग होने का अधिकार नहीं** है। आंबेडकर ने संविधान सभा में दोनों कारण बताए।

★ **अनुच्छेद 1(3)**: **भारत का राज्यक्षेत्र (Territory of India)** = **राज्यों** के राज्यक्षेत्र + **संघ राज्यक्षेत्र** + बाद में **अर्जित कोई राज्यक्षेत्र**। **'राज्यों का संघ'** में केवल राज्य आते हैं, इसलिए 'भारत का राज्यक्षेत्र' अधिक व्यापक शब्द है।

★ **आज की संख्या**: **28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र** (नवंबर 2026 तक), 26 जनवरी 2020 से अपरिवर्तित।

★ **अनुच्छेद 3**: संसद कानून बनाकर (a) किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके, दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर **नया राज्य बना** सकती है; (b) किसी राज्य का क्षेत्र **बढ़ा** या (c) **घटा** सकती है; (d) **सीमाएँ बदल** सकती है; (e) किसी राज्य का **नाम बदल** सकती है। यह **मौजूदा राज्यों** से संबंधित है।

★ **प्रक्रिया**: अनुच्छेद 3 का विधेयक केवल **राष्ट्रपति की सिफ़ारिश** पर पेश हो सकता है। यदि यह किसी राज्य को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति पहले उसे उस राज्य विधानमंडल को उसके द्वारा तय समय में विचार देने के लिए **भेजता** है।

★ **विचार बाध्यकारी नहीं**: संसद उन्हें माने या न माने, और बाद में विधेयक में संशोधन होने पर उसे फिर भेजना ज़रूरी नहीं (बाबूलाल पराटे मामला, 1959)। **संघ राज्यक्षेत्र** के लिए कोई संदर्भ आवश्यक ही नहीं।

★ **अनुच्छेद 4**: अनुच्छेद 2 और 3 के कानून **पहली और चौथी अनुसूची** (राज्यक्षेत्र और राज्य सभा की सीटें) में संशोधन करते हैं, पर **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं** हैं। वे किसी साधारण कानून की तरह **साधारण बहुमत** से पारित होते हैं।

★ **राज्यक्षेत्र सौंपना अलग बात है**: भारतीय राज्यक्षेत्र किसी अन्य देश को देने के लिए **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन** चाहिए। **बेरुबारी संघ मामला (1960)**, जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शी राय था, बेरुबारी का भाग पाकिस्तान को देने के लिए **9वें संशोधन (1960)** तक ले गया।

★ **आंध्र राज्य**, **भाषाई आधार पर बना पहला राज्य**, **1 अक्टूबर 1953** को तेलुगु-भाषियों के लिए मद्रास राज्य से काटकर बना, जब **पोट्टि श्रीरामुलु (Potti Sriramulu)** की आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुई।

★ **फ़ज़ल अली आयोग** (राज्य पुनर्गठन आयोग, दिसंबर 1953 में गठित; रिपोर्ट 1955): **फ़ज़ल अली** (अध्यक्ष), **के.एम. पणिक्कर** और **एच.एन. कुंज़रू**। इसने भाषा को व्यापक आधार माना पर 'एक भाषा, एक राज्य' को नकारा, और भाग A से D वर्गों को समाप्त करने को कहा।

★ **राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), 1956** और **7वाँ संशोधन (1956)**: **1 नवंबर 1956** से भारत में **14 राज्य और 6 संघ राज्यक्षेत्र** थे, जो मुख्यतः भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुए।

★ **सिक्किम** अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्रवेश पाकर **36वें संशोधन** से **1975 में पूर्ण राज्य** बना; 35वें संशोधन (1974) ने इसे 'सहयोगी राज्य' बनाया था (अनुच्छेद 2A, बाद में निरसित)।

★ **झारखंड 15 नवंबर 2000** (बिरसा मुंडा की जयंती) को **बिहार** से काटकर अस्तित्व में आया।

★ **8 संघ राज्यक्षेत्र** (नवंबर 2026 तक): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; चंडीगढ़; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव; दिल्ली; जम्मू और कश्मीर; लद्दाख; लक्षद्वीप; पुडुचेरी।

★ **निर्वाचित विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र**: **दिल्ली** (अनुच्छेद 239AA, 69वाँ संशोधन 1991), **पुडुचेरी** (अनुच्छेद 239A) और **जम्मू और कश्मीर** (2019 के अधिनियम के अंतर्गत)। लद्दाख में कोई नहीं।

★ **अनुच्छेद 370**: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अस्थायी उपबंध। **अगस्त 2019** में राष्ट्रपति के आदेशों ने पूरा संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू किया और अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे को निष्क्रिय किया; अनुच्छेद 35A लागू होना बंद हुआ।

★ **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019**: **31 अक्टूबर 2019** से राज्य दो संघ राज्यक्षेत्र बना, **जम्मू-कश्मीर (विधानमंडल सहित)** और **लद्दाख (विधानमंडल रहित)**। राज्य 29 से घटकर 28 और संघ राज्यक्षेत्र 7 से बढ़कर 9 हुए।

★ **भाग II, अनुच्छेद 5 से 11**: संविधान के **प्रारंभ पर** नागरिकों की पहचान करता है; बाद में प्राप्ति और समाप्ति **नागरिकता अधिनियम 1955** से नियंत्रित होती है।

★ **अनुच्छेद 9**: जो कोई **स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त** करता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रहता। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।

★ **एकल नागरिकता** (ब्रिटेन से): भारतीयों के पास केवल भारतीय नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं (अमेरिका में दोहरी है, संघीय और राज्य की)। संविधान केवल **एक अधिवास** को जानता है, भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास।

★ **राष्ट्राध्यक्ष**: जन्म से नागरिक **या देशीयकृत नागरिक** भारत का **राष्ट्रपति** चुना जा सकता है; अमेरिका में जन्म से नागरिक होना आवश्यक है।

★ **केवल नागरिकों के अधिकार**: अनुच्छेद **15, 16, 19, 29 और 30**; **मत देने** का अधिकार (अनुच्छेद 326) और संसद या राज्य विधानमंडल में चुने जाने का अधिकार; और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पद।

★ **प्राप्ति के पाँच तरीके**: **जन्म**, **वंश**, **पंजीकरण (Registration)**, **देशीयकरण (Naturalisation)**, **राज्यक्षेत्र का समावेश**।

★ **जन्म से (धारा 3)**: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पर **1 जुलाई 1987** से पहले भारत में जन्मा: माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, नागरिक; 1 जुलाई 1987 से **3 दिसंबर 2004** से पहले तक: माता-पिता में से एक नागरिक हो; 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद: **माता-पिता दोनों** नागरिक, या एक नागरिक और दूसरा **अवैध प्रवासी नहीं**। विदेशी राजनयिकों और शत्रु विदेशियों के बच्चे कभी पात्र नहीं।

★ **देशीयकरण से (धारा 6, तीसरी अनुसूची)**: ऐसा विदेशी जो अवैध प्रवासी न हो, आवेदन से ठीक पहले **12 महीने** भारत में रहा हो और उससे पहले के **14 वर्षों** में कुल **11 वर्ष**, अच्छे चरित्र का हो और **आठवीं अनुसूची** की कोई भाषा जानता हो। विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति में विशिष्ट सेवा के लिए सरकार शर्तें छोड़ सकती है।

★ **परित्याग (Renunciation) (धारा 8)**: पूर्ण आयु और क्षमता वाला नागरिक नागरिकता छोड़ने की **घोषणा** करता है; उसके अवयस्क बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं पर 18 वर्ष के होने के एक वर्ष के भीतर उसे **फिर से प्राप्त** कर सकते हैं। भारत जिस युद्ध में लगा हो, उसके दौरान घोषणा का पंजीकरण रोका जा सकता है।

★ **पर्यवसान (Termination) (धारा 9)**: जब कोई नागरिक **स्वेच्छा से** दूसरे देश की नागरिकता **ले लेता** है, तो **अपने आप** (अनुच्छेद 9 का नियम)।

★ **वंचन (Deprivation) (धारा 10)**: **अनिवार्य**, **केंद्र सरकार** के आदेश से, और केवल **पंजीकरण या देशीयकरण** से बने नागरिकों के लिए। आधार: नागरिकता **धोखाधड़ी** या तथ्य छिपाकर प्राप्त की; संविधान के प्रति **निष्ठाहीनता**; युद्ध में **शत्रु** से अवैध व्यापार या संपर्क; पंजीकरण या देशीयकरण के 5 वर्ष के भीतर **2 वर्ष या अधिक का कारावास**; लगातार **7 वर्ष भारत से बाहर** निवास।

★ **सीएए 2019 की तिथियाँ**: संसद ने **11 दिसंबर 2019** को पारित किया (राज्य सभा का मतदान; अनुमति 12 दिसंबर को), **10 जनवरी 2020** से लागू; नियम **11 मार्च 2024** को अधिसूचित हुए।

★ **किसे लाभ**: **अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** के **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई** जो **31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले** भारत आए, अवैध प्रवासी नहीं माने जाते।

★ **तेज़ देशीयकरण**: उनके लिए देशीयकरण का आवश्यक निवास 11 के स्थान पर **5 वर्ष** है।

5. मौलिक अधिकार और रिट

★ **भाग III, अनुच्छेद 12 से 35**, जिसे प्रायः **भारत का मैग्नाकार्टा (Magna Carta)** कहा जाता है; यह विचार **अमेरिकी अधिकार-पत्र (US Bill of Rights)** से लिया गया है।

★ **मूल रूप से सात** अधिकार थे; **44वें संशोधन (1978)** ने **संपत्ति का अधिकार** हटाया, अब **छह** बचे हैं।

★ **अनुच्छेद 13(3), 'विधि'** में **अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना** और भारत में विधि का बल रखने वाली **रूढ़ि या प्रथा** शामिल हैं।

★ **अनुच्छेद 13(4)** (24वाँ संशोधन, 1971): अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के लिए **'विधि' नहीं** है। फिर भी मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाने वाले संशोधन रद्द किए जा सकते हैं (केशवानंद भारती, 1973)।

★ **अनुच्छेद 14**: राज्य भारत में **किसी व्यक्ति** को **विधि के समक्ष समता (Equality before law)** (ब्रिटिश विचार, नकारात्मक: कोई विधि से ऊपर नहीं) या **विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of laws)** (अमेरिकी विचार, सकारात्मक: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार) से वंचित नहीं करेगा।

★ **मनमानापन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है** (ई.पी. रोयप्पा (E.P. Royappa), 1974): कार्यपालिका को **अनियंत्रित और निरंकुश विवेकाधीन शक्ति** देने वाली विधि अनुच्छेद 14 के अधीन रद्द होती है।

★ **अनुच्छेद 15(1)**: राज्य किसी **नागरिक** से **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान** के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

★ **अनुच्छेद 16(1), (2)**: **नागरिकों** के लिए **लोक नियोजन** में अवसर की समता; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, **उद्भव**, जन्मस्थान या **निवास** के आधार पर भेदभाव नहीं।

★ **अनुच्छेद 16(4)**: पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण। **16(4A)**: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए **पदोन्नति** में आरक्षण (**77वाँ संशोधन, 1995**), परिणामी वरिष्ठता के साथ (85वाँ, 2001)। **16(4B)**: न भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ 50% की सीमा से बाहर आगे ले जाई जाती हैं (81वाँ, 2000)। **16(5)**: धार्मिक निकायों के पद उसी धर्म के सदस्यों को दिए जा सकते हैं। **16(6)**: EWS, 10% तक (103वाँ)।

★ **इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) (1992, मंडल मामला)**: **OBC के लिए 27% आरक्षण** वैध ठहराया, **क्रीमी लेयर** को बाहर किया, कुल आरक्षण पर सामान्य नियम के रूप में **50% की सीमा** तय की, और पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई (जिसे बाद में 77वें संशोधन ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बहाल किया)।

★ **अनुच्छेद 17**: **अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत** किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है; इससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय **अपराध** है। यह **समता के अधिकार** में आता है।

★ **अनुच्छेद 18(1)**: राज्य **सेना या विद्या संबंधी सम्मान** के सिवाय **कोई उपाधि** नहीं देगा। **18(2)**: कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

★ **राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं** (बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (Balaji Raghavan v Union of India), 1996): भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री वैध हैं, पर इन्हें नाम के **आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता**।

★ **केवल नागरिक**: विदेशी अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकते। इसलिए भारत में रह रहे **ब्रिटिश नागरिक** को व्यापार या वृत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, हालाँकि उसे विधि के समक्ष समता और प्राण तथा स्वतंत्रता का अधिकार है।

- **वाक् और अभिव्यक्ति में शामिल हैं**: **प्रेस** की स्वतंत्रता (रोमेश थापर (Romesh Thappar), 1950; प्रेस के लिए अलग खंड नहीं है), **सूचना का अधिकार** (राज नारायण (Raj Narain), 1975), अपने भवन पर अभिव्यक्ति के रूप में **राष्ट्रीय ध्वज फहराने** का अधिकार (**भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (Naveen Jindal), 2004**), **मौन रहने का अधिकार** (बिजो इमैनुएल (Bijoe Emmanuel), 1986), वाणिज्यिक विज्ञापन और **इंटरनेट** पर अभिव्यक्ति (अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin), 2020)।
- **श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) (2015)**: IT अधिनियम की **धारा 66A**, जो अस्पष्ट रूप से 'आपत्तिजनक' ऑनलाइन पोस्ट को दंडित करती थी, 19(1)(a) का उल्लंघन मानकर रद्द की गई।
- **युक्तियुक्तता**: निर्बंधन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और **आम जनता के हित** के बीच **संतुलन** बनाना चाहिए (मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो (V.G. Row), 1952)। न्यायालय उद्देश्य, हानि की सीमा और **प्रचलित सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं** को तौलते हैं; किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि को सरलता से युक्तियुक्त माना जाता है, पर निदेशक तत्वों के सहारे मौलिक अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 20(1), कार्योत्तर (Ex post facto) आपराधिक विधि नहीं**: ऐसे कार्य के लिए दोषसिद्धि नहीं जो करते समय अपराध नहीं था, और उस समय की विधि से अधिक दंड नहीं। यह केवल **आपराधिक** विधियों पर लागू है; सिविल और कर विधियाँ भूतलक्षी हो सकती हैं।
- **अनुच्छेद 20(2), दोहरा दंड (Double jeopardy) नहीं**: किसी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार **अभियोजित और दंडित** नहीं किया जाएगा। यह न्यायालयों और न्यायिक अधिकरणों पर लागू है, विभागीय जाँच पर नहीं।
- **अनुच्छेद 20(3), आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination) नहीं**: किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य पर लागू है, उँगलियों के निशान, रक्त या हस्तलेख के नमूनों पर नहीं (काठी कालू ओघड़ (Kathi Kalu Oghad), 1961)। ज़बरदस्ती किए गए **नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग** परीक्षण इसका उल्लंघन हैं (सेल्वी (Selvi), 2010)।
- **अनुच्छेद 22(1), (2), सामान्य गिरफ़्तारी**: व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ़्तारी के **आधार** बताए जाएँ; वह अपनी पसंद के **वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा** करा सकता है; उसे यात्रा का समय छोड़कर **24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट** के सामने पेश करना होगा; और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023 (जिसने 1 जुलाई 2024 से CrPC का स्थान लिया) 24 घंटे का नियम दोहराती है।
- **निवारक निरोध (Preventive detention)**: बिना मुकदमे के निरोध, ताकि व्यक्ति भविष्य में कुछ न कर सके। **सलाहकार बोर्ड (Advisory Board)** (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य सदस्य) पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे तो **3 महीने** से अधिक निरोध नहीं; आधार बताए जाएँ (लोकहित के विरुद्ध तथ्यों को छोड़कर) और निरुद्ध व्यक्ति **अभ्यावेदन** कर सकता है।
- **मेनका गांधी (Maneka Gandhi) (1978)**: प्रक्रिया **उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त** हो, मनमानी नहीं; अनुच्छेद 14, 19 और 21 साथ पढ़े जाते हैं ('स्वर्णिम त्रिभुज')। व्यवहार में भारत **सम्यक प्रक्रिया (Due process)** के निकट आ गया।
- **दो वाक्यांश**: '**विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया**' **जापान** के संविधान से आया है और केवल यह पूछता है कि वैध विधि का पालन हुआ या नहीं; '**विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process of law)**' **अमेरिका** से आया है और न्यायालयों को यह परखने देता है कि विधि और उसकी प्रक्रिया उचित हैं या नहीं, यानी वे **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों** पर खरी उतरती हैं या नहीं।
- **निजता का अधिकार (Right to privacy)**: **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v Union of India) (24 अगस्त 2017)**, नौ न्यायाधीश, सर्वसम्मत: निजता **अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता** तथा भाग III की स्वतंत्रताओं का अभिन्न अंग है। इसी से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) 2023 बना।
- **अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21** का भाग है (शफ़ीन जहाँ (Shafin Jahan), 2018, हादिया मामला)।
- **अनुच्छेद 21 में पढ़े गए अन्य अधिकार**: गरिमा; **आजीविका** (ओल्गा टेलिस (Olga Tellis), 1985); **शीघ्र विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता** (हुसैनारा खातून (Hussainara Khatoon), 1979); स्वच्छ पर्यावरण और जल; आश्रय; **आपातकालीन चिकित्सा सहायता** (परमानंद कटारा (Parmanand Katara), 1989); हिरासत में यातना के विरुद्ध और गिरफ़्तारी के दिशानिर्देशों के साथ (डी.के. बसु (D.K. Basu), 1997); **नींद** (रामलीला मैदान, 2012); **विदेश यात्रा** (मेनका गांधी); **गरिमा से मरना**, निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल (कॉमन कॉज़ (Common Cause), 2018); **जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों** के विरुद्ध (एम.के. रंजीतसिंह (M.K. Ranjitsinh), 2024)।
- **अनुच्छेद 21A**: राज्य **6 से 14** वर्ष के सभी बच्चों को, विधि द्वारा तय रीति से, **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** देगा। **86वें संशोधन (2002)** से जोड़ा गया; **RTE अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010** से लागू हुआ। यह निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में **25%** सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करता है; अल्पसंख्यक विद्यालय इससे मुक्त हैं (प्रमति (Pramati), 2014)।
- **अनुच्छेद 23(1)**: **मानव दुर्व्यापार (Traffic in human beings)**, **बेगार** (बिना मज़दूरी के ज़बरन काम) और **बलात् श्रम** के अन्य रूपों का प्रतिषेध करता है; इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय **अपराध** है। यह नागरिकों और विदेशियों की, राज्य और **निजी व्यक्तियों** दोनों के विरुद्ध, रक्षा करता है।
- **अनुच्छेद 24**: **14 वर्ष से कम** आयु के किसी बच्चे को किसी **कारखाने, खान** या अन्य **परिसंकटमय** नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
- **इस श्रेणी में क्या नहीं है**: अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17, समता का अधिकार) और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)।
- **अनुच्छेद 25(1)**: सभी **व्यक्तियों** को **अंतःकरण (Conscience)** की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से **मानने, आचरण करने और प्रचार करने** का अधिकार है, **लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य** और भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन।
- **अनुच्छेद 26**: हर **धार्मिक संप्रदाय (Religious denomination)** धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित कर उनका पोषण कर सकता है, धर्म के विषयों में अपने कार्यों का प्रबंध कर सकता है, और विधि के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व, अर्जन और प्रशासन कर सकता है; लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन।
- **अनुच्छेद 27**: किसी व्यक्ति को ऐसे **कर** देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण में लगे। किसी सेवा के लिए **शुल्क** लिया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 28**: **पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित** संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं; यह उस संस्था पर लागू नहीं जिसका प्रशासन राज्य करता है पर जो ऐसे न्यास के अधीन स्थापित है जो ऐसी शिक्षा की अपेक्षा करता है; राज्य से **मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त** संस्थाओं में किसी को उसकी सहमति (अवयस्क के लिए संरक्षक की सहमति) के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 29(2)**: राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी संस्था में किसी **नागरिक** को केवल **धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा** के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 30(1)**: **धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों** को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की **स्थापना और प्रशासन** का अधिकार है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (National Commission for Minorities Act) 1992 के अधीन अधिसूचित **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक**: **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी** (1993) और **जैन** (2014)। लाभों में अनुच्छेद 30 की संस्थाएँ और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए **प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम** (2006) जैसी योजनाएँ शामिल हैं।
- किसी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए **लोक सभा में कोई नामांकन नहीं**। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकतम दो **आंग्ल-भारतीयों** को नामित करने देता था; यह उपबंध **25 जनवरी 2020** को समाप्त हो गया क्योंकि **104वें संशोधन (2019)** ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।

★ **44वें संशोधन (1978)** ने दोनों को निरसित किया। संपत्ति अब भाग XII में **अनुच्छेद 300A के अधीन संवैधानिक (विधिक) अधिकार** है: 'किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।' यह केवल नागरिकों का नहीं, **हर व्यक्ति** का अधिकार है, और इसका उपचार अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में है, अनुच्छेद 32 में नहीं।

★ **अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)** (पहला (1st) संशोधन, 1951): नौवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। **आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho) (2007)**: **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा हो सकती है यदि वे मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ।

★ **अनुच्छेद 31C** (25वाँ संशोधन, 1971): **अनुच्छेद 39(b) और (c)** को लागू करने वाली विधियों को अनुच्छेद 14 या 19 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संशोधन ने इसे सभी निदेशक तत्वों तक फैलाया; **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने वह विस्तार रद्द कर दिया।

★ **अनुच्छेद 32(1)**: मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा **उच्चतम न्यायालय** जाने का अधिकार **प्रत्याभूत** है। आंबेडकर: यह 'संविधान की आत्मा और उसका हृदय' है।

★ **अनुच्छेद 226**: **उच्च न्यायालय** मौलिक अधिकारों के लिए **और 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए'** (सामान्य विधिक अधिकार) रिट जारी कर सकते हैं, इसलिए उनकी रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से **व्यापक** है; पर यह **विवेकाधीन** है और स्वयं मौलिक अधिकार नहीं है।

★ **जनहित याचिका (Public Interest Litigation, PIL)**: न्यायालय ने **सुने जाने के अधिकार (Locus standi)** को शिथिल किया ताकि कोई भी लोक-भावना वाला व्यक्ति उन लोगों की ओर से आ सके जो स्वयं नहीं आ सकते (एस.पी. गुप्ता (S.P. Gupta), 1981); न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती (P.N. Bhagwati)** और **वी.आर. कृष्ण अय्यर (V.R. Krishna Iyer)** ने इसे आकार दिया; एक पत्र को भी याचिका माना जा सकता है। हुसैनारा खातून (1979) को प्रायः पहली जनहित याचिका कहा जाता है।

★ **कौन आवेदन कर सकता है**: सामान्यतः केवल **पीड़ित व्यक्ति**; **बंदी प्रत्यक्षीकरण** और **अधिकार-पृच्छा** के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, पहले में निरुद्ध व्यक्ति की ओर से और दूसरे में लोकहित की भावना वाले नागरिक के रूप में।

★ **प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण**: प्रतिषेध **निवारक** है, कार्यवाही **लंबित** रहते जारी होता है; उत्प्रेषण **उपचारात्मक** है, आदेश पारित होने के **बाद** जारी होता है, इसलिए इसे '**पोस्टमार्टम**' रिट कहा जाता है।

★ **परमादेश** केवल **लोक कर्तव्य** लागू कराने के लिए है: निजी संगठन के विरुद्ध नहीं जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो, और किसी कंपनी के विरुद्ध, सरकारी कंपनी भी, उसके सामान्य दायित्वों के लिए नहीं।

★ **अनुच्छेद 358**: जब **युद्ध या बाह्य आक्रमण** (सशस्त्र विद्रोह नहीं) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, तो उसकी अवधि में **अनुच्छेद 19 अपने-आप निलंबित** हो जाता है।

★ **अनुच्छेद 359**: राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए **न्यायालय जाने** का अधिकार निलंबित कर सकता है, पर **अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं** (44वाँ संशोधन, 1978)।

★ **केवल नागरिक**: अनुच्छेद **15, 16, 19, 29 और 30**। **हर व्यक्ति**, विदेशियों सहित: अनुच्छेद **14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28** (अनुच्छेद 22 शत्रु विदेशी की रक्षा नहीं करता)।

6. राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

★ **भाग IV, अनुच्छेद 36–51**: राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy, DPSP)। **अनुच्छेद 36** 'राज्य' को वही अर्थ देता है जो **अनुच्छेद 12** में है (संघ और राज्य सरकारें तथा विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी)।

★ **अनुच्छेद 37** तीन बातें कहता है: निदेशक तत्व **किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं** हैं; फिर भी ये देश के **शासन में मूलभूत** हैं; और विधि बनाने में इन्हें **लागू करना राज्य का कर्तव्य** है।

★ **राज्य पर कोई विधिक सीमा नहीं**: निदेशक तत्व विधायी या कार्यपालिका शक्ति को सीमित नहीं करते। कोई न्यायालय किसी विधि को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता कि वह किसी निदेशक तत्व की उपेक्षा करती है, और कोई न्यायालय राज्य को किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए विधि बनाने का आदेश नहीं दे सकता।

★ **लक्ष्य**: **सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र** और **कल्याणकारी राज्य (Welfare state)**, उस राज्य के विपरीत जो केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखता है। इससे उद्देशिका के सामाजिक और आर्थिक न्याय के वचन को ठोस रूप मिलता है।

★ **गांधीवादी समूह**: **40** (पंचायतें), **43** (कुटीर उद्योग), **43B** (सहकारी समितियाँ), **46** (कमजोर वर्ग), **47** (मद्यनिषेध), **48** (गो-संरक्षण)।

★ **अनुच्छेद 43 बँटा हुआ है**: केवल इसका अंतिम भाग, **ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग**, गांधीवादी है। इसका पहला भाग, कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी, शिष्ट जीवन स्तर और **अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर**, **समाजवादी** है।

★ **काम का अधिकार (अनुच्छेद 41) समाजवादी** निदेशक तत्व है; **समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) उदार-बौद्धिक** है। दोनों में से कोई गांधीवादी नहीं।

★ **धन का संकेंद्रण अनुच्छेद 39(c)**, एक निदेशक तत्व, के विरुद्ध है, समता के अधिकार के विरुद्ध नहीं।

★ **न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50**, एक निदेशक तत्व, का निर्देश है, उद्देशिका या परंपरा का नहीं।

★ **अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा**: **अनुच्छेद 51**, एक निदेशक तत्व। इसे **अनुच्छेद 51A**, यानी कर्तव्यों, से न मिलाएँ।

★ **42वें संशोधन (1976)** ने तीन नए निदेशक तत्व जोड़े और एक का शब्दांकन बदला: **39(f)** (बच्चों का स्वस्थ विकास), **39A** (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), **43A** (प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी), **48A** (पर्यावरण, वन, वन्यजीव)।

★ **86वें संशोधन (2002)** ने **अनुच्छेद 45** को **6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा** के लिए फिर से लिखा, **6–14** वर्ष की स्कूली शिक्षा को **अनुच्छेद 21A** (मौलिक अधिकार) में भेजा और कर्तव्य **51A(k)** जोड़ा।

★ **भाग IV के बाहर के निदेशक तत्व**: **अनुच्छेद 335** (भाग XVI) प्रशासन की दक्षता की संगति में लोक पदों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे; **अनुच्छेद 350A** (भाग XVII) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर **मातृभाषा** में शिक्षा (7वें संशोधन, 1956 से जोड़ा गया); **अनुच्छेद 351** (भाग XVII) **हिंदी** का प्रसार और विकास।

★ **निदेशक तत्व नहीं**: **छोटे परिवार का मानदंड**। 'जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन' **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20A** है, जिसे 42वें संशोधन ने जोड़ा।

★ **चंपकम दोरैराजन (Champakam Dorairajan) (1951)**: निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते; वे भाग III के **अधीनस्थ** चलते हैं। संसद ने **पहले (1st) संशोधन (1951)** से उत्तर दिया: अनुच्छेद 15(4), 31A, 31B और **नौवीं अनुसूची**।

★ **गोलकनाथ (Golaknath) (1967)**: संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी नहीं।

★ **25वें संशोधन (1971)** ने **अनुच्छेद 31C** जोड़ा: **39(b) या (c)** को प्रभावी करने वाली विधि **अनुच्छेद 14 या 19** के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं हो सकती, और विधि में की गई यह घोषणा कि वह ऐसा करती है, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती थी।

★ **केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati) (1973)** ने 31C का पहला भाग वैध ठहराया पर वह खंड रद्द किया जो न्यायालयों को घोषणा की जाँच से रोकता था।

★ **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने वह विस्तार रद्द किया: संविधान भाग III और IV के बीच **संतुलन और सामंजस्य** पर टिका है, और यह संतुलन एक **मूल विशेषता** है। निदेशक तत्व लक्ष्य हैं, अधिकार साधन; साधनों को नष्ट करके लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकता।

★ **विधिक सहायता (39A)**: **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) 1987**; **NALSA** 1995 में स्थापित, भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक; **लोक अदालतें**; **9 नवंबर** राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है।

★ **पंचायतें (40)**: **73वें संशोधन (1992)** ने इन्हें **भाग IX** में संवैधानिक दर्जा दिया।

★ **समान नागरिक संहिता (44)**: **गोवा** में पुर्तगाली शासन के समय से (1867 की सिविल संहिता) एक साझा सिविल संहिता है; **उत्तराखंड** ने **2024** में स्वतंत्र भारत की पहली राज्य समान नागरिक संहिता विधि पारित की, जो **27 जनवरी 2025** से लागू है; **गुजरात** विधानसभा ने **मार्च 2026** में दूसरी पारित की।

★ **अनुच्छेद 21 में पढ़े गए निदेशक तत्व**: निःशुल्क विधिक सहायता (39A) **एम.एच. होसकोट (M.H. Hoskot) (1978)** और **हुसैनारा खातून (Hussainara Khatoon) (1979)** में; आजीविका (39(a), 41) **ओल्गा टेलिस (Olga Tellis) (1985)** में; शिक्षा (45) **मोहिनी जैन (Mohini Jain) (1992)** और **उन्नी कृष्णन (Unni Krishnan) (1993)** में; आपातकालीन चिकित्सा (47) पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति (1996) में; स्वच्छ पर्यावरण (48A) **एम.सी. मेहता (M.C. Mehta)** मामलों में।

★ **सरदार स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) (1976)**, जिसे सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने बनाया, ने कर्तव्यों की सिफ़ारिश की; इसने **आठ** प्रस्तावित किए। **42वें संशोधन (1976)** ने एक अनुच्छेद, **51A**, वाले नए **भाग IVA** में **दस** जोड़े।

★ **86वें संशोधन (2002)** ने ग्यारहवाँ कर्तव्य, **51A(k)**, जोड़ा: माता-पिता या संरक्षक **6–14** वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दे।

★ **प्रेरणा**: **पूर्व सोवियत संघ (USSR)** का संविधान। जापान को प्रायः ऐसे लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में बताया जाता है जिसके संविधान में भी कर्तव्य हैं।

★ **केवल नागरिक**: कर्तव्य नागरिकों पर लागू हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों की भी रक्षा करते हैं। इसके विपरीत निदेशक तत्व **राज्य** को संबोधित हैं।

★ **न्यायालय में अप्रवर्तनीय (Non-justiciable)**: संविधान इन्हें लागू कराने का कोई सीधा तरीका नहीं देता और कोई दंड तय नहीं करता। **संसद** विधि बनाकर किसी भी कर्तव्य को **लागू करा सकती है**; तब तक कर्तव्य नागरिक और नैतिक दायित्व है, विधिक नहीं।

★ **कर्तव्य नहीं**: **मतदान** करना, **कर चुकाना**, परिवार नियोजन अपनाना, **राष्ट्रगीत** या **राजचिह्न** का आदर करना। आदर केवल संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान का कर्तव्य है।

★ **कमजोर वर्गों की सामाजिक अन्याय से रक्षा** एक **निदेशक तत्व (अनुच्छेद 46)** है, कर्तव्य नहीं। **वैज्ञानिक दृष्टिकोण**, **सामासिक संस्कृति** और **उत्कर्ष की ओर बढ़ना** कर्तव्य हैं।

★ **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे'** कर्तव्य **51A(c)** का शब्दांकन है।

★ **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour Act) 1971 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान** के अपमान को दंडित करता है (कर्तव्य 51A(a))।

7. संविधान संशोधन और मूल ढाँचा

★ **भाग XX** में **अनुच्छेद 368**: संसद अपनी **संविधायी शक्ति (Constituent power)** का प्रयोग करते हुए, इस अनुच्छेद की प्रक्रिया के अनुसार, संविधान के किसी भी उपबंध में **परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन** द्वारा संशोधन कर सकती है।

★ **आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला**: तीन रास्ते हैं (साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन)।

★ **गिनती, नवंबर 2026 की स्थिति में**: **106** संविधान संशोधन अधिनियम; नवीनतम **106वाँ (2023)** है, जो लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए देता है। इसे **16 अप्रैल 2026** को लागू किया गया, पर सीटें उस तिथि के बाद हुई पहली जनगणना पर आधारित पहले **परिसीमन (Delimitation)** के बाद ही आरक्षित होंगी, इसलिए अभी कोई सीट आरक्षित नहीं है। अमेरिकी संविधान में 1789 से अब तक 27 संशोधन हुए हैं।

★ **अनुसमर्थन (Ratification)**: विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने से पहले **कम से कम आधे राज्यों** के विधानमंडलों के संकल्पों द्वारा। हर विधानमंडल इसे **साधारण बहुमत** से पारित करता है।

★ **आरंभ**: केवल **संसद के किसी भी सदन**, लोक सभा **या** राज्य सभा, में विधेयक द्वारा; राज्य विधानमंडल में कभी नहीं।

★ **कौन पेश कर सकता है**: **मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private member)**। **राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफ़ारिश की आवश्यकता नहीं** है।

★ **पारित होना**: प्रत्येक सदन विधेयक को विशेष बहुमत से **अलग-अलग** पारित करता है। यहाँ राज्य सभा के पास **समान शक्ति** है; एक सदन विधेयक अस्वीकार कर दे तो वह गिर जाता है।

★ **संयुक्त बैठक नहीं**: अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक साधारण विधेयकों के लिए है, संशोधन विधेयकों के लिए नहीं।

★ **राष्ट्रपति की अनुमति**: **24वें संशोधन (1971)** से राष्ट्रपति अनुमति **देगा**; वह न अनुमति रोक सकता है न विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तब विधेयक संविधान (Nवाँ संशोधन) अधिनियम बन जाता है।

★ **131वाँ संशोधन विधेयक (2026)**, जो 16 अप्रैल 2026 को पेश हुआ, लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर **850** करता और महिला आरक्षण का 2026 के बाद की पहली जनगणना से संबंध तोड़ देता, ताकि अगला परिसीमन 2011 की जनगणना पर हो सके। **17 अप्रैल 2026** को इसे **298** पक्ष में और **230** विपक्ष में मत मिले: 528 ने मत दिया, दो-तिहाई = 352। यह लोक सभा में **गिर गया**।

★ **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (Golaknath v. State of Punjab) (1967)**: **11 न्यायाधीश, 6:5**, मुख्य न्यायाधीश **के. सुब्बा राव (K. Subba Rao)**: संशोधन 'विधि' **है**; संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम **नहीं** कर सकती। केवल **भविष्यलक्षी** रूप से लागू।

★ **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati v. State of Kerala)**, **24 अप्रैल 1973** को **13 न्यायाधीशों** (अब तक की सबसे बड़ी पीठ) द्वारा, **7:6**, मुख्य न्यायाधीश **एस.एम. सीकरी (S.M. Sikri)**: **गोलकनाथ को उलट दिया**, 24वें संशोधन को वैध ठहराया, और कहा कि संसद अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर **मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती**।

★ **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain) (1975)**: **39वें संशोधन** द्वारा जोड़ा गया **अनुच्छेद 329A(4)** रद्द किया, जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों से परे कर दिया था; **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** और लोकतंत्र मूल हैं।

★ **42वें संशोधन (1976)** ने **अनुच्छेद 368(4) और (5)** जोड़े: किसी संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं। **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने दोनों रद्द किए: **सीमित संशोधन शक्ति** स्वयं मूल है।

★ **वामन राव (Waman Rao) (1981)**: यह सिद्धांत **24 अप्रैल 1973 के बाद** किए गए संशोधनों पर लागू होता है; पहले वाले बने रहते हैं।

★ **लिखा हुआ नहीं**: 'मूल ढाँचा' वाक्यांश संविधान में कहीं नहीं है। 'न्यायिक पुनर्विलोकन' भी नहीं; वह शक्ति **अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और 227** पर टिकी है।

★ **यह क्या परखता है**: संविधान **संशोधनों** को। साधारण विधि को संविधान के स्पष्ट उपबंधों, जैसे मौलिक अधिकार और शक्तियों का विभाजन, पर परखा जाता है।

★ **आई.आर. कोएल्हो (2007)**, नौ न्यायाधीश: **24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची** में रखी गई विधियों को पूर्ण संरक्षण नहीं है; यदि वे अनुच्छेद 14, 15, 19 या 21 के माध्यम से मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ तो रद्द की जा सकती हैं।

★ **99वें संशोधन (2014)** ने कॉलेजियम की जगह **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** बनाया। **अक्टूबर 2015** में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **4:1** से संशोधन और NJAC अधिनियम को **न्यायपालिका की स्वतंत्रता** का उल्लंघन मानकर रद्द किया; कॉलेजियम लौट आया।

★ **किहोतो होलोहन (Kihoto Hollohan) (1992)**: **दसवीं अनुसूची** (दल-बदल विरोधी, 52वाँ संशोधन) को वैध ठहराया पर **पैराग्राफ 7** रद्द किया, जो न्यायालयों को रोकता था; उसने राज्यों के अनुसमर्थन के बिना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ घटाई थीं। अध्यक्ष का निर्णय सीमित आधारों पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

★ **जनहित अभियान (Janhit Abhiyan) (नवंबर 2022)**: पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **3:2** से **103वें संशोधन** (10% EWS कोटा) को वैध ठहराया; आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करते।

★ **42वें संशोधन (1976)** ने उद्देशिका में '**समाजवादी**', '**पंथनिरपेक्ष**' और '**अखंडता**' और **दस** मौलिक कर्तव्य जोड़े; इसके नए निदेशक तत्व **39A, 43A और 48A** थे, अनुच्छेद 47 नहीं।

8. संसदीय और संघीय व्यवस्था; केंद्र-राज्य संबंध

★ **नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका**: राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है (विधितः, de jure); प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं (वस्तुतः, de facto)। **अनुच्छेद 74** के अधीन राष्ट्रपति उनकी सलाह पर कार्य करता है: **42वें संशोधन (1976)** से यह बाध्यकारी है, यद्यपि वह इसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (**44वाँ संशोधन, 1978**)।

★ **सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective responsibility) (अनुच्छेद 75(3))**: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से **लोक सभा** के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, या बजट अथवा किसी बड़े विधेयक के गिरने पर पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है।

★ **दोहरी सदस्यता (शक्तियों का संलयन, fusion of powers)**: मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। गैर-सदस्य **छह महीने** तक मंत्री रह सकता है; फिर उसे किसी भी सदन की सीट जीतनी होती है (अनुच्छेद 75(5))।

★ संसदीय रूप का **मुख्य लाभ**: कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल में एक बार नहीं, बल्कि हर दिन **विधायिका के प्रति उत्तरदायी** रहती है।

★ **कैबिनेट सरकार** जनता के सदन के प्रति मंत्रियों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** पर टिकी है: 'एक डूबे, सब डूबें'।

★ **संप्रभु संसद नहीं**: ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है और कोई न्यायालय उसके अधिनियम रद्द नहीं कर सकता। भारत की संसद लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों और **न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review)** से सीमित है; संविधान की व्याख्या का सारवान प्रश्न **कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ** को जाता है (अनुच्छेद 145(3))।

★ **'फेडरेशन (federation)' शब्द का प्रयोग नहीं**: अनुच्छेद 1 इंडिया, अर्थात भारत, को **'राज्यों का संघ' (Union of States)** कहता है। आंबेडकर ने कारण बताया: यह संघ राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है, और **कोई राज्य इससे अलग नहीं हो सकता**।

★ **साथ आना नहीं, साथ बनाए रखना (holding together, not coming together)**: अमेरिका तब बना जब स्वतंत्र राज्य आपस में जुड़े; भारत के राज्यों की सीमाएँ केंद्र ने खींचीं और संसद उनका पुनर्गठन कर सकती है। भारत **कनाडा मॉडल** (मज़बूत केंद्र) अपनाता है, अमेरिकी नहीं।

★ **संघीय विशेषताएँ**: दो सरकारें; लिखित संविधान; शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची); संविधान की सर्वोच्चता; कठोरता, क्योंकि संघीय उपबंधों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए (अनुच्छेद 368(2)); केंद्र-राज्य विवाद सुलझाने वाली **स्वतंत्र न्यायपालिका** (अनुच्छेद 131); द्विसदनीय संसद।

★ **एकात्मक विशेषताएँ**: अधिक और भारी विषयों वाला मज़बूत केंद्र; अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास; संसद राज्यों को नया रूप दे सकती है (अनुच्छेद 3); एक ही संविधान; एकल नागरिकता; संविधान का अधिकांश भाग अकेले संसद द्वारा संशोधनीय; एकीकृत न्यायपालिका; अखिल भारतीय सेवाएँ; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल; आपात उपबंध; एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और एक निर्वाचन आयोग।

★ **मूल ढाँचा (Basic structure)**: संघवाद मूल विशेषता है (**एस.आर. बोम्मई, 1994**); राज्य केंद्र के मात्र एजेंट नहीं हैं।

★ **तीन सूचियाँ (अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची)**: **संघ सूची (Union List)** (केवल संसद), **राज्य सूची (State List)** (सामान्य समय में राज्य विधानमंडल), **समवर्ती सूची (Concurrent List)** (दोनों)। 1950 में इनमें **97, 66 और 47** प्रविष्टियाँ थीं।

★ **42वें संशोधन (1976)** ने **पाँच विषय** राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले: **शिक्षा**, **वन**, **बाट और माप**, **वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण**, और **न्याय प्रशासन** (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन)।

★ **अवशिष्ट शक्ति (Residuary power) (अनुच्छेद 248)**: किसी सूची में न आने वाले विषय **संसद** के हैं, जैसे कनाडा में; अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये राज्यों के पास हैं। कोई विषय अवशिष्ट है या नहीं, यह न्यायालय तय करते हैं।

★ **समवर्ती विषय पर टकराव (अनुच्छेद 254)**: **संघ का कानून प्रभावी** होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित और उसकी **अनुमति** पाया राज्य का कानून उस राज्य में प्रभावी रहता है, जब तक संसद उसे बदल न दे।

★ **अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित)**: **राज्य सभा** ऐसे प्रस्ताव से, जिसे **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** का समर्थन हो, घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है। प्रस्ताव अधिकतम **एक वर्ष** तक वैध रहता है और एक-एक वर्ष के लिए कितनी भी बार नवीनीकृत हो सकता है; प्रस्ताव समाप्त होने के छह महीने बाद कानून प्रभावहीन हो जाता है।

★ **अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल)**: संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है; ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद प्रभावहीन हो जाते हैं।

★ **अनुच्छेद 252 (राज्यों का अनुरोध)**: जब **दो या अधिक राज्यों** के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें, तो संसद उनके लिए राज्य विषय पर कानून बना सकती है; अन्य राज्य बाद में उसे अपना सकते हैं। तब उसे केवल **संसद** संशोधित या निरस्त कर सकती है। उदाहरण: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (Prize Competitions Act) 1955, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wild Life (Protection) Act) 1972, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम (Water (Prevention and Control of Pollution) Act) 1974, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम (Urban Land (Ceiling and Regulation) Act) 1976, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (Transplantation of Human Organs Act) 1994।

★ **अनुच्छेद 253 (संधियाँ)**: संसद किसी **अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय**, या किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय के निर्णय को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए **कोई भी कानून** बना सकती है, **किसी राज्य की सहमति के बिना**। उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम (United Nations (Privileges and Immunities) Act) 1947, जिनेवा अभिसमय अधिनियम (Geneva Conventions Act) 1960, विमान अपहरण निरोधक अधिनियम (Anti-Hijacking Act) 1982, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Environment (Protection) Act) 1986।

★ **अनुच्छेद 256**: राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति ऐसे प्रयोग करनी है कि **संसद के बनाए कानूनों का पालन** सुनिश्चित हो; इसके लिए संघ निर्देश दे सकता है।

★ **अनुच्छेद 257**: राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा नहीं डालेगा। संघ राज्यों को **राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधन** बनाने और बनाए रखने तथा **रेलवे की रक्षा** का निर्देश दे सकता है; अतिरिक्त खर्च केंद्र देता है।

★ **अनुच्छेद 365**: यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों का पालन न करे, तो राष्ट्रपति मान सकता है कि उसकी सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती, जिससे **अनुच्छेद 356** का रास्ता खुलता है।

★ **अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services) (अनुच्छेद 312)**: **आईएएस (IAS)**, **आईपीएस (IPS)** और **भारतीय वन सेवा** (1966 में बनी) में भर्ती संघ करता है, ये संघ और राज्यों दोनों में सेवा देती हैं, और अंतिम नियंत्रण संघ का है। नई अखिल भारतीय सेवा तभी बन सकती है जब **राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से प्रस्ताव पारित करे।

★ **अनुच्छेद 265**: **विधि के प्राधिकार** के बिना कोई कर न लगाया जा सकता है, न वसूला जा सकता है।

★ **अनुच्छेद 268**: संघ सूची में नामित **स्टांप शुल्क** (विनिमय पत्रों, चेकों, वचन पत्रों, शेयर अंतरण आदि पर) **संघ लगाता है**, पर **राज्य वसूलते और रखते हैं**।

★ **अनुच्छेद 269A**: अंतर-राज्य आपूर्ति पर **आईजीएसटी (IGST)** संघ लगाता और वसूलता है, और जीएसटी परिषद की सलाह पर संसद के प्रावधान के अनुसार संघ और राज्यों में **बँटता** है।

★ **अनुच्छेद 270**: संघ के अन्य सभी कर (आयकर, निगम कर, सीजीएसटी आदि) संघ लगाता और वसूलता है और **वित्त आयोग** की सलाह पर राज्यों के साथ **बाँटता** है। **80वें संशोधन (2000)** से पूरा पूल बँटवारे योग्य है, अधिभार और विशेष प्रयोजन उपकरों को छोड़कर।

★ **वित्त आयोग (Finance Commission) (अनुच्छेद 280)**: राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में नियुक्त करता है; यह केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा (**ऊर्ध्वाधर**) और राज्यों के बीच उसका बँटवारा (**क्षैतिज**) सुझाता है। **16वें वित्त आयोग** (अध्यक्ष **अरविंद पनगढ़िया**) ने **2026–31** के लिए राज्यों का हिस्सा **41%** पर बनाए रखा; इसकी रिपोर्ट **1 फरवरी 2026** को सदन में रखी गई।

★ **जीएसटी परिषद (GST Council) (अनुच्छेद 279A)**: केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), वित्त के केंद्रीय राज्य मंत्री, और हर राज्य से एक मंत्री। निर्णयों के लिए भारित मतों का **तीन-चौथाई** चाहिए: केंद्र **एक-तिहाई**, सभी राज्य मिलकर **दो-तिहाई**। जीएसटी **1 जुलाई 2017** को **101वें संशोधन (2016)** के अधीन शुरू हुआ।

★ **अनुदान**: **अनुच्छेद 275**: ज़रूरतमंद राज्यों के लिए भारत की संचित निधि पर भारित सांविधिक सहायता अनुदान, वित्त आयोग की सलाह के अनुसार, जनजातीय कल्याण के लिए विशेष अनुदान सहित। **अनुच्छेद 282**: किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संघ या राज्य के **विवेकाधीन** अनुदान (केंद्रीय योजनाओं का रास्ता)।

★ **सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)**: केंद्र ने **जून 1983** में न्यायमूर्ति **आर.एस. सरकारिया (R.S. Sarkaria)** की अध्यक्षता में गठित किया (सदस्य **बी. शिवरामन** और **एस.आर. सेन**); **27 अक्टूबर 1987** को **247 सिफारिशों** के साथ रिपोर्ट सौंपी (जनवरी 1988 में प्रकाशित)। इसने बड़े संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता नहीं मानी और सहयोगी कार्यप्रणाली के साथ मज़बूत केंद्र का समर्थन किया।

★ **सरकारिया की मुख्य सिफारिशें**: अनुच्छेद 263 के अधीन स्थायी **अंतर-राज्य परिषद**; **अनुच्छेद 356 केवल अंतिम उपाय** के रूप में, राज्य को चेतावनी देने के बाद; राज्यपाल प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, **राज्य के बाहर** का हो, हाल में उसकी राजनीति में सक्रिय न रहा हो, मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद चुना जाए और ठोस कारण के बिना पाँच वर्ष से पहले न हटाया जाए; अखिल भारतीय सेवाएँ मज़बूत हों; अवशिष्ट कराधान संसद के पास और अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ समवर्ती सूची में; समवर्ती सूची पर कानून से पहले राज्यों से परामर्श; क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय करना।

★ **परिणाम**: **अंतर-राज्य परिषद** का गठन **28 मई 1990** को हुआ।

★ **पुंछी आयोग (Punchhi Commission)**: **अप्रैल 2007** में पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति **एम.एम. पुंछी (M.M. Punchhi)** की अध्यक्षता में गठित; **31 मार्च 2010** को सात खंडों में **273 सिफारिशों** वाली रिपोर्ट सौंपी।

★ **अनुच्छेद 262**: संसद कानून बनाकर **अंतर-राज्य नदियों** के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकती है और **उच्चतम न्यायालय** तथा अन्य न्यायालयों को उनकी सुनवाई से रोक सकती है। कानून: **अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम (Inter-State River Water Disputes Act), 1956** (अधिकरण) और **नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act), 1956**।

★ **अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्य परिषद, Inter-State Council)**: राष्ट्रपति राज्यों के बीच विवादों की जाँच, साझा हित के विषयों पर चर्चा और बेहतर समन्वय की सिफारिश के लिए परिषद बना सकता है। इसका गठन सरकारिया की सलाह पर **28 मई 1990** को **राष्ट्रपति के आदेश** से हुआ। यह **सलाहकारी** है।

★ **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)**: **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के अधीन **सांविधिक** निकाय; पाँच परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी)। अध्यक्ष: केंद्रीय **गृह मंत्री**, पाँचों के साझा; उपाध्यक्ष: सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री **बारी-बारी से, एक-एक वर्ष के लिए**। सदस्य: हर राज्य का मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री, तथा सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक।

★ **पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council, NEC)**: **पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971** के अधीन **सांविधिक**। **2002 के संशोधन** से इसके सदस्य आठ पूर्वोत्तर राज्यों के **राज्यपाल** और **मुख्यमंत्री** (सिक्किम 2002 में जुड़ा) तथा **राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्य** हैं। **13 जून 2018** के कैबिनेट निर्णय से केंद्रीय **गृह मंत्री** इसके पदेन अध्यक्ष और राज्य मंत्री (DoNER) इसके उपाध्यक्ष हैं।

★ **संवैधानिक, सांविधिक या कार्यकारी?** इन निकायों में केवल **अंतर-राज्य परिषद** का संवैधानिक आधार है (अनुच्छेद 263); **क्षेत्रीय परिषदें** और **पूर्वोत्तर परिषद** सांविधिक हैं; **राष्ट्रीय विकास परिषद (1952)**, **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998)** और **नीति आयोग (1 जनवरी 2015)** कार्यकारी निर्णय से बने।

9. आपात उपबंध

★ **भाग XVIII**, अनुच्छेद **352 से 360**, आपातकाल से संबंधित है।

★ **तीन प्रकार**: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) (**अनुच्छेद 352**), राष्ट्रपति शासन (President's Rule), अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (**अनुच्छेद 356**), और वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) (**अनुच्छेद 360**)।

★ **आधार**: भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को **युद्ध**, **बाह्य आक्रमण** या **सशस्त्र विद्रोह** से खतरा। युद्ध और बाह्य आक्रमण से 'बाह्य आपातकाल' बनता है; सशस्त्र विद्रोह से 'आंतरिक आपातकाल'।

★ **सशस्त्र विद्रोह (armed rebellion)** ने **44वें संशोधन, 1978** से **आंतरिक अशांति (internal disturbance)** की जगह ली, ताकि केवल अशांति के आधार पर आपातकाल न लगाया जा सके।

★ **मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय**: राष्ट्रपति तभी उद्घोषणा करता है जब **केंद्रीय मंत्रिमंडल** (प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री) का निर्णय उसे **लिखित रूप में** भेजा जाए (44वाँ संशोधन)।

★ **अनुमोदन**: दोनों सदनों को **एक महीने** के भीतर (1978 से पहले दो महीने) अनुमोदन करना होता है, हर सदन **विशेष बहुमत** से: कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।

★ **अवधि**: अनुमोदन के बाद यह **छह महीने** चलता है, और हर छह महीने नए अनुमोदन से **बिना सीमा** जारी रह सकता है।

★ **वापसी (Revocation)**: राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, संसद के अनुमोदन के बिना। यदि **लोक सभा साधारण बहुमत** से इसके जारी रहने को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित कर दे, तो उसे इसे वापस **लेना ही होगा**।

★ **विधायी (अनुच्छेद 250)**: संसद **राज्य सूची** के विषयों पर कानून बना सकती है; ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के **छह महीने** बाद प्रभावहीन हो जाते हैं। राज्य विधानमंडलों की अपनी शक्ति भी बनी रहती है।

★ **लोक सभा का कार्यकाल**: संसद का कानून इसे **एक बार में एक वर्ष** करके कितनी भी बार बढ़ा सकता है, पर आपातकाल समाप्त होने के **छह महीने** बाद से आगे नहीं (अनुच्छेद 83(2))। राज्य विधान सभा को भी इसी तरह बढ़ाया जा सकता है (अनुच्छेद 172(1))।

★ **अनुच्छेद 358**: **युद्ध या बाह्य आक्रमण** के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा होते ही **अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित** हो जाता है; राज्य ऐसे कानून बना या कार्य कर सकता है जिन्हें अनुच्छेद 19 रोकता। यह सशस्त्र विद्रोह वाले आपातकाल पर लागू **नहीं** होता (44वाँ संशोधन)।

★ **अनुच्छेद 359**: राष्ट्रपति **आदेश** द्वारा उसमें नामित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकता है; अधिकार स्वयं बने रहते हैं। **अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते** (44वाँ संशोधन)।

★ **आधार**: राष्ट्रपति, **राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा**, संतुष्ट हो कि राज्य की सरकार **संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती**।

★ **अनुमोदन**: दोनों सदन **दो महीने** के भीतर, हर सदन उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के **साधारण बहुमत** से।

★ **अवधि**: छह महीने; संसद हर छह महीने बढ़ा सकती है, **अधिकतम तीन वर्ष** तक।

★ **एक वर्ष से आगे** (44वाँ संशोधन): केवल तब जब **(1)** पूरे भारत में या उस राज्य के पूरे या किसी भाग में **राष्ट्रीय आपातकाल** लागू हो, और **(2) निर्वाचन आयोग** प्रमाणित करे कि विधान सभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते।

- **कार्यपालिका**: राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल की शक्तियाँ अपने हाथ में लेता है; **राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त** हो जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य चलाता है, प्रायः सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ।
- **विधानमंडल**: राष्ट्रपति घोषित करता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ **संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन** प्रयोग होंगी। विधान सभा **निलंबित** (निलंबित अवस्था में जीवित) रखी जा सकती है या **विघटित** की जा सकती है; विघटन अपने आप नहीं होता।
- **अछूते रहते हैं**: **उच्च न्यायालय** की शक्तियाँ; अनुच्छेद 19 सहित **मौलिक अधिकार**; और निर्वाचित **स्थानीय निकाय** (पंचायतें और नगरपालिकाएँ), जो इससे विघटित नहीं होते।
- **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (S.R. Bommai v. Union of India) (1994)**, नौ न्यायाधीश: उद्घोषणा **न्यायिक पुनर्विलोकन** के अधीन है; केंद्र को प्रासंगिक सामग्री दिखानी होगी; मंत्रिमंडल के बहुमत की परीक्षा **सदन के पटल** पर होगी, राजभवन में नहीं; विधान सभा उद्घोषणा के **संसद द्वारा अनुमोदन के बाद ही** विघटित की जा सकती है; न्यायालय बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है; **पंथनिरपेक्षता** मूल विशेषता है, और उसके विरुद्ध काम करने वाली राज्य सरकार बर्खास्त की जा सकती है।
- **आधार**: भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग के **वित्तीय स्थायित्व या साख** को खतरा।
- **अनुमोदन**: दोनों सदन **दो महीने** के भीतर, **साधारण बहुमत** से।
- **अवधि**: अनुमोदन के बाद यह **वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल** तक चलता है; बार-बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।
- **राज्यों पर प्रभाव**: संघ किसी भी राज्य को **वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों** का पालन करने का निर्देश दे सकता है; राज्य कर्मचारियों के **वेतन और भत्तों में कटौती** करवा सकता है; और राज्य विधानमंडल से पारित **धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों** को **राष्ट्रपति के लिए आरक्षित** करवा सकता है।
- **संघ पर प्रभाव**: राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वालों के, **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों** सहित, **वेतन और भत्तों में कटौती** का आदेश दे सकता है।
- **तीसरा**: **25 जून 1975**, 'आंतरिक अशांति', जब दूसरा अभी लागू था; राष्ट्रपति **फ़ख़रुद्दीन अली अहमद (Fakhruddin Ali Ahmed)**, प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)**। दूसरा और तीसरा दोनों **मार्च 1977** में हटाए गए।

10. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

- **अनुच्छेद 53(1)**: संघ की कार्यपालिका शक्ति **राष्ट्रपति** में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार **स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा** करेगा। **अनुच्छेद 53(2)**: रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है।
- **अनुच्छेद 77(1)**: भारत सरकार की सारी कार्यपालिका कार्रवाई **राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाती है**, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के नाम से नहीं। **अनुच्छेद 77(3)**: राष्ट्रपति सरकार का कार्य अधिक सुविधा से चलाने और **मंत्रियों में उसके आवंटन** के लिए नियम बनाता है (कार्य आवंटन और कार्य संचालन नियम (Allocation of Business and Transaction of Business Rules), 1961)।
- **अनुच्छेद 74(1)**: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में** एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार **कार्य करेगा**। 'करेगा' (shall) शब्द **42वें संशोधन (1976)** से आया; **44वें संशोधन (1978)** ने राष्ट्रपति को सलाह **एक बार** पुनर्विचार के लिए लौटाने की छूट दी, जिसके बाद वह उससे बँधा है।
- **निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 54)**: संसद के दोनों सदनों के **निर्वाचित** सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के **निर्वाचित** सदस्य, और **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पुडुचेरी** की विधान सभाओं के **निर्वाचित** सदस्य (ये दोनों **70वें संशोधन, 1992** से जुड़े)।
- **बाहर रखे गए**: किसी भी सदन या किसी विधान सभा के मनोनीत सदस्य (nominated members), और राज्यों की **विधान परिषदों** (Legislative Councils) के सदस्य। अनुच्छेद 54 में केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही ऐसे संघ राज्यक्षेत्र हैं जिनका नाम है।
- **विधायक के मत का मूल्य (अनुच्छेद 55)** = राज्य की जनसंख्या ÷ उसके निर्वाचित विधायकों की संख्या ÷ 1000 (500 से अधिक शेष हो तो 1 जुड़ता है)। जनसंख्या **1971 की जनगणना** की ली जाती है, जिसे 42वें संशोधन ने स्थिर किया और **84वें संशोधन (2001)** ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
- **अनुपात तय करता है, सीटों की संख्या नहीं**: उतनी ही जनसंख्या पर अधिक सीटें होने से हर विधायक का मूल्य **कम** होता है। 2022 में: उत्तर प्रदेश **208** (सबसे अधिक), केरल 152, मध्य प्रदेश 131, पुडुचेरी 16, अरुणाचल प्रदेश 8, सिक्किम **7** (सबसे कम)।
- **सांसद के मत का मूल्य** = सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य ÷ निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। **हर निर्वाचित सांसद का मूल्य एक समान है, चाहे वह लोक सभा में हो या राज्य सभा में**: 2017 में 708, **2022 में 700** (कम इसलिए कि तब जम्मू और कश्मीर में विधान सभा नहीं थी)।
- **विवाद (अनुच्छेद 71)**: केवल **उच्चतम न्यायालय** निर्णय करता है। यदि निर्वाचन शून्य घोषित हो, तो उस निर्णय से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य **वैध बने रहते हैं**।
- **अनुच्छेद 71(4)** (11वाँ संशोधन, 1961): निर्वाचक मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए कुछ विधान सभाएँ विघटित हों तब भी चुनाव **स्थगित नहीं होता**।
- **योग्यता (अनुच्छेद 58)**: भारत का नागरिक, **35 वर्ष** की आयु, **लोक सभा** का सदस्य चुने जाने योग्य, और कोई लाभ का पद (office of profit) नहीं। पदासीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ/राज्य का मंत्री लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता।
- **शपथ (अनुच्छेद 60)**: **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** (Chief Justice of India) के सामने (उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश), संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की।
- **पुनर्निर्वाचन (अनुच्छेद 57)**: **कितनी भी बार** संभव (अमेरिका जैसी दो कार्यकाल की सीमा नहीं)। केवल **राजेंद्र प्रसाद (Rajendra Prasad)** दो बार चुने गए (1952, 1957)।
- **रिक्ति भरना (अनुच्छेद 62)**: कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो निर्वाचन उससे पहले पूरा होता है; मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर निर्वाचन **6 महीने के भीतर**, और नए राष्ट्रपति को **पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल** मिलता है।
- **एकमात्र आधार**: **'संविधान का अतिक्रमण'** (violation of the Constitution) (अनुच्छेद 61)। संविधान इसकी परिभाषा नहीं देता।
- **दूसरा सदन**: आरोप की जाँच करता है या करवाता है; राष्ट्रपति **उपस्थित हो सकता है और अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है**। यदि यह भी **अपनी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई** से संकल्प पारित कर दे, तो राष्ट्रपति **उस संकल्प की तिथि से पद से हट जाता है**।
- **कौन मत देता है**: **दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य**। राज्यों के विधायक और दिल्ली व पुडुचेरी के विधायक, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में **कोई भूमिका नहीं** रखते।
- **वे रिपोर्टें जिन्हें राष्ट्रपति को संसद के सामने रखवाना होता है**: व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त आयोग की सिफ़ारिशें (**अनुच्छेद 281**), संघ के लेखाओं पर **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)** की रिपोर्टें (**अनुच्छेद 151**), **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** की वार्षिक रिपोर्ट (**अनुच्छेद 323**), राष्ट्रीय **अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338)**, **अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)** और **पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)** की रिपोर्टें, तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की रिपोर्ट (अनुच्छेद 350B)।
- **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की रिपोर्ट**: समिति स्वयं इसे लोक सभा में प्रस्तुत करती है, राष्ट्रपति इसे **नहीं** रखवाता।
- **धन विधेयक** (Money Bill): राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, पर इसे **लौटा नहीं सकता**। यह उसकी पूर्व सिफ़ारिश से पेश होता है, इसलिए सामान्यतः वह हस्ताक्षर कर देता है।
- **संविधान संशोधन विधेयक**: राष्ट्रपति को **अनुमति देनी ही होगी** (अनुच्छेद 368(2), **24वें संशोधन, 1971** द्वारा संशोधित)। किसी भी प्रकार का वीटो नहीं।

★ **कोई समय-सीमा नहीं**: संविधान कोई **अवधि तय नहीं करता** जिसके भीतर राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेना हो। अप्रैल 2025 में दो न्यायाधीशों की पीठ (तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (State of Tamil Nadu v Governor of Tamil Nadu)) ने अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित विधेयकों के लिए तीन महीने तय किए।

★ **बल**: **संसद के अधिनियम जैसा ही बल और प्रभाव**। यह किसी भी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है और **भूतलक्षी** (retrospective) बनाया जा सकता है, पर केवल उन विषयों पर जिन पर संसद विधि बना सकती है।

★ **सीमाएँ**: यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' है, इसलिए **मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकता**; और **संविधान संशोधन नहीं कर सकता**।

★ **आयु**: सदनों के फिर समवेत होने पर इसे दोनों सदनों के सामने रखना होता है; यह **फिर समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त** हो जाता है (सदन अलग-अलग तिथियों पर बैठें तो बाद वाली तिथि से गिनती), और दोनों सदन अस्वीकार कर दें तो पहले ही। राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने होने से इसकी सबसे लंबी आयु लगभग **6 महीने + 6 सप्ताह** है।

★ **अनुच्छेद 72 का दायरा**: **संघ की विधियों** के विरुद्ध अपराध, **सेना न्यायालय** (court-martial) के सभी दंड, और **हर मृत्युदंड** (राज्य विधि के अंतर्गत भी)।

★ **राज्यपाल (अनुच्छेद 161)**: केवल **राज्य की विधियों** के विरुद्ध अपराध; मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है पर उसे **क्षमा नहीं कर सकता**; **सेना न्यायालय** के दंडों पर उसकी **कोई शक्ति नहीं**।

★ **सलाह पर**: राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग **मंत्रिपरिषद की सलाह** पर करता है (**मारू राम (Maru Ram), 1980**; **केहर सिंह (Kehar Singh), 1989**), अपने आप नहीं। दया याचिकाओं पर गृह मंत्रालय कार्यवाही करता है।

★ **सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन**: न्यायालय क्षमादान के आदेश की जाँच दुर्भावना, मनमानी, विवेक का प्रयोग न करने या असंगत बातों के आधार पर कर सकते हैं (**एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (Epuru Sudhakar v Government of Andhra Pradesh), 2006**), पर उसके गुण-दोष की नहीं।

★ **राजेंद्र प्रसाद** (1950–62): पहले राष्ट्रपति, **दो बार चुने गए एकमात्र**, और सबसे लंबे समय तक पद पर (लगभग 12 वर्ष)।

★ **एन. संजीव रेड्डी (N. Sanjiva Reddy)** (1977): **निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति**; वे पहले **लोक सभा अध्यक्ष** रह चुके थे।

★ **के.आर. नारायणन (K.R. Narayanan)** (1997–2002): पहले **दलित** राष्ट्रपति; पेशेवर राजनयिक (थाईलैंड, तुर्की, चीन और अमेरिका में राजदूत) और **जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय** के कुलपति; पहले उपराष्ट्रपति रहे।

★ **अनुच्छेद 63–64**: एक उपराष्ट्रपति होगा, जो **राज्य सभा का पदेन सभापति** (ex officio Chairman) है। वह उस सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है।

★ **निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 66)**: **संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत**। राज्य विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं। एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान।

★ **2022 का निर्वाचन (16वाँ)**: निर्वाचक मंडल में **788** सीटें थीं (**543 लोक सभा + 245 राज्य सभा**)। जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) जीते।

★ **कार्यकाल और पद से हटाना (अनुच्छेद 67)**: **5 वर्ष**; त्यागपत्र **राष्ट्रपति** को। **राज्य सभा** के ऐसे संकल्प से हटाया जाता है जो उसके **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित हो और जिस पर **लोक सभा सहमत** हो; कम से कम **14 दिन की सूचना**। कोई आधार नहीं बताए गए हैं और महाभियोग नहीं होता।

11. प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी

★ **अनुच्छेद 74(1)**: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए **एक मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा**; राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करता है।

★ **अनुच्छेद 75(3)**: मंत्रिपरिषद **लोक सभा (House of the People) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** है। राज्य सभा मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, पर मत देकर मंत्रालय को हटा नहीं सकती।

★ **अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य** राष्ट्रपति के प्रति: (a) प्रशासन संबंधी **मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय** और **विधान के प्रस्ताव** बताना; (b) इन पर राष्ट्रपति जो जानकारी माँगे, देना; (c) राष्ट्रपति चाहे तो वह विषय मंत्रिपरिषद के सामने रखना जिस पर किसी एक मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो।

★ **अनुच्छेद 75(1)**: **राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है**; अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति **प्रधानमंत्री की सलाह पर** नियुक्त करता है।

★ **कोई भी सदन**: प्रधानमंत्री लोक सभा **या** राज्य सभा का सदस्य हो सकता है। **इंदिरा गांधी** (Indira Gandhi, 1966), **आई.के. गुजराल** (I.K. Gujral, 1997) और **मनमोहन सिंह** (Manmohan Singh, 2004) प्रधानमंत्री बनते समय राज्य सभा के सदस्य थे।

★ **गैर-सदस्य (अनुच्छेद 75(5))**: जो व्यक्ति सांसद नहीं है, वह प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकता है, पर यदि वह किसी भी सदन का सदस्य न बने तो **6 महीने बाद पद पर नहीं रहता**। **एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (S.P. Anand v H.D. Deve Gowda, 1996)** में गैर-सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति को वैध ठहराया गया।

★ **मंत्रालय और विभाग**: **राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य बाँटता है**, जो **अनुच्छेद 77(3)** के अधीन बने नियमों (कार्य आबंटन नियम (Allocation of Business Rules), 1961) के तहत होता है। नए मंत्रालय और विभाग भी इसी तरह बनते हैं, मंत्रिमंडल सचिव द्वारा नहीं।

★ **वे निकाय जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता**: **सिविल सेवा बोर्ड (Civil Services Board)** (मंत्रिमंडल सचिव), **जीएसटी परिषद** (केंद्रीय वित्त मंत्री), **क्षेत्रीय परिषदें** (केंद्रीय गृह मंत्री), और स्वाभाविक रूप से लोक सभा (अध्यक्ष) तथा राज्य सभा (उपराष्ट्रपति)।

★ **परंपरा से श्रेणियाँ**: **कैबिनेट मंत्री** (Cabinet ministers: महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख, मंत्रिमंडल में बैठते हैं), **स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री** (Ministers of State with independent charge: अपना मंत्रालय स्वयं चलाते हैं), **राज्य मंत्री** (किसी कैबिनेट मंत्री से संबद्ध) और **उप मंत्री** (Deputy Ministers: अब कम ही नियुक्त होते हैं)। संविधान मंत्रियों को श्रेणियों में **नहीं** बाँटता।

★ **आकार की सीमा (अनुच्छेद 75(1A))**: **प्रधानमंत्री सहित** मंत्रियों की कुल संख्या **लोक सभा के कुल सदस्यों के 15%** से अधिक नहीं होगी, यानी 543 सदस्यों वाले सदन में **81**। इसे **91वें संशोधन, 2003** ने जोड़ा।

★ **सामूहिक (अनुच्छेद 75(3))**: यदि लोक सभा **अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion)** पारित कर दे, तो **पूरी मंत्रिपरिषद** को त्यागपत्र देना होता है, राज्य सभा से आए मंत्रियों सहित।

★ **एक स्वर**: जो मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है, उसे या तो उसका समर्थन करना होगा या त्यागपत्र देना होगा। **बी.आर. आंबेडकर** (B.R. Ambedkar) ने हिंदू कोड बिल के प्रश्न पर **1951** में नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया।

★ **व्यक्तिगत (अनुच्छेद 75(2))**: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं; राष्ट्रपति किसी मंत्री को **केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर** हटाता है।

★ **संविधान में 'मंत्रिमंडल'**: केवल एक बार, **अनुच्छेद 352(3)** में, जिसे **44वें संशोधन (1978)** ने जोड़ा: राष्ट्रीय आपातकाल केवल संघ के मंत्रिमंडल के **लिखित** निर्णय पर ही घोषित किया जा सकता है।

★ **मंत्रिमंडल सचिवालय**: सीधे **प्रधानमंत्री** के अधीन। यह मंत्रिमंडल की बैठकों की **कार्यसूची** और कार्यवृत्त तैयार करता है, **मंत्रिमंडल समितियों को सचिवीय सहायता** देता है, निर्णयों के पालन पर नज़र रखता है और कार्य नियमों को सँभालता है। **मंत्रालयों को धन आवंटित करना इसका काम नहीं**: वह वित्त मंत्रालय का काम है।

★ **मंत्रिमंडल सचिव (Cabinet Secretary)**: सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक; मंत्रिमंडल का सचिव; **सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष** और सचिवों की समिति का भी अध्यक्ष। टी.वी. सोमनाथन (T.V. Somanathan) **30 अगस्त 2024** से इस पद पर हैं; उनका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाकर 30 अगस्त 2027 तक किया गया।

★ **नियुक्ति (अनुच्छेद 76(1))**: **राष्ट्रपति** द्वारा; वह **उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य** होना चाहिए (ऐसा नागरिक जो 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेत्ता हो)।

★ **कर्तव्य (अनुच्छेद 76(2))**: राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधिक मामलों पर **भारत सरकार** को सलाह देना, और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए या कानून द्वारा दिए गए अन्य विधिक कर्तव्य निभाना। वह उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से उपस्थित होता है।

★ **सुनवाई का अधिकार (Right of audience) (अनुच्छेद 76(3))**: **भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों** में, केवल उच्चतम न्यायालय में नहीं।

★ **संसद में (अनुच्छेद 88)**: किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और जिस संसदीय समिति में उसका नाम हो, उसकी कार्यवाही में **बोल सकता है और भाग ले सकता है**, पर **मत नहीं दे सकता**। **अनुच्छेद 105(4)**: उसे सांसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (privileges and immunities) प्राप्त हैं।

★ **कार्यकाल**: संविधान ने **निश्चित नहीं** किया; **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद पर रहता है; पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करता है (अनुच्छेद 76(4))। परंपरा से सरकार बदलने पर वह त्यागपत्र देता है, पर संविधान ऐसा अनिवार्य नहीं करता।

★ **पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं**: वह निजी वकालत कर सकता है, पर **भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता या उपस्थित नहीं हो सकता**, सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक अभियोजन में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकता, और अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता।

12. संसद: सदन, पदाधिकारी, सत्र और विशेषाधिकार

★ **अनुच्छेद 79**: संसद **राष्ट्रपति** और दो सदनों से मिलकर बनती है: **राज्य सभा (Council of States)** और **लोक सभा (House of the People)**।

★ **राष्ट्रपति अंग है, सदस्य नहीं**: वह किसी सदन में नहीं बैठता और उसका कोई मत नहीं होता, पर वह सदनों को **आहूत करता और उनका सत्रावसान करता** है, लोक सभा का **विघटन** करता है, उन्हें **संबोधित** करता है, विधेयकों पर **अनुमति** देता है और जब सदन सत्र में न हों तब **अध्यादेश** जारी करता है (अनु. 123)।

★ **अधिकतम सदस्य संख्या (अनु. 81)**: **550 निर्वाचित** सदस्य, राज्यों से अधिकतम **530** और संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) से अधिकतम **20**। **वर्तमान संख्या: 543** (राज्यों से 524 + संघ राज्यक्षेत्रों से 19)।

★ **आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indians)**: अनु. 331 के तहत राष्ट्रपति अधिकतम **2** आंग्ल-भारतीयों को नामनिर्दिष्ट कर सकता था (इसलिए पुराना अधिकतम 552 था)। **104वें संशोधन अधिनियम, 2019** (**25 जनवरी 2020** से लागू) ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में यह नामनिर्देशन समाप्त कर दिया।

★ **निर्वाचन**: प्रत्यक्ष, **सार्वभौम वयस्क मताधिकार (universal adult franchise)** से (अनु. 326), एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक मत पाने वाले की जीत (first-past-the-post)। मतदान की आयु **61वें संशोधन, 1988** (1989 से लागू) द्वारा **21 से 18** की गई।

★ **महिला आरक्षण**: **106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023** (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा** में **एक-तिहाई** सीटें आरक्षित करता है (अनु. 330A, 332A, 239AA), जिसमें SC/ST सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है, **15 वर्ष** के लिए (अनु. 334A)। यह अधिनियम **16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ**, पर आरक्षित सीटें उस प्रारंभ के बाद हुई **पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन** के बाद ही शुरू होंगी, इसलिए अभी (नवंबर 2026) कोई सीट आरक्षित नहीं है। यह राज्य सभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं होता।

★ **कार्यकाल (अनु. 83(2))**: पहली बैठक की तिथि से **5 वर्ष**; राष्ट्रपति इसे पहले भी विघटित कर सकता है। **राष्ट्रीय आपात (National Emergency)** के दौरान संसद कानून द्वारा इसे **एक बार में एक वर्ष** बढ़ा सकती है, पर आपात समाप्त होने के बाद **छह माह** से अधिक नहीं।

★ **अधिकतम संख्या (अनु. 80)**: **250** = राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के **238** प्रतिनिधि + राष्ट्रपति द्वारा **12 नामनिर्दिष्ट**। **वर्तमान: 245** (233 निर्वाचित + 12 नामनिर्दिष्ट)।

★ **नामनिर्दिष्ट सदस्य (Nominated members)**: **साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा** का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति (अनु. 80(3))। नामनिर्दिष्ट सदस्य **उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देते हैं** पर **राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं**।

★ **निर्वाचन**: **राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों** द्वारा, **आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote)** द्वारा (अनु. 80(4))। इसलिए यह **अप्रत्यक्ष** निर्वाचन है। 2003 से मतदान **खुले मतपत्र (open ballot)** से होता है।

★ **संघ राज्यक्षेत्र**: केवल **दिल्ली (3)**, **पुडुचेरी (1)** और **जम्मू-कश्मीर (4)** को राज्य सभा में सीटें हैं; अन्य संघ राज्यक्षेत्रों को नहीं।

★ **स्थायी सदन**: विघटन के अधीन नहीं (अनु. 83(1)); **हर दूसरे वर्ष एक-तिहाई** सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य का **6 वर्ष** का कार्यकाल संविधान नहीं, **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951** तय करता है।

★ **अनु. 249**: यदि राज्य सभा **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से संकल्प पारित करे कि यह **राष्ट्रीय हित** में है, तो संसद **राज्य सूची** के किसी विषय पर कानून बना सकती है। संकल्प **एक वर्ष** तक प्रभावी रहता है और कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है।

★ **अनु. 312**: राज्य सभा के ऐसे ही संकल्प (उपस्थित और मत देने वालों के दो-तिहाई) से संसद संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित **नई अखिल भारतीय सेवाएँ** सृजित कर सकती है।

★ **समान शक्तियाँ**: साधारण विधेयक, **संविधान संशोधन विधेयक** (दोनों सदनों को अलग-अलग पारित करना होता है; संयुक्त बैठक नहीं), राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अध्यादेशों और आपात उद्घोषणाओं का अनुमोदन, न्यायाधीशों को पद से हटाना।

★ **लोक सभा अधिक शक्तिशाली**: **धन विधेयक** (राज्य सभा केवल 14 दिन के भीतर सिफ़ारिश करती है), **अनुदान की माँगों पर मतदान**, **अविश्वास प्रस्ताव** (मंत्रिपरिषद केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, अनु. 75(3)), **राष्ट्रीय आपात समाप्त** करने का संकल्प, और संयुक्त बैठक में इसकी बड़ी संख्या।

★ **अर्हताएँ (अनु. 84)**: **भारत का नागरिक** हो; **निर्वाचन आयोग (Election Commission)** द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ले; लोक सभा के लिए कम से कम **25 वर्ष** और राज्य सभा के लिए **30 वर्ष** की आयु; संसद द्वारा कानून से निर्धारित कोई अन्य अर्हता।

★ **निरर्हता (अनु. 102(1))**: (क) संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन **लाभ का पद** धारण करता है (जब तक संसद ने उसे छूट न दी हो); (ख) **विकृतचित्त** है और न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है; (ग) **अनुन्मोचित दिवालिया** है; (घ) **भारत का नागरिक नहीं** है, या उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली है; (ङ) **संसद के कानून** द्वारा निरर्ह है।

★ **अन्य निरर्हताओं का निर्णय कौन करता है (अनु. 103)**: **राष्ट्रपति**, जिसका निर्णय अंतिम है, **निर्वाचन आयोग की राय** के अनुसार।

★ **लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं** है। न्यायालय देखते हैं: क्या सरकार नियुक्त करती और हटाती है, वेतन देती है, और पदधारी पर नियंत्रण रखती है? **जया बच्चन बनाम भारत संघ (Jaya Bachchan v. Union of India) (2006)** में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जिस पद से लाभ **मिल सकता** है, वह गिना जाएगा, चाहे वेतन न लिया गया हो।

★ **संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम (Parliament (Prevention of Disqualification) Act), 1959** उन पदों की सूची देता है जिनके धारक **निरर्ह नहीं** होते। इसमें **पाँच बार** संशोधन हुआ है; 2006 के संशोधन ने कई पदों को भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी।

★ **सीट रिक्त होना (अनु. 101)**: दोनों सदनों की सदस्यता (व्यक्ति को एक चुनना होगा; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 10 दिन में चुनाव न करने पर राज्य सभा की सीट रिक्त हो जाती है); संसद और किसी राज्य विधानमंडल दोनों की सदस्यता (**14 दिन** के भीतर राज्य की सीट छोड़नी होगी, वरना संसद की सीट जाती है); निरर्हता; अध्यक्ष या सभापति को **त्यागपत्र** (केवल तभी स्वीकार जब स्वैच्छिक और वास्तविक हो)।

★ **अनुपस्थिति (अनु. 101(4))**: जो सदस्य सदन की अनुमति के बिना **60 दिन तक सभी बैठकों** से अनुपस्थित रहे, उसकी सीट सदन **रिक्त घोषित** कर सकता है; सत्रावसान के दिन या लगातार चार दिन से अधिक के स्थगन के दिन नहीं गिने जाते। इसलिए 60 दिन कैलेंडर अवधि नहीं हैं: 'दो महीने', 'तीन महीने', 'छह महीने' या 'एक वर्ष' सभी गलत उत्तर हैं।

★ **निर्वाचन (अनु. 93)**: लोक सभा 'यथाशक्य शीघ्र' अपने **ही दो सदस्यों** को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि **राष्ट्रपति** तय करता है; उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि **अध्यक्ष**।

★ **पद छोड़ना (अनु. 94)**: (क) सदस्य नहीं रहता; (ख) लिखित **त्यागपत्र** देता है: अध्यक्ष **उपाध्यक्ष** को लिखता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को; (ग) लोक सभा के **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित संकल्प द्वारा **हटाया** जाता है, जो कम से कम **14 दिन की सूचना** के बाद प्रस्तुत हो।

★ **विघटन के बाद** अध्यक्ष नई लोक सभा की **पहली बैठक से ठीक पहले** तक पद **नहीं** छोड़ता।

★ **अपने हटाए जाने की चर्चा के दौरान (अनु. 96)**: अध्यक्ष **पीठासीन नहीं हो सकता**, पर **बोल सकता** है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, और **प्रथमतः मत दे सकता** है; उस पर उसका **निर्णायक मत नहीं** होता।

★ **निर्णायक मत (Casting vote) (अनु. 100(1))**: पीठासीन अधिकारी प्रथमतः मत नहीं देता; केवल **मत बराबर** होने पर मत देता है।

★ **शक्तियाँ**: कोई विधेयक **धन विधेयक** है, इस पर उसका प्रमाणपत्र अंतिम है (अनु. 110(3)); **संयुक्त बैठक** की अध्यक्षता करता है (अनु. 118(4)); **दल-बदल** के मामले तय करता है (दसवीं अनुसूची); गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित या निलंबित कर सकता है; सदन के नियमों और प्रक्रिया का अंतिम व्याख्याकार है; किसी सदस्य को **मातृभाषा** में बोलने दे सकता है (अनु. 120)।

★ **उपाध्यक्ष**: अध्यक्ष के **अधीनस्थ नहीं**; सदन के प्रति उत्तरदायी। पीठासीन होने पर उसके पास **अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ** होती हैं और उसके निर्णयों के विरुद्ध **कोई अपील नहीं** होती। अध्यक्ष की तरह सदस्यों द्वारा प्रस्तुत और समर्थित प्रस्ताव पर निर्वाचित; किसी समिति का सदस्य बनाए जाने पर वह उसका सभापति बन जाता है।

★ **राज्य सभा का सभापति (Chairman)**: पदेन **उपराष्ट्रपति** (अनु. 64, 89); सदन का **सदस्य नहीं**; केवल निर्णायक मत। जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटाने के संकल्प पर विचार हो रहा हो, वह **पीठासीन नहीं हो सकता** (अनु. 92); बोल सकता है पर उसका **कोई मत नहीं** होता। **12 सितंबर 2025** से: **सी.पी. राधाकृष्णन (C.P. Radhakrishnan)** (जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के 21 जुलाई 2025 को त्यागपत्र देने के बाद)।

★ **विपक्ष का नेता (Leader of the Opposition, LoP)**: सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, जिसके पास सदन की कम से कम **दसवाँ भाग** सीटें हों (लोक सभा में **55**)। दसवें भाग की कसौटी अध्यक्ष की प्रथा है, कानून नहीं।

★ **मान्यता का इतिहास**: लोक सभा में पहले विपक्ष के नेता को **1969** में मान्यता मिली (**राम सुभग सिंह (Ram Subhag Singh)**)। **संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम (Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act), 1977** ने इस पद को वैधानिक दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और सुविधाओं के साथ। यह पद **संविधान में नहीं** है।

★ **गणपूर्ति (Quorum) (अनु. 100(3))**: पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का **दसवाँ भाग**: लोक सभा में **55**, राज्य सभा में **25**। इसके बिना पीठासीन अधिकारी को बैठक स्थगित या निलंबित करनी होती है।

★ **भाषा (अनु. 120)**: कार्य **हिंदी या अंग्रेज़ी** में होता है; जो सदस्य इनमें से किसी में अपनी बात पर्याप्त रूप से नहीं कह सकता, उसे पीठासीन अधिकारी उसकी **मातृभाषा** में बोलने दे सकता है।

★ **सचिवालय (अनु. 98)**: हर सदन का **अपना अलग सचिवालय** है। संसद कानून से भर्ती का विनियमन कर सकती है; जब तक ऐसा न करे, कर्मचारियों की भर्ती के नियम **राष्ट्रपति, अध्यक्ष से परामर्श के बाद** (या सभापति से) बनाता है।

★ **आहूत करना (Summoning) (अनु. 85)**: **राष्ट्रपति** हर सदन को ऐसे **समय और स्थान** पर बैठक के लिए आहूत करता है जो वह ठीक समझे। एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच **छह माह** से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, इसलिए संसद को **वर्ष में कम से कम दो बार** मिलना ही होता है।

★ **वर्ष में तीन सत्र** (बजट: फरवरी से मई; मानसून: जुलाई से सितंबर; शीतकालीन: नवंबर से दिसंबर) एक **परिपाटी** है, संवैधानिक नियम नहीं। बैठक के दिनों की **कोई न्यूनतम संख्या नहीं** है।

★ **सत्रावसान (Prorogation)**: **सत्र** को समाप्त करता है; **मंत्रिपरिषद** की सलाह पर **राष्ट्रपति** का आदेश, प्रायः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद, यद्यपि सत्र में चल रहे सदन का भी सत्रावसान हो सकता है। लंबित **सूचनाएँ व्यपगत** हो जाती हैं (विधेयक पुरःस्थापित करने की सूचनाओं को छोड़कर); **विधेयक व्यपगत नहीं** होते।

★ **विघटन (Dissolution)**: **लोक सभा का जीवन** समाप्त करता है (राज्य सभा कभी विघटित नहीं होती)। यह 5 वर्ष पूरे होने पर होता है, या उससे पहले **राष्ट्रपति** करता है, जो असाधारण स्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। फिर नई लोक सभा का निर्वाचन होना ही चाहिए।

★ **तारांकित प्रश्न (Starred question)** (तारांक चिह्न लगा हुआ): **मौखिक उत्तर** चाहिए, और **अनुपूरक प्रश्न** पूछे जा सकते हैं। **अतारांकित प्रश्न (Unstarred question)**: **लिखित उत्तर** मिलता है; **अनुपूरक प्रश्न नहीं**।

★ **शून्यकाल (Zero Hour)**: प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है; सदस्य **बिना पूर्व सूचना** के विषय उठाते हैं। **1962** से प्रचलित एक **भारतीय नवाचार**; यह प्रक्रिया के **नियमों में नहीं** है।

★ **स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion)**: **तात्कालिक लोक महत्त्व के किसी निश्चित विषय** पर चर्चा के लिए दिन का कार्य रोक देता है; **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए; **केवल लोक सभा में** (राज्य सभा में नहीं); इसमें निंदा का तत्व होता है; चर्चा कम से कम ढाई घंटे चलती है।

★ **अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion)**: लोक सभा के नियमों के **नियम 198** के तहत; **संविधान में उल्लेख नहीं** (इसका आधार अनु. 75(3) है)। **केवल लोक सभा में** प्रस्तुत, **50 सदस्यों** का समर्थन चाहिए, **कारण बताना आवश्यक नहीं**, और यह **पूरी मंत्रिपरिषद** के विरुद्ध होता है। पारित होने पर सरकार को **त्यागपत्र देना ही** होता है।

★ **निंदा प्रस्ताव (Censure motion)**: **कारण बताना आवश्यक**; **एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद** के विरुद्ध हो सकता है; विशिष्ट नीतियों या कार्यों के लिए लोक सभा में प्रस्तुत। पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना **आवश्यक नहीं**, यद्यपि तब वह सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहेगी। यह अविश्वास प्रस्ताव से **अलग** प्रस्ताव है।

★ **अनु. 105** (संसद) और **अनु. 194** (राज्य विधानमंडल): सदन में **वाक्-स्वातंत्र्य**; संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए सदस्य के विरुद्ध **न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं**; सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किसी सामग्री के लिए कोई दायित्व नहीं।

★ **किन्हें मिलते हैं**: सदस्यों को, और उन अन्य लोगों को भी जिन्हें सदन या समिति में बोलने का अधिकार है, जैसे सदस्य न होने वाले **मंत्री** और **महान्यायवादी**। **राष्ट्रपति** को ये **प्राप्त नहीं** हैं, यद्यपि वह संसद का अंग है।

★ **गिरफ़्तारी से मुक्ति** केवल **सिविल** मामलों में, सत्र के दौरान और उसके **40 दिन पहले और बाद** तक (सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) की धारा 135A)। **आपराधिक** मामलों या **निवारक निरोध** में **कोई** संरक्षण नहीं।

★ **सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024)**: **सात न्यायाधीशों की पीठ** ने माना कि मत देने या बोलने के लिए **रिश्वत** लेने वाले सदस्य को अनु. 105 या 194 के तहत **कोई उन्मुक्ति नहीं** है, और **पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) (1998)** का निर्णय पलट दिया।

13. विधि-निर्माण, बजट और संसदीय समितियाँ

★ **गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private member's bill)**: **कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है**, चाहे निर्वाचित हो या नामनिर्दिष्ट, इसे पेश कर सकता है; **एक महीने** की सूचना आवश्यक; **शुक्रवार** को (बैठक के उत्तरार्ध में) लिया जाता है; इसके अस्वीकृत होने का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

★ 1952 से अब तक **केवल 14 गैर-सरकारी सदस्य विधेयक** कानून बने हैं; अंतिम था **उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपीली अधिकारिता का विस्तार) अधिनियम, 1970 (Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Act)**। 2015 में राज्य सभा ने तिरुचि शिवा (Tiruchi Siva) का उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक (Rights of Transgender Persons Bill) पारित किया, जो चार दशकों से अधिक समय में उसके द्वारा पारित पहला गैर-सरकारी विधेयक था, पर लोक सभा ने इसे पारित नहीं किया।

★ **द्वितीय वाचन (Second reading)**: सामान्य चर्चा, जिसके बाद सदन उस पर तुरंत विचार कर सकता है, उसे **प्रवर समिति (Select committee)** (उसी सदन के सदस्य) या **संयुक्त समिति (Joint committee)** (दोनों सदन) को भेज सकता है, या **जनमत** जानने के लिए परिचालित कर सकता है। फिर संशोधनों के साथ **खंडवार** विचार होता है। 1993 से अधिकांश विधेयक **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (Department-related standing committees)** के पास जाते हैं।

★ **गतिरोध (Deadlock)**: यदि दूसरा सदन विधेयक अस्वीकार कर दे, दोनों सदन संशोधनों पर असहमत हों, या उसके पारित हुए बिना **छह महीने** बीत जाएँ, तो राष्ट्रपति **संयुक्त बैठक (Joint sitting)** (अनुच्छेद 108) बुला सकते हैं।

★ **अनुमति (Assent) (अनुच्छेद 111)**: राष्ट्रपति धन विधेयक से भिन्न विधेयक पर **अनुमति** दे सकते हैं, अनुमति **रोक** सकते हैं, या उसे पुनर्विचार के लिए एक बार **लौटा** सकते हैं। यदि दोनों सदन उसे संशोधन सहित या रहित फिर से पारित कर दें, तो उन्हें **अनुमति देनी ही होगी**।

★ **पीठासीन कौन (अनुच्छेद 118(4))**: **लोक सभा अध्यक्ष (Speaker)**; उनकी अनुपस्थिति में **उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)**; फिर राज्य सभा के **उपसभापति (Deputy Chairman)**। **राज्य सभा के सभापति पीठासीन नहीं होते**।

★ **बहुमत**: विधेयक **दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple majority)** से पारित होता है। **गणपूर्ति (Quorum)**: दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग।

★ **धन विधेयकों के लिए नहीं** (राज्य सभा उसे वैसे भी रोक नहीं सकती) और **संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं** (प्रत्येक सदन को उन्हें अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है)।

★ **केवल तीन बार हुई**: **दहेज प्रतिषेध विधेयक (Dowry Prohibition Bill)** (मई **1961**), **बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (Banking Service Commission (Repeal) Bill)** (मई **1978**) और **आतंकवाद निवारण विधेयक (Prevention of Terrorism Bill)** (26 मार्च **2002**)।

★ **अनुच्छेद 110(1)**: कोई विधेयक धन विधेयक (Money bill) तब है जब उसमें **केवल** इन विषयों के उपबंध हों: (क) **किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन**; (ख) भारत सरकार द्वारा **उधार** लेना या प्रत्याभूति देना; (ग) संचित निधि (Consolidated Fund) या **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)** की **अभिरक्षा**, और उनमें धन जमा करना या उनसे धन निकालना; (घ) **संचित निधि में से धन का विनियोग**; (ङ) संचित निधि पर **भारित** व्यय घोषित करना या उसे बढ़ाना; (च) संचित निधि या लोक लेखा में धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा या निर्गमन, या संघ या राज्य के लेखाओं की **संपरीक्षा**; (छ) इनसे आनुषंगिक कोई विषय।

★ **अध्यक्ष निर्णय करते हैं (अनुच्छेद 110(3))**: प्रश्न उठने पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय **अंतिम** होता है; विधेयक राज्य सभा और राष्ट्रपति के पास भेजते समय उस पर अध्यक्ष का **प्रमाणपत्र** पृष्ठांकित किया जाता है (अनुच्छेद 110(4))।

★ **पेश करना**: **केवल लोक सभा में**, केवल **राष्ट्रपति की सिफारिश** पर (अनुच्छेद 117(1)), और केवल **मंत्री** द्वारा।

★ **राज्य सभा की सीमा (अनुच्छेद 109)**: वह धन विधेयक को **न संशोधित कर सकती है, न अस्वीकार**; उसे **14 दिन** के भीतर **सिफारिशों** सहित या रहित लौटाना होता है। लोक सभा उनमें से किसी को भी **स्वीकार या अस्वीकार** कर सकती है। यदि 14 दिन में न लौटाया जाए, तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा **पारित समझा जाता है** जिसमें लोक सभा ने उसे पारित किया था।

★ **वित्तीय विधेयक (Financial bill), अनुच्छेद 117(1)**: इसमें अनुच्छेद 110 के विषयों के **साथ** अन्य विषय भी होते हैं। धन विधेयक की तरह यह केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर शुरू होता है; उसके बाद इसे **साधारण विधेयक** माना जाता है: राज्य सभा इसे **संशोधित या अस्वीकार** कर सकती है, और गतिरोध **संयुक्त बैठक** से सुलझ सकता है।

★ **प्रश्न में 'वित्त विधेयक' बनाम 'धन विधेयक'**: जब दोनों की तुलना की जाए, तो 'वित्त विधेयक' का अर्थ है ऐसा **वित्तीय विधेयक** जो धन विधेयक नहीं है। राज्य सभा उसे **संशोधित या अस्वीकार कर सकती है**, और गतिरोध संयुक्त बैठक में **जा सकता है**: संयुक्त बैठक **संभव है, कभी अनिवार्य नहीं**।

★ **सत्रावसान (Prorogation)** से किसी भी सदन में लंबित कोई विधेयक व्यपगत **नहीं** होता (अनुच्छेद 107(3)); केवल लंबित सूचनाएँ व्यपगत होती हैं।

★ **विघटन पर व्यपगत (Lapse)**: **लोक सभा में लंबित** विधेयक (चाहे वहीं शुरू हुआ हो या राज्य सभा से आया हो); **लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा में लंबित** विधेयक (अनुच्छेद 107(5))।

★ **विघटन के बाद भी बने रहते हैं**: **राज्य सभा में लंबित** ऐसा विधेयक जिसे लोक सभा ने **पारित नहीं** किया; **दोनों सदनों द्वारा पारित** और राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतीक्षा वाला विधेयक; दोनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए **लौटाया गया** विधेयक; ऐसा विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति ने विघटन से पहले **संयुक्त बैठक की अधिसूचना** दे दी हो (अनुच्छेद 108(5))।

★ **भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) (अनुच्छेद 266(1))**: संघ का **सारा राजस्व**, उसके द्वारा लिए गए सभी **ऋण** और उसे प्राप्त सभी **ऋण वसूलियाँ** इसमें जाती हैं। संसद की **विनियोग विधि** के बिना इससे कुछ नहीं निकाला जा सकता।

★ **भारत का लोक लेखा (Public Account of India) (अनुच्छेद 266(2))**: अन्य सभी लोक धन, जैसे **भविष्य निधि**, **लघु बचत** और **जमा राशियाँ**, जिन्हें सरकार बैंकर या न्यासी के रूप में रखती है। इससे भुगतान कार्यपालिका की कार्रवाई से होते हैं और संसद के **विनियोग की आवश्यकता नहीं** होती।

★ **अनुच्छेद 112**: **राष्ट्रपति** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)** (अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय) **दोनों सदनों** के समक्ष रखवाते हैं। व्यवहार में सरकार की ओर से **केंद्रीय वित्त मंत्री** इसे दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। संविधान में **'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं** हुआ है।

★ **अनुच्छेद 113**: अन्य व्यय **अनुदान की माँगों (Demands for grants)** के रूप में आता है, जिन पर **केवल लोक सभा** मतदान करती है; वह किसी माँग पर **अनुमति दे सकती है, उसे अस्वीकार कर सकती है या घटा सकती है**, पर **बढ़ा नहीं** सकती। **राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई माँग** नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 113(3))।

★ **केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है**: वित्त मंत्रालय के **आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) का बजट प्रभाग** (राजस्व विभाग नहीं)।

★ **छह चरण**: (1) **प्रस्तुतीकरण**; (2) दोनों सदनों में **सामान्य चर्चा**, बिना मतदान; (3) सदन के अवकाश (Recess) के दौरान **विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (Department-related standing committees) द्वारा जाँच**; (4) लोक सभा में **अनुदान की माँगों (Demands for grants) पर मतदान**; (5) **विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)** पारित करना; (6) **वित्त विधेयक (Finance Bill)** पारित करना।

★ **राज्य सभा की भूमिका**: वह बजट पर **चर्चा** कर सकती है पर अनुदान की माँगों पर **मतदान नहीं** कर सकती। विनियोग और वित्त विधेयक धन विधेयक हैं, इसलिए वह केवल 14 दिन के भीतर सिफारिश कर सकती है।

★ **कटौती प्रस्ताव (Cut motions)** (माँगों पर, लोक सभा में): **नीति अनुमोदन कटौती (Policy cut)**: नीति से असहमति दिखाने के लिए माँग को **घटाकर ₹1** करना; **मितव्ययिता कटौती (Economy cut)**: उसे **एक बताई गई राशि से** घटाना; **सांकेतिक कटौती (Token cut)**: किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए उसे **₹100 से** घटाना। कटौती प्रस्ताव केवल **घटा** सकता है, कभी बढ़ा नहीं सकता।

★ **लेखानुदान (Vote on account) (अनुच्छेद 116)**: माँगों पर मतदान होने तक लोक सभा **वर्ष के एक भाग** (प्रायः दो महीने) के लिए **अग्रिम** धन देती है। यह **केवल व्यय** को शामिल करता है और **कोई भी** सरकार इसका उपयोग कर सकती है।

★ **अंतरिम बजट (Interim budget)**: **चुनाव वर्ष** में जाने वाली सरकार वर्ष के एक भाग के लिए **प्राप्तियों और व्यय का पूरा विवरण** प्रस्तुत करती है, परंपरा के अनुसार बड़े कर बदलावों के बिना, और साथ में लेखानुदान लेती है।

★ **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee, PAC)**: **1921** में **भारत शासन अधिनियम, 1919 (Government of India Act)** के अंतर्गत गठित; **22 सदस्य: 15 लोक सभा से + 7 राज्य सभा से**, हर वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचित; कार्यकाल **एक वर्ष**; **मंत्री सदस्य नहीं हो सकते**।

★ **लोक लेखा समिति का कार्य**: **विनियोग लेखों**, **वित्त लेखों** और **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संपरीक्षा प्रतिवेदनों** की जाँच करती है; देखती है कि धन उसी तरह खर्च हुआ जैसे संसद ने स्वीकृत किया था। **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** को इसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है। इसका कार्य पोस्टमार्टम जैसा है, और इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है।

★ **प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)**: पहली बार **1950** में **जॉन मथाई (John Mathai)** की सिफारिश पर गठित (एक स्थायी वित्तीय समिति 1921 से थी); **30 सदस्य, सभी लोक सभा से**, अतः राज्य सभा का इसमें कोई स्थान नहीं; वित्तीय समितियों में **सबसे बड़ी**। इसे 'सतत मितव्ययिता समिति' कहा जाता है; यह मितव्ययिता के उपाय और वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती है। इसके सभापति को लोक सभा अध्यक्ष नामित करते हैं, प्रायः सत्तारूढ़ दल से।

★ **विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (Department-related standing committees, DRSCs)**: **1993** में (17) शुरू हुईं, **2004** में बढ़ाकर **24** की गईं; प्रत्येक में **31 सदस्य (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा)**; **16** का संचालन लोक सभा सचिवालय और **8** का राज्य सभा सचिवालय करता है; मंत्री सदस्य नहीं हो सकते; कार्यकाल एक वर्ष।

★ **अधीनस्थ विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation)**: जाँचती है कि संविधान या संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कार्यपालिका द्वारा बनाए गए **नियम, विनियम, उपनियम और उपविधियाँ** उस **प्रत्यायोजन की सीमा में** हैं या नहीं। लोक सभा में 15 सदस्य।

★ **आचार समिति (Ethics Committee)**: राज्य सभा **1997**; लोक सभा में **2000 में तदर्थ**, **2015** में स्थायी बनाई गई। सदस्यों के अनैतिक आचरण की शिकायतों की जाँच करती है। **कोई भी व्यक्ति** किसी सदस्य के माध्यम से शिकायत कर सकता है (सदस्य सीधे शिकायत कर सकता है)। यह ऐसे किसी मामले पर विचार **नहीं** करती जो **न्यायाधीन (Sub judice)** हो।

★ **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति**: **30 सदस्य (20 लोक सभा + 10 राज्य सभा)**; कार्यकाल **एक वर्ष**; **कोई मंत्री** सदस्य नहीं हो सकता; इसके सभापति की नियुक्ति **लोक सभा अध्यक्ष** करते हैं।

14. न्यायपालिका

★ **एकल एकीकृत न्यायपालिका (Integrated judiciary)**: न्यायालयों का एक ही पदानुक्रम केंद्रीय और राज्य दोनों विधियों को लागू करता है; यह विशेषता **भारत शासन अधिनियम, 1935** से ली गई।

★ **उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ**, संविधान लागू होने के दो दिन बाद। इसने शीर्ष न्यायालय के रूप में संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल दोनों का स्थान लिया।

★ **एक साथ कई भूमिकाएँ**: **संघीय न्यायालय** (केंद्र-राज्य विवाद), संविधान का **संरक्षक और अंतिम व्याख्याता**, **मौलिक अधिकारों का रक्षक** (अनुच्छेद 32) और **अपील का सर्वोच्च न्यायालय**।

★ **अनुच्छेद 124(1)**: उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जितने **संसद विधि द्वारा** विहित करे। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति और विधि आयोग (Law Commission) यह संख्या नहीं बदल सकते।

★ **संख्या**: 1950 में **8** (मुख्य न्यायमूर्ति + 7); 2019 से **34**; **उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act)** (अनुमति **11 अगस्त 2026**) से बढ़कर **38 (मुख्य न्यायमूर्ति + 37)**; इसने एक अध्यादेश का स्थान लिया और यह **16 मई 2026** से प्रभावी माना जाता है।

★ **अनुच्छेद 124(2)**: उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति **राष्ट्रपति** अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा करते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश के लिए **मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श अनिवार्य** है।

★ **कॉलेजियम**: **मुख्य न्यायमूर्ति + 4 वरिष्ठतम** न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं; उच्च न्यायालय की नियुक्तियाँ **मुख्य न्यायमूर्ति + 2** वरिष्ठतम तय करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मुख्य न्यायमूर्ति + 4 से होकर जाते हैं। यह केवल निर्णयों पर टिका है, संविधान के पाठ या संसद के किसी अधिनियम पर नहीं।

★ **द्वितीय न्यायाधीश मामला (Second Judges Case, 1993)** ने मुख्य न्यायमूर्ति की राय को **प्रधानता (Primacy)** देकर कॉलेजियम बनाया; **तृतीय न्यायाधीश मामला (Third Judges Case, 1998)**, जो **अनुच्छेद 143** के अधीन राष्ट्रपति का निर्देश (Presidential reference) था, ने इसका आकार मुख्य न्यायमूर्ति और चार न्यायाधीश तय किया।

★ **NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग)**: **99वें संशोधन (2014)** (अनुच्छेद 124A–124C) और NJAC अधिनियम ने छह सदस्यीय आयोग बनाया; न्यायालय ने **16 अक्टूबर 2015** को (**चतुर्थ न्यायाधीश मामला**, 4:1) न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानकर दोनों को रद्द कर दिया। कॉलेजियम जारी है।

★ **अर्हताएँ (अनुच्छेद 124(3))**: भारत का **नागरिक** जो **5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश** रहा हो, या **10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता** रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में **पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished jurist)** हो। **कोई न्यूनतम आयु** निर्धारित नहीं है।

★ **कार्यकाल**: कोई निश्चित अवधि नहीं; न्यायाधीश **65** वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, और **राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र** दे सकता है।

★ **पद से हटाना (अनुच्छेद 124(4))**: **राष्ट्रपति** के आदेश से, केवल **साबित कदाचार या असमर्थता (Proved misbehaviour or incapacity)** के आधार पर, जब प्रत्येक सदन **एक ही सत्र** में **विशेष बहुमत** (कुल सदस्य संख्या का बहुमत **और** उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) से पारित समावेदन (Address) प्रस्तुत करे।

★ **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act)** प्रक्रिया देता है: **100 लोक सभा** या **50 राज्य सभा** सदस्यों के हस्ताक्षर वाली सूचना; **अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं**; तीन सदस्यीय समिति (उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और एक पारंगत विधिवेत्ता) जाँच करती है; यदि वह न्यायाधीश को दोषी नहीं पाती, तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।

★ **वेतन मतदान से परे**: वेतन और भत्ते, जो संसद तय करती है (**अनुच्छेद 125**), **भारत की संचित निधि पर भारित (Charged)** हैं; नियुक्ति के बाद इन्हें न्यायाधीश के अहित में घटाया नहीं जा सकता, सिवाय **वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)** के दौरान।

★ **अनुच्छेद 146**: उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति **मुख्य न्यायमूर्ति** (या उनके द्वारा निर्देशित न्यायाधीश) करते हैं; इसके प्रशासनिक व्यय भी संचित निधि पर भारित हैं। सरकार इनकी नियुक्ति नहीं करती।

★ **सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128)**: मुख्य न्यायमूर्ति, **राष्ट्रपति की पूर्व सहमति** से, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (या उच्चतम न्यायालय के लिए अर्ह किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश) से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

★ **आरंभिक अधिकारिता (Original jurisdiction, अनुच्छेद 131)**: **केंद्र और एक या अधिक राज्यों** के बीच, केंद्र और कुछ राज्यों का अन्य राज्यों के विरुद्ध, या **दो या अधिक राज्यों** के बीच विवाद, जहाँ कोई विधिक अधिकार दाँव पर हो। यह **अनन्य** है: कोई अन्य न्यायालय इन्हें नहीं सुन सकता।

★ **निर्वाचन विवाद**: **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय में जाता है (**अनुच्छेद 71**); **सांसदों और विधायकों** की निर्वाचन याचिकाएँ पहले **उच्च न्यायालय** में जाती हैं।

★ **रिट अधिकारिता (Writ jurisdiction, अनुच्छेद 32)**: **केवल मौलिक अधिकारों** को लागू कराने के लिए रिट। यह आरंभिक है पर **अनन्य नहीं**: उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन इसमें साझेदार हैं। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है।

★ **सलाहकारी (Advisory, अनुच्छेद 143)**: राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व का विधि या तथ्य का प्रश्न भेज सकते हैं; **143(1)** के अधीन न्यायालय **मना कर सकता है**, **143(2)** (संविधान-पूर्व संधि विवाद) के अधीन उसे उत्तर **देना ही होगा**। यह राय राष्ट्रपति पर **बाध्यकारी नहीं** है।

★ **अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय (Complete justice)**: न्यायालय अपने समक्ष किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है; **साधारण विधियों** की सीमाएँ इस शक्ति को **नहीं बाँधतीं**, अतः संसद की विधियाँ इसे सीमित नहीं कर सकतीं। उपयोग: भोपाल गैस समझौता (1989), पेरारिवलन (Perarivalan) की रिहाई (2022), विवाह के असुधार्य रूप से टूटने पर तलाक (2023)।

★ **पुनर्विलोकन (Review, अनुच्छेद 137)**: उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है; पुनर्विलोकन विफल होने पर **उपचारात्मक याचिका (Curative petition)** अंतिम उपाय है (**रूपा अशोक हुर्रा, Rupa Ashok Hurra, 2002**)।

★ **अनुच्छेद 214**: प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। **7वाँ संशोधन (1956)** संसद को दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र के लिए **साझा उच्च न्यायालय** स्थापित करने देता है (**अनुच्छेद 231**)।

★ **न्यायाधीशों की संख्या**: संविधान तय नहीं करता; प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए **राष्ट्रपति** इसे तय करते हैं (**अनुच्छेद 216**)।

★ **शपथ राज्यपाल** के समक्ष (**अनुच्छेद 219**)। **62** पर सेवानिवृत्त (**15वें संशोधन, 1963** द्वारा 60 से बढ़ाई गई); **राष्ट्रपति** को लिखकर त्यागपत्र; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जाता है।

★ **अनुच्छेद 226**: **मौलिक अधिकारों और 'किसी अन्य प्रयोजन'** के लिए रिट, अतः साधारण विधिक अधिकारों के लिए भी। अनुच्छेद 32 से व्यापक; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय **दोनों** मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

★ **अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215)**: स्वयं की अवमानना के लिए दंड देता है। उच्च न्यायालय **केंद्रीय विधि को रद्द कर सकता है**; 42वें संशोधन की इस पर रोक **43वें (1977)** ने हटा दी।

★ **पुनर्विलोकन**: संविधान अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति **केवल उच्चतम न्यायालय को (अनुच्छेद 137)** देता है; कोई अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को ऐसी शक्ति नहीं देता। अतः 'उच्च न्यायालय को **उच्चतम न्यायालय की तरह** अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति है' को **गलत** मानें: UPSC (2021) की उत्तर कुंजी में यही है।

★ **अनुच्छेद 233**: **जिला न्यायाधीशों (District judges)** की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति **राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से** करते हैं; सीधी भर्ती वाला व्यक्ति कम से कम **7 वर्ष** अधिवक्ता रहा हो और उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो।

★ **नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, NALSA)**: **भारत के मुख्य न्यायमूर्ति** मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) हैं; उच्चतम न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ देता है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए **नीतियाँ और दिशानिर्देश बनाता** है।

★ **निःशुल्क विधिक सहायता किसे मिलती है** (धारा 12): **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के सदस्य, मानव दुर्व्यापार या बेगार के पीड़ित, **महिलाएँ और बच्चे**, दिव्यांगजन, आपदा और जातीय हिंसा के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, **अभिरक्षा में** रखे लोग, और वह हर व्यक्ति जिसकी आय सरकारी नियमों में तय सीमा से कम हो।

★ **लोक अदालत (Lok Adalat)** ('जनता का न्यायालय'): पहला शिविर **गुजरात, 1982** में; 1987 के अधिनियम से सांविधिक। समझौते से निपटारा; **कोई न्यायालय शुल्क नहीं** (पहले दिया शुल्क लौटा दिया जाता है); इसका पंचाट **सिविल न्यायालय की डिक्री** है, अंतिम, **कोई अपील नहीं**। यह **अशमनीय (Non-compoundable)** अपराधों का निपटारा नहीं कर सकती।

★ **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (Gram Nyayalayas Act)** (2 अक्टूबर 2009 से लागू): प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के ग्राम-स्तरीय न्यायालय, जिनका पीठासीन अधिकारी **न्यायाधिकारी** होता है; **चलते-फिरते (Mobile)**; **सिविल और आपराधिक दोनों** मामलों का विचारण; पहले सुलह का प्रयास और **स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता** बना सकते हैं; साक्ष्य के कठोर नियमों की जगह नैसर्गिक न्याय का पालन।

★ **अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act)**: **भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India)** और राज्य विधिज्ञ परिषदें बनाता है। राज्य विधिज्ञ परिषद में नामांकित **व्यक्ति** ही अधिवक्ता होते हैं (विधि फर्म नहीं); **भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक शिक्षा** के मानक तय करती है और नामांकन के लिए विधि उपाधियों और महाविद्यालयों को **मान्यता** देती है।

★ **अर्थ**: केंद्र और राज्यों की **विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता** पर निर्णय देने, और संविधान का उल्लंघन करने पर उन्हें शून्य घोषित करने की न्यायपालिका की शक्ति।

★ **न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है**: किसी विधि की **बुद्धिमत्ता** पर प्रश्न, **अनुमति से पहले** विधेयकों की जाँच, या न्यायालय द्वारा **अपने निर्णय का पुनर्विलोकन** (वह अनुच्छेद 137 है)।

★ **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)** (अनुच्छेद 21, जापान के संविधान से), अमेरिकी **विधि की सम्यक् प्रक्रिया (Due process of law)** नहीं। **मेनका गांधी (Maneka Gandhi, 1978)** के बाद प्रक्रिया का **उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त** होना भी आवश्यक है।

★ **संशोधनों का पुनर्विलोकन हो सकता है**: **केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati, 1973)** ने माना कि संशोधन **मूल ढाँचे (Basic structure)** को नष्ट नहीं कर सकता; **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills, 1980)** ने न्यायिक पुनर्विलोकन को ही उसका भाग घोषित किया।

★ **उच्च न्यायालय केंद्रीय विधियों को रद्द कर सकते हैं**। 42वें संशोधन (1976) ने इस पर रोक लगाई थी (अनुच्छेद 226A, 131A); **43वें संशोधन (1977)** ने यह शक्ति बहाल की।

★ **नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)**: **अनुच्छेद 31B** और यह अनुसूची भूमि सुधार विधियों को संरक्षण देने के लिए **पहले (1st) संशोधन, 1951** से जोड़ी गई। कोई विधि इसमें केवल संसद के **संविधान संशोधन** से ही जाती है।

★ **आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho, 2007)**, नौ न्यायाधीश: **24 अप्रैल 1973 के बाद** (केशवानंद की तिथि) नौवीं अनुसूची में रखी गई विधियाँ, यदि मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ, तो रद्द की जा सकती हैं, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधिकार भी शामिल हैं।

★ **जनहित याचिका (Public Interest Litigation)**: कोई भी लोक-भावना वाला व्यक्ति उन लोगों के लिए न्यायालय जा सकता है जो स्वयं नहीं जा सकते; **सुने जाने का अधिकार (Locus standi)** शिथिल है और एक **पत्र** को भी याचिका माना जा सकता है (पत्र-आधारित अधिकारिता, epistolary jurisdiction)। इसे सामाजिक कार्रवाई मुकदमा भी कहते हैं।

15. राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और संघ राज्यक्षेत्र

★ **अनुच्छेद 153**: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल; **7वाँ संशोधन (1956)** **एक ही व्यक्ति** को **दो या अधिक राज्यों** का राज्यपाल बनने की अनुमति देता है।

★ **अनुच्छेद 155**: **राष्ट्रपति** अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा नियुक्त करता है। यह **कनाडा** के मॉडल पर है, जहाँ केंद्र प्रांतों के प्रमुख नियुक्त करता है।

★ **योग्यताएँ (अनुच्छेद 157)**: केवल दो: भारत का **नागरिक** और कम से कम **35 वर्ष** की आयु।

★ **शर्तें (अनुच्छेद 158)**: संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं (पद ग्रहण करते ही उसकी सीट रिक्त हो जाती है) और कोई अन्य लाभ का पद नहीं; **राजभवन** किराया-मुक्त मिलता है; उसकी उपलब्धियाँ **कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकतीं**।

★ **शपथ (अनुच्छेद 159)**: **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** (या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश) के समक्ष; संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता की सेवा की शपथ।

★ **कार्यकाल (अनुच्छेद 156)**: **5 वर्ष**, पर वह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है और उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बना रहता है।

★ **हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं**: राष्ट्रपति के विपरीत, संविधान में न **महाभियोग** है, न हटाने का **कोई आधार**।

★ **सरकारिया आयोग** (गठन **1983**, प्रतिवेदन **1987**): राज्यपाल राज्य के **बाहर** का कोई **प्रतिष्ठित** व्यक्ति हो, **निकट अतीत** में राजनीति में सक्रिय न रहा हो, एक **तटस्थ** व्यक्ति, जिसे मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद चुना जाए।

★ **नियुक्तियाँ**: **मुख्यमंत्री** और उसकी सलाह पर अन्य मंत्री (**अनुच्छेद 164**); **महाधिवक्ता (Advocate General)** (**अनुच्छेद 165**); **राज्य निर्वाचन आयुक्त** (**अनुच्छेद 243K**); **राज्य लोक सेवा आयोग** के सदस्य (**अनुच्छेद 316**); जिला न्यायाधीश (**अनुच्छेद 233**)।

★ **अनुच्छेद 176**: प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और **हर वर्ष के पहले सत्र** में **विशेष अभिभाषण**; इसे सरकार लिखती है।

★ **अनुच्छेद 192**: कोई विधायक निरर्ह है या नहीं (दल-बदल के अलावा अन्य आधारों पर), यह **राज्यपाल** तय करता है, और उसे **निर्वाचन आयोग की राय** के अनुसार काम करना होता है। दल-बदल के मामले **अध्यक्ष या सभापति** के पास जाते हैं (दसवीं अनुसूची)।

★ **अध्यादेश (अनुच्छेद 213)**: जब विधानमंडल, या दो सदन हों तो कोई एक सदन, **सत्र में न हो**; मंत्रिमंडल की सलाह पर; राज्य के अधिनियम जितना ही प्रभाव; **विधानमंडल के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद** समाप्त; अधिकतम आयु लगभग **छह महीने और छह सप्ताह**।

★ **क्षमादान (अनुच्छेद 161)**: **राज्य के विषयों** से जुड़े कानूनों के विरुद्ध अपराधों में वह क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन दे सकता है। वह **मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा नहीं** कर सकता (लघुकरण कर सकता है) और **सेना न्यायालय** के दंडों पर उसकी **कोई शक्ति नहीं**।

★ **अनुच्छेद 163(1)**: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, **सिवाय** उन मामलों के जहाँ संविधान उससे **अपने विवेक से** कार्य करने की अपेक्षा करता है। इस प्रकार संविधान उसके विवेकाधिकार का **स्पष्ट** उल्लेख करता है।

★ **संवैधानिक विवेकाधिकार**: विधेयक को राष्ट्रपति के लिए **आरक्षित करना** (अनुच्छेद 200); **राष्ट्रपति शासन** के लिए राष्ट्रपति को **प्रतिवेदन** (अनुच्छेद 356); पड़ोसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य; मुख्यमंत्री से सूचना माँगना (अनुच्छेद 167); छठी अनुसूची क्षेत्रों में **खनन रॉयल्टी** का हिस्सा तय करना।

★ **अनुच्छेद 200, चार विकल्प**: **अनुमति** देना, अनुमति **रोकना**, पुनर्विचार के लिए **लौटाना** (धन विधेयक नहीं), या राष्ट्रपति के लिए **आरक्षित** करना। लौटाया गया विधेयक सदन फिर पारित कर दे तो वह **अनुमति रोक नहीं सकता**।

★ **आरक्षित करना अनिवार्य**: ऐसा विधेयक जो **उच्च न्यायालय** की संवैधानिक स्थिति को खतरे में डाले। राज्य का विधेयक **केवल राज्यपाल** आरक्षित कर सकता है; आरक्षित हुए बिना राष्ट्रपति **स्वयं** किसी राज्य विधेयक पर विचार नहीं कर सकता।

★ **कोई समय-सीमा नहीं**: अनुच्छेद 200 राज्यपाल के लिए **कोई समय-सीमा** तय नहीं करता; वह केवल कहता है कि विधेयक 'यथाशीघ्र' लौटाया जा सकता है।

★ **राष्ट्रपति संदर्भ पर राय (20 नवंबर 2025)**, **अनुच्छेद 143** के अंतर्गत पाँच न्यायाधीश: न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए **समय-सीमा तय नहीं** कर सकते और **'मान ली गई अनुमति' (deemed assent)** घोषित नहीं कर सकते; पर **लंबी, बिना कारण** निष्क्रियता पर न्यायालय उचित समय में निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है।

★ **उन्मुक्ति (अनुच्छेद 361)**: अपने पद के कार्यों के लिए **किसी न्यायालय** के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में **कोई आपराधिक कार्यवाही** न शुरू हो सकती है, न जारी रह सकती है, और गिरफ़्तारी का आदेश नहीं हो सकता; निजी कार्यों पर दीवानी मामलों के लिए **दो महीने का नोटिस** आवश्यक।

★ **अनुच्छेद 164(1)**: मुख्यमंत्री को **राज्यपाल** नियुक्त करता है, और अन्य मंत्रियों को **मुख्यमंत्री की सलाह** पर। परिपाटी से विधान सभा में बहुमत का नेता चुना जाता है; कोई निश्चित कार्यकाल नहीं।

★ **अनुच्छेद 164(4)**: राज्य विधानमंडल का गैर-सदस्य **छह महीने** तक मंत्री (या मुख्यमंत्री) रह सकता है, पर तभी जब वह **सदस्य बनने की योग्यता** रखता हो (कम से कम 25 वर्ष का भारतीय नागरिक, निरर्ह नहीं)। **एस.आर. चौधरी (2001)**: बिना चुने उसे बार-बार नियुक्त नहीं किया जा सकता।

★ **अनुच्छेद 164(2)**: मंत्रिपरिषद **विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी** है; राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधान परिषद के प्रति नहीं। विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सभी मंत्री हटते हैं, विधान परिषद वाले भी।

★ **आकार (अनुच्छेद 164(1A))**: मुख्यमंत्री सहित मंत्री विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के **15%** से अधिक और **12** से कम नहीं हो सकते: **91वाँ संशोधन (2003)**।

★ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951, धारा 8(3)**: **दो वर्ष या अधिक** की सज़ा पाया व्यक्ति दोषसिद्धि की तिथि से **रिहाई के छह वर्ष बाद** तक निरर्ह है, यानी स्थायी रूप से नहीं। **लिली थॉमस (2013)** ने वह संरक्षण समाप्त किया जिससे पदासीन विधायक अपील के दौरान सीट बचाए रखते थे।

★ **महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)**: राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, **राज्यपाल** द्वारा नियुक्त; **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश** बनने की योग्यता आवश्यक; राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत** पद पर; वेतन राज्यपाल तय करता है। वह कार्यवाही में भाग ले सकता है पर उसे **मत देने का अधिकार नहीं**।

★ **विधान परिषद वाले छह राज्य** (नवंबर 2026): **आंध्र प्रदेश** (58), **बिहार** (75), **कर्नाटक** (75), **महाराष्ट्र** (78), **तेलंगाना** (40), **उत्तर प्रदेश** (100)।

★ **अनुच्छेद 169**: राज्य विधान सभा **विशेष बहुमत** (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) से संकल्प पारित करे, तो **संसद कानून द्वारा** परिषद बनाती या समाप्त करती है। ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन **नहीं** माना जाता।

★ **छोटे पहाड़ी राज्य**: **हिमाचल प्रदेश 68**; **अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय** प्रत्येक में **60**।

★ **परिषद का आकार (अनुच्छेद 171)**: विधान सभा के **एक-तिहाई** से अधिक नहीं और **40** से कम नहीं। सदस्य: **1/3** स्थानीय निकायों द्वारा, **1/3** विधायकों द्वारा (गैर-सदस्यों में से), **1/12** स्नातकों द्वारा और **1/12** कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों द्वारा, **1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत**।

★ **अध्यक्ष (Speaker) (अनुच्छेद 178–179)**: विधान सभा द्वारा निर्वाचित; **सदस्य न रहने** पर पद छोड़ता है; **14 दिन** के नोटिस के बाद **विधान सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। **विघटन** पर वह पद **नहीं** छोड़ता, बल्कि नई विधान सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक बना रहता है।

★ **परिषद का सभापति (Chairman)** परिषद **द्वारा** अपने सदस्यों में से **चुना जाता है** (**अनुच्छेद 182**), राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं। धन विधेयकों को केवल **अध्यक्ष** प्रमाणित करता है।

★ **विशेषाधिकार (अनुच्छेद 194)**: सदन या उसकी समितियों में **कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत** के लिए सदस्यों को **किसी न्यायालय** में नहीं ले जाया जा सकता।

★ **अनुच्छेद 210**: कार्य राज्य की **राजभाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी** में होता है; पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी **मातृभाषा** में बोलने की अनुमति दे सकता है। **अनुच्छेद 211**: उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन में आचरण पर चर्चा नहीं। **अनुच्छेद 212**: न्यायालय **प्रक्रिया की अनियमितता** के आधार पर कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते।

★ **अनुच्छेद 197**: परिषद विधान सभा के विधेयक को **अस्वीकार** करे, **3 महीने** रोके रखे, या ऐसे बदलाव करे जो विधान सभा न माने, तो विधान सभा उसे **दोबारा** पारित कर सकती है। परिषद फिर अस्वीकार करे या **1 महीने** रोके, तो विधेयक विधान सभा वाले रूप में **पारित मान लिया जाता** है।

- राज्य में **संयुक्त बैठक नहीं** होती। जो विधेयक **परिषद में शुरू** हो और विधान सभा उसे अस्वीकार कर दे, वह सीधे **समाप्त** हो जाता है।
- **धन विधेयक (अनुच्छेद 198)**: केवल **विधान सभा** में, केवल **राज्यपाल की सिफ़ारिश** पर; परिषद को उसे **14 दिन** में सिफ़ारिशों सहित लौटाना होता है, जिन्हें विधान सभा माने या न माने।
- **आठ संघ राज्यक्षेत्र**: दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (दो संघ राज्यक्षेत्र **26 जनवरी 2020** को मिलाए गए)।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (J&K Reorganisation Act), 2019 (31 अक्टूबर 2019 से)**: राज्य दो संघ राज्यक्षेत्र बना, **विधानमंडल सहित जम्मू और कश्मीर** और **बिना विधानमंडल का लद्दाख**। उसकी विधान परिषद समाप्त कर दी गई।
- **दिल्ली (अनुच्छेद 239AA), 69वें संशोधन (1991)** द्वारा जोड़ा गया: **70** सदस्यों की विधान सभा, जो राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, **सिवाय लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि** के। **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है**; मंत्री विधान सभा के **10%** से अधिक नहीं हो सकते।
- **पुदुचेरी (अनुच्छेद 239A), 14वें संशोधन (1962)** द्वारा जोड़ा गया: संसद ने संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम (Government of Union Territories Act), 1963 से इसकी विधान सभा बनाई: **30** निर्वाचित सदस्य और केंद्र द्वारा अधिकतम **3** मनोनीत। **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है**।

16. स्थानीय शासन: पंचायतें और नगरपालिकाएँ

- **मूल उद्देश्य**: **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण** और **विकास में तथा स्थानीय मामलों के संचालन में जनता की भागीदारी**। **राजनीतिक जवाबदेही** और **वित्तीय संसाधन जुटाना** इसके मूल उद्देश्य नहीं हैं। पंचायती राज ग्रामीण रूप है; नगरपालिकाएँ शहरी रूप हैं।
- **अनुच्छेद 40** (निदेशक तत्व): राज्य **ग्राम पंचायतों** का गठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ देगा।
- **प्रविष्टि 5, राज्य सूची** (सातवीं अनुसूची): स्थानीय शासन, जिसमें नगर निगम, जिला बोर्ड और ग्राम प्रशासन शामिल हैं। इसलिए हर राज्य अपना पंचायत अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम बनाता है।
- **73वाँ संशोधन**: **भाग IX**, 'पंचायतें', अनुच्छेद **243 से 243O**, और **ग्यारहवीं अनुसूची** (29 विषय)। **74वाँ संशोधन**: **भाग IXA**, 'नगरपालिकाएँ', अनुच्छेद **243P से 243ZG**, और **बारहवीं अनुसूची** (18 विषय)।
- **लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882)**: स्थानीय स्वशासन का **'मैग्ना कार्टा'** कहलाता है; रिपन को भारत में **स्थानीय स्वशासन का जनक** माना जाता है।
- **बलवंत राय मेहता समिति** (नियुक्ति जनवरी 1957, प्रतिवेदन नवंबर 1957): **तीन स्तरों** के माध्यम से **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**: ग्राम पंचायत (ग्राम), पंचायत समिति (प्रखंड) और जिला परिषद (जिला)। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी थी; जिला परिषद सलाहकारी और समन्वयकारी निकाय, जिसका **अध्यक्ष कलेक्टर** हो। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे **1958** में स्वीकार किया; बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है।
- **पहला पंचायती राज**: जवाहरलाल नेहरू ने **2 अक्टूबर 1959** को **नागौर, राजस्थान** में उद्घाटन किया; आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही बाद में इसे अपनाया।
- **अशोक मेहता समिति** (जनता सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में नियुक्त, प्रतिवेदन अगस्त 1978): **दो स्तर** (जिला परिषद और गाँवों के समूह के लिए **मंडल पंचायत**); राज्य के नीचे विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु **जिला**; राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी; अनिवार्य कराधान शक्तियाँ; संवैधानिक मान्यता; और योग्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग निकाय के रूप में **न्याय पंचायतें**। इस पर कार्रवाई से पहले सरकार गिर गई।
- **64वाँ संशोधन विधेयक (1989)**, राजीव गांधी सरकार: संवैधानिक पंचायतों का पहला प्रयास; लोक सभा में पारित, राज्य सभा में गिरा। **65वाँ विधेयक** (नगरपालिका, कस्बों के लिए) भी साथ में विफल रहा। पी.वी. नरसिंह राव सरकार के **सितंबर 1991** के विधेयक **73वाँ और 74वाँ संशोधन** बने, जो **दिसंबर 1992** में पारित हुए।
- **ग्राम सभा (Gram Sabha)** (अनुच्छेद 243A): ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी गाँव (या गाँवों के समूह) की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति। यह व्यवस्था की नींव है; इसकी शक्तियाँ और इसकी बैठकें कितनी बार हों, यह **राज्य कानून** तय करता है।
- **तीन स्तर** (अनुच्छेद 243B): ग्राम, **मध्यवर्ती** (प्रखंड: पंचायत समिति) और जिला (जिला परिषद)। **20 लाख से अधिक नहीं** जनसंख्या वाले राज्य के लिए मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं, इसलिए मध्यवर्ती पंचायतें हर राज्य में नहीं हैं (गोवा और सिक्किम में दो स्तर हैं)।
- **कार्यकाल** (अनुच्छेद 243E): पहली बैठक से **5 वर्ष**। चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले, या विघटन के **6 महीने** के भीतर होने चाहिए। समय से पहले विघटन के बाद चुनी गई पंचायत पाँच वर्ष के केवल **शेष** समय तक रहती है; 6 महीने से कम बचे हों तो चुनाव नहीं होता।
- **अर्हता** (अनुच्छेद 243F): राज्य के निर्वाचन कानून या राज्य अधिनियम से निरर्ह व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, पर **21 वर्ष** का हो जाने पर किसी को 25 से कम आयु के कारण निरर्ह नहीं किया जाता। इसलिए हर स्तर पर न्यूनतम आयु **21** है, 25 नहीं और 30 नहीं।
- **राज्य निर्वाचन आयोग** (अनुच्छेद 243K): मतदाता सूचियों और **सभी पंचायत चुनावों** का अधीक्षण करता है। **राज्य निर्वाचन आयुक्त** की नियुक्ति **राज्यपाल** करता है, उसे केवल **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** की रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है, और उसकी सेवा-शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं।
- **अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें** (अनुच्छेद 243D(1)): हर पंचायत में, क्षेत्र की जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में, निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम (rotation) से।
- **कुल महिलाएँ** (243D(3)): प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली सभी सीटों का **कम से कम एक-तिहाई**, अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं की सीटें मिलाकर, चक्रानुक्रम से।
- **पिछड़े वर्ग** (243D(6)): राज्य विधानमंडल उनके लिए सीटें या पद आरक्षित **कर सकता है**; संविधान इसे अनिवार्य नहीं करता।
- **महिलाओं के लिए 50%**: **21 राज्य और 2 संघ राज्यक्षेत्र** पंचायत की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं (2026)। सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाएँ **लगभग आधी** हैं।
- **बिहार पहला**: **बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006** ने बिहार को तीनों स्तरों पर सीटों और प्रमुख पदों का **50%** महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला **पहला राज्य** बनाया। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य ने अपने कानूनों से इसका अनुसरण किया।
- **शक्तियाँ** (अनुच्छेद 243G): राज्य कानून पंचायतों को **आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय** की योजनाएँ बनाने और कार्यक्रम लागू करने की शक्तियाँ **दे सकता है**, जिनमें **ग्यारहवीं अनुसूची** के **29 विषयों** वाले कार्यक्रम भी हैं। 'कौन-सा अनुच्छेद 29 कार्यों की सूची देता है' पूछा जाए तो उत्तर **अनुच्छेद 243G** है: यही अनुच्छेद पंचायतों को उस ग्यारहवीं अनुसूची से जोड़ता है जिसमें सूची छपी है।
- **राज्य वित्त आयोग** (अनुच्छेद 243I): 73वें संशोधन के एक वर्ष के भीतर और फिर **हर पाँच वर्ष** पर **राज्यपाल** द्वारा गठित। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और सिफ़ारिश करता है कि राज्य के कर पंचायतों के साथ कैसे बँटें और उन्हें क्या अनुदान मिले। यही आयोग नगरपालिकाओं के वित्त की भी समीक्षा करता है (अनुच्छेद 243Y)।
- **लेखे और लेखापरीक्षा** (अनुच्छेद 243J): पंचायतें लेखे कैसे रखें और उनकी लेखापरीक्षा कैसे हो, इसका प्रावधान **राज्य विधानमंडल** कानून द्वारा करता है।
- **बाहर रखे गए** (अनुच्छेद 243M): **पाँचवीं अनुसूची** के अनुसूचित क्षेत्र और **छठी अनुसूची** के जनजातीय क्षेत्र; **नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम** राज्य; और जिला परिषदों वाले **मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र**।
- **संसद द्वारा विस्तार**: संसद भाग IX को बदलावों के साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है, और ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन **नहीं** है। **पेसा (PESA), 1996** ने यह **पाँचवीं अनुसूची** क्षेत्रों के लिए किया (अध्याय 17)।

★ **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006** (2006 का बिहार अधिनियम 6) ने **बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993** की जगह ली; यह तीनों स्तर और ग्राम कचहरी स्थापित करता है।

★ **महिलाओं के लिए 50% वाला पहला राज्य**: हर वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित) में, यथासंभव **आधी सीटें** और मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष और सरपंच के **आधे पद** महिलाओं को।

★ **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)**: अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों के बाद, बिहार के आरक्षण कानून के अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध पिछड़े वर्गों (EBC) को **20%** तक सीटें, और अनुसूचित जाति + जनजाति + पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण **50%** के भीतर।

★ **ग्राम पंचायत**: प्रमुख **मुखिया**, जिसे पंचायत के सभी मतदाता **प्रत्यक्ष चुनते** हैं; **उप-मुखिया** को सदस्य चुनते हैं।

★ **ग्राम कचहरी**: हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम न्यायालय, जिसका प्रमुख **सरपंच** है, और जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित **पंच** होते हैं (लगभग 500 लोगों पर एक)। विधि स्नातक **न्याय मित्र** इसकी सहायता करता है। यह छोटे अपराधों और छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करती है; जुर्माना लगा सकती है पर किसी को **कभी** जेल नहीं भेज सकती।

★ **तीन प्रकार** (अनुच्छेद 243Q): ग्रामीण से शहरी में **संक्रमणशील** क्षेत्र के लिए **नगर पंचायत**; **छोटे** शहरी क्षेत्र के लिए **नगरपालिका परिषद**; **बड़े** शहरी क्षेत्र के लिए **नगर निगम**। क्षेत्रों का वर्गीकरण **राज्यपाल** जनसंख्या, घनत्व, स्थानीय राजस्व, गैर-कृषि रोज़गार के हिस्से और आर्थिक महत्त्व के आधार पर करता है।

★ **वार्ड समितियाँ** (अनुच्छेद 243S): **3 लाख या अधिक** जनसंख्या वाली नगरपालिका में अनिवार्य।

★ **कार्यकाल** (अनुच्छेद 243U): **5 वर्ष**; विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव; समय से पहले विघटन के बाद शेष कार्यकाल। पंचायत के विपरीत, नगरपालिका को विघटन से पहले **सुनवाई का उचित अवसर** मिलना चाहिए।

★ **कार्य और धन**: राज्य कानून **बारहवीं अनुसूची** के **18** विषय सौंप सकता है (अनुच्छेद 243W); कर, साझा कर और अनुदान (अनुच्छेद 243X); **राज्य वित्त आयोग** नगरपालिकाओं को भी देखता है (अनुच्छेद 243Y); लेखापरीक्षा राज्य कानून से (अनुच्छेद 243Z); चुनाव **उसी राज्य निर्वाचन आयोग** द्वारा (अनुच्छेद 243ZA)।

★ **जिला योजना समिति (District Planning Committee)** (अनुच्छेद 243ZD): हर जिले में; पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर जिले की **विकास योजना का प्रारूप** बनाती है। इसके कम से कम **चार-पाँचवें** सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष योजना राज्य सरकार को भेजता है।

★ **महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee)** (अनुच्छेद 243ZE): हर **महानगर क्षेत्र** में, यानी **10 लाख या अधिक** लोगों वाले क्षेत्र में (अनुच्छेद 243P); पूरे क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप बनाती है। कम से कम **दो-तिहाई** सदस्य क्षेत्र के निर्वाचित नगरपालिका सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं। यह **संवैधानिक** निकाय है जो **योजनाएँ बनाता** है; सरकारी योजनाओं को अकेले लागू **नहीं** करता।

★ **छावनी बोर्ड**: सैन्य छावनी में रहने वाले नागरिकों के लिए नागरिक निकाय, **छावनी अधिनियम, 2006** के अंतर्गत, जो एक **केंद्रीय** कानून है; **रक्षा मंत्रालय** के अधीन; कुछ सदस्य निर्वाचित, कुछ मनोनीत।

★ **इतिहास**: भारत का पहला **नगर निगम 1688** में **मद्रास** में बना; **बॉम्बे** और **कलकत्ता** में **1726** में।

★ **पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)**: **1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026** (2022-23 से 2025-26), परिव्यय **₹5,911 करोड़**; पंचायतों की **शासन क्षमता** बढ़ाता है ताकि वे **सतत विकास लक्ष्य (SDGs)** पूरे कर सकें। पहला RGSA 2018-19 से 2021-22 तक चला।

★ **RGSA का वित्तपोषण**: केंद्रीय घटकों का पूरा खर्च केंद्र देता है; राज्य घटक **60:40** में बँटते हैं, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए **90:10**, अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के लिए **100%** केंद्रीय। यह सभी राज्यों के लिए कभी 100% केंद्रीय नहीं था।

★ **स्वामित्व (SVAMITVA)**: **24 अप्रैल 2020** को शुरू; ड्रोन गाँव की आबादी भूमि का सर्वेक्षण करते हैं और मालिकों को कानूनी **संपत्ति कार्ड** मिलते हैं, जिनसे वे बैंक ऋण ले सकते हैं।

17. अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र; आरक्षण

★ **अधिसूचना कौन करता है**: राज्य के लिए **राष्ट्रपति**, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, **राज्यपाल से परामर्श के बाद**; संघ राज्यक्षेत्र के लिए अकेले राष्ट्रपति। राज्यपाल केवल सलाह देता है; वह घोषणा नहीं करता।

★ **सूची कौन बदलता है**: पहली अधिसूचना के बाद केवल **संसद कानून द्वारा** किसी समुदाय को जोड़ या हटा सकती है; राष्ट्रपति बाद की अधिसूचना से इसमें बदलाव नहीं कर सकता।

★ **राज्य-विशिष्ट**: एक राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय का दूसरे में भी होना ज़रूरी नहीं, और प्रवास करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का दर्जा नए राज्य में साथ नहीं ले जाता।

★ **अनुसूचित जनजाति की कसौटियाँ** (लोकुर समिति, 1965, अब भी अपनाई जाती हैं): **आदिम लक्षणों** के संकेत, **विशिष्ट संस्कृति**, **भौगोलिक अलगाव**, बड़े समुदाय से **संपर्क में संकोच**, और **पिछड़ापन**।

★ **PVTG**: **18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) में **75** विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups)। पहचान: **कृषि-पूर्व** स्तर की तकनीक, **कम साक्षरता**, **स्थिर या घटती जनसंख्या**, निर्वाह अर्थव्यवस्था।

★ **10 राज्यों** में अनुसूचित क्षेत्र हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। बिहार में कोई नहीं।

★ **राष्ट्रपति द्वारा घोषित**, **आदेश** से, राज्यपाल से परामर्श के बाद; राष्ट्रपति उन्हें बढ़ा, घटा या नए सिरे से निर्धारित भी कर सकता है। सबसे बड़ी इकाई पूरा **जिला** है; सबसे छोटी किसी प्रखंड में **गाँवों का समूह**।

★ **शासन राज्य का ही**: राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर भी है। क्षेत्र किसी स्थानीय निकाय को नहीं जाता, संघ राज्यक्षेत्र नहीं बनता, और राज्य को 'विशेष श्रेणी' का राज्य नहीं बनाता।

★ **संघ की भूमिका**: संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को उसके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर **निर्देश** देने तक है; संघ उनका प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेता।

★ **वार्षिक प्रतिवेदन**: **राज्यपाल** हर वर्ष, या माँगे जाने पर, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर **राष्ट्रपति** को प्रतिवेदन देता है।

★ **राज्यपाल की शक्तियाँ**: निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का कोई अधिनियम वहाँ **लागू न हो**, या बदलावों के साथ लागू हो; शांति और सुशासन के लिए **विनियम** बना सकता है, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा या उनके बीच **भूमि हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध**, **भूमि आवंटन** का विनियमन, और अनुसूचित जनजातियों को **साहूकारी** का विनियमन। विनियमों के लिए **राष्ट्रपति की अनुमति** आवश्यक है।

★ **जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council)**: अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य में अनिवार्य; **अधिकतम 20 सदस्य**, जिनमें लगभग **तीन-चौथाई** राज्य विधान सभा के अनुसूचित जनजाति सदस्य। विनियम बनाने से पहले राज्यपाल इससे परामर्श करता है। जिस राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहाँ भी राष्ट्रपति ऐसी परिषद का निर्देश दे सकता है।

★ **समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997)**: पाँचवीं अनुसूची के संरक्षण के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातीय भूमि का **गैर-जनजातियों या खनन के लिए निजी कंपनियों** को पट्टा या हस्तांतरण शून्य है।

★ **अनुच्छेद 244(2)** और **अनुच्छेद 275(1)**: छठी अनुसूची केवल **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है।

★ **साझा उद्देश्य**: पाँचवीं और छठी दोनों अनुसूचियाँ **अनुसूचित जनजातियों के हितों** और उनकी भूमि की **रक्षा** के लिए हैं; कोई भी राज्य की सीमाएँ या पंचायतों की शक्तियाँ तय नहीं करती।

★ **जिला परिषद**: अधिकतम **30 सदस्य**, जिनमें अधिकतम **4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत** और बाकी **वयस्क मताधिकार से निर्वाचित**, **5 वर्ष** के लिए।

★ **पेसा (PESA) 24 दिसंबर 1996** को लागू हुआ, **दिलीप सिंह भूरिया समिति** (1994-95) के बाद; यह **10 राज्यों** के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू है।

- **उद्देश्य**: ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन, **परंपरागत अधिकारों** और रूढ़िगत कानून की मान्यता, और शोषण (भूमि हड़पना, साहूकार, शराब) से मुक्ति। **स्वायत्त क्षेत्र** बनाना इसका उद्देश्य **नहीं**: वह छठी अनुसूची का काम है।
- **ग्राम सभा की शक्तियाँ**: ग्राम योजनाओं को मंज़ूरी और लाभार्थियों का चयन; **भूमि अधिग्रहण** और पुनर्वास से पहले परामर्श; **भूमि हस्तांतरण रोकना** और अवैध रूप से ली गई भूमि लौटाना; **लघु वनोपज का स्वामित्व**; ग्राम बाज़ारों का प्रबंधन; अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी पर नियंत्रण; मादक पदार्थों की बिक्री का विनियमन या प्रतिबंध; स्थानीय सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और उनके कर्मचारियों पर नियंत्रण।
- **खनिज**: पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या नीलामी रियायत से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सिफ़ारिश केवल **लघु खनिजों** के लिए **अनिवार्य** है; प्रमुख खनिज इस नियम से बाहर हैं।
- **पेसा में आरक्षण**: हर पंचायत में अनुसूचित जनजाति की सीटें जनसंख्या के अनुपात में, पर कुल सीटों के **आधे से कम नहीं**; हर स्तर पर **सभी अध्यक्ष** अनुसूचित जनजाति के; राज्य मध्यवर्ती और जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व से वंचित अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, निर्वाचित सदस्यों के **दसवें भाग** तक, मनोनीत कर सकता है।
- **अनुच्छेद 330**: **लोक सभा** में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (असम के स्वायत्त जिलों की जनजातियों सहित) के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित सीटें: **543** में से **84 अनुसूचित जाति** और **47 अनुसूचित जनजाति**।
- **अनुच्छेद 334**: आरक्षण एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त होता है; **104वें संशोधन (2019)** ने इसे 1950 से **80 वर्ष**, यानी **25 जनवरी 2030** तक बढ़ाया।
- **आंग्ल-भारतीय**: लोक सभा में अधिकतम 2 (अनुच्छेद 331) और विधान सभा में 1 (अनुच्छेद 333) का मनोनयन **25 जनवरी 2020** को समाप्त हुआ, क्योंकि 104वें संशोधन ने इसे नहीं बढ़ाया।
- **महिलाएँ (106वाँ संशोधन, 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम)**: नए अनुच्छेद **330A** और **332A**, तथा दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA, लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा की **एक-तिहाई** सीटें आरक्षित करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का एक-तिहाई भी। **16 अप्रैल 2026** से लागू, पर अनुच्छेद **334A** के अंतर्गत सीटें उस तिथि के बाद की पहली जनगणना पर आधारित **परिसीमन** के बाद ही आरक्षित होंगी, और फिर **15 वर्ष** के लिए।
- **स्थानीय निकाय**: अनुच्छेद **243D** (पंचायतें) और **243T** (नगरपालिकाएँ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुसार और महिलाओं के लिए **कम से कम एक-तिहाई** सीटें आरक्षित करते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का एक-तिहाई उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए।
- **केंद्रीय कोटा**: केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति **15%**, अनुसूचित जनजाति **7.5%**, OBC **27%** (नॉन-क्रीमी लेयर) और EWS **10%**।
- **क्रीमी लेयर (creamy layer)**: संपन्न OBC बाहर रखे जाते हैं; आय सीमा **₹8 लाख प्रति वर्ष** (2017 से)। EWS के लिए भी पारिवारिक आय सीमा यही ₹8 लाख है।
- **मंडल आयोग**: **अनुच्छेद 340** के अंतर्गत दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष **बी.पी. मंडल** (गठन 1979, प्रतिवेदन 1980); OBC के लिए **27%** की सिफ़ारिश; वी.पी. सिंह सरकार ने **अगस्त 1990** में इसे लागू करने का आदेश दिया। **पहला** आयोग **काका कालेलकर** का था (1953-55)।
- **बिहार जाति सर्वेक्षण**: परिणाम **2 अक्टूबर 2023** को जारी; जनसंख्या **13.07 करोड़**: अत्यंत पिछड़ा वर्ग **36.01%**, पिछड़ा वर्ग **27.12%**, अनुसूचित जाति **19.65%**, अनुसूचित जनजाति **1.68%**, सामान्य **15.52%**।
- **65% वाला कानून**: **नवंबर 2023** में बिहार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50% से बढ़ाकर **65%** किया (EWS सहित 75%)। इंदिरा साहनी की 50% सीमा तोड़ने के कारण **पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को इसे रद्द कर दिया**; उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2024 में उस निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया।
- **पंचायतों में EBC**: बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 पंचायत की **20%** तक सीटें पिछड़े वर्गों (EBC) के लिए आरक्षित करता है, साथ ही हर वर्ग में महिलाओं के लिए **50%**।

18. संवैधानिक निकाय

- इस अध्याय के **संवैधानिक निकाय**: निर्वाचन आयोग (अनु. 324), संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (अनु. 315), वित्त आयोग (अनु. 280), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) (अनु. 148), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) (अनु. 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) (अनु. 338A), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) (अनु. 338B), भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (अनु. 350B), जीएसटी परिषद (GST Council) (अनु. 279A)।
- **NCBC 102वें संशोधन, 2018** (अनुच्छेद 338B) से संवैधानिक बना। 1993 से 2018 तक यह केवल NCBC अधिनियम, 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय था।
- **संरचना**: एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और उतने निर्वाचन आयुक्त जितने राष्ट्रपति तय करे। **1 अक्टूबर 1993** से यह **तीन-सदस्यीय** निकाय है: CEC + 2 निर्वाचन आयुक्त। तीनों की बात बराबर है; निर्णय बहुमत से होते हैं (टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ, 1995)।
- **नियुक्ति (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023)**: राष्ट्रपति एक **चयन समिति (Selection Committee)** की सलाह पर नियुक्ति करता है: **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), **लोक सभा में विपक्ष का नेता** (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) और **प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**। **विधि मंत्री** की अध्यक्षता वाली एक **खोज समिति (Search Committee)**, जिसमें सचिव स्तर के दो अधिकारी होते हैं, पाँच नामों का पैनल बनाती है।
- **पात्रता, कार्यकाल, वेतन**: **भारत सरकार के सचिव** के बराबर पद पर हो या रहा हो; कार्यकाल **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो पहले हो; वेतन **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश** के बराबर।
- **पद से हटाना**: **CEC** को केवल **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह** (सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन)। **निर्वाचन आयुक्त** को राष्ट्रपति **केवल CEC की सिफ़ारिश पर** हटा सकता है (अनु. 324(5))।
- **शक्तियाँ**: **हर चुनाव और उपचुनाव की समय-सारणी** तय करता है (गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं); मतदाता सूचियाँ बनाता और संशोधित करता है; दलों का पंजीकरण करता है, उन्हें मान्यता देता है और प्रतीक आवंटित करता है; **मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन और विलय के विवाद** तय करता है (निर्वाचन प्रतीक आदेश, 1968, पैरा 15); **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)** लागू करता है।
- **नियुक्ति (अनु. 316)**: UPSC के अध्यक्ष और सदस्य **राष्ट्रपति** द्वारा; SPSC के अध्यक्ष और सदस्य **राज्यपाल** द्वारा। संविधान न सदस्य-संख्या तय करता है न योग्यता, सिवाय इसके कि **आधे** सदस्य कम से कम **10 वर्ष** सरकारी पद पर रहे हों।
- **कार्यकाल**: UPSC के लिए **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**; SPSC और JSPSC के लिए **6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु**। उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं।
- **पद से हटाना (अनु. 317)**: केवल **राष्ट्रपति** द्वारा, SPSC सदस्यों को भी। **कदाचार (Misbehaviour)** के लिए **उच्चतम न्यायालय की जाँच** के बाद, जिसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। दिवालियापन, कर्तव्यों से बाहर वेतन वाला काम, या मन अथवा शरीर की अशक्तता पर बिना जाँच के। जाँच चलने तक राज्यपाल SPSC सदस्य को केवल **निलंबित** कर सकता है।
- **अनु. 280**: राष्ट्रपति **हर पाँचवें वर्ष** या उससे पहले वित्त आयोग गठित करता है। यह एक **संवैधानिक, अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial)** निकाय है, सांविधिक नहीं।

★ **सदस्य**: **एक अध्यक्ष + 4 सदस्य**, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। उनकी योग्यताएँ **संसद कानून द्वारा** तय करती है (अनु. 280(2)): **वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम (Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act), 1951**। अध्यक्ष: सार्वजनिक मामलों का अनुभव। सदस्य: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके योग्य व्यक्ति; सरकारी वित्त और लेखा का विशेषज्ञ; वित्त और प्रशासन का व्यापक अनुभव रखने वाला; अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला। पुनर्नियुक्ति की अनुमति है।

★ **सलाहकारी**: इसकी सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। **अनु. 281** के तहत राष्ट्रपति उन्हें की गई कार्रवाई के **व्याख्यात्मक ज्ञापन** के साथ दोनों सदनों के सामने रखता है।

★ **पहला वित्त आयोग**: **1951** में (1950 में नहीं) गठित, अध्यक्ष **के.सी. नियोगी (K.C. Neogy)**, अवधि 1952-57।

★ **14वाँ वित्त आयोग** (वाई.वी. रेड्डी, 2015-20): राज्यों का हिस्सा **32% से 42%** किया, अब तक की सबसे बड़ी छलांग; **कोई क्षेत्र-विशेष अनुदान नहीं** दिया। सुदीप्तो मुंडले इसी आयोग के सदस्य थे (15वें के नहीं)।

★ **15वाँ वित्त आयोग** (एन.के. सिंह, 2020-21 और 2021-26): **41%** (एक अंक कम, क्योंकि जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बन गया)। सदस्यों में अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह और रमेश चंद थे; इसने कर प्रयास को मानदंड के रूप में **फिर शामिल किया**।

★ **16वाँ वित्त आयोग** (अरविंद पनगढ़िया; 31 दिसंबर 2023 को गठित; अवधि **2026-27 से 2030-31**; रिपोर्ट 1 फ़रवरी 2026 को पेश): राज्यों का हिस्सा **41%** पर रखा; **GDP में योगदान** (10%) जोड़ा और कर प्रयास हटाया; राजस्व-घाटा अनुदान बंद किए।

★ **कार्यकाल**: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो पहले हो (CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, **1971**)। राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है।

★ **पद से हटाना**: केवल **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह**। पद छोड़ने के बाद संघ या किसी राज्य के अधीन **आगे कोई पद नहीं**। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर; व्यय संचित निधि पर **भारित**; नियुक्ति के बाद सेवा-शर्तों में कटौती नहीं हो सकती।

★ **रिपोर्टें (अनु. 151)**: संघ के लेखों पर **राष्ट्रपति** को, जो उन्हें संसद के सामने रखता है; राज्य के लेखों पर **राज्यपाल** को, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के सामने रखता है।

★ **लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)** CAG की रिपोर्टों की जाँच करती है; CAG इस समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' है, पर उसका **सदस्य नहीं**।

★ **कोई न्यायिक शक्ति नहीं**: CAG किसी पर मुकदमा नहीं चला सकता। फिर भी जाँच एजेंसियाँ उसके निष्कर्षों के आधार पर आरोप लगा सकती हैं।

★ **केवल लेखापरीक्षक, नियंत्रक नहीं**: भारत में CAG का संचित निधि से **धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं** है, न आपातकाल में न अन्यथा। ब्रिटेन के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास यह शक्ति है।

★ **अनु. 340**: राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के अध्ययन के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। **पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (1953)**: **काका कालेलकर (Kaka Kalelkar)** (रिपोर्ट 1955)। **दूसरा (1979)**: **बी.पी. मंडल (B.P. Mandal)** (रिपोर्ट 1980); इसके 27% OBC आरक्षण को इंद्रा साहनी (1992) में सही ठहराया गया।

★ **89वें संशोधन, 2003** ने इसे **NCSC (अनु. 338)** और **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) (नया अनु. 338A)** में बाँटा, जो 2004 से अलग-अलग काम करते हैं।

★ **NCBC (अनु. 338B)**: 1993 से सांविधिक (इंद्रा साहनी के बाद बना NCBC अधिनियम); **2018 से संवैधानिक** (**102वाँ संशोधन**, जिसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची पर अनु. 342A भी जोड़ा)।

★ **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाए जाते हैं**: **CEC** और **CAG** (स्वयं न्यायाधीशों के अलावा)। UPSC सदस्य नहीं; उन्हें उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है।

19. सांविधिक और अन्य निकाय

★ **संविधान में नहीं**: योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils), NHRC, CVC, CBI, लोकपाल, विधि आयोग, सूचना आयोग, NCW, NCM।

★ **योजना आयोग (Planning Commission)**: **15 मार्च 1950** को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से गठित; अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** (पहले नेहरू)। न संवैधानिक, न सांविधिक। 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग आया।

★ **राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council, NDC)**: **6 अगस्त 1952** को कार्यकारी संकल्प से गठित; अध्यक्ष प्रधानमंत्री; सदस्य थे सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य। यह हर पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती थी। यह **अलग निकाय थी, योजना आयोग का अंग नहीं**, यद्यपि आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता था।

★ **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)**: **सांविधिक**, **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के अंतर्गत; पाँच परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी); प्रत्येक के अध्यक्ष **केंद्रीय गृह मंत्री**। पूर्वोत्तर परिषद NEC अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बनी।

★ **आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची (Concurrent List)** की प्रविष्टि 20 है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।

★ **अनुच्छेद 243G**: राज्य **पंचायतों** को **आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ** बनाने की शक्ति दे सकता है (ग्यारहवीं अनुसूची, 29 विषय)। अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं के लिए यही करता है (बारहवीं अनुसूची, 18 विषय)।

★ **गठन**: **1 जनवरी 2015** को **केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प** से: एक कार्यकारी निकाय, न संवैधानिक, न सांविधिक।

★ **अध्यक्ष**: **प्रधानमंत्री**। **शासी परिषद (Governing Council)**: प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री, तथा अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल।

★ राज्यों या मंत्रालयों को **धन आवंटन की कोई शक्ति नहीं**; हस्तांतरण अब वित्त आयोग और केंद्रीय बजट के माध्यम से होते हैं।

★ **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)**: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **10 दिसंबर 1948** (मानवाधिकार दिवस) को अपनाई, **30 अनुच्छेद**। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार (जीवन, स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, अपने देश में **लोक सेवा तक समान पहुँच**) और सामाजिक व आर्थिक अधिकार (काम, सामाजिक सुरक्षा, **भोजन**, वस्त्र और आवास सहित पर्याप्त जीवन स्तर, और **शिक्षा**) हैं। यह एक घोषणा है, बाध्यकारी संधि नहीं।

★ **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)**: **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act), 1993** के अंतर्गत सांविधिक निकाय; **12 अक्टूबर 1993** को गठित; 2006 और 2019 में संशोधित।

★ **नियुक्ति**: **राष्ट्रपति** द्वारा, एक **छह सदस्यीय समिति** की सिफ़ारिश पर: **प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), **लोक सभा अध्यक्ष**, **राज्य सभा का उपसभापति**, दोनों सदनों में **विपक्ष के नेता**, और **केंद्रीय गृह मंत्री**।

★ **कार्यकाल**: **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु**, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति के पात्र। राष्ट्रपति हटाते हैं: उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर, या दिवालियेपन, बाहर सवेतन काम और ऐसे ही आधारों पर।

★ **सीमाएँ**: घटना के **एक वर्ष से अधिक** बाद किसी मामले की जाँच नहीं कर सकता; सिफ़ारिशें **बाध्यकारी नहीं**; **सशस्त्र बलों** के मामले में केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट माँग सकता है।

★ **CVC**: **फ़रवरी 1964** में कार्यकारी संकल्प से गठित; **CVC अधिनियम, 2003** से **सांविधिक**। सदस्य: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + **अधिकतम 2** सतर्कता आयुक्त।

★ **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)**: **1 अप्रैल 1963** को गृह मंत्रालय के संकल्प से गठित; **सांविधिक नहीं**; इसकी शक्तियाँ **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), 1946** से आती हैं। यह **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अधीन काम करता है। इसके घोषित उद्देश्य में सार्वजनिक जीवन के मूल्यों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की रक्षा शामिल है।

★ **संरचना**: **एक अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य**; कम से कम **आधे न्यायिक**; कम से कम आधे **SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिलाएँ**।

★ **अध्यक्ष**: भारत का पूर्व **मुख्य न्यायाधीश**, उच्चतम न्यायालय का पूर्व **न्यायाधीश**, या भ्रष्टाचार-निरोध, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, विधि या प्रबंधन में कम से कम 25 वर्ष की विशेषज्ञता वाला सत्यनिष्ठ **प्रतिष्ठित व्यक्ति**। CJI होना आवश्यक नहीं।

★ **अपात्र**: सांसद या विधायक, दोषसिद्ध व्यक्ति, **45 वर्ष से कम** आयु का कोई व्यक्ति, पंचायत या नगरपालिका का सदस्य, विश्वास या लाभ के पद का धारक, या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति।

★ **क्षेत्राधिकार**: **प्रधानमंत्री** (सुरक्षा उपायों के साथ), केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र के समूह A से D तक के अधिकारी, और सरकार से वित्तपोषित निकाय; यह **भारत के भीतर और बाहर** के लोक सेवकों पर लागू होता है।

★ **प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा उपाय**: **अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से जुड़े आरोपों की जाँच नहीं; किसी अन्य जाँच के लिए **पूर्ण पीठ** और **दो-तिहाई** की स्वीकृति चाहिए, और जाँच **बंद कमरे में (in camera)** होती है।

★ **लोकायुक्त (Lokayukta)**: राज्य कानूनों से; 2013 के अधिनियम ने हर राज्य से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त गठित करने को कहा। **महाराष्ट्र** में **पहला** लोकायुक्त बना, अपने **1971** के अधिनियम के अंतर्गत; ओडिशा ने 1970 में अधिनियम पारित किया, पर वह 1983 में ही लागू हुआ।

★ **राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)**: **NCW अधिनियम, 1990**; **31 जनवरी 1992** को गठित; पहली अध्यक्ष **जयंती पटनायक**; एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य-सचिव, सभी केंद्र सरकार द्वारा नामित।

★ **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)**: 1978 में संकल्प से अल्पसंख्यक आयोग बना; **NCM अधिनियम, 1992** के अंतर्गत सांविधिक। **छह अधिसूचित अल्पसंख्यक**: मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (ज़रथुस्त्री) और **जैन (2014 में जोड़े गए)**।

★ **स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग**: **1955**, अध्यक्ष **एम.सी. सीतलवाड़**, भारत के पहले महान्यायवादी।

20. निर्वाचन, राजनीतिक दल और दल-बदल विरोधी कानून

★ **भाग XV (अनुच्छेद 324-329)**: 324 निर्वाचन आयोग (Election Commission); **325** हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली (Electoral roll), किसी को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा; **326** वयस्क मताधिकार (Adult suffrage); **327** निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति; **328** जहाँ संसद ने कानून नहीं बनाया वहाँ राज्य के निर्वाचनों के लिए राज्य की शक्ति; **329** न्यायालयों पर रोक।

★ **अनुच्छेद 326**: अर्हता तिथि को **18 वर्ष या अधिक** आयु का हर नागरिक मत दे सकता है, जब तक वह अयोग्य न हो (अनिवास, विकृतचित्तता, अपराध, भ्रष्ट आचरण)। **61वें संशोधन, 1988** (28 मार्च 1989 से लागू) ने आयु **21 से घटाकर 18** की।

★ **मताधिकार (Right to vote)**: अनुच्छेद 326 से निकला **संवैधानिक अधिकार**, मौलिक अधिकार नहीं; इसका प्रयोग कैसे हो (पंजीकरण, अर्हता तिथि) यह लो.प्र. अधिनियम 1950 तय करता है। **चुनाव लड़ने का अधिकार** सांविधिक (Statutory) अधिकार है।

★ **FPTP**: लोक सभा और राज्य विधान सभाएँ। **50% का कोई नियम नहीं**: 38% पाने वाला उम्मीदवार 34%, 20% और 8% वाले तीन प्रतिद्वंद्वियों को हरा देता है।

★ **STV**: **राज्य सभा** (निर्वाचित विधायक मत देते हैं), **विधान परिषदें**, **राष्ट्रपति** और **उपराष्ट्रपति**।

★ **उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)**: अनुच्छेद 93 केवल इतना कहता है कि सदन एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देना एक **परिपाटी (Convention)** है, नियम नहीं; 17वीं लोक सभा (2019-24) में कोई उपाध्यक्ष था ही नहीं।

★ **लोक सभा उम्मीदवार**: नागरिक, कम से कम **25** वर्ष, और भारत के **किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक** (धारा 4, लो.प्र. अधिनियम 1951)। उसका उसी सीट में रहना या उसका मतदाता होना ज़रूरी नहीं जहाँ से वह लड़ रहा है। आरक्षित सीट के लिए SC या ST उम्मीदवार चाहिए।

★ **जमानत राशि (Security deposit)**: लोक सभा **₹25,000** (SC/ST ₹12,500); विधान सभा ₹10,000 (₹5,000)। यदि उम्मीदवार वैध मतों के **छठे भाग** से कम पाए, तो यह **ज़ब्त** हो जाती है।

★ **दो सीटों की सीमा**: **1996** से लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा **33(7)** किसी व्यक्ति को एक आम चुनाव या उप-चुनावों के एक दौर में **अधिकतम दो** निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने देती है। इससे पहले कोई सीमा नहीं थी: **देवी लाल (Devi Lal)** ने **1991** में **तीन** लोक सभा सीटों से चुनाव लड़ा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि विजेता या उसका दल अपने कारण हुए उप-चुनाव का खर्च दे।

★ **नोटा (NOTA)**: **PUCL बनाम भारत संघ (सितंबर 2013)** के बाद जोड़ा गया; पहली बार 2013 के अंत के विधान सभा चुनावों में प्रयोग; इसका चिह्न (2015) NID, अहमदाबाद ने बनाया। यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलें, तब भी सबसे अधिक मत वाला उम्मीदवार ही जीतता है।

★ **EVM**: पहली बार **परवूर (Paravur)** (केरल) उप-चुनाव, **1982** में प्रयोग; लो.प्र. अधिनियम की धारा 61A (1989) से वैध; **2004** से हर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग; BEL और ECIL इन्हें बनाते हैं।

★ **VVPAT** (कागज़ की पर्ची जिसे मतदाता 7 सेकंड तक देखता है): पहली बार **नोकसेन (Noksen)** (नागालैंड) उप-चुनाव, **2013** में; **2019** के लोक सभा चुनाव से हर बूथ पर। EVM और VVPAT की **M3** पीढ़ी प्रयोग में है।

★ **चार परिसीमन आयोग (Delimitation Commissions)**: **1952, 1963, 1973 और 2002** (1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन अधिनियमों के अधीन)। न्यायमूर्ति **कुलदीप सिंह (Kuldip Singh)** की अध्यक्षता वाले 2002 के आयोग ने 2001 की जनगणना पर सीमाएँ फिर खींचीं; इसका आदेश 2008 में लागू हुआ।

★ **आदेश अंतिम हैं**: राजपत्र में प्रकाशित होने पर उन्हें **कानून का बल** मिलता है; लोक सभा या विधान सभा के सामने रखे जाने पर सदन उन्हें **बदल नहीं सकता**, और अनुच्छेद 329 सामान्य न्यायिक चुनौती पर रोक लगाता है (मेघराज कोठारी मामला)।

★ **रोक (Freeze)**: **42वें संशोधन (1976)** ने प्रति राज्य सीटें 1971 की जनगणना पर 2000 तक स्थिर कीं; **84वें संशोधन (2001)** ने इसे **2026 के बाद की पहली जनगणना** तक बढ़ाया; **87वें संशोधन (2003)** ने सीटों की संख्या बदले बिना 2001 की जनगणना पर सीमाएँ फिर खींचने दीं।

★ **106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)**: **लोक सभा**, **राज्य विधान सभाओं** और **दिल्ली विधान सभा** में **एक-तिहाई** सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिनमें **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के लिए आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है (नए अनुच्छेद 330A, 332A; अनुच्छेद 239AA में संशोधन)।

★ **कब से**: अधिनियम **16 अप्रैल 2026** को लागू किया गया, पर सीटें उस तिथि के बाद हुई पहली जनगणना, यानी जनगणना 2027, पर आधारित **परिसीमन** के बाद ही आरक्षित होंगी (अनुच्छेद 334A); इसलिए 18वीं लोक सभा (2024) से **नहीं**, और अभी कोई सीट आरक्षित नहीं है। यह **15 वर्ष** चलेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है; हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बदलती रहेंगी।

★ **संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024**: 17 दिसंबर 2024 को लोक सभा में पेश; **अनुच्छेद 82A** जोड़ता है और **अनुच्छेद 83** (लोक सभा का कार्यकाल), **172** (विधान सभा का कार्यकाल) और **327** में संशोधन करता है। इसे **संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee)** को भेजा गया, जिसका कार्यकाल 2026 में बढ़ाया गया; **नवंबर 2026 तक** यह कानून नहीं बना है।

★ **संविधान में**: 'राजनीतिक दल' शब्द **52वें संशोधन, 1985** (दसवीं अनुसूची) से आया।

★ **हर मान्यता प्राप्त दल पहले पंजीकृत दल होता है**। मान्यता **चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols (Reservation and Allotment) Order)** के अधीन मिलती है, जो आयोग का आदेश है, अधिनियम नहीं।

★ **राष्ट्रीय दल** (कोई एक शर्त): लोक सभा या विधान सभा चुनाव में **4 या अधिक राज्यों** में वैध मतों का **6% और साथ में 4 लोक सभा सीटें**; या कम से कम **3 राज्यों** से **लोक सभा की 2% सीटें** (11); या **4 राज्यों में राज्य दल** के रूप में मान्यता।

★ **छह राष्ट्रीय दल** (नवंबर 2026 तक): **भाजपा (BJP), कांग्रेस (INC), बसपा (BSP), माकपा (CPI(M)), आप (AAP) और एनपीपी (NPP)**। अप्रैल 2023 में **आप** को राष्ट्रीय दर्जा मिला, जबकि **तृणमूल कांग्रेस (AITC), राकांपा (NCP) और भाकपा (CPI)** का दर्जा छिन गया।

★ **आप**: 2012 में स्थापित; 2019 में यह दिल्ली और पंजाब में मान्यता प्राप्त **राज्य दल** था (और हर मान्यता प्राप्त दल की तरह पंजीकृत दल भी); 2023 से राष्ट्रीय दल।

★ **स्थापना वर्ष**: कांग्रेस **1885** (बंबई; डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष; ए.ओ. ह्यूम संस्थापक); भाकपा **1925** (कानपुर); माकपा **1964** (भाकपा से अलग होकर); भाजपा **1980**; बसपा **1984** (कांशी राम); तृणमूल कांग्रेस **1998** (ममता बनर्जी); आप **2012**; एनपीपी **2013** (पी.ए. संगमा)।

★ **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** ने **दसवीं अनुसूची** जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया; 1 मार्च 1985 से लागू।

★ **आधार**: सदस्य (1) **स्वेच्छा से** दल की सदस्यता **छोड़ दे** (आचरण से भी यह दिख सकता है: रवि एस. नाइक, 1994); (2) बिना अनुमति **दल के व्हिप (Whip) के विरुद्ध मत दे या मतदान से दूर रहे**, जब तक दल **15 दिनों** के भीतर उसे माफ़ न कर दे; (3) **निर्दलीय** के रूप में चुने जाने के बाद किसी दल में शामिल हो; (4) **मनोनीत** सदस्य के रूप में सीट ग्रहण करने के **छह महीने बाद** किसी दल में शामिल हो।

★ **विलय (Merger) की छूट**: यदि मूल दल किसी दूसरे दल में विलीन हो और उसके विधायक दल के कम से कम **दो-तिहाई** सदस्य सहमत हों, तो निरर्हता नहीं होती।

★ **विभाजन की छूट** (एक-तिहाई का अलग होना) **91वें संशोधन, 2003** द्वारा **हटा दी गई**।

★ **निर्णय कौन करता है**: **अध्यक्ष** (लोक सभा, विधान सभा) या **सभापति** (राज्य सभा, विधान परिषद), न कि राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग। अनुसूची निर्णय के लिए **कोई समय-सीमा** तय नहीं करती।

★ **किहोतो होलोहान बनाम ज़चिल्हू (Kihoto Hollohan v Zachillhu, 1992)**: अनुसूची वैध है, पर न्यायालयों पर रोक लगाने वाला **पैरा 7** रद्द किया गया; पीठासीन अधिकारी अधिकरण की तरह काम करता है और उसका निर्णय सीमित आधारों पर **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)** के अधीन है।

21. शासन: सिविल सेवाएँ, अधिकार-आधारित कानून, पुलिस और न्याय

★ **अनुच्छेद 310 (प्रसादपर्यंत का सिद्धांत, Doctrine of pleasure)**: संघ के सिविल सेवक **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद धारण करते हैं; राज्य के सिविल सेवक **राज्यपाल के प्रसादपर्यंत**।

★ **अनुच्छेद 311 के संरक्षण**: **नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ** कोई प्राधिकारी पदच्युत नहीं कर सकता या पद से नहीं हटा सकता, और ऐसी **जाँच** के बिना पदच्युति, हटाना या पदावनति नहीं हो सकती जिसमें अधिकारी को आरोप बताए जाएँ और उसकी सुनवाई हो।

★ **अनुच्छेद 312**: यदि **राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई** से संकल्प पारित करे, तो संसद नई **अखिल भारतीय सेवा (All India Service)** (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बना सकती है। **IAS और IPS** को इसी अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सृजित सेवाएँ माना गया है।

★ **कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)**: संघ का **सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक**, **कैबिनेट सचिवालय** का प्रमुख (सीधे प्रधानमंत्री के अधीन), संघीय मंत्रिमंडल का सचिव और **सिविल सेवा बोर्ड** का अध्यक्ष। पहले पदधारी: **एन. आर. पिल्लै (N. R. Pillai, 1950)**।

★ **विभाजित प्रणाली**: नीति-निर्माण (सचिवालय) को नीति-क्रियान्वयन (कार्यकारी एजेंसियाँ: निदेशालय, संलग्न और क्षेत्रीय कार्यालय) से अलग रखा जाता है।

★ **मुख्य सचिव (Chief Secretary)**: राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख और राज्य मंत्रिमंडल का सचिव। इसे **मुख्यमंत्री** चुनते हैं (औपचारिक नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्यपाल नहीं); **कोई निश्चित कार्यकाल नहीं**।

★ **पटवारी (Patwari)** (उत्तर प्रदेश में **लेखपाल**, गुजरात और महाराष्ट्र में **तलाटी**) **गाँव का भू-अभिलेख अधिकारी** है: अधिकार-अभिलेख, फसल और नामांतरण (Mutation) का रिकॉर्ड रखता है। **लंबरदार** गाँव का मुखिया था जो भू-राजस्व वसूलता था; **जैलदार** पंजाब में गाँवों के एक समूह का प्रमुख था।

★ **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission, 1966)**: अध्यक्ष **मोरारजी देसाई**, बाद में **के. हनुमंतैया**; 20 रिपोर्टें। इसकी सलाह पर **1970** में कैबिनेट सचिवालय में **कार्मिक विभाग** बना, **प्रधानमंत्री** के प्रभार में।

★ **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005)**: अध्यक्ष **एम. वीरप्पा मोइली**; **15 रिपोर्टें**, पहली **सूचना के अधिकार** पर।

★ **समय-सीमाएँ**: **लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer, PIO) 30 दिन** में उत्तर देता है; सूचना किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से जुड़ी हो तो **48 घंटे**; सहायक PIO के माध्यम से आवेदन पर 35 दिन।

★ **अपीलें**: प्रथम अपील **30 दिन** में उसी प्राधिकरण में **PIO से वरिष्ठ** अधिकारी को; द्वितीय अपील **90 दिन** में **केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग** को।

★ **केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)**: एक **मुख्य सूचना आयुक्त** और अधिकतम **10** सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति **राष्ट्रपति** करते हैं: **प्रधानमंत्री**, **लोक सभा में विपक्ष के नेता** और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** की समिति की सलाह पर।

★ **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) 2009** (**1 अप्रैल 2010** से लागू) **अनुच्छेद 21A** (86वाँ संशोधन, 2002) को लागू करता है: **6 से 14 वर्ष** के बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

★ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) 2013**: अधिकतम **75% ग्रामीण** और **50% शहरी** जनसंख्या; प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह **5 kg** अनाज और **अंत्योदय** परिवारों को प्रति परिवार **35 kg**।

★ **मनरेगा (MGNREGA, 2005)**: हर उस ग्रामीण परिवार को वर्ष में **100 दिन** का गारंटीशुदा मज़दूरी-रोज़गार जिसके वयस्क अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ; पहले **2 फरवरी 2006** से 200 जिलों में, 2008 से सभी ग्रामीण जिलों में; **ग्राम सभा** द्वारा सामाजिक अंकेक्षण; **ग्रामीण विकास** मंत्रालय।

★ **VB-G RAM G अधिनियम 2025** (विकसित भारत: रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी; Viksit Bharat: Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)): **18 दिसंबर 2025** को पारित, **21 दिसंबर 2025** को अनुमति, **1 जुलाई 2026** से लागू, मनरेगा के स्थान पर। गारंटी बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार **125 दिन** की गई।

★ **वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) 2006** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम): व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार तय करने की प्रक्रिया **शुरू** करने वाला प्राधिकारी **ग्राम सभा (Gram Sabha)** है।

★ **FRA का नोडल मंत्रालय**: **जनजातीय कार्य** मंत्रालय। दावे ग्राम सभा → **उपखंड स्तरीय समिति** → **जिला स्तरीय समिति** (अंतिम) की ओर जाते हैं; **राज्य स्तरीय निगरानी समिति** देखरेख करती है।

★ **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019** (जुलाई 2020 से लागू) ने फोरमों का नाम **आयोग** रखा और **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** बनाया; यह ई-कॉमर्स, भ्रामक विज्ञापन, उत्पाद दायित्व और मध्यस्थता को कवर करता है; शिकायत ऑनलाइन और शिकायतकर्ता के निवास स्थान पर दर्ज हो सकती है।

★ **वर्तमान सीमाएँ** (30 दिसंबर 2021 के नियम, चुकाए गए मूल्य के आधार पर): **जिला** आयोग **₹50 लाख** तक; **राज्य** आयोग ₹50 लाख से ऊपर **₹2 करोड़** तक; **राष्ट्रीय** आयोग **₹2 करोड़** से ऊपर।

★ **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) 2016** (अप्रैल 2017 से लागू; 2006 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप): **21** दिव्यांगताएँ; **बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या अधिक)** वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में **4%** और उच्च शिक्षा में **5%** आरक्षण; **6 से 18** वर्ष के ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा; **सुगम्यता और भेदभाव-निषेध** सुनिश्चित करने का सरकार पर कानूनी दायित्व।

★ **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)**, **3 दिसंबर 2015** को शुरू: **तीन क्षेत्रों** में सार्वभौमिक सुगम्यता: निर्मित वातावरण, **परिवहन** और **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**।

★ **आधार निर्णय (पुट्टस्वामी, Puttaswamy, 26 सितंबर 2018)**: आधार अधिनियम वैध ठहराया गया; **भारत की संचित निधि** से दी जाने वाली सब्सिडी और लाभों के लिए तथा **PAN/आयकर** के लिए **अनिवार्य**; बैंक खाते, मोबाइल सिम, स्कूल प्रवेश या बीमा के लिए **नहीं**; धारा 57 का अनुबंध वाला खंड रद्द, इसलिए **निजी कंपनियाँ अनुबंध के आधार पर आधार नहीं माँग सकतीं** और **राज्य निजी निगमों से आधार डेटा साझा करने का अनुबंध नहीं कर सकता**; प्रमाणीकरण लेन-देन डेटा, **मेटाडेटा सहित**, अधिकतम **छह महीने** रखा जा सकता है (तीन महीने नहीं, और विनियमों द्वारा अनुमत पाँच वर्ष भी नहीं)।

★ **सातवीं अनुसूची, राज्य सूची (State List)**: **लोक व्यवस्था (प्रविष्टि 1)**, **पुलिस (प्रविष्टि 2)** और **कारागार (प्रविष्टि 4)**। इसलिए पुलिस हर राज्य के अपने कानूनों के अधीन चलती है; कई राज्य अब भी **पुलिस अधिनियम 1861** का पालन करते हैं।

★ **अनुच्छेद 355**: संघ का **दायित्व है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे** और सुनिश्चित करे कि उसकी सरकार संविधान के अनुसार चले।

★ **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (Prakash Singh v. Union of India, 22 सितंबर 2006)**: सात निर्देश, जिनमें **राज्य सुरक्षा आयोग**, **UPSC** द्वारा सूचीबद्ध **तीन सबसे वरिष्ठ** अधिकारियों में से चुना गया **DGP** जिसका **कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल** हो, **अन्वेषण को कानून-व्यवस्था से अलग** करना, **पुलिस स्थापना बोर्ड** और **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** शामिल हैं।

★ **ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR)** (BNSS धारा 173): **संज्ञेय** अपराध की सूचना **किसी भी थाने में, अपराध का स्थान चाहे जो हो**, दी जा सकती है; थाना उसे दर्ज करके संबंधित थाने को भेजता है। सूचना **मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक** रूप से दी जा सकती है; ई-FIR पर **तीन दिन** में हस्ताक्षर करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराना विकल्प है, बाध्यता नहीं।

★ **प्रारंभिक जाँच**: **3 वर्ष या अधिक पर 7 वर्ष से कम** दंडनीय अपराधों में थाना प्रभारी **DSP से अनिम्न** अधिकारी की अनुमति से, आगे बढ़ने का निर्णय करने से पहले, **14 दिन** में प्रारंभिक जाँच कर सकता है।

★ **गिरफ़्तारी के संरक्षण (अनुच्छेद 22)**: आधार बताए जाएँ, **वकील** से परामर्श का अधिकार, **24 घंटे में मजिस्ट्रेट** के सामने पेशी (यात्रा का समय छोड़कर)। **डी. के. बसु (D. K. Basu, दिसंबर 1996 में निर्णीत)** ने गिरफ़्तारी ज्ञापन और किसी संबंधी को सूचना देना जोड़ा।

★ **निवारक निरोध (Preventive detention) (अनुच्छेद 22(3)–(7))**: **अनुच्छेद 22(1)–(2)** के अधीन तुरंत आधार जानने और वकील से परामर्श का अधिकार निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों (या शत्रु विदेशियों) पर **लागू नहीं होता**; **3 महीने** से अधिक निरोध के लिए **सलाहकार बोर्ड** की रिपोर्ट चाहिए। कानून: **NSA 1980** (12 महीने तक), COFEPOSA 1974, PITNDPS अधिनियम 1988।

★ **कारागार अधिनियम 1894** ने कारागारों को स्पष्ट रूप से **प्रांतीय (अब राज्य) सरकारों** के नियंत्रण में रखा, इसीलिए हर राज्य अपने नियमों से जेल चलाता है; कारागार **राज्य सूची (प्रविष्टि 4)** में हैं। जेल के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए हर राज्य के अपने नियम हैं।

★ **न्यायिक हिरासत (Judicial custody)**: अभियुक्त **मजिस्ट्रेट** के आदेश से **जेल** में रहता है, पुलिस लॉक-अप में नहीं; पुलिस अभियुक्त से **पूछताछ** केवल **न्यायालय की अनुमति** से कर सकती है।

★ **पैरोल (Parole)**: किसी **विशेष कारण** (परिवार में बीमारी या मृत्यु, विवाह) से दोषी की सशर्त, अस्थायी रिहाई। यह **अधिकार नहीं** है: पर्याप्त आधार होने पर भी यह विवेकाधीन है, और हर **राज्य के अपने पैरोल नियम** हैं।

★ **अनुच्छेद 39A** (**42वें संशोधन, 1976** द्वारा जोड़ा गया): समान न्याय और **निःशुल्क विधिक सहायता**। **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) 1987** (**9 नवंबर 1995** से लागू, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस) ने **NALSA** (मुख्य संरक्षक: भारत के मुख्य न्यायाधीश), राज्य और जिला प्राधिकरण बनाए।

★ **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)** (**23 दिसंबर 1993** से; **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्रालय): हर सांसद **₹5 करोड़ प्रति वर्ष** के कार्यों की सिफारिश कर सकता है, जो ₹2.5 करोड़ की दो किस्तों में जारी होते हैं; यह धन **व्यपगत नहीं होता (Non-lapsable)** (बिना खर्च हुई राशि आगे जुड़ जाती है)।

★ **MPLADS के नियम**: केवल **टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियाँ** (सड़कें, स्कूल भवन, स्वास्थ्य और पेयजल कार्य); पात्र राशि का कम से कम **15% अनुसूचित जाति** बहुल क्षेत्रों और **7.5% अनुसूचित जनजाति** क्षेत्रों के लिए; **जिला प्राधिकारी** स्वीकृति देता है और कार्य कराता है, और उसे हर वर्ष चल रहे कार्यों में से **कम से कम 10%** का **निरीक्षण** करना होता है।

22. राजनीतिक सिद्धांत और मुख्य अवधारणाएँ

★ **परिभाषा** (जे.डब्ल्यू. गार्नर, J.W. Garner): व्यक्तियों का ऐसा समुदाय जो **किसी निश्चित भू-क्षेत्र पर स्थायी रूप से बसा** हो, **बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र** हो, और जिसके पास ऐसी **संगठित सरकार** हो जिसका पालन अधिकांश लोग आदतन करते हों।

★ **चार तत्व**: **जनसंख्या (Population)**, **भू-क्षेत्र (Territory)**, **सरकार** और **संप्रभुता (Sovereignty)**। किसी प्रांत, नगरपालिका या कंपनी के पास पहले तीन हो सकते हैं, पर संप्रभुता नहीं होती।

★ **राज्य बनाम सरकार**: राज्य स्थायी और अमूर्त है; सरकार अस्थायी और मूर्त है। नागरिक राज्य का विरोध किए बिना सरकार का विरोध कर सकता है।

★ **संविधान का मुख्य प्रयोजन**: **सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना**। पदों का सृजन, विधियों के लक्ष्य तय करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसके बाद आते हैं।

★ **संवैधानिक सरकार (Constitutional government)** = **सीमित सरकार (Limited government)**: यह **व्यक्ति की स्वतंत्रता** के हित में **राज्य की सत्ता** पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, न कि राज्य की सत्ता के हित में स्वतंत्रता पर।

★ **विधि का शासन (Rule of law) (ए.वी. डायसी, A.V. Dicey, 1885)**: (1) **विधि की सर्वोच्चता**: किसी को तब तक दंड नहीं दिया जाता जब तक साधारण न्यायालय में विधि का उल्लंघन सिद्ध न हो, अतः कोई मनमानी शक्ति नहीं; (2) **विधि के समक्ष समता**: अधिकारियों सहित सभी एक ही विधि और एक ही न्यायालयों के अधीन हैं; (3) संविधान न्यायालयों द्वारा घोषित साधारण विधि का परिणाम है।

★ **भारत में विधि का शासन**: पहले दो लागू होते हैं; अनुच्छेद 14 **विधि के समक्ष समता** और **विधियों का समान संरक्षण** देता है। तीसरा लागू नहीं होता, क्योंकि अधिकार लिखित संविधान से आते हैं। विधि का शासन **मूल ढाँचे (Basic structure)** का भाग है (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, 1975)।

★ **मॉन्टेस्क्यू (Montesquieu)** ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज़ (The Spirit of the Laws, **1748**) में यह सिद्धांत ब्रिटिश व्यवस्था के अध्ययन से निकाला; **अमेरिकी संविधान** (1787) इसे सबसे कठोरता से लागू करता है।

★ उदार लोकतंत्र में **स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा**: **शक्तियों का पृथक्करण**। 'प्रतिबद्ध' न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण या केवल निर्वाचित सरकार अपने आप स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रखते।

★ **भारत**: कठोर पृथक्करण नहीं। कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है (सम्मिलन, Fusion), इसलिए यह सिद्धांत मुख्यतः **न्यायपालिका** और अन्य दो अंगों के बीच काम करता है, और तीनों के बीच परस्पर नियंत्रण रहते हैं।

★ **अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं**: ये सीमित करते हैं कि राज्य क्या कर सकता है। ये कुछ लोगों के विशेषाधिकार नहीं हैं, न ही नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे।

★ **अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधी (Correlative) हैं**: मेरा जीवन का अधिकार आपका यह कर्तव्य है कि आप मुझे हानि न पहुँचाएँ; और मैं कोई अधिकार तभी तक माँग सकता हूँ जब तक दूसरों के उसी अधिकार का सम्मान करूँ।

★ **मौलिक कर्तव्य**: **अनुच्छेद 51A** (भाग IVA), **स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee)** की सलाह पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़े गए; अब **11** कर्तव्य हैं, 11वाँ (माता-पिता 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दें) **86वें संशोधन (2002)** से। न्यायालय इन्हें सीधे लागू नहीं करा सकते।

- **नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative liberty)**: प्रतिबंध **से** मुक्ति: व्यक्ति वहाँ स्वतंत्र है जहाँ राज्य और दूसरे उसे अकेला छोड़ दें (हॉब्स, लॉक, **जे.एस. मिल (J.S. Mill)**, ऑन लिबर्टी, On Liberty, 1859)।
- **सकारात्मक स्वतंत्रता (Positive liberty)**: कुछ करने और बढ़ने **की** स्वतंत्रता: **स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर**, जिसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और उचित परिस्थितियाँ देनी पड़ सकती हैं (टी.एच. ग्रीन, लास्की)। **आइज़ाया बर्लिन (Isaiah Berlin)** ने 'टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी' (1958) में दोनों को ये नाम दिए।
- स्वतंत्रता की **सबसे उपयुक्त परिभाषा**: **स्वयं का पूर्ण विकास करने का अवसर**। 'प्रतिबंधों का अभाव' और 'जो चाहे वह करना' अधूरे हैं; 'निरंकुश शासकों से सुरक्षा' केवल एक भाग है।
- **विधि और स्वतंत्रता**: विधि स्वतंत्रता की शर्त है: **यदि विधियाँ नहीं हैं, तो स्वतंत्रता नहीं है** (लॉक: जहाँ विधि नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं)। अधिक विधियों का अर्थ अपने आप कम स्वतंत्रता नहीं है।
- **समानता (Equality)**: किसी व्यक्ति या समूह के लिए **विशेषाधिकारों का अभाव**, और सबके लिए **समान अवसर**। इसका अर्थ एक जैसा व्यवहार नहीं है, न ही प्रतिस्पर्धा या प्रतिबंधों का अभाव।
- **अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln)** (गेटिसबर्ग संबोधन, **1863**): **जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए** सरकार।
- **लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण**: यह **साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र** को क्रियाशील बनाता है, किसी एक प्रतिभाशाली नेता या दल-कार्यकर्ताओं के समूह को नहीं।
- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct democracy)**: जनता स्वयं निर्णय लेती है; प्राचीन **एथेंस**; आज भी कुछ **स्विस कैंटन** खुली सभाओं (लैंड्सगेमाइंडे, Landsgemeinde) में निर्णय लेते हैं, और **स्विट्ज़रलैंड** में अक्सर जनमत संग्रह होते हैं।
- **प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन**: **जनमत संग्रह (Referendum)** (जनता किसी विधि या प्रस्ताव पर मत देती है), **उपक्रम (Initiative)** (जनता विधि का प्रस्ताव करती है), **प्रत्याह्वान (Recall)** (मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाते हैं), **लोकमत संग्रह (Plebiscite)** (जनता किसी सार्वजनिक प्रश्न पर मत देती है, प्रायः संप्रभुता या भू-क्षेत्र के प्रश्न पर)।
- **मार्क्सवाद (Marxism)**: **कार्ल मार्क्स (Karl Marx)** (1818–1883) और **फ्रेडरिक एंगेल्स (Friedrich Engels)**: **कम्युनिस्ट घोषणापत्र (The Communist Manifesto, 1848)** और **दास कैपिटल (Das Kapital)** (खंड 1, **1867**)।
- **द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical materialism)**: मार्क्स ने इतिहास और **वर्ग संघर्ष** को इसी से समझाया। पदार्थ (आर्थिक शक्तियाँ) पहले आता है, और परिवर्तन विरोधी तत्वों के टकराव से होता है। इतिहास पर लागू होने पर यह **ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical materialism)** है: आर्थिक आधार (वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है) विधि, राजनीति और धर्म को आकार देता है।
- **वर्ग संघर्ष (Class struggle)**: अब तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है (दास और स्वामी, कृषिदास और सामंत, श्रमिक और पूँजीपति); पूँजीपति श्रमिकों के श्रम का **अधिशेष मूल्य (Surplus value)** अपने पास रखकर उनका शोषण करते हैं।
- **मार्क्स का मार्ग**: श्रमिक क्रांति → **सर्वहारा का अधिनायकत्व (Dictatorship of the proletariat)** → समाजवाद → राज्य **मुरझा जाता है (Withers away)** → **वर्गविहीन, राज्यविहीन** साम्यवादी समाज।
- **गांधीवाद (Gandhism)**: **अहिंसा** और **सत्याग्रह**; **स्वराज** (हिंद स्वराज, **1909**); **सर्वोदय**, सबका कल्याण (रस्किन की अनटू दिस लास्ट, Unto This Last, का उनका 1908 का रूपांतर); **न्यासिता (Trusteeship)** (धनी लोग धन को समाज की धरोहर के रूप में रखें); **ग्राम स्वराज** और विकेंद्रीकरण; पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन।
- **राज्य पर गांधी**: वे राज्य को केंद्रित रूप में हिंसा मानते थे और **प्रबुद्ध अराजकता (Enlightened anarchy)** का लक्ष्य रखते थे: ऐसा राज्यविहीन समाज जहाँ हर व्यक्ति स्वयं पर शासन करे।
- **साझा आधार**: गांधीवाद और मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य एक है: **राज्यविहीन समाज** और शोषण का अंत। साधनों पर वे भिन्न हैं: मार्क्स ने हिंसक क्रांति, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति का उन्मूलन और आर्थिक नियतिवाद स्वीकार किए; गांधी ने चारों को अस्वीकार कर अहिंसा, हृदय-परिवर्तन और न्यासिता को अपनाया।

बदलने वाले तथ्य

इन्हें कहाँ जाँचें

रिकॉर्ड, मिशन, क़ानून, पदधारी और पुरस्कार इस पुस्तक के छपने के बाद बदल सकते हैं। यहाँ ये नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं। हर तथ्य नीचे बताई गई आधिकारिक संस्था प्रकाशित करती है: ताज़ा स्थिति के लिए उसकी वेबसाइट देखें।

अध्याय	तथ्य	प्रकाशक	वेबसाइट
1, 3, 7, 23	संविधान का पाठ, उसकी अनुसूचियाँ और लागू संशोधन	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	legislative.gov.in
4, 8	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, उनके नाम और क्षेत्रीय परिषदें	गृह मंत्रालय	mha.gov.in
6, 21	ग्रामीण रोज़गार गारंटी (VB-G RAM G अधिनियम)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	rural.gov.in
10	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति सचिवालय; उपराष्ट्रपति सचिवालय	presidentofindia.gov.in · vicepresidentofindia.nic.in
11	प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद	प्रधानमंत्री कार्यालय	pmindia.gov.in
11, 21	कैबिनेट सचिव, महान्यायवादी और सिविल सेवाएँ	मंत्रिमंडल सचिवालय; विधि कार्य विभाग; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	cabsec.gov.in · legalaffairs.gov.in · dopt.gov.in
12, 13	संसद के सदस्य, पीठासीन अधिकारी, सत्र और विधेयक	भारत की संसद	sansad.in
13	केंद्रीय बजट और अनुदान माँगों की संख्या	वित्त मंत्रालय	indiabudget.gov.in
14	उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश और स्वीकृत संख्या	भारत का उच्चतम न्यायालय	sci.gov.in
16	पंचायती राज संस्थाएँ	पंचायती राज मंत्रालय	panchayat.gov.in
18, 20	निर्वाचन आयोग और चुनाव	भारत निर्वाचन आयोग	eci.gov.in
18	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय	cag.gov.in
18	संघ लोक सेवा आयोग	संघ लोक सेवा आयोग	upsc.gov.in
8, 16, 18	वित्त आयोग और उसकी सिफ़ारिशें	भारत का वित्त आयोग	fincomindia.nic.in
18, 19	नीति आयोग	नीति आयोग	niti.gov.in
19	केंद्रीय सूचना आयोग	केंद्रीय सूचना आयोग	cic.gov.in
19	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	nhrc.nic.in
19	भारत का लोकपाल	भारत का लोकपाल	lokpal.gov.in
19	भारत का विधि आयोग	भारत का विधि आयोग	lawcommissionofindia.nic.in
सभी	संसद के अधिनियम	इंडिया कोड (विधायी विभाग)	indiacode.nic.in

सभी	सरकार के निर्णय, नियुक्तियाँ और अधिसूचनाएँ	पत्र सूचना कार्यालय (PIB)	**pib.gov.in**

एक बार पढ़ें। परीक्षा के दिन याद रहे।

रात के 11 बजे हैं, प्रारंभिक परीक्षा में तीन हफ़्ते बाकी हैं। आप तीन किताबें पढ़ चुके हैं, फिर भी अनुच्छेद 32 या 226, धन विधेयक या वित्त विधेयक, पाँचवीं अनुसूची या छठी पर अटक जाते हैं। यह किताब उसी पल के लिए लिखी गई है। हर प्रावधान के साथ उसका कारण है, एक चार्ट है, और एक ट्रिक है जो उसे याद रखवाती है। एक बार अध्याय पढ़िए, परीक्षा के दिन भी वह याद रहेगा।

16
वर्षों के UPSC और BPSC प्रश्नपत्र, हर प्रश्न शामिल

725
ज़रूरी ★★★ तथ्य

207
इस किताब के लिए बने चित्र

128
याद रखने की ट्रिक

188
परीक्षा-जाल चिह्नित

268
अभ्यास MCQ

दो रफ़्तार: एक बार पढ़ने में लगभग 18 घंटे; परीक्षा से पहले की रात रिवीज़न कार्ड और सभी ★★★ तथ्य दोहराने में लगभग 4 घंटे।

UPSC 2011–2026 और BPSC 56वीं–71वीं · नवंबर 2026 तक अद्यतन

PYQ-PROOF

2011 से UPSC और BPSC का भौतिकी का हर प्रश्न ऐसे पाठक को दिया गया जिसके पास केवल यह किताब थी, उत्तर-कुंजी नहीं। हर प्रश्न का उत्तर इन्हीं पन्नों से मिला। PYQ-PROOF का यही अर्थ है।